1

प्राचीन विश्व

आपने अपने पुरा इतिहास के विषय सबसे पहले अध्याय से जानकारी ली। आपने यह भी पढ़ा कि पुरा पाषाण काल में मानव ने किस प्रकार पत्थर लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से हथियार और औजार बनाना सीखा। यह मानव गुफाओं में रहते थे और अपने लिये खाने का प्रबन्ध जानवरों का शिकार करके या इधर उधर से इकट्ठा करके करते थे। सैकड़ों हजारों सालों के पश्चात् उन्होंने कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की। लगभग उसी समय उन्होंने पशु पालन भी शुरू कर दिया। वह यह इसलिये कर पाये क्यों कि आदि मानव ने अपने रहने के लिये ठिकाना ढूढ़ लिया। इसी कारण वह कृषि करने में भी सफल हो पाया। पाषाण युग के बाद आया धातु युग – कांस्य युग और लौह युग। इन युगों से प्रारम्भ होती हे एक ऐसी सभ्यता जिसने मानव के जीवन, उसके रहने सहने का ढंग उसकी दैनिक जीवन की क्रियाओं को ही बदल डाला। कांस्य युगीन सभ्यताओं की मुख्य सभ्यताएँ भी मैसोपोटामिया, मिस्र, चीन और भारत लौह युगीन सभ्यताएँ थीं। युनान, रोम पर्शिया और भारत।

आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि लोहा जिसका आविष्कार और इस्तेमाल इतना पुराना है लेकिन आज भी इसकी जरूरत हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती हैं। हमारे आस-पास और कितनी ही चीजें उपलब्ध हैं जो लोहे से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल हमारे घरों में कितना अधिक है यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा। स्टील, लोहे का ही एक शुद्ध किया हुआ रूप है। हम इस पाठ में इन सभ्यताओं के योगदान की चर्चा करेंगे। कांस्य और लोहे की सभ्यताओं के साथ-साथ आप प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में भी जान सकेंगे। यह भी जान सकेंगे कि उस समय के राजाओं और उनके बंशजों ने क्या योगदान दिया।

मानव समाज को इन सब विषयों की जानकारी हमारी लिये कितनी रोमांचक होगी। चलिये अब हम अपने अतीत में जाकर यह ज्ञान प्राप्त करें कि हम किस प्रकार इतने सभ्य, प्रगतिशील और सफल हो पाये हैं।

उद्देश्य

यह पाठ पढ़ने को बाद आप :

- मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र और हड़प्पा की सभ्यताओं के मानव जाति को योगदान के विषय में बता सकेंगे;

- यूनान, रोम और फारस की लौह युगीन सभ्यताओं के योगदान का उल्लेख कर सकेंगे;
- वैदिक युग से लेकर हर्ष काल तक भारतीय इतिहास के महत्त्वपूर्ण विकास की व्याख्या कर सकेंगे;

1.1 कांस्य युग

नव पाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी, जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को ताम्र-पाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है, की खोज भी इस काल में हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। इस काल में हथियारों और औजारों के निर्माण में तांबा और कांस्य ने एक हद तक पत्थर, लकड़ी और हड्डी की जगह ले ली। लोगों ने धूप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह की ईंटो को बनाना व निर्माण कार्य में इस्तेमाल करना सीखा।

इसी काल में विभिन्न नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ। ये नगर व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र बन गए और एक काल क्रम में राज्यों तथा साम्राज्यों का उदय हुआ। प्राचीन काल में लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण कर मानवता को महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्राचीन सभ्याताएं मेसापोटामिया, मिस्र, भारत व चीन में उभरीं व विकसित हुई। कृषि, दस्तकारी और वाणिज्य धीरे-धीरे फले-फूले। नगर प्रशासन के भी केन्द्र बनें।

वहां शासक वर्ग थे, जिन पर इन सभ्यताओं के प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उन्हें दूसरे अधिकारी मदद करते थे। हम देखते हैं कि नए युग के आगमन के साथ ही समाज में अनेक वर्ग उभर आए थे। अब हम इन सभी सभ्यताओं के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे।

1.1.1 मेसोपोटामिया सभ्यता

मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है, नदियों के बीच की जमीन। यह दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी और आधुनिक नाम इराक है । इन नदियों मे अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। इस प्रक्रिया में उनके किनारों पर ढेर सारी मिट्टी और गाद जमा हो जाती थी। यह किनारों के पास की जमीन को खूब उर्वर बना देती। इसने मेसोपोटामिया वासियों के सामने दो चुनौतियां पेश कीं, बाढ़ को काबू में करना और खेती के लिए जमीन की सिंचाई करना। इससे उपज बढ़ी। कृषि उत्पादन में इजाफें से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ई जैसे अनेक दस्तकार सामने आए। वे अपनी बनाई चीजें बेचते और बदले में अपनी रोजाना की जरूरतों की चीजें लेते। वे भारत जैसे सुदूर क्षेत्रों के साथ जमीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार करते। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपहिया गाड़ियों, नौकाओं और पोतों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी। उस समय की लिपि संकेत चिह्नों या चित्रों का समूह थी। बाद में वे फान जैसी लकीरें खींचते थे। यह लिपि कीलाक्षर कहलाती है।

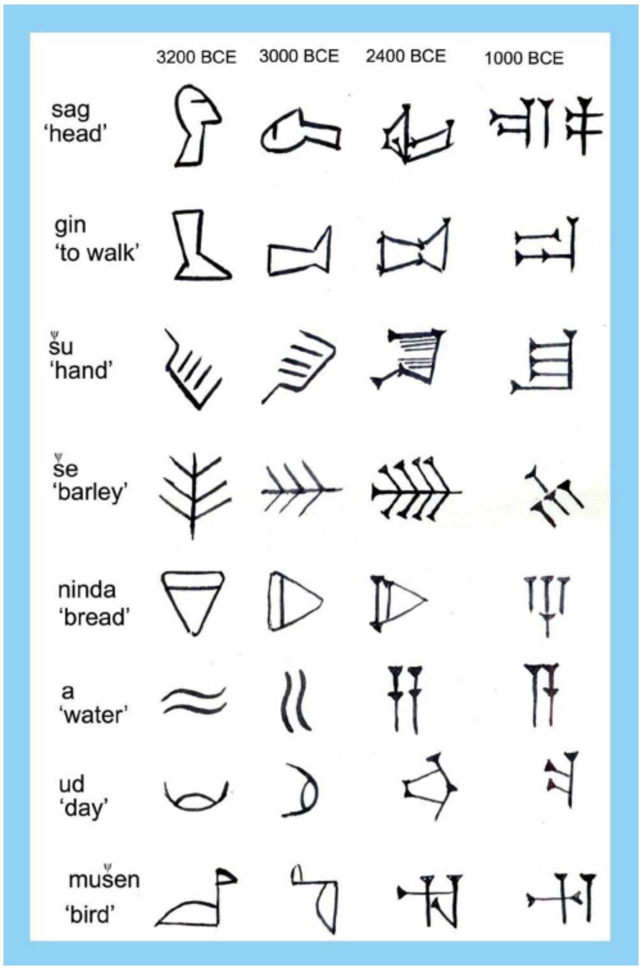

चित्र 1.1 : कीलाक्षार लिपि

मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहर छोटे राज्यों के समान थे। उनका अपना प्रशासन वर्गों में पुरोहित, राजा और कुलीन शामिल थे। उनके अलावा सौदागर, आम लोग और गुलाम थे। मेसोपोटामिया के लोग ढेर सारे देवी-देवताओं - आकाश का देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा-देवता, प्रजनन की देवी, प्रेम की देवी और युद्ध का देवता और इसी तरह के अनेक अन्य देवी-देवताओं की पूजा करते थे। हर शहर का एक संरक्षक देवता होता था। मेसोपोटामिया में अनेक खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किसानों और गुलामों, जो ज्यादातर युद्ध-बंदी होते थे, से करवाया गया।

1.1.2 मिस्र सभ्यता

मिस्र को अकसर नील नदी का तोहफा कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। हर साल नदी में बाढ़ आती और उसके किनारे जनमग्न हो जाते। वहां गाद की एक मोटी तह जमा हो जाती, जो जमीन को बेहद उपजाऊ बना देती। इस तरह वहां बारिश नही ंके बराबर होने के बावजूद किसान अच्छी फसल उपजाते। प्राचीन मिस्रवासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर ली थी। ईसा

पूर्व 3100 तक मिस्र एक राजा के अधीन आ गया था। मिस्रवासी अपने राजा को भगवान मानते थे। मिस्री राजाओं को फराओं कहा जाता है। वे देश पर राज करते और साम्राज्य की स्थापना के लिए जंग लड़ते। फराओं की सेवा में मंत्री और अधिकारी थे। वे जमीन का प्रशासन चलाते और राजा के आदेश के अनुसार कर वसूलते। समाज में पुरोहितों का भी एक ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था। हर कस्बे या शहर में मंदिर एक खास देवता को समर्पित होते। प्राचीन मिस्री लिपि को चित्रलिपि या चित्राक्षर कहते हैं। व्यापारी और सौदागर समुद्री तथा जमीनी दोनों तरह के व्यापार करते थे। मिस्र में संगतराश, बढ़ई, लोहार, चित्रकार, कुम्हार जैसे कुशल मजदूर थे। प्राचीन मिस्रवासियों को गणित की खासकर रेखागणित की अच्छी जानकारी थी। उन्हें मापतोल की भी खासी जानकारी थी।

प्राचीन मिस्र

चित्र 1.2 हिरोग्लिफिक्स लिपि

फराओं ने प्राचीन विश्व के महान स्मारक पिरामिड बनवाए। मिस्रवासी मौत के बाद जिंदगी पर यकीन करते थे और इसलिए उन्होंने शवों को संरक्षित रखा। इन संरक्षित शवों को ममी कहा जाता है। पिरामिड को मृत राजाओं के ममी किए गए शवों को रखने के लिए मकबरों के रूप में बनाया गया था।

1.1.3 चीनी सभ्यता

चीनी सभ्यता उत्तरी चीन में ह्वांग हो नदी घाटी फली-फूली। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक चीन शुरूआती शासक शांग शासन में एक लेखन शैली ईजाद की गई। इसके काल के दस्तकार, विशेषतः कांस्य शिल्पी अपने काम में माहिर थे। शांग शासकों के मातहत अनेक अधिकारी होते थे, जो राजाओं को राजपाट में मदद करते। किसान अभिजात वर्ग की खाद्य पदार्थो की आपूर्ति करते। चाऊ (1122 ईसा पूर्व) ने शांग वंश की सत्ता खत्म कर दी। उन्होंने पश्चिम की तरफ से हमला किया था और उन्हें शक्तिशाली कुलीन को समर्थन प्राप्त था। लेकिन कोई भी चाऊ

राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ, जो पूरे राज्य को अपने काबू में रख सके। अगले 500 साल तक कुलीन सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे। दूसरे कुलीनों और साथ ही उत्तर से हमला करने वाले खूंखार खानाबदोश कबीलों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होने मजबूत किले और चारों तरफ से दीवारों से घिरे नगर बनवाए। चाऊ शासन के परवर्ती काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कांस्य युग का समापन हो गया। ईसा पूर्व 221 में चिन राजा चीन के शासक बने। उन्होंने कुलीनों की ताकत कुचल डाली। चिन राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया और हरेक के लिए एक शासक नियुक्त किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में समान भाषा, समान कानून और समान मापतोल अपनाने का आदेश दिया। उन्होंने चीन की मशहूर दीवार भी बनवाई।

चिन वंश के बाद हान वंश आया। उसने 220 इस्वी साल तक चीन पर राज किया। इस दौरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग की ओर से पश्चिम से चीनी सौदागरों का नियमित संबंध बना रहा।

चीन के लोग अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। पूर्वजों और प्रकृति-आत्माओं की पूजा आम थी। कन्फ्यूशस नामक एक प्रसिद्ध चीनी धार्मिक उपदेशक ने 'सही व्यवहार' प्रणाली का प्रचार-प्रसार किया। इसने चीनी समाज और सरकार को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने अच्छे नैतिक सम्मान, परिवार से वफादारी और कानून तथा राज्य की आज्ञाओं के पालन पर जोर दिया।

क्रियाकलाप 1.1

क्या आप ने यह देखा कि सभी बड़े सभ्यताओं का विकास नदियों के तट पर ही हुआ। कुछ ऐसे शहरों का पता कीजिये जो कि नदियों के किनारे विकसित हुये। दो कारण देकर बताइए कि यह शहर उन शहरों से ज्यादा सफल क्यों हैं जो नदी के किनारे नहीं थे?

पाठगत प्रश्न 1.1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है?
2. मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया?
3. तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संस्कृति का नाम बताइए।
4. उन नदियों के नाम बताइए। जिनके बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी।

1.2 भारत : हड़प्पा सभ्यता

भारत में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और इसके अगल-बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसे इसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शहरों में से एक शहर हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता कहते

हैं; इसे विस्तृत सिन्धु घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। इस सभ्यता के नगर 1920 के दशक में तब प्रकाश में आए, जब पुरातत्वविदों ने वहाँ खुदाई की। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है, साथ ही इसके तीन चरणों - आरंभिक दशा, परिपक्व अवस्था, और पतन काल - की भी पहचान कर ली गई है, के दौरान ही यहां शहरी सभ्यता फल-फूल रही थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा (पंजाब), मोहनजोदड़ो (सिंध), लोथल (गुजरात), कालीवंगाँ (राजस्थान), रोपड़ (पंजाब), बनावली, राखीगढ़ी (हरियाणा) और धौलावीरा (गुजरात) हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ उत्तर में मांडा (जम्मू), दक्षिण में दैमाबाद (नर्मदा मुहाना), पश्चिम में सुतकागेंदोर (मकरान तट, बलूचिस्तान) और पूर्व में आलमगीरपुर (मेरठ के निकट, उत्तर प्रदेश) तक फैली थी। दूर जारी अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती की स्थापना शोरतुघई में की गई थी।

1.2.1 नगर योजना

वे लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मजबूत नगर-दुर्ग की उपस्थिति। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत होती थी। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था। यहां आम लोगों के मकान थे। नगरों में चौड़ी सड़कें थी, जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईट के बने थे। ज्यादातर मकान दो मंजिला थे। हरेक घर में कुएं, स्नानगृह, नाली और परनाली थी। साफ-सफाई का स्तर बहुत उन्नत था। खडंजे बिछी सड़कें और सड़कों पर प्रकाश-व्यवस्था अनजानी नहीं थी। मोहंजो-दड़ों के निचले शहर में निवास गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्र में अनेक खंभों वाले विशाल हाल भी मिले हैं। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नानगृह (180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा) उसमें स्नान के लिए इस्तेमाल होने वाला जलाशय 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और आठ फुट गहरा था। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत थी। यहाँ किसानों द्वारा उत्पादित अतिरेक का भंडारण होता था।

1.2.2 समाज और अर्थव्यवस्था

हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, राई, तिल और मटर थीं। लोथल और रंगपुर में धान मिलें हैं। कालीबंगन में हल की लीक के निशान मिले हैं। उनसे पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल करते थे। फसल काटने के लिए हसुआ का इस्तेमाल होता था। सिंचाई के कई तरीकों का इस्तेमाल होता था। लोगों को कपास और रूई की जानकारी थी। गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। लोग अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाते थे। ज्यादातर तांबा और कांस्य के बने औजार और हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। जेवरात सोना, चांदी, कीमती पत्थरों, रत्नों, शंख और हाथी के दांत के बने होते थे। दस्तकारों में कुम्हार, बुनकर, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सूनार, शिल्पकार, संग-तराश, ईंट बनाने वाले और ठठरे शामिल थे। वाणिज्य और व्यापार भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। स्थानीय व्यापार के साथ व्यापार भी चलता था। अनेक साक्ष्य इंगित करते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पावासियों के संबंध थे। वे सोना, रांगा, तांबा जैसी धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात करते थे निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवतरात, हाथी के दांत की बनी चीजें और

दस्तकारी सामान शामिल थे। हड़प्पा की मिट्टी की बनी मुहरों का इस्तेमाल संभवतः वाणिज्यिक उद्देश्यों था। समाज वर्गो में विभाजित था। नगर-दुर्ग की मौजदूगी शासक वर्ग के अस्तित्व की और इशारा है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल थे। समाज में उनके अलावा सौदागर, दस्तकार और आम लोग लेकिन हमें इस बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है।

1.2.3 धर्म और संस्कृति

मातृदेवियां हड़प्पावासियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रतीत होती हैं। मातृदेवियों की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। मोहेंजो-दड़ों में एक पुरूष-देवता भी मिला है, जिसे शिव (पशुपति) का आदिरूप कहा गया है। उसे एक मुहर पर पशुओं से घिरे योग की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। लिंग पूजा, वृक्ष और जड़ात्मवाद भी प्रचलन में थे। विभिन्न स्थलों पर मिले ताबील और जंतर आत्माओं तथा पर उनके विश्वास की ओर इशारा करते हैं। हड़प्पा-वासियों ने उच्च स्तरीय तकनीकी की चीजें हासिल की थी। उन्हें नागर-अभियांत्रिकी, चिकित्सा मापतोल और स्वच्छता की जानकारी थी। वे भी जानते थे। वे एक लिपि का प्रयोग करते थे, जिसे अभी तक नहीं समझा जा सका है।

1.2.4 पतन

यह कहना कठिन है कि ठीक-ठीक किन कारणों से इस सभ्यता का पतन हो गया एक इतिहासकार मानते थे कि आर्यो के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर डाला। लेकिन संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि आर्यो के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया प्राकृतिक आपदाएं इस सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जान पड़ती हैं। बार-बार बाढ़ आने नदियों का सूखना, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास, लकडियों के लगातार इस्तेमाल से जंगलों का सफाया, भूकंप, अल्पवशष्टि, रेगिस्तान के फैलाव ने संभवतः इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। कुछ की राय में मेसापोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता के पतन में कुछ भूमिका रही होगी। इस सभ्यता के पतन के साथ ही साक्षर व शहरी जीवन भारत में एक हजार साल से अधिक समय के लिए लुप्त हो गए।

पाठगत प्रश्न 1.2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. भारत में सिंधु-सरस्वती सभ्यता के दो स्थलों के नाम बताइए।
2. निम्नलिखित कथनों में खाली स्थान को भरिए :

   (क) विभिन्न स्थलों पर मिले .... से पता चलता है कि हड़प्पावासी आत्माओं और भूत-प्रेतों में विश्वास करते थे।

   (ख) .... सिंधु-सरस्वती सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है।

(ग) सिंधु-सरस्वती.................... के साथ विदेशी व्यापार करते थे।

(घ) समाज.................... में विभाजित था।

2. मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया?
3. उन नादियों का नाम बताईये जिनके बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता बसी हुई थी?
4. मिस्र की लिपि को क्या कहते थे?
5. हड़प्पा संस्कृति के चार शहरों के नाम बताइये।

1.3 लौह युगीन समाज

लौह युग का मतलब वह समय है, जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, और इसका आम इस्तेमाल होने लगा। यह करीब तीन हजार साल पहले आरंभ हुआ। लौह युग अलग-अलग जगहों में विभिन्न समय पर आया। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिए। लोहा तांबा और कांस्य से बहुत सस्ता और मजबूत था लोहे के औजारों ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने में मदद की। इस तरह कृषि उपज में खासी वृद्धि हुई।

लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा लोहे के हल और औजार के इस्तेमाल से पहिया और भी मजबूत हो गया। नाव और पोत बनाने में लोहे की कीलें और चादरें व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थीं। व्यापार और वाणिज्य भी फला-फुला। यह व्यापार खुशहाली लाया। नए हथियार भी इसी युग की देन हैं। भारी तलवारें, तेग, लौह कवच, भाले और बल्लम ने युद्ध का तौर-तरीका बदल डाला।

लौह युग बौद्धिक प्रगति का भी दौर था। उस दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास वर्णमाला की शुरूआत था। इसने पुरानी चित्रलिपि पर आधारित लिखावट की जगह ली। फिनिशियाइयों ने 22 अक्षरों वाली वर्णमाला विकसित की, यह युग अधिक बड़े स्तर पर राज्यों के निर्माण का भी साक्षी है। जो सभ्यता लौह युग में फली वह देश थे ग्रीस, रोम, परशिया और भारत। यह सभ्यता पूर्व युग से कहीं ज्यादा विकसित है।

1.3.1 यूनानी सभ्यता

यूनानी सभ्यता करीब 2000 साल पहले से कुछ समय बाद यूनान में विकसित हुई। यूनान में अनेक स्वतंत्र नगर-राज्य उभरे, जो एक उल्लेखनीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुए। नगर-राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। हरेक नगर सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरा होता था। नगर के अंदर किसी पहाड़ी पर किला होता था, जिसे एकोपोलिए कहते थे।

यूनानी नगर-राज्यों में सबसे प्रसिद्ध एथेंस और स्पार्टा थे। एथेंस धनी और सुसंस्कृत था। एथेंसवासियों में लेखक, दार्शनिक, कलाकार और चिंतक शामिल थे। समाज गुलाम-श्रम आधारित था। लेकिन नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे

अच्छी थी। यहां युद्ध कौशल का प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज माना जाता था। वहां कोई लोकतंत्र नहीं था। स्पार्टा लगभग किसी सैनिक शिविर के समान था, जहां हरेक से अपने वरिष्ठ की आज्ञाकारिता की उम्मीद की जाती थी। एथेन्स और स्पार्टा में खासी प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन दारियस प्रथम और ज़र्ज़ेस की ताकतवर ईरानी सेना से दोनों साथ-साथ लड़े। पेरीक्लीज का दौर एथेंस के लिए स्वर्ण युग था, लेकिन एथेंस और स्पार्टा के बीच 27 साल तक चले पेलोपोनिशियाई युद्ध में एथेंस की हार हो गई। प्राचीन यूनानी कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्तिकला में अग्रणी थे। इसलिए यूनान का पश्चिमी सभ्यता की जन्म स्थल कहते हैं। सुकरात, अफलातून और अरस्तू महान दाशनिक थे उनके ग्रंथों का अब भी अध्ययन किया जाता है। हेरोडोटस और यूसीडाइडीज प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आर्किमीडीज, एरिस्टार्कस और डेमोक्रिटस महान वैज्ञानिक थे। इस्काइलस, साफोक्लीज और अरिटोफेनीज नाटककार थे। होमर मशहूर महाकाव्य इलियड और ओडिसी का जनक है। यूनानियों को वास्तुकला में भी महारत हासिल थी। उन्होंने अनेक सुंदर मंदिर और महल बनाए। यूनानी मूर्तिकला ने मानव शरीर की बारीकियों को बड़ी जीवंतता के साथ उकेरा। नाटक और संगत भी फले-फुले। ईसा पूर्व 776 में शुरू हुए ओलंपिक खेल ओलंपिया नामक जगह पर हर चार साल पर आयोंजित किए जाते थे। खेल और एथ्लेटिक्स देवताओं के राजा जियस के सम्मान में होते। यूनानी अनेक देवी-देवताओं पर विश्वास करते थे। हरेक नगर का अपना संरक्षक देवता या देवी होती थी। माना जाता था कि ये देवी-देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं।

ज्ब यूनानी उपनिवेशवादी मुख्य भूमि से सुदूर नई जगहों पर बसे, तो यूनानी जीवन शैली भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैली। यूनानी सौदागर काला सागर और उत्तरी अफ्रीकी तट तक पहुँचे। किसान मुख्यतः अंगूर जैतून और खाद्यान्न उपजाते थे। शराब और जैतून का तेल उनके महत्वपूर्ण उत्पाद थे। यूनानी नगर प्रशासन तथा सांस्कृतिक-आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र थे।

एक समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। मकदूनिया के सिकन्दर ने, जिसे इतिहास में सिकन्दर महान के नाम से जाना जाता है, यूरोप के बाहर जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र अफगानिस्तान और यहां तक कि मधय एशिया तथा पूर्व-पश्चिमी भारत के हिस्सों को जीता। इस तरह यूनानी विचार और शिक्षाएं दूर-दूर तक फैल गई। सिकन्दर 33 साल की छोटी सी उम्र में मर गया। उसके बाद उसका साम्राज्य छोटे-छोटे हिस्सों में खंडित हो गया। बाद में रोमवासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया।

1.3.2 रोमन सभ्यता

रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा है। रोमवासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की (510 ईसा पूर्व)। रोमन गणराज्य का संचालन सीनेट करता था, जो बुजुर्गों का समूह था। वे सीनेटर कहलाते थे। वे नेतृत्व के लिए हर साल दो सभा (परिषद्) चुनते थे। ईसा पूर्व 200 तक रोम इटली की प्रमुख शक्ति बन चुका था। उसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कार्थेज जैसे प्रतिद्वद्वी का परास्त कर दिया था।

पूर्व-रोमन समाज में तीन वर्ग थे - पैट्रिशियन (कुलीन), प्लीबियन (आमजन) और गुलाम। रोमन अर्थव्यवस्था गुलाम-श्रम पर आधारित थी। धनी रोमन गुलाम रखते थे। इन गुलामों को अकसर 'ग्लैडिएटर युद्ध' के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच

लड़ा जाता था। रोम में अनेक गुलाम विद्रोह हुए। उनमें से एक का नेतृत्व स्पार्टाकस (74 ईसा पूर्व) ने किया था।

रोम एक गणराज्य था। इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावशाली नेता सत्ता के लिए लड़े जुलियस सीजर ऐसा ही एक नेता था, जिसने जबर्दस्त शक्ति जमाकर ली थी और तानाशाह बन बैठा था। विरोधियों ने सीजर की हत्या कर दी और रोम में गृह युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद आगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट बना। रोमन साम्राज्य तीन महाद्वीपों - यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला था। आगस्टस के शासन काल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ। उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू किया। उनके अनुसार सभी नर-नारी ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मुहब्बत करना सिखाया। उनके निधन के बाद ईसा के अनुयाइयों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों के बीच फैलाना शुरू किया।

चित्र 1.3 : रोमन साम्राज्य के अवशेष

जब रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था, तो वह पूर्व में मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गॉल और ब्रिटेन तक फैला था। पूरे साम्राज्य में लोग रोमन जीवन शैली अपनाते। हर तरफ स्नानगृहों, मंदिरों, महलों और थियेटरों से सुसज्जित नगर बसाए गए। ग्रामीण इलाकों में रोमवासियों ने विशाल और आरामदेह फार्म हाउस बनवाए, जो विला कहलाते थे। रोम के शासक विजय परेड, धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता करते थे। ग्लैडिएटीं की लड़ाई, रथों की दौड़ और थियेटर आम मनोरंजन थे।

रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। हर प्रांत का शासन एक गवर्नर करता था। उसके मातहत अनेक अधिकारी थे, जो प्रशासन के विभिन्न मामलों की देख-रेख करते थे। रोम की सेना की मुख्य युद्धक शक्ति लीजन या सैन्य दल था। हरेक लीजन में एक कमांडर के मातहत 5000 सैनिक होते थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलता था। लेकिन उसकी ताकत का दारोमदार सेना पर था। सैनिक जनरल आम तौर पर कमजोर सम्राटों का तख्तापलट कर देते थे।

वर्ष 395 ईस्वी तक बेहतर प्रशासन के लिए विशाल रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा (राजधानी बाइजेटियम) बर्बर हमलों (476 ईस्वी) के चलते पश्चिमी भाग के पतन के बाद भी बन रहा। सम्राट कांस्टैनटाइन ने बाइजेटियम को एक नया नाम - कांस्टैटिनापल दिया। यह पूर्वी आर्थोडाक्स ईसाइयत का केन्द्र और बाइजैटाइन सम्राटों की राजधानी बन गया।

क्रियाकलाप 1.2

रोम की सभ्यता में आपने 'ग्लैडिएटर युद्ध' के विषय में पढ़ा। आपने इस युद्ध को अपने टी. वी. पर और किसी फिल्म में भी देखा होगा। क्या आपको इसे देखने के बाद अच्छा लगा? क्या किसी-भी प्राणी को परेशान देखकर कभी प्रसन्नता मिल सकती है। आप इसके विषय में क्या सोचते है 50 शब्दों में लिखिये।

1.3.3 ईरानी सभ्यता

लौह युग में फारस (आधुनिक इराक) में आर्य कबीले रहते थे। मीडिज नामक उनकी एक शाखा देश के पश्चिमी हिस्से में रहती थी। एक दूसरी शाखा दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में रहती थी और फारसी कहलाती थी। मीडीज ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसमें ईरान का विशाल इलाका शामिल था। पहले फारसियों को भी उनका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा पारसी राजाओं में से एक साइरस ने 550 ईसा पूर्व में पारसियों को एकताबद्ध किया और मीडीज को पराजित कर एकेमेनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने एक ताकतवर सेना संगठित की और एक-एक कर बेबीलोन, असीरिया और एशिया माइनर को जीत लिया। दारा प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैला था। उसने पर्सेपोलिए के अपनी राजधानी (518 ईसा पूर्व) बनाया। एकेमेनी वंश के इस सम्राट के शासन काल में ईरानी कला, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ उसने एक शक्तिशाली नौसेना भी संगठित की।

फारसी सम्राट योग्य प्रशासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिनका प्रशासन शत्रप (क्षत्रप) करते थे। फारसी अच्छे सैनिक थे और उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना तथा नौसेना थी। उनके पास लोहे के हथियार थे। हालांकि सिकन्दर महान ने उन्हें परास्त कर दिया (331 ईसा पूर्व), लेकिन फारसियों का खात्मा नहीं हुआ। पार्थियाई और सासानी सम्राटों के तहत उनकी सभ्यता तथा संस्कृति फलती-फूलती रही। लेकिन अंततः सातवीं सदी ईस्वी में अरबों ने उन्हें जीत लिया।

हिन्द-आर्यो की तरह फारसी पहले प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। वे सूर्य देवता, आकाश देवता और कुछ अन्य देवताओं को मानते थे। वे आग को पवित्रता का प्रतीक मानते थे। वे आग से जुड़े कर्मकांड करते और पशुओं की बलि दिया करते थे। बाद में एक धार्मिक उपदेशक जरूथ्रुष्थ ने उन्हें सिखाया कि 'तमाम देवताओं से ऊपर अहुर-मज्द है वह स्वर्ग और प्रकाश का मालिक है जो लोगों को ताकत और ऊर्जा देता है।' जरूथ्रुष्थ के मुताबिक जीवन अच्छाई (प्रकाश) और बुराई (अंधकार) के बीच एक सतत संघर्ष है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेंद-अवेस्ता कहलाता है।

1.3.4 भारत : वैदिक काल

प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरूआत वैदिक युग से होती है। जिसका आरंभ करीब 1500 ईसापूर्व भारत में आर्यों के आगमन से हुआ। यह युग लगभग एक हजार वर्षों का था, जिस दौरान कई आर्थिक, सामाजिक, और धार्मिक परिवर्तन हुए। इसलिए वैदिक युग को बराबर अवधि के दो कालों में विभाजित किया जाता है : पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक।

पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है, जो कि प्रथम वेद है। इस काल के लिए, जब वैदिक कबीले पंजाब व अफगानिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में रहते थे, हमारे पास कोई खास पुरातात्विक प्रमाण नहीं हैं। यह शायद इसलिए है कि पूर्व वैदिक लोग प्रायः घुमन्तू जीवन व्यतीत करते थे, और किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं टिकते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधरित थी। मवेशी-पालन आजीविका का मुख्य साधन था, किन्तु धोड़ों, बकरियों और भेड़ों का भी महत्व था। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी। समाज की इकाइयाँ थीं परिवार, कुल और कबीला (जन)। जाति-प्रथा नहीं थी। कबीले का मुखिया राजा कहलाता था, और देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें इन्द्र सबसे प्रमुख था।

उत्तर वैदिक काल के बारे में हम काफी अधिक विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए हमारे स्त्रोत हैं विशाल उत्तर वैदिक साहित्य और प्रचुर पुरातात्विक सामग्री। उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल हैं बाकी के तीनों वेद - सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद - चारों वेदों के ऊपर रचे गए ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण, आरण्यक, और उपनिषद। इस काल की ढेर सारे जगहों की भी खुदाई हुई है। हर जगह एक खास किस्म के मृद्भाण्ड मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर भृदभाण्ड (अंग्रेजी में Painted Grey ware) कहते हैं। इसलिए इन स्थलों को चि.धू.मृ. यानी PGW स्थल भी कहते हैं।

उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमाने पर पूरब की और प्रस्थान कर सिन्धु-गंगा दोआव और ऊपरी गंगा मैदान में बस गए थे। इस काल के अंत में पूर्व दिशा में और आगे तीन राज्यों की स्थापना की गई : काशी, कोसल और विदेह। खेती-बाड़ी अब प्रधान कार्य था। कई फसलें, यथा गेहूं, चावल, और ईख, उगाई जा रही थीं। शिल्पों की संख्या भी बढ़ गई थी और लोहे के हथियार और औजार इस्तेमाल होने लगे थे। लोग अब गाँवों में स्थिर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जाति-प्रथा उभर कर चार वर्णों का रूप लेने लगी थी : ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, व शूद्र। राज और उसके आदमियों की शक्ति बढ़ रही थी, और इसी अनुपात में सभाओं का महत्व घट रहा था। यज्ञ अब बड़े विस्तृत हो चले थे, इन्द्र देवता का महत्व कम हो गया था, और नए देवता, जैसे कि प्रजापति, अब मुख्य हो गए थे। इस काल के अंत में यज्ञों के कर्म-काण्ड के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है, खासकर उपनिषदों में।

1.4 वैदिकोत्तर युग

छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर और पूर्व भारत में बड़े-राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। इस तरह के 16 राज्य थे - अंग, मगध, वज्जी, काशी, कोसल, मल्ल, कुरू, पंचाल, वत्स, अवंती, कंबोज, गंधार, अस्मक, चेदी, मत्स्य और शूरसेन। उनमें से मगध, कोसल और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कृषि के विस्तार, शहरीकरण की शुरूआत, व्यापार और उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव से समाज में नई शक्तियों को जन्म दिया। इस तरह छठी शताब्दी ईसार्पूव सामाजिक-धार्मिक रूपांतरण का भी एक दौर था। लोगों ने कर्मकांडी ब्राह्मणवाद और वैदिक

बलि प्रथा के खिलाफ अपना अंसतोष व्यक्त किया। अनेक पंथ उभर कर आए। इनमें जैन और बौद्ध प्रमुख हैं।

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित लुंबिनी में हुआ। वह कपिलवस्तु के शाक्य-क्षेत्रीय राजा सुद्धोधन के बेटे थे। उन्तीस वर्ष में गौतम ने घर छोड़ दिया और बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञान) प्राप्त की। उन्होंने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्र प्रवर्तन) वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उनकी शिक्षाओं में चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। बुद्ध के अनुसार (1) दुनिया दुख से भरी है; (2) तृष्णा दुख का कारण है; (3) तृष्णा पर जीत हासिल करने से दुख खत्म किया जा सकता है; (4) यह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है जिनमें (क) सच्ची दृष्टि (ख) सही उद्देश्य (ग) सतवचन (घ) सद्कर्म (च) सच्ची आजीविका (छ) सद्प्रयास (ज) सद्स्मृति और (झ) सद्मनन। उन्होंने भोग-विलास और कंजूसी दोनों चरम बिंदुओं से हटकर 'मध्य मार्ग' पर चलने की शिक्षा दीं उन्होंने अपने अनुयायियों लिए एक आचार संहिता (चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना इत्यादि) भी सूत्रबद्ध किया। 80 साल की उम्र में (483 ईसा पूर्व) उत्तर प्रदेश कुशीनगर में उनको निर्माण प्राप्त हुआ।

ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वर्द्धमान महावीर इस पंथ के 24वें और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म वैशाली (बिहार) के निकट कुंडा ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। महावीर 30 साल की उम्र में संन्यासी हो गए उन्होंने 42 साल की ही उम्र मे कैवल्य प्राप्त किया। उन्होंने 30 साल तक उपदेश दिए और 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापूर (बिहार) में उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं।

जैन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान नहीं हैं यह देवी-देवताओं को महत्व देता है, लेकिन उन्हें जैन शिक्षकों से नीचे का स्थान देता है। जैन मत का मुख्य उद्देश्य पार्थिव बंधनों से मुक्ति पाना है। बौद्ध धर्म की तरह यह कर्मकांड और वैदिक ब्राह्मणवाद का विरोध करता है। यह जाति व्यवस्था का भी विरोध करता है और कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। इसके पांच प्रमुख सिद्धांत हैं। (1) अहिंसा, (2) सच्चाई, (3) चोरी नहीं करना, (4) जुडाव नहीं रखना, और (5) ब्रह्मचर्य। जैनधर्म के त्रिरत्न में (क) सम्यक् दर्शन; (ख) सम्यक् ज्ञान और (ग) सम्यक् चरित्र शामिल हैं।

पाठगत प्रश्न 1.3

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

1. यूनान के दो महत्वपूर्ण नगर-राज्यों के नाम लिखिए।
2. रोम किस नदी के तट पर बसा है।
3. निम्नलिखित कथनों में खाली स्थान भरिए :

   (क) फारस के राजा साइरस ने वर्ष .... में पारसियों को एकीकृत किया।

(ख) वैदिक युग में आर्य समाज में स्त्रियों का .... किया जाता था।

(ग) ग्राम तथा विश के प्रमुख को क्रमशः .... और .... कहा जाता था।

4. वैदिकोत्तर युग में लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी?
5. वैदिक ब्राह्मणवाद के कर्मकांडों और कुरीतियों का विरोध करने वाले दो धर्म कौन से थे?
6. बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
7. जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है?

क्रियाकलाप 1.3

भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की शिक्षाओं पर ध्यान दे उनमें से तीन ऐसी शिक्षाएँ निकालिये जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इनके विषय में चर्चा कीजिये।

1.5 मौर्य काल

बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे ताकतवर शासकों के अंतर्गत मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। नंद वंश के अंतिम राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त ने पंजाब से यूनानियों को और गंगा के मैदानी इलाकों से नंदों को भगा कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विजय और विलय की एक सतत प्रक्रिया से वह लगभग संपूर्ण भारत को एकताबद्ध करने में कामयाब रहा। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक राज किया। भद्रबाहु से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसका निधन मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में हुआ।

चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध दार्शनिक और अध्यापक (आचार्य) चाणक्य ने प्रशिक्षण दिया था, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य ने विद्वतापूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की जो राजनीति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कालजयी कृति माना जाता है। चाणक्य की कूटनीति के कारण ही चंद्रगुप्त सफल शासक बना।

चंद्रगुप्त का बेटा और उत्तराधिकारी बिंदुसार (297 ईसा पूर्व-272 ईसा पूर्व) अमित्रघाट (शत्रुहंता) के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उसने दक्कन जीत कर मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक पहुंचा दिया। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उसके संपर्क थे। बौद्ध साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि बिंबिसार की मौत के बाद उसके बेटों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ।

उत्तराधिकार के इस युद्ध में अशोक (272 ईसा पूर्व - 236 ईसा पूर्व) विजयी होकर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना 260 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध है। पत्थरों पर खुदवाए अशोक के 13वें आदेश में इसका ज़िक्र है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का परित्याग कर दिया। वह एक परोपकारी राजा था और उसने

अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढेर सारे काम किए। 'धम्म' की उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों की इज्जत, बूढ़ों की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सरहदों के पर भी फैला। चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे उसके आदेशों से उसके शासन का विस्तृत ब्यौरा मिलता है।

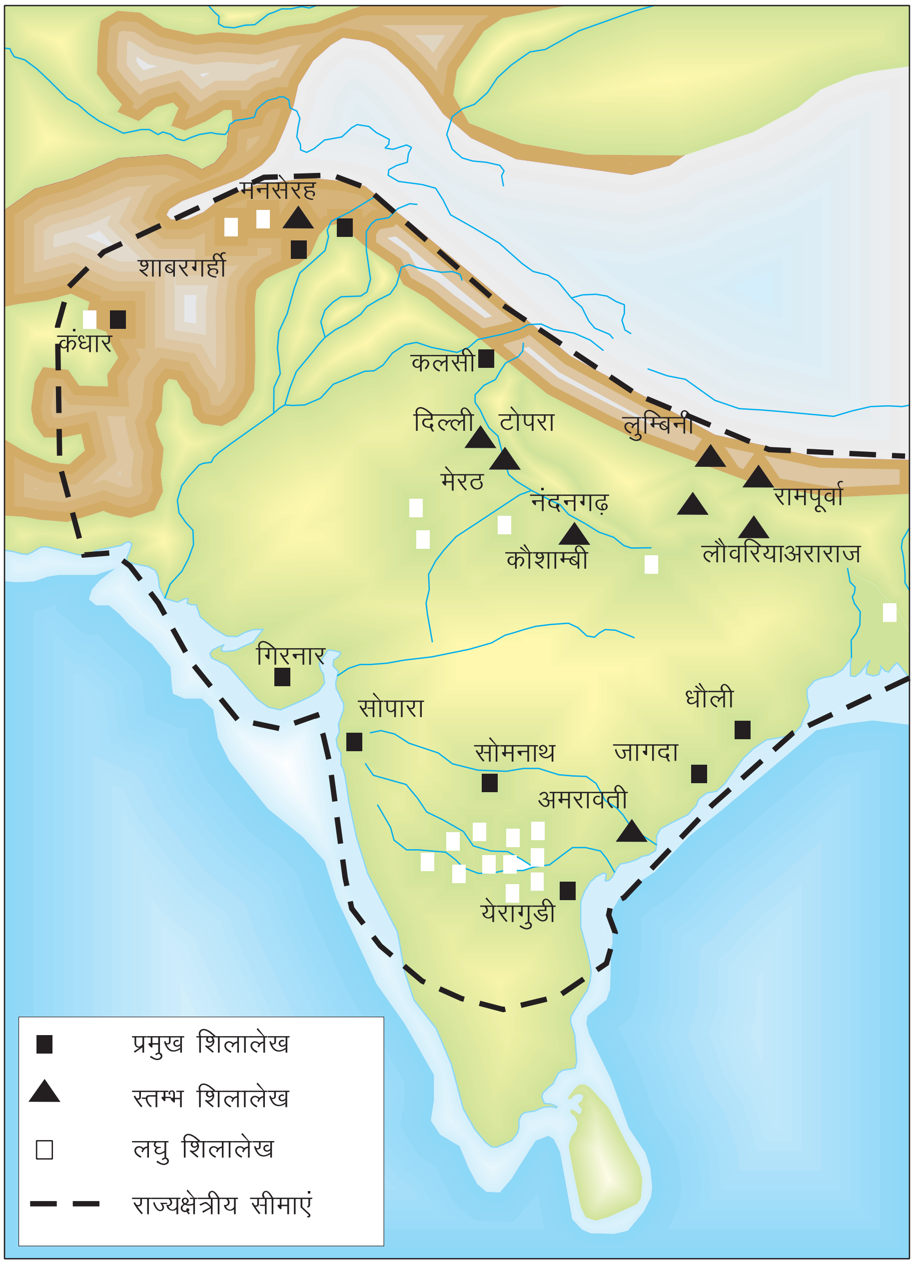

चित्र 1.4 : अशोक के शिलालेख

अशोक की मौत के बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए। उस समय विदेशी हमले का भी डर था। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहरथ कमजोर शासक था। उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर डाली। मौर्य शासन के बाद पूर्व भारत में शुंग और दक्कन में सातवाहन शासन हुआ।

1.6 संगम युग (300 ई.पू.-200 इस्वीं

संगम युग से दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक दौर की शुरूआत हुई संगम का अर्थ था विद्वानों या साहित्यकारों का जमा होना। मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में साहित्यिक हस्तियों का जमावड़ा हुआ। जो 'संगम' के नाम से जाना गया। प्राचीन तमिल साहित्य में तोलकपिप्पयम, 'आठ संग्रह' (एट्टूटोगाई), 'दस काव्य' (पट्टपट्टू), 'अठारह लघु ग्रंथ' और तीन महाकाव्य (सिलप्पादिकरम, मणिमेकालाई, और सिवागा सिंदामणि) जैसे प्रारंभिक ग्रंथ शामिल हैं। मोटे तौर पर संगम युग 300 ईस्वी तक फैला है। संगम साहित्य में प्राथमिक रूप से पांड्य राजाओं की चर्चा है। लेकिन उसमें चोल और चेर शासन की भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। पांड्य राजाओं ने दक्षिण तमिलनाडु पर आधारित इलाके पर शासन किया। मदुरै उनकी राजधानी थी। चेर ने केरल पर और चोल ने उत्तरी तमिलनाडु तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर राज किया।

1.7 कुषाण युग

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यूनानियों, शकों, पार्थ (पार्थियनो) और कुषाणों ने भारत पर हमले किए। उन्होंने भारत के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भागों पर शासन किया। कुषाण मध्य एशिया के युए-कबीला की एक शाखा थे। कुषाण का पहला शासक कुजुला कदफिसीज था। उसके बाद विमा कदफिसीज आया विमा के बाद कनिष्क राजा बना।

कुषाण वंश का महानतम राजा कनिष्क था। उसने कश्मीर को जीत लिया और गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके कब्जे में मध्य एशिया के काशगढ़ यारखंद और खोतोन थे। पंजाब और अफगानिस्तान भी उसके साम्राज्य में शामिल था। कनिष्क एक पक्का बौद्ध था। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और अन्य देशों में फैला। वह कला और शिक्षा का महान संरक्षक था। पुरूषपुर या पेशावर उसकी राजधानी थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी वषिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव हुए। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम महान राजा था। उसके मरते ही कुषाण साम्राज्य के पतन से उत्तर भारत में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ जो करीब एक सौ साल तक चला।

1.8 गुप्त काल (319 ईस्वी-550 ईस्वी)

चौथी शताब्दी में गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरूआत को रेखांकित करता है। श्रम और राजनीतिक फूट की जगह एकता ने ले ली। शक्तिशाली गुप्त राजाओं के नेतृत्व और संरक्षण में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ। चीनी यात्री फाहियान (चौथी-पांचवी सदी ईस्वी) के अनुसार उस काल में खूब खुशहाली थी।

महाराजा श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया जाता है। उसके बाद धटोत्कच गुप्त आया। लेकिन यह चंद्रगुप्त (319 से 355 ईस्वी) था, जिसने महाराजाधिराज की पदवी अपनाई वह पहला प्रसिद्ध गुप्त राजा था। समुद्रगुप्त अन्य प्रमुख गुप्त सम्राट था। उसका बेटा और उत्तराधिकारी - समुद्रगुप्त (335-380) बड़ा पराक्रमी था। इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में दर्ज उसके दरबारी कवि हरिसेन के प्रशस्ति गीत में उसके विजय अभियानों का जीवंत चित्रण है। एक महान

विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक विद्वान, उच्च स्तर का कवि, कला और विद्या का संरक्षक तथा संगीतज्ञ था। उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया।

समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय (380-415 ई0) उसका उत्तराधिकारी बना। उसने पश्चिम भारत के शक राजाओं पर जीत हासिल करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई। उसने महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसकी बेटी प्रभावती का विवाह वाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम (415 - 455 ई0) बना। उसके शासन काल में शांति और खुशहाली थी। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा स्कंदगुप्त (455 - 467 ई) बना। उसने कई बार हूण आक्रमण विफल किए। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी (पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नारायणगुप्त) उतने शक्तिशाली और योग्य नहीं थे। इससे धीरे-धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया।

गुप्त काल के दौरान राजतन्त्र प्रशासन की प्रमुख प्रणाली थी। राजा के दैनंदिन प्रशासन में मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल होते थे। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी। प्रांतों का प्रशासन गवर्नर करते थे। उनके मातहत अनेक अधिकारी होते थे, जो जिला और नगरों का प्रशासन संभालते थे। ग्राम प्रमुख (ग्रामिक) के नेतृत्व में ग्राम प्रशासन को उल्लेखनीय स्वायत्ता हासिल थी। गुप्त राजाओं ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावी प्रणाली भी विकसित की थी।

1.8.1 गुप्तोत्तर काल

गुप्त साम्राज्य के पतन और थानेश्वर के महाराजा हर्षवर्द्धन के उदय के बीच के काल को भ्रम और विखंडन का दौर माना जाता है। इस समय भारत अनेक छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया था। हूण राज्य के अतिरिक्त उत्तर भारत में चार अन्य राज्य थे। ये मगध के उत्तर - गुप्त, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूती और वलभी (गुजरात) के मैत्रक थे। महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय वंशों में बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लव थे। पुलकेशिन द्वितीय (609-642 ई0) उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। हर्षवर्द्धन ने फिर से साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। वह सकलोचर पथनाथ कहलाता था, क्योंकि उसने व्यवहारत समूचे उत्तर भारत पर अपना राज स्थापित कर रखा था। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता कुछ हद तक बहाल हुई। हर्ष ने कादंबरी और हर्ष चरित के लेखक बाण भट्ट को संरक्षण दिया। चीनी विद्वान-यात्री ह्वेन सांग ने उसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। बंगाल का राजा शशांक हर्ष का समकालीन था।

इतिहास के इस काल में ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म ने दृढ़ता पाई। ह्वेन सांग ने भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था की मौजूदगी के बारे में लिखा है। उस समय अनेक मिश्रित और उप-जातियों का उदय हुआ। ह्वेन सांग ने अछूतों और जाति से निष्कासित लोगों की भी चर्चा करता है। इस काल में समाज में महिलाओं की हैसियत और रुतबे में भी खासी गिरावट आईं धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद के उभार से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। वैष्णव, शैव और जैन मत भी प्रचलन में थे।

1.9 भारतीय सभ्यता : एक नज़र में

विश्व इतिहास मे भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जगह है। प्रारंभिक यूनान और रोम की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक और गणराज्य शासन प्रणाली रही है। हमने दर्शन और विज्ञान

की विभिन्न शाखाओं में जबर्दस्त प्रगति की थी। गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु कर्म और चिकित्सा में भारत का उल्लेखनीय योगदान है। आर्यभट और वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। चरक और सुश्रुत महान चिकित्सक थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनशास्त्री थे। शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाएँ पहले भारत में विकसित हुईं।

प्राचीन भारतीयों ने कला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में जबरदस्त महारत दिखाई। अशोक के लाट, अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला, सांची के स्तूप, मथुरा के बुद्ध के भारतीय कला के अथाह समुद्र के महल कुछ उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, क्रमशिला, बलभी, काशी और कांची जैसे ज्ञान के केन्द्र थे, जहां भारतीय और विदेशी छात्रों को शिक्षा जाती थी। प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक वहां पढ़ाते थे। भारतीय ज्ञान और विद्वता की बाहर काफी सराहना की गई, खासकर अरब मुसलमानों द्वारा।

चित्र 1.5 : सांची का स्तूप

प्राचीन भारत में साहितय की अनेक महान कृतियाँ सृजित की गईं। ऋग्वेद हिन्द-यूरोपीय साहित्य की प्राचीनतम बानगी है। वेद, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति, त्रिपटिका, जैन आगम और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत में सृजित हुए। उसके अलावा अनेक नाटक, काव्य और गद्य कृतियां हैं। कालिदास, बाणभट्ट, सेन, विशाखदत्त, भाण और शुद्रक जैसी महान साहित्यक हस्तियां इसी काल की हैं। संस्कृत, पाली प्राकृत साहित्य ने प्राचीन भारत में जबरदस्त प्रगति की।

पाठगत प्रश्न 1.4

1. उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे?
2. अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया?

3. प्राचीन भारत में चार मुख्य शिक्षा के केन्द्र कौन से थे?
4. प्राचीन भारत के दो प्रमुख वैद्य के नाम बताइये।
5. निम्नलिखित कथनों में खाली स्थान भरिए :

    (क) .... साहित्य में तोलकप्पियम आदि आरंभिक तमिल ग्रंथ हैं।

    (ख) .... पांड्य राजाओं की राजधानी थी।

    (ग) कनिष्क .... वंश का शासक था।

आपने क्या सीखा

- मानव सभ्यता विभिन्न चरणों से गुजर कर विकसित हुई है - हर चरण ने इस विकास में कुछ नया योगदान किया है।
- मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के प्राचीन लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण किया था और इसने मानव प्रगति में भारी योगदान किया।
- लौह युग विभिन्न समयों पर विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूल परिवर्तन लेकर आया।
- यूनानी, रोमन, फारसी, भारतीयों आदि ने कविता, दर्शन, कला, वास्तुशिल्प और मूर्तिकला आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किए।
- अपने लम्बे दौर में भारतीय सभ्यता कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरीं इसका स्वरूप शुरू से अंत तक एक जैसा नहीं रहा।

पाठांत प्रश्न

1. मानव विकास के मुख्य चरण क्या थे?
2. रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ?
3. हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी?
4. अशोक के अनुसार 'धम्म' क्या है?
5. प्राचीन एथेंस और स्पार्टा की जीवन शैली में क्या अंतर था?
6. पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करो।

7. मौर्य का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है?

8. विश्व सभ्यता का भारत के योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

विश्व का भौगोलिक रेखा-मानचित्र

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1

1. होमो सैपियंस सैपियंस
2. तांबा
3. ताम्र - पाषाण
4. दजला और फरात

1.2

1. लोथल (गुजरात) और कालीबंगाँ (राजस्थान)
2. (क) ताबीज और जंतर
   (ख) प्राकृतिक आपदाओं
   (ग) मेसोपाटामिया
   (घ) वर्गों
3. कांसे का
4. दजला एवं फरात
5. चित्रलिपि या चित्राक्षर

1.3

1. एथेंस और स्पार्टा
2. टाइबर
3. (क) 550 ईसा पूर्व
4. कृषि
5. बौद्ध धर्म और जैन धर्म
6. गौतम बुद्ध
7. ऋषभनाथ

1.4

1. कृषि और शिल्प कला
2. बौद्ध धर्म
3. तक्षशिला, नालन्दा, काशी, विक्रमशिला
3. (क) संगम
   (ख) संगम
   (ग) मदुरै
4. चरक और सुश्रुत

2

मध्यकालीन विश्व

हमने अभी प्राचीन विश्व की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया है। क्या आपके दिमाग में यह सवाल उभरा कि प्राचीन काल की समाप्ति पर उन सभ्यताओं का क्या हुआ? क्या ये सभ्यताएं भी खत्म हो गई? या क्या मध्यकाल में उतनी ही उल्लेखनीय सभ्यताओं ने उनकी जगह ले ली। आइए हम इन सवालों कें जवाब खोजते हैं। इस पाठ में हम रोमन साम्राज्य की समाप्ति के बाद यूरोपीय समाज के रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि कैसे एक नए धर्म इस्लाम के उदय ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जो पश्चिम एशिया से निकला और दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया। हम भारत के मध्यकालीन अतीत पर भी निगाह डालेंगे और देखेंगे कि हर्ष के शासन` पतन के बाद क्या हुआ।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप :

- मानव समाज के क्रम विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में मध्यकाल का विकास कर सकेंगे;
- रोमन साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक संगठन में होने वाली परिवर्तनों का उल्लेख कर सकेंगे;
- पश्चिमी यूरोप में व्याप्त सामन्तवाद के राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगें;
- पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म, समाज और राजतंत्र व्यवस्था के क्रम विकास की चर्चा कर सकेंगे;
- भारत में मध्यकाल के दौरान राजनीतिक संगठन की विशिष्टताओं को चिह्नित कर सकेंगे;
- मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगें; और
- यह विश्लेषण कर सकेंगें कि कैसे मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन संश्लेषण की एक अनूठी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे।

2.1 मध्य युग में यूरोप

मध्यकाल को मध्ययुग भी कहते हैं क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है यह वह काल है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। लेकिन क्या यह उन सदियों का उचित चित्रण है? क्या यह महज दो महान युगों के बीच फंसा एक 'मध्य' युग है जिसकी अपनी कोई विशेषता नहीं? सचमुच ऐसा नहीं है। मध्यकाल मानव समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका अध्ययन उसकी अपनी विशेषताओं के लिए किया जाना चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है। मध्यकाल की उपलब्धि यां और गौरव आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। एक मायने में 'आधुनिकता' की जड़ 'मध्यकालीनता' में है।

आपको यह बात दिलचस्प लगेगी कि 'मध्य युग' का शब्द यूरोपवासियों ने सत्रहवीं सदी में गढ़ा क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकी काल और अपने आधुनिक काल के बीच संकट के एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा। लेकिन मध्यकाल पूरी दुनिया के लिए अनिवार्यत कोई संकट या अंधकारमय काल नहीं था।

इस्लामी जगत के लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह परवान चढ़ और अपनी बुलदियों पर पहुंचा। भारत में मध्यकाल मेलजोल और संश्लेषण का युग था। पुरानी और नई राजनीतिक-आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आपस में धुली-मिलीं। घुलने-मिलने और संश्लेषण की इस प्रक्रिया से सहअस्त्वि और सहिष्णुता का एक अनूठा सांस्कृतिक रुझान उभरा जो मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया। यूरोप में भी तस्वीर इतनी स्याह नहीं थी जितना कभी-कभी समझा जाता है। बेशक, वहां मध्यकाल की शुरुआत में भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थोड़ी कम थीं। लेकिन बाद में यूरोपवासियों ने अपने जीवन स्तर में बहुत सुधार किया। उन्होंने ज्ञान-विज्ञान की नई संस्थाएं और चिन्तन कीं नई प्रणालियां विकसित की और वे साहित्य एवं कला में बहुत उन्नत स्तर पर पहुंचें दरअसल, उस समय जो नए विचार उभर कर आए उन्होंने न सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया, बल्कि बाद में शेष दुनिया को भी प्रभावित किया। आइए, मध्यकाल के नाम से जाने वाले इस महत्वपूर्ण काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुए रोचक परिवर्तनों का अध्ययन करें।

2.1.1 रोमन साम्राज्य का पतन

हमने पिछले पाठ में रोमन साम्राज्य की ताकत और महानता के बारे में पढ़ा। इस बीच रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बंट चुका था। पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम था जबकि कुस्तुनतुनिया पूर्वी प्रांतों की राजधानी बना। रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन ने 330 ई0 में बैजंतिया के पुराने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्रों की नई राजधानी स्थापित की थी। नई राजधानी उसके नाम पर कुस्तुनतुनिया के रूप में जानी गई। पश्चिमी हिस्से में साम्राज्य के पतन के करीब एक हजार साल बाद भी पूर्वी हिस्से में रोमन साम्राज्य टिका रहा। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजंतियां साम्राज्य के नाम से जाना गया। ऐसे समय में जब पश्चिमी यूरोप अपेक्षाकृत पिछड़ी स्थिति में था, यूनानी भाषी लोगों की पूर्वी सभ्यता आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बुलंदी पर पहुंच गई थी। गॉथ, वंडल, विसीगॉथ आर फ्रैंक जैसे विभिन्न जर्मनिक कबीलों के हमलों के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य ढह गया। 476 ई0 में रोमन साम्राज्य का तख्तापलट कर इन हमलावरों ने अपने अलग-अलग उत्तरवर्ती (successor) राज्य स्थापित कर लिए।

क्या इन तमाम राजनीतिक उथल से जटिल परिवर्तन आए? क्या रोमनों ने जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बनाई थीं, वे पूरी तरह से लुप्त हो गई? नए जर्मन शासक पुरानी व्यवस्थाओं की जगह अपनी व्यवस्थाएं नहीं लाए। दरअसल, रोमन और जर्मनिक समाज एक-दूसरे के संपर्क में आए और एक-दूसरे में घुलमिल गए। इसके और उस समय की राजतीतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण यूरोप एक नई किस्म के समाज का जन्म हुआ। इस समाज की संस्थाएं और व्यवस्थाएं रोमन और जर्मनिक दोनों से भिन्न थीं। इन नए समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सामंतवाद थीं। सामंतवाद ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों को पूरी तरह बदल दिया। आइए देखें कैसे यह पद्धति विकसित हुई और इसकी विशेषताएं क्या थीं।।

2.2 सामंतवाद : राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक-आर्थिक पहलू

पश्चिम में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जर्मन लोगों के परवर्ती राज्यों ने एक हद तक राजनीतिक स्थिरता कायम की। दरअसल इनमें से एक राज्य ने तो एक महान राजा शार्लमेन के काल में एक बड़ा-सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह कैरोलिंगयाई साम्राज्य था, जो नवीं सदी के मध्य में फिर से हो रहे बाहरी हमलों की वजह से बिखरने लगा। इससे हुई राजनीतिक उथल-पुथल से एक नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन था। अगर इसकी तुलना सीढ़ी से की जाए तो हम इस श्रेणीबद्ध ढांचे को आसानी से समझ सकेंगे। इस व्यवस्था में शीर्ष पर राजा खड़ा था। उसके नीचे खड़े थे बड़े सामंत जो ड्यूक और अर्ल के नाम से जाने जाते थे। उनके नीचे खड़े थे छोटे सामंत जो बैरन के नाम से जाने जाते थे। उनके नीचे नाइट थे जो शायद सामतों की निम्नतम कोटि में आते थे। सिर्फ सामंत राजा से अपना प्राधिकार पाते थे। वे अपने छोटे सामंत को प्राधिकार प्रदाान करते थे। और यह सिलसिला नीचे तक चलता जाता था। हर स्तर पर सामंत अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा जताते थे और उससे प्राधिकार पाते थे और अपने से बड़े के मातहत जागीरदार कहलाते थे। सामंत और मातहत अर्थात बड़े और छोटे सामंत के बीच के रिश्तों का यह स्वरूप पदाक्रम की सीढ़ी के शीर्ष से लेकर नीचे तक समान था। सामंत अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान होते थे। जहां रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियां राजा के हाथ में केन्द्रित थी, इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता व्यापक रूप से विकेन्द्रित थी। नये सामाजिक-राजनीतिक ढांचे की एक अनूठी विशेषता यह थी कि सामंत और मातहत के बीच का संबंध निजी प्रकृति का था। सामंत और उसके मातहत के बीच रिश्ता बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता था। इस अनुष्ठान में मातहत जागीरदार जिंदगी भर सामंत की सेवा करने की कसमें खाता था। इसकी के साथ वह सामंत का संरक्षण कबूल करता था। संरक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उथल-पुथल और अस्थिरता का दौर था।

संरक्षण के बदले मातहत जागीरदार को अपने सामंत को कई तरह की सेवाएं देनी पड़ती थीं। इसमें मुख्यतः सैनिक सेवा शामिल थी। इसके तहत सामंत को जब भी जरूरत पड़ती मातहत को उसे एक खास संख्या में सैनिकों की आपूर्ति करनी होती थी। इसके बदले में सामंत उसे अनुदान देता थ जो आम तौर पर मातहत और उसके सैनिकों कें भरण-पौषण के लिए जमीनें होती थी। इस तरह के अनुदान को फीफ या यूडम कहते थे। इसी से यूडलिज्म (सामंतवाद) शब्द विकसित हुआ। यही सामंतवाद का सैन्य पहलू है। सामंत अपने इलाकों में सशस्त्र समर्थक

गोलबंद करते थे जो सीधे निजी तौर पर उसके वफादर थे। इस सशस्त्र सेना बल के साथ जरूरत पड़ने पर वह अपने से उच्च सामंत को सैन्य समर्थन देता था। इस बल के कारण सामंत अपने इलाके के पूर्ण मालिक बन बैठे थे और राज्य भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था।

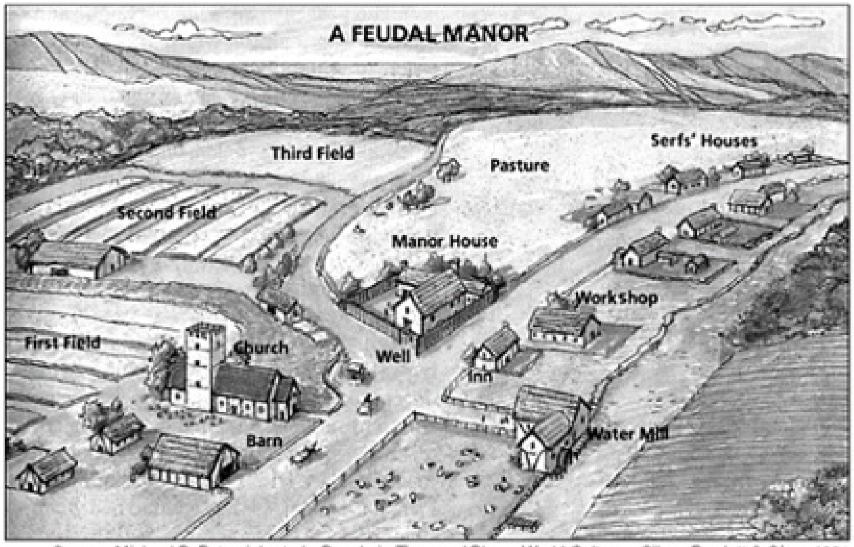

Source: Michael B. Petrovich et al., *People in Time and Place: World Cultures*, Silver, Burdett & Ginn, 1991

चित्र 2.1: सामंती मेनर

मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से कृषि पर आधारित थी। पिछले पाठ में हमने रोमन साम्राज्य में गुलाम श्रमिकों के व्यापक उपयोग के बारे में पढ़ा है। रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर में गुलाम श्रम का इस्तेमाल खासकर कृषि में लगभग खत्म हो चुका था। ऐसा गुलामों की जबदस्त किल्लत के कारण हुआ था। कृषिगत उत्पादन के लिए गुलामों के नहीं मिल पाने से रोमन अभिजातों की जीवनशैली प्रभावित हुई। वे तब तक भोग-विलास और ऐश-आराम नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें शोषण के लिए दूसरे लोग न मिलें। उन्होंने यह काम मुक्त किसानों, काश्तकारों और खेत मजदूरों पर बोझ बढ़ाकर अंजाम दिया। आइए देखते हैं उन्होंने यह सब कैसे किया?

राजनीतिक हलचल और अशांति के दौर में किसानों ने सामंतों की ही तरह सरंक्षण पाना चाहा। यह एक आम आर्थिक संकट का दौर था और मुक्त किसानों के पास आम तौर पर कम संसाधन थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे और न ही खेती-बाड़ी के औजार थे। वे बीज खरीदने की स्थिति में भी नहीं थे। इन सबके लिए और संरक्षण पाने के लिए मुक्त किसानों ने सामंतों की तरफ रूख किया। उन्होंने सामंतों के पास अपनी आजादी गिरवी रख दी और जमीन से बंध गए। बाद में ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए जो किसानों को जमीन से हटने या सामंतों को छोड़ कर कहीं और जाने से रोकते थे। जब जर्मनिक कबीले रोमन समाज के संपर्क में आए तो उनके अभिजातों ने अपने कबीले के किसानों को भी इसी हैसियत में पहुंचा दिया। उसके बाद जब भी मुक्त किसानों ने शक्तिशाली रोमन भूस्वामियों या जर्मनिक सरदारों से संरक्षण मांगा, उन्हें अपनी आजादी खोनी पड़ी।

किसानों की आजादी खत्म होने की इस प्रक्रिया के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बड़े सामंतों, योद्धा सरदारों और जर्मनिक सरदारों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ती गई। स्थिति मेंज ब मजबूत और केन्द्रीकृत राज्य का वजूद नहीं था, किसान पूरी तरह कुलीन भूस्वामियों के रहमोकरम पर थे। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इन सामंतों के पास सशस्त्र शक्ति भी थी। वे इसका इस्तेमाल किसानों को धमकाने-सताने में करते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास असीम राजनीतिमक और न्यायिक अधिकार भी थे। वे उनका इस्तेमाल किसानों को झुकाने और अपने ऊपर आश्रित करने में करते थे। जमीन से बंधे और सामंतों के पूरी तरह अधीन मध्यकालीन यूरोप के इन आश्रित किसानों को भूदास कहा जाता है।

इस काल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सामंतों के हाथों भूदास के शोषण पर आधारित थी। इस काल के दौरान संपति का एक बड़ा हिस्सा शोषण के जरिए सृजित किया गया। यह समझने के लिए कि यह सब कैसे हुआ, आइए देखें किइस काल में कृषि किस तरह से संगठित की गई थी।

सामतों के नियंत्रण वाली समूची जमीन मेनर (गढ़ी) कहलाती थी। मेनर तीन हिस्सों में बंटी होती थी। एक हिस्सा डीमेन कहलाता था। जायदाद का यह हिस्सा सामंत के सीधे प्रबंधन के तहत होता था। मेनर के दूसरे हिस्से में भूदासों की जोत थी। इसके अलावा मैदानी हिस्से थे जिन पर अपने पशुओं को चराने का अधिकार सबको प्राप्त था। भूदासों के जोतों पर अधिकार रखने वालों को सामंत के मेनर काश्तकार माना जाता थ। काश्तकार होने के नाते उन्हें सामंत को लगान के रूप में कुछ देना होता था।

काश्तकार सामंत को यह लगान श्रम सेवा कें रूप में अदा करते थे। श्रम सेवा के तहत उन्हें हफते में कुछ खास दिन डीमेन पर काम करना पड़ता था। खेती के दिनों मे भूदास को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती था। तब हल जोतना, बुआई, कटाई इत्यादि की जरूरत पड़ती थी। इस तरह की अवैतनिक सेवाओं में भवन-निर्माण और ईंधन के लिए लकड़ियां काटने जैसे कष्टसाध्य काम भी शामिल थे।

भूदासों को वस्तु की शक्ल में कुछ शुल्क या कर भी अदा करना होता था। मसलन उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा देना होता था। ये शुल्क मनमाने ढंग से लगाए जाते थे। जब भी सामंतों को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती थी, वे शुल्क थोप देते थे। सामंत अप्रत्यक्ष रूप से भी किसानों का शोषण करते था मेनर एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई भी थी। इसका मतलब था कि रोजमररा की जरूरतों की करीब-करीब तमाम चीजों का यहां उत्पादन और उपभोग होता था। इन सबके लिए वहां विभिन्न सुविधाएं होती थीं मसलन लोहे के सामान बनाने के लिए भट्ठी, गेहूं पीसने के लिए चक्की, रोटी बनाने के लिए तंदूर और शराब बनाने के लिए अंगूर पेरने के कोल्हू मौजूद थे। ये सब सामंत की मिल्कियत होते थे। किसानों को उन उपकाणों और मशानों के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जाता था। सामंत उनका शुल्क मनमाने ढंग से तय करता था।

क्रियाकलाप 2.1

आपने रोमन गुलामों के बारे में पिछले पाठ में पढ़ लिया होगा। जानने की कोशिश कीजिए कि आज के युग में जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती और जो दूसरों कि जमीन पर कार्यरत होते हैं उनकी क्या हालत होती है, यह जानकारी आपको समाचार पत्रों से या अपने बुजुर्गों से प्राप्त हो सकती हैं। इस को आप रोमन किसानों से तुलना कीजिये। आप किस नतीजे पर पहुँचते है इसका एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्न 2.1

खाली जगहों को भरोः

1. मतहत जागीरदार को दिया गया सामंत का अनुदान .... कहलाता था।
2. जमीन से बंधे और सामंतों के पूरी तरह अधीन मध्यकालीन यूरोप के ये आश्रित किसान .... कहलाते हैं।
3. समंतों के सीधे प्रबंधन में रहने वाला जायदाद का हिस्सा .... कहलाता था।

2.2.1 सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन : खुशहाली और संकट

हमने अभी-अभी सामंती व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। क्या समूचे मध्यकाल के दौरान यह प्रणाली जस की तस रही? नहीं, सामंती अर्थव्यवस्था में खुशहाली और संकट के रुझान रहे। आइए इन रुझानों को शुरू से देखें

रोमन साम्राजय के पतन के बाद की कुछ सदियों के दौरान आर्थिक जीवन स्तर निम्न था। हम पहले से ही जानते हैं कि यह राजनीतिक परिवर्तनों और अशांति का दौर था। इस दौर की कुछ विशेषताओं में नगरीय जीवन, व्यापार और मुद्रा विनिमय में गिरावट शामिल हैं। रोमन काल के कुछ शहर टिके रहे। लेकिन वे महल खाली बोतलों की तरह थे। उनकी कोई वास्तविक आर्थिक भूमिका नहीं थी। सड़कें टूट-फूट गई थीं और वस्तु-विनिमय प्रणाली ने मुद्रा की जगह ले ली थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कृषि पर और बेहद सीमित स्थानीय व्यापार पर आधारित थी। उस समय मुख्य आर्थिक इकाई आत्मनिर्भर जागीरें या सामंती मेनर थी जिनके बार में हम पढ़ चुके हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पिछड़ी थी और उपज कम थी। ये हालात करीब दसवीं सदी ईस्वी तक बने रहे।

दसवीं सदी के दौरान उत्पादन की सामंती पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे यूरोप में लगाातार फलती-फूलती रही। जैसे-जैसे व्यवस्था स्थिरता पाती गई, कृषि उपज में इजाफा होता गया। कृषि तकनीक में सुधार एक अन्य कारक था जिसकें कारण कृषि उत्पादकता में इजाफा हुआ। रोमन काल से इस्तेमाल में आने वाले हल्के हल 'अरेट्रम'

की जगह एक नए हल ने ले ली जो 'चैरय' कहलाता था। नयस हल भारी था। यह पहियों से युक्त था और उसे बैलों का एक दल खींचता था। इसने उत्तरी यूरोप की सख्त और चिपचिपी मिट्टी की बेहतर जुताई में मदद की। खेती दो भूखण्डों के तरीके पर आधारित थी जिसमें जमीन के एक हिस्से पर खेती की जाती थी और दूसरा हिस्सा परती छोड़ दिया जाता था। बाद में इसके बजाय तीन भूखण्डों का तरीका अपनाया गया। इसके तहत एक तिहाई जमीन परती छोड़ दी जाती, एक तिहाई जमीन पर शरत फसल उपजाई जाती और बाकी पर बसंत फसल लगाई जाती। जमीन के सिर्फ तीसरे हिस्से को परती छोड़ देने से फसल बोई गईं जमीन का क्षेत्र काफी बढ़ गया। नए हल, तीन भूखण्ड कृषि पद्धति और कृषि तकनीकों में अन्य नई खोजों के इस्तेमाल से उपज में कई गुना वृद्धि हुई।

कृषि में विस्तार के साथ ही दसवीं सदी से 12वीं सदी के बीच के दौर में व्यापार की बहाली हुई और नगरीय जीवन में वृद्धि हुई। स्थानीय हाट में अतिरिक्त अनाज और अंडों की खरीद-फरोख्त से लेकर शराब, और कपास जैसी वस्तुओं की भी दूरी के व्यापार का एक लंबा सिलसिला था। सड़कों के निर्माण से व्यापर में इजाफा हुआ। नदी और समुद्री रास्ते भी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्यापार की बहाली से भुगतान के नए तरीके जरूरी हो गए क्योंकि वस्तु विनिमय इसके लिए अपर्याप्त थे। नतीजतन लगभग चार सौ साल बाद मुद्रा अर्थव्यवस्था का दौर फिर लौटा। साथ ही शहरों का बड़ा तेज विकास हुआ। लंबी दूरी के व्यापार और अगल-बगल के ग्रामीण इलाकों में खेती से आई खुशहाली से उसे बड़ा बल मिला। जल्द ही शहर कुछ खास उद्यमों के लिए जाने जाने लगे। उदाहरण के लिए, वस्त्र निर्माण शहरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक बन गया था। दस्तकारों के संघ महत्व धारण करने लगे। व्यापारिक गतिविधियां और दस्तकारी आधारित उत्पादन दोनों शिल्पसंघों के ही ईद-गिर्द संगठित हुए। इससे मध्यकालीन शहरों का महत्व बढ़ता गया और अंततः ये ग्रामीण इलाकों में सामंती संबंधों को तोड़ने वाले महत्वपूर्ण कारक बने।

आर्थिक प्रगति का यह रुझान 12वीं सदी के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तेरहवीं सदी तक सामंती व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जा सकते थे जिसने प्रगति की प्रक्रिया उलट दी। आर्थिक प्रगति और खुशहाली के काल के चलते आबादी बढ़ी। इसका मतलब हुआ सामंतों के लिए श्रम की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी । इसलिए सामंतों ने उन डीमेन को अब बनाए रखना जरूरी नहीं समझा। मेनर को अब डीमेन के एक बड़े हिस्से की छोटी-छोटी जोतों में बांट दिया गया और किसानों को भाड़े पर दे दिया गया। चूंकि ये जोतें बहुत छोटी थीं, पहले डीमेन के विशाल भूखंण्ड में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी का अब वहां उपयोग संभव नहीं था। साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिकों के मौजूद होने के चलते श्रम-शक्ति बचाने वाली प्रौधोगिकी को इस्तेमाल करने वाले कुछेक ही थे। इसके साथ ही, चूंकि डीमेन खत्म हो चुके थे, किसानों से श्रम-सेवा वसूलने का तरीका भी खत्म हो गया। इसलिए सामंत अब श्रम-सेवा के बजाय मद्रा या जिंस सामंती लगान की मांग करने लगें। मुद्रा-आधारित अर्थव्यवस्था शहरी केन्द्रों और व्यापार में वृद्धि ने इस विकास को बढ़ाया दिया। श्रम-सेवा में गिरावट और कृषि में प्रौद्योगिकी की गतिरुद्धता ने अन्य कारको के साथ मिल कर कृषि उपज में जबर्दस्त गिरावट ला दी। अनाज की किल्लत और अकाल का सिलसिला शुरू हो गया। प्लेग की महामारी का प्रकोप टूट पडा। इन सब के कारण अर्थव्यवस्था में एक साथ गिरावट आई। लेकिन यूरोपीय समाज दसवीं सदी ईस्वी से पहले

के संकट के मुकाबले इस संकट से आसानी से उबर गया। 1450 ई. के करीब अर्थव्यवस्था में बहाली का सिलसिला शुरू हो गया।

क्या आप जानते हैं

सारी जमीन जमीनदारों के पास होती थी और जिसकी देखभाल वे स्वयं करते थे जिसे डीमेन्स के नाम से जाना जाता था।

हमारें पास अब कुछ जानकारी हो गई है कि मध्यकालीन यूरोप में लोग किन स्थितियों में रहते थे। हम कई सदियों के एक कालखण्ड में उन स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को भी रेखांकित कर पाए हैं। भौगोलिक स्थिति में हुई इन परिवर्तनों ने मध्यकालीन यूरोप में समाज और संस्कृति को किस तरह प्रभावित किया। आइए हम इस पर विचार करें। दसवीं सदी से पहले के काल के आर्थिक जीवन के अपेक्षाकृत निम्न स्तर को देखते हुंए हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कि यह ज्ञान-विज्ञान या कला के लिए अच्छा दौर नहीं था। इस दौरान शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों का ही विशेषाधिकार बनी रही। आम लोगों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। कुलीनों के ज्यादातर सदस्य तक अशिक्षित थे। सिर्फ पूरोहित वर्ग के सदस्यों को थोड़ी शिक्षा मिलती थी। यह थोड़ी शिक्षा भी बड़ी संर्कीण प्रकृति की थी। यह ज्यादातर तोतारटंत पर आधारित थी और उसमें तर्क-वितर्क और विवके की गुंजाइश नहीं थी। सीखने की पूरी प्रक्रिया पर धर्म का आधिपत्य था। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थितियों में विज्ञान में मुश्किल से कोई विकास हो सका। पुनरुत्थान के कुछ प्रयास हुए लेकिन उससे भी कोई वास्तविक बौद्धिक सृजनात्मकता नहीं आ पाई। बहरहाल, उसका एक फायदा यह हुआ कि पुरोहितों और मठाधीश जमात के सदस्यों को इतनी शिक्षा मिल गई ि कवे रोमन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की नकल कर सकें और उसका संरक्षण कर सकें इसने कम से कम शिक्षा-दीक्षा के उस दौर के आधार का काम किया जो 11वीं और 12वीं सदी में शुरू हुआ।

साक्षरता के निम्न स्तर के कारण इस काल में साहित्य के क्षेत्र में कोई ज्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। यही बात कला के क्षेत्र में भी रही। बहरहाल, इस दौरान पांडुलिपियों के चित्रण और अलंकरण की एक अनूठी शैली विकसित हुई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस दौर में, अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को छोड़कर, पूरे यूरोप में लोग भुखमरी की स्थिति में रह रहे थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां कम और छुटपुट थीं। यूरोपीय सभ्यता पड़ोस की बैजंटाइन सभ्यता और इस्लामी सभ्यता की तुलना से बेहद पिछड़ी थी। दरअसल दसवीं सदी के एक अरब भूगोलशास्त्री ने उन्हें 'स्थूल प्रकृति, अप्रिय तौर-तरीके और निम्न बुद्धि वाले लोगों' की संज्ञा दी थी।

दसवीं सदी के बाद से आए खुशहाली और अपेक्षाकृत शांति के दौर ने इस काल के सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाया। इस दौर में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनका विस्तार हुआ। क्लासिकी ज्ञान और साथ ही इस्लामी सभ्यता से ज्ञान और दर्शन से क्षेत्र में प्रगति हुई। यह बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जो आधुनिक काल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। चर्च ने शिक्षा पर अपना एकाधिकार खो दिया। ज्ञान एवं विद्या

क्रमशः धर्मनिरपेक्ष होती गई। पहले ज्ञान और शिक्षा तर्क-वितर्क और विवके से पूरी तरह कटी थी, अब इस दौर से आलोचनात्मक अध्ययन का एक सिलसिला धीरे-धीरे शुरू हुआ। महिलाएं भी अब शिक्षा पाने लगीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी।

पाठगत प्रश्न 2.2

1. जमींदारों तथा किसानों के बीच के सम्बन्ध को समझाये।
2. खेतीहर मजदूर क्या थे?
3. बताएं कि वक्तव्य सही है या गलत
   1. दसवीं से लेकर 12वीं सदी के दौरान व्यापार में सुधार हुआ और नगरीय जीवन में वृद्धि हुई।
   2. दसवीं सदी के बाद कृषिगत तकनीकों में सुधार का उपज में इजाफा से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था।
   3. तेरहवीं सदी के बाद सामंती अर्थव्यवस्था में वृद्धि का रुझान उलट गया।
   4. दसवीं सदी के पहले यूरोप में शिक्षा और कला के विकास के लिए बढ़िया दौर था।

2.3 मध्य काल में अरब सभ्यता

मध्यकाल में अरब में एक शानदार सभ्यता का उदय हुआ। इसके उदय का कारण वहां इस्लाम का जन्म होना था। इसने न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और भारत समेत एशिया के दूसरे हिस्सों को प्रभावित किया। दसअसल, इस्लाम का जन्म इस काल की इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि मध्यकालीन विश्व की दास्तान से इस्लाम की कहानी अलग नहीं की जा सकती। आइए, यहां इसके बारे में थोड़ा पढ़ें।

इस्लाम की दास्तान अरब से शुरू होनी चाहिए क्योंकि यहीं उसका जन्म हुआ हैं अरब रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज्यादातर अरब बद्दू जाति के थे, अर्थात ऊंट पर घूमने वाले चरवाहे थे। उनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत पशुपालन और नखलिस्तानों में उगने वाले खजूर थे। शिल्प उत्पादन काफी सीमित था, व्यापार भी धीमा ही था, और शहरीकरण बहुत ही कम।

छठी सदी के उत्तरार्द्ध में लंबी दूरी का व्यापार करने वाले कारवों के रास्तों में परिवर्तन के बाद अरब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई। अरब के दो पड़ोसी साम्राज्यों - रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग छिड़ी थी। इन जंगों के कारण अरब अफ्रीका और एशिया बीच व्यापार के लिए आने-जाने वाले कारवों का सुरक्षित रास्ता बन गया। इससे कुछ महत्वपूर्ण शहरों के विकास को बढ़ावा मिला। उन्होंने उसका फायदा उठाया। उनमें से सबसे महत्वूपर्ण शहर मक्का था जो कुछ प्रमुख व्यापार मार्गों के संधिस्थल पर था। काबा के कारण मक्का को एक स्थानीय धार्मिक

महत्व हासिल था और इसके कारण भी वह महत्वपूर्ण था। उस समय काबा अरब के विभिन्न कबीलों के लिए एक पूजनीय स्थल था। इस धर्मस्थल पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था जो मक्का के आर्थिक जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते थे। इस्लाम के संस्थापक हज़रत मोहम्मद का जन्म करीब 570 ई0 में कुरैश कबीले में हुआ। हज़रत मोहम्मद के माता-पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया। उनकी परवरिश उनके चाचा ने की। बड़े होकर वह एक खुशहाल सौदागर बने। उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया। बाद में उन्होंने खदीजा से शादी कर ली। करीब 610 ई0 में हज़रत मौहम्मद एक धार्मिक अनुभूति से गुजरे जिसमें माना जाता है कि उन्होंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई भगवान नहीं है। उस समय अरब अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे और अल्लाह को उनमें से एक, लेकिन उनसे थोड़ा उच्च और शक्तिशाली माना जाता था। हज़रत मोहम्मद के अलौकिक अनुभव के कारण इस बहुईश्वरवाद या अनेक देवी-देवताओं पर आस्था की जगह एकेश्वरवाद ने ले ली। उसके बाद हज़रत मोहम्मद को और भी आकाशीय संदेश आए जो उनके नए धर्म के आधार बने। नया धर्म इस्लाम के नाम से जाना गया और हज़रत मोहम्मद उसके 'पेगंबर-माने गए। शुरू में वह कुरैश के ज्यादा लोगों को नए धर्म में शामिल कराने में सफल नहीं रहे। उनकी पत्नी समेत कुछ ही लोगों ने नया धर्म स्वीकार किया।

इसी बीच उत्तर में एक दूसरे शहर यसरिब के प्रतिनिधियों ने हज़रत मोहम्मद को अपने यहां आने और वहां के विवाद सुलझाने का न्योता दिया। 622 ई0 में हज़रत मोहम्मद अपने अनुयाइयों के साथ यसरिब चले गए। इसे हिजरत कहते हैं। हिजरत के साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल माना जाता है हज़रत मोहम्मद ने इस शहर का नाम मदीना रखा और वह वहां के शासक बनने में सफल रहे। अब उन्होंने सचेत रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को एक राजनीतिक और धार्मिक समुदाय में संगठित करना शुरू किया। मक्का में इस्लाम को फैलाने के लिए वह और उनके अनुयाइयों ने कुरैश के काफिलों पर हमला करना शुरू किया। हज़रत मोहम्मद अंततः 630 ई0 में सफल रहे और कुरैश को परास्त कर मक्का में प्रवेश किया। कुरैश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया और इसके बाद से काबा इस्लाम का मुख्य धर्मस्थल बना। मक्का विजय के बाद समूचे अरब के विभिन्न कबीलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।

European	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arabic-Indic	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
Eastern Arabic-Indic (Persian and Urdu)	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Devanagari (Hindi)	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९
Tamil		௧	௨	௩	௪	௫	௬	௭	௮	௯

चित्र 2.2 : अंक प्रणाली

इस्लाम की शिक्षाएं सीधी-सादी हैं। 'इस्लाम' शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। इसके अनुयाई मुस्लिम या मुसलमान कहलाए। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है। मुसलमान हज़रत मोहम्मद को आखिरी और महानतम पैगंबर मानते

हैं। वे यहूदियों और ईसाइयों के पैगंबरों को भी मान्यता देते हैं। मुसलमान मानते हैं कि कयामत या महाप्रलय आएगा और नेक तथा अच्छे लोगों को जन्नत में शाश्वत जीवन मिलेगा जबकि दुष्ट और पापी लोगों को जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए झुलसना होगा। नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान को उन संदेशों का संकलन माना जाता है जो हज़रत मोहम्मद को ईश्वर से मिले थे। इन कदमों में सदाचार और दया-करुणा का जीवन बिताना, निश्चित समय पर नमाज और रोजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, हज (मक्का की तीर्थ यात्रा) करना और कुरान का पाठ करना शामिल है। कुरान के अतिरिक्त मुसलमानों को सुन्नत या हज़रत मोहम्मद के वचनों और आदर्शों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना होता है। इस्लाम में अल्लाह के बचनों और आदर्शों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना होता है। इस्लाम में अल्लाह और इंसान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं है। वहां पुरोहित नहीं है। बस धार्मिक विद्धान या आलिम है जो धर्म और धार्मिक कानूनों पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस्लाम तमाम लोगों की बराबरी की शिक्षा देता है। उसूलों के मामले में यहूदी और ईसाई धर्म के साथ इस्लाम की बड़ी समानता है।

अब हमारे पास इसकी हल्की-फुल्की समझ बन गई है कि हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे की और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। लेकिन अरब के दूर-दराज इलाके में शुरू हुआ यह सीधा-सादा धर्म कैसे एक विश्वव्यापी परिघटना बन गया।

इस्लाम का प्रसार

हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में अरबों में कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। वास्तव में इस नवजात धार्मिक समुदाय के विखंडन का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन हज़रत मोहम्मद के कुछ निकटतम अनुयाइयों ने उनके ससुर अबु बक्र को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुन कर उसे इस खतरे से उबार लिया। उसके बाद से एक लंबे काल तक खलीफा को तमाम मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। खलीफा बनने के तुरंत बाद अबु बक्र ने उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू किया जिन्होंने हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्राधिकार माने से इनकार कर दिया था। यह सैनिक अभियान बेहद सफल रहा। इसे इसके बाद उत्तर की दिशा में अरब की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया। आश्चर्य की बात है कि उन्हें इन सैनिक अभियानों में बैजंतिया और फारस जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की ओर से बेहद कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

अबु बक्र के निधन के बाद उमर खलीफा बने। उमर ने पड़ोस के साम्राज्यों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। अरब सेना को लगातार सफलता मिलती गई। जल्‍ ही अरबों ने पूरे सीरिया पर और एंतियोक, दमिश्क तथा यरुशलम के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फारस की सेना की परास्त कर दिया। 651 ई0 तक समूचे फारस पर अरबों का कब्जा हो चुका था। अरब बैजंतिया साम्राज्य से मिस्र छीनने में कामयाब रहे। इसके बाद वे पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़ें यहां से वे 711 ई0 में स्पेन में घुसें उन्होंने लगभग समूचे स्पेन को जीत लिया। इस तरह एक सदी से कम समय में इस्लाम ने प्राचीन फारस को पूरा और पुराने रोमन जगत का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया। इतिहासकारों ने अक्सर अरबों की इस जीत के पीछे के कारणों

पर आश्चर्य जताया है। कुछ मानते हैं कि यह मजहबी जोश और इस्लाम के प्रसार की धुन थी जिसने अरबों को प्रेरित किया। लेकिन अब अधिकाधिक इतिहासकारों की दलील है कि जहां धर्म ने अरबों का एकताबद्ध रखने में भूमिका निभाई, वहीं जिस चीज ने उन्हें रेगिस्तान से निकलकर बारे जाने के लिए वास्तव में प्रेरित किया वह वास्तव में समृद्ध क्षेत्र और माल-ए-गनीमत (यानि युद्धों में लूटी गई दौलत) था। बैजंतिया और फारस जैसे उनके दुश्मनों की कमजोरी ने भी अरबों की मदद की।

उमर के बाद उस्मान खलीफा बने, लेकिन उस्मान मजबूत नेता नहीं थे। उनके अनेक विरोधी भी थे। उनकी हत्या कर दी गई और पैगंबर के चचेरे भाई एवं दामाद अली को खलीफा बनाया गया। लेकिन जल्द ही अली की भी हत्या कर दी गई और उस्मान के समर्थक प्रभुत्वशाली पक्ष बनकर उभरे। उसके बाद से मुसलमानें में दरार हैं अली के अनुयायियों ने एक अलग पंथ बना लिया और शिया कहलाये। बाकी मुसलमान सुन्नी कहलाए। अली की मृत्यु के बाद उमैया परिवार के एक सदस्य ने खिलाफत संभालीं उस्मान इसी परिवार के थे। उमैया वंश 950 ई0 तक शासन करता रहा। बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी पर जबरदस्त हमले में असफलता के बाद उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। उमैया वंश के पतन के बाद अब्बासियों ने सत्ता संभाली। जहां उमैया ने अपनी ताकत सीरिया में केद्रित की, अब्बासियों ने अपनी राजधानी बदलकर फारसी राजधानी के पास इराक में बगदाद को बनाया। फारसी क्षेत्र में राजधानी के स्थानान्तरण के साथ ही अब्बासी शासन में फारसी तत्वों को प्रमुखता मिली। इस शासन के दौरान शुरुआती इस्लाम के समता और भाईचारे के उसूलों की समाप्ति हो गई। उसकी जगह निरंकुश राजशाही ने ले ली। उनके भव्य दरबार में बड़ा तामझाम था। दरबार की यह शानशौकत और कायदे-कानून फारस की परंपराओं से उधार लिए गए थे। अब्बासी शिक्षा और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। 10वीं सदी में अब्बासी सत्ता कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद विकेन्द्रीकरण का एक विस्तृत दौर रहा। मंगोलो ने 1258 में बगदाद को नष्ट कर दिया। अराजकता का यह दौर तब तक जारी रहा जब तक सल्जूक तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा नहीं कर लिया। इसने मुस्लिम साम्राज्य पर अरब शासन समाप्त कर दिया। बाद की सदियों में इस्लामी जगत पर तुर्कों का दबदबा रहा।

हमने इस्लामी साम्राज्य के विकास क्रम को रेखांकित किया है कि कैसे यह कुछ एक लोगों की आस्था से विकसित होते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचा। कैसे इस विकास ने लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया।

2.10 इस्लामी सभ्यता की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां

यह कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद के समय से लेकर करीब 1500 ई0 तक इस्लामी संस्कृति और समाज उल्लेखनीय रूप से सर्वदेशीय और गतिशील रहे। वे विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए और उनकी विशेषताओं को ग्रहण किया। इस्लामी संस्कृति ने उनके आदर्श अपनाकर खुद को समृद्ध किया। इस काल में इस्लामी संस्कृति दूसरे धर्मों के प्रति उल्लेखनीय रूप से सहिष्णु थी। उसने अपने सामाजिक ढांचे में और यहा तक कि प्रशासन में भी यहूदियों और ईसाइयों को जगह दी। उन्होंने यहूदी और ईसाई कवियों को भी संरक्षण दिया।

धर्म के क्षेत्र में मुख्यतः दो किस्म के लोग थे - उलेमा और सूफी। उलेमा विद्वान लोग थे और धर्म तथा धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर सलाह देते थे। वे आमतौर पर परंपरा का पालन

करते थे। सूफी धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर सलाह देते थे। वे आमतौर पर परंपरा का पालन करते थे। सूफी धार्मिक रहस्यवादी थे जो मुख्यतः ध्यान और हाल (आह्लद पर जोर देते थे। सूफी आमतौर पर लोगों की जिन्दगी को गहराई से छूने में सफल रहते थे)

खासकर अब्बासी शासनकाल में इस्लामी में इस्लामी विद्या की विभिन्न शाखाओं में उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। दर्शन उनमें से एक थां इस्लामी दर्शन पुराने यूनानी दर्शन के अध्ययन पर आधारित था। बुद्धिवाद और विवेकशीलता में यकीन रखने वाले मुस्लिम दार्शनिकों के एक तबके ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया। ये दार्शनिक दर्शन के क्षेत्र में चिंतन-मनन के अलावा प्राकतिक विज्ञान के अध्ययन में भी अग्रणी थे। उन्होंने खगोलशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में खासा काम किया। उनका ज्योतिषशास्त्र खगोलीय गणना पर आधारित था। चिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने यूनानियों क`लेखों का न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि उसे बहुत आगे तक ले गए। पश्चिम में अबिसीना के नाम से मशहूर इब्नसीना ने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति की खोज की। उन्होंने स्नायुतंत्र की अनेक बीमारियों का जिक्र किया। पश्चिम में राजेज के नाम से मशहूर अल-राजी मध्यकालीन विश्व के महानतम नैदानिक चिकित्सक (क्लिनिकल फिजिशियन) थे। उन्होंने खसरा और चेचक में फर्क खोजा। दूसरे इस्लामी चिकित्सकों ने आमाशय के कैंसर का निदान किया, जहर की काट खोजी और आंख की बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय योगदान किया। मुस्लिम समाज की एक रोचक व्यवस्था यह थी कि अस्पताल की स्थापना और संगठन में वे दूसरी तमाम मध्यकालीन संस्कृतियों से आगे थे। फारस, सीरिया और मिस्र के महत्वपूर्ण शहरों में आधुनिक पद्धति पर संगठित कम से कम 34 अस्पताल थे।

उन्होंने प्रकाश-विज्ञान, रसायनशास्त्र और गणित में भी बहुत उपलब्धियां हासिल कीं। इस्लामी भौतिकशास्त्रियों ने प्रकाश - विज्ञान की नींव रखी। प्रकाश की गति, प्रेक्षण और प्रवर्तन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। रसायनशास्त्र क्षेत्र में अन्य चीजों के अलावा, सोडा के कार्बोनेट, फिटकरी, शोरा, नमक के तेजाब, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों और रसायनों की खोज के लिए हम उनके आभारी हैं। गणित के क्षेत्र में इस्लामी विद्वानों की महानतम उपलब्धि यूनानियों के रेखागणित तथा भारतीयों की अंक प्रणाली को एक जगह करना है। वास्तव में भारतीय अंक प्रणाली का इस्तेमाल इतने व्यापक रूप में फैला कि पश्चिम ने उन्हे 'अरब अंक' का नाम दे दिया। इस तरह उस समय मौजूद विद्या का संश्लेषण कर अरबों ने अंकगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महान प्रगति की।

अरब सभ्यता अपने साहित्य, खासकर कविता के लिए भी मशहूर हुई। उमर खैयाम की रुबाइयां इसकी एक मिसाल है जिसे आज भी याद किया जाता हैं अन्य क्षेत्रों की तरह इस्लामी कला भी बैजंतिया, ईरानी इत्यादि विभिन्न शैलियों का सुंदर और शानदार संश्लेषण है। इस्लामी कला में वास्तुशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस्लामी वास्तुशास्त्र के उदाहरणों में मस्जिद, महल, स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल इत्यादि हैं। इनकी मुख्य विशेषताओं में गुंबद, मीनार, महराब इत्यादि शामिल हैं।

संक्षेप में यह कहा जो सकता है कि ऐसे समय जब पश्चिम बहुत पिछड़ा था, इस्लामी सभ्यता बौद्धिक और कलात्मक स्तर पर अपनी बुलंदियों पर थी। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ने अरबों को विविध संस्कृतियों के सपर्क में लाया। इसने अरब, फारसी, तुर्क, भारतीय और अफ्रीकी जैसे विविध और भिन्न समुदायों को एक साथ लाने और विविध तत्वों वाले एक शानदार समाज के निर्माण में मदद की। इसने अपने पीछ मौलिक खोजों और उपलब्धियों की एक शानदार विरासत छोड़ दी।

पाठगत प्रश्न 2.3

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. हज़रत मोहम्मद और उनके अनुयाइयों के मक्का छोड़ कर मदीना जाने को क्या कहते है?
2. पैगम्बर मोहम्मद के निधन के बाद किन को पहला खलीफा बनाया गया?
3. किसने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति की खोज की?
4. किस चिकित्सक ने खसरा और चेचक के बीच फर्क खोजा?

क्रियाकलाप 2.2

सोचिये ऐसी 5 इमारतों जो आपने देखी हो या फिर किताब में पढ़ी हों जो कि अरबों की कलाकृति दर्शाती हो। यह इमारतें भारत में हों या भारत से बाहर हों उनके बारेमें लिखिये। इन इमारतों की क्या खास बात थी। ये कहाँ पर हैं और आप के क्या विचार हैं। इनको संरक्षित करने के उपाय बतायें।

2.4 मध्यकालीन भारतीय सभ्यता

पिछले पाठ में हमने, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आठवीं और दसवीं सदी के बीच राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का एक लंबा दौर रहा। इस दौरान अनेक राज्यों ने वर्चस्व के लिए संघर्ष किया। उत्तर भारत में पाल, परिहार और राष्ट्रकुल के तीन प्रमुख राज्य थे। चौहान परमारों इत्यादि के राजपूत वंशों ने छोटे-छोटे राज्य और जागीरें स्थापित की। दक्षिण में देश के प्रायद्वीप हिस्से में चोल वंश का प्रभुत्व था। राजनीतिक एकाधिकार के विखंडन की यह स्थिति महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारी के लिए बेहद उपयुक्त थी। पश्चिम और मध्य एशिया अनेक विजय के बाद महमूद ने भारत की तरफ रुख किया। भारत पर उसके आक्रमणों की शुरूआत सितंबर 1000 ई0 में हुई इसके बाद उसने पंजाब, कश्मीर और पूर्वी राजस्थान और फिर गंगा के उर्वर मैदानी इलाकों पर हमले किए। बहरहाल महमूद की दिलचस्पी भारत पर शासन करने में नहीं थी।

2.4.1 राजनीतिक क्रम

महमूद के हमलों के बाद तुर्क आए। तेरहवीं सदी तक तुर्को ने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अपना शासन कायम कर लिया था। उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना कर शासन किया। वे सुल्तान नाम से जाने जाते थे। उनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। खिलजी और तुगलक जैसे ताकतवर राजवंश एक-एक कर आए। उनमें से ज्यादातर शासकों को मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ां उन्होंने इस स्थिति से निबटने के लिए विभिन्न कदम उठाए। इस बीच दक्षिण में विजयनगर और बहमनी के दो शक्तिशाली राज्य राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार एक-दूसरे से होड़ कर रहे थे।

सोलहवीं सदी की शुरूआत में मुगलों के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरूआत की। राजनीतिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ जो इससे पहले एक लंबे अरसे से नहीं देखा गया था। राजनीतिक एकीकरण और एक लंबे अरसे तक शांति तथा स्थिरता से आर्थिक प्रगति और खुशहाली आई। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सामाजिक जीवन में, धार्मिक क्रिया-कलापों और आस्थाओं में और परस्पर सहिष्णुता तथा सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित कला की विभिन्न विधाओं में यह संश्लेषण का दौर था।

दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे केन्द्रीकृत साम्राज्यों के समानांतर अनेक छोटे-छोटे क्षेत्रीय और प्रांतीय स्वतंत्र शासक वंश भी रहे। इनमें बंगाल का इल्यास शाहीं और हुसैन शाही वंश, असम के अहोम, उड़ीसा के गजपति वंश, राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ वंश और जौनपुर के शर्की वशं शामिल हैं। इन स्वतंत्र वंशों के शासनकाल में क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय अस्मिताओं के साथ यहां की भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ।

2.4.2 राजनीतिक संस्थाएं

तुर्को और मुगलों के आगमन से संप्रभुता और शासन के नए विचार आए। सर्वप्रथम राजव्यवस्था की इस्लामी परिकल्पना में राजशाही के लिए स्पष्ट रूप से कोई वैधानिक स्थान नहीं है क्योंकि इस्लामी राजव्यवस्था बराबरी पर आधारित है। लेकिन उमैया और अब्बासी खिलाफत (इनके बारे में हम पिछले खंडों में पढ़ चुके हैं) और पश्चिम एशिया में सत्ता का बंटवारा सुलतान और ताकतवर तुर्क सरदारों या कुलानों के बीच होता था। लेकिन बल्बन के शासनकाल में सुल्तान का रुतबा इतना ऊंचा हुआ कि वह राज्य और शासन के तमाम मामलों में निरंकुश अधिकारी बन गया। तुर्क कुलीनों की ताकत में खासी कमी की गई। मुगलों ने राजा की ताकत और रुतबे को अभूतपूर्व बुलंदियों पर पहुंचा दिया।

दिल्ली के सुलतानों और मुगलों ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नई चीजे जोड़ीं दिल्ली सल्तनत में सैनिक कमांडरों को 'इकता' दिया जाता था। इकता क्षेत्रीय इकाई है। लेकिन इकता धारकों को जमीन का मालिकाना हक नहीं सौंपा जाता था। अपने क्षेत्र के राजस्व पर उनका नियंत्रण था। यह राजस्व इकतेदार की अपनी जरूरत और उसके सैनिकों की जरूरतें पूरी करने के लिए था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि सुलतान जब भी आदेश करेगा, वह अपने सैनिकों से उसे सैन्य सहायता देगा। बहरहाल, पहले से मौजूद जमीन के नियंत्रण का ढ़ाचा और गांव के पदानुक्रम में कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ा।

मुगलों की प्रणाली ज्यादा व्यापक थी। राजस्व और भूमि लगान पर उनका नियंत्रण ज्यादा गहरा था जो गांव के स्तर तक जाता था। मुगलों ने मनसबदार बहाल किए जो सैन्य और नागरिक जिम्मेदारियां निभाता था। मनसब वास्तव में ओहदा या रुतबा होता था जो अधिकारी की योग्यता और उसके अधीन सैनिकों की संख्या के आधार पर तय होता था। यह इकता से मिलता-जुलता था। सिवा इसके कि इकता में प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सम्मिलित होती थी लेकिन ज़ागीर में नहीं। मुगलशाही व्यवस्था मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली के निर्बाध कामकाज पर आधारित थी।

2.4.3 अर्थव्यवस्था

दिल्ली सल्तनत और साथ ही मुगल साम्राज्य किसानों के कृषिगत उत्पादन के अधिशेष था जिसकी वसूली राजस्व के रूप में की जाती थी। मुगल साम्राज्य में, खासकर अकबर के शासनकाल में राजस्त वसूली की पद्धति में दूरगामी परिवर्तन किए गए। अब राज्य और किसान या जागीरदारों जैसे भूस्वामी वर्ग के साथ कोई मनमाना संबंध नहीं रहा। जमीन की अब पैमाइश की गई और उसके रकबे के मुताबिक भू-राजस्व निर्धारित किया गया। जमीन की उर्वरता का भी हिसाब रखा गया। उसके बाद बाजार की तत्कालीन कीमत के आधार पर उत्पादन में राज्य के हिस्से का नकद-मूल्य आंका गया। इसी अनुरूप नकद के रूप में राजस्व तय किया गया। यह कृषि के वाणिज्यकरण का दौर था और राज्य नकदी फसल को बढ़ावा देता था। राज्य ने उन इलाकों में भी खेती को बढ़ावा दिया जहां उस वक्त तक खेती नहीं होती थी या जहां जंगल थे। उसने उद्यमी किसानों को प्रोत्साहन दिए। राज्य ने फसल नष्ट होने पर कर्ज दिए और राजस्व वसूली में राहत दी।

गुप्त वंश के बाद व्यापार और वाणिज्य में बहुत गिरावट आई थी। इसमें भी सुधार हुआ। एक लंबे समय तक गिरावट सहने के बाद शहरी केन्द्र फले-फुले। इस नए शहरीकरण के कारण तेरहवीं और चौदहवीं सदी में व्यापार में इजाफा हुआ। इन शहरी केन्द्रों को जोड़ने वाला सड़कों का एक बड़ा जाल अस्तित्व में आया। इसने व्यापार में मदद की। दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, सूरत और कैंबे जैसे शहरों का महत्व बढ़ां पंजाब से पश्चिम और मध्य एशिया के बाजारों में माल भेजे जाते थे। मुगलों ने जो राजनीतिक स्थिरता और अपेक्षाकृत शांति का वातावरण कायम किया था, उससे साम्राज्य के किन्हीं दो शहरों के बीच का स्तर ऊंचा था और उसमें ईमानदारी बरती जाती थी। सेठ, बोहरा और मोदी लंबी दूरी का व्यापार करते थे जो खासकर खाद्य पदार्थो का व्यापार करते थे। सरार्फ या श्राफ मुद्रा बदलने वाले थे और हुंडियां जारी करते थे। हुंडी एक साख पत्र थी जिसकी अदायगी बाद में एक तय जगह पर की जा सकती थी। इसने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मालों को लाने-ले जाने में मदद की क्योंकि इसने दूर के इलाकों में मुद्रा का संचलन आसान बना दिया।

2.4.4 सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन

धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकाल में परंपराएं आपस में बहुत घुली-मिलीं। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन इसकी मिसालें हैं भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत उपासना और भक्ति से भगवान के साथ आत्मसात होने पर जोर दिया। यह आम लोगों की राजमर्रा जिंदगी से जुड़ा। इसने कर्मकाण्डों और बलि की जगह शुद्धता और भक्ति पर जोर दिया। इसने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के एकाधिकार पर सवालिया निशान लगाए। रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, और चैतन्य जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला जो आज भी जारी है। इनमें से कई सन्त ऐसे थे जिनके बड़ी संख्या में भक्त बने। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक का पंजाब के लोगों पर गहरा असर पड़ा। उनके भक्तों का एक अलग पंथ बन गया जो सिक्ख धर्म कहलाया और इस पंथ को मानने वाले लोगों को सिक्ख कहा जाने लगा। इसी तरह सूफियों ने भी अकीदत और प्यार पर जोर दिया। उन्होंने सहिष्णुता और करुणा पर जोर दिया। सूफी, खासकर चिश्ती सिलसिले के सूफी राज-पाट, पार्थिव और भौतिक चीजों

से अलग-थलग रह। उन्होंने बेहद सादी जिंदगी बिताई और आमजन के दुखों और चिंताओं में भागीदारी निभाई। नतीजतन आम लोगों, हिन्दू-मूसलमान दोनो पर उनका जबर्दस्त प्रभाव था। सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच बहुत संपर्क रहा। दोनों ने दार्शनिक विचारों का खूब आदान-प्रदान किया। वास्तव में दोनों परंपराओं ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सेतु का काम किया।

चित्र 2.2 : गुरू नानकदेव

भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण की इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा जहां फारसी और संस्कृत जैसी क्लासिकी भाषा फली-फूलीं इस काल का उल्लेखनीय विकास क्षेत्रीय भाषा का आगे बढ़ना रहा। अब हिन्दी, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया और गुजराती जैसी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई। साहित्यिक कृतियों में उनका इस्तेमाल होने लगा। तुलसीदास का रामचरित मानस, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत बंगाली में अलाल की रचना, मराठी में एकनाथ और तुका राम की रचनाएं इसी काल में लोकप्रिय हुईं।

क्रियाकलाप 2.3

पता लगायें कि क्या कोई भक्ति और सूफी संत आपके शहर में पास पड़ोस में रहते हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। आपने क्या देखा इसको 80-100 शब्दों में लिखें।

तीन तस्वीरें भक्ति और सूफी संत की जमा करें। उनकी तथा उनके उपदेशों को जाने। उनमें क्या समानता या असमानता थी। उनको दर्शाते हुए कुछ पंक्तियां लिखे। अपने विचारों को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से बात करें।

मध्यकाल में कला और वास्तुकला भी फली-फूली। मुगलों के काल में शाही कारखानों में तस्वीरें तैयार की जाने लगी। चित्रकारों को शाही खजाने से तनखाह और वजीफे मिलते थे। चित्रकारी

की मुगल शैली में ईरानी और भारतीय शैलियों को पूरी तरह आत्मसात किया गया है। यह कुछ हद तक इस कारण भी हुआ है कि इस शैली के चित्रकारों ने राजपूताना, गुजरात, मालवा इत्यादि उन परंपराओं के तत्वों को शामिल किया जिससे वे आते थे। दासवन्त, मुकुन्द और केशव प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। अब्दुल समद और सैयद अली जैस ईरानी उस्तादों की निगरानी ने ईरानी-शैली का समावेश कराया। पाण्डुलिपियों वाले अलंकरण मुगल चित्रकारी की एक अन्य उत्कृष्ट उपलब्धि थी।

मध्यकालीन भारत में सास्कृतिक जीवन का एक अन्य मजेदार पहलू हिन्द-इस्लामी वास्तुकला में उजागर होता है। इसमे भारतीय संसाधनों, विशेषज्ञता, प्रतीकों, डिजाइनों को इस्लामी, मुख्यतः ईरानी शैली में आत्मसात किया गया। महराब और गुम्बद जैसी विशेषताओं को घण्टों, स्वास्तिक, कमल और कलश जैसे हिन्दू प्रतीकों के साथ जोड़ा गया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे जेसे तुगलककालीन विभिन्न स्मारक दिल्ली सल्तनत के काल की वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। मुगल काल के स्मारकों में हिन्द-इस्लामी शैली के आत्मसात करने की प्रक्रिया ज्यादा गहरी है। पांच महल, बीरबल का महल और इबादतखाना जैसे फतेहपुर सीकरी के स्मारक, दिल्ली में हुमायूंका मकबरा, सिकन्दरा में अकबर का मकबरा, आगरा का इत्मातुद्दुदौला का मकबरा और बेशक ताजमहल मुगल वास्तुकला की शानदार मिसालें हैं।

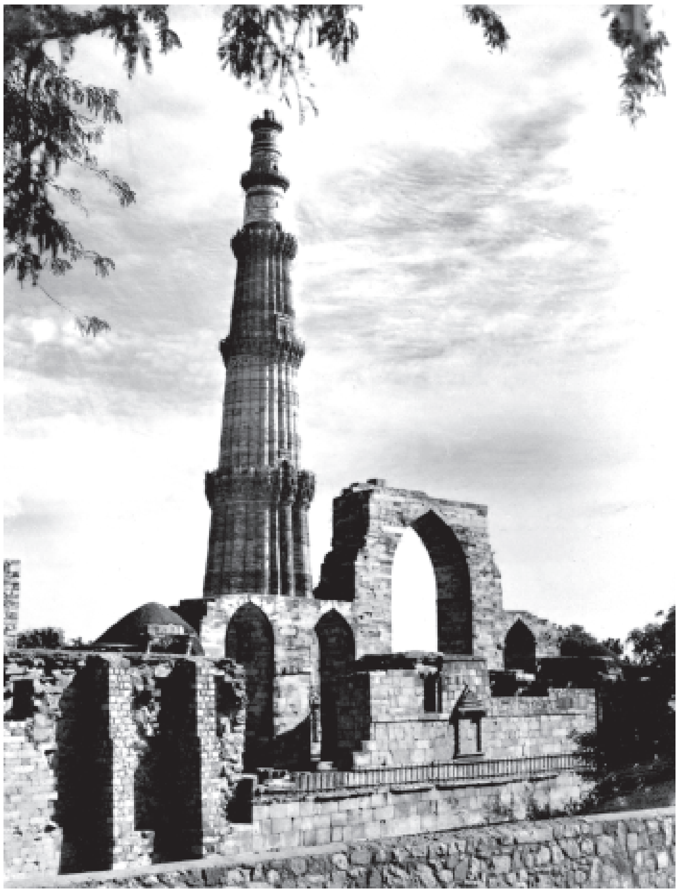

चित्र 2.3 कुतुबमीनार

मध्यकालीन भारत के ज्यादातर राजाओं ने संगीत को संरक्षण दिया। गायन एवं वाद्य संगीत की भारतीय प्रणाली का संपर्क संगीत की अरब, ईरानी और मध्य एशियाई परंपराओं के साथ हुआ। नए राग रचे गए। भक्ति और सूफी परंपराओं ने भी भक्ति संगीत की नई शैली को गति दी।

इस तरह सुस्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ भारतीय इतिहास का मध्यकाल प्राचीन काल के बाद का एक और महत्वपूर्ण एवं शानदार दौर था।

पाठगत प्रश्न 2.4

1. कारण देकर बताये मक्का को धार्मिक प्रसिद्ध कैसे मिली?
2. 5 ऐसे चीजें बतायें जिसमें कि अरब सभ्यता का प्रभाव प्रदर्शित होता हो।

खाली स्थानों को भरें।

1. दक्षिण में .... वंश का भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण था।
2. मुगलशाही व्यवस्था .... और .... प्रणाली के निर्बाध कामकाज पर आधारित थी।
3. .... एक विशेष किस्म के व्यापारी थे जो खासकर खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे।
4. भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत .... और .... से भगवान के साथ आत्मसात होने पर जोर दिया।

आपने क्या सीखा

- मध्यकाल को एक अंधकारमय काल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस दौरान विश्व के अनेक हिस्सों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ।
- मध्यकाल में यूरोप के समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सामंतवाद थी।
- सामंती व्यवस्था में राजनीति एकाधिकार का एक क्रमिक संगठन होता था।
- आर्थिक रूप से सामंतवाद की विशेषता भूदासता और उत्पादन की मेनर प्रणाली थी।
- सामंती व्यवस्था स्थिर नहीं थी। यह खुशहाली और संकट के सिलसिला से गुजरी।
- यूरोप में दसवीं सदी से पहले के दौर में सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्तर बहुत निम्न था। दसवीं सदी के बाद खुशहाली के दौर के आने के बाद सांस्कृतिक जीवन में सुधार आया। विद्या और बौद्धिक विकास फलने-फूलने लगा।
- इस्लाम एक नया धर्म था जिसे मोहम्मद ने सातवीं सदी में शुरू किया। इसके नियम आसान है।
- इस्लाम दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैला।

- करीब 1500 ई0 तक इस्लामी संस्कृति और समाज बहुत हद तक सर्वदेशीय और गतिशील थे। यह सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास की बुलंदियों का साक्षी बना।
- तुर्कों और मुगलों के आगमन से भारत में संप्रभुता और शासन के नए विचार आए। इकता प्रणाली जागीरदारी तथा मनसबदारी प्रणालियां मुख्य प्रशासनिक ईकाइयाँ थीं।
- भारत में मध्यकाल आर्थिक विकास का दौर था।
- मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में विभिन्न परंपराओं का अनूठा संश्लेषण हुआ।

पाठांत प्रश्न

1. चर्चा करें कि क्यों मध्यकाल एक उल्लेखनीय काल है जिसका अध्ययन मानव समाज के क्रम विकास को समझने के लिए जरूरी है।
2. रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में होंने वाली तब्दीलियों की चर्चा करें।
3. इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा करें।
4. मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें।
5. व्याख्या करें कि मध्यकालीन भारतीय संस्कृति परंपराओं के एक सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1	**2.2**	**2.3**	**2.4**
1. फीफ	1. सही	1. हिजरत	1. चोल
2. भूदास	2. गलत	2. अबु बक्र	2. जागीरदारी, मनसबदारी
3. मेनर	3. सही	3. इब्नसीना	3. बंजारा
4. डीमेन	4. गलत	4. अल राजी	4. भक्ति

3

आधुनिक विश्व – I

14 वीं सदी के बाद से यूरोप की सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में कई गंभीर परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों से आधुनिक काल में प्रवेश करने में मदद मिली। यह पुनर्जागरण था, इसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रें में चिंतन और तर्क करने को बढ़ावा दिया तथा जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अरब देशों में तर्क और वैज्ञानिक जांच की अवधि पहले ही शुरू हो चुकी थी। यूरोप के पुनर्जागरण के दौरान हुए परिवर्तनों ने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया। परिवर्तन सामंती प्रणाली के विघटन के साथ शुरू हुए, आपने पिछले पाठ में विस्तार से पढ़ा होगा। इस पाठ में हम इन में से कुछ परिवर्तनों और घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने मध्ययुगीन समाज को आधुनिक विश्व में परिवर्तित किया हम आधुनिक विश्व में 20 वीं शताब्दी तक घटित होने वाली घटनाओं का पता भी लगाएंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद, आप सक्षम हो जायेंगे :

- सामंतवाद के पतन के प्रभाव के बारे में जानेंगे;
- पुर्नजागरण का अर्थ, और इसकी विशेषताओं की व्याख्या;
- सुधार और इसके प्रभाव के कारण की व्याख्या;
- विज्ञान के विकास का उल्लेख करना;
- इस काल की मुख्य वैज्ञानिक खोजों कुछ मुख्य समुद्री यात्राओं की व्याख्या करेंगे;
- यूरोप और शेष विश्व में औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करेंगे;
- अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करेंगे;
- जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष पर चर्चा करेंगे;
- समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति के विकास की जांच करेंगे।

3.1 सामंतवाद के पतन के प्रभाव

मध्यकालीन युग के दौरान, सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक सामंतवाद था, आपने इसके बारे में पिछले पाठ में विस्तार से पढ़ा है। सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता-फूलता रहा लेकिन मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही इसका पतन शुरू हो गया था। शक्तिशाली राज्यों के उदय तथा समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध होने से इसका पतन हुआ। नए नगरों और शहरों के उदय होने तथा व्यापार के पुनरूद्धार से सामंतवाद का विघटन हुआ। ये नगर उत्पादन का केन्द्र थे तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण था। इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधो से मुक्त था। क्योंकि लोग कहीं भी आने-जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। नगरों ने कारीगरों और किसानों को आकृष्ट किया क्योंकि इन्होंने जीवन की बेहतर संभावना उपलब्ध कराई तथा सामंती शोषणों से छुटकारा दिलवाया। इन नगरों और शहरों ने कपास और गन्ना के रूप में कई फसलों के उत्पादक को प्रोत्साहित किया। कृषक को अपने उत्पाद का नकद भुगतान मिलता था। विनिर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता था जहां विनिमय का माध्यम पैसा था। स्वामियों ने अपने जागीरदारों से सेवाओं के बजाय पैसा लेना शुरू कर दिया था क्योंकि विभिन्न उपभोग की वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती थी। इससे शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। अब उन्होंने समाज में बेहतर रूतबा रखने की लालसा होने लगी। उन्होंने सामंतों स्वामियों की स्थिति को कमजोर करने के लिए शक्तिशाली सम्राटों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया जिससे सामंती संरचना कमजोर हो गई और इससे सामंती वर्ग का पतन हुआ।

नए विचारों के आगमन से नई चेतना का सृजन हुआ इसने पुनर्जागरण नामक नए आंदोलन को जन्म दिया अब हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे।

3.2 पुनर्जागरण

आधुनिक काल के प्रारंभ से विश्वास युग के अन्त और तर्क युग की शुरूआत हुई यह नवजागरण और सुधार आंदोलनों का साक्षी है इन आंदोलनों से लोगों के सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए। इस अवधि में शहरीकरण, परिवहन के तीव्र साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर समान कानून को लक्षंणित किया गया है।

पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है 'पुनर्जन्म'। यह इटली में 14वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ उस समय इटली छोटे शहर राज्यों में विभाजित था। उनमें से कई शहर राज्य प्राचीन रोमन इमारतों के भग्नावशेषों पर बनाए गए थे इतालवी शहरों की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें महान व्यापार और बौद्धिक केन्द्र बना दिया था। इसके अलावा बेनिस जैसे इतालवी शहरों की स्थिति ने उन्हें व्यापार और बौद्धिक केन्द्र बना दिया था। धन के साथ विश्व के चारों कोनों से व्यापारी कई महान विचार लाए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के नए रूप ने राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। लोगों के पास अध्ययन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था।

यह भी अत्यधिक आर्थिक विस्तार की अवधि थी। बुक कीपिंग, बिल का आदान प्रदान तथा सरकारी ऋण कई वाणिज्यिक और वित्तीय तकनीकें विकसित की गईं। इनसे इटली पुनर्जागरण का केन्द्र बन गया इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुनरूत्थान, वाणिज्य के आधार पर निजी पूंजी बैंकिंग, राष्ट्र राज्यों के गठन, अन्वेषणों के लिए नए मार्गों और प्रदेशों और स्थानीय, भाषा साहित्य के विकास जो प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय था। यह नया व्यापारिक समाज कम पदानुक्रमित और अधिक धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक था। यह पहले के ग्रामीण, परंपरावादी समाज के अत्यधिक विपरीत था।विश्व आर्थिक प्रणाली प्रारंभ करने में साहसिक कार्यों एवम् खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। कई नई वस्तु के व्यापार मार्गों की खोज के बाद अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से कई नई वस्तुएं लाई गई। इन वस्तुओं ने यूरोपवासियों के जीवन को समृद्ध बनाया और अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन के नए तरीके विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों उद्यमियों और बैंकरों ने सहयोग किया और राजनीतिक जीवन में तथा अन्य देशों के साथ संबंधों में ''पूंजी'' ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया।

इसी अवधि में सृजित नए विचारों यथा मानवतावाद, बुद्धिवाद और जाँच की भावना से लोगों के सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। ग्रीक और रोमन सम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ नए सिरे से रूचिकर हो गई। मनुष्य नए विद्वानों की मुख्य चिंता का विषय बन गया। वे मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता और इस संसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के उनके अधिकार में विश्वास रखते थे। यह मध्यकालीन चर्च के विश्वास के विपरीत था। जो सांसारिक सुखों का विरोधी था। मनुष्य के इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीतिशास्त्र आदि में रूचि को बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि इस समय विषयों की ''मानविकी'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया ।

मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां चित्रकला के क्षेत्र में थी। चित्रकारों ने शरीर रचना और मानव शरीर के अनुपात का अध्ययन किया। वे मनुष्य को यथार्थवादी फॉर्म और अनुपात में चित्रित करना चाहते थे। कुछ श्रेष्ठ कलाकारों में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलों, रैफेल बोटिसेली और टाइटियन और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कलाकारों ने मुक्त खड़ी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। ये मूर्तियां अब इमारत या पृष्ठभूमि से अलग खड़ी थी और यह अलग कला थी। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार डोनाटलो थे जिन्होंने 'डेविड' की मूर्ति बनाई थी लोगों ने खुद को मध्यकालीन धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि को साहित्य की भाषा के रूप में परिलक्षित किया गया। अब लेखक लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं में कविता, नाटक, गद्य, आदि का उपयोग करने लगे। लेखकों के कार्य में देशी भाषा के उपयोग और प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ होने के कारण लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए सुलभ हुए। बाइबिल मुद्रित किया गया था और लोगों की बड़ी संख्या द्वारा पढ़ा गया आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में तैयार किए गए अनेक कार्यो में दो प्रमुख

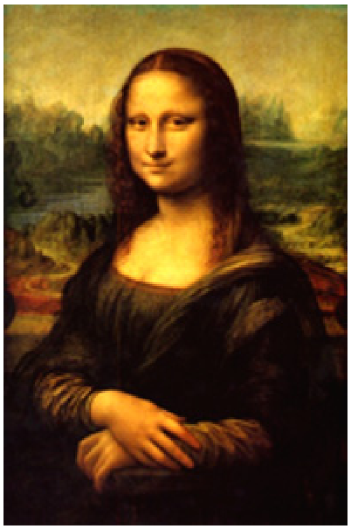

चित्र 3.1 लियोनार्डो द विंसी की मोनालिसा

कार्य हैं डेन्टे की डिवाईन कोमेडी, इरासमस, इन प्रेज ऑफ फोली मैकविली की द प्रिन्स एंड करवैनटीज डानक्योजो। पुनर्जागरण के उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुए पहला प्रोटेस्टेंट सुधार था जो ईसाई धर्म में विभाजन का परिणाम दूसरे रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर से संबंधित सुधार था आम तौर पर कैथोलिक सुधार या काउंटर सुधार के रूप में माना जाता है सुधार सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था जिससे आधुनिक विश्व का उत्पत्ति हुई।

क्रियाकलाप 3.1

बुद्धिवाद, मानववाद, जांच, अवलोकन, प्रयोग और तर्क कुछ विचार थे जो पुनर्जागरण काल के दौरान आए। इनके अर्थ खोजें और इनकी उपयोगिकता को आज हमारे जीवन से जोड़कर देखें

3.3 धर्म सुधार

मध्यकालीन कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना गया। अंधविश्वासी किसानों को चर्च द्वारा आश्वस्त किया गया कि सच्चा क्रॉस उसके पास है। लोग सच्चे क्रॉस के रूप में लकड़ी के एक टुकड़े को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने लगे थे क्योंकि यह माना जाता था कि पवित्र अवशेष में स्वस्थ करने की शक्ति थी। अंधविश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि यह श्रद्धालुओं से अधिक पैसे ऐंठ सके। चर्च तक के जगह यह सब पुर्नजागरण के आने साथ बदल रहा था। पुनर्जागरण की नई भावना में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। क्या आपको पता है कि यह 1517 ई. में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी उसके अनुसार, बाइबिल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था। उनका मानना था कि चर्च पर अंध विश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष-प्राप्त किया जा सकता है।

उसने चर्च की कुछ प्रथाओं का विरोध किया जैसे कि सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को चर्च के पदों का तथा पोप स्वीकारोकित पत्रों का बेचा जाना। लूथर को जर्मनी के राजकुमारों का संरक्षण प्राप्त था क्योंकि उसमें चर्च की संपति जब्त करने की इच्छा थी। परंतु उसके चर्च के विरूद्ध लेख लिखने से मना करने पर, 3 जनवरी 1521 को पोप लियो दसवे ने उसे धर्म से बाहर कर दिया।

चित्र 3.2 मार्टिन लूथर

लूथर के विचारों ने पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरूआत की और ईसाई जगत को दो भागों में बांट दिया, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। उसके अनुसार ईसाईयों को मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने से मिलती न कि पोप स्वीकारोक्ति पत्र खरीदने से। हालांकि इग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचारों से प्रभावित था परन्तु यह वहां के राजा हेनरी आठवें

के अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने के प्रयासों से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थामस कार्नवेल ने संसद में दो कानून पारित करने में मदद की-ये थे अपीलों को रोकने का अधिनियम तथा संप्रभुता का कानून। इन कानूनो ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान कर दी। राजा को एक साधारण महिला अन बोलिन से विवाह करने की अनुमति मिल गई

धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने का कारण सिद्ध हुआ। कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने से शुरू हुआ जिसे प्रति-धर्म सुधार कहा जाता है। इसका उद्‌देश्य भ्रष्टाचार को कम करने और कैथोलिक चर्च को सुधारना और सुदृढ़ करना था। इसकी शुरूआत स्पेन में हुई जहां इग्नेशियस लॉयल ने ‘यीशु का समाज’ की स्थापना की, जिसने पवित्रता, मिशनरी कार्य, दूसरों की मदद और ईश्वर की सेवा पर बल दिया। जो आँदोलन मार्टिन लूथर ने आरम्भ किया वह इंग्लैंड के राजा हेनरी आठवें, हुल डरिक जिंवग्ली और जॉन काल्विन के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया।

पाठगत प्रश्न 3.1

1. रिक्त स्थान भरें
   (क) .... ने मानव की सृजनात्मक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए।
   (ख) इग्नेशियस लॉयल ने .... की स्थापना की।
2. सामंतवाद की परिभाषा दें तथा इनके कम से कम दो लक्षण बताएं।
3. रिनेसां (पुनर्जागरण) के मुख्य विचार क्या थे?
4. मार्टिन लूथर की दो शिक्षाएं बताएं जिनसे चर्च में सुधार प्रभावित हुए।

3.4 विज्ञान विकास

पुनर्जागरण के दौरान, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों की गई थी। हमने पहले से ही पढ़ा है कि पुर्नजागरण के विचारकों ने अंधविश्वास के कारणों पर अधिक जोर दिया और समझा कि ज्ञान अवलोकन और प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने परंपराओं और मान्यताओं तथा अंधविश्वास को अस्वीकार कर दिया। इससे वैज्ञानिक जांच की शुरूआत हुई जिसे लोग भुला चुके थे। पुनर्जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति आ गई।

लियोनार्डो दा विंसी जैसे कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान और प्रकृति को विज्ञान और कला के एक अनूठे मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। माइकल सेरवाटस, एक स्पेनिश चिकित्सक ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। विलियम हार्वे, एक अंग्रेज ने हृदय द्वारा रक्त को शुद्ध करने और नसों के माध्यम से इसके परिसंचरण को समझाया। ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी शुरूआत हुई पुनर्जागरण ने वैज्ञानिकों द्वारा किए प्रयासों अवलोकन और प्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

विज्ञान में पुनर्जागरण की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हुई। क्या आपने कोपर्निकस केप्लर और गैलिलियों के बारे में सुना है? वे महान खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने सिद्ध

किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। पुनर्जागरण से पहले, यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक कक्षीय गति में चुंबकीय आकर्षण है। आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरूत्व का सिद्धांत दिया। अपने द्वारा बनाई दूरबीन से गैलीलियो ने बृहस्पति के चन्द्रमाओं की खोज की, शनि के छल्ले और सूर्य को देखा। उसने कोर्पार्निकस की खोजों की पुष्टि की। पुनर्जागरण ने अन्य क्षेत्रों और अन्य लोगों के बारे में गोरों के मन में एक जिज्ञासा का विकास किया। अब हम पता करेंगे कि यह कैसे हुआ।

3.5 नई भूमि की खोज

जांच की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया नये व्यापार मार्गों की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। यह कहा जाता है कि भागवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजो कां मुख्य उद्देश्य थे। लेकिन सोना या आर्थिक जरूरत का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था। भौगोलिक खोजों से पहले, यूरोपीय दुनिया पूर्व से मसाले कपास, जवाहरात, रेशम, आदि वस्तुएं मंगाते थे जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी। और यह सुविधा जनक नहीं था। ये अनिश्चितताओं से भरा था। पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसमें व्यापार की क्षमता थी। खोजकर्ताओं का एक और मकसद था जो था नए क्षेत्रों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना यह उनके लिए भगवान की सेवा का एक मौका बन गया। इसके अलावा साहसी लोगों ने नई भूमि की खोज के द्वारा प्रसिद्धि मिली। कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध हो गए। आपने वास्को दा गामा द्वारा भारत की और कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना है। क्या आप जानते हैं फर्डिनांड मैगलन पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाने के अभियान का नेतृत्व किया। वारथोलोमव डियाज एक और प्रसिद्ध अन्वेषक था।

तुम्हें क्यों लगता है कि महान रोमांची यात्रा राजा और अमीर लोगों द्वारा प्रायोजित की गई थी? व्यापार और औपनिवेशीकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को प्रायोजित करता था पुर्तगाली था। वह था राजा हेनरी जो हेनरी नेविग्रटर के रूप में भी जाना जाता है। इन खोजों के लिए तकनीकी आधार कम्पास, वेधयंत्रकी, खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने के कला के आविष्कार से हुआ। इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे- अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारिक चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अब वाणिज्यिक रूचि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर से स्थानांतरित हो गई। कई नई वस्तुएं जैसे तम्बाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग पंख, आलू, आदि व्यापार में शामिल की गई। इसने अमानवीय दास व्यापार की शुरूआत की। गुलाम अफ्रीका से पकड़ कर अटलांटिक महासागर के पार और उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम करने के लिए बेचे जाते थे। इन व्यापार पद्धतियों और नई समुद्री मार्गों

चित्र 3.3 : वास्को दा गामा

की खोज ने यूरोपीय व्यापारियों को विशाल धन जमा करने के लिए और नई मशीनों के विकास में निवेश के लिए मदद दी। यह औद्योगिक क्रांति थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और अमीर बना दिया।

क्रियाकलाप 3.2

दुनिया के मानचित्र पर वास्को दा गामा, फर्डिनांड मेगलन और क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजे नए समूद्री मार्गो को अंकित करे।

3.6 औद्योगिक क्रांति

औद्योगिक क्रांति 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा किया था और उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बाजार के रूप में देख जाते थे। इसके अलावा, इंग्लेंड में कोयला और लोहा उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक संसाध्नों की विशाल राशि थी। इस प्राकर, पूंजीपतियों के लिए नई मशीनों के विकास में निवेश करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन को गति मिली।अब मशीनों ने मनुष्य और पशुओं को उत्पादन के कार्य से हटा दिया। नई मशीनरी से उत्पादन में सुधार हुआ। पर इसने समाज को दो भागों में बांट दिया। पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग और मजदूर। आप अगले पाठ में ओद्योगिक क्रांति के बारे में और अधिक पढ़ेंगे।

पाठगत प्रश्न 3.2

1. सही उत्तर चुनें :
   (क) किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की?
   (अ) बारथोलोमेव डियाज (ब) वास्को दा गामा
   (स) कोलम्बस (द) इनमें से कोई नहीं
   (ख) इनमें से क्या खोज की यात्राओं के परिणाम नहीं था?
   (अ) एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना।
   (ब) यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार।
   (स) उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि।
   (द) गुलाम व्यापार की शुरूआत।
2. विज्ञान के क्षेत्र में पुर्नजागरण के कम से कम दो योगदान बताएं।
3. कम से कम तीन आविष्कार बताएं जिनसे नए समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपीयों को मदद मिली।
4. औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचानें।

3.7 क्रांतियों का युग

1848 ई. में यूरोपीय क्रांतियों से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। राजनीतिक नेतृत्व और लोगों में एक बहुत मजबूत असंतोष ने राज्यों के मामलों में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया। राजनीतिक जागरूकता, स्वतंत्रता के विचार, समानता और भाईचारा, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय हो गया जो क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण थे। क्रांतियाँ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस में हुई। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के साथ एक प्रमुख बदलाव आया। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी युद्ध और रूस मजदूरों के आंदोलन से एक समाजवादी सरकार की स्थापना के रूप में उभरा। इन कई राज्यों ने प्रबुद्ध विचारों को प्रोत्साहित किया आज़ादी और राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। अब हम इन क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे।

3.7.1 गौरवपूर्ण क्रांति

1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई और अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी। इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्योंकि बिना खून-बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई थी स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपने देशवासियों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया था। यह उसके अपने लोगों के प्रति कठोर, रवैया के कारण हुआ था। एक महंगी स्थायी सेना का निर्माण और सरकार में रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि, सेना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को गुस्सा दियाला। नाराज संसद राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाना चाहते थे और उसकी बेटी मैरी द्वितीय को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। इससे पता चलता है कि निरंकुश शासन को बदल दिया गया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। संसद को सम्राट को बदलने की शक्ति थी।

3.7.2 आजादी के लिए अमेरिकी युद्ध

यह जानना दिलचस्प होगा कि कुछ राजनैतिक अधिकार हैं जो हमें आज मिलते हैं वो दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियों की देन है जो 18वीं सदी के अन्त में हुई। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक विश्व के निर्माण में। ये हैं अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इन क्रांतियों के माध्यम से, लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लडना शुरू किया।

16 वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। उनमें से कुछ आर्थिक अवसरों से आकर्षित थे। उनमें 13 उपनिवेश थे जो स्थानीय विधानसभाओं द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा करते थे। वाणिकवाद की ब्रिटिश आर्थिक नीति लागू थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने हित में औपनिवेशिक वाणिज्य को विनियमित करने की कोशिश करते थे और उपनिवेशों को उद्योग स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी और उन्हें लोहा कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे। वे केवल इंग्लैंड द्वारा निर्धारित कीमतों पर चीनी, तम्बाकू, कपास, आदि का निर्यात करते थे। जिसने ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को विरोध लिए उकसाया

18वीं सदी तक, फ्रांस के साथ और भारत में युद्ध इग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो गए। इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी और उसे अमेरिकी उपनिवेशों से करों के द्वारा पूरा किया जाता था। 1765 में, ब्रिटिश संसद ने सरकारी दस्तावेजों कर्म बधक समाचार पत्रों

और पर्चे की तरह सभी व्यापार लेनदेन पर स्टाम्प अधिनियम परित कर दिया। राजस्व को अमेरिका में 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिनियमों का उपनिवेशकों द्वारा विरोध किया गया। दंगों ने औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह कर दिया। औपनिवेशिक विधानसभाओं ने स्टाम्प अधिनियम के खिलाफ संकल्प पारित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टाम्प अधिनियम को निरस्त कर दिया। हालांकि, संसद ने चाय पर कर जारी रखा। 16 दिसम्बर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन जहाजों पर से चाय को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को वोस्टन की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। संसद ने बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया लेकिन अमेरिका की आजादी के लिए युद्ध की शुरूआत हो गई थी।

13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस की बैठक बुलाई और इंग्लैंड के राजा से अपील की, कि उनकी सहमति के बिना करों को लागू नहीं करें। राजा ने इसे विद्रोह माना और युद्ध की घोषणा कर दी। लड़ाई के अंत में 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता और एक सहकारी संघ के गहन की घोषणा कर दी। इसमें समानता पर जोर देने के साथ पूरी दुनिया को जीवन, स्वतन्त्रता और खुशी से रहने लिए प्रेरित किया। विधेयक ने भाषण, प्रेस, धर्म और कानून के तहत न्याय की स्वतंत्रता प्रदान की। अमेरिकी क्रांति एक संघर्ष था जिससे तेरह अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजादी मिली और एक राष्ट्र को जन्म दिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है।

क्रियाकलाप 3.3

कल्पना किजिए कि आप एक अखबार के रिपोर्टर हैं जो बोस्टन चाय पार्टी को एक गवाह थे। आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, अमेरिकियों जिन्होंने इसमें भाग लिया और मुसाफिरों का साक्षात्कार करने का कार्य किया। इस कहानी पर अखबार के लेख लिखे। इसके अलावा, क्या होना चाहिए था के बारे में अपनी राय दें।

3.7.3 फ्रांसीसी क्रांति

18 वीं सदी में फ्रांसीसी समाज अभी भी पूरी तरह सम्राट के पूर्ण अधिकार के साथ सामंती था। यह तीन वर्गो या सम्पदा में विभाजित किया गया था। पादरी या चर्च, पहला इस्टेट, कुलीन वर्ग या दूसरा एस्टेट। पहले दो एस्टेट विलासिता और धर्म पर कई विशेषाधिकारों और देश के शासन का आनंद लेते थे। किसान आम लोग, शहर के श्रमिकों और मध्यम वर्ग के रूप में आम आदमी तीसरी एस्टेट में थे और भारी करों के बोझ तले दबे थे।

फ्रांस की आंतरिक हालतों ने क्रांति के लिए एक आदर्श मंच बनाया है। लुईस सोलवे और उनकी पत्नी के जो कि शौली के कारण सरकारी खजाना खाली हो गया और राष्ट्र दिवालिया हो गया। लुईस को तीनों एस्टेट की 1789 में एक बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया गया। वह नए कर कानून के लिए मंजूरी हासिल करना चाहता था। तीसरे एस्टेट ने विशेषाधिकार कराधन उन्मूलन में समानता की मांग की। उन्होंने अपने लिए एक राष्ट्रीय असेंबली बनाने की घोषणा की और सारे अधिकार सम्राट से ले लिए। एक ऐतिहासिक फ्रेंच दस्तावेज, आदमी और नागरिक अधिकार

की घोषणा को अपनाया गया। यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से प्रभावित था, सभी पुरूषों की समानता, लोगों संप्रभुता और स्वतंत्रता के अधिकार संपति, सुरक्षा, सही शिक्षा पर जोर देते हुए, मुक्त भाषण को अपनाया सभी गरीबों की सार्वजनिक सहायता, प्रतिबंध, यातना और गुलामी से मुक्ति को अपनी सरकार चुनने की मान्यता और सार्वजनिक कार्यालयों में रोजगार के लिए सभी नागरिकों को समानता दी गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों और नेपालियान के युद्धों से जो 1789 से शुरू हुए और 15 वर्षों तक चले फ्रंसीसी गणराज्य का गठन किया। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप की मध्ययुगीन संरचनाओं का अंत किया और उदारवाद और राष्ट्रवाद के नए विचारों से फ्रांस में एक पूर्ण परिवर्तन, प्रशासन, सेना, समाज, और संस्कृति में परिवर्तन हुआ। फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के तहत एक गणतंत्र बन गया फ्रांसीसी क्रांति एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्वतंत्रता, भाईचारा समानता थे। क्रांतिकारियों कई प्रबुद्धता विचारकों वॉल्टेअर, मॉनटेस्क्यू और रोसियो जैसे दार्शनिकों के विचार से प्रेरित थे।

आजादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया। अमेरिका से राष्ट्रवाद के विचारों ने फ्रांस, ब्रिट्रेन और इटली को प्रभावित किया परिणाम में 1861 की इटली ने एकीकृत राज्य के लिए क्रांति की।

क्रियाकलाप 3.4

नीचे दिए गए फ्रांस और अमेरिका के झंडे हैं। आपको क्या लगता है कि इन झंडों ने फ्रांसीसी क्रांति और आजादी के अमेरिकी युद्ध में क्या भूमिका निभाई? अलग रंग क्या दर्शाते हैं। क्या आपको पता है, भारतीय ध्वज ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी ही भूमिका निभाई थी?

अमेरिकी नक्शे में सितारों की संख्या की गिनती करें। तुम्हें क्या लगता है यह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अमेरिका के वर्तमान समय के ध्वज पर सितारों की संख्या की गिनती करें।

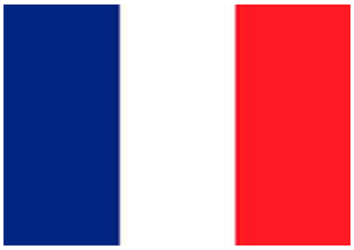

चित्र 3.4 फ्रांसिसी क्रांति के दौरान फ्रान्स का ध्वज

चित्र 3.5 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज

3.7.4 इटली का एकीकरण

18 वीं सदी में, इटली कई राज्यों का एक समूह था प्रत्येक का अपना स्वंय का सम्राट और परंपरा थी। उनमें से कुछ थे वेनेतिया, दो सिसिलाइस, पापल राज्य, सार्डिनिया, तसकनी आदि। मध्य युग के दौरान पोप की दोनों, धार्मिक और राजनितिक मामलों में प्रभाव में वृद्धि हुई। पोप का कुछ राज्यों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था जिन्हें पापल के राज्य कहते थे। जल्दी ही इटली ने अपने महत्व में वृद्धि करना शुरू कर दिया। पोप के राज्य राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का केंद्र बन गए। पुनर्जागरण के दौरान, इटली का महत्व अन्य राज्यों से जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं बढ़ गया कई सालों तक फ्रांस और पवित्र रोमन साम्राज्य ने इटली के लिए युद्ध लड़े। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के राजाओं ने खतरे को भांप कर युरोपी देशों से रिश्ते बनाए जो फ्रांस के विरोधी थे। बाद में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, गुप्त क्लब का पूरे इटली भर में गठन किया गया। 1796 से 1814 तक जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्तियों से हार गया। तो कई इतालिवयों ने एक ऐसे संयुक्त इटली की संभावनाएं देखी जो विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो।

मज्जिनी और गैरीबलदी ने गुप्त समाजों के साथ साथ कई क्रांतिकारी इतालवियों ने एक स्वतंत्र एकीकृत गणराज्य के विचार के प्रसार को जारी रखा। 1849 के बाद से, पाईडमोन्ट सरडिनिया जिसका राजा विक्टर एम्मनुऐल था ने एकीकरण में एक सक्रिय भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में केबोर, जो प्रधानमंत्री था ने अस्ध्रिया से लोम्बार्डी तुस्केनी, मोडेना आदि को मुक्त करवाया। गैरीबाल्डी ने विद्रोह का नेतृत्व सिसिली और नेपल्स में किया उसने दो राज्यों का प्रभार एम्मनुऐल को सोप दिया उसे इटली का राजा बना दिया। बाद में, रोम और वेनतिया इतालवी राज्यों के संघ में शामिल हो गए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1815 में वियना की कांग्रेस के साथ शुरू हुई और फ्रांसीसी प्रशिया युद्ध के साथ 1871 में समाप्त हुई।

3.7.5 जर्मनी का एकीकरण

1815 में नेपोलियन की हार के बाद, कई जर्मन एक स्वतंत्र जर्मनी चाहते थे। जर्मनी 39 छोटे राज्यों का संघ था और ऑस्ट्रिया और प्राशिया के नेतृत्व में था। ये राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे, प्रशिया को राजा, कैसर विलियम प्रथम प्रधानमंत्री विस्माक को प्रशिया के शासन के अधीन जर्मनी को एकजुट, करना चाहता था और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरी तरह से बाहर रखना चाहता था बिस्मार्क निडर था और उसे जर्मनी के एकीकरण की तत्काल आवश्यकता में विश्वास था यह उसने सेना के आधुनिकीकरण के साथ शुरू किया, उसने खून और आयरन की नीति के लिए जाना जाने लगा और उसने लौह चासंलर की उपनाम अर्जित किया।

चित्र 3.4 : ओटो वोन बिस्मार्क

सेना में सुधार के साथ, बिस्मार्क ने स्वेलिबिग होलस्टेन की जर्मन आबादी को उसके डेनमार्क शासक के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1864 में, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के खिलाफ हाथ मिलाया। विस्मार्क का अगला लक्ष्य था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को पराजित कर उत्तर जर्मन कॉन्फेडरेशन का गठन किया। बिस्मार्क ने इटली को वेनिस के प्रान्त का वादा किया और उसे युद्ध से बाहर रखा। ऑस्ट्रिया का इटली से नियंत्रण खत्म कर दिया उसने फ्रांस के नेपोलियन तृतीया को क्षेत्रीय मुआवजा देने का वादा किया और उसे युद्ध के बाहर रखा। उसे पहले से ही रूसी नियंत्रित पोलैंड में विद्रोह दबाने के बदले रूस का समर्थन हासिल था।

प्रशिया के जर्मनी में प्रभुत्व के लिए अब केवल दो बाधा थी, दक्षिणी जर्मनी के चार छोटे जर्मन राज्य और फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की अस्वीकृति। लेकिन दोनों देशों के बीच असहमति ने फ्रांस को प्रशिया से युद्ध के लिए उकसाया। फ्रांको-प्रशिया युद्ध काफी छोटा था। प्रशिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण किया और हराया। नेपोलियन को सिंहासन त्यागने और फ्रांस के अलसास और लौरेन देने के लिए मजबूर किया गया। शेष जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया को छोड़कर कब्जा कर लिया, और वे जर्मनी के साथ शामिल हो गए। जर्मनी का एकीकरण कैसर विलियम के द्वारा पूरा किया गया। जल्द ही जर्मनी यूरोप में अग्रणी बन गया और उसने अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाया दुनिया में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के लिए यह एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में उभरा।

3.7.6 समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति

औद्योगिक क्रांति ने एक असमान समाज की स्थापना की। एक ओर गरीब, शोषित और बिना किसी अधिकार के लोग थे, और दूसरे तरफ पूंजीपतियों सभी विशेषाधिकारों का अनंद उठाते थे। इसी समय कुछ लोगों सोचना शुरू किया कि समाज में सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में समानता होनी चाहिए। समानता, भाषण की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों ने इस सबंध में प्रोत्साहन दिया। समाजवाद के विचार जो समान समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। समाजवाद के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा दिए गये। अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, मार्क्स ने कहा सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। पूँजीपति श्रमिकों के वर्ग संघर्ष करने की कोशिश करते है। उसने भविष्यवाणी की कि वर्ग संघर्ष पूंजीवाद के अंत के साथ सफल हो सकता है और वह समाजवाद के आने से होगा।

इसका पहला व्यावहारिक उदाहरण रूसी क्रांति है जिससे दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा था और एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। जार एक निरंकुश और दमनकारी शासक था, इसलिए मजदूरों और किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। 1905 की क्रांति ने ड्यूमा के गठन के साथ एक संवैधानिक राजशाही के गठन का नेतृत्व किया। 1905 की क्रांति के बाद भी नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित था और इसलिए अशांति जारी रही।

1917 में, रूस में एक और क्रांति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह रूसी मजदूरों और किसानों और रूस में रहने वाले गैर रूसी लोगों की हालत जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के अधीन बुरी थी। वे काफी दुखी थे। अमानवीय काम की परिस्थितियों और करों की विशाल राशि के साथ साथ उनका शोषण किया जा रहा था इसलिए लोग उसके खिलाफ उठे। लोगों को किसी राजनीतिक अधिकारों की मनाही थी। और रूस ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रवेश कर लिया था। लेकिन ऐसा करना अनुचित था रूसी सैनिकों हजारों की संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। वे बीमार थे और बिना गर्म वर्दी या हथियारों से लैस थे साइबेरिया की ठंडे रेगिस्तान में लड़ने के लिए। कई कुशल श्रमिकों को सेना में भर्ती किया गया। और उनको मौत के लिए युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। कुलीन वर्ग भी जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश तरीके के कारण असंतुष्ट थे। अकाल से देश में स्थिति बिगड़ गई। श्रमिकों ने अदालतों, जेलों और कार्यालय परिसर पर हमला किया। समाज के सभी वर्गों के बीच व्यापक असंतोष था। सेना में गोला बारूद का अभाव था। शहरों में भोजन का अभाव था जबकि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल रहे थे। इस सरकार ने मुद्रास्फीति के कारक रूबल नोटो को लाखों में छापा। स्थिति जार के हाथ से फिसल गई।

चित्र 3.7 : 18 जून 1917 पैट्रोग्राद में लोगों द्वारा प्रदर्शन

यह स्थिति मार्कस और टॉल्स्टॉय के लेखनों से और बिगड़ गई इसने लोगों विशेष रूप से श्रमिकों को प्रभावित किया, और उनकी राजनीतिक जागृति के लिए कारण बने। सोवियत संघ की श्रमिकों की परिषद के गहन को फरवरी 1917 में जार द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। और एक अस्थायी सरकार मैनशेविक रूसी साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण के तहत स्थापित की गई लेकिन सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने में विफल रही है। एक अन्य पार्टी बोल्शेविक ने लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत संघ का आयोजन किया और अक्टूबर 1917 में सरकार की जगह ले ली। यह अक्टूबर

क्रांति रूसी क्रांति का अंतिम चरण था, इसने जार के शासन को समाप्त कर दिया और सोवियत संघ का गठन हुआ जिसने एक नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किया।

अगले पाठ में आप औद्योगीकरण साम्राज्यवाद, और विश्व युद्धों के बारे में अधिक पढ़ेंगे। आप समझेंगे की कैसे औद्योगिक क्रांति ने दुनिया का चेहरा बदल दिया और लोगों के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। आप दुनिया के गैर औद्योगिक देशों और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेगे जिससे विश्व को भयानक युद्धों का सामना करना पड़े।

पाठगत प्रश्न 3.3

1. सही जवाब चुनें :

   क) अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था?

      अ) 13 ब) 14 स) 15 द) 16

   ख) फ्रांस के तीसरे एस्टेट में शामिल थे

      अ) अभिजात ब) पादरी स) आम लोग द) राजशाही

   ग) जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया

      अ) कैवर ब) मैजिनी स) विस्मार्क द) गैरीबाल्डी

2. "1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी"। 30 शब्दों में सिद्ध कीजिए।
3. आजादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति के बीच कम से कम दो समानताएं लिखिए।
4. रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी। संक्षेप में व्याख्या करें।

आपने क्या सीखा

- मध्यकाल में सामंती क्रम टूटने के परिणामस्वरूप कस्बों शहरों, वाणिज्यक कृषि और व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति हुई।
- पुनर्जागरण या पुनर्जन्म यूरोप में 14 वीं के मध्य के आसपास शास्त्रीय ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक नए सिरे से रूचि के साथ शुरू हुआ। इसने लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव किया।
- मानवतावाद के विचार ने मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता पर जोर दिया और मनुष्य मानवतावादियों के अध्ययन का विषय बन गया।

- धर्म सुधार चर्च की प्रथाओं पर सवाल का एक प्रयास था। यह जर्मनी में मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया। शीघ्र ही यह कैथोलिक और प्रोटेसेंट में ईसाई दुनिया के विभाजन का कारण बना।
- पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था समझदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विज्ञान का विकास। कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है।
- पुनर्जागरण अन्वेषण की और भूमि की खोज की चाहने यात्राओं को नेतृत्व प्रदान किया इन यात्राओं का दुनिया के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव पड़ा।
- औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास से इंग्लैंड में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति के आने से औद्योगिक उत्पादन की दर में कई गुना वृद्धि हुई इसने औद्योगिक श्रमिक सर्वहारा वर्ग बनया जिसका बुरी तरह से पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था।
- 1776 की अमेरिकी क्रांति ने समानता और स्वतंत्रता के अपने विचारों और लोगों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया को प्रेरित किया।
- फ्रांसीसी क्रांति मोनटेस्क्यू और वाल्टेअर जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित थी। इसका स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों के साथ आधुनिक दुनिया पर एक गहरा प्रभाव पड़ा।
- राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि ने जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- नए उद्योग कामकाजी वर्ग की समस्याओं और चिंताओं समाजवाद को जन्म दिया। रूस की क्रांति विकास ऐसी चेतना का एक परिणाम थी और इसी ने दुनिया में पहली समाजवादी में सरकार स्थापना की।

पाठांत प्रश्न

1. शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्‌भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया?
2. आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को प्रभावित किया? लगभग 100 शब्दों में लिखें।
3. धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया पर प्रभावित किया।
4. नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदलता है।
5. अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचारों को लिखें।
6. फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला?
7. जर्मन और इतालीव नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई एकीकरण की रणनीतियों पर चर्चा करें।
8. औद्योगिक श्रमिकों की उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया।

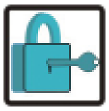

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

1. क) पुनर्जागरण के विद्वान

   ख) सोसाइटी ऑफ जीसस

2. ''सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले में लार्ड के द्वारा भूमि और संरक्षण दिया जाता था'' इसके दो लक्षण थे।

   क) कामगार अपने लार्ड के लिए कार्य करते और युद्ध लड़ते।

   ख) राजा सबसे शक्तिशाली सामंती प्रमुख था।

3. मानवतावाद बुद्धिवाद, और जांच की भावना।

4. क) मार्टिन लूथर ने यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से मुक्ति के लिए वकालत की न कि चर्च पर अंधे विश्वास से।

   ख) बाइबिल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था।

3.2

1. क) (ब)

   ख) (स)

2. क) कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल

   ख) वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है।

3. कम्पास, एस्ट्रॉलैब, और नक्शा बनाने की कला।

4. समाज असमान बन गया और इसने लोगों को दो समूहों में विभाजित किया पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग और कार्यकर्ता या सर्वहारा वर्ग।

3.3

1. क) (अ), 13

   ख) आम लोग

   ग) (स) बिस्मार्क

2. गौरवपूर्ण क्रांति दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी इसने यह साबित कर दिया क्योंकि संसद जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन को बदलने में सक्षम हुई बिना खून बहाए। इसने सरकार को संवैधानिक, रूप दिया।

3. क) दोनों क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया और शोषण के खिलाफ बात की।

   ख) दोनों ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया।

4. समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स के लेखन के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। इसने एक समान समाज को जन्म देने और राज्य के हाथ में उत्पादन के साधनों के स्वमित्व के नियंत्रण की वकालत की। इसने लोगों को प्रभावित किया ओर विशेष रूप से श्रमिकों को और रूसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

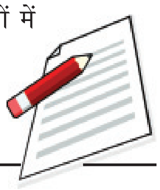

4

आधुनिक विश्व – II

पिछले पाठ में, आपने पुनर्जागरण के दौरान विकास के बारे में पढ़ा। जिससे यूरोपीय समाज में कई परिवर्तन हुए। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की गईं। लोगों ने अंधविश्वास और परंपराओं को समाप्त कर दिया और अवलोकन और प्रयोगों पर अधिक जोर दिया। मुद्रण प्रेस के आने से बंधुत्व, समानता स्वतंत्रता इत्यादि जैसे मूल्य और विचारों में राजनीतिक जागरूकता आई। राजनीतिक स्थिति ने यूरोप में विश्व के बहुत से देशों के लिए नए समुद्रीमार्ग खोजने के जोखिम उठाने की स्थिति पैदा की। मिशनरियों ने ईसाई धर्म के नए क्षेत्रों में फैलाने का साहासिक कार्य किया और व्यापारी वस्तुओं को लेने के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। इंगलैण्ड में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के लिए यह सही समय था जिनसे औद्योगिक क्रांति हुई तथा विशेषरूप से कामगार वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब हमें एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रभावों के बारे में पढ़ना है। साथ ही इस अध्याय में दो विश्व युद्धों और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के विषय में पढ़ना है। दोनों विश्व युद्धों और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे।

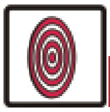

उद्‌देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सक्षम हों जायेगे :

- औद्योगिक क्रांति का वर्णन;
- औद्योगिक क्रांति के द्वारा आये प्रौद्योगिकीय और नवीन परिवर्तनों पर चर्चा;
- औद्योगिक क्रांति के समाज पर प्रभाव का आकलन;
- उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की पहचान;
- एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा;
- उन घटनाओं की चिन्हित करें जिनसे दो विश्वयुद्ध हुए;
- संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्‌देश्यों की सूची।

4.1 औद्योगिक क्रांति

18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यह बदलाव एक स्थायी कृषि और व्यापारिक समाज के आधुनिक औद्योगिक समाज बनने को चिंहित करता है। ऐतिहासिक तौर पर 1750 से 1850 की अवधि ब्रिटेन के इतिहास के संदर्भ में है। सामाजिक और आर्थिक संचे में आये नाटकीय परिवर्तनों से इनका स्थन आविष्कार के रूप में जगह अविष्कारों और नई तकनीकी द्वारा मशीनों के तैयार बड़े-पैमाने के उत्पादन की फैक्टरी व्यवस्था और वृहत आर्थिक विशिष्टता ने ले लिया। जो जनसंख्या पहले कृषि में कार्यरत थी अब शहरी कारखानों की ओर बढ़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? पहले के व्यापारी परिवारों को कच्चा माल देते और उनसे तैयार उत्पादन एकत्र करते थे। इस व्यवस्था से बाजार की बढ़ती मांगों को लम्बे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए 8वीं सदी के अंत तक, अमीर व्यापारियों के द्वारा कारखानों की स्थापना की गई। उन्होंने नई मशीनें लगाई, कच्चा माल से और निश्चित वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों मशीनों में बनी वस्तुएं बनवाई। इस प्रकार कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ।

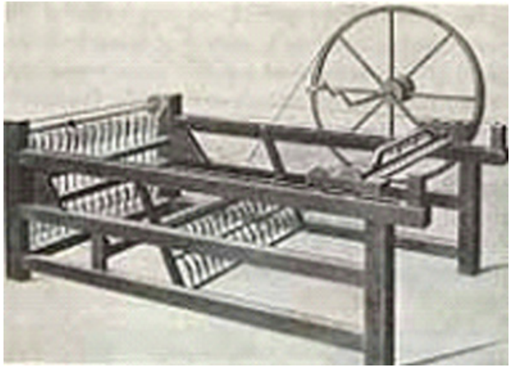

चित्र 4.1 शुरूआती स्पिनिंग मशीन

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के उपयोग से शुरू हुई। वह 1769 में जेम्स वाट के भाप इंजन के आविष्कार के बाद संभव हुआ। 1733 में जॉन केयस ने उड़ती तूरी का अविष्कार किया जिससे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और उत्पादन चार गुणा बढ़ा दिया। जेम्स हरग्रीवस ने एक हाथ संचालित चरखा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, इस स्पिनिंग जेनी (कताई चरखे) से एक बार में ही कई गुणा धागे बने लगे। कताई चरखा स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद, सती वस्त्र इस अवधि का प्रमुख उद्योग बन गया है। कोयले और लोहे की बड़ी मात्रा में उपस्थित ब्रिटेन के तेजी से औद्योगिक विकास में एक निर्णायक कारक साबित हुआ। नहरों और सड़कों के निर्माण, इसी तरह से रेल और जहाज के आगमन थे, निर्मित वस्तुओं के लिए बाजारों को फैलाया। पेट्रोल इंजन और बिजली के साथ विकास का नया काल आया। इनके पास वे सभी संसाधन थे जो उसे एक औद्योगिक शक्ति बना सकतेथे। औद्योगिक क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। 1850 से, क्रांति ब्रिटिश जिंदगी में एक प्रमुख कारक बनने उद्योगों के साथ पूरा किया गया था। 1830 के बाद में फ्रांस के बाद 1850 जर्मनी

और गृह युद्ध के अमेरिकी में बाद औद्योगीकरण शुरू हो गया। हम आगे पढ़ेगे कि कैसे औद्योगीकरण हासिल हुआ।

प्रमुख आविष्कार और सुधारों ने इंग्लैंड में कृषि को बढ़ावा दिया। महत्वपूर्ण परिवर्तनों नवाचारों जेथ्रो टुल बीज रोपण ड्रिल से बीजों के समान अंतराल और गहराई पर बिना बर्बाद किये बीज बोने में कृषि में अपनी जगह बना ली है। 1760 से 1830 के बीच, ब्रिटिश संसद ने लगभग 1000 संलग्नक अधिनियमों के द्वारा भूमि को जो पहले उस जिस समुदाय की थी उनको बड़े क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। हालांकि इन सब से लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन उसी समय इसने भूमिहीन लोगों की एक बड़ी संख्या प्रदान की। अब केवल कुछ ही लोगों की खेतों पर काम करने की जरूरत थी। इसलिए की एक बड़ी संख्या ने लोगों रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इसने कारखानों में काम करने के लिए सस्ते और अधिक मजदूर प्रदान किये।

इंग्लेंड में अनुकूल राजनतिक परिस्थितियों ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में मदद की। व्यापारिक प्रतिबंध हटाने जैसे औक्ट/अधिनियमों और सामूहिक बाजार व्यापारियों के लिए अनुदान था। इंग्लैंड मुख्य रूप से अपने परिवहन में विकास के कारण विदेशी बाजारों पर कब्जा करने में सक्षम था। कई यूरोपीय देशों ने अब वाणिज्यवाद की नीति का पालन शुरू कर दिया था। इस नीति के तहत उद्योगों और व्यापार में सरकारी नियंत्रण प्रयोग किया गया था। यह सिद्धांत है इस पर आधरित है कि राष्ट्रीय शक्ति अधिक निर्यात और कम आयात की ओर संकेत देता है। यह सिद्धांत इस पर भी विश्वास रखता है कि एक राष्ट्र की सम्पत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्भर करता है तथा सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।

वे क्या कारक थे जिन्होंने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति वाला पहला देश बनाना संभव किया? इंग्लैंड के अन्य देशों से अधिक भौगोलिक लाभ का भरपूर उपयोग किया। सुरक्षति स्थान के साथ-साथ यह द्वीप समुद्रतट के नजदीक है। परन्तु इसने यूरोप के अन्य देशों से अलग होकर निर्बाध प्रगति की है। जलमार्गों जैसे नहरों, नदियों और समुद्र ने इंग्लैंड को बिना कर और रुकावट के विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया। इन सभी लाभों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए उचित स्थिति तैयार की।

4.2 औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन

कई नवीन आविष्कार और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के इस अवधि के दौरान जगह ले ली। इसने औद्योगिक देशों को और अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने में मदद की। अब उत्पादन बड़ी मात्रा में, सस्ता और बहुत तेजी से किया जा सकता था। इन आविष्कारों का कपड़ा और परिवहन उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ा जिनके विषय में आप पढ़ने जा रहे है।

4.2.1 वस्त्र उद्योग

कपड़ा उद्योग में तकनीकी प्रगति ने लोहा और इस्पात उत्पादन में आविष्कारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। अन्य देशों ने इंग्लैंड के उस उदाहरण से प्रेरणा ली जिसमें इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं

की दुनिया के बाजार में बाढ़ आ गई। ब्रिटेन ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक कानून पारित किया जिसमें कपड़ा मजदूरों को दूसरे देशों की यात्रा करने और औद्योगिक तकनीकी की जानकारी बाहर न खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। परन्तु 1789 में, सैमुएल स्लेटर इंग्लैंड से बाहर निकल कर अमेरिका पहुंचा। वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गया जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। अमेरिका में कपास वृक्षारोपण के लिए विशाल क्षेत्रों को दासों की बढ़ती भाग के तहत लाया गया। फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति समान घटनाओं से शुरू हुई।

क्या आप जानते हैं कि आर्क राइट कारखाने प्रणाली का पिता कहा जाता था? उसने पहला कारखाना मुख्य रूप से घरेलू मशीनों से तैयार किया, जहां काम के घंटे तय थे और लोगों का वास्तव में अनुबंध के आधार पर रखा गया था। 1779 में, शमूएल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया जबकि एडमंड कार्टराईट ने पहले पानी संचालित करघे का आविष्कार किया।

क्रियाकलाप 4.1

अपने पड़ोस के किसी हथ-करघा केंद्र में जाए अथवा बुनकर परिवार से मिलें। वे किस प्रकार का कार्य करते हैं इस बारे में पता लगाओ। क्या वहां पर पुरुषों और महिलाओं में श्रम संबंधी भेद है। वे किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या वे बच्चों को काम पर रखते है अथवा उनके बच्चे उनके काम में सहायता करते हैं? अपने निष्कर्षों पर रिपोर्ट लिखो।

नवोन्मेत्र और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से निर्माण, परिइवहन और संचार उद्योगों तथा इनसे निकट संबंध रखने वाले रसायन, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम और स्टील उद्योगों में प्रगति की है। व्यापार मार्गों की खोज से न सिर्फ औद्योगिक क्रांति को बल मिला बल्कि इनसे कच्चे माल नए बाजारों और सस्ते कारीगरों हेतु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करने हेतु उपनिवेशों और साम्राज्यवादी ताकतों में प्रतिस्पर्धा हुई।

साम्राज्यवादी विस्तारों से सर्वोच्चता हेतु संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उपनिवेशों का शोषण किया गया। उनके परम्परागत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने अपने खुद के राष्ट्रों की स्थापना करने और विदेशी शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया।

4.2.2. भाप का इंजन

औद्योगिक क्रांति की एक और बड़ी उपलब्धि भाप की शक्ति विकास और प्रयोग था। पहले के उपकरणों का सुधार किया गया और मशीनों के विकसित रूप में उद्योगों की संख्या को बढ़ गया था। इसलिए उत्पादन के लिए अत्यध्कि शक्ति की जरूरत थी। 1705 में, थॉमस न्यूकॉमन कोयला खानों से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किया। 1761 में, जेम्स वाट डिजाइन ने न्यूकॉमन के इंजन के डिजाइन और दक्षता में चौगुना सुधार किया। उसने भाप और कारण

निर्वात गाढ़ा करने के लिए ठंडे पानी की एक जेट के साथ एक कक्ष की शुरूआत की। यह भी एक दूसरे से प्रोद्योगिकी के हस्तांतरण की अवधि थी। वाट ने जॉन विल्किनसन के ड्रिल के बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए अपने इंजन के लिए बड़े सिलेंडर बोर किया। भाप इंजन में जल्द ही पहले लोकोमोटिव कोयला इंजन की जगह ले ली। इससे रेलवे लाइनों की मांग में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी ने भाप इंजन को हल्का किया। जिससे अन्य उद्योगों इसकी मांग बढ़ी। अब नदियों या किसी भी झीलों के साथ कारखानों का लगाने की जरूरत नहीं थी।

4.2.3 कोयला और लौह

भाप इंजन ने कोयला और लोहे के साथ आधुनिक उद्योगों की नींव रखी। उनका यह मानना था कि जिन लोगों की मौत की इच्छा हो वही खान में काम कर सकते थे। कोयला क्षैतिज सुरंगों के साथ टोकरी में ले जाया गया था और फिर सीधा घसीट कर सतह तक लाया जाता था। खानों से कोयले का ढकेलना जानवर, आदमी, औरत और बच्चों ताकत पर पूरी तरह से निर्भर था। कोयला खानों में काम करने की स्थिति खतरनाक थी। दुर्भाग्य इस काम के लिए बच्चों को उनके छोटे आकार की वजह से पसंद किया जाता था।

भाप शक्ति के उपयोग में वृद्धि के कारण कोयले की मांग बढ़ने लगी। कोयला खानों में कई सुधार किए गए जैसे सुरंगों को हवादार बनाया गया, विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कोयला खनिक कई तरह के खतरों और स्वास्थ्य समस्याओं और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे।

लोहे उद्योग में इस समय के दौरान महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 1709 में, इब्राहीम डर्बी कोक के साथ ढलवां लोहे का उत्पादन किया। इससे पहले ढलवा लोहा लकड़ी के कोयला से प्राप्त किया जाता था जिससे कि तेजी से इंग्लैंड के जंगलों में लकड़ी की कमी हुई। 1784 में, हेनरी कर्ट जो एक आयरन मास्टर थे उन्होंने एक कम भंगुर लोहे के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। यह लोहे लवनहीज बुलाया गया था। यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक बहुत ही उपयोगी धातु साबित हुई। 1774 में, जॉन विल्किनसन ने एक डिलिंग मशीन का आविष्कार किया है जिससे सटीकता के साथ छेद किया जा सकता था। 1788 और 1806 के बीच, लोहे का उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है और लोहे का उपयोग कृषि मशीनरी, हार्डवेयर, जाहज निर्माण, आदि में फैल गया।

लोहा और कपड़ा उद्योग के विकास में यह आवश्यक था कि सस्ती वस्तुऐं और उनकी तेजी से ढुलाई के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं का आविष्कार किया जाये। घरेलू और विदेशी बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जल्द से जल्द करना आवश्यक था।

4.2.4. परिवहन और संचार के साधन

परिवहन और संचार के साधनों में सुधारने औद्योगिक क्रांति का बहुत प्रोत्साहित किया। कच्चे माल तैयार उत्पादों को, भोजन और लोगों को परिवहन की एक विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत थी। 1700 में पुल और सड़क निर्माण में सुधार शुरू में किए गए थे। वे उनके गंतव्यों परिवहनों से कच्चे और कारखानों में तैयार माल को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करते थे। 1814 में, जॉर्ज स्टीवेंसन पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया जो रेलवे ट्रैक पर चला। भाप

इंजन और रेलवे पटरियों से जल्दी इंग्लैंड में माल लाने ले जाने के लिए नहर परिवहन को समर्थन मिला। क्या आप जानते हैं कि डार्लिंगटन से स्टॉकटन के लिए पहली रेलवे लोकोमोटिव कर्षण का उपयोग करने के लिए और यात्रियों के रूप में माल ले जाने के रूप में अच्छी तरह से लाइन वर्ष 1825 में था?

मध्य 19वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी चालित जहाज की जगह भाप चालित ने जहाज ले लिया। इसके तुरंत बाद लोहा जहाज समुद्र के पार यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। यद्यपि औद्योगिक क्रांति के पहले चरण में भाप पर निर्भर करता है, तो दूसरे चरण में बिजली पर निर्भर था। क्या आप जानते हैं माइकल फैराडे ने पहली इलेक्ट्रिक मोटर की खोज करने का गौरव प्राप्त था? बिजली अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गयी और कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। परिवहन, व्यापारिक लेनदेन और संचार के तेजी से मतलब है, सैनिक इकाइयों, कालोनियों, देशों, और यहां तक कि आम लोगों के बीच तेजी संपर्क बढ़ना। टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया में कहीं भी तुरंत संवाद संभव बनाया है।

FIG. 55.—The "Rocket," 1829.

चित्र 4.2 : जार्ज स्टीफेंसन का स्टीम इंजन

4.3. औद्योगिक क्रांति के प्रभाव

औद्योगिक क्रांति ने शहरी जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित किया। जिसने एक शहरी समाज को जन्म दिया। श्रमिकों अब कार्यशालाओं या कारखानों के करीब रहते थे। जहां वे रोजगार के अवसर प्रदान मिलते थे। लेकिन कारखानों में काम करने की स्थिति दयनीय आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति के साथ दुखी थे। कारखाने के मालिकों सिर्फ एक ही मकसद था लाभ कमाने बनाने के लिए बनाया गया था। इसलिए वह श्रमिकों को लंबे समय तक के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करते कभी-कभी 12 से 14 घंटे। महिला और बच्चे को बहुत कम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। कारखानों में खराब हवादार, शोर, गंदा, नम और अंधेरे थे। क्या आपको लगता है कि लंबे समय के लिए इस स्थिति को जारी रखा जा

सकता था? धीरे-धीरे श्रमिकों ने अपनी ताकत का एहसास शुरू किया। ट्रेड यूनियनों ने दबाव बनाया। एक आंदोलन कारखाने प्रणाली के अन्याय से श्रमिकों को बचाने के लिए शुरू किया। कई कानून काम करने और रहने की स्थिति को सुधारने के लिए किए तैयार गए थे। इसके बारे में और अधिक आप अगले भाग में पढ़ोंगे।

क्रियाकलाप 4.2

अपने चारों ओर अपने परिवार में अथवा पड़ोस अथवा दुकान अथवा बाजार में देखो। क्या आपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखते हुए और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित देखा है? उन्हें शिक्षा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसको एक विचार दो और उनकी सहायता करने के तरीके ढूंढने की कोशिश करो।

उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत में कमी आई। मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया और उत्पादन की स्वदेशी प्रणाली समाप्त हो गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य कीमतों में कमी आई। फैक्ट्रियों और मशीनों के स्वामित्व से धन के नए स्रोतों का उद्गम हुआ। लोगों के इस नए समूह को पूंजीवादियों के रूप में जाना गया। इन्होंने अधिक आए वाले क्षेत्रों से आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पूंजी के वितरण हेतु बैंकिंग प्रणाली प्रारंभ की 1700 के प्रारंभ में सुनार, व्यापारी और विनिर्माताओं द्वारा पहला निजी बैंक खोला गया।

शीघ्र ही औद्योगिक क्रांति अन्य देशों में भी फैल गई। व्यापार मार्गों की खोज ने कच्चे माल, नए बाजारों और सस्ते कारीगरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करने हेतु निवेश और साम्राज्यवादी ताकतों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। इससने यूरोप के देशों प्रतिद्वंद्विता विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अनिवेशों की दौड़ प्रारंभ कर दी।

बाद में इस दौड़ में इटली, जर्मनी और अन्य देश भी शामिल हो गए। इन साम्राज्यवादी विस्तारों से सर्वोच्चता के लिए संघर्ष और दो विश्व युद्ध हुए जिनके बारे में आप इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। इन्होंने उपनिवेशों का शोषण किया और इनकी परंपरागत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां समाप्त कर दी। इन उपनिवेशों ने विदेशी शासनों का विरोध करना और अपने स्वतंत्रता हेतु लड़ाई प्रारंभ कर दी।

पाठगत प्रश्न 4.1

1. शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी। इस समस्या को हल करने के लिए दो समाधानों का सुझाव दीजिए।
2. क्या आप सहमत हैं कि औद्योगीकरण ने लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया है? अपने जवाब के समर्थन में दो कारण दीजिए।
3. परिवार प्रणाली में हुए दो परिवर्तनों की सूची लिखो जब लोगों को शहरों में ले जाया गया।
4. ब्रिटिश उद्योगों ने महिलाओं और बच्चों के रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया?

4.4 साम्राज्यवाद और उपनिवेशाद का उत्थान

आपने पिछले भाग में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा कि यह कैसे पश्चिमी देशों में फैली थी। 19वीं सदी की समाप्ति तक अधिकांश देशों में यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो गयी। इन देशों में कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक बाजार की निरंतर आपूर्ति की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने उन क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करना शुरू कर दिया जहां अभी औद्योगिकरण नहीं शुरू हुआ। पूंजिपतियों को अब अपनी अधिशेष पूंजी निवेश के लिए नये स्थानों और नए उद्योगों की आवश्यकता थी क्योंकि उनके अपने देश व उनके पड़ोसी इलाकों से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। या किसी दूसरे देश की राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण और शासन की विस्तार देने की इस प्रक्रिया को साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। यह सैन्य या अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। उपनिवेशवाद का अर्थ है कालोनियों पर कब्जा और उन्हें अपने विजय अधीन करना चाहे युद्ध द्वारा या अन्य किसी साधन से। कच्चे माल, बाजार और पूंजी के निवेश के लिए जो साम्राज्यवादी देशों के अपने देश से बाहर भूमि को जीत के लिए प्रेरित करने के लिए नए स्थानों की जरूरत थी। साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता सैन्य विजय, राजनीतिक शासन के माध्यम से एक साम्राज्यवादी राष्ट्र द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा कालोनियों के आर्थिक प्रभुत्व पर अधिकार कर ले। उपनिवेश से धन और संसाधन का साम्राज्यवादी देशों के लिए निष्काक्षन हुआ। कालोनियों के हित साम्राज्यवादी देश के हितों के अधीन थे। वह देश जो दूसरी भूमि के लिए युद्ध लड़ता वह देश साम्राज्यवादी देश कहलाता और जिस देश के लिए संघर्ष होता वह उपनिवेक्ष कहलाता था। 19वीं सदी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों के एक या अन्य यूरोपीय देशों के नियंत्रण में थे।

आप क्यों सोचते हैं कि इन औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका को अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए चुना था? यह था क्योंकि ये देश संसाधनों से समृद्ध थे लेकिन राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे। दुर्भाग्य से, वे बहुत दूर और दूरी पर थे। बिना अच्छे संचार साधन के, कोई भी देश उन से लाभ लेने में असक्षम होगा। साम्राज्यवाद का विकास परिवहन और संचार के विकास के साथ संभव था। अच्छी सड़कें, जहाजरानी, रेलवे और नहरे अपने देशों में और उपनिवेशों में औद्योगिक देशों द्वारा बनाया गया था। उपनिवेशों से वस्तुओं को लाना ले जाना इन देशों के लिए आसान बना दिया था। सैनिकों को भी आसानी से उपनिवेशों के लिए भेजा जा सकता था। टेलीग्राफ और टेलीफोन के विकास के साथ, संदेश आसानी से भेजे जा सकते थे। अब लगभग हर देश साम्राज्यवादी देशों की पहुंच के भीतर आ गये थे।

चरम राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विस्तार में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। प्रतिष्ठा, गौरव और महिमा के लिए, इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने दूसरों की भूमि पर विजय प्राप्त की। इस समय तक, यूरोपीय में नस्तीय श्रेष्ठता की भावना विकसित की थी। एशिया और अफ्रीका के लोगों को पिछड़े के रूप में माना जाता था। उनके मुताबिक, यह सफेद आदमी पर है कि वह पिछड़े लोगों को सभ्य बनाये। इन देशों की जीत इनमें ईसाई धर्म फैलाना और इनमें आत्मज्ञान लाना अपना कर्तव्य समझते थे। इस भावना ने इन भूमि की विजय के लिए एक नैतिक औचित्य प्रदान किया

यह मुश्किल नहीं था कि साहसी और खोजकर्ता के रूप में विजय भूमि के लिए गोरों के बीच एक इच्छा को उकसाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूरदराज क्षेत्रों में खोजी भूमि के धन और संसाधनों के विषय में मूल्यवान जानकारी का वे वापस आकर वर्णन करते थे। क्या आप क्रिस्टोफर कोलम्बस, वास्को दा गामा और फर्डिनांड मैगलन जैसे कई खोजकर्ता के पढ़े हुए नाम याद है?

4.4.1 अफ्रीका में साम्राज्यवाद

क्या आप जानते है कि एक समय था जब अफ्रीका को एक अंधकार महाद्वीप के रूप में जाना जाता था? बहुत कम जानकारी इस महाद्वीप के बारे में उपलब्ध थी। मिशनरियों और खोजकर्ता अंदरूनी भाग में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यहां इन्होंने हाथीदांत, सोना, हीरा, लकड़ी और उन लोगों की जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था। अफ्रीका की भी कमजोर राजनीतिक प्रणाली, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था और समाज के साथ-साथ कमजारे सेनाएं थीं। यूरोपीय देशों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ ही कच्चे माल और उनके विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार प्राप्त करने की। दूसरी और यूरोपीयों के पास तकनीकी रूप से उन्नत हथियार थे जिससे उन्हें अपने विजय अभियानों में मदद मिली। 1875 तक, अफ्रीका में यूरोपीय अधिपत्य तटों के पास व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों और कुछ छोटी बस्तियों तक सीमित था। लेकिन 1880 और 1910 के बीच, पूरे अफ्रीका का गोरों के बीच में विभाजित किया गया था। अफ्रीका और उसके लोगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लंदन, पेरिस, लिस्बन और अन्य यूरोपीय राजधानियों के सम्मेलनों की मेज पर अगले 50 वर्षों तक लिया गया।

? क्या आप जानते हैं

फ्रांस ने अफ्रीका के अधिकतम उपनिवेशों संख्या पर शासन किया, जबकि ब्रिटेन ने लोगों की बड़ी संख्या पर शासन?

फ्रांस ने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण किया। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, आइवरी कोस्ट, डहोमी पश्चिम अफ्रीका में माली और अन्य क्षेत्रों के फ्रांसीसी शासन के अधीन आये। ब्रिटेन ने गाम्बिया, सिएरा लियोन, गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया युगांडा, केन्या, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, सोमालीलैंड का कुछ हिस्सों और लीबिया पर शासन किया। जर्मनी के दक्षिण पश्चिम तनजानिया टोगोलैण्ड और कैमरून पर शासन किया। जब तक विश्व युद्ध में जर्मन न हारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के शुरू में केवल दो स्वतंत्र देशों अफ्रीका लाइबेरिया और इथियोपिया ही शेष बचे थे। लेकिन इथियोपिया इटली द्वारा 1935 में लिया गया था।

साम्राज्यवाद के बारे में एक दिलचस्प विशेषता अफ्रीका में गुलाम व्यापार था। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका से दास को आयात करके अमेरिका के अपने उपनिवेशों में बागानों पर काम करवाना

शुरू कर दिया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक नियमित रूप से गुलाम बाजार था। 1500 और 1800 के बीच लगभग 15 लाख अफ्रीकी कब्जे में लिये गये और दास के रूप में बेचे गये।

क्रियाकलाप 4.3

एक व्यक्ति के साथ उसके/उसकी रंग, वंश, वर्ग, जाति अथवा क्षेत्र के आधर पर भेद भाव और तिरस्कार किया जाता था। हमारे साथ इस तरह की भारत और विदेश दोनों में मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार की घटनाएं होती रहती थी। क्या आप समझते हैं जब हम ऐसे कार्यों में भाग लेते है तब हम संवेदनशीलता और परिपक्वता से कार्य कर रहे होते हैं? अन्य लोग कैसा महसूस करेंगे? बताएं इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठा सकते है।

4.4.2. एशिया में सम्राज्यवाद

अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिये थे। ब्रिटिश और फ्रांस जैसे समृद्ध देशों ने पुर्तगाल और हॉलैंड की तरह नहीं व्यापार नहीं किया। जिन्हें अंततः भारत से बाहर फेंक दिया गया। जल्द ही अंग्रेजी और फ्रेंच कंपनियों ने यहां बस्तियां बनायी। 1763 में, ब्रिटिश ने भारत से फ्रेंच प्रभाव कम किया और यहां अपने नियंत्रण की स्थापना की। अगले पाठ में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में और अधिक पढ़ सकते हो। जापान और चीन जैसे देशों ने अपने पारंपरिक तरीके में उनके विश्वास की वजह से पश्चिमी संस्कृति और जीवन के तरीके को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बक्सर विद्रोह और अफीम युद्ध ने औद्योगिक देशों को चीन में शामिल करने के शक्ति दे दी। धीरे-धीरे उन्होंने औद्योगीकरण और पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार किया। हम ने पढ़ा कि यह कैसे हुआ।

4.4.3 चीन

चीनी माल की यूरोपीय देशों में अधिक मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय सामान के लिए कोई मांग न थी। यह एक तरफा व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए लाभदायक नहीं था इसलिए उन्होंने चीन को अफीम की तस्करी शुरू करके चीनी युवाओं और चीनी माल के विनिमय को नष्ट कर दिया। इससे चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध में चीन आसानी से हार गया था और ब्रिटिश खुद के लिए कई रियायतें प्राप्त करने में सफल हुआ। वह चीन के सभी पांच बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खुलवाने में सफल रहे। चीनी सरकार विदेशी माल पर किसी भी तरह का टेरिफ लागू नहीं कर सकती थी। वे चीनी अदालतों में ब्रिटिश विषयों के खिलाफ किसी भी तरह का परीक्षण नहीं ले सकते थे। हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को सौंप दिया गया।

दूसरा अफीम युद्ध के ब्रिटिश ध्वज के अपमान के खिलाफ बदला और एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या के लिए लड़ा गया था। चीन दो यूरोपीय शक्तियों से हार गया था और अंतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार देने के लिए मजबूत किया गया था।

बक्सर विद्रोह ईसाई मिशनरियों और प्रभाव के क्षेत्रों में चीन के विभाजन के बाद चीन के शोषण के खिलाफ एक संगठित आतंक था। चीनी युवाओं को अपनी मुट्ठी के साथ विदेशी नागरिकों अत्याचार भी सहन करने पड़ रहे थे। उन्हें शाही अदालत के गुप्त समर्थन प्राप्त था।

4.4.4 जापान

1868 में शुरू हुए मीजी पुनसंस्थापन 'प्रबुद्ध नियम' ने जापान को एक बंद सामंती समाज से बदल कर पहले औद्योगिक राष्ट्र के जापान के रूप में बदला। उसके खुद के प्राकृतिक संसाधन थोड़े थे। इसलिए उसे दोनों विदेशी बाजारों और कच्चे माल के स्रोतों की जरूरत थी।

1871 में, जापानी नेताओं के एक समूह ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। जापानी राज्य बनने के बाद उसने औद्योगीकरण की नीति बनाई। 1877 में, जापान में बैंक स्थापित किया गया था। कई इस्पात और कपड़ा कारखानों की स्थापना की गई, शिक्षा को लोकप्रिय किया गया और जापानी छात्रों का अध्ययन करने के लिए पश्चिम में भेजा गया था। वर्ष 1905 से, 'देश को समृद्ध, सैन्य मजबूत बनाने के नारे के तहत जपान एक अविजित औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र के रूप में उभरा। वह दक्षिण के सखालिन, कोरिया, मंचूरिया, भारत-चीन, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस को जीतने में सफल रहा था।

4.4.5 दक्षिण और दक्षिण - पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इंडोनिशया, भारत और चीन, थाईलैंड, भारत और फिलीपींस शामिल हैं। नए साम्राज्यवाद से उदय से पहले भी, इन देशों में से कई पर पहले से ही गोरों का प्रभुत्व रहा। श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था तो डच और ब्रिटिश के द्वारा उत्तरार्दूर्ध पर। इंग्लैंड में चाय और रबड़, बागान, का परिचय हुआ जो श्रीलंका में नियांत के 7/8 रूप में शुरू किया गया।

दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को भी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी सैनिकों का वियतनाम पर हमले का दावा था कि वे भारत-चीन के ईसाइयों की रक्षा कर रहे थे। धीरे-धीरे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को फ्रेंच औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ जोड़ा गया था। ब्रिटिश ने म्यांमार और सिंगापुर मलाया राज्यों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें बंदरगाह से जोड़ा।

? क्या आप जानते हैं

थाईलैंड या सियाम एक स्वतंत्र राज्य बना रहा है भले ही यह भारत - चीन में फ्रांसिसि विजय और म्यांमार में ब्रिटिश के बीच संधि थी?

4.5 साम्राज्यवाद के प्रभाव

साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के धन और कच्चे माल व अपने औद्योगिक माल की ब्रिकी के लिए इनके बाजारों का बहुत फायदा उठाया। इन कालोनियों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। नस्लीय भेदभाव

की उनकी नीति ने लोगों को अपने स्वयं के रूप में पूरी तरह से उनके आत्मविश्वास सम्मान को खो दिया। आप भारत पर अगले कुछ सबक में इसके बारे में और अधिक पढ़ा होगा।

4.5.1 साम्राज्यवाद का सकारात्मक प्रभाव

साम्राज्यवादी शासन का उपनिवेशों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे रेलवे लाइनों, नहरों, टेलीग्राफ और टेलीफोन की तरह परिवहन और संचार की शुरुआत की। इसने राजनैतिक चेतना और राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए नेतृत्व किया। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को विकसित करने के बाद वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुए।

20वीं सदी में मानव इतिहास में किसी अन्य अवधि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को देखा गया, यह भाप चालित जहाजों के साथ शुरू हुआ, अंतरिक्ष में मानव यात्रा, चांद पर उतरने और पाठ्यक्रम के कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ समाप्त हो गया। दुनिया त्वरित संचार और तेजी से परिवहन के साथ सिकुड़ गया।

दुर्भाग्य से पूरी दुनिया को साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक उद्देश्य ने प्रभावित किया। इसने यूरोपीय देशों के बीच तनाव, दो विश्व युद्धों में अमेरिका और जापान को उलझाया।

1. साम्राज्यवाद कालोनियों पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
2. उपनिवेशों के स्वदेशी उद्योग (परंपरागत) बर्बाद हो गए थे।
3. उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण।
4. सभी उपनिवेशों की कृषि व्यवस्था को गंभीर रूप से विकृत किया गया था।
5. चीन का प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया।
6. अफ्रीका, लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर शेष की पूरे यूरोपीय देशों के बीच विभाजित किया गया था।
7. अफ्रीकियों का बड़ी संख्या में दास के रूप में बेचा जा रहा था।
8. दक्षिण अफ्रीका में सफेद समुदाय ने त्वचा के आधार पर बीमार अश्वेतों का इलाज किया। इसे नस्लीय भेदभाव या रंगभेद कहा जाता है।

भारत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आये थे। लेकिन शासक बन गये। उन्होंने हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। भारत जो कपड़ा का एक निर्यातक था तैयार कच्चे माल और माल के निर्यातक का एक खरीदार बन गया। इसके अलावा, भारी कराधान ने जनता की गरीबी का नेतृत्व किया।

पाठगत प्रश्न 4.2

1. साम्राज्यवाद को परिभाषित करें।
2. साम्राज्यवाद के प्रसार से हुए परिवहन विकास के दो लाभों का उल्लेख करें।

4.6 प्रथम विश्व युद्ध

औद्योगीकरण, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की उनकी संपत्ति पर यूरोपीय देशों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता शुरू की। यह प्रतियोगिता 19वीं सदी के अंत तक और अधिक तीव्र हो गयी जब उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में न उपलब्ध थे। समझौता आपसी अविश्वास और दुश्मनी के कारण संभव नहीं था और 1914 में, यूरोप में जल्द ही पूरी दुनिया से घिरा एक युद्ध हुआ। इसमें दुनिया के सभी प्रमुख देशों और उनके उपनिवेशों को शामिल किया गया। इस युद्ध की वजह से नुकसान की इतिहास में कोई मिसाल न थी। इतिहास में पहली बार के लिए युद्धरत राज्यों के सभी संसाधन जुटाए गए थे। इसमें उनकी सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल किया गया। नागरिक आबादी को अंधाधुंध बमबारी की वजह से जबरदस्त संख्या में दुर्घटना का सामना करना पड़ा। यह युद्ध पहली बार दुनिया के एक बहुत बड़े भाग पर फैल गया था, इस विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास में एक मोड़ के रूप में जाना जाता है। यह एक अचानक घटी घटना नहीं थी बल्कि सेना के विकास और 1914 से पहले से चल रहे विस्तार की चरम सीमा थी।

4.6.1 प्रथम विश्व युद्ध के कारण

इंग्लैंड, फ्रांस जर्मनी और दूसरी की तरह विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता साम्राज्यवादी युद्ध का एक प्रमुख कारण थे। इससे पहले युद्ध टल गया क्योंकि अधिक उपनिवेशों के अधिग्रहण की संभावनाओं अभी भी वहां थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अधिकांश एशिया और अफ्रीका को पहले से ही विभाजित किया जा चुका था और आगे विस्तार की संभावनाओं वहां नहीं थी। अब केवल साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेशों पर कब्जा करना ही संभव था। उपनिवेशों के इस बंटवारे ने युद्धों को संभव बनाया। 19वीं सदी के आखिरी तिमाही में, जर्मनी ने जबरदस्त आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर ली थी और इंग्लैंड और फ्रांस का औद्योगिक उत्पादन में काफी पीछे छोड़ दिया था। उसे भी ब्रिटेन की तरह आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। साम्राज्यवादी दौड़ में, जर्मनी इंग्लैंड के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गया। ब्रिटिश के नौसेना वर्चस्व को भी चुनौती दी गई थी जब जर्मनी का सबसे बड़ा युद्धपोत का निर्माण कर उस को कील लहर से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर अंग्रेजी तट रेखा से जोड़ा गया था। जर्मनी में भी एक रेलवे लाइन बगदाद के साथ बर्लिन को जोड़ने की रेखा है। जिससे आसान करने के लिए जर्मनी के सैनिकों या पूर्व के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भेजना असान बनाने का निर्माण किया। लेकिन इसे वहां ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए एक खतरा समझा गया।

जर्मनी की जापान और यूरोप की अन्य सभी प्रमुख शक्तियों की तरह ही अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इटली अपने एकीकरण के बाद उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली, जो तुर्क साम्राज्य के अधीन था चाहता था। फ्रांस मोरक्को को अफ्रीका में अपनी विजय से जोड़ना चाहता था जबकि रूप ईरान में अपनी महत्वाकांक्षा रखता था। जापान के सुदूर पूर्व में उसकी महत्वाकांक्षा थी जहां वह 1905 के रूप - जापानी युद्ध के बाद उसके प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम था। ऑस्ट्रिया, आटोमन साम्राज्य में उसकी महत्वाकांक्षा थी, जबकि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। उसकी मुख्य दिलचस्पी के लिए व्यापार की स्वतंत्रता

की रक्षा के रूप में थी इसलिए वह एक तेज गति से बढ़ रहा था। किसी भी महान शक्ति के प्रभाव के विस्तार विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था।

4.6.2 गठबंधन की प्रक्रिया

अधिक कालोनियों के लिए विरोध और टकराव ने साम्राज्यवादी शक्तियों का सहयोगी दलों के लिए देखने के लिए प्रेरित किया। 1882 में, जर्मनी आस्ट्रिया, इटली ने ट्रिपल एलायंस पर अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किया। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने 1907 में ट्रिपल अंतंत पर हस्ताक्षर किए। दो परस्पर शत्रतापूर्ण विरोधी समूहों के उद्‌भव और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया। इन देशों में एक दूसरे से घातक हथियार रखने की चाह ने हथियारों के उत्पादन की दौड़ का नेतृत्व किया। आपसी नफरत और संदेह ने शांति के वातावरण समाप्त किया। इस बात का स्पष्ट प्रचार किया गया कि अगर युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप युद्ध में डूब जाएगा।

4.6.3 पान स्लाव आंदोलन और वाल्कन राजनीति

पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और कई अन्य छोटे राज्य शामिल थे। मूलतः ये राज्य तुर्क सम्राट या तुर्की के शासक के नियंत्रण के अधीन थे। 20वीं सदी की शुरूआत से, तुर्क साम्राज्य में गिरावट शुरू हुई। ऑस्ट्रिया और रूस समेत कई यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र में पैर जमाने के लिए पहुंची। बात तब और जटिल बनी जब इन राज्यों के अधिकांश में लोगों में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। इन्हें स्लाव कहा जाता था। वे पूर्वी यूरोपीय देशों के कई राज्यों में बिखरे हुए थे। इन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया और इसको पान स्लाव आन्दोलन कहा जाता है। उनकी मुख्य मांग सर्बिया, क्योंकि सर्विया जनसंख्या के तहत एक स्लाव राज्य था। सर्बिया का रूस द्वारा समर्थन किया गया था, जबकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिद्वंद्विता में हुई। ऑस्ट्रिया मजबूत सर्बियाई राज्य है जो अपने विस्तार की महत्वाकांक्षा में बाधा नहीं चाहता था। 1908 में, ऑस्ट्रिया ने दो स्लाव राज्यों बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी का कारण बना। 1912 और 1914 के बीच, चार बाल्कन राज्यों ने स्वतंत्रता के लिए से तुर्क सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़े। तुर्की हार गया। और यूरोप में उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया ने जल्दी से सर्बियाई ग्रेटर सर्बिया की महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दुश्मनी में एक तरफ सर्बिया और रूस थे तो दूसरे तरफ ऑस्ट्रिया था।

जैसा कि आप 1914 के द्वारा देख सकते हैं, यूरोप में माहौल विस्फोटक था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ फ्रांसिस फर्डिनांड, ऑस्ट्रिया के सिंहासन के लिए वारिस, एक राज्य की यात्रा पर सारायेवो, बोस्निया की राजधानी के लिए गये। वह अपनी कार से नीचे उतर रहे थे कि एक सर्बियाई युवा के द्वारा 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई। आर्थडियूक फ्रासिंस फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का तत्कालिक कारण बन गयी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अपने राजकुमार की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया और उसे विभिन्न शर्तो के साथ एक अंतिम चेतावनी दी। रूसी मदद का आश्वासन दिया

है, सर्बिया ने अल्टीमेटम स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सीमा पर अपने सैनिकों को जुटाने शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1914, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की। 1 अगस्त 1914, जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। 3 अगस्त 1914 में, जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की। जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम में प्रवेश किया, इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा अगस्त 1914 में की। इस प्रकार यूरोप में एक छोटी सी घटना में सभी देशों के शामिल होने से युद्ध ने जल्द ही विश्व युद्ध का आकार ले लिया।

पाठगत प्रश्न 4.3

1. किन देशों ने ट्रिपल एलायंस का गठन किया?
2. बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए?

4.6.4 प्रथम विश्व युद्ध की कार्य विधि (1914-1918)

9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ नवंबर 1918 तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाईयां लड़ी गयी जैसे 1914 मार्ने की लड़ाई, 1916 में वेर्दू की लडत्रई सोमे की लड़ाई, जूटलैक्ड की लड़ाई।

1917 वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा गया। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रविष्टि थी। दूसरी नवंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना। 1915 में, एक ब्रिटिश यात्री जहाज लूसिपनिया के जर्मन की यू बोट की डूबा दिया जिसमें 128 अमेरीकी-नागरिक यात्रा कर रहे थे। उनकी हत्या हो गयी थी। अमेरिकी सीनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा, जर्मनी अमेरिकी सर्वोच्चता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और गोला बारूद का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा था। युद्ध की निरंतरता के कारण अमरीका के आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई। इन सब को ध्यान में रखते हुए, उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया।

दूसरी बड़ी घटना रूस का युद्ध से अलग होना था। क्या आप को रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ा याद है? क्रांतिकारियों की मुख्य मांगों में से एक शांति थी। तो तुरंत लेनिन के नेतृत्व में क्रांति के बाद, रूस युद्ध से अलग हो गया और 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।

जुलाई 1918 से जर्मनी पतन शुरू हुआ। बुल्गारिया और तुर्की ने सितंबर और अक्टूबर में क्रमशः आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर 1918 में, ऑस्ट्रिया के सम्राट ने ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन लोगों द्वारा इसी तरह के विद्रोहों करने के बाद, जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय हॉलैंड भाग गये और जर्मनी एक गणराज्य घोषित किया गया। नई सरकार पर 11 नवंबर 1918, विश्व युद्ध के अंत के लिए एक युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए।

युद्ध के दौरान, मशीनगन, जहर गैस, तरल आग, पनडुब्बी और टैंक के रूप में कई नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नई रणनीतियों और सैन्य तकनीक दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग किया गया।

इंग्लैंड ने नौसेना और आर्थिक नाकेबंदी, टैंकों और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया। फ्रांसिसियों ने युद्ध में गहरी इस्तेमाल रणनीति का और जर्मनी यूं नाव और पनडुब्बियों का समुद्र में जहाज डूबने के लिए इस्तेमाल किया।

4.6.5 प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक परिणाम

प्रथम विश्व युद्ध के दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जाता है। निर्दोष नागरिकों सहित एक लाख लोगों को उनके जीवन से हाथ धोना पड़ा। अधिकांश यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। कुल खर्च 180 अरब डॉलर के चौंका देने वाले आंकड़े का अनुमान लगाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप अध्किांश देशों की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई।

जनवरी से जून 1919 के बीच, मित्र देश की शक्तियाँ, वरसाई के महल में सम्मेलन में मिले थे जिसमें पेरिस को पराजित शक्तियों का भविष्य तय करना था। हालांकि लगभग 27 देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया, निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के प्रमुखों द्वारा लिया गया। रूस को बाहर रखा गया था और पराजित शक्तियों को इसमें भाग लेने के अनुमति नहीं थी। मित्र राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर किए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्साय की संधि पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि और तुर्की में साथ कार्य करने की संधि थी। वर्साय को संधि से जर्मनी, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से बिखर गया। जर्मनी को आक्रामकर्ता का दोषी ठहराया गया था और युद्ध के लिए मुआवजे के रूप में पैसे की एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कहा। अल्सेस और लारेन को फ्रांस में 1871 में मिला लिया गया था। राइनलैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच का गैरसैन्यकरण किया हुआ और मित्र देशों की शक्तियों के नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था। कोयला समृद्ध सार घाटी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। जर्मन सेना को भंग किया गया था। जहाजों को डूबा दिया गया और केवल 100,000 सैनिकों को प्रतिबंधित किया गया था। जर्मनी को उसके सभी उपनिवेशों से वंचित किया गया था। यूरोप में उसके बहुत से प्रदेशों को बेल्जियम और पोलैंड को दे दिए गए।

सेंट जर्मेन की संधि में ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग किया गया और हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ऑस्ट्रिया से हंगरी को स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की थी कि उसे अपने प्रदेशों के हिस्से चेकोस्लावाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया को देने के लिए बाध्य किया गया। सेवर्स की संधि ने तुर्क साम्राज्य का पतन कर दिया। इसके कुछ राज्यों के जनादेश के रूप में मित्र देशों के अधिकार में दिया गया। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीन और मेसोमोटामिया फ्रांस ब्रिटेन और सीरिया को दिया गया। मित्र देश इन देशों को तब तक देखेंगे जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं बन जाते।

युद्ध और शांति संधियों ने दुनिया के विशेष रूप से यूरोप के राजनीतिक नक्शे के बदल दिया। रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद रोमानिया की सत्तारूढ राजवंश को परास्त किया गया था। युद्ध के अंत के द्वारा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की होलजोलर राजवंश हैप्सवर्ग राजवंश को हटा दिया गया और गणराज्य सरकार को स्थापित किया गया था। 1922 में एक क्रांति के बाद तुर्की में

भी राजशाही समाप्त कर दिया गया था। पराजित शक्तियों के लिए गए प्रदेशों से दो नए राज्यों चेकोस्लावाकिया और यूगोस्लाविया को बनाया गया। हंगरी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और फिनलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे। रूमानिया और पोलैंड के राज्यों के आकार बढ़ा दिए गए। इसने यूरोप के अधिकांश राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर दिया गया।

यह स्पष्ट था कि पराजित शक्तियों के साथ किए गए शांति समझौते असमान और जबरदस्ती पराजित शक्तियों पर थोपे गए समझौते थे। वे बिना विचार-विमश के हुए थे। युद्ध के अंत में यूरोपीय वर्चस्व के अंत को और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख शक्तियों के रूप में उद्भव को देखा। इसी अवधि में एशिया और अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाते देखा गया। इससे पहले भी नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त होता, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक शांति कार्यक्रम प्रस्तावित किया जिसे विल्सन के चौदह सूत्रों के रूप में जाना जाता था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में शांति और सुरखा बनाए रखना था। इस प्रस्ताव के आधार पर, लीग ऑफ नेशंस 1920 में स्थापित किया गया था।

4.6.6 लीग ऑफ

1920 में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लीग संगठन जिसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, भविष्य के युद्ध को रोकने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और सदस्य देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना था। लेकिन दुर्भाग्य से, लीग के लिए जिसके लिए यह स्थापित किया गया युद्ध और संघर्ष को रोकने में विफल रहा। जब जापान ने 1936 में मचुरिया पर हमला किया और 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला, लीग कुछ नहीं कर सका।

क्रियाकलाप 4.4

''पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए देती है परंतु प्रत्येक मनुष्य की लालसा के लिए नहीं'' महात्मा गांधी। क्या आप समझते हैं कि इस उद्धृण में सच्चाई है? उदाहरणों की सहायता से उचित सिद्ध करो।

पाठगत प्रश्न 4.4

निम्न सवालों का जवाब :

1. लीग ऑफ नेशंस के मुख्यालय कहां स्थित था?
2. लीग ऑफ नेशंस कब और किसके प्रस्ताव पर बनाई गई?

4.7 दो विश्व युद्धों के बीच दुनिया

दो विश्व युद्धों के बीच बीस साल की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया गया। एक तरफ सकारात्मक परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास एशिया और अफ्रीका के देशों और सोवियत संघ में तथा अन्य देशों में समाजवादी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में विशेष रूप से यूरोप के इटली और जर्मनी देशों में तानाशाही का सबसे बुरा रूप देखा गया। इसी समय अमेरिका में 1929 में महामंदी देखी गई जिसने दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया।

4.7.1 फासीवाद और नाजीवाद के विकास के कारण

युद्ध के बाद, यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलनों पैदा हुए जिन्हें फासिस्म नाम दिया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही की स्थापना करना था। इन्हें शासकों व उच्च वर्ग के अभिजात और पूंजीपतियों द्वारा समर्थन प्राप्त था। क्योंकि उसने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने के लिए वादा किया था। उन्होंने हत्या और आतंकवाद का एक व्यवस्थित अभियान चलाया उसे रोकने में सरकार ने कम रूचि दिखाई।

मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू कि गई तानाशाही को फासीवाद के रूप में देखा जाता है। फासीवाद एक लैटिन शब्द है प्राचीन रोम में जिसका अर्थ सत्ता के अधिकार या सत्ता प्रतीक था। 1922 में, मुसोलिनी इटली के राजा के समर्थन के साथ सत्ता में आया और 1925 से 1943 तक तानाशाह की तरह शासन किया। मुसोलिनी ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ शरू किए लोग का समर्थन प्राप्त करने के लिए विजयी शक्तियां का अहंकार, युद्ध के बाद की समस्याओं से निपटने के लिए मौजूदा सरकारों की अक्षमता फासीवाद की जांच करने में राष्ट्र और लोकतांत्रिक ताकतें विफल रही, लीग की लाचारी ने तानाशाही की वृद्धि को संभव बनाया है।

फासीवाद को जर्मन में नाजीवाद के रूप में जाना जाता है। यह एडॉल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था। उसने युद्ध के बाद बम्तियों को वापस लेने और जर्मनी शक्ति और महिमा को बहाल करने का वादा किया। जर्मनी में एक महान राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उसकी दृष्टि ने कई जर्मनियों को उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसके इस कार्य ने लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के घावों पर मल्हम का काम किया बहुत लोगों ने उसको इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उसने उनसे आर्थिक गिरावट को दूर करने का वादा किया था। नाजियों की सफलता न केवल जर्मन लोगों के लिए बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के कई अन्य भागों के लिए विनाशकारी साबित हुई। इसने हंगरी, रूमानिया, पुर्तगाल और स्पेन में स्थापित तानाशाही का नेतृत्व किया। बहुत से देशों में बन रही लोकतांत्रिक विरोध सरकार के विकास ने द्वितीय विश्वयुद्ध का नेतृत्व किया।

4.7.2 विश्व के अन्य भागों में विकास

इंग्लैंड और फ्रांस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा अभावों और बेरोजगारी के बावजूद वे अपने लोकतांत्रिक सरकारों के साथ चलते रहे। इंग्लैंड में मजदूर हड़ताल व कई और तरह की समस्याओं के रहते इन्हें 1931 में सांझी सरकार बनानी पड़ी। लेबर, लिबरल, व कंजरर्वेटिव

दल के सहयोग से हल करने की कोशिश की गई। 1936 में वामपंथी पार्टियों को मिलाकर एक लोकप्रिय सरकार फ्रांस में बनाई गई।

सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देश के रूप में उभरा। नई सरकार के तहत समाजवादी सिद्धांतों को अर्थव्यवस्था में कार्यान्वित किया गया। और केवल यही एक देश था जो महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ। जबकि 1929 में सभी पश्चिमी पूंजीवादी देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा।

हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन इसको कुछ खास हानि नहीं हुई। औद्योगिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास ने इसे एक सुपर पावर बना दिया। हालांकि, वह 1929 अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वस्तुओं की कीमतों, शेयर की कीमतों में गिरावट आ गई। बैंकों को बंद कर दिया और लोगों को उनके आजीव बचत को खाना पड़ा। ऋण जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों से विश्व युद्ध के बाद वापस लेना था। लेकिन यूरोपीय देशों में भी आर्थिक अस्थिरता आई हुइ थी। फ्रैंकलिन रुजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिका में जब नई सरकार सत्ता में आई तो इसने-न्य ूडील नामक आर्थिक पूनर्निमाण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके तहत कई जनकल्याण के कार्य प्रारंभ किए गए थे जैसे नए रोजगार के अवसर, किसानों को सहयोग आदि।

केवल जपान ही एशिया का एक ऐसा देश था जो एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा। इसने रूस को 1905 में हरा दिया था। इसके बारे में आप पढ़ चुके है। विश्व युद्ध के बीच में जापान एक सैन्य शक्ति बन गया था, तथा इसने फासीवाद का समर्थन किया था। एंटीकीमेटेन समझौते पर भी इटली व जर्मली के साथ हस्ताक्षर किये ताकि साम्यवाद का प्रसार रोका जा सके।

पाठगत प्रश्न 4.5

1. उन दो देशों के नाम लिखिए ंजहां 1920 के बाद तानाशाही सरकारें बनी?
2. फ्रेंकलिन रुजवेल्ट द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार वसूली के कार्यक्रम का क्या नाम है?

4.8 द्वितीय विश्व युद्ध

हम लीग ऑफ नेशन्स के बारे में पढ़ चुके है कि किस प्रकार यह अपने संगठन के 20 वर्षों के बाद भी अपने उद्देश्य को पाने विफल रहा जबकि इसका गठन भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए किया गया था। युद्ध की परिस्थितियां बनने के बाद 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ? आइये इसके कारणों का परीक्षण करें।

4.8.1 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप में शुरू हुए युद्धों ने ही एक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। फासीवादी देशों ने विश्व को दोबारा से साम्राज्यवादी लाभ के लिए विभाजित करना चाहा जिससे विभिन्न देशों के बीच संघर्ष पनपा।

जर्मनी वर्साय सन्धि के द्वारा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया बिखर गया। उसने बदला लेने की मांग की और मित्र देशों से शक्ति के एक परीक्षण के लिए तैयार था। इटली की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। हालांकि इटली साम्राज्य लाभ की उम्मीद के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हुआ था, परन्तु युद्ध के बाद उसे कोई भी उपनिवेश हासिल नहीं हो सका। उसने युद्ध के दौरान लगभग 600-1000 लोगों को खो दिया। दोनों फासिस्ट और नाजी दलों ने अपने लोगों से वादा किया था कि वे युद्ध के माध्यम से अपने देश का खोया गौरव वापस लाएंगे। उन्होंने विजय अभियान के माध्यम से विस्तार की आक्रामक नीति का पालन शुरू कर दिया। जर्मनी के राइनलेंड पर 1936 में 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। और चेकोस्लोवाकिया को 1938 में जीत लिया, जबकि इटली ने थियोपिया पर हमला किया। इससे यूरोपीय देशों के बीच सामाजिक तनाव और संघर्ष पैदा हुआ।

आप जापान का एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरना व फासीस्ट शक्तियों को समर्थन देने की बात पढ़ चुके है। रोम - बर्लिन - टोक्यो की धूरी पर हस्ताक्षर कर तीनों शक्तियों परस्पर एक दूसरे के समर्थन प्रतिबद्ध हो गए। जापान को स्वतंत्र छोड़ दिया गया एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिए जबकि जर्मनी और इटली को यूरोप में मनमानी करने की अनुमती मिल गई।

सोवियत संघ की सफलता ने पश्चिमी शक्तियों को चौकन्ना कर दिया। पूंजीवादी देश होने के कारण वे अपने देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। इटली और जर्मनी, जो कम्युनिस्ट विरोधी थे। इसलिए इन्होंने इनके प्रति एक सुव्यवस्थित अनुग्रह नीति अपनाई। इस नीति को तुष्टीकरण नीति के रूप में देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन सेना को 100, 000 सैनिकों पर प्रतिबंधित किया गया था। जर्मनी ने बिना पश्चिम शक्तियों के सुरक्षा के अपने सैनिकों की संख्याा 800,000 कर ली। यहां तक कि जब हिटलर ने वर्साय की संधि का परित्याग किया और राइनलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, तब भी पश्चिमी शक्तियों मूक दर्शक बने रहे। 1937 में, जनता की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार और जनरल फ्रेंको, फासिस्ट नेता के बीच स्पेन में युद्ध शुरू हुआ। स्पेन में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने के लिए हिटलर के हथियार और गोला बारूद से सहायता की पूर्ति करने के लिए सोवियत संघ ने जनरल फ्रेंको के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए इंग्लैंड से अपील की। जब मौजूदा सरकार इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। यह तुष्टीकरण नीति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब अगस्त 1938 में हिटलर म्यूनिख के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया। म्यूनिख संधि उनके द्वारा 1938 में हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मनी को सुदेतनलैण्ड व चेकोस्लोवाकिया के उत्तरी भाग पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई। बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया गया था। तुष्टीकरण की नीति फासीवादी शक्तियों को मजबूत किया।

अब यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी और इटली सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। इन योजनाओं पर रोकने के लिए सोवियत संघ द्वारा जर्मनी के साथ जो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करने के एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस तरह सोवियत संघ को कुछ समय मिल गया कि वह भविष्य की तैयारी कर ले तथा जर्मनी को सोवियत संघ को तटस्थ करने में सफलता मिल गई।

द्वितीय विश्व युद्ध दृश्य तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 की पोलैंड पर हमला कर दिया और ब्रिटेन ने जर्मनी से 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा की।

4.8.2 युद्ध का परिणाम

सितंबर 1945 में युद्ध का अंत हो गया। यह मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध था। इससे जान-माल और संसाधनों की अभूतपूर्व क्षति हुई। बड़े शहरों के सुंदर भवन मिट्टी में मिल गये। हजारों लोगों के अपने घरों से बेघर होना पड़ा। जर्मन यहूदियों को मार दिया गया था फिर उन्हें यत्रंणा शिविरों में भेज दिया गया। जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमरीका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से दोनों शहर अपनी जनता के साथ नष्ट हो गई। परमाणु प्रलय का खतरा युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था। जर्मनी को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर के प्रत्येक को विजयी शक्तियों के नियंत्रण किया गया था। नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जर्मन सेना को भंग कर दिया गया था। जापान अमेरिका के निगरानी के अंतर्गत रखा गया था। 1949 में, जब राजतंत्र को फिर से स्थापित किया गया था, अमेरिकी सेना को हटा दिया गया।

साम्राज्यवाद के कमजोर होने के साथ-साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सुपर शक्तियों के रूप में उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति गुटों में बंट गया। साम्यवादी गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में तथा पश्चिमी गुट अमेरिका के नेतृत्व में। इन दो गुटों में तनाव व शस्त्रहीन संघर्ष के विकास को शीत युद्ध कहते है। जो दोनों देशों के बीच लम्बे समय तक चलता रहा।

युद्ध के एक प्रमुख प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की स्थापना था जिसके बारे में आप अगले भाग में पढ़ोगे। दुनिया में तब से कई बदलाव हुए। इसका राजनीतिक नक्शा बदल गया। एशिया और अफ्रीका के जो देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे अब स्वतंत्र हो गए थे। अब वे दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में है।

क्रियाकलाप 4.5

इस विश्व में विध्वंसक विश्व युद्ध होते रहे हैं और यह आज तक संघर्षो का साक्षी रहा है। कम से कम ऐसी 5 समस्याओं की सूची बनाओ जो विश्वशांति के आड़े आती हैं। इन मामलों को सुलझाने के तरीके बताओ और आप एक व्यक्ति के रूप में विश्व को रहने के लिए बेहतर बनाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं।

4.9 संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना

युद्ध की विध्वंसता ने दुनिया के नेताओं को शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत का एहसास कराया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत नेता स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के रूप में विश्व के नेताओं के विभिन्न सम्मेलनों में इस संगठन के गठन के बारे में फैसला करने के लिए मुलाकात की। अंत में, 24 अक्तूबर 1945 को सेन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 50 देशों के सदस्यों द्वारा अपना लिया गया और संयुक्त

राष्ट्र संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की स्थापना हुई तब से दुनिया भर के सभी देश 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हर साल मनाते है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरखा बनाए रखने के लिए, भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना हैं।

? क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज एक परिपत्र दुनिया के नक्शे, के रूप में उत्तरी ध्रुव से देखा, एक हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि पर केंद्रित सफेद में जैतून शाखाओं की एक माला से घिरा हुआ है की सरकारी प्रतीक होते हैं।

4.9.1 संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य

प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किये गये राष्ट्र संघ की तरह ही संयुक्त राष्ट्र भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के एक प्रमुख उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसका भी समानता के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को सुलझाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना था। दुनिया के लोगों के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में से एक था। यह भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों में तालमेल करने के लिए राष्ट्रसंघ ने एक आम मंच के रूप में कार्य किया।

पाठगत प्रश्न 4.6

1. दो जापानी शहरों के नाम बताइये जहां द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए?
2. कब और कहां संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से गठित किया गया?

आपने क्या सीखा

- उपनिवेशवाद की नई लहर को नए साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता हैं उपनिवेशवाद 19वीं सदी की अंतिम चरण में शुरू हुआ।
- इस औपनिवेशक विस्तार के पीछे मुख्य कारक थे। औद्योगिक क्रांति के द्वारा बनाई गई जरूरतें, परिवहन और संचार का विकास, शक्ति अर्जित करने की इच्छा, उग्र राष्ट्रवाद श्वेतों का अश्वेतों को सभ्य बनाने की इच्छा।

- यूरोपीय देशों के बीच तीव्र साम्राज्यवादी होड़ और सैन्य गठबंधनों के निर्माण का परिणाम 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठने के रूप में सामने आया।
- इस युद्ध के मुख्य परिणाम इस प्रकार थे: वर्साय की सन्धि के रूप में जर्मनी के साथ कठोरता एवं अपमान जनक व्यवहार, पराजित शक्तियों से उनके उपनिवेशों का छीना जाना, यूरोप में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन, ऑटोमन साम्राज्य का बिखरना, हंगरी की स्वतंत्रता और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था।
- 1919 से 1939 के बीच इटली में मूसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवार का उभरना जिन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समाजवाद और साम्यवाद का दमन किया।
- पश्चिमी शक्तियों की तुष्टीकरण की नीति के अंत ने द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने का नेतृत्व किया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में संयुक्त राष्ट्र की संरचना, जर्मनी का विभाजन, साम्राज्यवादी शक्तियों का कमजोर पड़ना। एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र राज्यों के उद्भव प्रमुख थे।
- युद्ध के बाद की परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो महाशक्तियां उभर कर आई और दो सैन्य गुटों के बीच तीव्र शीत युद्ध की शुरूआत हुई।
- नव स्वतंत्र राष्ट्रों सहित भारत ने निर्गुट आंदोलन शुरू किया और दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए इन देशों ने किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया।

पाठांत प्रश्न

1. भारत पर साम्राज्यवाद के किन्हीं भी दो प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
2. इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कोई दो कारण लिखिए जिससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ।
3. प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए।
4. पश्चिमी शक्तियों ने इटली ओर जर्मनी के साथ तुष्टीकरण की नीति का पालन किया?
5. इटली और जर्मनी में फासिज्म में उदय के कारणों की जांच कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

1. अच्छे घर, सफाई कचरे का पुनः चक्रण
2. सुख सुविधाअें में बढ़ोतरी; पदार्थ की बहुलता
3. संयुक्त परिवार का टूटना व्यक्तिगत का प्रोत्साहन
4. कम मजदूरी में उपलब्ध

4.2

1. साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भूमि या बाहर क्षेत्र के अधिग्रहण का एक इच्छा के लिए संदर्भित करता है।

2. कच्चे माल और तैयार माल का साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों से लाया और ले जाया जा सकता था।

4.3

1. ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली त्रिगुट अन्य गठबंधन ट्रिपल अंतत था।

2. चार वाल्कन राज्य ऑस्टिया और तुर्की के बीच।

4.4

1. जिनेवा

2. राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन

4.5

1. जर्मनी और इटली

2. न्यूडील

4.6

1. क) हिरोशिमा

   ख) नागासाकी

2. संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यथावत गठित किया गया था।

5

भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव : आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक (1757-1857)

18वी सदी में संसार में एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी। एक ऐसी ही घटना औद्योगिक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई। वह धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई। आपने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में तथा समुद्र और व्यापार मार्गों की खोज के बारे में पढ़ा होगा। 1498 में वास्को दी गामा नामक एक पूर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, पूर्तगाली और डच व्यापार के लिए भारत आये। इन्होंने इसे मिशनरी गतिविधियों को भारत में फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में आधुनिक काल की शुरूआत भारत से इन यूरोपीय शक्तियों के आने से हुई। आप इस पाठ में ब्रिट्रिश लोगों के भारत में आने और उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़े प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सक्षम हो जायेंगे:

- ब्रिट्रिश लोगों के भारत में आने के कारणों पर चर्चा करने में;
- अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने के विभिन्न तरीकों को पहचानने में;
- ब्रिट्रिश शासन के दौरान पड़े आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने में;
- भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिट्रिश प्रभाव का वर्णन करने में; और
- 1857 के विद्रोह से पहले उनके शासन के तहत विरोध आंदोलनों के कारण को पहचानने में।

5.1 ब्रिटिश के भारत आने के कारण

यूरोपीय तथा ब्रिट्रिश व्यापारों आरंभ में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आये थे। ब्रिट्रिश में हुई औद्योगिक क्रान्ति ने वहा के कारखानों के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ा दी थी। साथ-साथ

वे अपना तैयार माल भी भारतीय बाजारों में बेचना चाहते थे। भारत ने ब्रिटेन की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसा ही आधार उपलब्ध करवाया। 18सदी में भारत में भी आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति थी और मुगल साम्राज्य की शक्ति भी कम ही रही थी। अतः ब्रिट्रिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ स्थापित करने का अवसर था। उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से, थोपी हुई संधियों से, अनुबन्धों से और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ किया। अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की मदद से सम्पूर्ण देश पर अपना नियन्त्रण दृढ़ बनाया। उनकी भू-राजस्व नीतियों ने किसानों और उनसे राजस्व्व में बड़ी रकम प्राप्त की। उन्होंने कृषि की विभिन्न फसलों के व्यवसायीकरण पर बल दिया तथा ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित की। मजबूत राजनीतिक नियंत्रण के साथ ब्रिट्रिश भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम हो गए। उन्होंने अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों को व्यापार में हरा दिया और उनका कोई प्रतिद्विन्दी नहीं रहा। उन्होंने सभी प्रकार के कच्चामाल की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया और उसे कम कीमत पर खरीदा जबकि भारतीय बुनकर इसे अत्यधिक मूल्य पर खदीदते थे। अपने स्वयं के उद्योग की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने भारतीय माल पर भारी आयात कर लगाया। देश में परिवहन और संचार प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए ताकि खेतों से बंदरगाहों तक कच्चा माल और बंदरगाहों से बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही आसान हो सके। साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरूआत की गई जो शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करे जो अंग्रेजों को देश पर शासन करने और अपनी राजनीतिक सत्ता सुदृढ़ करने में मदद करे। इन सभी उपायों ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने , इसे सुदृढ़ करने और जारी रखने में मदद की।

चित्र 5.1 ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा प्रयोग की गई मुद्रा

5.2 भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके

यूरोप के नक्शे को देखो; आपको उस पर कई बड़े और छोटे राज्य मिल जाएंगे, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इन छोटे राज्यों के पास अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल के लिए बाजार नहीं था। अब इन देशों ने एशिया और अफ्रीका में बाजार को तलाश करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार नियंत्रित करने में सफल रहा और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को ब्रिट्रिश सरकार द्वारा समर्थन मिला। इसकी मदद से इंग्लैंड भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने में सफल हो गया। पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की गई 1615 में सर थामस रो को मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद तथा भडूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। उनकी महत्वपूर्ण बस्ती दक्षिणी तट पर मद्रास थी, जहां उन्होंने एक किले बंद फैक्ट्री का निर्माण किया जो सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है। कम्पनी ने यह पहली मालिकाना जीत प्राप्त की थी। भारत की धरती पर धीरे-धीरे कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करने लगी। उस समय तक कंपनी भारत में अच्छी तरह से स्थापित हो गई और वह भारत से अन्य प्रतिद्विदें यूरोपीय शक्तियों का उन्मूलन करने में सफल रही। अब उन्होंने शासकों के रानीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया।

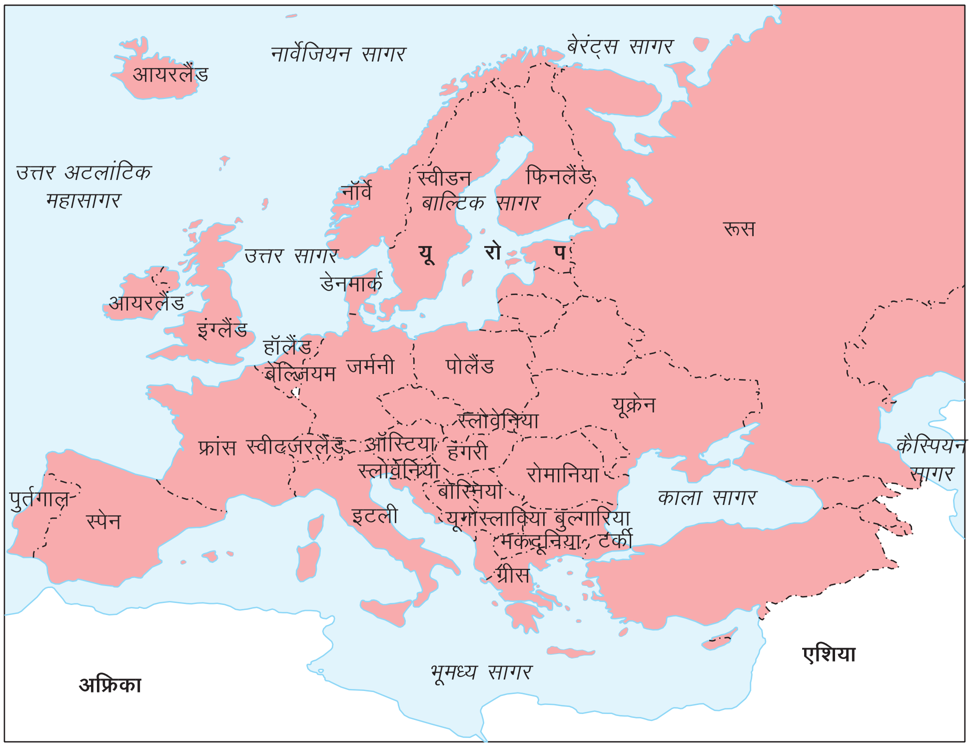

चित्र 5.2 आज के यूरोप का मानचित्र

क्या आप जानते हैं

1696 में कंपनी ने बंगाल में तीन गांवों को एक शहर में विकसित किया और इसे कोलकाता नाम दिया। उन्होंने इस शहर के चारों ओर एक किले का निर्माण किया जो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है।

19वी शताब्दी के भारत के नक्शे को देखो; आपने क्या देखा? आप कई बड़े तथा छोटे स्वतन्त्र राज्यों को देखंगें। इन राज्यों के अपने स्वयं के शासक, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति थी। इन राज्यों में लागातार एक दूसरे के साथ युद्ध होते रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं हैं कि वे यूरोपीय शक्तियों के विशेष रूप से ब्रिट्रिश के लिए एक आसान शिकार बन गए। वह प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लड़ाई थी। जहाँ अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। इन लड़ाइयों के माध्यम से ब्रिट्रिश राजनीतिक सत्ता के एक लंबे युग की शुरूआत हुई। प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी उन्होंने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना के क्षेत्र प्राप्त किए। लेकिन मीरजाफर उन्हें और अधिक भुगतान करने में सक्षम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मीर कासिम जो एक मजबूत शासक था उसे नबाव बना दिया। मीर कासिम अधिक पैसा या नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयर नहीं था, अतः उसे हटा दिया और मीरजाफर को पुनः नवाब बनाया दिया गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब, शिराज-उद् दौला और मुगल

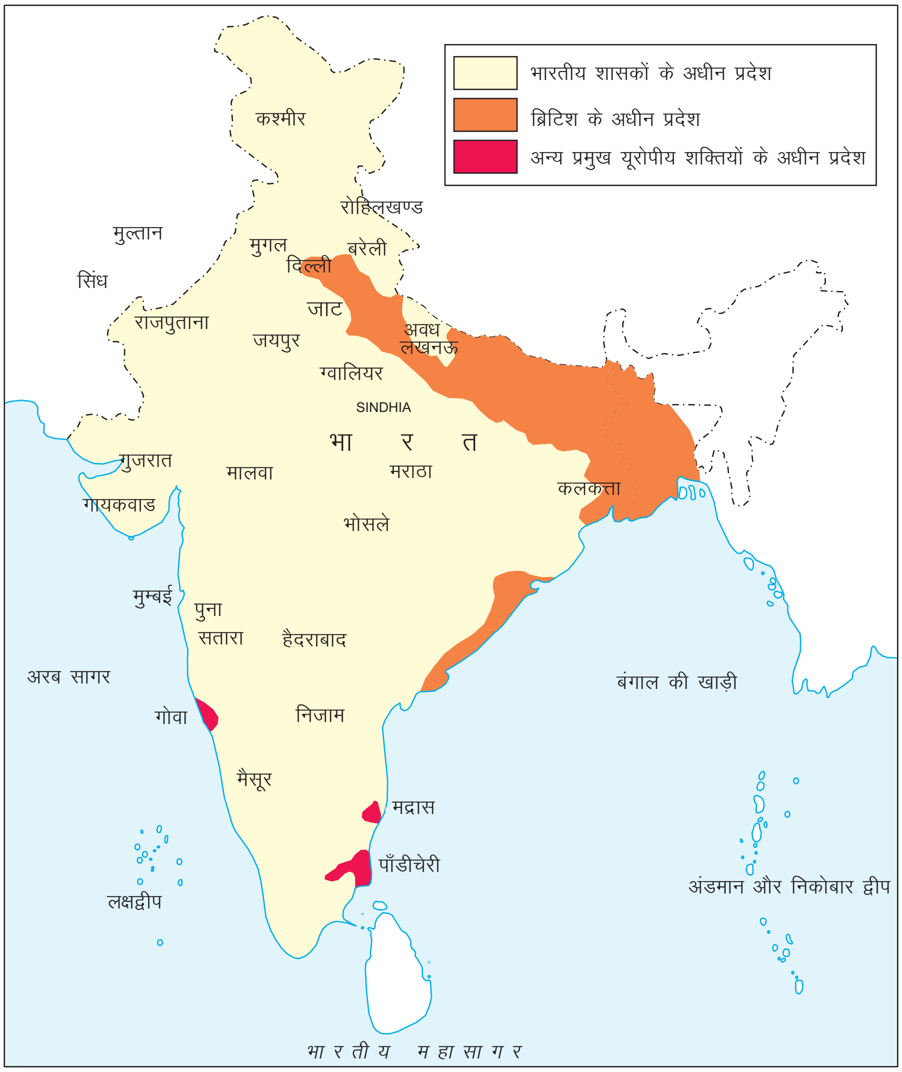

चित्र 5.3 19वीं सदी के भारत का मानचित्र

बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी उसकी हार निर्णयात्मक रही।

यद्यपि अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया, फिर भी सम्पूर्ण भारत में ब्रिट्रिश शासन स्थापित करना एक सरल काम नहीं था। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों ने अंग्रेजों के सीमा विस्तार के प्रयासों का विरोध करने की कोशिश की। अब हम विभिन्न भारतीय राज्यों के विरूद्ध अंग्रेजों द्वारा किए गए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे।

(i) आंग्ल-मैसूर युद्ध

हैदरअली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के सक्षम नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच चार युद्ध हुए और अंत में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु से मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। कनारा, कोयम्बटॅर और श्रीरंगापटनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित अधिकार में ले लिए गए।

चित्र 5.4 टीपू सुल्तान

(ii) एंग्लो-मराठा युद्ध

अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में मराठे पश्चिमी और मध्य भारत में एक और दुर्जेय शक्ति बन गए थे। लेकिन आपस में सत्ता के लिए संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। सहायक संधि (जिसके बारे में आप 5.2.1 में पढ़ेंगे) अंग्रेजों और मराठों के बीच कई युद्धों का कारण बनी।

तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध (1817-1819) उन दोनों के बीच अन्तिम युद्ध था। अंग्रेजों ने पेशवा को हराकर गद्दी और उसके सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। पेशवा की पेंशन बन्द कर दी और उसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिठुर भेज दिया।

(iii) आंग्ल सिख युद्ध

उत्तर -पश्चिम भारत में, सक्षम नेता महाराजा रणजीत सिंह (1792-18ए) को नेतृत्व में सिख एक प्रभावी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन ब्रिट्रिश सत्ता के विरूद्ध एक खतेरे के रूप में उभरे।

अतः ब्रिट्रिश सिखों को नियंत्रण करना चाहते थे। रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद, पंजाब में अराजकता फैल गई। अंग्रेजों ने इस का लाभ लिया और प्रथम आंग्ल-सिख 1845) युद्ध छेड़ दिया जो सिखों की हार के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल-सिख 1849 युद्ध में, अंग्रेजों ने सिखों को गुजरात (चिनाव नदी के पास के शहर) की लड़ाई में हरा दिया। सिखो के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया।

चित्र 5.5 महाराजा रंजीत सिंह

5.2.1 अन्य विजय अधिग्रहण और अनुबंधों की प्रणाली

1761 में मराठों के विरूद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई पहले से ही भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए मंच प्रदान कर चुकी थी जल्द ही कई और अधिक देशी राज्य ब्रिट्रिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। यह सब एक प्रणाली द्वारा किया गया जिसे विलय की नीति और सहायक संधि कहा जाता है इसके द्वारा स्वतत्र राज्यों को एक बड़ी संख्या मो ब्रिट्रिश साम्राज्य के कब्जे में लिया गया। कहा गया है कि ये राज्य ब्रिट्रिश संरक्षण का आनन्द ले रहे थे लेकिन उनके शासक सिंहासन के लिए एक प्राकृतिक वारिस छोड़े बिना मर गए, उनके गोद लिए बेटे की संपत्ति या पेंशन अंग्रेजो ने ज्यादा समय तक नहीं दी इस तरह डलहौजी ने सतारा मराठा राज्य (1848), सबलपुर (1850) उदयपुर (1852), नागपुर (1853), झांसी (1854) और अवध (1856) पर कब्जा कर लिया। सहायक संधि में जो भारतीय राज्य अंग्रेजो के अधीन थे उनकी सेनाओं को निलंबित कर दिया गया और उन्हें ब्रिट्रिश सैनिकों का बनाये रखने के लिए मजबूर किया। उनके विदेशी कार्य पर अपना नियंत्रण दिया और उनके किसी भी प्रयोजन आर्थिक या राजनीति के लिए अन्य विदेशी राज्यों के साथ गठजोड़ करने का अधिकार छीन लिया गया। बदले में उन्हें अपने प्रतिद्विदियों से अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया गया।

अधिग्रहण की नीति ने न केवल भारतीय शासकों को भी प्रभावित किया बल्कि परंपरागत विद्वानों और पुरोहित वर्ग जो शासकों, मुखियों, अमीरों और जमींदारों पर निर्भर थे से अपना संरक्षण खो दिया और इस प्रकार वे निर्धन हो गए।

19बी शताब्दी के मध्य तक कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेजों का विरोध या उन्हें चुनौती देने लायक नहीं रही। असम, अराकान उत्तर-पूवी क्षेत्र, नेपाल और वर्मा के कुछ भागों पर (1818 से 1826) से पहले ही कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया।

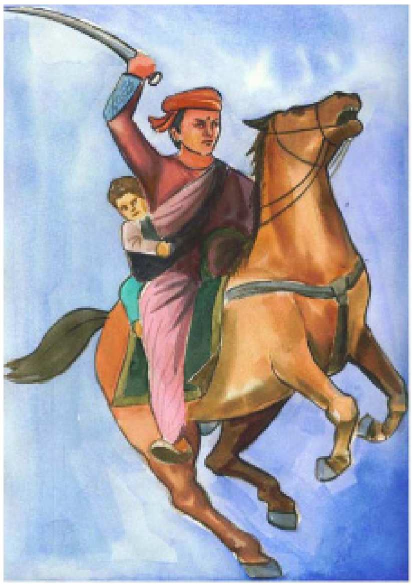

चित्र 5.6 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

क्रियाकलाप 5.1

कल्पना कीजिए कि आप 15 वर्ष के हैं और 19वीं सदी के भारत की रियासत के शासक के भतीजे और भतीजी है। आपके चाचा की अपनी खुद की कोई भी औलाद नहीं है और वे आप को सिंहासन का वारिस बना रहे हैं। यदि आपके आपने राज्य में अंग्रेजों की विजय की नीति का सिद्धांत अगर लगाया जाए तो आप क्या कदम उठायेंगे अगर आपके चाचा के बाद आपको वे उत्तराधिकारी बनने की अनुमति नहीं दे तो?

पाठगत प्रश्न 5.1

1. सही उत्तर पर निशान लगाएँ:-

   (क) भारत में ब्रिट्रिश इस रूप में आये थे?

   (i) विजेता (ii) यात्री (iii) आक्रमणकारी (iv) व्यापारी

(ख) मीर जाफर नवाब थे?

(i) मैसूर (ii) पंजाब के (iii) बंगाल के (iv) चीन के

2. ब्रिट्रिश भारत क्यों आए? कम से कम दो कारण दीजिए

3. अंग्रेजों ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए कौन से दो मुख्य तरीके अपनाए?

5.3 आर्थिक प्रभाव

औद्योगिक क्रांति ने अंग्रेजी व्यापारियों की प्रशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से प्रचूर मात्रा में पूंजी इकट्ठा करने में मदद की थी। अब वे इस धन का उपयोग उद्योग लगाने व भारत में व्यापार करने में लगाना चाहते थे। आज जो हम वस्तुओं का मशीनों से बड़ी मात्रा में उत्पादन देखते हैं, की शुरूआत औद्योगिक क्रांति के माध्यम से शुरू हुई थी, जो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड में हुई। इससे तैयार माल के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय आधार फैलाने में मदद मिली। इस समय इंग्लैंड में उत्पादकों का एक ऐसा वर्ग था जो व्यापार की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन से अधिक कमाता था। यह वर्ग भारत से कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल के भारत निर्यात में अधिक रूचि रखता था। 1793 तथा 1813 के मध्य ब्रिट्रिश निर्माताओं ने कम्पनी के विरूद्ध एक अभियान चलाया जिससे उसका व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो जाए। परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे भारत औद्योगिक इंगलैण्ड का आर्थिक उपनिवेश बन गया। आइए अब हम भारतीय उद्योग एवं व्यापार पर पड़े प्रभाव के विषय में ज्यादा पढ़े।

5.3.1 वस्त्र उद्योग और व्यापार

पहले भारतीय हथकरघा उत्पादों का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। भारतीय वस्त्र जैसे रेशम, कपास, लिनन और ऊनी माल के लिए पहले से ही एशिया और अफ्रीका में बाजार था। इंग्लैण्ड में औद्योगिकरण के आने के साथ वहां वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण बन गया। अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा पलट गई। भारतीय बाजार में अंग्रेजी कारखानों से मशीन के बने कपड़े बड़े पैमाने पर आयात होने लगे। इंग्लैण्ड में मशीनों से निर्मित उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात भारत के उद्योगों के लिए खतरा बन गया क्योंकि ब्रिट्रिश माल को सस्ती कीमत पर बेचा जाता था।

अंग्रेज भारत में अपने उत्पाद कम मूल्यों पर बेचने में सफल रहे क्योंकि विदेशी वस्तुओं का भारत में बिना कोई शुल्क दिये आने दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प पर भारी कर लगाए जाते थे, जब उन्हें निर्यात किया जाता था। इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों के दवाब में ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षात्मक टैरिफ भारतीय वस्त्रों पर लगाया। इसके कारण कुछ वर्षों के भीतर ही भारत कच्चे कपास और कपड़े का आयातक बन गया।

इस बदलाव का भारतीय हथकरघा और बुनाई उद्योग पर बड़ा प्रभाव हुआ जो उसके पतन का कारण बना। इसने बुनकरों के एक बड़े समुदाय को बेरोजगार बनाया। वे शहर छोड़कर चले गए और खेतिहर मजदूरों के रूप में गांव में भूमि पर काम करने लगे इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और

आजीविका पर दबाव बढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में भारतीय हथकरघा उद्योग को आसमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा बाद में इसे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अनऔद्योगीकरण के रूप में करार दिया।

क्या आप जानते हैं

ड्यूटी खरीदे या बेचे जाने वाले माल पर जो 'कर' सरकार को अदा किया जाता है, ड्यूटी कहते हैं।

टैक्स सरकार द्वारा आय, सम्पत्ति और बिक्री पर लगाया गया कर।

आयात कर या शुल्क अंकित होता है जो आयात या निर्यात पर लगाया जाता है।

अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिट्रिश माल के उपभोक्ता रूप में बदलना था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कपड़ा, धातु का काम, कांच, कागज आदि उद्योग खत्म हो गए। 1813 तक भारतीय हस्तशिल्प ने अपने विदेशी तथा घरेलू बाजर को खो दिया। भारतीय माल ब्रिट्रिश कारखानों में निर्मित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, जो मशीनों के द्वारा बनाया जाता था। बिट्रेन न एकाधिकार करके युद्ध और औपनिवेशीकरण के माध्यम से बाजार पर कब्जा कर लिया। वे भारतीय शासकों, व्यापारियों, जमींदार और यहाँ तक की आम लोगों से रुपया उगाहने लगे। यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिट्रिश साम्राज्य के हितों के लिए थी।

कार्यकलाप 5.2

बहरीयार गेरेरिया खानबदोश की केस स्टडी

"बिहार गया जिले में भेड़ के 75 परिवारों के समुदाय ने धन की कमी के कारण कंबल बुनना बंद कर दिया" ऐसा संडे ट्रिब्यून स्पैक्ट्रम नामक अखबार में 11 मार्च 2012 को छपा।

एक बुनकर कहते हैं, ''हम बाजार में बेचे जा रहे कम्बलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।'' एक अन्य का कहना है, ''हम गांवों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर हैं क्योंकि शहरी बाजार तक हमारी पहुंच नहीं है।''

ब्रिटिश भारत के दौरान और वर्तमान भारत में बुनकरों की स्थिति की तुलना करें। यह एक जैसी है या अलग? आप इस स्थिति में सुधार के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे?

5.3.2 भूमि राजस्व नीति और भूमि निपटान

प्राचीन काल से लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था इसलिए सारे संसार में 'भूमि कर' सभी सम्राटों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत था। 18वीं सदी में भारतीय लोगों का मुख्य

व्यवसाय कृषि था। ब्रिट्रिश शासन के दौरान भूमि राजस्व बढ़ता गया। इसके लिए कई कारण थे। शुरू में ब्रिट्रिश भारत के साथ व्यापार करने के लिए आये थे। धीरे-धीरे वे भारत के विशाल क्षेत्र को जीत लेना चाहते थे जिसके लिए उन्हे धन की बहुत जरूरत थी। उन्हें व्यापार एवं कंपनी की परियोजनाओं तथा प्रशासन को चलाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। ब्रिट्रिश भू-राजस्व व्यवस्था किसानों के कठिनाईयों का कारण बने। वे अपनी नीतियों और युद्ध अभियानों के लिए किसानों से धन निकलवाते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका से भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। इससे प्रभावित लोग अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें जमीन मालिकों और उनके लगान अधिकारियों को लगान कर देना पड़ता था। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण गरीबों को राहत और प्राकृतिक न्याय प्रदान करने में विफल रहा।

लार्ड कोर्नवालिस ने 1793, में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरूआत की। इसमें जमींदारों को सरकारी खजाने में पैसे की एक निश्चित राशि जमा करनी थी। बदले में वे भूमि के वंशानुगत मालिकों के रूप में पहचाने गये। इससे जमींदार भूमि का मालिक बन गया। उसे राजस्व को निश्चित समय की अवधि में कम्पनी को भुगतान करना होता थी। जिससे ब्रिट्रिश आर्थिक रूप से सुरक्षित बन गए। अब वे जानते थे कि राज्य में कितना राजस्व आ रहा था। जमींदार को भी पता था कि कितना राजस्व भुगतान किया जाना था। स्वयं के लिए अधिशेष राजस्व प्राप्त करने के लिए किसानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा। परन्तु, अगर जमींदार निश्चित समय पर राजस्व को भुगतान करने में विफल होता तो उसे जमीन को दूसरे जमींदार को बेच दिया जाता था। इससे अंग्रजों को लाभ हुआ। लाभ के रूप में जमींदारों का एक नया वर्ग उभरा जो उनके राजनीति सहयोगी बन गया। वे जरूरत के समय में ब्रिट्रिश को समर्थन देते और उनके और किसानों के बीच एक (बफर) मध्यस्थ का काम करते। वास्तव में इस वर्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की।

1822 में अंग्रेजों ने उत्तर-पश्चिमी प्रांत, पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलबारी बंदोवस्त शुरू किया। इस के आधार एक महल या संपत्ति का उत्पाद होता था - जो शायद एक गाँव या गाँवों के एक समूह के बराबर होता था। महल के सभी मालिक संयुक्त रूप से सरकार द्वारा मूल्यांकन राजस्व की राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से यह किसानों के लिए लाभकारी नहीं था क्योंकि राजस्व की मांग बहुत अधिक थी।

रैयतवारी बंदोवस्त 19वीं सदी के शुरूआत में बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी के कई भागों में शुरू किया गया था। यहां भू-राजस्व रैयत या किसानों पर सीधे लगाया गया था, किसान स्वयं वास्तव में जमीन पर काम करता था। और जमीन के मालिक के रूप में पहचाना गया वह राजस्व का भुगतान करने में सक्षम था। लेकिन उच्च राजस्व की मांग के कारण उसका शोषण जारी रहा।

5.3.3 कृषि का व्यवसायीकरण

भारत में ब्रिट्रिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, इंडिगो, अफीम, कपास, जूट, गन्ना एवं तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के परिचय से पड़ा। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों को विभिन्न प्रकार के अलग उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। भारतीय अफीम को चीनी, चाय

व्यापार संतुलन के लिए इस्तेमाल किया गया। जो बाद में ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। अफीम का बाजार सख्ती से अंग्रेज व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया जिसमें भारतीय उत्पादकों के लिए लाभ की ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी। भारतीयों को नील उत्पादन करने और इसे अंग्रेजों की तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। नील को इंग्लैण्ड भेज दिया जाता था और ब्रिट्रिश कपड़े की रंगाई के रूप में इस्तेमाल किया। सभी किसानों को नील को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर उगाने के लिए मजबूर किया गया दुर्भाग्य से नील की खेती कुछ वर्षों के लिए भूमि को बंजर बना देती थी। इससे किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे। चाय बागानों का स्वामित्व अक्सर बदल जाता था। इन बागानों पर मजदूर कठिनाइयों के अंदर काम करते थे।

कृषि के व्यवसायीकरण और स्वामित्व के हस्तांतरण की गति से देश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई। इससे एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारियों और दलालों ने इस स्थिति में किसानों का शोषण किया। किसान अब फसल कटाई के दौरान अपनी खेती को बेचने के लिए उनपर निर्भर थे क्योंकि किसानों अब वाणिज्यिक फसल उगाते थे। जिससे खाद्यान उत्पादन नीचे चला गया। अतः कम अनाज से अकाल की स्थिति बन गई। इसके बारे में विस्तार से आप आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। हमारे देश से धन की भारी राशि विभिन्न आर्थिक नीतियों की वजह से ब्रिटेन भेजी गई। अतिरिक्त वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेजों द्वारा नियोजित व्यय करने के कारण भारत पर डाला जाने लगा। यदि इस धन को भारत में निवेश किया जाता तो देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आ सकता था। अंग्रेजों द्वारा लागू आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज की सामाजिक संरचना बदल दी।

5.3.4 धन उधार देने वाले नए वर्ग का उदय

राजस्व की समयावधि और अत्यधिक मांग ने किसानों का साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया। ये साहूकार अक्सर उच्च ब्याज लेकर किसानों का शोषण करते थे। अक्सर लेखांकन में जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के छापों आदि अनुचित साधनों का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों की नई काकनून प्रणाली और नीति केवल साहूकारों या स्थानीय व्यापारियों या जमींदारों की सहायता करती थी। ज्यादातार मामलों में किसान पूर्ण ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करने में विफल रहते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे पैसा उधार देने वालों के हाथ से उनकी भूमि चली गई।

5.3.5 नये मध्य वर्ग का उदय

भारत में ब्रिट्रिश शासन का एक प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ब्रिट्रिश व्यावसायिक हितों की वृद्धि के साथ कुछ भारतीय लोगों को काम के छोटे-छोटे नए अवसर मिले। उन्होंने ज्यादातर एजेंटों और मध्यस्थों के रूप में ब्रिट्रिश व्यापारियों के लिए काम किया और बहुत धन कमाया। एक नया अभिजात वर्ग जो स्थायी बंदोबस्त की शुरूआत के बाद अस्तित्व में आया उसने भी अपन एक नया वर्ग बना लिया, पुराने जमींदारों ने अपनी भूमि पर स्वामित्व खो दिया और उनकी भूमि को कई मामलों में जमीन मालिकों के एक नये वर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन लोगों में से कुछ ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उनका एक नया अभिजात वर्ग बन गया। ब्रिट्रिश सत्ता के प्रसार के साथ रोजगार के नये अवसर आए। भारतीय समाज

में नयी कानूनी अदालतो, सरकारी अधिकारी और वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरूआत हुई। अंग्रेजी शिक्षित लोगों को स्वाभाविक रूप से अपनी उपनिवेशिक शासकों से आवश्यक संरक्षण मिला। इस प्रकार अंग्रेजों ने भूस्वामियों के अलावा एक नया पेशेवर और सेवा करने वाला मध्यम वर्ग भी बनाया।

5.3.6 परिवहन और संचार

उस समय भारत में परिवहन का साधन बैलगाड़ी, ऊँट, और पीठ पर सामान ढोने वाले अन्य जानवर ही थे। दूसरी तरफ इंगलैण्ड को रेलवे की जरूरत थी जो निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ सके और ब्रिट्रिश सामान को देश के विभिनन भागों तक पहुँचा सके। आज आप जो विशाल रेलवे का नेटवर्क देख रहे हैं वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ब्रिट्रिश बैकरों और निवेशकों ने अपनी पूंजी रेलवे के निर्माण में लगाई। ब्रिट्रिश पूंजीपतियों को दो महत्वपूर्ण तरीके से लाभ हुआ। पहला व्यापार की वस्तुओं में, व्यापार करना बहुत आसान हो गया और बंदरगाहों के साथ आंतरिक बाजार को जोड़ना भी लाभदायक रहा। दूसरे, रेल इंजन, डिब्बे और रेल लाईनों के निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटेन से आयी। ब्रिटेन पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की न्यूनतम लाभ की गारण्टी मिली। इन कंपनियों को 90 साल के पट्टे के साथ भूमि दी गई।

हालांकि रेलवे ब्रिट्रिश व्यापार के लाभ के लिए बनाई गई थी परन्तु रेलवे ने देश को राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ब्रिट्रिश ने कभी सोचा नहीं था कि व्यापक परिवहन नेटवर्क और बेहतर शिक्षा लोगों और विचारों को आपस में जोड़ेगी।

ब्रिट्रिश शासन के दौरान भारत ने स्वतंत्रता के विचारों, समानता, मानव अधिकार, विज्ञान और तकनीकी पश्चिम से लिया। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी हुई। अब हम आधुनिक विचार के भारतीय समाज पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे।

? क्या आप जानते हैं

सबसे पहली रेलवे लाईन रेड हिल में रेल रोड लाईन मद्रास में थी। इसे 1837 में ग्रेनाइट पत्थर को ले जाने के लिए खोला गया। जबकि 1853 में बम्बई से ठाणे के लिए यात्री सवारी गाड़ी इसी वर्ष में डलहौजी ने भारत में कलकत्ता से आगरा के लिए तार लाईन तथा डाक सेवा आरम्भ की।

पाठगत प्रश्न 5.2

1. सही या गलत बताए और अपनी राय को साबित करें :

   (क) विदेशी माल का ड्यूटी मुक्त प्रवेश, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था।

   ....

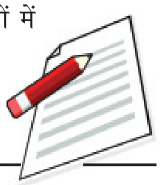

(ख) अंग्रेजों को सभी भूमि बंदोबस्तों से लाभ मिला।

....

(ग) नील, चावल, गेहूँ, चाय और अफीम पांच प्रमुख वाणिज्यिक फसलें थी जो अंग्रेजों ने शुरू की।

....

(घ) धन-उधार देने वालों का एक नया वर्ग बन गया था।

....

2. अंग्रेजों द्वारा रेवले के एक व्यापक नेटवर्क का भारत में किन दो कारणों से निर्माण किया गया।

5.4 समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव

भारत में अंग्रेजों के आने से समाज में कई परिवर्तन हुए। 19वीं सदी में शिशु हत्या, बाल-विवाह, सती, बहु-विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं और कठोर जाति व्यवस्था प्रचलित थी। ये प्रथाएँ मानव की गरिमा और मूल्यों के विरूद्ध थी। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं से भेदभाव किया जाता था और वे समाज का वंचित वर्ग मानी जाती थी। उनकी अपनी स्थिति में कोई सुधार के अवसर नहीं दिए गए थे। ऊँची जातियों के ब्राह्मण पुरूषों तक ही शिक्षा सीमित रह गई थी। ब्राह्मण वेदों का उपयोग करते थे जो संस्कृत में लिखे गये थे। पुरोहित महंगे अनुष्ठान बलिदान और जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियों को करवाते रहते थे।

जब ब्रिट्रिश भारत आए तो वे स्वतंत्रता, समानता आजादी और मानव अधिकार जैसे विचार के रूप में नए विचार यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार आंदोलनों और विभिन्न क्रांतियों से यहां लाए। इन विचारों ने हमारे समाज के कुछ वर्गों के लोगों से कुछ करने के लिए अपील की और देश के विभिन्न भागों में कई सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन ओदोलनों में सबसे आगे दूरदर्शी भारतीयों में राजाराम मोहनराय, सर सैयद अहमद खान, अरूणा आसफ अली और पंडिता रमबाई थे इन आंदोलनों से सामाजिक एकता आई और स्वतंत्रता, समानता की दिशा में प्रयास किए। कई कानूनी उपाय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए गए। उदाहरण के लिए लार्ड बैंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। एक कानून 1872 में पारित किया जिसमें अंतर-जाति और अंतर-साम्प्रदायिक विवाह को सहमति दी। 1929 में शारदा अधिनियम को पास करके बाल-विवाह पर रोक लगायी। एक अधिनियम पारित किया गया कि 14 वर्ष से नीचे आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अवैध मानी जाएगी। सभी आंदोलनों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा की आलोचना की।

समाज सुधारकों के इन प्रयासों का प्रभाव समाज सुधार और धार्मिक संगठनों में तथा राष्ट्रीय आंदोलन में स्पष्ट देखा जा सकता है। महिलाओं को बेहतर शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक

रोजगार के अवसर भी मिलने लगे थे। इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) की कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरूणा आसफ अली और कई अन्य महिलाओं की स्वतंत्रता संगाम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चित्र 5.7 कैप्टन लक्ष्मी सहगल. माध्यम, सामने पंक्ति में) और अन्य आईएनए अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस (बांए, आगे की पंक्ति में)

5.4.1 सामाजिक और सांस्कृतिक नीति

ब्रिट्रिश विशाल लाभ कमाने की नीयम से भारत आये थे। इसका अर्थ है कि बहुत सस्ती दरों पर कच्चे माल को खरीद कर और तैयार माल की बिक्री अधिक कीमतों पर करके लाभ कमाना। ब्रिट्रिश भारतीयों को शिक्षित और अपनी वस्तुओं के उपभोग के लिए पर्याप्त आधुनिक बनाना चाहते थे। एक सीमा तक कि वे ब्रिट्रिश हितों के लिए हानिकारक साबित नहीं हों कुछ अंग्रेजों का मानना था कि पश्चिमी विचार आधुनिक और बेहतर थे, जबकि भारतीय विचार पुराने और निम्नतर थे। वास्तव में यह सच नहीं है। भारत के पास पारम्परिक ज्ञान था जो आज भी प्रासांगिक है। इस समय इंग्लैण्ड में रेडिकल्स का एक समूह था जो भारतीयों की दिशा में एक मानवतावादी विचारधारा रखते थे। वे चाहते थे कि भारत आधुनिक विज्ञान की प्रगतिशील दुनिया का एक भाग बने। लेकिन ब्रिट्रिश सरकार भारत को तेजी से आधुनिकीकरण के प्रति से सतर्क हो गई। अंग्रेजों ने यह जान लिया था कि अगर धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रिवाजों में ज्यादा हस्तक्षेप किया गया तो लोग प्रतिक्रिया करेंगे। वे भारत में अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे और लोगों के बीच कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चाहते थे। इसलिए यद्यपि अंग्रेज सुधारों की बात करते थे, पर वास्तव में उन्होंने आधे-अधूरे मन से कुछ कदम उठाए।

5.4.2 शिक्षा नीति

ब्रिट्रिश ने भारत में अंग्रेजी भाषा शुरू करने में गहरी रूचि ली। ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करना उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। भारतीयों को क्लर्क के रूप में कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार किया गया जबकि उसी काम के लिए ब्रिट्रिश बहुत अधिक वेतन की मांग करते थे। इससे प्रशासन पर व्यय का भार कम पड़ा। उन्होंने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाया जो उनके प्रति वफादार थे और दूसरे भारतीयों से सम्बन्ध नहीं रखते थे। इस वर्ग के भारतीयों को ब्रिट्रिश विचारधारा और संस्कृति की प्रशंसा करना सिखाया। इसके अलावा, वे ब्रिट्रिश माल के लिए बाजार को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने देश में रजनीतिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया। ऐसा मान लिया है कि कुछ शिक्षित भारतीय जनता में अंग्रेजी संस्कृति फैलाकर और वे शिक्षित भारतीयों के इस वर्ग के माध्यम से शासन करने में सक्षम होंगे। ब्रिट्रिश केवल उन भारतीयों को नौकरियां देते थे जो अंग्रेजी जानते थे और वे भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए मजबूर करते थे। इससे शिक्षा जल्द ही अमीरों तथा शहरों में रहने वालों का एकाधिकार बन गयी।

ब्रिट्रिश संसद ने 1813 में चार्टर अधिनियम जारी किया गया जिसके द्वारा कि भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। लेकिन जल्द ही विवाद हो गया कुछ लोग केवल पश्चिमी विचारों की वकालत पर खर्च चाहते थे। वहां दूसरों ने परंपरागत भारतीय शिक्षा पर अधिक जोर दिया। कुछ लोगों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में (क्षेत्रीय भाषाओं) का उपयोग करने की सिफारिश की, जबकि दूसरे अंग्रेजी के पक्ष में थे। इस भ्रम में लोग अंग्रेजी को एक माध्यम और अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में अलग समझने में विफल रहे। पश्चिमी विचारों और साहित्य का शिक्षण केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में बुड्स डिस्पैच 1854 ने अन्य निर्देश जारी किये। इसने भारत सरकार से कहा कि जनता की शिक्षा के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। वुड्स डिस्पैच के निर्देश के कारण कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 1857 में विश्वविद्यालय और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। प्राथमिक विद्यालयों की बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों को खोला गया। उन्होंने आम जनता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वास्तविकता में, यह सब भारतीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

हालांकि अंग्रजों को आधे-अधूरे मन से भारत में शिक्षा नीति, अंग्रेजी भाषा का पालन और पश्चिमी विचारों को मानना पड़ा जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और स्वामी विवेकानंद ने उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों को माना तथा उस समय के गैर-मानवी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को सुधारने का प्रयत्न किया। हालांकि शिक्षा आम जनता तक नहीं पहुंची लेकिन साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रवाद, सामाजिक और आर्थिक समानता के विचारों ने अपनी जड़े राजनैतिक दलों, वाद-विवाद सार्वजनिक मंच और प्रेस के माध्यम से लोंगों में जमा ली। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को आधुनिक तर्कसंगत, लोकतांत्रिक, उदार और देशभक्ति के दृष्टिकोण को अपनाने में सहायता की। उन्होंने ज्ञान के नए क्षेत्र जैसे

विज्ञान, मानविकी और साहित्यिक को अपनाया। भारत में शिक्षित लोगों की अंग्रेजी भाषा (लिंगुआ फ्रांका) प्रिय भाषा बन गई। इससे भारतीयों को इंग्लैंड में अध्ययन का अवसर मिला और वहां लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पढ़ा। वहां भारतीयों ने जॉन लोके, रसिक्न मिल, रूसो और कई दूसरे अनेक लेखकों के स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मानवअधिकार और स्वशासन के विचारों को पढ़ा। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों और इटली और जर्मनी के एकीकरण से अपने को मजबूत बनाया और विचारों की प्रशंसा की। उन्हें केवर, गैरीबन्दी और माजीनी पसन्द आए। वे सब भारत के लिए इन आदर्शो से प्रेरणा लेने लगे।

मैक्स म्यूलर और एनी बेसेंट जैसे पश्चिमी विचारकों ने विरासत और संस्कृति में गर्व की भावना को बढ़ाने के लिए भारतीय जन-भाषा और साहित्यिक के लिए प्रोत्साहित किया। यह भारतीयों को भारत के सांस्कृतिक अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए योग्य बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त विचारों में राजनीति जागृति और विचारों के आदान-प्रदान करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उल्लेखनीय है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं ने लोगों को अपने विचारों और समस्याओं को कहने का अवसर दिया। इसी तरह उपन्यास, नाटक, लघु कहानी, कविता, गीत, नृत्य, थिएटर, कला और सिनेमा आदि को औपनिवेशिक शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया। ये लोगों की भाषा में उनके दैनिक जीवन के सुख और दुख का वर्णन करते थे। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ-साथ वे आत्मविश्वास, आत्म सम्मान, जागरूकता और देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा दे रहे थे। जिससे राष्ट्रीय चेतना की एक भावना विकसित हुई।

? क्या आप जानते हैं

इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) 1943 में स्थापित किया गया। इसने संगीत को एक अभिन्न हथियार की रतह असहमति और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया। इसमें शोषण के प्रति जागरूकता से लेकर, किसानों के अनवरत बलिदान 1857 के विद्रोह और अमृतसर में जलियावाला बाग में मारे गए लोगों के लिए गाने गाये गए। युद्ध और हिसा की अर्थहीनता भारत के विभाजन के खिलाफ विरोध को अपनी गीतों के माध्यम से गाकर बताया।

ब्रिट्रिश ने कई रणनीतियाँ अपने नियम को प्रभावी करने के लिए बनाई। आरम्भिक समय में, भारत में वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन आदि जैसे ब्रिट्रिश प्रशासकों ने भारत के प्राचीन अतीत की महिमा को जाना। इन विद्वानों और प्रशासकों को एशिया की भाषा का ज्ञानी कहा गया। उन्होंने सोचा कि भारतीय भाषाओं साहित्य और संस्कृति का ज्ञान उन्हें भारत के शासन को आसानी से चलाने में मदद देगा। महत्वपूर्ण संस्थान जो उनके प्रयासों से पहचान में आए थे वॉरने हेस्टिंस (1781) द्वारा कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने (1784) में की बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन (1794) में की और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना (1800) में की। विशेश रूप से एशियाटिक सोसाइटी और फोर्ट विलियम कालेज भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य अध्ययन का मुख्य केन्द्र बन गया। पहली बार प्राचीन संस्कृत के कालिदास जैसे लेखकों की महान कृति का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से विश्व में जाना गया।

क्रिया कलाप 5.3

इस अवधि के दौरान कुछ व्यक्तियों ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान और परम्परा की महिमा को उजागर करने में भूमिका निभाई थी। कुछ व्यक्तियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है उनका योगदान संसार में जाना जाता है। उनके विषय में अधिक जानकारी के लिए पुस्तकालय/इंटरनेट पर खोज करें।

1. आर्यभट्ट ....
2. चरक ....
3. मैत्रेयी ....
4. गार्गी ....

आप कैसे सोचते हो कि भारतीयों को अपने अतीत के इतिहास पर गर्व करने के लिए और आत्म सम्मान पाने में यह सहायता करता है।

5.4.3 सुधार आंदोलन के प्रभाव

सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार नेतृत्व किया? सुधारकों की लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना डाली। इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीय ने महसूस किया है कि आधुनिक विचारों और संस्कृति का भारतीय सांस्कृतिक धारा में समेकित करके आत्मसात किया जा सकता है उन्होंने देशवासियों को बताया कि सभी आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरूद्ध नहीं है। आधुनिक शिक्षा की शुरूआत ने भारतीयों को जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण दिया। लोगों को भारतीयों के रूप में अपनी पहचान के लिए और अधिक जागरूक किया। जो अंततः भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट संघर्ष के लिए जिम्मेदार था।

5.4.4 ब्रिटिश प्रशासन और न्यायिक प्रणाली

भारतीयों को ब्रिट्रिश प्रशासन की नई प्रणाली को समायोजित करने में कठिनाई हुई। भारतीय राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे और ब्रिट्रिश अधिकारी उन से अवमानना के साथ व्यवहार करते थे। भारतीयों को प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पदों से बाहर रखा गया। अंग्रेजों ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाल की शुरूआत की। एक श्रेणीबद्ध सिविल और आपराधिक अदालतों को स्थापित किया गया। कानूनों के कोड बनाए गये तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया गया। भारत में कानून के शासन को स्थापित1करने के प्रयास किए गए। लेकिन ब्रिट्रिश भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे तथा अपनी निर्णायक शक्तियों का आनन्द ले रहे थे। कानूनी आदालतें भी आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। न्याय एक महंगा मामला बन गया। नई न्यायाधिक प्रणाली भी यूरोपियन तथा भारतीयों के बीच भेदभाव रखती थी।

पाठगत प्रश्न 5.3

1. निम्नलिखित को मिलाएँ

(क) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम	(1) अधिनियम 1857
(ख) चार्टर अधिनियम	(2) अधिनियम 1794
(ग) शिक्षा विभाग	(3) 1813
(घ) बनारस का संस्कृति कॉलेज	(4) 1856
	(5) 1855

2. अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय संस्कृति तथा भाषा के कम से कम दो केन्द्रों के नाम बताएँ?
3. ब्रिट्रिश भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करने वाले दो कानूनी उपायों को संक्षेप में लिखे?

5.5 विरोध आंदोलन

ब्रिट्रिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीय लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। देश भर में ब्रिट्रिश विरोधी आंदोलनों की श्रृंखला का नेतृत्व किया जाने लगा। इसके लिए किसानों और जनजातियों ने शोषक शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका अधिक से अधिक विस्तार में आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। ब्रिट्रिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल पड़ा जो अभूतपूर्व था। 19वीं सदी के मध्य के दौरान 7 बड़े अकाल दर्ज किये गए जिसमें 15 लाख लोगों की मौत हुई। इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 24 अकाल पड़े जिसमें 200 लाख से अधिक मौतें हुई। सबसे विनाशकारी 1943 में बंगाल का अकाल था जिसने 40 लाख भारतीयों को मार डाला। करों से दबे किसान भूमि से बेदखल और बंगाल के अकाल से बचे लोग विद्रोही संन्यासियों और फकीरों के समूहों में शामिल हो गए। 1783 में विद्रोहियों ने कंपनी के राजस्व का भुगतान बन्द कर दिया। हालांकि विद्रोहियों को अंत में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह तमिलनाडु, मालाबार और तटीय आंध्र के पोलीगर और मालाबार के मैपिला लोगों ने औपनिवेशिक ने शासन के विरूद्ध विद्रोह किया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किया। महाराष्ट्र और गुजरात में कोलियों ने विद्रोह किया।

देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जनजातियों ने अपने अधिकार के विस्तार के लिए औपनिवेशिक सरकार का विद्रोह किया। जनजातियों से विभिन्न वसूलियां की जाती थी। जनजातियों जैसे खानदेश के भील और सिंहभम के कोली नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया। बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ित संथालों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उनको अपनी भूमि से बेदखल किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की लेकिन अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया। हालांकि इन विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली लेकिन वे औपनिवेशिक शासन

के अलोकप्रिय चरित्र को उजागर करने में सफल रहे। आज भी हम अपने समाज में कई असमानताओं को देखते है। यदि आप इस स्थिति की आजादी के समय के साथ तुलना करें तो हमने अच्छी प्रगति की है। लेकिन हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

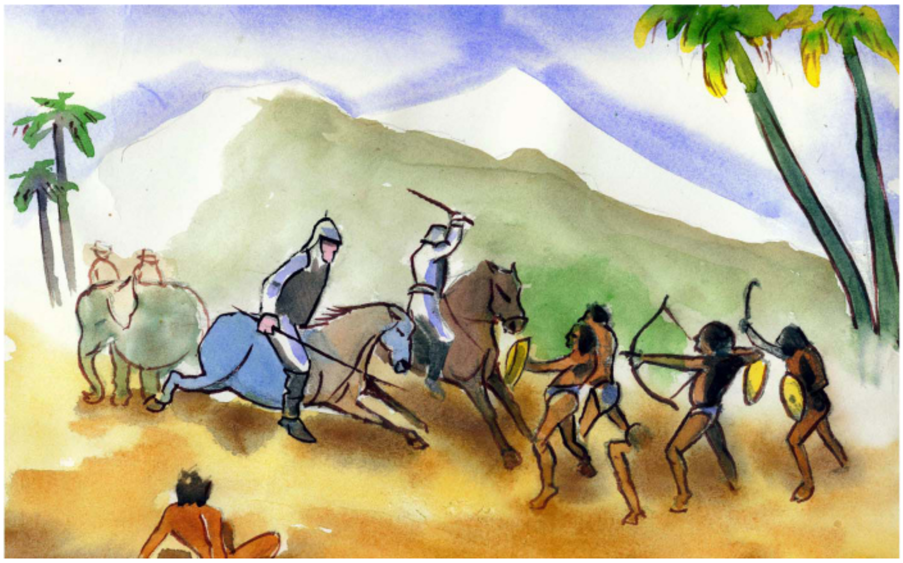

चित्र 5.8 संथाल विद्रोहः रेलवे इंजीनियरों और संथालों के बीच लड़ाई

क्रियाकलाप 5.4

विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार 17,500 से अधिक किसानों ने 2002 और 2006 बीच आत्म हत्या की।महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली है। इनकी आत्महत्या का मुख्य कारण फसल विफलता और ऋण था। इसके अलावा, किसानों की संख्या भी कम हो रही है, उनके खेती का परित्याग करने के कारण अखबारो, पत्रिकाओं और इंटरनेट या 5-6 किसानों से बात करके इकट्ठा करके और यह पता करें कि किन संभावित कारणों से वे यह कदम उठा रहे हैं? आप अपने विचार प्रस्तुत करें।

क्या आपने फिल्म ''पीपली लाइव'' देखी है? यदि आप देख सकते हैं तो देखें।

5.5.1 1857के विद्रोह के प्रभाव

किसानों एवं कारीगरों की आर्थिक गिरावट 1770 से 1857 तक के 12 प्रमुख अकालों तथा कई छोटे अकालों से स्पष्ट है। यह सभी कारक ब्रिट्रिश विरोधी भावना सहायक सिद्ध हुए। अंग्रजों ने बेरहमी से शासन किया और वे जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सुधारों

के द्वारा कुछ सामाजिक परिवर्तन किए गए लोगों का मानना था कि सरकार उन्हें इसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुए। आगे के पाठ में आप कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विद्रोहों के बारे में पढ़ेगे। उनके महत्व तथा प्रकृति के विषय में पढ़ेगे। तुम 1857 के विद्रोह के बारे में जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें पहली बार एकीकृत हुए विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों को ब्रिट्रिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया गया।

विद्राह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिट्रिश नीति में परिवर्तन के साथ अन्त कर दिया। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारतीय लोगों में अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आ गई। जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे ताकि आगामी समय में दूसरे लोग स्वतंत्र भारत में रह सके। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति से हिन्दुओं और मुसलामानों के बीच संबंध को खराब किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे भारत में अपने शासन को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हिन्दू और मुसलमानों को अलग करना आवश्यक है।

5.5.2 आज पर प्रभाव

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान जायेंगे कि ब्रिट्रिश शासन ने किस प्रकार भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अंग्रेजों के राजनीतिक और व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझकर प्रस्तुत किए गए। लेकिन भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच बातचीत का प्रतिफल एक दूसरे रूप में भी हुआ। एक बड़ी संख्या में ब्रिट्रिश और यूरोपीय इस दौरान हमारे देश में रह गए जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ।

हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे वर्तमान जीवन को काफी हद तक तत्काल अतीत से आकार मिलता है। इस तत्काल अतीत में देश के एक बड़े हिस्से पर ब्रिट्रिश नियंत्रण एक निर्धारण कारक बन गया। ब्रिट्रिश शासन के एक परिणाम के रूप में सांस्कृतिक और कानूनी परिवर्तन आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रेल, क्लब जीवन, राष्ट्रपतिभवन जैसे शाही भवन और संसद भवन भारत में ब्रिट्रिश शासन की याद ताजा कराते है। कई खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, चाय और केक जो हम आज भी खाते हैं यह सब यूरोपीय लोगों के साथ रहने का परिणाम है। यदि आप अपने आप को चारों ओर देखेंगे तो आश्चर्य चकित हो जाएंगे कि शहरी भारत में प्रचलित वेशभूषा का बड़ी संख्या में ब्रिट्रिश शासन के दौरान अपनाया गया था। उदाहरण के लिए पतलून, कोट और टाई। इस अवधि के दौरान भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी भी यूरोपीय प्रशिक्षण और संस्कृति के कई पहलुओं को बनाए रखा है। हमारी शिक्षा या सीखने का माध्यम भी मुख्य रूप से अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अपने निर्णय अंग्रेजी में पारित करते हैं। यह भाषा भी ब्रिट्रिश शासन की विरासत है और भारतीयों को अपने देश में रोजगार की मांग की लोकभाषा बनी हुई है।

पाठगत प्रश्न 5.4

1. भारत में किसान और आदिवासी समूहों द्वारा विरोध आंदोलनों के दो कारणों को चिन्हित करो।
2. ''फूट डालो और राज करो'' ब्रिट्रिश नीति ने देश के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित किया? 30 शब्दों में समझाओ।

आपने क्या सीखा

- अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए थे लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ धीरे-धीरे पूरे भारत पर समायोजन और कूटनीति जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करके विजय प्राप्त कर उन्होंने भारत पर नियंत्रण कर लिया।
- भारत में ब्रिट्रिश राजनीतिक प्रभुत्व का कारण 1857 की प्लासी की लड़ाई मानी जाती है। ब्रिट्रिश शासन का भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- ब्रिट्रिश शासन के आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक दूरगामी था। इसने भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था नष्ट की और भारत के पैसों को ब्रिटेन भेजा। ब्रिट्रिश आर्थिक नीतियों का किसानों, कारीगरों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- ब्रिट्रिश राज से असन्तोष के परिणामस्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलनों की एक श्रृंखला का जन्म हुआ। सनयासी और फकीरों की बगावतें, फराजी आंदोलनों बाहबी आंदोलन और संथाल विद्रोह ब्रिट्रिश शासन के प्रति विरोध का उदाहरण है।
- सैन्य और राजनीतिक कमजोरियों के कारण भारतीयों की 1857 के युद्ध में हार हुई?

पाठान्त प्रश्न

1. अंग्रेजी की भू-राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया।
2. स्थायी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त के बीच भेद बताएं?
3. अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में कैसे योगदान दिया?
4. देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कारणों की जांच करें?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

1. (क) (iv)
   (ख) (iii)
2. ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अपने तैयार माल के लिए बाजार को बढ़ाना।
3. विलय की नीति और सहायक संधि

5.2

1. (क) नहीं, क्योंकि विदेशी माल भारतीय हथकरघा उद्योग के लिए एक खतरा था। इसके अलावा भारतीय बुनकरों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा।
   (ख) नहीं, क्योंकि ब्रिट्रिश शासन द्वारा उच्च राजस्व दरों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। हालांकि ब्रिट्रिश साम्राज्य की आर्थिक रूप से लाभ हुआ परंतु यह करने से आगे चल कर उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचा।
   (ग) नहीं है क्योंकि चावल और गेहं खाद्य फसलें हैं।
   (घ) हाँ, क्योंकि जब किसान को अपना ऋण वापिस करने में विफल रहते तो साहूंकार वर्ग के हाथों अपनी भूमि खो देते।
2. उनका मुख्य उद्देश्य गांवों से व्यापार बन्दरगाहों और औद्योगिक शहरों को जोड़ना था जहां वे अपने कच्चे माल जो नकदी फसल हैं। आसानी और तेजी से व्यापार बन्दरगाहों तक ले जा सकते थे। ऐसा परिवहन व्यवस्था ने सुनिश्चित किया।

5.3

1. (क) (iv) (ख) (iii) (ग) (i) (घ) (ii)
2. बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई
   लार्ड वैलसली ने 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की।
3. सती प्रथा जिसमें पत्नी अपने पति की चिता के आग में कूद जाती थी। इस पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया गया।
   शारदा अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के बाल विवाह को रोकने के लिए 1929में पारित किया गया।

5.4

1. (क) अंग्रेजों की शोषक नीति, भारी कराधान तथा किसानों पर उंचे राजस्व की दर।
   (ख) विभिन्न जबरन वसूली की नीतियों और आदिवासी भूमि पर ब्रिट्रिश अधिकार का विस्तार।
2 ''फूट डालो और राज करो'' ब्रिट्रिश नीति देश को धार्मिक आधार पर विभाजन का कारण बनी। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों ने हिन्दु मुसलमानों के सम्बन्ध खराब करके अपने शासन को कायम रखा।

6

औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति

एक तेरह साल की लड़की मिमि और उसकी दादी गायत्री के बीच एक बातचीत पढ़ें:

मिमी : दादी माँ, आप कौन से कालेज में पढ़ती थीं?

दादी : (मुस्कुराते हुए) बिटिया : मैं कालेज में कभी नहीं गई, मैं तो केवल कक्षा 6 तक पढ़ी हुई हूँ ताि जब मैं तेरह साल की थी तभी मेरा विवाह हो गया थाि।

मिमी : (आश्चर्य से) तेरह साल में विवाहित। यह तो अवैध है दादी। क्या आप ने विरोध नहीं किया?

दादी : उस समय हालात अलग थे और मेरी सहेलियों की भी मेरी उम्र तक ही शादी हो गई थी।

इस बातचीत से मिमी यह जानने को उत्सुक हो गई कि समाज में ऐसी कौन सी प्रथाएँ प्रचलित थीं जब दादी छोटी बच्ची थी। उसे इस पर भी आश्चर्य हुआ कि समय के दौरान यह सब किस प्रकार परिवर्तित हो गया। इन बदलावों को लाने के लिए कौन से लोग जिम्मेदार थे। मिमी इन सब परिवर्तनों के विषय में अधिक जानना चाहती थी। आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि 19वीं सदी एवं 20वीं सदी में भारत में सुधार हुए। आप इन सुधारों के समाज पर प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि :

- 19वीं सदी के दौरान हमारे समाज में कौन सी प्रथाऐं प्रचलित थीं
- चर्चा कर सकेंगे कि 19वीं सदी तथा आरंभिक 20वीं सदी के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न की।
- जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे मुद्दों को सुधारकों ने कानूनों और अन्य साधनों के माध्यम से किस प्रकार सुलझाने की कोशिश की गई।

- 19वीं सदी के बाद भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में सुधारकों की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।
- भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों के प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे।

6.1 19वीं सदी के प्रारंभ के समाज

आज जो भारतीय समाज आप देखते हैं वह आरंभिक 19वीं सदी से बहुत भिन्न था। समाज की प्रगति दो मुख्य कारणों से रूकी हुई थी। एक कारण था शिक्षा का अभाव और दूसरा था महिलाओं की अधीनता। भारतीय समाज के कई वर्ग रूढिवादी थे और उन प्रथाओं को मानते थे जो मानवीय विचारों के विरूद्ध थे।

6.1.1 शिक्षा का अभाव

उस समय अधिकांश लोग अशिक्षित थे। संपूर्ण संसार में शिक्षा बहुत थोड़े से लोगों के पास ही थी। भारत में भी शिक्षा उच्चतम जाति के पुरूषों के ही पास थी। भारत में वेद जो संस्कृत में लिखे गये थे, का प्रयोग ब्राह्मण वर्ग ने ही किया था। यह भाषा केवल वे ही जानते थे। धार्मिक ग्रंथों पर भी उन लोगों का नियंत्रण था। उन्होंने अपने को लाभान्वित करने के लिए इनका प्रयोग किया। उन्होंने महंगे अनुष्ठान, बलिदान और जन्म या मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठानों को प्रोत्साहन दिया। मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन जीने के विश्वास में प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुष्ठानों का करना अनिवार्य था। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि शास्त्रों में क्या लिखा है। कोई भी ब्राह्मण, पुजारियों से प्रश्न नहीं करता था। इसी तरह यूरोप में भी बाइबिल लैटिन भाषा में लिखी गई थी। यह चर्च की भाषा थी और उनके पादरी इन धार्मिक ग्रंथों की अपने अनुसार व्याख्या करते थे। यही वजह है कि एक प्रतिक्रिया के रूप में, यूरोप के पुनर्जागरण तथा सुधार आंदोलन को देखा गया, जिसके विषय में आप पहले इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता, समानता, आजादी तथा मानव अधिकारों जैसे विचार को यूरोप में विभिन्न क्रांतियों के रूप में सामने आये।

6.1.2 महिलाओं की स्थिति

लड़कियों और महिलाओं के विकास के लिए आज उनके पास बेहतर अवसर है। अपने अध्ययन और घर के बाहर काम करने के लिए वे अधिक स्वतंत्र भी हैं। लेकिन 19वीं सदी में अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। कुछ सामाजिक प्रथाऐं जैसे कन्या बाल-विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहुविवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थीं। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी। जो लड़कियां बच जाती थी अक्सर उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। बड़ी उम्र के पुरूषों से भी शादी (विवाह) कर दी जाती थी। बहुविवाह यानि कि पुरूष की एक पत्नी से ज्यादा पत्नी रखना कई धर्म तथा जातियों में स्वीकार किया जाता था। देश के कुछ भागों में सती प्रथा का प्रचलन था जिसमें एक विधवा औरत को मजबूर किया जाता था कि वह अपने पति की चिता पर खुद को जला दें। जो महिलाएं सती प्रथा से बच जाती थी वे एक बहुत ही दुखी जीवन जीती थी। महिलाओं का संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। इस प्रकार, सामान्य जीवन में महिलाओं की समाज

में अधीनस्थ स्थिति होती थी। बाह्य आक्रमणें तथा परिवार के सम्मान में कमी होने के डर ने इन प्रथाओं को बढ़ावा दिया।

दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। यह स्पष्ट था कि कुछ प्रथाओं और अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज की प्रगति रूकी हुई थी। समाज में सुधार लाने के लिए लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत थी।

क्या आप जानते हैं

शिशुहत्या : जन्म लिए एक जीवित शिशु की हत्या; एक नए जन्मे बच्चे की हत्या;

बाल लिंगनुपात :

0-6 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 लड़कों के प्रति लड़कियों की संख्या। भारत में 1961 में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 976 थी जो गिरकर 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों के अनुपात में घट कर 914 लड़कियां हो गई है। वैश्विक संदर्भ के अनुसार, सामान्यतः बाल लिंगानुपात 950 से ऊपर होना चाहिए।

क्रियाकलाप 6.1

2011की जनगणना के अनुसार, सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंग अनुपात क्रमशः केरल में 1000 पुरूषों पर 1084 महिलाएं तथा 1000 पुरूषों पर 877 मलिाएं हरियाणा में हैं। किन्हीं 5 राज्यों में 1000 पुरूषों में 914 महिलाओं के लिंग अनुपात की जानकारी ढूंढें। अधिक जानकारी के लिए website www.censusindia.gov.in पर खोज करें।

6.2 परिवर्तन की इच्छाः सामाजिक-धार्मिक जागृति

आपके अनुसार लोगों में भेदभाव तथा असमानता के विरूद्ध जागृति के क्या कारण हो सकते हैं? राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान और पंडिता रमावाई जैसे कई सुधारक समझ गये थे कि अज्ञानता और समाज में पिछड़ापन ही प्रगति और विकास में बाधा के लिए जिम्मेदार थे। इस बात का उनको अहसास तब हुआ जब वे यूरोपियों के साथ संपर्क में आये और पाया कि उनका यह जीवन दुनिया के अन्य भागों से बहुत अलग हैं। ब्रिटिश मिशनरियों ने जब ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया तब उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की तथा उन पर कई प्रश्न उठाये। समाज में सुधार लाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि परम्परागत रूढ़िवादी भारतीयों के विरोध तथा चुनौतियों के बावजूद इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में वांछित परिवर्तन लाने हेतु अनेक आंदोलन शुरू किये।

स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध लोगों द्वारा ही इसे संभव बनाया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथें का अध्ययन किया और प्रचलित धार्मिक और समाजिक प्रथाओं की

आलोचना की। उनके अनुसार, समाज पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा चाहिए और यह महिलाओं के बीच विशेष रूप से आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार से ही संभव था। यह आंदोलन ''सामाजिक-धार्मिक आंदोलन'' के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि सुधारकों ने महसूस किया कि धर्म में सुधार के बिना समाज में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। हमे आगे पढ़ने से यह पता लगेगा कि क्यों शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं समाज में केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थे।

6.2.1 जाति व्यवस्था

प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूलतः व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरी के कारण कई अंधविश्वासी प्रथाओं का प्रचलन हुआ। इसके परिणामस्वरूप, उच्चजाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति के शोषण की शुरूआत हो गई।

हिन्दू समाज वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आधारित था। इस व्यवस्था के अनुासर लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था।

जो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे हुए थे उन्हें ब्राह्मणों के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो युद्ध में लगे हुए थे वे उन्हे क्षत्रिय। जिनका व्यवसाय कृषि तथा व्यापार था वे वैश्य के रूप में जाने जाते थे और जो ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा कार्य में लगे थे वे शुद्र कहे जाते थे। यह वर्ण व्यवस्था जो विशुद्ध रूप से व्यवसाय पर आधारित थी बाद में वंशानुगत हो गई। किसी एक विशेष जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता था यद्यपि वह अपने काम को बदल सकता है। इससे समाज में असमानताओं ने जन्म लिया। इससे निम्न जातियों का शोषण होने लगा। जिसके कारण जाति व्यवस्था एक स्वच्छ लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज को बनाने में बाधक हो गई। समाज में जन्मी इन कुरीतियों के विरूद्ध कई समाज सुधारक सामने आए। कई समाज संगठन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, नारायण गुरू, पेरियार, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा और कई दूसरों ने इन सबका दृढ़ता से विरोध किया। अधिकांश सुधारकों ने जाति प्रथा को वेदों और धर्मग्रंथों के विरूद्ध माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था, अतार्किक और अवैज्ञानिक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मानवता के बुनियादी नियमों के खिलाफ थी। समाज सुधारकों के अथक और अनवरत प्रयासों ने लोगों के मदद की जिससे एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता जागृत हुई।

? क्या आप जानते हैं

संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि ''धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किन्हीं के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जायेग।'' इन सांविधानिक प्रावधानों ने देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में समाज के पिछड़े वर्गों (आधकारविहीन वर्गों) की भागीदारी सुनिश्चित की है।

6.2.2 प्रचलित धार्मिक प्रथाएँ

अधिकांशतः सामाजिक प्रथाएँ धर्म के नाम पर की जाती थी। इसलिए सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार के बिना कोई अर्थ नहीं रखता था। हमारे सामाजिक सुधारकों को भारतीय परंपरा और दर्शन का गहन ज्ञान था और शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था। वे पश्चिमी विचारों और लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक भारतीय मूल्यों का मिश्रण करने में सक्षम थे। इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने धर्म में कठोरता तथा अंधविश्वासी प्रथाओं को चुनौती दी। उन्होंने शास्त्रों से उद्धृत करके बताया कि उन्नीसवीं सदी के दौरान प्रचलित प्रथाओं को किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली है। प्रबुद्ध और बुद्धिवादी लोगों ने लोकप्रचलित धर्म पर जो कि अंधविश्वासें से भरा पड़ा था तथा पुजारियों के हाथों शोषण का एक मंत्र बना हुआ था, पर अनेक प्रश्न उठाये। ये समाज सुधारक चाहते थे कि समाज तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करे। उनका मानव गरिमा और सभी पुरूषों और महिलाओं की सामाजिक समानता के सिद्धांत में भी विश्वास था।

6.2.3 शैक्षिक परिदृश्य

19वीं सदी में, अनेक बच्चों, खासकर लड़कियों, को स्कूल नहीं भेजा जाता था। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरूकुलों में प्रदान की जाती थी। धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म तथा दर्शन जैसे विषयों को पढाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पाठयक्रम में कोई जगह नहीं थी। कई अंधविश्वासी मान्यताओं का समाज में अस्तित्व था। कुछ समुदायों में तो लड़कियों को शिक्षित करने की भी अनुमति नहीं थी। यह सोचा जाता था कि शिक्षित महिलाएं शादी के बाद जल्दी विधवा हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल कारण थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

इसलिए हिन्दु, मुस्लिम, सिख या पारसी सभी सामाजिक-धार्मिक सुधारकों को विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा ही हमारे समाज को जागरूक और आधुनिक बना सकती है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना मुख्य उद्देश्य बन गया। वे मानते थे कि हमारे समाज को जागृत करने का शिक्षा ही एक प्रमुख प्रभावी उपकरण है।

पाठगत प्रश्न 6.1

1. किसी दो सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाएं जिनके विरूद्ध समाज सुधार आंदोलन शुरू किये गये।
2. जाति व्यवस्था अतार्किक तथा अवैज्ञानिक क्यों मानी जाती थी?
3. समाज सुधारकों द्वारा ''धर्म में कठोरता'' की आलोचना के क्या आधार थे?
4. नीचे दिए गए अंश को पढें तथा प्रश्नों के उत्तर दें

   डा. भीम राव अंबेडकर एक गरीब महार परिवार के थे, जो अछूत जाति मानी जाती थी। उन्होंने भारत में कालेज की शिक्षा प्राप्त की और बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन

स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपने अध्ययन तथा शोधकार्य के लिए डिग्री तथा डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की।डा. अंबेडकर भारतीय संविधान की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। सामाजिक और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद डा. अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध लड़ने में व्यतीत किया। सन् 1990 में उनको मरणोपरांत ''भारत रत्न'' से सम्मानित किया गया।

1. शिक्षा के अलावा कुछ और चीज जिसने डा. अम्बेडकर को समाज में व्याप्त भेदभाव से लड़ने के लिए सक्षम बनाया।

क्रियाकलाप 6.2

कम से कम दो उदाहरण देकर बताएं कि समाज में आपने जाति भेदभाव महसूस किया है। 50 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखें।

6.3 19वीं सदी में सामाजिक-धार्मिक सुधार

19वीं सदी में कई भारतीय विचारक और सुधारक, समाज में सुधार लाने के लिए आगे आए। उनके मुताबिक समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए थे। दोनों में सकारात्क विकास और देश के विकास को प्राप्त करने के लिए सुधार करने की जरूरत है। इसलिए हमारे सुधारकों ने भारतीय जनता को जगाने की पहल की। इन सुधारकों ने जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की जिसके बारे में आप अब आगे पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारकों का यह एक अन्य प्रमुख योगदान था।

6.3.1 राजा राम मोहन राय

राजा राम मोहन राय बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था उन्होंने कुरान, बाइबिल तथा हिन्दु ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया था। उदार शिक्षा से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और दर्शन के साथ उजागर किया था।

चित्र 6.1 राजा राम मोहन राय

उनको उस वक्त गहरा अवसाद हुआ जब उनकी अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबद्ध के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसकी दुर्दशा से उनपर असर पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। उस समय उन्होंने अन्य अनुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाओं को चुनौती देने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वह पहले व्यक्ति

थे और जल्द ही यह उनके जीवनभर का धर्मयुद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाये कि इस प्रथा को हिन्दु धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं थी। इस प्रक्रिया में उनको रूढिवादी हिन्दुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना करना पड़ा। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, सर विलियम वेनटीक ने इनका समर्थन किया। 1829 में एक कानून पारित किया गया। जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए प्रयास किए।

उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारों के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व किया। धर्म शास्त्रों के वह अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की, धर्म सुधार तथा सभी धर्मों के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया उनका मत था कि हिन्दु ग्रंथों में एकेश्वरवाद की प्रथा जोर दिया गया था सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथों (एक ही पूजा) और बहुदेववाद (एक से अधिक भगवान में विश्वास) का विरोध किया गया है। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन रिवाजों का खंडन किया।

उन्होंने दृढता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति प्रौद्योगिकी की भारत के आधुनिकीकरण के लिए वकालत की। उन्होंने कोलकाता में अपनी पैसा से एक अंग्रेजी स्कूल बनाया। यहां और विषयों के साथ यांत्रिकी और दर्शन जैसे विषय भी पढाये गए। वेदांत कॉलेज 1825 में खोला गया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिन्दू कॉलेज भी खोला।

6.3.2 ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

एक महान विद्वान और सुधारक, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने सामाजिक सुधारों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। 1856 में सबसे पहले हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके अथक प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बाल-विवाह तथा बहुविवाह के विरूद्ध अभियान भी चलाया। हालांकि वह खुद को धार्मिक नहीं मानते थे तथा वे धर्म के नाम पर किए गए सुधारों का विरोध भी करते थे।

चित्र 6.2 ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने को तैयार था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने संस्कृत एवं बंगला साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ने को कहा तथा भारतीयों को पुराने विश्वासों को दूर करने एवं आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जा सकता है। इस दिशा में उनके प्रयासों की प्रशंसा हुई। वह महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन थे। उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के स्कूल खोले गए। उनके प्रयासों के माध्यम से संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों का भी दाखिला किया गया।

6.3.3 स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। वे वेदों को त्रुटिरहित तथा समस्त ज्ञान का आधार मानते थे। उन्होंने सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे, उनको खारिज कर दिया। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वह भगवान से सीधे संपर्क रखें। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू कर दिया जो उन हिन्दुओं को वापस लाने के लिए था, जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था। उनकी सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी।

चित्र 6.3 स्वामी दयानंद सरस्वती

आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। इन्होंने अस्पृश्यता और वंशानुगत जाति व्यवस्था के विरूद्ध कठोर लड़ाई की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही जिसके द्वारा उन्होंने लोगो के बीच आत्म विश्वास तथा आत्म सम्मान की भावना का विकास किया।

आर्य समाज की भूमिका जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय थी। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने बाद में स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क डी.ए.वी. आरंभ किया (दयानंद एंग्लो वैदिक)। जहां देश में वैदिक शिक्षाओं पर समझौता किए बिना पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया।

6.3.4 रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद

रामकृष्ण परमहंस (1836-1886) ने धर्मों की आवश्यक एकता और एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जरूरत पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि संसार के विभिन्न धर्मों में भगवान तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानन्द (1863-1902) उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे।

> दुनिया के इतिहास में कुछ पुरूषों को ही अपने आप में विश्वास था। वह विश्वास भीतर देवत्व से मिलता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप केवल असफल होते हैं जब आप प्रकट अनंत शक्ति के लिए प्रयास कम करते हैं। एक आदमी के रूप में या स्वयं में या एक राष्ट्र खूद में विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। पहले अपने आप में विश्वास करें और फिर भगवान में। – स्वामी विवेकानंद

विवेकानंद पहले आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने धार्मिक सुधारों से हट कर सोचा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता को धर्मनिरपेक्ष के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में खुद में विश्वास करने के लिए सशक्त करना आवश्यक है। विवेकानंद ने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम से "रामकृष्ण मिशन" की स्थापना की। उन्होंने भाषणों और लेखन के माध्यम से हिन्दु संस्कृति और धर्म का सार बताया। उन्हें वेदांत पर विश्वास था, वे एकता और सभी धर्मों की समानता पर बल देते थे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, प्रगतिविरोध और प्राचीन सामाजिक रीतियों को हटाने एवं जाति बंधन और अस्पृश्यता को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को महिलाओं के सम्मान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया। विवेकानंद ने लोगों के बीच अज्ञानता को हटाने के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण कार्य किए।

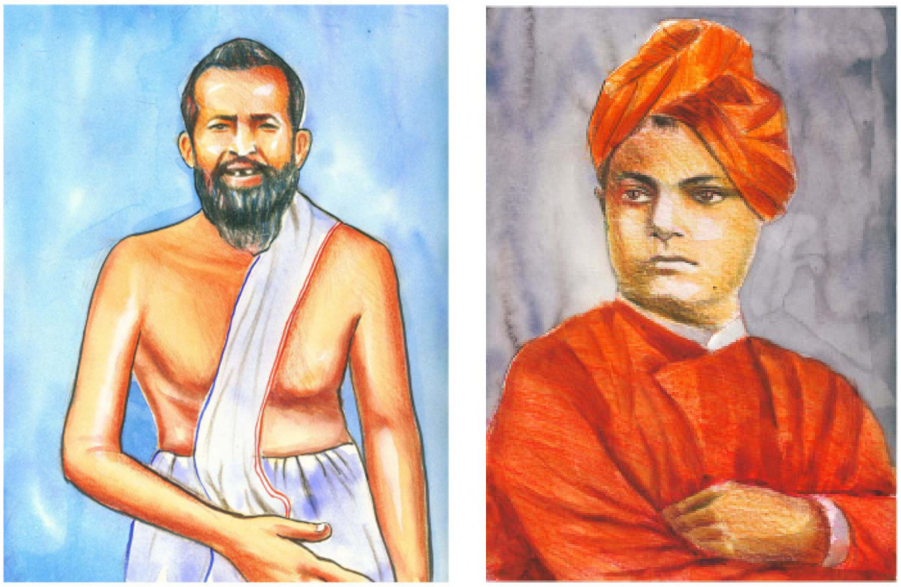

चित्र 6.4 श्री रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद

6.3.5 सर सैयद अहमद खान

सर सैयद अहमद खान का मानना है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति अपनाने से हो सकते हैं। उनको मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिनन कार्य किए। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की वे पर्दा प्रणाली, बहुविवाह, आसान तलाक और लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी के विरूद्ध थे। हालांकि रूढ़िवादी मुसलमानों ने उनका विरोध

किया था, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए। उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश की और कटट्रता और अज्ञानता के विरूद्ध अपनी बात कही। उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सामाजिक सुधार प्रारंभ किया।

अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढिवादी मुसलमानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने 1864 में गाजीपुर में (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज (एम.ए.ओ) जो बाद में 1875 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्मि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यहां मानविकी और विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई। उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक साइंटिफिक सोसोइटी की स्थापना की। उन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूकता के प्रसार विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा के लिए पत्रिका प्रकाशित की। पत्रिका के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया जो मुसलमानों के बीच सामाजिक और राजनीतिक जागृति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

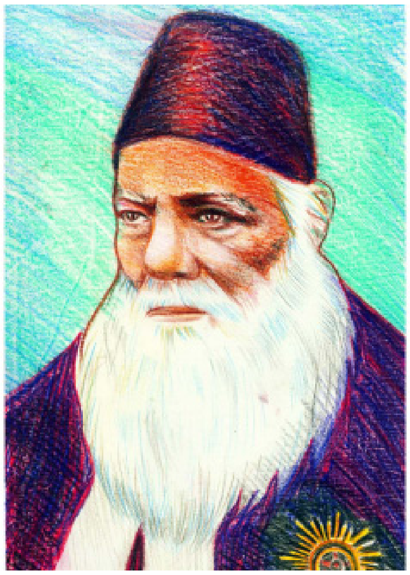

चित्र 6.5 सर सैयद अहमद खान

6.3.6 ज्योतिराव गोविंदराव फुले

महाराष्ट्र से ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किसानों और निम्न जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। वह और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को शिक्षित किया जिसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में स्कूल खोला। आज भी उनको विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाता है। सितम्बर

1873 में, ज्यातिराव ने अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज का गठन (सत्य साधक सोसायटी) किया जो इस समाज की जातियों को शोषण और अत्याचार से बचाती है। वह 'ज्योतिबा' के रूप में लोकप्रिय हुए।

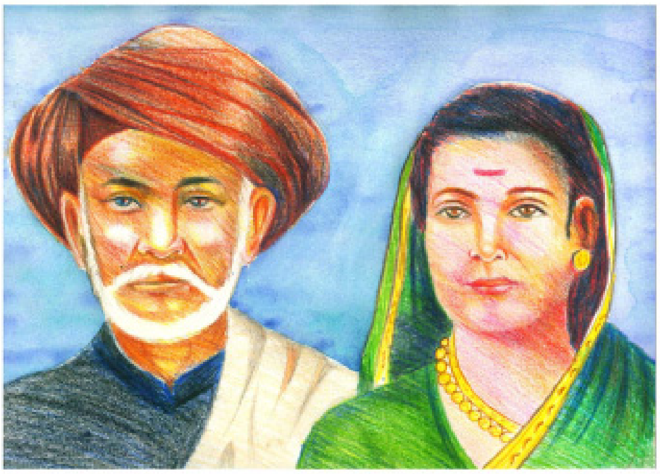

चित्र 6.6: ज्योतिबा फुले तथा उनकी पत्नी सावित्री बाई

6.3.7 न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे

न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में सार्वजनिक समा की तथा 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की धार्मिक सुधारों को लाने के लिए स्थापना की। जाति व प्रतिबंध को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यो में लगने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य किया। ब्रह्म समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत की। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मामलों में पुरोहित जातियों के वर्चस्व की निंदा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम की शुरूआत की जिससे उच्च शिक्षा हर भारतीय के लिए सुलभ हो जाए। भारत की समृद्ध सांस्कृति विरासत के सामाजिक वातावरण को नष्ट करे बिना समाज में कठोर परंपराओं को सुधारने का प्रयास किया। वे ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'' के संस्थापक सदस्य भी थे।

चित्र 6.7 न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे

6.3.8 पंडिता रमाबाई

महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई । उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा

देने के लिए ''आर्य महिला समाज'' की 1881 में किया। महिलाओं की हालात में सुधार के लिए विशेष रूप से बाल विधवाओं? पुणे में शुरूआत की मुक्ति के लिए स्थापना की। 1889 में ''मुक्ति मिशन'' बनाया जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थल बना उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की जिसमें शरण शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं, विधवाओं, अनाथों और नेत्रहीनों को सेवाएं प्रदान की जाती थी। उन्होंने बाल दुल्हन एवं विधवाओं के कठिन जीवन पर पुस्तकें भी लिखी। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है और कार्य कर रहा है।

चित्र 6.8 पंडिता रमाबाई

6.3.9 एनी बेसेंट

एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसायटी की सदस्या थी और 1898 में पहली बार भारत आई थी। यह आंदोलन पश्चिमी लोगों द्वारा भारतीय धार्मिक महिमा और दार्शनिक परंपराओं के लिए काम करता था। उन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने और साहित्यिक भाषा में काम किया जो भारतीय विरासत तथा संस्कृति में गर्व की भावना को दर्शाता था। इससे भारतीय में राजनैतिक जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय हुआ और देश के प्रति गर्व की भावना विकसित हुई। उन्होंन विश्व बंधुत्व का प्रचार किया। उन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एनी बेसेंट 1907 में थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्ष बन गई। बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिन्दू कालेज लड़कों के लिए खोला जो थियोसोफिकल सिद्धांतों पर आधारित था। छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के साथ आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान दिया गया। 1917 से वह कॉलेज नए विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया।

चित्र 6.9 एनी बेसेंट

क्रियाकलाप 6.3

किसी भी दो सामाजिक प्रथाओं या अंधविश्वास के बारे में बताऐं, जो अब भी कई सुधार आंदोलनों और सरकार के नियमों के बावजूद प्रचलित है। क्या आप, एक व्यक्ति के रूप में इन सामाजिक प्रथाओं या अंधविश्वास को चुनौती दे सकते है।

संकेत : सामाजिक प्रथाएं या अंधविश्वास जैसे दहेज, लिंग भेदभाव, अशिक्षा, बालविवाह, कन्या शिशु हत्या आदि।

संभावित कार्रवाई : व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा, समूह चर्चा का आयोजन, समाचार पत्र में पत्र लिखकर तथा सार्वजनिक स्थानों आदि में संकट के समय लोगों की सहायता करना।

6.3.10 मुस्लिम सुधार आंदोलन

आधुनिक शिक्षा के प्रसार तथा बहु विवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए कई आंदोलन शुरू किए गए हैं। अब्दुल लतीफ ने 1863 में कलकत्ता में ''मोहम्दन साक्षरता सोसायटी'' स्थापित की। यह आरंभिक संगठनों में से एक था, जिसने आधुनिक शिक्षा को मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच तथा हिन्दू, मुस्लिम एकता को बढावादेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के शरीयतुल्ला ''फरायजी'' आंदोलन के प्रवर्तक ने बंगाल में किसानों के लिए काम किए। उन्होंने मुसलामानों के बीच व्याप्त जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों की निंदा की।

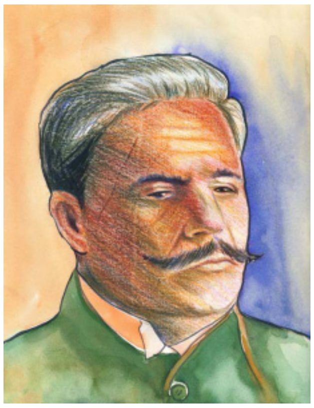

चित्र 6.10 मोहम्मद इकबाल

अन्य कई सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने मुसलामानों में राष्ट्रीय जागृति लाने में सहायता की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1899 में ''अहमदिया आंदोलन'' की स्थापना की, इन आंदोलन के अंतर्गत विद्यालय कालेज देश भर में खोले गए। उन्होंने इस्लाम के सार्वभौमिक और मानवीय चरित्र पर जोर दिया। वे हिन्दु और मुसलमानों के बीच एकता को पसंद करते थे।

आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक कवि मोहम्मद इकबाल (1876-1938) थे। उन्होंने कविताओं के माध्यम से कई पीढ़ियों के दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

? क्या आप जानते हैं

मोहम्मद इकबाल ने ''सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा'' प्रसिद्ध गीत लिखा।

6.3.11 अकाली सुधार आंदोलन

अमृतसर और लाहौर में ''दो सिंह सभा'' का 1870 में गठन किया गया जिसमें सिखों के बीच में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरूआत की गई। 1892 में अमृतसर में ''खालासा कालेज'' में गुरूमुखी, सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने में मदद के लिए स्थापना की गई। अंग्रेजों की मदद से इस कॉलेज को बनाया गया था। 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलनों द्वारा गुरूद्वारों या सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को सुधारा गया। 1921 में महंतों के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह ने सरकार को 1925 में एक नया गुरूद्वारा अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया। इस अधिनियम की सहायता से तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा वे भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण तथा प्रभुत्व से मुक्त करा सके।

6.3.12 पारसियों के बीच में सुधार आंदोलन

19वीं सदी के बीच नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एस. एस. बंगाली और दूसरी पारसियों के बीच धार्मिक सुधारों की शुरूआत हुई। सन् 1851 में ''रहनुमाय मांजदायासन सभा'' या धार्मिक सुधार संगठन की स्थापना की गई। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में विशेष रूप से लड़कियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने पारसी धर्म में रूढ़िवादी प्रथाओं के विरूद्ध अभियान चलाया। समयक्रम में पारसी धर्म भारतीय समाज के प्रगतिशील वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण बन गए।

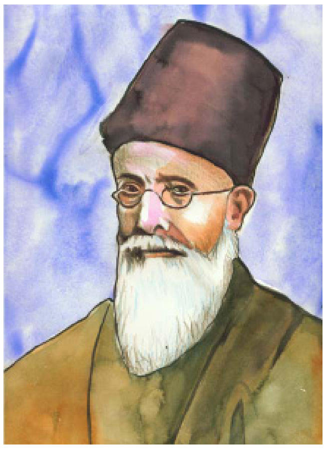

चित्र 6.11 दादाभाई नौरोजी

क्रियाकलाप 6.4

10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सूची बनाए जिन्होंने हमें समाज में बेहतर जीवन के लिए जगह देने में योगदान दिया है। इसके साथ उनके अन्य योगदान वाले क्षेत्रों को भी ढूँढें।

पाठगत प्रश्न 6.2

1. रिक्त स्थान में सही उत्तर भरें।

   (i) वह .... पूर्व और पश्चिम के विचारों को संश्लेषण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

   (क) स्वामी विवेकानंद (ख) राममोहन राय
   (ग) दयानंद सरस्वती (घ) ईश्वरचंद विद्यासागर

   (ii) वे वेदों की अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे?

   (क) स्वामी विवेकानंद (ख) रामकृष्ण परमहंस
   (ग) दयानंद सरस्वती (घ) सैयद अहमद खान

   (iii) पवित्र स्थानों को भ्रष्ट महंतों के वर्चस्व तथा नियंत्रण से मुक्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।

   (क) अकाली आंदोलन (ख) जाति सुधार आंदोलन
   (ग) शुद्धि आंदोलन (घ) सत्याग्रह आंदोलन

2. निम्नलिखित को मिलाएं :

   (i) ब्रह्म समाज (क) स्वामी विवेकानंद

   (ii) आर्य समाज (ख) एनी बेसेंट

(iii) रामकृष्ण मिशन	(ग) स्वामी दयानंद सरस्वती
(iv) थियोसोफिकल सोसायटी	(घ) ज्योतिबा फुले
(v) अकाली आंदोलन	(ई) पंडिता रमाबाई
(vi) सत्य शोधक समाज	(च) राजा राम मोहन राय
(vii) अलीगढ़ आंदोलन	(छ) सिख
(viii) आर्य महिला समाज	(ज) न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे
	(प) सर सैयद अहमद खान
	(च) दादाभाई नौरोजी

3. सुधार आंदोलनों के किसी भी दो सीमाओं का उल्लेख करें?

4. निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें और दिये गए सवालों के जवाब दें :

   रामवती एन आई ओ एस कार्यालय में चपरासी के रूप में काम कर रही है। उसकी 21 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पति का निधन हो गया। तब वह 28 वर्ष की थी। उसे एनआईओएस में उसके पति की जगह नौकरी की पेश की गई, क्योंकि उसने माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी। इस नौकरी के कारण रामवती अपने बच्चों तथा खुद को संभालने में सक्षम हैं। उसका सम्मानजनक जीवन है और उसके बच्चों को अपनी माँ पर गर्व है।

   (क) यदि रामवती ने बाल विवाह किया होता तो उसके साथ क्या-क्या हो सकता था?

   (ख) यदि रामवती को घर के बाहर काम करने की अनुमति नहीं मिलती तो उसकी तथा उसके परिवार की क्या दशा हो सकती थी।

6.4 भारतीय समाज पर सुधार आंदोलनों का प्रभाव

19वीं सदी के दौरान भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच चेतना पैदा करने में सक्षम हुए। इन सभी आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्कसंगत सहायता की तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। सुधारकों ने यह महसूस किया है कि आधुनिक विचारों और संस्कृति के भारतीय सांस्कृतिक धाराओं में एकीकृत करके आत्मसात किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा का परिचय जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में भारतीयों को निर्देशित कर सकता है। सब आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया और जाति व्यवस्था विशेष रूप से अस्पृश्यता की आलोचना की है। वे आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की दिशा में कार्य करते हैं।

शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया था। महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय शुरू किये गये। उदाहरण के लिए सती प्रथा तथा शिशु

हत्या अवैध घोषित किया गया। 1856 में पारित कानून से पुनर्विवाह संभव बन गया और विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ। 1872 में पारित कानून, अंतर्जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी। 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई। बाल विवाह को रोकने के लिए इसके बाद शारदा अधिनियम 1929 को पारित किया गया। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम की लड़की और 18 वर्ष से कम का लड़का शादी नहीं कर सकते थे। इन सुधारकों के प्रयासों के सबसे स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर दिखा। महिलाओं की एक बड़ी संख्या आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घरों से बाहर आई। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरूणा आसफ अली तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण है। महिलाएं अब परदे से बाहर आई और नौकरियां करने लगी।

सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्म विश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीयों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ा। लोग भारतीय के रूप में पहचान बनाने में अधिक जागरूक हो गए। अंततः लोगों का एक जुट होना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ही ब्रिटिश के विरूद्ध संघर्ष का जिम्मेंदार है।

20वीं शताब्दी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार का मुख्य प्रचारक बन गया। स्वतंत्रता ने विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, कविता, प्रेस तथा सिनेमा का अपने विचारों को पचारित करने में प्रयोग किया। आत्म विश्वास, आत्म सम्मान, जागरूकता, देशभक्ति तथा एक विकसित राष्ट्रीय चेतना की भावना को इन आंदोलनों द्वारा बढ़ावा दिया गया। क्या आपको याद है कि उपन्यास को पढ़ने और कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित फिल्मों को देखना भी आंदोलन का हिस्सा माना जाता था। आरंभ के लिए कुछ इस तरह के लेखकों और उनकी पुस्तकों की एक सूची बनायें। कुछ फिल्मों की भी एक सूची बनाओ। इसके अलावा कुछ गीतों की भी एक सूची बनाऐं। जैसे ''इंसाफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के'' या ''बंदे मातरम''।

सुधार आंदोलनों की कुछ सीमाएं थी। यह एक बहुत छोटे प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित कर पाएं थे जो ज्यादातर शिक्षित वर्ग ही थे। यह आम जनता तक नहीं पहुंच सके। यह किसानों एवं गरीब जनता तक भी नहीं पहुंच सके।

मानवीय : मानवीय चिंता का विषय होने या कल्याण को बेहतर बनाने में मदद सभी लोगों की खुशी के लिए तथा उनके कल्याण को बेहतर बनाने में मदद के लिए

स्वतंत्रता : अपने स्वच्छंद

विरादरी : भाईचारा

आपने क्या सीखा

- भारतीय समाज में अंधविश्वासी विषय पिछड़ेपन तथा कुप्रथाएं जैसे सती या विधवा बलि और अस्पृश्यता जैसे मुद्दों को चुनौती दी गई।
- राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिवा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद जैसे शिक्षित भारतीयों ने समाज में सुधार से पहले धर्म सामाजिक प्रथाओं के रूप में अक्सर धार्मिक विश्वासों से प्रेरित समाज में सुधार किया।
- समाज में सुधार आंदोलनों का प्रभाव बहुत था। सुधारकों के लगातार प्रयासों की वजह से कानून द्वारा सती, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराईयों को समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। आधुनिक शिक्षा को समाज में प्रोत्साहित किया गया।
- सभी प्रयासों के बावजूद, भारत में अभी भी शिक्षित लोगों की जागरूकता फैलाने में आवश्यकता है। इस संबंध में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
- सभी सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों ने समाज में सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया।

पाठांत प्रश्न

1. 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में बताए।
2. आपको क्यों लगता है कि सुधारों के लिए समाज को जगाने की जरूरत थी?
3. आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजिक सुधार आंदोलन का धार्मिक सुधारों के बिना कोई अर्थ नहीं है?
4. क्या आपको लगता है कि सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे?
5. सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया?
6. जाति व्यवस्था एवं विधवा पुनर्विवाह की वकालत में सुधारकों की भूमिका स्पष्ट करें।
   (क) राजा राम मोहन राय
   (ख) ईश्वर चंद्र विद्यासागर
   (ग) ज्योतिबा फूले
7. निम्नलिखित सुधारकों के बीच सामान्य लक्षण को पहचानेंः-
   (क) थियोसोफिकल सोसायटी और रामकृष्ण मिशन।
   (ख) अकाली आंदोलन और आर्य समाज
8. 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाऐं आईं?
9. मुसलमानों में अंग्रेजी की शिक्षा किसने शुरू की। इस क्षेत्र में उनके योगदान और भूमिका का वर्णन करें।

10. नक्शे को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।?
   (क) ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और एम॰ए॰ओ॰ कॉलेज किन स्थानों पर लोकप्रिय हुए।
   (ख) जो सामाजिक सुधारक पश्चिमी भारत में सक्रिय थे, उनके नाम बतायें तथा जिस स्थान पर वे सक्रिय थे उनको चिन्हित करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1

1. सती, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा।
2. क्योंकि यह मानवता की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ था।
3. साहस, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृष्टि।
4. उन्होंने शास्त्रों में कठोरता और अंधविश्वास को नहीं पाया।

6.2

1. (i) (ग) (ii) (घ) (iii) (क)

2. (i) (च) (ii) (ग) (iii) (क) (iv) (ख) (v) (छ) (vi) (घ)
   (vii) (प) (viii) (ई)

3. (क) वह अनपढ़ थी, जिसका छोटी आयु में विवाह हो गया; उसके कई बच्चे हैं और संभवतः बीमार स्वास्थ्य के कारण पीड़ित थी। कम उम्र में बच्चे को जन्म देने के कारण वह भी बीमार थी। उसे जीने के लिए माता-पिता या ससुराल वालों पर निर्भर रहना पड़ता है।

   (ख) सामाजिक-आर्थिक दयनीय स्थिति के कारण उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता।

4. (क) इससे ज्यादातर शिक्षित वर्ग की जनसंख्या का एक बहुत छोटा प्रतिशत प्रभावित है।

   (ख) यह जनता तक नहीं पहुंचा था।

7

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध

अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज के सभी वर्गों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ अजनबियों द्वारा अनेक वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया जाए? नहीं बिलकुल नहीं। हममें से अधिकांश का जन्म 1947 के बाद हुआ, जबकि भारत पहले ही स्वाधीनता प्राप्त कर चुका था। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कब विजय प्राप्त की और इसकी अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक नियंत्रण में ले लिया जिसके लिए उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इन विरोधों का एक लंबा तांता सा लग गया। इन विरोधों का नेतृत्व जीते गए भारतीय राज्यों के अपदस्थ शासकों, पूर्व कर्मचारियों और दरिद्र बना दिए गए ज़मीदारों और पोलिगरों द्वारा किया गया। इन विद्रोहों ने विभिन्न नस्लों, धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमि के सभी वर्गों को अंग्रेजी शासन के विरूद्ध एकजुट कर दिया। इस पाठ में हम कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय विद्रोहों, उनकी प्रकृति और उनके अभिप्राय के संबंध में पढ़ेंगे। हम 1857 के विद्रोह के संबंध में भी पढ़ेंगे जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- 1857 से पूर्व औपनिवेशीय शासन के विरूद्ध लोकप्रिय प्रतिरोधी आंदोलनों के संबंध में चर्चा कर सकेंगे।
- किसानों और जनजातियों के विरोध की प्रकृति और उसकी सार्थकता की व्याख्या कर सकेंगे।
- ऐसे मुद्दों की पहचान कर सकेंगे जिनके परिणामस्वरूप 1857 का विद्रोह भड़का।
- 1857 के विद्रोह के महत्व और उसके अभिप्राय का विश्लेषण कर सकेंगे।

7.1 अंग्रेजी शासन के विरूद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन (1750-1857)

क्या आप किसी ऐसे कारण के संबंध में सोच सकते हैं जिसकी वजह से इन विद्रोही आंदोलनों को लोकप्रिय कहा जाता है? क्या इसका कारण उन लोगों की बहुत बड़ी संख्या हैं जिन्होंने इनमें

भाग लिया? अथवा यह कि इन आंदोलनों को मिली अपार सफलता? इस खंड को पढ़ने के बाद आप किसी निर्णय तक पहुंचने के योग्य होंगे।

7.1.1 जनविद्रोह व प्रतिरोध के कारण

लोग विरोध क्यों करते हैं? वे तभी विरोध करते हैं जब उन्हें अनुभव होता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रतिरोधी आंदोलन किसी न किसी प्रकार के शोषण के विरूद्ध प्रारंभ हुए। अंग्रेजी शासन, जिसकी नीतियों ने भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति की अवमानना की वे सभी इसी शोषण का प्रतीक थीं।

विरोध और प्रतिरोध मुख्यतः अपदस्थ शासक वर्गों, किसानों और जनजातियों द्वारा किया गया था। उदाहरणतया जब वारेन हेस्टिंग्स् के बनारस पर आक्रमण किया और धन और सेना की अपनी अन्यायपूर्ण मांग पूरी करने के लिए राजा चेत सिंह को कारागार में डाला तो बनारस के लोगों ने विरोध किया। मद्रास प्रेसीडेंसी में जब अंग्रेजों ने सामंतों (पॉलिगरस) के सैनिक और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप इन लोकप्रिय प्रतिरोधों का एक और कारण था। यह बगावतें प्रायः ईसाई विरोधी होती थीं। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक-धार्मिक सुधार, जो लोगों को स्वीकार नहीं थे।

कुछ अन्य विद्रोहों में शासक और शोषित वर्गों के धर्म में भिन्नता भी प्रतिरोध का तात्कालिक कारण बनी। मालाबार क्षेत्र के मैप्पिला विरोध में ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर मुसलमान किसानों ने हिन्दु जमीदारों और साहूकारों के विरूद्ध लड़ाइयाँ कीं। अगले खंड में हम इस आंदोलन की प्रकृति के संबंध में पढ़ेंगे।

7.1.2 जनविद्रोह व प्रतिरोध की प्रकृति

अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। निम्न और शोषित वर्ग प्रायः अपने शोषकों पर आक्रमण करते थे। यह शोषक थे अंग्रेज़ या जमींदार अथवा लगान एकत्र करने वाले अधिकारी, धनी व्यक्तियों के समूह और व्यक्ति। संथाल विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा देखने में आई जहाँ सूदखोरों के बही-खातों और सरकारी भवनों को जला दिया गया और शोषकों को दण्ड दिया गया।

पिछले पाठ में हमने अंग्रेजों की भूमि संबंधी नीतियों के संबंध में पढ़ा। इनका उद्देश्य था किसानों और जनजातिय लोगों से यथासंभव अधिक से अधिक धन निकलवाना। इसने किसानों और जनजातियों में इतना असंतोष भर दिया कि उन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध अपना क्रोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोकप्रिय विद्रोही आंदोलनों का उद्देश्य था पुरानी संरचनाओं और संबंधों का पुनरुत्थान करना जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास औपनिवेशिक शक्तियों के विरूद्ध आवाज़ उठाने के अपने निजी कारण थे। उदाहरणतया पदच्युत जमींदार और शासक अपनी ज़मीन और संपदाएँ पुनः प्राप्त करना चाहते

थे। इसी प्रकार, जनजातीय समूहों ने इसलिए विद्रोह किया कि वे नहीं चाहते थे कि व्यापारी और सूदखोर उनके जीवन में हस्तक्षेप करें।

7.2 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1760 की कालावधि से शुरू करें तो सन्यासी विद्रोह और बंगाल और बिहार में मछुआरों के विद्रोह तक शायद ही कोई वर्ष होगा जिसमें कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। 1763 से 1856 तक छोटे-छोटे विद्रोहों को छोड़कर 40 मुख्य विद्रोह हुए। तथापि, यह सभी विद्रोह विशिष्टताओं और प्रभाव की दृष्टि से स्थानीय ही थे। वे सभी परस्पर भिन्न प्रकृति के थे क्योंकि प्रत्येक विद्रोह का भिन्न लक्ष्य था। इस पाठ के अगले खंड में हम इन आंदोलनों के संबंध में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।

चित्र 7.1 भारत का मानचित्रः 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह से संबंध विविध स्थल

7.2.1 किसान विद्रोह

पिछले पाठ में आपने विविध भू-व्यवस्थाओं और उनके भारतीय किसानों पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में पढ़ा। स्थाई व्यवस्था (पर्मानेन्ट सैटलमेंट) ने ज़मीदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था, परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में असफल रहें तो उनकी ज़मीन को बेचा जा सकता था। इसने ज़मीदारों और भू-स्वामियों को किसानों से धन छीनने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो। यह किसान प्रायः ऋणदाताओं से ऋण लेते थे जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। वे दरिद्र किसान उनसे लिए गए ऋण को कभी भी लौटा नहीं पाते थे। इसके कारण उन्हें घोर दरिद्रता जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बंधुआ मजूदरों की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अतः निम्न एवं शोषित वर्ग के लोग अपने शोषकों पर प्रायः आक्रमण करते रहते थे। ज़मीदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने का तात्पर्य यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा। तत्पश्चात् इस जमीन को ऊँची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को नीलामी में बेच दिया जाता था, जोकि प्रायः शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे। शहरों से आने वाले नये ज़मीदारों की ज़मीन में बहुत कम अथवा बिलकुल भी रूचि नहीं होती थी। वे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खाद में धन का निवेश नहीं करते थे परंतु उनकी रूचि अधिक से अधिक लगान वसूली, जितनी ज्यादा से ज्यादा वे कर सकते थे, में रहती थी। यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे वे बहुत पिछड़े और निष्क्रिय हो गये।

इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, गन्ना, पटसन (जूट), कपास, अफीम और इसी प्रकार की व्यापारिक फसलों की उपज शुरू कर दी। यहीं से खेती (कृषि) का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ। फसल की अवधि के दौरान किसान अब अपनी फसल/उत्पाद को बेचने के लिए थोक व्यापारियों, सौदागरों और दलालों पर निर्भर हो गए। जैसे ही वे व्यापारिक फसल की ओर मुड़े खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया। खाद्यान्नों की कमी से अकाल पड़ गया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी नीतियों के परिणामस्वरूप हुए किसान विद्रोहों के संबंध में आइए कुछ विस्तार से पढ़ते हैं।

1. फकीर और सन्यासी विद्रोह (1770 - 1820): 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत भू-लगान की वसूली और किसानों पर शोषण में बढ़ोतरी हो गई। 1770 के बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, अपदस्थ जमींदारों, सेना से निकाले गये सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मार्ग दिखाया। सन्यासी और फकीर भी इनके साथ जुड़ गए थे।

   फकीर बंगाल में घुमन्तु धार्मिक मुसलमान भिक्षुकों के समूह थे। दो प्रसिद्ध हिन्दु नेता जिन्होंने इनका समर्थन किया वे थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। इन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका सामान, नकदी, शस्त्र और बारूद छीन लिए। मजनूं शाह इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अन्ततः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सकता।

   सन्यासी विद्रोहों की घटनाएँ बंगाल में 1770 से 1820 के बीच के वर्षों में हुई। 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे जिनके कारण अत्यंत अव्यवस्था और गरीबी फैल गई। तथापि, विद्रोह का तात्कालिक कारण था हिन्दुओं और मुसलमानों

दोनों में से तीर्थस्थलों का जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिबंध।

2. नील विद्रोह (1859-1862): अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों में वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने लोगों के जीवन-यापन के बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी की नई तकनीकें भी शुरू कर दी। किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक वाणिज्यिक फसल थी नील की खेती। नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाज़ार के अनुरूप ही किया जाता था। नील की खेती करने वाले किसानों को मुख्यतया तीन कारणों से असंतोष था:

- नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था।
- नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान फसलों की अवधि एक ही थी।
- नील की खेती के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वराशक्ति समाप्त होना।

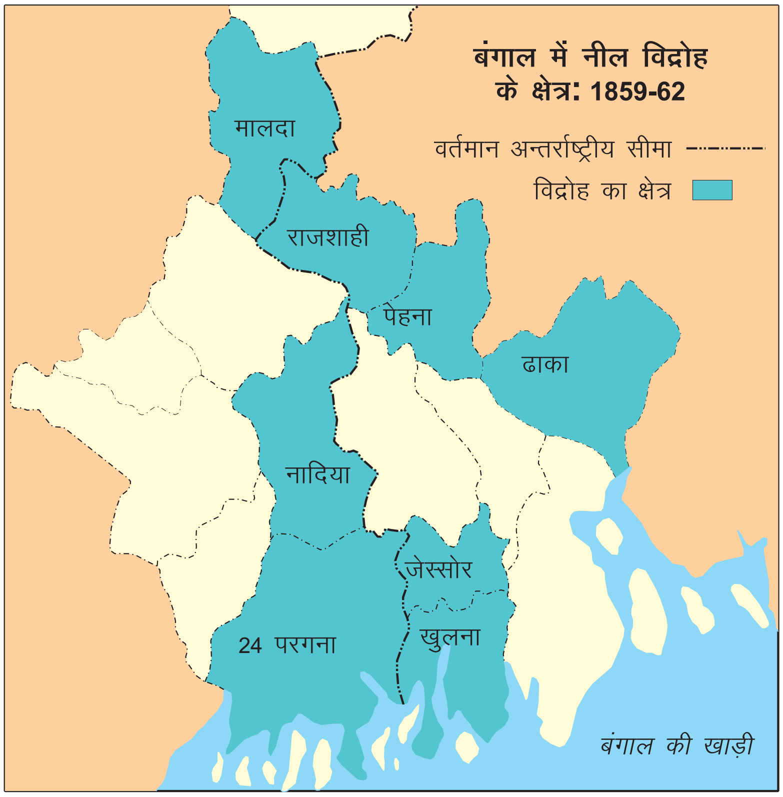

चित्र 7.2

इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडार का अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने, और कभी कभार

तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाये रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन दिया। किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया। हिन्दु और मुसलमान किसानों ने मिलकर हड़तालें की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज करा दिए। प्रैस और मिशनरियों ने इनका समर्थन किया। नवम्बर 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया, जिसमें अधिसूचित किया गया कि रैय्यतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर-कानूनी है। विद्रोहियों के लिए इसे बड़ी जीत माना गया।

चित्र 7.3 : बंगाल में नील की कृषि

3. फरायज़ी आंदोलन (1838-1848): यह अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध सर्वप्रथम ''कोई कर नहीं'' दिए जाने संबंधी अभियान था जिसका नेतृत्व शरायतुल्लाह खान और दादू मियां ने किया। उनके स्वयंसेवकों की टुकड़ियों (बैंऊस) ने नील बागान के मालिकों और ज़मीदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतीहरों को भू-स्वामियों के अत्याचार और गैर-कानूनी वसूलियों के विरूद्ध एकजुट कर दिया।

4. वहाबी आंदोलन (1830 - 1860): इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो कि अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। मूलतः यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। शीध्र ही कुछ स्थानों पर इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, विशेष रूप से बंगाल में जहाँ सांप्रदायिक विभेदों के बावजूद किसान अपने ज़मीदारों के विरूद्ध एकजुट हुए।

7.2.2 किसान विद्रोह की सार्थकता

अंग्रेजों की आक्रामक आर्थिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक कृषि प्रणाली को तहस-नहस कर दिया और किसानों की हालत को दयनीय बना दिया। देश के विभिन्न भागों में होने वाले किसान विद्रोह मुख्यतः इन्हीं नीतियों से निर्देशित थे। यद्यपि इन विद्रोहों का उद्देश्य भारत से अंग्रेज़ी राज को उखाड़ फेंकने का नहीं था, फिर भी इन्होंने भारतीयों में एक जागरूकता अवश्य पैदा की। अब उन्होंने और दमन के विरूद्ध संगठित होने और मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता अनुभव की। संक्षेप में कहें तो इन विद्रोहों ने अनेक अन्य प्रतिरोधों के लिए भूमिका तैयार की जैसे कि पंजाब में सिखों के युद्ध और अंत में 1857 का विद्रोह।

कार्यकलाप 7.1

अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सब भी विरोध प्रदर्शित करते हैं यह प्रतिरोध, विद्रोही आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न हैं? कुछ विद्रोही आंदोलनों को कौन-सी चीज़ लोकप्रिय बनाती है। अपने मित्रों, समवयस्क समूहों या परिवार के साथ इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। अधिक से अधिक 50 शब्दों में इस चर्चा के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए।

7.2.3 जनजातीय विद्रोह

एक अन्य समूह जिसने अंग्रेजी राज के विरूद्ध विद्रोह किया वे थे जनजाति के लोग। जनजातीय समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थे। इनके सहयोजन और तत्पश्चात् इन्हें अंग्रेजी प्रदेशों में सम्मिलित किए जाने से पहले इनकी निजी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियाँ थीं। यह प्रणालियाँ पारंपरिक प्रकृति की थीं और जनजातियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती थीं। प्रत्येक समुदाय का एक मुखिया होता था जो उस समुदाय के सभी मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह स्वतंत्र होता थे। जमीन और जगल उनकी जीविका के मुख्य संसाधन थे। जीवित रहने के लिए जिन बुनियादी चीजों की उन्हें आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति जंगलों से होती थी। जनजातीय समुदाय गैर-जनजातीय समुदायों से बिलकुल अलग-अलग रहते थे।

अंग्रेजी नीतियाँ जनजातीय समाज के लिए बहुत हानिकर सिद्ध हुई। इसने उनकी अपेक्षाकृत आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था और समुदायों को नष्ट कर दिया। विभिन्न प्रदेशों के जनजातीय समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके आंदोलन गैर-औपनिवेशिक प्रकृति के थे क्योंकि वे सभी औपनिवेशिक प्रशासन के विरोध में चलाये गये थे।

जनजातीय लोग पारंपरिक हथियारों, विशेष रूप से धनुष बाणों का प्रयोग करते थे और अक्सर हिंसक हो जाते थे। अंग्रेजों ने इनका सख्ती से दमन कर इन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। इनकी सम्पत्ति पर कब्ज़ा कर लिया गया। उन्हें जेलों में डाल दिया गया और कइयों को फांसी पर चढ़ दिया गया। जनजातीय आंदोलन भारत के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा। परंतु जहाँ तक उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों का प्रश्न हैं यह लोग इसमें भाग लेने के मामले में अन्य सामाजिक समूहों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहे। अब हम कुछ मुख्य जनजातीय विद्रोहों के संबंध में पढ़ेंगे जो अंग्रेजी शासन के विरूद्ध खड़े हुए:

1. **संथाल विद्रोह** (1855-1857)ः संथालों के गढ़ को दमन-ए-कोह अथवा संथाल परगना कहा जाता था। इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, हज़ारीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। अन्य जनजातियों की तरह संथाल भी जंगलों और वनों में अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करते थे। वे अपनी जमीन पर तब तक खेतीबाड़ी करके शांतिपूर्ण जीवन यापन करते रहे जब तक कि अंग्रेज अधिकारी व्यापारियों, साहूकारों (ऋणदाताओं), ज़मीदारों और थोक सौदागरों को अपने साथ नहीं ले आए। वे उन्हें सामान उधार लेने और फसल के समय भारी ब्याज सहित इसे वापिस करने के लिये मजबूर करते थे। जिसके परिणामस्वरूपक कई बार उन्हें महाजनों को न केवल अपनी फसल देनी पड़ती थी, बल्कि इसके साथ ही अपने हल, बैल और अंत में ज़मीन भी देने पर मजबूर होना पड़ता था। बहुत जल्दी ही वे बंधुआ मजदूर बन जाते थे और सिर्फ अपने ऋणदाताओं की ही सेवा कर सकते थे। शांतिपूर्ण जनजातीय समुदायों ने अब अपने शोषक अंग्रेजी अफसरों, ज़मीदारों और ऋणदाताओं के विरूद्ध शस्त्र उठा लिए थे। संथाल विद्रोहियों का नेतृत्व सिद्धु और कानु कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध लड़ाई में बहादुरी से मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश इस असमान स्तर की लड़ाई में संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया था परंतु यह विद्रोह भविष्य के लिए कृषक संघर्षों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना।

चित्र 7.4 तिरका मांझी

2. **मुंडा विद्रोह (1899-1900):** 1857 के पश्चात हुये अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोहों में से एक था मुंडा विद्रोह। पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगलों की सफाई करने के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जिन्हें किसी अन्य जनजाति को नहीं दिया जाता था। परंतु अंग्रेजों के आने से बहुत समय पहले से ही व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों इस भू-पद्धति को विनष्ट किया जा रहा था। परंतु जब अंग्रेज वास्तव में इस क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों को इस क्षेत्र से परिचित कराया तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेजी से नष्ट करने में सहायता की। इन ठेकेदारों को इनके साथ काम करने के लिए इकरारनामे में बंधे मज़दूरों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों के हाथों मुंडाओं के इस विस्थापन ने महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण नेता था बिरसा मुंडा जो कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक था क्योंकि उसने मिशनरियों से कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। उसने अपनी जनजाति के लोगों को पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा को जीवित रखने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों द्वारा अपनी बंजर जमीन पर कब्ज़े से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए बिरसा मुंडा ने ऋणदाताओं/महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के विरूद्ध लड़ाई की। उसने पुलिस थानों, गिरजाघरों और धर्मप्रचारकों (मिशनरियों) पर आक्रमण किया। दुर्भाग्यवश विद्रोहियों की हार हुई और शीध्र ही सन् 1900 में जेल में मुंडा की मृत्यु हो गई। परंतु उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।

1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (टीनेंस एक्ट) के अधीन लोगों को भूमि पर कुछ स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए और जनजातियों की बंधुआ मजूदरी पर भी रोक लगा दी गई। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के निर्माता और एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें आज भी याद किया जाता है।

चित्र 7.5 बिरसा मुंडा

क्या आप जानते हैं

इनडेन्चई: इनडेन्चई मजदूर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे एक संविदा (ठेके) के आधार पर एक निर्धारित समयावधि के लिए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता है। उस व्यक्ति को विदेश/किसी नए स्थान पर काम करना पड़ता है और इसके बदले में उसे यात्रा करने के लिए कियायें का भुगतान, आवास और खाना दिया जाता है।

3. **जयंतिया और गारों विद्रोह** (1860-1870) : प्रथम एंग्लो-बर्मा युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी (आधुनिक असम) को सिल्हट (आज का बांग्लादेश) से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई। भारत के उत्तर-पूर्वी भाग (आधुनिक मेघालय) में जयंतिया और गारों लोगों ने इस सड़क के निर्माण का विरोध किया जो कि अंग्रेजों के लिए सैन्यदलों के आवागमन के लिए यौद्धिक महत्व की थी। 1827 में जयंतिया लोगों ने काम को रोकने की कोशिश की और बहुत जल्दी ही यह असंतोष पड़ोस की गारो पहाड़ियों तक फैला गया। सतर्क अंग्रेजों ने कुछ जयंतिया और गारो गांवों को जला दिया। अंग्रेज़ों द्वारा सन् 1860 के दशक में गृहकर और आयकर शुरु किए जाने पर यह शत्रुता और भी बढ़ गई। जयंतियाओं के नेता यू कियांग नाँगवाह को गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दे दी गई और गारो नेता तोगान संगमा अंग्रेजों से हार गए।

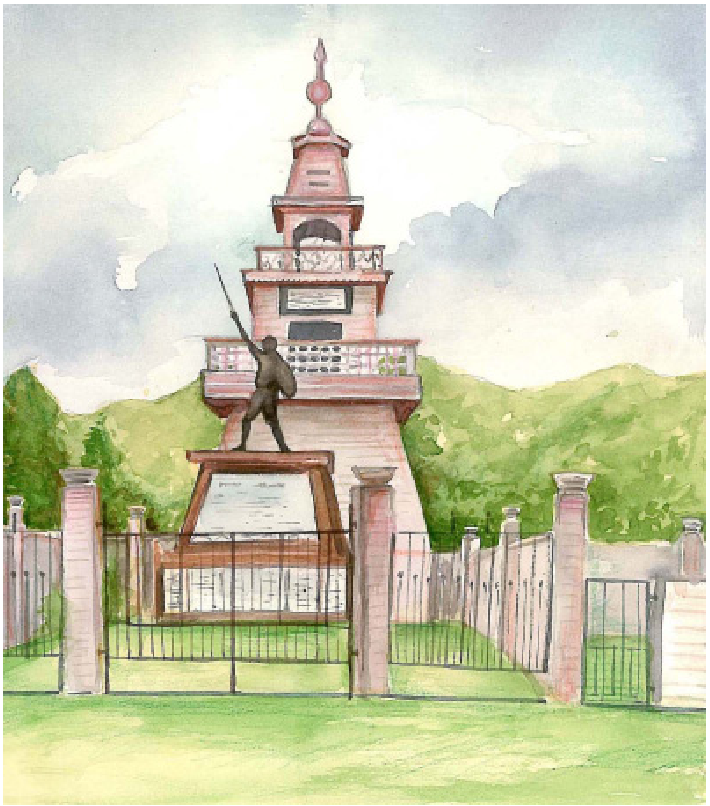

चित्र 7.6 यू कियांग नाँगवाह स्मारक

4. **भीलों का विद्रोह** (1818-1831) : भीलों की अधिकांश आबादी थी खानदेश में (आधुनिक महाराष्ट्र एवं गुजरात) खानदेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। भीलों ने उन्हें विदेशी माना। बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिंबकजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

5. **कोल विद्रोह** (1831-1832) : छोटानागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में कोलों को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी परंतु अंग्रेजों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया था। तदोपरांत जनजातीय ज़मीनों के हस्तांतरण और साहूकारों, व्यापारियों और अंग्रेजी कानूनों के आने से वहाँ बहुत तनाव पैदा हो गया था। इसने कोल जनजाति को संगठित होने और विद्रोह करने के लिए उकसाया। इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर-दूर के स्थानों से सैनिक टुकड़ियाँ मंगवानी पड़ीं।

6. **मैप्पिला विद्रोह** (1836 - 1854) : मैप्पिला, भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले, भूमिहीन मज़दूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के साथ ज़मीन के मालिकों (मुख्यतया हिन्दु) द्वारा अत्याचारों ने मैप्पिला लोगों को अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। मैप्पिला लोगों के दमन में अंग्रेजों को बहुत वर्ष लग गए।

पाठगत प्रश्न 7.1

1. निम्नलिखित पदों का एक-एक वाक्य बनाकर इनकी व्याख्या करें।

   (क) फकीर (ख) महाजन (ग) मैप्पिला

2. नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में ऐसे तीन समूहों की सूची बनाएँ जो भारतीय किसानों के शोषण में सम्मिलित थे।

   (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....

3. नीचे दिए गए रिक्त स्थान में जन विद्रोह व प्रतिरोध के तीन कारण लिखेंः-

   (क) ....
   (ख) ....
   (ग) ....

7.3 1857 का विद्रोह - कारण, दमन और परिणाम

1857 का विद्रोह 10 मई को जब प्रारंभ हुआ जब भारतीय सैनिकों ने मेरठ में बगावत कर दी। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, परंतु अब इसे अंग्रेजों के विरूद्ध स्वाधीनता प्राप्ति का प्रथम युद्ध माना जाता है। भारतीय सैनिकों ने अपने यूरोपीय अधिकारियों को मार गिराया

और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वे लाल किले में प्रवेश कर गये और उन्होंने वयोवृद्ध और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुरशाह जफ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह अंग्रेजों की आक्रामक साम्राज्यिक नीतियों के विरूद्ध, एक बड़ा औपनिवेशीय- विरोधी आंदोलन था। वास्तव में यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरूद्ध एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष था। क्रोध की इस विस्फोटक अभिव्यक्ति और असंतोष ने भारत के बहुत बड़े भाग में औपनिवेशिक शासन की नींव हिलाकर रख दी। अब हम, भारतीय लोगों में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध उभरे असंतोष के कारणों के संबंध में अध्ययन करेंगे जिन्होंने विद्रोह करवाया।

चित्र 7.7 1857 के विद्रोह के प्रमुख केन्द्र

(क) राजनीतिक कारणः राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की नीति (कब्जे) के द्वारा औपनिवेशीय विस्तार की प्रकृति, भारतीय शासकों में असंतोष का प्रमुख कारण बना। अंग्रेज जमीन

प्राप्त करना और इंग्लैण्ड के लिए यथासंभव अधिक से अधिक धन की उगाही करना चाहते थे। विलय की नीति को अधिग्रहण का सिद्धांत 'डॉक्टरीन ऑफ लैप्स' कहा गया और सहायक संधि जिसके परिणामस्वरूप अनेक स्वतंत्र साम्राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। यह वे प्रदेश थे जिनको अंग्रेजी शासन की सुरक्षा मिली हुई थी परंतु उनके शासकों का निधन हो चुका था और उनके पीछे उनके राज्य का कोई नैसर्गिक उत्तराधिकारी नहीं था जिसके परिणामस्वरूप उनके दत्तक पुत्र उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और न ही अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही पेंशन प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार लॉर्ड डल्हौजी ने सतारा के मराठा राज्यों नागपुर, झांसी और अन्य कई छोटे-छोटे राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन में सम्मिलित कर लिया। बाजी राव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसे मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया गया और उनके गोद लिए गए पुत्र नाना साहिब के पेंशन प्राप्त करने के दावे को नकार दिया गया। अनेक भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी का यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। अधिग्रहण के सिद्धांत से पहले भारतीय शासकों को अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार प्राप्त था चाहे उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। परंतु अब उन्हें इसके लिए अंग्रेजों से पूर्वानुमति लेनी पड़ती थी।

विलय की नीति का प्रभाव न केवल शासकों पर बल्कि उन सब पर भी पड़ा जो उन पर निर्भर थे जैसे सैनिक, शिल्पकार, और यहां तक कि अभिजात वर्ग। यहाँ तक कि पारंपरिक विद्वानों और धार्मिक वर्गों को मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया, जो इन शासकों से इन्हें मिल रहा था। हज़ारों की संख्या में जमींदारों, अभिजातों और पोलिगरों का अपनी ज़मीन और इससे मिलने वाले लगान पर से अधिकार समाप्त हो गया। कुशासन के आधार पर अवध पर कब्जा हो जाने पर नवाब ने रोष प्रकट किया जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार था। जब अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया तो उसके बाद बेरोज़गार हुये लोगों को कोई भी वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाएं गए। यहाँ तक कि किसानों को भी और ऊँची दरों पर कर और अतिरिक्त भूमि-लगान अदा करना पड़ा।

लोगों के बुनियादी रहन-सहन, पारंपरिक विश्वासों, मान्यताओं और मानकों में लगातार अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने को जनमानस द्वारा उनके धर्म के लिए खतरा माना जाने लगा था। अंग्रेज प्रशासक धीरे-धीरे आक्रामक (घमंडी) बनते चले गए और लोगों तथा अंग्रेजों के बीच खाई परस्पर बढ़ती चली गई।

(ख) **आर्थिक कारणः** विद्रोह का एक और महत्वपूर्ण कारण था पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन और इसका अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होना। अंग्रेज, भारत के साथ व्यापार के लिए आये थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने देश को शोषित करने और इसे दरिद्र बना देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ने यहाँ से इतना ज्यादा से ज्यादा धन और कच्चा माल ले जाने का प्रयास किया जितना कि उनके लिए ले जाना संभव था। सभी ऊँचे और अधिक वेतन वाले पद उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर लिए। अपने व्यापार को बढ़ाने और विदेशी वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग किया। भारत से संपदा की लूटपाट और धन निकासी के लिए हर उपाय का प्रयोग किय गया। अंग्रेजी

नीतियों के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को अब तक झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योगों को नष्ट करने के लिए काम किया इसलिए भारतीय हस्तशिल्प पूरी तरह तहस-नहस हो गए थे। जिन शिल्पकारों को शाही संरक्षण मिला हुआ था, उन राज्यों को अंग्रेजी राज में विलय के उपरांत वे अत्यंत दरिद्र हो गए थे। वे अंग्रेजी कारखाने में बने उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता था। इससे भारत अंग्रेजी सामान का बहुत ही बढ़िया उपभोक्ता और इंग्लैण्ड के उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का बहुत बड़ा आपूर्तिदाता बन गया था। अंग्रेजों द्वारा मशीनों से बुने गए सस्ते कपड़े भारत में बेचे जाते थे जिससे भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इसके परिणामस्वरूप लाखों शिल्पकार बेकार हो गए। अंग्रेजों ने इंग्लैण्ड स्थित कारखानों के लिए कच्चा माल भी यहीं से भेजा जाता था। इससे भारतीय बुनकरों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अंग्रेजों ने भारतीय सामान पर भारी कर लागू कर दिया। अब वे अत्यधिक लाभ कमा सकते थे क्योंकि उनके सामान से प्रतिस्पर्धा के लिए अब कोई भी भारतीय उत्पाद नहीं था। इस प्रकार अंग्रेजों ने, भारत की संपूर्ण धन-संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से इसे वंचित कर दिया।

भारत के शोषण के लिए अंग्रेजों ने और किन उपायों का प्रयोग किया? कच्चा माल खरीदने और अपना तैयार माल बेचने के लिए उन्होंने भाप से चलने वाले जहाज (स्टीमशिप्स) और रेलवे की शुरूआत की। रेलवे ने अंग्रेजों के समक्ष एक बहुत बड़ा बाज़ार खोल दिया और भारतीय कच्चे माल को विदेशों में निर्यात करना बहुत सरल बना दिया। रेलवे ने कच्चे माल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से परस्पर जोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी वस्तुओं से भारतीय बाज़ार भर गया। परंतु क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने देश में राष्ट्रीय जागरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों और उनके विचारों को परस्पर नजदीक लाने में मदद की, जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 1853 में डल्हौजी ने कलकत्ता से आगरा के लिए प्रथम टेलीग्राफिक लाइन खोली। उन्होंने भारत में डाक सेवा भी प्रारंभ की।

क्योंकि भूमि उनके लिए लगान वसूली का एक बहुत बड़ा स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भूमि से लगान वसूली बढ़ाने के लिए अनेक उपायों के बारे में विचार किया। भूमि लगान की मांग बढ़ाने की औपनिवेशीय नीति के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों को लगान वसूल करने वाले ज़मीदारों, व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। इसे रैय्यवाड़ी और महलवाड़ी पद्धतियों के जरिए लागू किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थाई व्यवस्था (सैटलमैंट) में भूमि पर किसानों के आनुवांशिक उत्तराधिकार को मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर यदि वे अपने कुल उत्पादन का 10वां/11वां भाग अदा नहीं कर पाते थे तो उनकी संपत्ति को बेच दिया जाता था। इस स्थिति से बचने के लिए किसान प्रायः कर्जदाताओं से ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी ज़मीन कर्जदाताओं के हाथों बेच भी दी थी। अधिकारी भी उन किसानों को परेशान करते थे जो न्याय न मिलने के विरूद्ध और भविष्य में परेशान किए जाने के डर से बचने के लिए अदालतों में जाते थे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित ज़मीदारों का नया वर्ग उनका राजनीतिक सहयोगी बन गया। उन्होंने आवश्यकता के समय उन्हें समर्थन दिया और अंग्रेजों और लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यहाँ तक कि

कुछेक ने तो स्वतंत्रता आंदोलन के विरूद्ध अंग्रेजों का साथ भी दिया। किसानों और शिल्पियों के आर्थिक पतन की छवि 12 प्रमुख और 1770 से 1857 तक के अनेक छोटे-छोटे अकालों में प्रदर्शित होती है। इन सभी घटकों ने अंग्रेज-विरोधी विचारधारा को फैलाने में सहायता की जो कि अंत में 1857 के विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुई।

(ग) **सामाजिक और धार्मिक कारणः** अंग्रेज, भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सती प्रथा और कन्या शिशुओं की हत्या का विरोध, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा जैसे सामाजिक सुधारों ने अनेक लोगों को नाराज कर दिया था। लोगों के ईसाई बनाने के उद्देश्य से ईसाई-मिशनरियों ने स्कूल और कालेज खोले। उन्हें एक ऐसे जनसमूह की भी आवश्यकता थी जो उनका सामान, खरीदने की दृष्टि से पर्याप्त शिक्षित और आधुनिक हो, परंतु अंग्रेजों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो। इस स्थिति ने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अंग्रेज सरकार उनके धर्म को समाप्त करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मिशनरियों के साथ मिली हुई। 1850 के 22वे अधिनियम के पास होने से धर्मांतरित ईसाईयों को अपनी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार मिल गया। स्वाभाविक था कि इस नये कानून को इसाई धर्मांतरण करने वाले ईसाईयों के लिए एक रियासत के रूप में व्याख्यायित किया गया, जिसने लोगों में और अधिक चिंता और डर पैदा कर दिया।

1806 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाई गई। हिन्दुओं को उनके माथे से उनके धार्मिक प्रतीकों को मिटाने और मुसलमानों को उनकी दाढ़ी कटवाने के लिए बाध्य किया गया, हालांकि सैनिक विद्रोह को दबा दिया परंतु यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकां को कभी-भी समझा नहीं और न ही कभी उनकी ओर ध्यान दिया। सैनिकों की सत्यनिष्ठा की और अधिक अवमानना की गई, अनेक सैनिक सुधारों के माध्यम से जिनके अधीन उनके लिए समुद्रपार सेवा पर जाना आवश्यक कर दिया गया। इसने उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। उनमें यह धारणा बनी हुई थी कि समुद्रपार यात्रा का तात्पर्य होगा अपनी जाति से बाहर कर दिया जाना।

(घ) **सेना में असंतोषः** ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सैनिक किसान परिवारों से आते थे, जो कि सरकारी नीतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। भारतीय सैनिकों को सूबेदारों से ऊपर के पदों पर नहीं रखा जाता था। कुछ सैनिक यदि उन्हें समुद्रपार की ड्यूटी पर भेजा जाए तो विशेष भत्ता चाहते थे, कभी-कभार उनको यह भत्ता दिया जाता था परंतु अधिकांश समय कुछ भी नहीं दिया जाता था। इसलिए उन सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। इन घटनाओं ने अपने निजी ढंग से 1857 के विद्रोह में योगदान दिया। सैनिकों को और भी कई प्रकार की शिकायतें थीं। उनको अपने बराबर पद के अंग्रेजों से कम वेतन अदा किया जाता था। इस कारण भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत दुर्बल हो गया था। दूसरी ओर जब भी सैनिक 'काला पानी' के पार अर्थात् समुद्र और सागर पार जाने के लिए मना करते जो कि उनके लिए धर्मविरूद्ध था, तो अंग्रेज उनके साथ क्रूरता से पेश आते।

(ङ) **तात्कालिक कारणः** भारतीयों में गहन आक्रोश उभर रहा था और वे विद्रोह करने के किसी अवसर की तलाश में थे। भूमिका तैयार थी। केवल उस भड़काने के लिए मात्र एक चिंगारी

की आवश्यकता थी। 1856 में चिकनाई वाले कारतूस शुरू किए जाने ने उस विद्रोह की आग को भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया। सरकार ने पुरानी बंदूक (मस्केट), 'ब्राऊन बैग्स' को 'ऐनफील्ड राइफ्ल' से बदलने का निर्णय लिया। एनफील्ड राइफल में बारूद भरने (लोड) की प्रक्रिया में कारतूस (कार्टरिज) को मुँह तक लाकर उसके ढक्कन को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। 1857 जनवरी में सैनिकों में यह अफवाह फैली हुई थी कि चिकनाई लगे कारतूसों (कार्टरिजों) में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिन्दुओं के लिए पवित्र है और सुअरकी मुसलमानों के लिए मनाही है। अब सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस शुरू करना हिन्दुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ कर किया गया प्रयास है। इसने 29 मार्च 1857 को सिपाहियों के विद्रोह में आग में घी का काम किया।

7.3.2 विद्रोह के चरण

मंगल पाण्डे पहला ऐसा सैनिक था जिसने खुले रूप में आदेशों का उल्लंघन किया। कलकत्ता के पास बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को उसने दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। बैरकपुर की रेजीमेंट को तोड़ दिया गया। मंगल पाण्डे का समाचार बहुत जल्दी देश के दूसरे भागों तक पहुंच गया और परिणामस्वरूप खुले विद्रोह भड़क उठे। सबसे निर्णायक विद्रोह मेरठ में हुआ जहाँ पर घुड़सवार (कैवेलरी) रेजीमेंट के 85 सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार करने पर 2-10 वर्षों के कारावास की सजा दे दी गई। इसके अगले ही दिन अर्थात् 10 मई 1857 को तीन रेजीमेंटों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी और अपने साथी सैनिकों को छुड़ाने के लिए जेलों को तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली की ओर कूच (मार्च) शुरू कर दिया, जहाँ उनके साथ स्थानीय पैदल सेना और सामान्य लोग भी मिल गए। बागियों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और अनेक अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुरशाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।

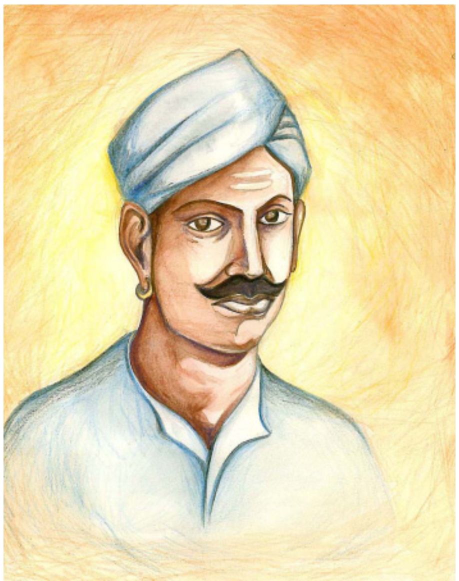

चित्र 7.8 मंगल पाण्डे

दिल्ली से यह विद्रोह अन्य स्थानों तक फैल गया। कानपुर में नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया। उसकी सैनिक टुकड़ियों (ट्रूप्स) की कमान तांत्या टोपे और अजीमुल्लाह ने संभाली। लखनऊ में बेगम हजरत महल की सहायता मौलवी अहमदुल्ला ने की। झांसी में रानी लक्ष्मी बाई और आरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में इसके नेता थे खान बहादुर खान। दिल्ली की हार ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बहुत चोट पहुँचाई थी। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापिस हासिल करने के लिए उन्होंने पंजाब के अपने वफादार सैन्यबल की सहायता ली। सैनिक घेराबंदी चार महीने तक चली और अंततः 10 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुनः जीत लिया गया। यह युद्ध दस महीने तक और चला जब तक गवर्नर जनरल, लॉर्ड केनिंग ने 8 जुलाई 1858 को, इस बगावती विद्रोह के समापन की घोषणा नहीं कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजी सैन्य बल को टक्कर दी। रानी लक्ष्मी बाई ने बागी सैनिकों का नेतृत्व किया। उसने घोड़े पर सवार हो अंग्रेज घुड़सवार सैनिकों का डटकर मुकाबला किया परंतु उसका घोड़ा ठोकर से लड़खड़ा गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज कमांडर-इन-चीफ, सर ह्यूग रोज़ के अनुसार वे विद्रोहियों की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वीर सैनिक नेता थीं। कुंवर सिंह का निधन बिहार में एक अन्य लड़ाई के दौरान हुआ। तांत्या टोपे को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुकदमा चलाकर उसे फांसी दे दी गई। इस प्रकार इन तीनों बहादुर नायकों का अंत हुआ और अंततः इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया।

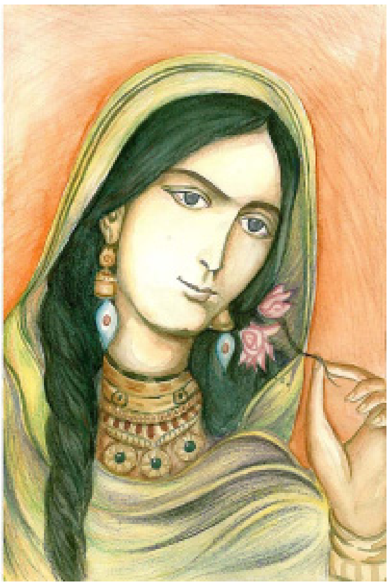

चित्र 7.9 बेगम हजरत महल

वृद्ध शहंशाह बहादुर शाह ज़फर को, उनके दो पुत्रों सहित, कारागार में डाल दिया गया। एक मुकदमे के पश्चात उसे रंगून में देश निकाला दे दिया गया, जहाँ पर 1862 में, 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उसके पुत्रों को बगैर कोई मुकदमा चलाए ही दिल्ली में गोली मार दी गई। अब हम इस विद्रोह की असफलता के कारणों का गहराई से अध्ययन करेंगे।

कार्यकलाप 7.2

1857 के विद्रोह के किस व्यक्तित्व ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? क्या आप उनके किन्हीं दो ऐसे गुणों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आप भी अपने जीवन में उतारना चाहेंगे?

7.3.3 विद्रोह की प्रकृति

1857 के विद्रोह आंदोलन की चारों ओर आज भी एक बहस जारी है। अंग्रेज इतिहासकार 1857-1858 की घटनाओं को सैनिकों द्वारा की गई सैनिक बगावत मानते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1857 से पहले भी सैनिकों द्वारा अनेक विद्रोह किए गए। इसका एक उदाहरण है जुलाई 1806 में वेल्लूर की सैनिक बगावत। जहाँ भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गैरिज़न के खिलाफ विद्रोह किया था। बेशक बहुत जल्दी अनुशासन बहाल कर दिया गया था और यह विद्रोह सैनिक छावनी में दीवारों तक ही सीमित रहा।

परंतु यदि आप 1857 के तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो आपको इसका अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। विद्रोह के आंदोलन की शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी परंतु बहुत बड़ी संख्या में असैनिक जनमानस भी इसके साथ जुड़ गए थे। किसानों और शिल्पियों द्वारा इसमें भाग लिए जाने की वजह से यह आंदोलन बहुत दूर-दूर तक फैला और एक लोकप्रिय घटना बन गया। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में साधारण जनता ने सैनिकों से पहले ही विद्रोह कर दिया था। इससे यही पता चलता है कि स्पष्टतया यह एक लोकप्रिय विद्रोह था। इसे हिन्दु मुस्लिम एकता के रूप में पहचाना गया। विभिन्न क्षेत्रों में भी एकता का अस्तित्व दिखाई दिया। देश के एक भाग के विद्रोहियों ने अन्य क्षेत्रों के लोगों को लड़ाई करने में सहायता की। इस विद्रोह को अंग्रेजी शासन के विरूद्ध भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में देखा जाना चाहिए।

आप अनुभव करेंगे कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं बल्कि कई आंदोलन थे। यह किसी वर्ग का विद्रोह नहीं था। किसानों ने ज़मीदारों के विरूद्ध बगावत नहीं की उन्होंने सिर्फ अनाज के ऋणदाता व्यापारियों अथवा अंग्रेजों की भारतीय सरकार के विरूद्ध आक्रमण किए थे। परंतु उनकी नीतियों ने किसी विशिष्ट क्षेत्र को इतने गहरे से प्रभावित किया कि संपूर्ण क्षेत्र ने एक ही प्रकार से प्रतिक्रिया की। अवध और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह इस प्रकार लोकप्रिय हुआ कि इसका संबंध समग्र रूप से लोगों पर पड़ा और उन सबने मिलकर इसका संचालन किया। अवध में ताल्लुकदारों और किसानों ने मिलकर इकट्ठे ही एक सामान्य शत्रु के विरूद्ध लड़ाई की। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि 1857 में पहली बार विभिन्न जातियों, हिंदुओं और मुसलमानों से भारतीय सेना के लिए चयनित सैनिक, जमीदार और किसान एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध एकजुट हुए। इसने अंग्रेजों के विरूद्ध बाद में हुये औपनिवेशीय विरोधी संघर्षों के लिए भी आवश्यक बुनियाद की सफल भूमिका निभाई।

7.4 विद्रोह की असफलता

यद्यपि यह विद्रोह भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना रही है तथापि एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के विरूद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए इनके पास बहुत कम ही अवसर थे।

विद्रोह के शुरु होने के एक वर्ष के भीतर ही इसे दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। बागियों के उद्देश्य में एकरूपता नहीं थी। बंगाल के सैनिक मुगलों की खोई शानो-शौकत को पुनः जीवित करना चाहते थे जबकि नाना साहिब और तात्या टोपे ने मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मी बाई ने झांसी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई की जोकि उसने 'अधिग्रहण के सिद्धांत की' अंग्रेजी नीति के परिणामस्वरूप खो दी थी। दूसरे यह विद्रोह अधिक क्षेत्रों तक फैला हुआ नहीं था बल्कि उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा।

यहाँ तक कि उत्तर में कश्मीर, पंजाब, सिंध और राजपुताना इस विद्रोह से दूर रहे। अग्रेज मद्रास और बंबई की रेजिमेंटों और सिख प्रदेशों की निष्ठा प्राप्त करने में सफल रहे। अफगानों और गोरखाओं ने भी अंग्रेजों को समर्थन दिया। अनके भारतीय शासकों ने विद्रोहियों की सहायता करने से इंकार कर दिया। मध्य और उच्च वर्गों और आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तीसरे, इस आंदोलन का नेतृत्व बहुत कमज़ोर था। भारतीय नेताओं में संगठन और संयोजन की योग्यता नहीं थी। विद्रोही नेताओं की अंग्रेज सैनिकों से कोई तुलना नहीं थी। अधिकांश नेताओं के विचार केवल उनके निजी हितों तक सीमित थे। इनका उद्देश्य केवल गहन निजी लाभ ही था। उन्होंने केवल अपने निजी प्रदेशीय क्षेत्रों की स्वाधीनता के लिए लड़ाई की। कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता उभर कर नहीं आया जो इस आंदोलन का समन्वय करके इसे कोई उद्देश्य और दिशा प्रदान कर पाता। लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे और नाना साहिब बहुत साहसी थे परंतु वे अच्छे सैन्य जनरल नहीं थे। नाना साहिब के बच निकलने और बहादुर शाह जफर की मृत्यु से पेशवागिरी और मुगल शासन का अंत हो गया।

विद्रोहियों के पास शस्त्रों और धन का भी अभाव था। जो भी शस्त्र थे वे पुराने और नकारा हो चुके थे। वे अंग्रेजों के संवेदनशील और आधुनिक शस्त्रों का सामना नहीं कर सकते थे। बागियों की संगठन व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में भड़कने वाले विद्रोहों में परस्पर कोई समन्वय नहीं था। प्रायः सिपाही अनियंत्रित रूप में व्यवहार करते थे। दूसरी ओर टेलीग्राफिक सिस्टम और डाक संचार ने अंग्रेजों को अपनी कारवाई की गति तेज करने में सहायता की। अंग्रेजों की सामुद्रिक दक्षता के फलस्वरूप उन्हें इंग्लैण्ड से सामरिक सहायता उन्हें आसानी से उपलब्ध थी और उन्होंने इस विद्रोह का बड़ी बेरहमी से दमन कर दिया गया।

7.5 विद्रोह की सार्थकता और प्रभाव

1857 के विद्रोह का प्रथम लक्षण था कि भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे और इस लक्ष्य के लिए संगठित रूप से उनका मुकाबला करने के लिए खड़े होने के लिए भी तैयार थे। यद्यपि वे अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे परंतु वे भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता के बीज बोने में सफल रहे। भारतीय लोग उन बहादुरों के लिए और भी जागरूक हो गए थे, जिन्होंने इस विद्रोह में अपने जीवन का बलिदान किया। तथापि, यहीं से हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की शुरुआत हुई, जिसका बाद में अंग्रेजों ने भारत में शासन जारी रखने के लिए शोषण किया।

7.6 विद्रोह की विरासत

1857 का विद्रोह इस दृष्टि से अद्वितीय है कि इसने जाति, समुदाय और वर्ग के बंधनों को समाप्त कर दिया। पहली बार भारत के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के लिए एक चुनौती खड़ी की। यद्यपि विद्रोहियों के प्रयासों को सफलता नहीं मिली फिर भी अंग्रेजी सरकार को भारत के प्रति अपनी नीतियों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। अगस्त 1858 में भारत में बेहतर सरकार अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टरस को समाप्त कर दिया गया और भारत के लिए एक स्टेट सैक्रेटरी के पद का निर्माण किया गया जिसमें 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद को शामिल किया गया, ताकि वे भारत के वायसराय, वह पदनाम जिसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, की सहायता कर सकें। अगस्त 1858 में ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे अपने हाथों में ले लिया और 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 1 नवंबर 1858 की उद्घोषण के द्वारा रानी ने यह घोषणा की कि कंपनी की नीतियों को जारी रखा जाएगा। भारत अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। भारतीय शासकों को आश्वस्त किया गया कि गोद लेने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के अधिकार को मान्यता दी जाएगी। सम्राज्ञी ने वचन दिया कि कंपनी द्वारा भारत राज्य के शासकों के साथ की गई संधियों और करारनामों का मान रखा जाएगा।

अब तक अंग्रेजों को हिन्दु-मुस्लिम एकता पर पक्का अविश्वास हो गया था। उन्होंने देश में फूट डालों और राज करने की नीति को अपनाने का निर्णय किया। सिविल और सैनिक प्रशासन में केन्द्रीय पदों पर उन्होंने अपना सख्त नियंत्रण बनाये रखा। इस इरादे को अंजाम देने के लिए इंडियन सिविल सर्विस अधिनियम 1861 जारी किया गया जिसके द्वारा आकर्षक सिविल सेवा में चयन के लिए लंदन में हर वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू किया गया। इस विद्रोह ने एंग्लो-इंडियन इतिहास में केन्द्रीय भूमिका निभाई। अंग्रेज सावधान हो गए और अपने साम्राज्य के प्रति रक्षात्मक भूमिका में आ गए, जबकि भारतीयों के मन में कड़वाहट भरी रही कि वे अब कभी भी अपने शासकों पर भरोसा नहीं कर पायेंगे। यह विश्वास तब तक नहीं हो पाया जब तक कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) की स्थापना नहीं हो गई और महात्मा गांधी के साथ भारतीयों ने होम रूल के लिए पुनः गति हासिल नहीं कर ली। एक समूह जो इस मुसीबत और अंग्रेजों के विरोध से दूर रहा वह था अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय लोगों का समूह। यह समूह अपनी उन्नति का श्रेय नए शासन की स्थितियों को देता था। इसके कुछ सदस्य बंगाली ज़मीदारों के नए समूह से थे, वह वर्ग जो बंगाल के स्थाई बंदोबस्त की पैदाइश था। यह जानना रोचक होगा कि इस कुलीन समूह के कुछ सदस्य 1857 के विद्रोह के करीब तीस या चालीस वर्ष बाद अंग्रेजों के खिलाफ हो गये थे। 1857 के संकट के लिए मुख्यतया सेना जिम्मेदार थी। अतः सेना में कुछ मूलभुत परिवर्तन शुरू किए गए। भारत में यूरोपियन ट्रूप्स के सैन्य बल में वृद्धि की गई और भारतीय ट्रूप्स की संख्या में 1857 से पूर्व की संख्या से भी ज्यादा कमी कर दी गई। कुछेक माउंटेन बैट्रीज को छोड़कर सभी भारतीय तोपखाना यूनिटों (आर्टिलरी) यूनिटों को समाप्त कर दिया गया, यहाँ तक कि अंग्रेज सैनिकों के साथ आर्टिलरी को रखा गया। दूसरी ओर स्वदेशियों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर स्वदेशियों से ही लड़वाने का प्रयास किया गया। सेना और तोपखाना विभागों (आर्टिलरी डिपार्टमेंट्स) में सभी बड़े पदों को यूरोपियनों के लिए आरक्षित कर दिया गया। भारतीयों और अंग्रेजों में परस्पर अविश्वास और डर व्याप्त था। बड़े समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि 1857 के विद्रोह का मूल

कारण था शासक और शासित में परस्पर संपर्क का अभाव। इस प्रकार इंडियन कौंसिल्स एक्ट, 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं के विकास का एक विनम्र प्रयास शुरू किया गया। विद्रोह के भावनात्मक उत्तरोत्तर प्रभाव शायद सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे। नसलीय कड़वाहट इस संघर्ष की शायद सबसे खराब विरासत रही थी।

पाठगत प्रश्न 7.2

1. औपनिवेशीय शासन के विरूद्ध भारतीय सैनिकों की दो शिकायतों उल्लेख करें।
2. 1857 के विद्रोह के तीन महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखें।
3. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया?
4. 1857 के विद्रोह आंदोलन की विफलता के तीन प्रमुख कारणों की सूची बनाएँ।

आपने क्या सीखा

- भारत में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध और नाराज़गी का मुख्य कारण थे लोगों का उनके द्वारा दमन और शोषण।
- खेतीहर किसानों और जनजातियों के लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल करने से वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। विभिन्न प्रकार के करों ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया था।
- जो लोग लघु कुटीर उद्योगों में लगे हुए थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा उत्पादित सामान के आयात के परिणामस्वरूप अपने कारखाने बंद करने पड़े थे। इन सभी परिवर्तनों और अंग्रेजी प्रशासन के गैर-जिम्मेदार व्यवहार के कारण किसानों को अपनी शिकायतों की अभिव्यक्ति विद्रोह के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- दुर्भाग्यवश संगठित अंग्रेजी सशस्त्र बालों के समक्ष यह विद्रोह सफल नहीं हो पाए परंतु इन विद्रोहों ने भारत में ब्रिटिश राज के भविष्य को चुनौती देने की राह खोल दी थी।
- 1857 का विद्रोही आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के सामने एक बड़ी चुनौती था। इसका नेतृत्व सैनिकों ने किया परंतु सामान्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया।
- 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण उत्तरदायी थे - चर्बी लगे कारतूसों की घटना इसका तात्कालिक कारण बनी।
- भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। विद्रोह के मुख्य केन्द्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और आरा। विद्रोह के कुछ मुख्य नेता थे - बख्त खान, नाना साहिव, तात्या टोपे, अजी मुल्लाह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, रानी लक्ष्मी बाई, खान बहादुर खान और कुवर सिंह।
- विद्रोह भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में असफल रहा। असफलता के मुख्य कारण थे - इसका स्थानीय और असंगठित होना, कमजोर नेतृत्व तथा धन और हथियारों का अभाव।

पाठांत प्रश्न

1. किसानों तथा जनजातीय विद्रोहों के दो समान लक्षणों की व्याख्या करें।
2. किस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक-धार्मिक कारक 1857 के विद्रोह का कारण बने?
3. 1857 के विद्रोह के महत्व की व्याख्या करें।
4. 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं के नाम लिखिये और क्यों उन्होंने विद्रोह में भाग लिया की एक सारणी बनाए।
5. क्या आप सोचते हैं कि 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों और उनके भारत में शासन पर कोई प्रभाव डाला? स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दें।
6. इतिहास हमें बताता है कि सामान्य लोग तब विरोध करते हैं जब कि उनकी जीविका संकट में हो। क्या आप सोचते हैं कि यह कथन आज भी सार्थक है? किसी एक ऐसी ही घटना को पहचानिए जो हाल में घटी हो और किसी समाचार पत्र या पत्रिका में छपी हो तथा उस पर लगभग 50 शब्दों में एक रिपोर्ट बनाइए।
7. (a) दिए गए भारत के भौगोलिक मानचित्र पर निम्नलिखित विद्रोहों के क्षेत्रों को अंकित करेः

   (i) फकीर और सन्यासी विद्राह (ii) संथाल विद्रोह

   (iii) मुंडा विद्रोह (iv) जयतिया तथा गारो विद्रोह

   (b) प्रत्येक विद्रोह का एक कारण लिखें

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

7.1

2. शोषकों के तीन समूह थे।

   (क) अंग्रेजी सरकार के अफसर
   (ख) ज़मीदार
   (ग) ऋणदाता

3. लोकप्रिय विद्रोही आंदोलनों के निम्नलिखित चार कारण थे:

   (क) अंग्रेजों द्वारा शोषण
   (ख) किसानों पर लगाया जाने वाले ऊँची दर में लगान
   (ग) वाणिज्यिक/नकदी फसल उगाने की बाध्यता
   (घ) अंग्रेजों द्वारा लोगों के धार्मिक रीति-रिवाज़ों में हस्तक्षेप

7.2

1. (क) कम वेतन और कोई भत्ता नहीं, समुद्रपार ड्यूटी लगाय जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं।
   (ख) पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव

2. रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल, नाना साहिब, आरा के कुंवर सिंह।

3. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रानी की एक उद्घोषणा के द्वारा किया गया था।

4. 1857 के विद्रोह की विफलता के तीन मुख्य कारण थे।

   (क) यह विद्रोह भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के समक्ष इसके सफल होने की बहुत कम संभावना थी।
   (ख) यह केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा।
   (ग) विद्रोहियों के उद्देश्य में एकरूपता नहीं थी।
   (घ) आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर था।
   (ङ) विद्रोहियों के पास शस्त्रों और धन की कमी थी।

8

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन

पिछले कुछ अध्यायों में आपने हमारी सभ्यता के इतिहास के बारे में पढ़ा। आपने प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ किया और इस अध्याय में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तक की यात्रा की। यह अवश्य ही बहुत मजेदार यात्रा रही होगी। आपने पढ़ा कि कैसे लोग जंगल में रहते थे, जानवरों को मारकर भोजन प्राप्त करने के लिए तथा अपनी रक्षा के लिए कठोर पत्थरों का प्रयोग करते थे। आपने ताम्र युग के बारे में भी पढ़ा होगा जब धातु की खोज की गई और उसका प्रयोग छोटे जंगलों को काटने में किया गया और कैसे इसके प्रयोग ने जीवन को आसान बना दिया। इसने हमें लौह-युग और औद्योगीकरण की शुरूआत की ओर अग्रसर किया। आपने पढ़ा कि जैसे ही समाज का जन्म हुआ कुछ लोग अन्य लोगों के अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। हमने यह भी पढ़ा कि कैसे धन और जमीन शक्तिशाली देशों के लिए लालच का स्रोत बन गये। हमने यह भी पढ़ा कि किस प्रकार इसने राज्यों और राष्ट्रों का विरोध किया जिसने प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का शोषण कर और उनके ऊपर निर्ममता पूर्वक शासन कर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उनमें से एक राज्य हमारा देश भारत भी हुआ। हम इस अध्याय में भारत की स्वतंत्रता के लम्बे संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

- भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को पहचान सकेंगे
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव को चिह्नित कर सकेंगे।
- भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय आन्दोलन में गॉंधीजी की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।
- भारतीयों पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को स्थापित कर सकेंगे।

8.1 राष्ट्रवाद का उद्भव

राष्ट्रवाद का उद्भव यूरोप के नवजागरण के उत्साह में प्रतिबिंबित हुआ, जब धार्मिक प्रतिबन्ध मुक्ति ने राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद की यह अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति द्वारा आगे बढ़ी।

इस राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप संप्रभुता राजा के हाथ से फ्रांसीसी नागरिक के हाथों में चली गई। राजा जिसके पास राष्ट्र का निर्माण करने और भाग्य तय करने की शक्ति थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा ''उदारता, समानता एवं भ्रातृत्व'' ने सम्पूर्ण संसार को प्रेरणा दी। अन्य कई आन्दोलन जैसे अमेरिकी क्रान्ति रूसी क्रान्ति इत्यादि ने भी राष्ट्रवाद के विचार को शक्ति दी, जिसके बारे में आप पहले ही अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। यहां आप भारत में राष्ट्रवाद के उदय जो 1857 की क्रांति के बाद 19 शताब्दी में प्रकट हुआ, के बारे में पढ़ेंगे।

8.1.1 भारत में राष्ट्रवाद का उदय

भारत के लिए राष्ट्रीय पहचान का बनना एक लम्बी प्रक्रिया थी जिसका मूल प्राचीन युग से लिया जा सकता है। भारत में संपूर्णत: प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त द्वारा तथा मध्य युग में अकबर से औरंगजेब तक के द्वारा शासन किया गया। लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय जागरण केवल 19वीं शताब्दी में ही प्रकट हुआ। यह उदय उपनिवेश विरोधी आन्दोलन से गहरे रूप से जुड़ा था जो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्वों ने लोगों को राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने और उसे प्राप्त करने में प्रेरणा दी। लोगों ने उपनिवेशवाद के विरूद्ध संघर्ष के क्रम में अपनी एकता को खोजना प्रारंभ कर दिया।

औपनिवेशिक शासन के अधीन सतायें जाने के भाव ने एक सामूहिक बंधन प्रदान किया जिसमें विभिन्न समूह के लोग एक साथ आये। उनके अनुभव भिन्न थे और उनके राष्ट्र की आजादी हमेशा एक जैसी नहीं थी। साथ ही कई अन्य कारणों ने भी राष्ट्रवाद के उद्भव और विकस में योगदान दिया। कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का एक कानून राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की ओर ले गया। इसने नागरिकता और भारतीयों के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा को बल प्रदान किया। आपने प्रसिद्ध विरोध आंदोलन पढ़ा था वह याद है? क्या आपको वह तरीका याद है जिससे किसानों व आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जब उनकी जमीन और जीविका का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। इसी प्रकार, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण ने अन्य लोगों को एक होने एवं उनके जीवन और संसाधन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के विरूद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाया। 19वीं सदी के सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में भूमिका निभाई आपने स्वामी विवेकानन्द, एनीबेसेंट, हेनरी डेरोजियो एवं कई अन्य के बारे में पहले अवश्य पढ़ा होगा। उन्होंने प्राचीन भारत के गौरव को फिर से जगाया, लोगों में उनके धर्म और संस्कृति में विश्वास पैदा किया और इस प्रकार उन्हें उनकी मातृभूमि से प्रेम का संदेश दिया। राष्ट्रवाद के बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानन्द सरस्वती और अरबिन्द घोस सरीखे लोगों द्वारा स्वर दिया गया। बंकिम का मातृभूमि के लिए श्लोक 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रवादी देशभक्तों का वैचारिक स्वर बन गया । इसने आने वाली पीढ़ियों को सबसे बड़े आत्म-बलिदान के लिए प्रेरित किया। यह इतना मजबूत स्वर था कि अंग्रेजों को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। स्वामी विवेकानन्द का लोगों को संदेश ''उठो, जागो और तब तक मत रूको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो।'' सभी भारतीयों से अनुरोध किया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के क्रम में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में काम किया

क्या आपको प्रिंटिग प्रेस की स्थापना के बारे में याद है, और कैसे इसने उदारता, समानता और भ्रातृत्व जैसे विचारों के विस्तृत संचार में मदद की? इन सभी तत्वों ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद के प्रसार में मदद की।

इस समय के आसपास कई संगठन स्थापित हो रहे थे जिन्होंनें ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठायी। इनमें से ज्यादातर संगठन क्षेत्रीय स्वरूप के थे। इनमें से कुछ संगठन काफी सक्रिय थे जैसे कि बंगाल इंडियन एसोसिएशन, बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे पब्लिक मीटिंग, आदि। यद्यपि यह अनुभव किया गया कि यदि ये सभी क्षेत्रीय संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे तो भारतीय जनसमुदाय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। इस अध्याय के अगले भाग में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।

8.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आविर्भाव (1885)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलेन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा की गई। ह्यूम एक सेवानिवृत सिविल सेवा अधिकारी थे। उसने भारतीयों में राजनीतिक सजगता को बढ़ते देखा और वे इसे एक सुरक्षित संवैधानिक स्वरूप देना चाहते थे ताकि उनका असंतोष भारत में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध सार्वजनिक क्रोध के रूप में विकसित न हो सके। इस योजना में उन्हें वायसराय लॉर्ड डफरिन एवं प्रसिद्ध भारतीयों के एक समूह की मदद मिली। कलकत्ता (कोलकाता) के वोमेश चन्द्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनैतिक रूप से सजग भारतीयों का उनकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के लिए काम करने के हेतु विचार रखते थे। इनके नेताओं का ब्रिटिश सरकार और इसके न्याय में पूरा विश्वास था। वे मानते थे कि यदि वे सरकार के सामने तर्क पूर्ण ढंग से शिकायत रखेंगे तो अंग्रेज निश्चित रूप से उनमें सुधार करेंगे। इन उदार नेताओं में सबसे प्रसिद्ध फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, बदरूद्दीन तयैबजी इत्यादि थे। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत संकीर्ण सामाजिक आधार था।

चित्र 8.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1885

इसका प्रभाव शिक्षित शहरी भारतीयों तक ही सीमित था। इस संगठन का पहले ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की ओर से संवाद करना और उनकी शिकायत को आवाज देने जैसे सीमित उद्देश्य थे। वास्तव में, इस युग को नरमपंथियों का युग कहा गया है। क्यों? इसका पता आप शीघ्र ही लगा पाएंगे।

8.2.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक चरण

इसके प्रथम बीस वर्षो के दौरान कांग्रेस ने नरमी से अपनी मांगे रखी। उन्होंने (क) विधानसभा में प्रतिनिधित्व (ख) सेवाओं का भारतीयकरण (ग) सेना के खर्च में कमी (घ) कृषकों के बोझ में कमी (ड.) नागरिक अधिकारों की रक्षा (च) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (छ) काश्तकार नियम में बदलाव (ज) भूमि से आय एवं नमक कर में कमी (झ) भारतीय उद्योग एवं हस्तशिल्प के विकास में मदद हेतु नीति और (ञ)लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम लाने के लिए कहा।

कांग्रेस ने सरकार के सामने अपनी मांग हमेशा आवेदन के रूप में रखी और कानूनी नियमों में रहकर काम किया। यही कारण था कि कांगेस के पहले के नेताओं को नरमपंथी कहा गया। यह प्रयास भारत में अंग्रेजों की नीति एवं प्रशासन में कोई सुधार नहीं ला पाया। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सहयोग अंग्रेजों की पूर्ण मानसिकता थी। लेकिन 1887 के बाद यह मानसिकता बदलने लगी। वे नरमपंथियों की मांग को पूरा नहीं करते थे। कांगेस की एक मात्र सफलता भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 को लागू करना है जिसने कुछ गैर–कार्यालीय सदस्यों को शामिल कर विधान सभा का विस्तार किया और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत और लन्दन में एक साथ आयोजित कराने का समाधान पास किया। धीरे–धीरे बहुत सारे नेता संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास खोने लगे। यहाँ तक कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो गयी। किन्तु राष्ट्रीय जागृति लाने एवं लोगों के मन में एक देश से सम्बद्ध होने का भाव लाने में सफल हुई। उसने भारतीयों को बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सरकार की नीतियों की आलेचना करके इसने लोगों को राजनीति का बहुमूल्य प्रशिक्षण दिया। वे आक्रामक कदम बढ़ाने की स्थिति में नहीं ये जो उनको सरकार से सीधे संघर्ष की स्थिति में ला देता। सबसे बड़ी सफलता एक राष्ट्रीय आन्दोलन की नींब रखने की थी।

अंग्रेज जो कि पहले नरमपंथियों की मदद करते थे, शीघ्र ही यह अनुभव करने लगे कि यह आन्दोलन एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में बदल सकता है जो उन्हें देश से बाहर कर देगी। इससे उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल गई। उन्होंने शिक्षा को नियंत्रित करने और प्रेस को कुचलने के लिए कड़े नियम पारित किए। कांग्रेसी नेताओं को शांत रखने के लिए कुछ छूट दी गई। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए प्रयासरत था। कर्जन एक कट्टर साम्राज्यवादी था और अंग्रेजों के अन्य लोगों की तुलना में बेहतर होने में विश्वास रखता था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित करने का अपराध बनाकर उसने 1898 में एक नियम पारित किया। उसने भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियम आरोपित कर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जिन्हें आप अगले भाग में पढ़ेंगे।

8.3 बंगाल का विभाजन (1905)

जो बंगाल में 1905 में हुआ उसे आप क्या सोचते हैं? कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की । विभाजन का कारण प्रशासन में सुधार की कोशिश दिया गया। लेकिन मुख्य लक्ष्य 'फूट डालो और शासन करो' का था। यह विभाजन मुसलमानों को एक अलग राज्य देने के लिए किया गया जिससे देश में साम्प्रदायिकता का बीज फैलाया जा सके। यद्यपि भारतीयों ने इसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को नष्ट करने और इस क्षेत्र के हिन्दुओं और मुसलमाने को बांटने की कोशिश के रूप में देखा। आन्दोलन और गलियों में बड़े पैमाने पर फैल गया। हिन्दुओं और मुसलमानों ने दूसरे की कलाई पर राखी बाँध कर अपनी एकता और विरोध का प्रदर्शन किया। स्वदेशी गहरे गुस्से से भरा और जोशीला आन्दोलन था जो सबका मातृभूमि के प्रति अविर्भाव प्रेम का परिचायक था। आत्मविश्वास का यह नया राष्ट्रवादी जोश सम्पूर्ण भारतीय क्षितिज पर गिरफ्तारी, दर्दनाक यातना के साथ अंग्रेजों का दमनकारी शासन बनकर छा गया। उस समय बालगंगाधर तिलक ने एक शस्त्र के रूप में बहिष्कार के महत्व को स्वीकार किया जिसे भारत में सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करने में उपयोग किया जा सकता था। बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन कपड़ा मिल, राष्ट्रीय बैंक, होजियरी, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग और बीमा कम्पनी के स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। स्वदेशी भंडार खोले गए। स्वयंसेवी स्वदेशी सामानों को प्रत्येक घर के दरवाजे तक पहुँचाते थे। यह आन्दोलन लोगों के हरेक वर्ग और सभी समूह तक फैला। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि महिलाएँ और बच्चे भी हिस्सा लेने को आगे आए। सबसे ज्यादा सक्रिय स्कूल और कॉलेज के छात्र थे। 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन वापस ले लिया और बंगाल पुनः एक हो गया। उस समय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खास कर गरम दल की भूमिका को सराया जाना चाहिए। उसने सभी वर्ग व सभी समुदाय के लोगों यहाँ तक कि किसानों कामगारों, छात्रों एवं महिलाओं को भी आन्दोलन में शामिल करने का प्रयत्न किया। वे सबके दुश्मन अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय लोगों को एक करने सफल रहे। युवा लोग देशभक्ति के उच्चतम स्तर तक भड़क गए थे और देश को आजाद करने का जोश था। उन्होने लोगों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। उन्होनें भारतीय कुटीर उद्योगों को भी पुर्नजीवित किया।

8.4 गरम दल का उदय

कांग्रेस में नरमपंथियों की विनम्र नीति ही अति वादी एवं उग्रसुधार राष्ट्रवादी आन्दोलन का प्रथम दौर एक ओर कंाग्रेस के विरूद्ध सरकार की प्रतिक्रिया और दूसरी ओर कांग्रेस में 1907 में आये दरार के साथ ही खत्म हो गया। वह इसलिए कि 1905 से 1918 तक की अवधि को 'अतिवादी उग्र राष्ट्रवादियों या गरम दल का युग' कहा जा सकता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चन्द्र पाल (लाल-बाल-पाल) इस (गरम) उग्र पंथी दल के महत्वपूर्ण नेता थे। जब नरमपंथी इस कार्य में आगे थे तब उन्होंने निम्न रूप रेखा को बनाये रखा किन्तु अब ये अतिशीघ्र और पूरे जोश के साथ हरकत में आ गए। इनके प्रवेश ने एक नई प्रवृत्ति और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नये चेहरे को चिह्नित किया। उनके अनुसार नरमपंथी भारत का राजनीतिक लक्ष्य तय करने में असफल रहे उनके द्वारा अपनाया गया तरीका नरम और प्रभावहीन था। इसके अलावा वे उच्च, जमींदार वर्ग तक सीमित रहे और ब्रिटिशों से बातचीत के आधार के रूप में बड़े वर्ग के समर्थन में असफल रहे।

चित्र 8.2 लाल-बाल-पाल

गरमदल का यह विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं, उसकी आत्म-प्रचूरता को नष्ट करते है और भारत का धन ले जाते हैं। वे अनुभव करते थे कि अब भारतीयों को खुद सरकार चलानी चाहिए। ये गरमपंथी गुट सरकार को दरख्वास्त करने के बदले बड़े पैमाने पर विरोध करने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, स्वदेशी (गृह-निर्मित) वस्तुओं का उपयोग करने आदि में विश्वास करते थे। वे स्वतंत्रता के लिए सरकार की दया पर निर्भर नहीं थे लेकिन वे यह विश्वास करते थे कि यह उसका अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया ''आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।'' 1916 में दोनों समूह पुनः एनी बेसेन्ट के प्रयास से एक हुए। क्या आपको उनके बारे में याद है जो आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं? उन्होंने 1914 में होमरूल आन्दोलन के लिए काम करना शुरु किया। उनके द्वारा बताया गया कि भारत को स्वशासन दिया जाना चाहिए। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी वैचारिक तौर पर परस्पर नजदीक आए और लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किए। बाद में महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरु सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध चेहरे हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया।

क्रियाकलाप 8.1

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता तक के इतिहास की घटनाओं की एक समय रेखा तैयार करें। इससे संबंधित तस्वीर इकट्ठा करें और उन्हें इस चार्ट में व्यवस्थित करें।

8.5 मुस्लिम लीग का गठन (1906)

जैसे-जैसे उग्र परिवर्तनवादी आन्दोलन शक्तिशाली हुए ब्रिटिश भारतीयों की एकता को तोड़ने का रास्ता तलाशने लगे। ऐसा उसने बंगाल के विभाजन द्वारा और भारतीयों के बीच साम्प्रदायिकता

का बीज-बोकर कोशिश की। उन्होंने मुसिलमों को अपना खुद का एक स्थाई राजनीतिक संगठन बनाने को उकसाया। दिसम्बर, 1906 में ढाका में मोहम्डन एजुकेशनल कॉनफरेन्स के दौरान नवाब सलीम उल्लाह खान ने मुस्लिम हितों की देखभाल के लिए सेन्ट्रल मोहम्डन एसोसिएशन की स्थापना का विचार दिया। उसी के अनुसार 30 दिसम्बर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया वह आगा खान थे जो अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उन्हें उन्नत करना तथा उनकी जरूरतों को सरकार के सामने रखना था। अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को बढ़ावा देकर सरकार ने भारतीयों में साम्प्रदायिकता व अलगाव के बीज बो दिए। मुस्लिम लीग के गठन को ब्रिटिश मुख्य रणनीति 'बाँटों और शासन करो' के प्रथम परिणाम के रूप में माना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बने।

8.6 मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)

क्या आपको भारत विधान परिषद् अधिनियम 1892 याद है जिसने केन्द्रीय विधान सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधायिका का विस्तार कर दिया था। 1909 परिषद् अधिनियम; 1892 के सुधारों का एक विस्तार था जिसे राज्य सचिव (लार्ड मॉर्ले) एवं वायसराय (लॉर्ड मिंटो) के नाम पर मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। उसने विधान सभा में सदस्य संख्या सोलह से बढ़ाकर साठ कर दिया। कुछ अनिर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। यद्यपि विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ गई किन्तु उसके पास वास्तव में शक्ति नहीं थी। वे किसी कानून को पारित होने से रोक नहीं सकते थे। न उनके पास बजट पर कोई शक्ति थी। वे मुख्यत: केवल सलाहकार की भूमिका में थे। अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को अलग निर्वान क्षेत्र देना उसके 'बाँटो और शासन करो' का दूसरा प्रयास था। इसका अर्थ यह था कि मुस्लिम प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही चुने जाएँगे। हिन्दू केवल हिन्दू को वोट देंगे और मुस्लिम केवल मुस्लिम को। यह भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का बीज बोने का जान-बूझ कर किया गया काम था। बहुत नेताओं ने साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया।

8.7 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आन्दोलन

प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ जिसके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यह युद्ध यूरोप के देशों के बीच औपनिवेशिक एकाधिकार पाने के लिए लड़ा गया। युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से अपील की, कि उनके संकट की घड़ी में उनका साथ दें। भारतीय नेता तैयार हो गए किन्तु इन्होंने अपनी एक शर्त रख दी। वह यह कि जब युद्ध समाप्त हो जाये तब ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को संवैधानिक (विधायी और प्रशासनिक) शक्ति दे दे। दुर्भाग्यवश, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाये गये कदम ने भारतीय लोगों में असंतोष पैदा कर दियां वह इसलिए कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था जिसे उन्हें वापस करना था। उन्होने जमीन का किराया अर्थात् लगान बढ़ा दिए। उन्होंने ब्रिटिश फौज में भारतीयो की जबरदस्ती भर्ती की। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए और व्यक्तिगत एवं पेशे से प्राप्त आय पर कर लगा दिए। परिणामस्वरूप, उन्हें भारतीय समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। चम्पारण, बारदोली, खेड़ा और अहमदाबाद

के किसानों एवं कामगारों ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ डटकर विरोध किया। लाखों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, सैकड़ों वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। महिलाएँ ने भी इस आन्दोलन में विशेष रूप से योगदान दिया और उनकी भागीदारी गाँधीजी के आंदोलन के दौरान ज्यादा विस्तृत रही। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एक बड़ा आंदोलन बन गया, विदेशी कपड़ों के हजारों होलिका दहन भारतीय आक्रोश को आलोकित कर रही थी।

क्रियाकलाप 8.2

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस समय के दौरान उपयोग किए गए मीडिया प्रचारों के प्रकारों की सूची बनाएँ। उस समय के कुछ प्रसिद्ध अखबारों के नामों का पता लगाएँ। अगर किसी अन्य देश में इस प्रकार के आन्दोलन आज हो तो उसमें मीडिया की क्या भूमिका होगी?

8.7.1 नरमदल और गरम दल का एकजुट होना

युद्ध काल के दौरान, नरम दल एवं गरम दल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में एक साथ आए। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सहमत हो गए और दूसरे दल को जहाँ कही वे अल्पमत में थे, महत्व देने का निर्णय किया। कांग्रेस एंव मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर स्वशासन की मांग की जिसकी सरकार द्वारा लम्बे समय तक अनदेखी नहीं की जा सकती थी। लखनऊ अधिवेशन इस मामले में भी महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस के अति परिवर्तनवादी नेता भी 1907 के अलगाव के बाद इसमें हिस्सा ले रहे थे। इस सम्मेलन ने तिलक को प्रसिद्धी में ला दिया और वे 1920 में अपनी मृत्यु तक आन्दोलन में सक्रिय सदस्य बने रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए इस समझौते ने देश में बड़ी आशा और अभिप्रेरणा पैदा की। साथ ही, होमरूल आन्दोलन द्वारा किया कार्य लोगों में आत्मविश्वास और लगन पैदा कर दी। भारतीयों को शान्त करने के क्रम में 1919 में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसने दोहरे शासन का प्रस्ताव रखा जो एक प्रकार से राज्यों में दो सरकारें थी। अस्थायी सरकार को दो भागों में बाँटा जाना था, एक को विधान सभा द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना था और दूसरे को गवर्नर के प्रति। इस रिपोर्ट ने सेवाओं के भारतीयकरण पर भी जोर डाला।

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और इसके सहयोगी दलों ने युद्ध जीता। मुस्लिमों ने युद्ध के दौरान सरकार की मदद की। इस समझ के साथ कि ऑटोमंन साम्राज्य का पवित्र स्थान खलीफा के हाथों में होगा। लेकिन युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान पर नया समझौता थोप दिया गया और ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया। इससे मुस्लिम क्रुद्ध हो गएं और इसे उन्होंने खलीफा के अपमान के रूप में लिया। शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध **खिलाफत आन्दोलन** की शुरुआत की।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी सरकार ने एक अन्य अधिनियम पारित किया जिसे 'रोलट एक्ट' के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति पर बिना न्यायालय में मुकदमा चलाने गिरफ्तार करने और जेल भेजने का अधिकार

देता था। इसने भारतीयों को किसी प्रकार के हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इससे सिख क्रुद्ध हो गए जो अपने धर्म के अनुसार अपने साथ कृपाण (एक प्रकार की छोटी तलवार) रखते थे। भारतीयों ने इस अधिनियम को अपना अपमान समझा। 13 अप्रैल, 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जालियाँवाला बाग (अमृतसर) में लोग इस अधिनियम के शान्तिपूर्ण विरोध के लिए एकत्र हुए। अचानक एक ब्रिटिश अधिकारी, जनरल डायर बाग में अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आया और भीड़ पर अपनी मशीनगन से गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। यह सब बिना लोगों को कोई चेतावनी दिए किया गया। जलियाँवाला बाग का दरवाजा बन्द था और लोग — आदमी औरत और बच्चे सुरक्षा के लिए नहीं भाग सके। कुछ मिनट में ही लगभग एक हजार व्यक्ति मार दिए गए। इस नरसंहार ने भारतीय लोगों के उग्र क्रोध को भड़का दिया। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपना क्रोध और दर्द दिखाते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।

पाठगत प्रश्न 8.1

1. ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना आने के तीन कारणों की व्याख्या करें।
2. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन करने को ब्रिटिश सरकार क्यों उत्सुक थी?
3. नरमपंथी और गरमपंथियों में क्या अन्तर थे?
4. भारतीय नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद क्यों की?
5. खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों था?

8.8 गाँधीजी का उदय

मोहनदास करमचन्द गाँधी एक ब्रिटेन से प्रशिक्षित वकील थे। वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ इक्कीस वर्षों तक रहे। अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ने उनकी अंतरात्मा को झकझोड़ दिया। उसने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के जातीय विभेद के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। सरकार से संघर्ष करने के दौरान उसने सत्याग्रह (सत्य और न्याय के लिए अहिंसक विरोध) की तकनीक विकसित की। गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका में इस संघर्ष में सफल रहे। वे 1915 में भारत लौटे। 1916 में उन्होंने सत्य के विचार एवं अहिंसा पर अभ्यास के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश भ्रमण मुख्यत: गावों में लोगों और उनकी समस्याओं को समझने की सलाह दी। सत्याग्रह में उनका प्रथम प्रयोग बिहार के चम्पारण में 1917 में प्रारंभ हुआ यहाँ वे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस समझ के आधार पर उसने चम्पारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय हलचल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

चित्र 8.3 मोहनदास करमचन्द गाँधी

क्रियाकलाप 8.3

किसान समुदाय के द्वारा आपको गाँधीजी से मिलने तथा उन्हें चंपारण आमंत्रित करने का निवेदन किया जाता है। उन्हें किसान की स्थिति को बताते हुए एक पत्र लिखें और जो आप को अच्छा लगे वे इन लोगों के लिए करें।

8.8.1 असहयोग आंदोलन (1920-22)

उस समय तक, गाँधीजी समझते थे कि सरकार को समर्थन देकर कोई उपयोगी काम नहीं हो सकता। बीती घटनाओं के प्रकाश में और ब्रितानी सरकार के कार्य के बाद, उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी। जैसे, सरकार को अमृतसर की घटनाओं पर पछतावा व्यक्त करना चाहिए, इसे तुर्की के प्रति उदार प्रवृति दर्शानी चाहिए और भारतीयों की संतुष्टि के लिए सुधार की नई योजनाएँ प्रारंभ करनी चाहिए। यदि सरकार उनके माँगों को स्वीकार में असफल हुई उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी दी। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार गाँधी ने अपना असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने लोगों से ब्रितानी सरकार का साथ न देने की अपील की। इसी समय, मुस्लिमों के द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन और गाँधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना। इसके लिए गाँधीजी ने एक विस्तृत कार्यक्रम तय किया (1) पदवी तथा सम्मान लौटाना, कार्यालय तथा स्थानीय निकाय के पदों से त्यागपत्र। (2) कार्यालय और गैर कार्यालय के कार्यों में उपस्थित होने से इनकार। (3) सरकार के द्वारा संचालित विद्यालयों तथा कॉलेजों से धीरे-धीरे छात्रों को हटाना। (4) वकीलों के द्वारा ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार आदि। (5) सैनिक, लिपिक तथा मजदुर वर्गो की सेवा की नियुक्ति का इनकार (6) विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी तथा मतदाताओं का बहिष्कार (7) विदेशी सामानों का बहिष्कार

चित्र 8.4: महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान

और राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। बाद में सृजनात्मक कार्यक्रम के द्वारा इसे बढ़ाया गया जिसके तीन मुख्य उद्देश्य थे (1) स्वदेशी को बढ़ावा देना खासकर हस्तकरघा और बुनाई (2) हिंदुओं में अस्पृश्यता का अंत (3) हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। गाँधीजी के इसी अपील के कारण देश में असाधारण जोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने आपसी मतभेद छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। दो-तिहाई से ज्यादा मतदाताओं ने नंवबर 1920 में हुए कांउसिल के चुनाव में भाग लेने से परहेज किया। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अपने विद्यालयों तथा कॉलेजों को छोड़ दिया तथा उन लोगों के द्वारा एक नए भारतीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। विधान सभा का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जो गाँधीजी के विचारों से बिल्कुल अलग थी। अहिंसक असहयोग आंदोलन के शुभारंभ के बाद अगस्त 1921 में हिंसा का दाग लग गया । सरकार ने भी गंभीर कारवाई प्रारंभ कर दी। महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दो महीने में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा फैलने से गाँधीजी ने चेतावनी दी। उग्र भीड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले चौराचौरी गाँव में 9 फरवरी 1922 को हिंसा फैली। इसके बाद बरेली में हिंसा की एक और घटना हुई। गाँधीजी ने 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्हें 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में पकड़ लिया गया तथा छः साल जेल की सजा सुनाई गई। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गाँधीजी और उनके अनुयायी ग्रामीण क्षेत्रों में सृजनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहे। इसके द्वारा उन्होंने लोगों को जाति आधारित वैमनस्य को हटाने का संदेश दिया।

क्रियाकलाप 8.4

1922 में, गाँधीजी ने चौरी-चौरा घटना के बाद अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया उस समय जब आंदोलन एक ऊंचाई पर था। बहुतों ने गाँधीजी के निर्णय की निंदा की। कल्पना कीजिए आप उस समय एक पत्रकार है और आंदोलन के बाद आपको गांधी जी के साक्षात्कार का कार्य सौपा है। महात्मा गांधी के साथ वार्ता के लिए काल्पनिक डायलॉग लिखकर उनके निर्णय को न्यायसंगत कीजिए।

सी. आर. दास मोतीलाल नेहरू और दूसरे एक जैसे विचारों वाले लोगों ने पुनर्गठित काउंसिल के भीतर से ही असहयोग की एक नई योजना का सृजन किया। उन लोगों ने 01 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी. आर. दास पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव थे। पार्टी के बारे में कहा गया कि यह कांग्रेस के भीतर की ही पार्टी है न कि इसका विद्रोही संगठन। लेकिन वे न तो 1919 के कानून का अंत कर सके और न ही बदलाव। 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कंमीशन नियुक्त किया। कमीशन की नियुक्ति 1919 के सुधार के अध्ययन तथा आगे के संवैधानिक सुधारों के मापदंड तय करने के लिए किया गया। कमीशन का कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुँचा, भारतीयों ने इसे "आल ह्वाइट कमीशन" कहकर इसका बहिष्कार किया। इसे पूरे भारत में विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुए और साइमन कमीशन वापस जाओं की आवाजें सुनाई दी। इन प्रदर्शनों पर बहुत जगह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठाचार्ज करवाया गया। लाला लाजपत राय को बुरी तरह पीटा गया और इस चोट के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ यह विरोध भारतीय राष्ट्रीय

आंदोलन को एक नई ताकत दे गया। इसी बीच, भारतीय राजनीतिक नेता संविधान बनाने में व्यस्त हो गए। यह नेहरू रिपोर्ट ही है जिसने संविधान के निमार्ण कैसे हो के लिए भूमिका तैयार किया। इसकी मुख्य सिफारिश थी अधिकारों की घोषणा, सरकार की संसदीय प्रणाली व्यस्क मताधिकार और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर हो। इसकी अधिकतर सिफारिशें स्वतंत्र भारत के संविधान की मुख्य आधार बनी जिसे लगभग 20 वर्षो के बाद अपनाया गया। 1929 के लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का निश्चय किया, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूरे भारत में 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का ऐलान किया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी दिन 1950 में स्वतंत्र भारत के संविधान को अपनाया गय, जिससे भारत को संप्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाया। तब से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

8.8.2 दांडी मार्च

उसी समय सरकार ने एक नया कानून बनाया। उन्होंने नमक के उपयोग पर टैक्स लगा दिया जिसका लोगों ने विरोध किया क्योंकि नमक लोगों की मूलभूत आवश्यकता थी। लेकिन लोगों की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मार्च-अप्रैल 1930 के समय गाँधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तट दांडी तक सरकार के नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा की। यह एक शांतिपूर्ण यात्रा थी। गाँधीजी ने 06 अप्रैल 1930 को नमक कानून को कुशलतापूर्वक तोड़ने के लिए मन बना लिया था। 06 अप्रैल 1930 को उन्होंने बिखड़े पड़े समुद्री नमक को उठाकर इस कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में किसान व्यापारी तथा औरतों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने उन्हें मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया तथा पूना के यरवदा जेल में रख दिया। इस यात्रा का पूरी बदलती दुनिया पर और अंग्रेजों की भारतीय प्रवृति पर बहुत महत्वपूर्ण असर हुआ। 1931 का गाँधी-इरविन समझौता उसी का एक उदाहरण था। गाँधीजी 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड भी गए।

चित्र 8.5: दांडी मार्च के दौरान गांधी

लेकिन कुछ भी समझौता नहीं हुआ और वे खाली हाथ लौट आएं। यद्यपि, गाँधीजी की गिरफ्तारी से वे सक्रिय नेतृत्व से हट गए लेकिन नागरिक सविनय चलता रहा। विदेशी सामान खासकर कपड़ों के बहिष्कार पर जोर दिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन यद्यपि असफल हो गया ''फिर भी यह स्वतंत्रता की लड़ाई का महत्वपूर्ण दौर था। यह कांग्रेस के झंडे के नीचे विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय के बीच एकता का प्रसार था। इसने युवा को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया और उसे संगठन के साथ साथ राज्य के शासन में जो 1937 के चुनाव में जीता गया था में पद की गरिमा तथा उत्तरदायित्व की शिक्षा दी। इसने राजनीतिक विचारों और प्रक्रिया को पूरे देश में व्यापक प्रसिद्ध किया और सुदुर गाँवों में भी राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की।

8.9 क्रांतिकारी

अंग्रेजों की प्रतिक्रियात्मक नीति ने भारत के युवा पीढ़ी के लोगों के बीच एक गहरी घृणा पैदा की। यह पीढ़ी विश्वास करती थी कि एक संगठित आंदोलन के द्वारा भारत स्वतंत्रता पा सकता है। परिणामस्वरूप, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए गुप्त समूह संगठित किया। अंग्रेजों के खिलाफ ताकत के लिए युवाओं को हिंसा के उग्र तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कम प्रसिद्धि वाले अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया, अपने क्रियाकलापों में धन के लिए डकैती की और हथियारों को लूटा। उनमें से अधिकतर भारत की आजादी पाने के लिए हिंसा की मार्ग पर चले गए। उन्हें क्रांतिकारी कहा जाने लगा। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा उनके क्रियाकलापों का केन्द्र था। इन क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस, प्रफुल चाकी, भुपेन्द्र नाथ दत्त, वी. डी. सावरकर, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और उसकी गदर पार्टी, सरदार भगत सिंह, राज गुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि प्रमुख थे। इन क्रांतिकारियों ने गुप्त संघ बनाया, कई ब्रिटिश कर्मचारियों को मारा गया, रेलवे यातायात बाधित किया और ब्रिटिश धन पर संगठित होकर आक्रमण करते रहे। 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, असफ्फाक-उल्लाह खान तथा हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एशोसिएशन के सदस्यों ने हथियार के बल पर ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी षडयंत्र की योजना बनाई। 1928 में, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य ने मिलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एशोसिएशन का निर्माण किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टि बिल तथा ट्रेड डिस्प्युट बिल के पास होने के विरोध में केन्द्रीय

भगत सिंह　सुखदेव　राज गुरु　चंद्रशेखर आजाद

चित्र 8.6

विधान सभा में 8अप्रैल 1929 को विरोध करते हुए बम फेका तथा 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लगाते रहे, यद्यपि इस घटना क्रम में न कोई मारा गया न हीं कोई घायल हुआ। दूसरे केस के लिए उनपर बाद में मुकदमा चला और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 1931 में फाँसी दे दी गई। उनके बलिदान ने लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और वे भारत की एकता और प्रेरणा के प्रतीक बने।

क्रियाकलाप 8.5

भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित फिल्मों का संग्रह इक्ट्ठा करें। क्या ये सब फिल्में हमें राष्ट्रीयता के प्रति जोड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अपने विचारों को डायरी में लिखें और अपने घर तथा मित्रों के साथ चर्चा करें।

8.10 सामाजिक विचारों का विकास

बीसवीं सदी की महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस में और इससे बाहर सामाजिक विचारों का उत्थान थी। अब किसान भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत और राजस्व में कमी और कर्ज में छूट के लिए कहने लगे थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी मजदुरों के काम तथा रहन-सहन की व्यवस्था के विकास के लिए काम करता था। इसने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया जिसने आंदोलन को विस्तृत करने में मदद किया। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और कम्युनिष्ठ नेता थे एम. एन. रॉय, एस. ए. डॉग, अंबनी मुखोपाध्याय नलिनी गुप्ता मुजाफ़र अहमद, शौकत उसमानी, गुलाम हुसैन सिंगारावल चेतैर, जी. एम. अधिकारी और पी. सी. जोशी। उन लोगों ने क्रांति की राह तय की, पृथक हड़ताल से उसका सामान्य राजनीतिक हड़ताल में रूपांतरण किसानों की अपने आप हड़ताल का विकास, पूर्ण स्वतंत्रा के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन, पुलिस और सेना में क्रांतिकारी विचार फैलाना। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई एक प्रमुख नारा था। 1936 में जब नेहरू कांगेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने लखनऊ अधिवेशण में घोषणा की कि भारत की समस्याओं का दल सामाजिक विचारों को अपनाने में निहित है। नेहरू कार्ल मार्क्स से काफी हद तक प्रभावित थे। सुभाष चन्द्र बोस भी सामाजिक विचारों से प्रभावित थे। गाँधीजी से मतभेद होने के कारण सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपने ''फारवर्ड ब्लॉक'' की स्थापना की।

8.11 सांप्रदायिक विभाजन

'फूट डालो शासन करो नीति' का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन दिनों में किया था जब अंग्रेज अपने आपको भारत के शासक के रूप में स्थापित कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा कैसे कंपनी ने एक शासक को दूसरे के खिलाफ किया और अंत: वे स्वतंत्र शासक बन गये। आपने देखा कि अर्द्ध उन्नीसवी शताब्दी की समाप्ति के पश्चात् से ही राष्ट्रीयता उत्पन्न होने लगी थी। अब ब्रिटिश सरकार ने पाया कि फुट डालो और शासन करो की नीति को बढ़ाकर हिन्दु और मुस्लिम के बीच द्वैष पैदा करना ही बुद्धिमानी है। अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह से ही

मुस्लिम अप्रिय और संदेहास्पद होने के कारण अच्छे नही लगते थे। लेकिन अब उन्हें लगा कि बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के मुस्लिमों को खुश करने का समय आ गया है। सरकार ने उन सभी अवसरों पर अपने अधिकार कर लिया जिनसे भारतीय धर्म के आधार पर एक-दूसरे के समक्ष होते और उन लोगों के बीच उन्होंने शत्रुता उत्पन्न कर दी थी। अंततः इसी नीति के कारण मुसलमानों का अलग चुनाव क्षेत्र स्थापित हुआ। आपने मुस्लिम लीग के निर्माण के बारे में पढ़ा होगा जिसने सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। आपको याद होगा कि ब्रिटिश अधिकारियों के बढ़ावे के कारण ही लीग की स्थापना हुई थी।

1932 का कम्युनल अवार्ड इसी नीति की एक पहल थी क्योंकि इसने ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और अलग चुनाव क्षेत्र की अनुमति दी थी। अलग चुनाव क्षेत्र की पहली बार मांग 1906 में मुस्लिम लीग ने किया और 1907 के मार्ले-मिंटो सुधार में इसे लागु किया गया। इसे भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ मुस्लिम सांप्रदायवाद को बढ़ाने को ध्यान में रखकर बनाया गया। मोंटफोर्ड सुधार (1919) के तहत उसे सिक्ख युरोपियन, ओग्ल-इंडियन, इंडियन-क्रिश्चन आदि तक बढ़ाया गया। 1935 वे अधिनियम के अधीन - सत्रह अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। दो राष्ट्र सिद्धांत 1938 में आया और जिन्ना ने 1940 में खुलकर इसका समर्थन किया। जब पाकिस्तान की माँग की गई तो अंग्रेज हुकुमत ने सीधे और परोक्ष रूप से इसको प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान की माँग के प्रकट होने का तात्कालिक कारण 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस का मिली-जुली सरकार बनाने से इंकार था। देश अराजकता और बर्बाद होने के कगार पर था।

इन घटनाओं के बीच, पूरी तरह कानून व्यवस्था को टूटने से बचाने तथा ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ते के रूप में विभाजन को आवश्यक अभिशाप के रूप में स्वीकार किया गया।

पाठगत प्रश्न 8.2

1. सत्याग्रह अन्य विरोधों से किस प्रकार भिन्न था?
2. साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? कोई दो कारण बताओ?
3. गाँधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया?
4. क्रांतिकारियों के रास्ते दूसरों से किस प्रकार अलग थे?
5. 'पूर्ण स्वराज' से आप क्या समझते हैं?
6. अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में सांप्रदायिक फुट को बढ़ावा दिया?

8.12 स्वतंत्रता की प्राप्ति (1935-47)

मार्च 1933 में अंग्रेजी सरकार ने श्वेत पत्र तैयार किया। इस श्वेत पत्र के आधार पर एक बिल बनाया गया तथा उसे दिसंबर 1934 में संसद में प्रस्तुत किया गया। बिल अंततः 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से पारित हुआ। 1935 के अधिनियम की

सबसे सुस्पष्ट विशेषता अखिल भारतीय परिसंघ का विचार था जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी प्रांतों से बना था। प्रांतों को इस प्रस्तावित परिसंघ में शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। प्रांतों के सदस्यों को चुना जाना था जबकि रिसायतों के उम्मीदवारों को वहाँ का शासन मनोनीत करता था। ब्रिटिश भारत में जनसंख्या के 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। विधानभा की शक्ति सीमित और प्रतिबंधित थी। रक्षा और विदेशी संबंधों पर कोई नियंत्रण नहीं था। अधिनियम अंग्रेजों के खुद के अधिकारों की रक्षा करता था। राष्ट्रीय एकता के उदभव को हतोत्साहित करता था, जबकि अलगाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता था। नेहरू, जिन्ना समेत सभी राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की भर्त्सना की।

कांग्रेस का अधिवेशण 25 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ। यद्यपि अधिनियम की भर्त्सना की गई पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध के लिए, विभिन्न नियम कानून और अधिनियम जो भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ प्रारंभ किये गये थे के अंत के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया।

1937 के चुनाव में कांगेस बहुमत में आई। ग्यारह प्रांतों में से सात प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। 18 मार्च 1937 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा में कांगेस की नीतियों पर एक प्रस्ताव अपनाया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस स्वतंत्रता और नए संविधान के पूर्ण अस्वीकृति के उद्देश्य से चुनाव लड़ी थी और इसमें भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की माँग की। कांग्रेस की नई घोषित नीति, नए अधिनियम और उसको खत्म करने की लड़ाई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल के आने का तात्कालिक प्रभाव राहत का अनुभव था। राजनीतिक बंदिओं को रिहा किया गया और बड़ी मात्रा में नागरिक स्वतंत्रता स्थापित की गई। किसान विधान पारित हुआ और इसने किसानों को काफी हद तक राहत दी। प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य और नि:शुल्क मौलिक शिक्षा की इच्छा व्यक्त की गई।

8.12.1 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन

1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरु हुआ, काँग्रेस का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। जबकि इसने बिना शर्त सहयोग देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस ने मांग की कि भारत को एक स्वतंत्र संघ घोषित कर दिया जाये और अंग्रेज सहमत नहीं हुए परिणामस्वरूप, 1939 में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में सी. राजगोपालाचारी के अनुरोध पर केन्द्र में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की माँग की गई इसे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अक्टूबर, 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। आचार्य विनोवा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह देने वाले थे।

एब्ली की अध्यक्षता में कैबिनेट की अखिल भारतीय समिति गठित की गई और घोषणापत्र का एक प्रारूप बनाया गया। मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स घोषणापत्र लेकर भारत आए। इसमें युद्ध के बाद भारत को 'प्रभुत्व राज्य का दर्जा' देने की ब्रिटिश सरकार की इच्छा व्यक्त की गई थी। सम्पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया गया था। भारतीय लोगों की राष्ट्रीय सरकार की कोई चर्चा नहीं थी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने एक ही संघ बनाने का विरोध किया, इस प्रकार यह योजना अस्वीकार्य रही क्योंकि इसमें पाकिस्तान को स्पष्टत: नहीं माना गया। क्रिप्स मिशन असफल हो गया।

सुभाषचन्द्र बोस द्वारा विदेश से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को चलाया गया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की शरूआत को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर चोट करने का एक सुविधाजनक अवसर पाया। बोस को 1940 में उनके घर में ही कैद कर दिया गया लेकिन 28 मार्च 1941 को वे बर्लिन निकल भागने में सफल रहे। वहाँ भारतीय समुदाय में उन्हें 'नेताजी' के रूप में सम्मान दिया गया। उनका 'जय हिन्द' से स्वागत किया गया। उन्होंने एक भारतीय सेना की शुरुआत की कोशिश की और अपने देश के लोगों को ब्रिटिश के विरुद्ध हथियार उठाने को प्रेरित किया। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और भारत को आजादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का निर्णय लिया गया। रासबिहारों बोस के एक आमंत्रण पर 13 जून 1943 को सुभाष चन्द्र बोस पूर्वी एशिया आए। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आइ.एन.ए. जिन्हें आजाद हिन्द फौज कहा जाता है, के अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने प्रसिद्ध युद्ध घोष 'चलो दिल्ली' दिया। उन्होंने भारतीयों से स्वतंत्रता का वादा यह कहते हुए किया कि 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा।' मार्च 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। दुर्भाग्यवश, आन्दोलन खत्म हो गया। अगस्त 1945 में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष की मृत्यु की सूचना दी गई। लेकिन आई.एन.ए. ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक सम्मानित स्थान पर अपना कार्य करता रहा। बोस एवं आई.एन.ए. की सेना की अति देशभक्ति ने भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत सिद्ध हुआ।

चित्र 8.7: सुभाष चन्द्र बोस औरं आजाद हिन्द फौज

8.12.2 भारत छोड़ो आन्दोलन और उसके बाद

क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों को निराश व क्रोधित कर दिया। उस समय यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध एक विशाल आन्दोलन शुरू करने का समय आ गया है। भारतीयों का असंतोष युद्ध समय की कमी एवं बेरोजगारी की वृद्धि के कारण बढ़ रहा था। जापान के आक्रमण का लगातार भय बना हुआ था। भारतीय नेताओं को विश्वास दिलाया गया कि भारत जापानी आक्रमण का दोषी होगा क्योंकि भारत में अंग्रेज मौजूद हैं। गाँधीजी ने कहा–''भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण है।'' सुभाष चन्द्र बोस जी 1941 में भारत से निकल भागे थे, वे बार-बार बार्लिन से रेडियो पर अंग्रेज विरोधी भावनाओं को उठाते हुए बोलते थे जिसने जापानी समर्थन की भावनाओं को बढ़ावा दिया।

गाँधी जी के अधीन कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाए या भारत छोड़ने को बाध्य किया जाना चाहिए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। जिसका देर से लिखित समर्थन मिला और 8 अगस्त को कांग्रेस ने अहिंसा के आधार पर विस्तृत पैमाने पर एक व्यापक संघर्ष प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। 8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए गांधी जी ने अपनी आत्मा को झकझोड़ते हुए भाषण में कहा:

मैं आजादी जल्द इसलिए चाहता हूँ .... सम्पूर्ण आजादी से कम में मैं अन्य किसी चीज से संतुष्ट नहीं होने जा रहा हूँ। यहाँ एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप इसे अपने हृदय में छाप सकते हैं और अपने प्रत्येक सांस के साथ इसका सम्बोधन कर सकते हैं। यह मंत्र है– ''करो या मरो'। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। हम गुलामी को लम्बे समय तक देखते रहने के लिए जिन्दा नहीं रहेंगे।''

लेकिन इससे पहले कि कांग्रेसी नेता आंदोलन प्रारम्भ कर पाते, सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 9 अगस्त 1942 से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया और एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई।

जनप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की खबर ने राष्ट्र को सदमे में डाल दिया। उनका क्रोध और असंतोष असंख्य विरोधों हड़तालों, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों द्वारा देश के सभी भागों में व्यक्त हुआ। अधिकांश नेताओं के जेलों में होने से आन्दोलन ने विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूप ले लिया। लोगों ने सरकारी भवन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अन्य कोई भी चीज जो अंग्रेजों के अधिकार में आता था, को जलाकर अपने क्रोध को खुलकर व्यक्त किया। रेल और टेलिग्राफ की लाइनें तोड़ दी गई। कुछ स्थानों पर जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, पश्चिम बंगाल

चित्र 8.8: भारत छोड़ों आंदोलन (अगस्त 1942)

के मिदनापुर जिला में एवं बम्बई के सतारा में विद्रोह ने गंम्भीर मोड़ ले लिया। गाँधीजी के मंत्र' से प्रेरित होकर लोग अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार थे। अंग्रेज अपनी सेना और पुलिस के साथ भारतीय लोगों पर अत्याचार करने लगे। लोग बर्बरता पूर्वक मारे गए। भारत छोड़ो आन्दोलन ऐतिहासिक महत्व के जन-आन्दोलनों में एक बन गया। इसने राष्ट्रीय भावनाओं की गहराई का प्रदर्शन किया और भारतीय लोगों ने बलिदान और लगनशील संघर्ष की क्षमता का संकेत दिया। इस आंदोलन के बाद पनाह की कोई जगह नहीं थी। भारत की आजादी से अब ज्यादा लाभ उठाने की बात नहीं थी। इसे अब सच में होना था।

1945 में विश्व-युद्ध के अन्त में ब्रिटिश सरकार भारतीयों और मुसलमानों से शक्ति हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में बातचीत प्रारंभ कर दिया। प्रथम चक्र की बातचीत सफल नहीं हो सकी क्योंकि मुस्लिम नेता सोचते थे कि मुस्लिम ही एक मात्र वे लोग है जो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हुई। 1946 में कैविनेट मिशन भारतीय समस्या का परस्पर सहमति से समाधान ढूँढ़ने के लिए भारत आया मिशन ने सभी प्रसिद्ध राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की और तब भारत में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की योजना का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में सभी दलों द्वारा योजना की आलोचना की गई किन्तु बाद में सभी ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब संविधान सभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने एक सौ निन्यानवे सीटों पर कब्जा कर लिया और मुस्लिम लीग को तिहत्तर सीट मिले।

8.12.3 भारत की आजादी और विभाजन

संविधान सभा की शक्ति को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में शीघ्र ही मतभेद उभर आये। अत: लीग ने 1946 के मध्य में केविनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। सितम्बर, 1946 में कांग्रेस ने केन्द्र में सरकार बनाई। लीग ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 'सीधी कार्यवाही दिवस' मनाया। संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न हिस्से में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे फैल गए। हजारों लोग दंगे में मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इसी बीच लॉर्ड माउण्टबेटेन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उसने अपनी योजना जून 1947 में रखी जिसमें भारत का विभाजन शामिल था। गाँधीजी के प्रबल विरोध के बावजूद सभी दल विभाजन के लिए राजी हो गए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अस्तित्व में आया। इसने भारतीय उपमहाद्वीप को दो भागों में कर बाँट दिया, वे थे — भारतीय संघ और पाकिस्तान। भारत ने 15 अगस्त 1947 ने अपनी स्वतंत्रता पाई। ठीक आधी रात (14वाँ — 15वाँ अगस्त 1947) को शक्ति का हस्तांतरण हुआ।

क्रियाकलाप 8.6

आप ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के सदस्यों से स्ततंत्रता के बाद शक्ति के हस्तांतरण के तरीके पर बातचीत करने के लिए केबिनेट मिशन का एक सदस्य चुने गए हैं। उन प्रस्तावों की एक सूची बनाएँ जो आप उनके सामने रखेंगे।

पाठगत प्रश्न

1. 1935 के अधिनियम की दो मूल विशेषताएँ लिखें।
2. मुस्लिम लीग की मुख्य मांगे क्या थी?
3. 1935 के बाद कांग्रेस का चुनाव में शामिल होने का क्या कारण था?
4. द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को लेकर भारतीय नेता क्यों दुखी थे?
5. भारत विभाजन के मुख्य कारण क्या थे?

आपने क्या सीखा

- नव जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति ने राष्ट्रवाद वे विचार को आगे बढ़ाया।
- उपनिवेश विरोधी आन्दोलन 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। समकालीन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में भूमिका निभाई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में केवल ब्रिटिश सरकार से भारतीय जनता की ओर से बातचीत करने एवं उनकी शिकायतों को आवाज देने के लिए स्थापित किया गया।
- 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। भारतीयों ने इस विभाजन को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने और क्षेत्र के हिन्दू एवं मुस्लिम को बाँटने के रूप में देखा।
- 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बना। इस का उद्देश्य भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उन्नत बनाना तथा सरकार को उनकी आवश्यकताओं को बताना था।
- विचारों में अन्तर 1907 में कांग्रेस में विभाजन का कारण बना। दो समूह-नरम दल और गरम दल बने।
- प्रथम विश्व-युद्ध में भारतीय नेता इस शर्त के साथ ब्रिटिश सरकार की मदद करने को सहमत थे कि युद्ध के बाद भारतीयों को संवैधानिक शक्ति सौंप दी जाएगी।
- गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका, चम्पारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया।
- गॉधीजी ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने इस आन्दोलन में समाज के सभी वर्ग को शामिल किया और प्रोत्साहित किया।
- ब्रिटिश द्वारा साम्प्रदायिक विभाजन का बोया गया बीज भविष्य में विभाजन का कारण बना।

- विदेश से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सुभाष चन्द्र बोस द्वारा चलाया गया । वे भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के नेता बने।
- भारत छोड़ो आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की राह को आसान कर दिया। गाँधीजी का यह अंतिम आह्वान था 'करो या मरो'
- मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की मांग की जो विभाजन का कारण बना। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता पायी।

पाठांत प्रश्न

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभिक वर्षों के शुरुआत में किस प्रकार की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई?
2. लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन क्यों चाहता था?
3. अफ्रीका में गाँधीजी द्वारा किए गए सत्याग्रह का क्या महत्व था? गाँधीजी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह की क्या प्रकृति थी?
4. असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल था, अपने तर्क के पक्ष में कोई दो कारण दें।
5. साइमन कमीशन को भारत छोड़ने को क्यों कहा गया?
6. दांडी मार्च गाँधीजी की गिरफ्तारी का कारण क्यों बनी?
7. आंदोलकारियों ने विधान सभा में बम फेंक कर क्या किया?
8. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज की भूमिका की चर्चा करें।
9. भारत की स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन ने किस प्रकार योगदान दिया?
10. ब्रिटिशों को भारत को आजादी देने के किन्ही तीन कारणों का उल्लेख करें।
11. बीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत के आजादी देने किन्हीं तीन मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए।

मॉड्यूल II

भारत : प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन एवं विकास

9. भारत का भौतिक भूगोल
10. जलवायु
11. जैव विविधता
12. भारत में कृषि
13. यातायात तथा संचार के साधन
14. जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन

9

भारत का भौतिक भूगोल

शिक्षक : प्रिय छात्रों, आप सहमत होंगे कि हम जिस स्थान पर रहते हैं हमारी सोच और व्यवहार पर उसका गहरा प्रभाव होता है। हम यहां जानना चाहते हैं कि किन स्थानों से हम लोगों का संबंध है।

नताशा : मैं हिसार शहर से हूँ। फराह फतेहाबाद से और राजिंदर भिवानी से आता है।

शिक्षक : क्या आप जानते है ये सभी स्थान कहाँ पर स्थित हैं?

राजिंदर : हाँ, ये हरियाणा में है उसी तरह से भारत में हैं। लेकिन, भारत कहाँ स्थित है?

फराह : भारत की स्थिति पता करने की आवश्यकता क्या है?

शिक्षक : किसी देश की स्थिति उसकी पहचान होती है। जलवायु, वनस्पति, कृषि, संसाधन आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को निधार्रित करता है। ये बहुत गहराई तक प्रभाव डालता है, लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और दुनिया के मंच पर अपनी आवाज को कितने शक्तिशाली रूप में रखते हैं। इसलिए, भारत के विभिन्न पहलुओं को समझने की जरूरत है। हम इस पाठ में इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगें।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आपः

- अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे;
- पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की सापेक्षिक स्थिति के महत्व को मानचित्र द्वारा वर्णन कर सकेंगे;
- भारत के राजनीतिक मानचित्र की सहायता से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत की प्रमुख भौतिक विभागों की व्यवस्था कर सकेंगे;
- भारत में अपवाह तंत्र का वर्णन कर सकेंगें;
- हिमालयीय और प्रायद्वीपय अपवाह तंत्र में विभेद कर सकेंगे; और
- नदी को स्वच्छ रखने में लोगों की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे।

9.1 स्थान

शिक्षक : छात्रों, जब कोई पूछे भारत कहां है, हम निरपेक्ष और सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में दो तरीकों से उत्तर दे सकते हैं। हमारा तात्पर्य निरपेक्ष और सापेक्ष स्थिति से क्या हैं? निरपेक्ष स्थिति अक्षांश और देशांतर की डिग्री में दिया जाता हैं। सापेक्ष स्थिति संदर्भ किसी बिंदु पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, निकट या दूर या आस-पास का कोई स्थान।

क्या आप जानते हैं

अक्षांश : अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण होती हैं।

देशांतर : देशांतर पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के प्रधान मध्याह्न से पूर्व या पश्चिम मापी जाती हैं।

कोणीय दूरी : केन्द्र से बिन्दुओं के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहा जाता है।

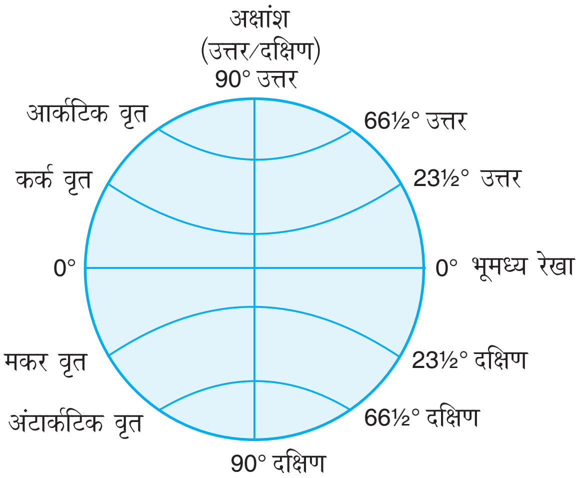

अक्षांश भूमध्य रेखा पर 0° से ध्रुवों पर 90° के बीच होता है।

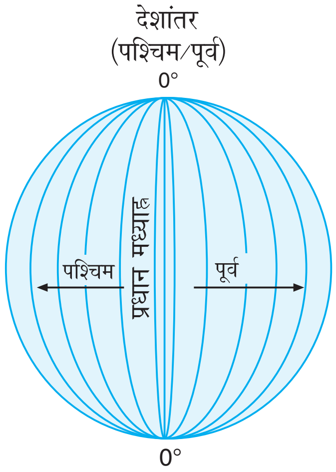

देशांतर ग्रीनविच के पास 0° से पूर्व-पश्चिम की 180° के बीच होता है।

शिक्षक : मानचित्र की सहायता से क्या आप पता कर सकते है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशान्तरीय स्थिति क्या है?

नताशा : भारतीय मुख्य भूमि 8° 4' उत्तर और 37° 6' उत्तरी अक्षांश और 68° 7' पूर्व और 97° 25' पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इस प्रकार, उत्तर-दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है ओर पूर्व-पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर हैं। भारत संसार की कुल भूमि क्षेत्र के 2.42 प्रतिशत है।

शिक्षक : भारत पूरी तरह से उत्तरी गालार्द्ध और पूर्वी गालार्द्ध में स्थिति हैं। कर्क रेखा (23° 30' उत्तरी) देश के मध्य भाग से गुजरता हैं। यह देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तर की ओर उत्तर भारत ओर इसके दक्षिण कि ओर

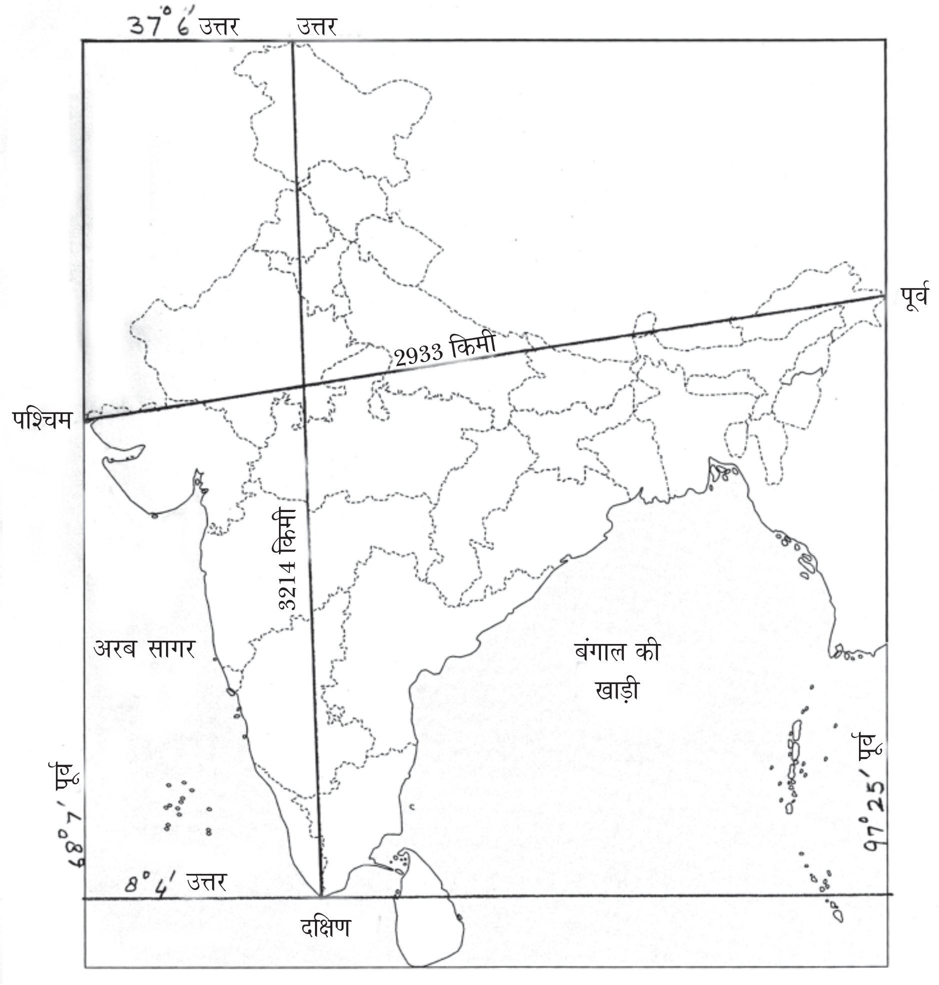

चित्र 9.1 : भारत का विस्तार

दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 82° 30' पूर्वी देशांतर देश के लगभग मध्य से गुजरता है। यह भारत के मानक मध्यान्ह के रूप में जाना जाता है।

शिक्षक : अब भारत के सापेक्ष स्थिति निर्धारित करें और फिर इसे नीचे दिए गए स्थान में रिकॉड करें। याद रखें कि सापेक्ष स्थिति अन्य स्थानों (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व से आर-पार) के संबंध बताता है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार इसके पूर्व में है। श्रीलंका और मालदीप हिंद महासागर में इसके दक्षिण की ओर स्थित है। देश का सबसे दक्षिणतम् बिंदु इंदिरा प्वांइट (निकोबार द्वीप समूह) जो 6° 4' दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है जबकि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम् बिंदु कन्याकुमारी 8° 4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।

क्या आप जानते हैं

82°30' पूर्व मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में से होकर गुजरता है। यह देश का मानक मध्याह्न है। 82°30' पूर्व मानक मध्यान के रूप में चयनित किया गया है। वह गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लगभग बीच में है। इस लिए पूरे देश में एक जैसा समय निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय मध्यान का चयन किया गया है।

9.1.1 स्थानीय महत्व

भारत का दक्षिणी भाग समुद्र से घिरा है। भारत की हिन्दमहासागर में सामरिक स्थिति है। क्या आपने चित्र 9.2 में नोट किया है? भारत दक्षिण एशिया में जंनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। यह यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया दूरस्थ क्षेत्र और ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गो पर नियंत्रण करता है। यही कारण है कि भारत के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से अनके देशों के साथ अच्छे रहें हैं। भारत समुद्र और भूमि से अच्छी तरह से जुड़ा है। नाथू-ला (सिक्किम) और शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश), और जोजिला और बुर्जीला (जम्मू कश्मीर) जैसे विभिन्न दरों मर्ण घाटियों का अपना महत्व है। मुख्य व्यापार भारत-तिब्बत के बीच है। दार्जिलिंग के निकट कलिम्पोंग जलपा-लादरें के माध्यम से लहासा (तिब्बत) से जुड़ा हुआ है। दरें प्राचीन यात्रियों के लिए एक मार्ग नहीं प्रदान कराती हैं, बल्कि विचारों और संस्कृति का आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

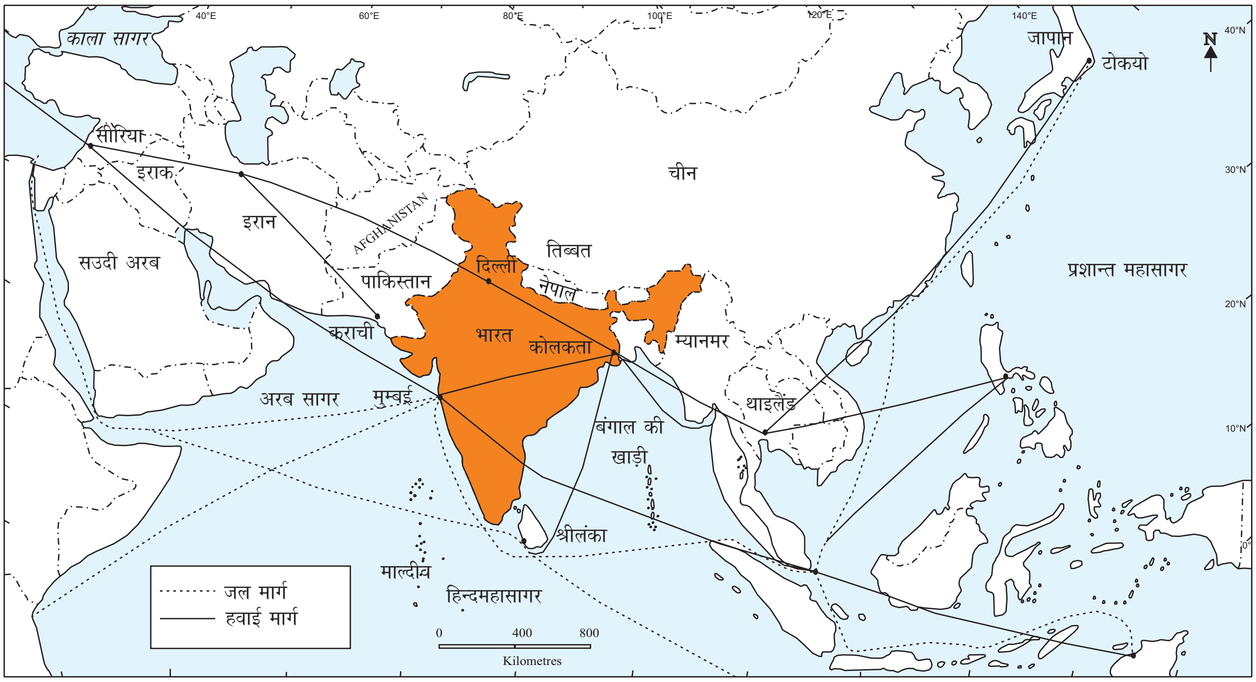

चित्र 9.2 भारत का महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और संबंध

पाठगत प्रश्न 9.1

1. मानचित्र 9.4 को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
   1. भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित दो देशों के नाम का पता लगाइए।
   2. भारत के पूर्वी और पश्चिम किनारों पर स्थित दो समुदों के नाम बताइए।
   3. कौन सा देश पाक जलसन्धि द्वारा भारत से जुड़ा है?
   4. भारत के साथ दो देशों के मध्य सीमा का नाम लिखिए।

9.2 भारत के राज्य और संघीय राज

क्षेत्र के अनुसार भारत संसार का सातवां बड़ा देश है। इसकी 15,200 किलोमीटर स्थलसीमा और 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। संसार के कुल भू-क्षेत्र का लगभग 2.47 प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है।

अच्छे शासन के लिए, भारत को 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैं। आइए, हम नीचे दिय गये मानचित्र 9.3 को देखते हैं।

चित्र 9.3 भारत का राजनीतिक मानचित्र

इस मानचित्र मे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र की अपनी राजधानी है। यह नोट करना दिलचस्प होगा कि केवल भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यह केन्द्रशासित दिल्ली की भी राजधानी है। आप इस तरह किसी भी अन्य राजधानी की पहचान कर सकते है? हां, यह चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी हैं।

कार्यकलाप 9.1

यदि आप निम्नलिखित स्थानों के बीच जाना चाहते है, राज्यों की न्यूनतम संख्या पता किजिए (चित्र 9.3 देखें)

क) कश्मीर से मिजोरम   ख) पंजाब से बिहार   ग) दिल्ली से बंगलौर

घ) मुम्बई से कोलकता   ड) चेन्नई से रायपुर

पाठगत प्रश्न 9.2

1. मानचित्र 9.3 को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
   (i) दक्षिण भारत के दो राज्यों के नाम लिखिए।
   (ii) दो अंतराष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के नामों का उल्लेख कीजिए।
   (iii) सिक्किम सीमा के साथ लगने वाले दो देशों के नाम लिखिए।
   (iv) अरब सागर के साथ संघ शासित प्रदेशों के नाम लिखिए।

9.3 भारत का भौतिक विभाग

नताशा : भूभाग क्या है?

शिक्षक : भूभाग वह क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की भौतिक विशेषता रखता है।

फराह : मुंबई समुद्र तट की तरह रेतीले है और शिलांग की पहाड़ी की तरह ठोस है।

शिक्षक : ठीक है क्या आप जानते है कि भारत विभिन्न स्थलरूपों और स्थलाकृति के साथ एक विशाल देश है?

राजिंदर : स्थलाकृति का अर्थ क्या है?

शिक्षक : स्थलाकृति का अर्थ है किसी भी स्थान की प्राकृतिक विशेषता। यह पृथ्वी की सतह पर विभिन्न विशेषताओं और भूदृश्यों का वर्णन है।

भारत में स्थलाकृतिक विविधता है। इसमें विशाल हिमालय, उत्तरी मैदान, थार रेगिस्तान, तटीय मैदान और प्रायद्वीप पठार शामिल है। स्थलाकृति में विभिन्नता के लिए निम्न कारण हो सकते हैं।

- चट्टानों की संरचना में अंतर हैं। ये स्थलखंड विभिन्न भूगर्मिक समय में बनी हैं।
- विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षय, कटाव और जमाव के कारण वर्तमान रूप में परिवर्तित हुआ है।

अपक्षय : अपक्षय पृथ्वी की सतह के निकट हवा, पानी, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों के क्रमिक विनाश की प्रक्रिया हैं।

कटाव : कटाव की प्रक्रिया प्राकृतिक एजेंसियों जैसे हवा, नदियाँ, ग्लेशियरों आदि द्वारा अपक्षयित सामग्री का क्रमिक परिवहन हैं।

अपक्षय कटाव से भिन्न है क्यों अपरदन में परिवहन शामिल है जबकि अपक्षय के मामले में शामिल नहीं हैं।

भारत भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में उच्च पर्वत चोटियां हैं। दूसरी ओर नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान भी हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित छह भागों में विभाजित किया जा सकता है :

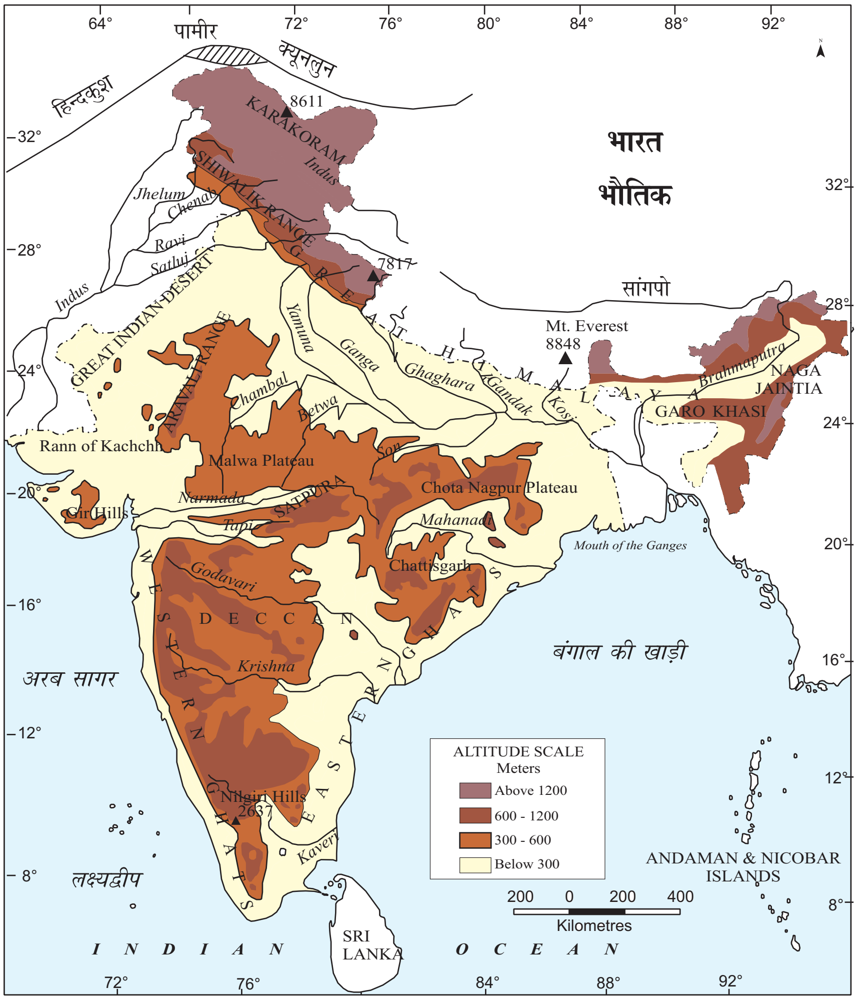

चित्र 9.4: भौतिक विभाग

1. उत्तरी पर्वत
2. उत्तरी मैदान
3. प्रायद्वीपीय पठार
4. भारतीय रेगिस्तान
5. तटीय मैदान
6. द्वीप समूह

उत्तरी पर्वत : इसको तीन समूहों में विभाजित किया गया हैं। वे हैं :

(क) हिमालय

(ख) ट्रांस हिमालय

(ग) पूर्वांचल हिमालय

(क) हिमालय

हिमालय एक नवीन वलित पर्वत हैं। यह संसार का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला हैं। हिमालय प्राकृतिक अपरोध के रूप में कार्य करता है। अत्यधिक ठंडा, बर्फीला और बीहड़ स्थलाकृतियां पड़ोसियों को हिमालय के माध्यम से भारत में प्रवेश करने के लिए हत्तोसाहित करता है। यह पश्चिम-पूर्व दिशा से भारत की उत्तरी

1. दर्रे-यह दो पहाड़ियों के बीच रास्ता या प्राकृतिक रूप खाली निम्न स्थान।
2. श्रेणी-बड़ा भू-भाग जिनमें उँची चोटी, श्रेणियां और पर्वत हों।
3. चोटी- किसी भी पर्वत श्रेणी की सबसे उँचा बिंदु
4. घाटी-दो उँचाई वाले क्षेत्र के मध्य समतल/निम्नभूमि
5. दून-हिमालय और शिवालिक के मध्य उध्वांधर घाटी

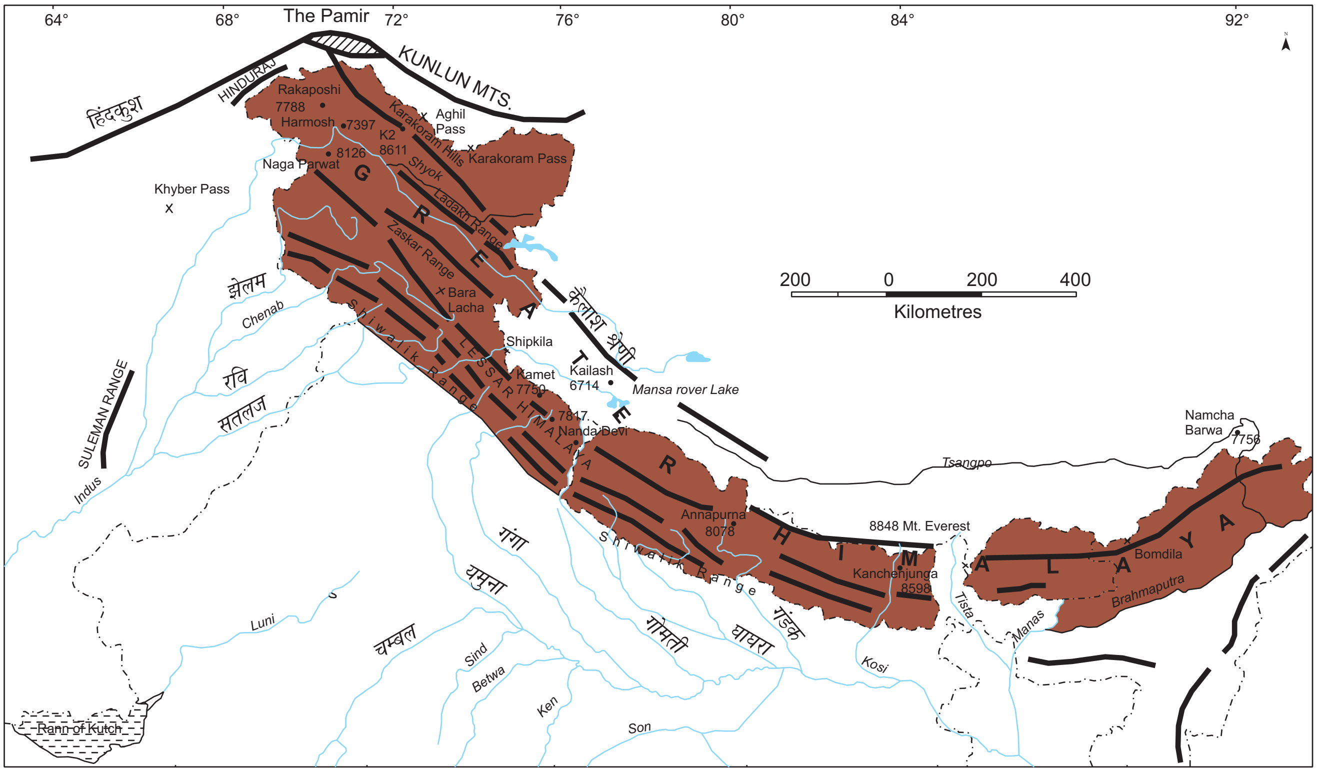

चित्र 9.5 हिमालय की समानान्तर श्रेणियाँ

सीमा के साथ 2500 किलोमीटर की दूरी में सिंधु नदी से ब्रहाम्पुत्र नदी तक फैला हैं। इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से 150 किलामीटर है। हिमालय तीन समानान्तर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है :

1. महान हिमालय या हिमाद्री
2. मध्य हिमालय या हिमाचल
3. वाहय हिमालय या शिवालिक

1. **हिमालय या हिमाद्रि :** महान हिमालय में उत्तरी पर्वतमाला और चाटियाँ शामिल हैं। इसकी औसत उंचाई 6000 मीटर और चौड़ाई 120 किलामीटर से 190 किलामीटर के बीच हैं। यह सबसे अधिकतम् निरंतर श्रेणी है। यह बर्फाच्छादित है और उसके नीचे कई ग्लेशियर है। यहां उँची चोटियां है जैसे- माउंट एवरेस्ट, कंजनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि है जो 8000 मीटर से अधिक उंचे है। विश्व की सबसे उँची चोटी माउंट एवरेस्ट (8848 मीटर) नेपाल में है। भारत में कंचनजंगा चोटी सबसे उंची चोटी है। उच्च पर्वतीय दर्रे जैसे-बारा लाचा-ला, शिपकी-ला, नाथू-ला, बोमीडी-ला आदि भी हैं। हिमालय से गंगा और यमुना नदियां भी नीकलती हैं।

2. **मध्य हिमालय या हिमाचल :** इस चोटी की उँचाई 1000 और 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई 50 किलामीटर है। इनमें प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं जैसे- शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी और नैनीताल हैं। इनमें कश्मीर, कुल्लू, कांगरा आदि प्रसिद्ध घाटिया भी शामिल हैं।

3. **वाहय हिमालय या शिवालिक :** यह हिमालय की सबसे वाह्य पर्वतश्रेणी है। इसकी उँचाई 900-1100 मीटर और चौड़ाई 10-50 किलोमीटर के बीच है। ये कम उँचाई की पहाड़ियाँ है जैसे जम्मू हिल्स, मिशीमी हिल्स आदि। शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमालय के बीच स्थित कई घाटियाँ है जिसे दून कहा जाता है जैसे- देहरादून, कोटली दून और पाटली दून।

(ख) ट्रांस हिमालय (हिमालय के उसपार)

यह महान हिमालय के उत्तर में समानान्तर फैला है जिसे जस्कर पर्वत कहते है। जस्कर पर्वत के उत्तर में लद्दाख श्रेणी स्थित है। जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी बहती है। कराकोरम श्रेणी देश के सबसे उत्तर स्थित है। के-2 संसार की दूसरी सबसे उँची चोटी है।

(ग) पूर्वांचल पहाड़ियाँ

इसमें मिशामी, नागा, मिजो पहाड़ियां है जो पूर्व की ओर स्थित हैं। मेघालय पठार के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी शामिल हैं।

पाठगत प्रश्न 9.3

1. हिमालय की तीन श्रेणियों के नाम लिखिए।
2. मानचित्र संख्या 9.5 को देखिए और पता किजिए-
   (क) नंगा पर्वत और नंदा देवी किस राज्य में स्थित है?
   (ख) हाँ या नहीं में उत्तर बताइए-
      1. माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है ....
      2. शिपकी-ला, दर्रा शिवालिक श्रेणी में स्थित है ....
      3. मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी में स्थित है ....
3. उन देशों के नाम लिखिए जिनमें महान हिमालय स्थित हैं?
4. दो पूर्वांचल पहाड़ियों की पहचान किजिए।

2. उत्तरी मैदान

भारत के उत्तरी मैदान (चित्र 9.5) में स्थिति राज्यों के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीप पठार के उत्तर के बीच स्थित हैं। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और तीन मुख्य नदियों द्वारा जमा किये गये अवसादों से बना है। पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक इस मैदान की लम्बाई लगभग 2400 किलोमीटर हैं। इसकी चौडाई पूर्व में 150 किलोमीटर और पश्चिम में लगभग 300 किलामीटर है। यह मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाउ मैदानों में से एक है। प्रमुख फसले जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन और जुट यहां उगाए जाते है। उचित सिंचाई के कारण मैदान अनाज के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्तरी मैदान मोटे तौर पर दो भागो में विभाजित है-

1. पश्चिमी मैदान
2. गंगा-ब्रहम्पुत्र मैदान

1. पश्चिमी मैदान

यह मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। यह मैदान सतलुज, व्यास और रावी नदियों द्वारा लाए गए अवसादो के जमा होने से बना है। मैदान का यह भाग दोआब से बना है।

2. गंगा-ब्रहम्पुत्र मैदान

यह दो मुख्य नदी तंत्र अर्थात् गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई अवसादों के जमा होने से बना है। सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदडों जिसे नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में फैली थी। यह भूमि के उपजाउ और नदियों द्वारा जल की उपलब्धता के कारण है।

दोआब : दो नदियों के बीच जुड़े जलोढ़ भूमि। जैसे पंजाब में दोआब क्षेत्र।

खादर : लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों का बाढ़ क्षेत्र।

बांगर : नदियों के बाढ़ क्षेत्र में उच्च भूमि।

3. प्रायद्वीपीय पठार

नीचे दिए गए मानचित्र (चित्र 9.6) देखिए। आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय आकार की उच्च भूमि है। इस प्राचीन भू-भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है-मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार

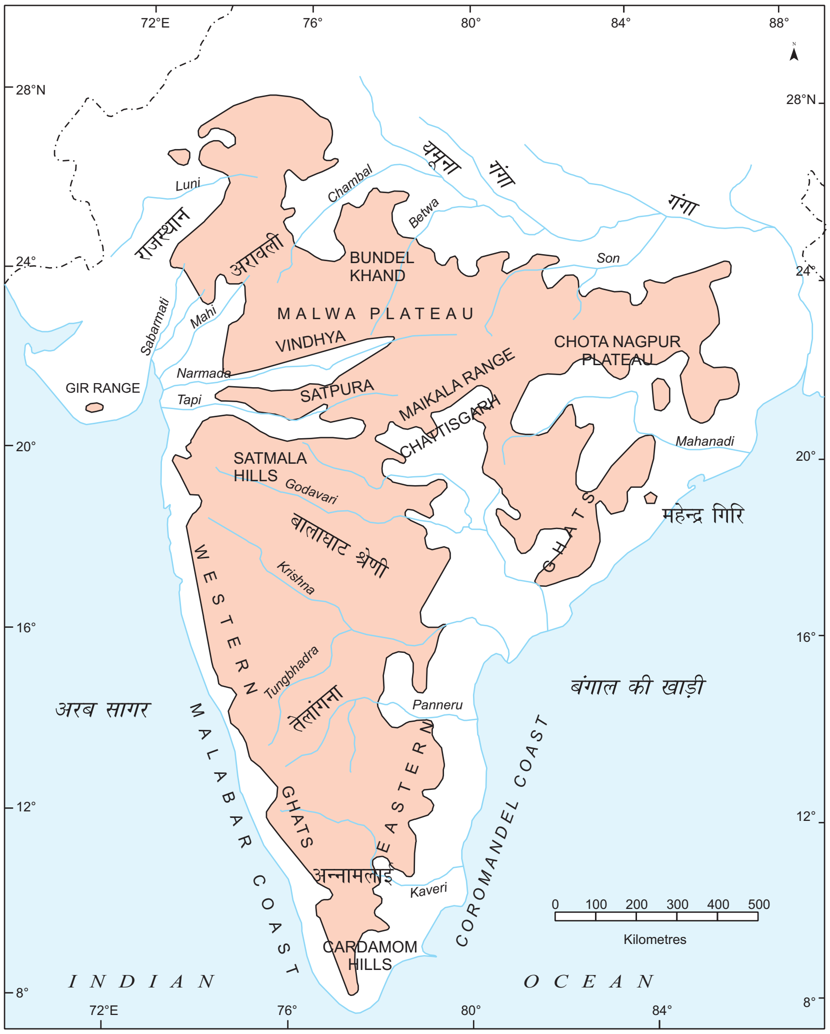

चित्र 9.6 : भारत के प्रायद्वीपीय पठार

1. **मध्य उच्च भूमि -** इसका विस्तार नर्मदा नदी से उत्तरी मैदानों के मध्य है। अरावली एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पहाड़ियों की सबसे उँची चोटी माउंट आबू के पास गुरूशिखर (1722 मी) है। मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि के हिस्से हैं। बेतबा, चंबल और केन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियां है जबकि महादेव, कैमूर और मैकोल छोटा नागपूर पठार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां है। नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहती हुई अरब सागर में मिलती है।

2. **दक्कन का पठार -** मध्य उच्च भूमि से डक्कन पठार एक भ्रंश से अलग है (चट्टानों में एक अस्थिभंग जो चट्टानों के साथ अपेक्षाकृत प्रतिस्थापन) डक्कन पठार में काली मिट्टी क्षेत्र डेक्कन ट्रेप के रूप में जाना जाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। यह मिट्टी कपास और गन्ना की खेती के लिए अच्छी है। मोटे तौर पर डेक्कन पठार में दो भागों में विभाजित है-

   (क) पश्चिमी घाट

   (ख) पूर्वी घाट

   (क) पश्चिमी घाट : यदि आप मानचित्र (चित्र 9.6) देखते है तो पश्चिमी घाट या सह्याद्रि ढक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह पश्चिमी तट के समानान्तर लगभग 1600 किलोमीटर लम्बा है। पश्चिमी घाट की औसत उंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध चोटियाँ दोदाबेहा, अनाइमुदी, और माकुर्ती आदि है। इस क्षेत्र में सबसे उंची चोटी (2695 मीटर) अनायूमुदी है। पश्चिमी घाट निरंतर है और पाल घाट, थालघाट, भोरघाट दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकाता है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर है जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है।

   यह नदी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले जलप्रपात और क्षिप्रिका बनाती है। प्रसिद्ध जलप्रपात शरावती नदी पर जोग प्रपात और कावेरी पर शिव समुन्द्रम् है।

   (ख) पूर्वी घाट : पूर्वी घाट का विस्तार लगातार नहीं है। इनकी औसत उंचाई 600 मीटर है। यह महानदी घाटी के दक्षिण से पूर्वी नट के साथ नीलगिरी पहाड़ियों तक है। इस क्षेत्र में सबसे उंची चोटी महेन्द्रगिरी (1501 मीटर) है। प्रसिद्ध पहाड़ियाँ उड़ीसा में महेन्द्रगिरि, निमाइगिरि, दक्षिणी आन्ध्रप्रदेश में नल्लामलाई और तमिलनाडु में कोल्लीमलाई और पांचीमलाई है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित है। दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं।

कार्यकलाप 9.3

पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच मुख्य पांच अंतर पता किजिए

1. निरंतरता		
2. औसत उंचाई		
3. विस्तार		
4. उच्चतम शिखर		
5. नदियां		

4. भारतीय रेगिस्तान

भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे की ओर स्थिति है। इसे थार मरूस्थल भी कहा जाता है। यह संसार में नौवां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ अर्द्ध शुष्क मौसम की स्थिति है। यह प्रति वर्ष 150 मिमी से कम वर्षा प्राप्त करता है। यहां कांटेदार झाड़िया वनस्पति के रूप में पाई जाती है। लूनी इस क्षेत्र में मुख्य नदी है। सभी धाराएं वर्षा के समय में ही दिखाई देती है, अन्यथा वे रेत में गायब हो जाती है।

चित्र 9.7 : भारतीय मरूस्थल

मैं भारतीय थार मरूस्थल हूँ :

1. मैं साल भर सबसे शुष्क रहता हूं। नमी से युक्त हवाएं अरावली के समानांतर चलती है। इसलिए मुझे अल्प वर्षा प्राप्त होती है।

2. मेरे शरीर पर अन्य कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस पाए जाते है।

3. यदि आप प्यासे है तो कई किलोमीटर तक चलते रहेंगे पर रेगिस्तान में पानी का अभाव पाएगें। कहीं-कहीं पर ही जल मिल पाएगा।
4. बालू के टिब्बे मेरे रेगिस्तान का सौंदर्य बढ़ाते हैं।

5. तटीय मैदान

भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर प्रायद्वीपीय पठार के साथ है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के साथ एक संकीर्ण पट्टी 10-20 किलोमीटर चौड़ा है। यह कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान तीन भागों में बटा है (1) कोंकण तट (मुबंई से गोवा), (2) कर्नाटक तट (गोवा से मंगलौर), (3) मालाबार तट (मंगलौर से कन्या कुमारी तक) शामिल है। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ है। यह पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक व्यापक है। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इस तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सिरकार और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा चिहिन्त है। चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेन्टा के दक्षिण में स्थित है। तटीय मैदानों में मसाले, चावल, नारियल, काली मिर्च आदि उगाए जा रहे है। वे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहे है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकडने की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में मछली पकडने के लिए गांवो को तट के साथ विकसित किया गया है। विम्बनाद प्रसिद्ध लैगून है जो मालाबार तट पर स्थित है।

6. द्वीप समूह

भारत में द्वीप के दो मुख्य समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीपों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में 43 द्वीपों का लक्ष्यद्वीप समूह है। लक्ष्यद्वीप केरल के मालाबोर तट के निकट अरब सागर में स्थित है। वह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। कवरती लक्ष्यद्वीप की राजधानी है। यह कोरल द्वारा बना है और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जानवरों से संपन्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। वे आकार में बड़े है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियों विकसित की गई हैं, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेषतौर पर जाने जाते है।

पाठगत प्रश्न 9.4

1. प्रश्नो के उत्तर संक्षेप में दीजिए। उत्तर दो वाक्य से अधिक नहीं होने चाहिए
   1. डेक्कन ट्रैप कैसे बना था?
   2. तटीय मैदानों के किसी भी दो आर्थिक गतिविधियों को बताइए।
   3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटंको को क्यों आकर्षित करता है?
   4. उन नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिमी मैदान को बनने में मदद किया है?

9.4 भारत में जल प्रवाह प्रणाली

जल प्रवाह प्रणाली सतह के पानी का मुख्य रूप से नदियों के माध्यम प्रवाह होता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र बेसिन कहा जाता है। जल प्रवाह प्रणाली के लिए भूमि की ढ़ाल, भूगर्भिक संरचना और पानी की मात्रा से संबंधित है। जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है। ये एक विशेष क्षेत्र से अधिक पानी बहाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का परिवहन, सिचांई के लिए प्राकृतिक स्रोत को बनाये रखता है। परंपरागत रूप से, नदियाँ प्रचुर मात्रा में ताजा पानी और जल परिवहन स्रोत के रूप में उपयोगी थे। आज दुनिया में नदियों के महत्व में जल विद्युत उत्पादन, नदी, नौकायान, चट्टानों से कूदना और पानी आधारित उद्योगों की स्थापना बढ़ी है। ये भी नौका विहार जैसे गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हैं। उनकी उपयोगिता के कारण नदियाँ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नदियों को जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। कई नगर नदियों के किनारे स्थित हैं और घनी आबादी वाले हैं। दिल्ली, यमुना किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रहम्पुत्र के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, आदि कुछ उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार (चित्र 9.8) पर जल प्रवाह के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. हिमालय जलप्रवाह प्रणाली
2. प्रायद्वीप जलप्रवाह प्रणाली

सहायक नदी : एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है। जैसे यमुना गंगा में मिलती है।

डेल्टा : नदी के निचले हिस्से में मुहाने पर छोटे रेत, गाद जमा होने से एक त्रिकोणीय आकार की भूमि विकसित होती है। जैसे गंगा डेल्टा।

एश्चुयरी : आंशिक रूप से संलग्न समुद्री नमकीन पानी नदी के ताजे पानी के साथ मिलता है। जैसे नर्मदा नदी एक एश्युयरी बनाती हैं।

9.5 मुख्य जल प्रवाह प्रणली

उत्पत्ति के आधार पर पहले उल्लेख किया है कि भारतीय नदी तंत्र को दो प्रमुख जल प्रवाह प्रणाली में वर्गीकृत किया गया हैं। दो जल प्रवाह प्रणली के बीच तुलना की चर्चा करते हैं।

हिमालय नदी प्रणाली

1. हिमनद से उत्पन्न बारहमासी नदियां हैं।
2. अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा नदियां घाटियां बनाती हैं।
3. वे मैदानों के उपजाउ क्षेत्रों से गुजरती है इसलिए नदियाँ सिंचाई के उद्देश्य के लिए आदर्श मानी जाती है।
4. वे नदियां में विसर्य बने हैं जो समय के साथ मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं।

9.5.1 हिमालय जल प्रवाह प्रणाली

हिमालयी नदियाँ अधिकांश बारहमासी है। इसका तात्पर्य है कि इनमें वर्ष भर पानी होता है। क्योंकि ये नदियाँ अधिकांशतः हिमनद और बर्फ चोटियों से उत्पन्न होती है। ये वर्षा से भी पानी प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी में मुख्य नदियाँ इस प्रकार है :

1. सिंधु नदी प्रणाली	झेलम, रावी, व्यास और सतलुज।
2. गंगा नदी प्रणाली	यमुना, रामगंगा, घाघरा, गामती, गंडक, कोशी आदि।
3. ब्रहाम्पुत्र नदी प्रणाली	दिबांग, लोहित, तिस्ता और मेघना आदि।

9.5.2 प्रायद्वीप जल प्रवाह प्रणाली

प्रायद्वीप पठार के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अधिकतर प्रायद्वीप पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। केवल नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। ये पनबिजली पैदा करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये नदियां जलपात एवं क्षिप्रिका बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं।

चित्र 9.8 : भारत की प्रमुख नदियां

कार्यकलाप 9.3

एक एटलस में भारत के भौतिक और राजनैतिक मानचित्र पर नदियों का अध्ययन कीजिए। नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित सूचनाएँ एवं रिकार्ड का पता लगाएं।

नदियां	मुख्य सहायक नदियाँ	स्रोत	राज्य जहां से यह गुजरती है	जहां से निकलती है
गंगा				
ब्रहम्पुत्र				
सिंधु				
सतलुज				
कावेरी				
गोदावरी				
कृष्णा				

कार्यकलाप 9.4

एटलस को देखिए और गंगा के किनारे स्थित सभी शहरों के नाम भारत के भौतिक मानचित्र पर दर्शाइये :

9.6 नदियों को साफ रखें

क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97 प्रतिशत से अधिक खारा है और शेष 3 प्रतिशत का अधिकांश भाग ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के रूप में जमें हुए। जल का 1 प्रतिशत से भी कम बारिश, नदियों, झीलों और भूमिगत पानी के रूप में प्राप्त हैं। मीठे ताजा पानी का यह छोटा भाग विश्व की पूरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। अतः ताजा पानी एक बहुमूल्य संसाधन है और नदियों और झीलों को बढते प्रदूषण के कारण एक चेतावनी हमारे समक्ष है।

आप अपने शहर, गाँव या कहीं बह रही नदि को देखी है। भारत में अनेकों नदियाँ हैं। उनके किनारे रहने वाले लाखों लोगो के लिए जीवन रेखा हैं। इन नदियों को मोटे तौर पर चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. हिमालय के बर्फ और हिमनदों के पिघलने से निकलने वाली नदियां। ये बारहमासी हैं, और वर्ष में कभी नहीं सूखती।
2. दक्कन के पठार की नदियाँ, पानी के लिए वर्षा पर निर्भर है।

3. तटवर्ती नदियाँ, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर है। इनमें पानी कम होता है और पूरे वर्ष भर पानी नहीं होता है।

4. पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। इन नदियों में प्रायः रेत अथवा गाद प्रवाहित करते हुए झीलों तक पहुँचती है।

नदियों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कई शहर और इसी प्रकार पवित्र स्थान नदियों के किनारें हैं, और वास्तव में, गंगा और यमुना नदियां लाखों के लिए पवित्र हैं। इसके बावजूद, वे पर्यावरण को गैर जिम्मेदाराना और पर्यावरणीय विनाशक गति विधियों के साथ प्रदूषित किया जा रहा है। भारतीय नदियों में लगभग 70 प्रतिशत मल निकास से प्रदूषण होता हैं। केवल रासायनिक प्रदूषण का भारी भार आमतौर पर भिन्न-भिन्न तरीकों से नीचे की ओर से उपयोगकर्ताओं द्वारा जलमार्ग में प्रवेश कराई जाती हैं। यह जलीय जीवन को प्रभावित करता है और विभिन्न स्वास्थ्य के खतरों का कारण बनता है। प्रदूषण के साथ, नदियों के प्रति लोगों की असंवेदनशीलता गंभीर समस्या को जोड़ती हैं। नदियों के साथ थोड़ा शहरी निवासियों की पहचान। उदाहरण के लिए अत्यधिक दूषित नई दिल्ली में यमुना नदी का कालपन लिए हुए पानी जो राजधानी नागरिकों से शायद ही ध्यान खींचता हों।

यद्यपि पानी के मुद्दो को भारत में प्रांतीय सरकारों द्वारा आवंटित किया जाता हैं, प्रत्येक उनमें से अपने साथ नदी के बहाव के प्रभाव को कम या कोई संबंध के साथ, मानते हैं। परिस्थितिकी विज्ञानशास्त्री और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से मांग की है कि नदियों को एक इकाई और गंभीर प्रयास के एक निर्धारित समय के विशिष्ट संयोजन पर काम के रूप में लाने के लिए व्यस्था किया जाना चाहिए। यह नदियों के पानी की गुणवत्ता के सुधार के लिए आवश्यक है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा नदी कार्य योजना (जीएपी) और पानी की गुणवत्ता में सुधार की है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) पानी के गुणवत्ता में उम्मीद की है। जल संचयन देश भर में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा हैं, जिसके माध्यम से मानसूनी पानी नदी वेसिन में बनाए रखा जा सकता है। कई नागरिक संगठनों और लोगों के आदोलनों ने नदियों की गम्भीर हालत के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने में योगदान दे रहें हैं।

कार्यकलाप 9.6

1. अपने इलाके मे प्राकृतिक जल स्रोत का पता लगाइए। वहाँ पर होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कीजिए।
2. नदी प्रणाली को क्षति पैदा करने के कारणों की मानवीय गतिविधियाँ क्या है?
3. प्रदूषण रोकने के लिए एक पत्र के माध्यम क्या सुझाव देते हैं। स्थानीय प्राधिकारी को एक पत्र लिखें कि आप किस प्रकार का सहयोग इसमें देना चाहते है।
4. अपने दोस्तों के साथ एक बैठक आयोजित कर चर्चा करें कि मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता हैं?

प्रदूषण रोकने के कई तरीके हो सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए।

पाठगत प्रश्न 9.5

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली दो सहायक नदियों के नाम का उल्लेख कीजिए।
2. महानदी के पास कौन सी झील स्थित हैं?
3. गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित राज्यों के नाम लिखिए।
4. तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी हैं?

आपने क्या सीखा

- भारत 8° 4’ और 37 6’ उत्तरी अक्षाशों और 68° 7’ और 97° 25’ पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित हैं। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है।
- भारत को छः भौतिक भू-भागों उत्तरी हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह में विभाजित किया जा सकता हैं।
- महान हिमालय या हिमाद्रि मध्य हिमाचल या हिमालय और बाहरी हिमालय या शिवालिक तीन समानान्तर श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं।
- उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मुख्य रूप से फैला है। यहां मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध है और इसलिए गेंहू, चावल, गन्ना, सब्जियाँ, फल आदि विभिन्न फसलों की खेती के लिए अच्छा है।
- प्रायद्वीपीय पठार अरावली श्रृंखला से भारत के दक्षिणी सिरे तक फैला है। यह उच्च भूमि है जो पुराने और कायान्तरित चट्टानों से बनी है।
- महान भारतीय रेगिस्तान गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में शुष्क और अर्द्ध शुष्क मौसम की स्थिति हैं।
- भारत में तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर में फैले हैं। उन्हे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है।
- भारत में द्वीप के दो मुख्य समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में 43 द्वीप जिसे लक्ष्यद्वीप समूह कहा जाता हैं।
- भारतीय नदी प्रणाली को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है हिमालय जलप्रवाह प्रणाली और प्रायद्वीप जलप्रवाह प्रणाली हिमालय प्रणाली में तीन मुख्य नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं।

पाठांत प्रश्न

1. भारत की स्थिति एवं विस्तार की व्याख्या किजिए।
2. भारतीय रेगिस्तान की कोई तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. हिमालय की तीनों समान्तर पर्वतमालाओं को कोई दो-दो बिंदुओं में व्याख्या कीजिए।
4. हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच कोई चार अंतर कीजिए।
5. कारण दीजिए :

   (क) उत्तरी मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का बना हैं।

   (ख) भारतीय रेगिस्तान में बहुत कम वनस्पतियां हैं।

परियोजना

- अपने आस-पास क्षेत्र के लिए आंगतुकों की लिए मार्गदर्शक पुस्तिका बनाइए:
  1. इसमें अपने क्षेत्र का अद्वितीय भौतिक और मानव विशेषताओं का वर्णन होना चाहिए।
  2. यह भौतिक भूद्देश्य के तत्व की सूची तैयार कीजिए जैसे जलवायु, भू आकृतियाँ, पौधों, जानवरों। मानवीय भूद्देश्य के तत्व जैसे काम के अवसर, आर्थिक गतिविधियों, मनोरंजक गतिविधयाँ, क्षेत्रीय भाषा और खाद्य पदार्थ आदि की भी सूची तैयार कीजिए।
  3. मार्गदर्शक में चित्र/कला को शामिल करना चाहिए और अपने इलाके के बारे में यदि आप अच्छा अनुभव कर रहें हो तो उसे भी मार्ग दर्शक पुस्तिका में शामिल कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1

1. (क) बंग्लादेश, म्यनमार

   (ख) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर

   (ग) श्रीलंका

   (घ) पाकिस्तान, भूटान

9.2

1. (क) केरल, तमिलनाडु

   (ख) जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश

   (ग) नेपाल, भुटान

   (घ) दमन व द्वीप, दादर नागर हवेली

9.3

1. हिमाचल, हिमाद्रि और शिवालिक
2. जम्मू और कश्मीर

   (अ) नहीं, (ब) नहीं, (स) हाँ
3. पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान
4. पटकोई, मिजो पहाड़ियाँ

9.4

1. ज्वालामुखी विस्फोट के कारण
2. (क) कृषि (ख) मत्स्य पालन (ग) व्यापार एवं वाणिज्य (कोई दो)
3. क्योंकि द्वीपसमूह/पर्यटन के कई क्रियाकलापों को विकसित किया है जैसे जल के अन्दर तथा जल क्रीड़ा।
4. सतलूज, व्यास, रावी

9.5

1. गंडक, कोसी
2. चिल्का
3. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़
4. कृष्णा

10

जलवायु

मोना और राजू अपने माता पिता के साथ एक हिल स्टेशन शिमला के लिए अपनी पहली प्रस्तावित यात्रा के बारे में उत्साहित थे। जब वे अपने कपड़े बाँध रहे थे, तभी उनकी माँ ने उनसे कहा कि कुछ ऊनी कपड़े भी बांध लो। वे दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर में रहते हैं। वे वास्तव में वे हैरान थे क्योंकि यहां मई का महीना था और चेन्नई में बहुत गर्मी थी। उनकी माँ ने कहा कि हालांकि भारत में मानसूनी जलवायु है लेकिन शिमला एक हिल स्टेशन है वहाँ मौसम ठंडा होता है। वे इस तरह के कुछ प्रश्नों के साथ उलझन में थे कि मौसम क्या होता है? मौसम और जलवायु के बीच क्या अंतर है? हमें भारत में विभिन्न जलवायविक परिस्थितियों क्यों मिलती है? हमें इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत पाठ में मिलेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप,

- भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बना सकेंगे;
- मानसून के रचनातंत्र और इसकी विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ-साथ मौसम की चक्र प्रणाली को पहचान सकेंगे;
- वर्षा के वितरण का वर्णन कर सकेंगे;
- हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मौसम के चक्र के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसका विश्लेषण कर सकेंगे; और
- वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन और भारतीय जलवायु पर इसके प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे।

10.1 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

जब मोना और राजू अपने माता पिता के साथ ट्रेन में थे तब उन्होंने मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में अपने माता पिता से प्रश्न पूछे। सहयात्रियों में एक शिक्षिका, श्रीमती रूपा

भी थीं। सामान्यतया उन्होंने बताया कि जलवायु हमेशा बड़े क्षेत्र के लिए होती है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे - भारत में मानसून जलवायु है, जबकि मौसम एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है और यह हमेशा बदलता रहता है जैसा कि आपके शहर या गांव में जहां प्रायः सुबह में बारिश और दोपहर में धूप होती है। श्रीमती रूपा ने उनसे कहा शिमला के रास्ते में मौसम की स्थिति में परिवर्तन का अवलोकन करें। उन्होंने कुछ परिवर्तन अनुभव किए। मौसम दक्षिणी क्षेत्र में गर्म और आर्द्र था और धीरे धीरे उत्तरी मैदान में गर्म और शुष्क हो गया। धीरे धीरे जब वे शिमला के करीब थे उन्होंने ठंडा महसूस किया। उन्होंने शिक्षिका से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मौसम जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं।

? क्या आप जानते हैं

एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक लम्बे समय के लिए (30 वर्ष से अधिक) मौसम की दशाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। किसी एक समय पर वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। इसी तरह से मौसमी दशाओं का लंबी अवधि तक रहना मौसम बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।

10.1.1 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

1. **स्थान** - जो स्थान भूमध्य रेखा के करीब हैं, वहाँ तापमान अधिक रहता है। जैसे-जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। हमारा देश भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्द्ध में विषुवत वृत्त से 8°4’ उ0 में स्थित है तथा कर्क वृत्त (23½° उ.) भारत के मध्य से गुजरती है। इस प्रकार से कर्क वृत्त के दक्षिण की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और इसके उत्तर में जलवायु उपोष्ण कटिबन्धीय है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की जलवायु हरियाणा से अधिक गर्म है। मौटेतौर पर कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित भूभाग इसके उत्तर में स्थित भूभागों से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

2. **समुद्र से दूरी** - भारत का दक्षिणी आधा भाग तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र के अनुकूलन प्रभाव के कारण यह क्षेत्र न तो गर्मियों में ज्यादा गर्म और न ही सर्दियों में बहुत ठंड होती है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के क्षेत्र, जो समुद्र से बहुत दूर है, की जलवायु के विषम है। जबकि दक्षिण भारत, जो समुद्र के निकट है, की जलवायु सम है। हम दी गयी तालिका संख्या 10.1 में विभिन्न स्टेशनों पर तापमान और वर्षा में बदलाव देख सकते हैं।

3. **समुद्र तल से ऊंचाई** - इसका तात्पर्य है औसत समुद्र तल से ऊंचाई। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल कम घना होता चला जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस प्रकार तापमान भी ऊंचाई के साथ घट जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ियों पर स्थित शहर ठंडे होते हैं जैसे - शिमला, जबकि एक ही अक्षांश पर मैदानों में स्थित शहर लुधियाना की जलवायु गर्म है।

4. **पर्वत श्रेणियाँ** - पर्वत श्रृंखलाएँ भी काफी हद तक किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तरी भाग में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ स्थित है। यह हमारे देश को मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं से बचाता है। इसके अतिरिक्त यह वर्षा करने वाले दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार, पश्चिमी घाट प्रबल बर्षा करने वाले पवनों को पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा करने के लिए बाध्य करता है।

5. **धरातलीय पवनों की दिशा** - पवन प्रणाली भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। मानसूनी पवनें, धरातलीय और समुद्र पवनें और स्थानीय पवनें इसमें सम्मिलित होती हैं। सर्दियों में भूमि से समुद्व को ओर जाने वाली पवनें ठंडी और शुष्क होती हैं। दूसरी ओर, गर्मियों में पवनें समुद्र से धरातल की ओर चलती हैं। ये अपने साथ समुद्र से नमी लेकर आती हैं और देश के अधिकतर भागों में व्यापक वर्षा करती हैं।

6. **ऊपरी वायु धाराएँ** - धरातलीय पवनों के अतिरिक्त शक्तिशाली वायु धाराएँ हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ये जेट स्ट्रीम समुद्र तल से लगभग 12000 मीटर की ऊँचाई पर एक संकरी पेटी में तेजी से चलने वाली पवनें हैं। वे अपने साथ पश्चिमी विक्षोमों को साथ लाती हैं। ये चक्रवाती विक्षोम भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ये रास्ते में फारस की खाड़ी से नमी को ग्रहण करके सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के पश्चिमी भागों में वर्षा करते हैं। ये जेट वायुधाराएँ गर्मियों में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और मध्य एशिया में बहने लगते हैं। इस तरह से ये मानसून को भारत में आने में मदद करती है।

कार्यकलाप 10.1

कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के मासिक औसत तापमान (त) और वर्षा (व) :

स्थान		महीना											
		ज	फ	म	अ	म	जू	जू	अ	सि	अ	न	दि
लेह	त	-8	-7	-1	9	10	14	17	17	12	6	0	-6
	व	10	8	8	5	5	5	13	13	8	5	0	5
चेन्नई	त	25	26	28	31	33	33	31	31	30	28	26	25
	व	4	13	13	18	38	45	87	113	119	306	350	135

(i) दोनों स्थानों के बीच वार्षिक ताप परिसर बताइए।

(ii) दोनों स्थानों में वर्ष में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है?

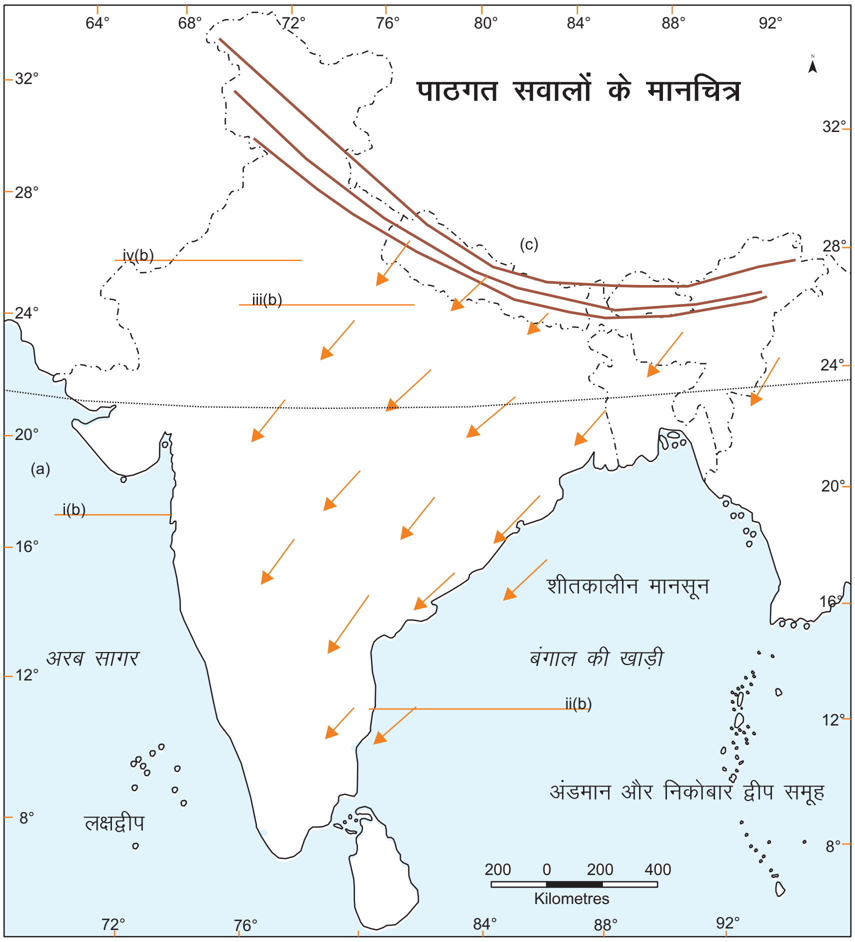

चित्र 10.1

पाठगत प्रश्न 10.1

ऊपर दिए गए मानचित्र 10.1 को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

(a) भारत को दो ताप कटिबन्धों में विभक्त करने वाले उस महत्त्वपूर्ण अक्षांश का नाम लिखिए जो मानचित्र पर खींचा गया है। उस अक्षांश की डिग्री भी लिखिए।

(b) मानचित्र पर दर्शाए गए उन शहरों के नाम लिखिए, जो समुद्र के द्वारा प्रभावित हैं और जो समुद्र द्वारा प्रभावित नहीं हैं।

(c) कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करती है?

(d) मानचित्र पर दी गई हवा की दिशा का निरीक्षण करें और बतायें कि सर्दियों का मौसम शुष्क क्यों रहता है?

मोना और राजू पांच दिनों के बाद शिमला से लौट आये। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभव को बाँटा। कुछ दिनों बाद वे एक सामाचार के शीर्षक को देखकर हैरान थे कि मानसून समय पर आ रहा हैं। उन्होंने सोचा कि यदि भारत की जलवायु मानसूनी है तो कहीं और से मानसून क्यों आ रहे हैं? मानसून का अर्थ क्या है? उन्होंने अपने शिक्षक की सहायता से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का निर्णय लिया।

10.2 मानसून का रचनातंत्र

मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। गर्मियों के दौरान उत्तर भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता हैं। जैसे- राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन भागों में दैनिक अधिकतम तापमान 45° से 47° से. तक हो जाता है। नीचे दी गई तालिका 10.1 भारत में जलवायविक विविधता को दर्शाती है?

सारणी 10.1 : भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के मासिक औसत तापमान (सेल्सियस में) तापमान और (सेंटीमीटर में)

स्थान		महीना											
		जन	फर	म	अ	म	जून	जू	अग	सित	अक्टू	नव	दिस
लेह	तापमान	-8	-7	-1	9	10	14	17	17	12	6	0	-6
	वर्षा	10	8	8	5	5	5	13	13	8	5	0	5
शिलांग	तापमान	10	11	16	19	19	21	21	21	20	17	13	10
	वर्षा	14	29	56	146	295	476	359	343	302	188	36	10
दिल्ली	तापमान	14	17	23	29	34	35	31	30	29	21	20	15
	वर्षा	21	24	13	10	10	68	186	170	125	14	2	9
जैसलमेर	तापमान	16	20	25	30	33	34	32	31	30	28	22	17
	वर्षा	0.2	0.1	0.3	0.1	0.5	0.7	0.9	86	14	01	0.5	0.2
मुम्बई	तापमान	24	24	24	28	30	29	27	27	27	28	27	25
	वर्षा	4	2	2	2	18	465	613	329	286	65	18	2
चेन्नई	तापमान	25	26	28	31	33	33	31	31	30	28	26	25
	वर्षा	4	13	13	18	38	45	87	113	119	306	350	135
तिरुवनन्तपुरम	तापमान	27	27	28	29	29	27	26	26	27	27	27	27
	वर्षा	2	21	39	106	208	356	223	146	138	273	206	7

क्या आप जानते हैं

- हवा में वजन है और यह वजन हम पर दबाव डालता हैं, जो हवा के दबाव के रूप में जाना जाता है।
- तापमान और हवा के दबाव के मध्य एक व्युत्क्रम संबंध है, यानी अगर किसी भी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो हवा का दबाव कम हो जाएगा। यानी एक दूसरे की तुलना में विपरीत है।
- हवा के दबाव में अंतर हवाओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार है

दिल्ली और जोधपुर में मई के महीने में औसत अधिकतम तापमान 33° सेल्सियस से अधिक है। इस तरह के उच्च तापमान उस क्षेत्र की हवा को गर्म कर देते है। गर्मा हवा ऊपर उठती है तथा सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस कम दबाव मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में ओडीशा के बालासोर के मध्य स्थित होता है।

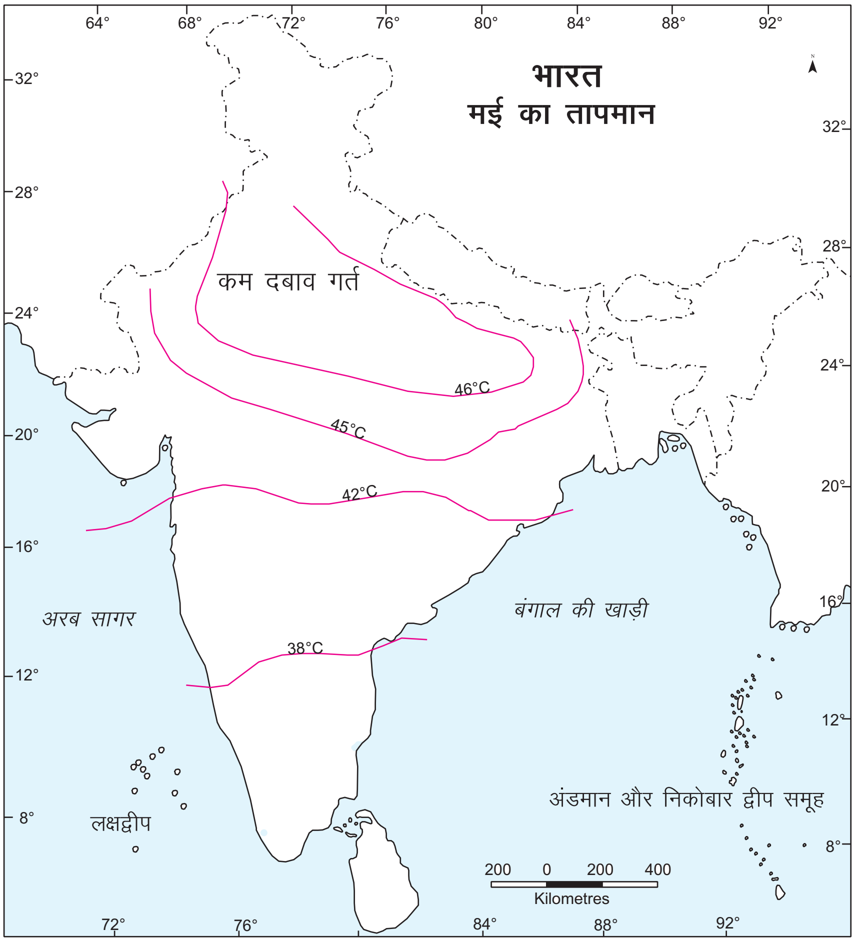

चित्र 10.2 : मई का तापमान

दूसरी ओर, हिंद महासागर के ऊपर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, पानी भूमि की तुलना में अधिक समय में गर्म होता है। इसलिए समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है। ऊपर दिए गए मानचित्र 10.2 को देखें और दिये गये घटना क्रम को समझने की कोशिश करें।

इस प्रकार, उत्तर मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर पर तापमान और इसके परिणामस्वरूप वायुदाब में अंतर है। इस अंतर के कारण समुद्र के उच्च दाब क्षेत्र से पवनें उत्तर भारत के कम दाब के क्षेत्र की ओर चलनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार, मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर के भूमध्यरेखी क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हो जाती है। इन हवाओं की दिशा सामान्यतया दक्षिण - पश्चिम से उत्तर - पूर्व की ओर होती है। यह दिशा भारत में

सर्दियों के दौरान प्रचलित व्यापारिक (उत्तर - पूर्व से दक्षिण - पश्चिम) पवनों के बिल्कुल विपरीत है। पवनों की दिशा का यह उत्क्रमण उत्तर - पूर्व से दक्षिण - पश्चिम और इसके विपरीत मानसून के रूप में जाना जाता है।

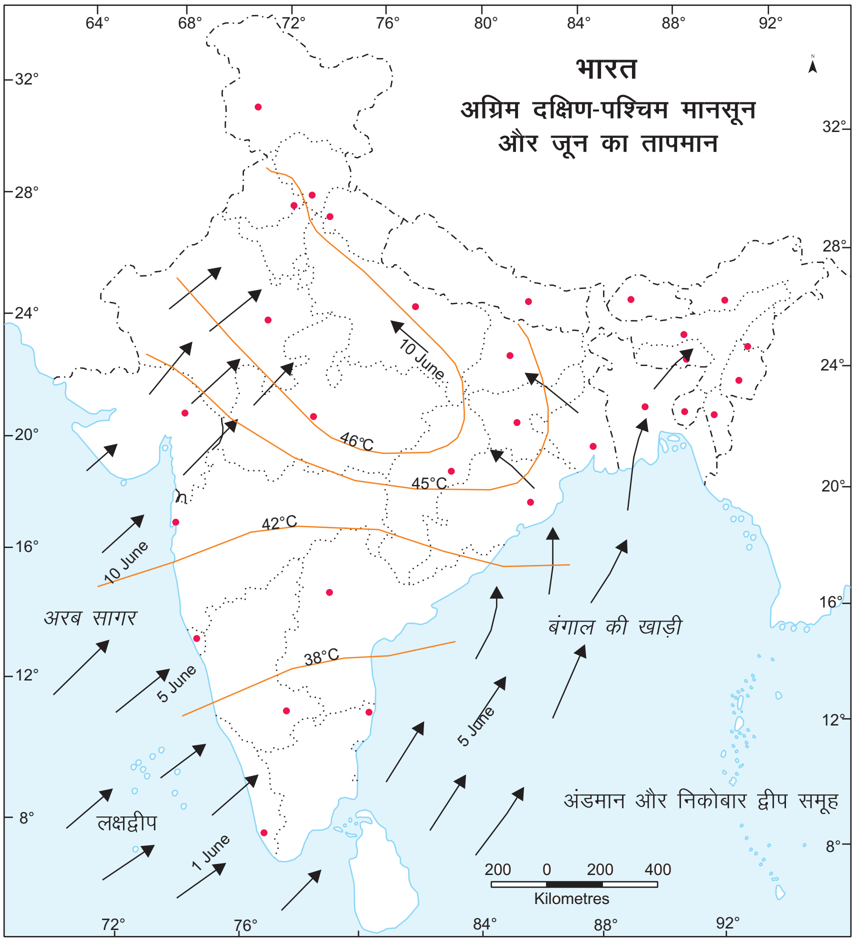

चित्र 10.3 : जून का तापमान

इन हवाओं की उत्पत्ति गर्म समुद्र के ऊपर होती है। इसलिए इनमें बहुत अधिक नमी होती है। जब ये आर्द्र पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पहुँचती हैं तो ये पूरे भारत में जून से सितम्बर के बीच चार महीनों में व्यापक वर्षा करती हैं। जून से सितम्बर के बीच भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 80% से 90% तक हो जाता है।

10.2.1 मानसून की विशेषताएं

1. मानसून पवनें स्थाई पवनें नहीं हैं। वे प्रकृति में अनियमित हैं एवं वातावरण की विभिन्न दशाओं जैसे क्षेत्रीय जलवायविक दशाओं से प्रभावित होती है। किसी वर्ष मानसून जल्दी आता है तो कभी देर से आता है।

2. मानसून समान रूप से वितरित नहीं हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, जैसे आंतरिक क्षेत्रों में कम वर्षा प्राप्त होती है।

3. जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है। यह 'मानसून के फटना' के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से केरल तट पर होता है जहां यह सबसे पहले पहुँचता है।

कार्यकलाप 10.2

चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए -

(अ) (ब) (स)

चित्र 10.4

1. दिए गए चित्रों (अ, ब, स) में मौसम को पहचानिए।
2. उन्हें उनके घटित होने के आधार पर व्यवस्थित करें।
3. कौन सा मौसम आपको सबसे अधिक पसंद है और क्यों ? इसके बारे में 30 शब्दों में बताइए।

पाठगत प्रश्न 10.2

चित्र संख्या 10.2 और 10.3 को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. निम्न दाब के क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम लिखिए।
2. मानसूनी पवनों के दक्षिण पश्चिम से आने के कारण किस राज्य में सर्वप्रथम वर्षा होगी?
3. मानसून पवनों के बंगाल की खाड़ी पहुँचने पर उनकी दिशा क्या होती है?
4. निम्नलिखित शहरों में वर्षा के आंकड़ों का अवलोकन कीजिए और इन चार शहरों में मानसून की औसत अवधि मालूम कीजिए। इन चार शहरों के नाम हैं :

   क) मुम्बई   ख) जैसलमेर

   ग) दिल्ली   घ) शिलांग

कुछ महीनों बाद मोना और राजू के पिता दिल्ली स्थानांतरित हो गये। वे भारत की राजधानी में रहने के लिए उत्साहित थे। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त और नया वातावरण सब कुछ उनके लिए नया था। उन्होंने महसूस किया कि अब वे मौसम के वास्तविक परिवर्तन को देखने जा रहे हैं जिसके विषय में उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा है। हम विभिन्न मौसमों को खोजे और वे कैसे घटित होते हैं इसके विषय में आगे के भाग में जानें।

10.3 मौसम के चक्र

हमारे देश भारत में भौगोलिक स्थिति के कारण मौसमी विविधता देखने की मिलती है। अब हम भारत के मौसम के बारे में जानेंगे और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। यहां चार मौसम है:

(क) शीत ऋतु (दिसंबर - फरवरी)

(ख) ग्रीश्म ऋतु (मार्च - मई)

(ग) आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु (जून से सितंबर)

(घ) पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु (अक्टूबर - नवंबर)

चलो हम इस पर विस्तार से चर्चा करें

(क) शीत ऋतु

शीत ऋतु की अवधि दिसंबर से फरवरी तक है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटते जाते हैं। दिसम्बर तथा जनवरी सबसे अधिक ठंड वाले महीने होते है और उत्तर भारत में औसत तापमान

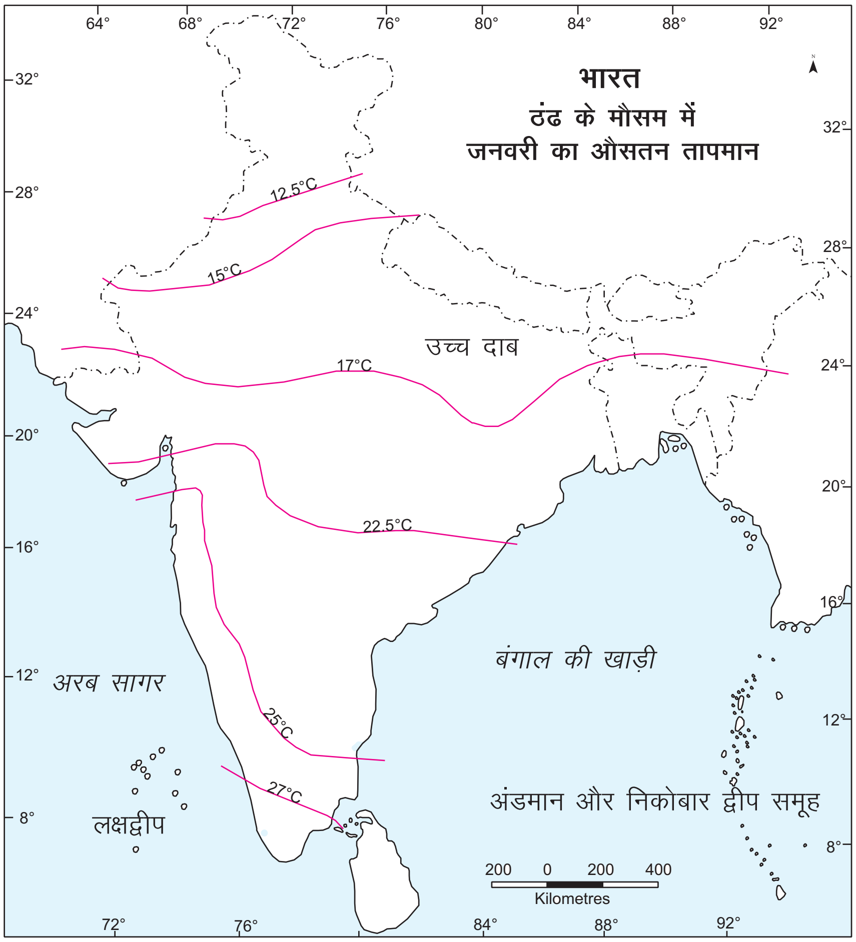

चित्र 10.5 : जनवरी के औसत तापमान

टिप्पणी

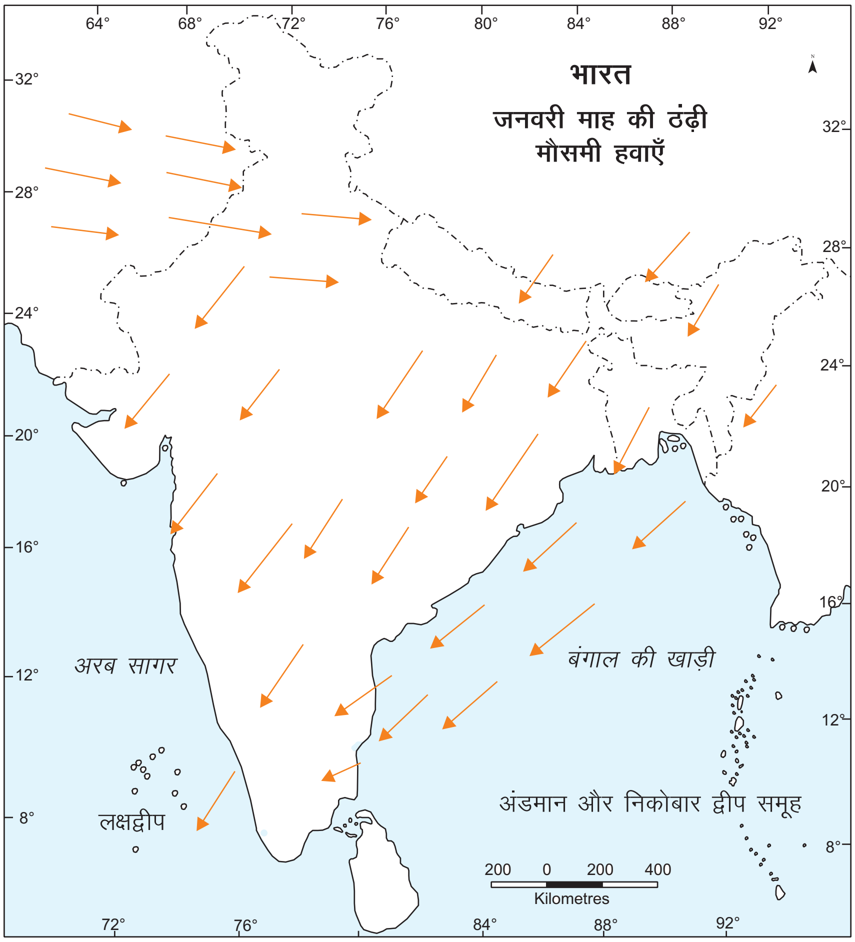

चित्र 10.6 : जनवरी में हवाओं की दिशा

12° से 15° से. होता है जबकि दक्षिण भारत में 25° से. इन दिनों उत्तर और उत्तर - पश्चिम भारत में प्रायः पाला पड़ता है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोमों से हल्की बारिश हो जाती है। हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है। सर्दियों के मौसम के दौरान, भारत में उत्तर-पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं। वे भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। हालांकि, तमिलनाडु तट पर सर्दियों में इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनों का एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए नमी ग्रहण कर लेता है। इसलिए तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है जबकि देश का बाकी भाग शुष्क रहता है। देश के उत्तरी भाग में साफ आसमान, कम तापमान और कम नमी होती है। रबी के फसलों के लिए शीत ऋतु में हल्की वर्षा बहुत उपयोगी है।

(ख) ग्रीष्म ऋतु

फरवरी के अंत तक तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मार्च से मई तक ग्रीश्म ऋतु होती है। मैदानों, भारत के पश्चिमी भागों और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है। इस समय यहाँ एक लंबा-संकरा निम्न वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसे मानसून का निम्न वायुदाब गर्त भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पूर्व में झारखंड तथा ओडीशा के कुछ भाग तक होता है। हालांकि इस ऋतु में विषुवत वृत्त के दक्षिण

में हिन्द महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है। उत्तर-पश्चिमी भारत में धूलभरी आंधियाँ चलती है। ग्रीश्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म पवनें चलती हैं। इन पवनों का स्थानीय नाम 'लू' है। इन गर्म तथा झुलसाने वाली पवनों से कभी-कभी लू लग जाती है। इस मौसम में तेज धूलभरी आंधियां चलती हैं और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा हो जाती है। वर्षा के साथ कभी-कभी ओलावृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में, वैशाख के महीने में इन तूफानों को 'काल बैसाखी' आपदा के रूप में जाना जाता है। गर्मी के मौसम की समाप्ति की ओर, मानसून पूर्व की बारिश प्रायः केरल और कर्नाटक में होती हैं। वे आमों के जल्दी पकने में सहयोग देता है, और प्रायः इसे 'आम्र वृष्टि' के रूप में भी जाना जाता है।

(ग) आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु

गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी के बाद लोगों को बेसब्री से बारिश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो उन्हें राहत दे सकती हैं। किसान बारिश के लिए प्रतीक्षा करते है ताकि वे अपने खेतों को खरीफ की फसल के लिए तैयार कर सकें। जून से सितंबर आगे बढ़ते दक्षिण - पश्चिम मानसून ऋतु के महीने है। क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण उत्तर भारत में मई के अंत तक मानसूनीगर्त

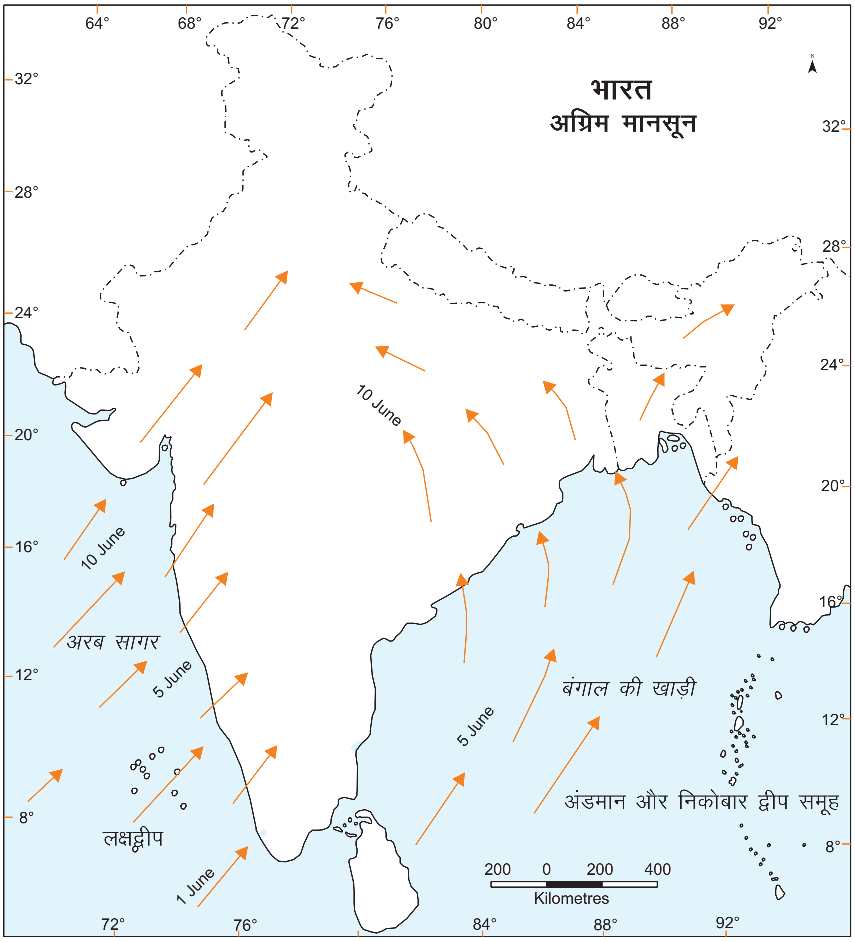

चित्र 10.7 : भारत में आगे बढ़ता दक्षिण-पश्चिम मानसून

और तीव्र हो जाता है। इस मौसम के दौरान हवा की सामान्य दिशा उत्तर-पश्चिम की ओर होती है। ये पवनें काफी प्रबल होती है तथा इनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये आर्द्र पवनें मई के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह में पहुँचती है और गर्जन के साथ वर्षा करती हैं। जून के प्रथम सपताह में केरल के तटीय भागों में तेज गर्जन के साथ वर्षा करती हैं। ये दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत में आकर इसके मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन करती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की दो शाखाएँ है (1) अरब सागर की शाखा और (2) बंगाल की खाड़ी की शाखा।

अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट द्वारा बाधित होने पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ओर भारी वर्षा करती हैं। यह 10 जून को मुंबई पहुंचती है। देखें चित्र 10.7 जब यह शाखा पश्चिमी घाटों को पार करती है और दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुँचती है तो यह कम वर्षा करती है क्योंकि यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है।

बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे पहले अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह में वर्षा होती है। इसके पश्चात ये पवनें उत्तर-पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तथा 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करने लगती हैं। इनसे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। हालांकि उत्तरी मैदानों में जैसे-जैसे ये पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उदाहरण के लिए कोलकता में वर्षा 120 सें.मी., इलाहाबाद 91 सें.मी. और दिल्ली में केवल 56 सें.मी.। आपने देखा होगा कि कभी-कभी वर्षा बहुत दिनों तक नहीं होती। बीच-बीच में शुष्क काल आता रहता है। इससे आर्द्र और शुष्क दौर आते रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मानसूनी वर्षा एक बार में कुछ ही दिन होती है। वर्षा रहित शुष्क दौर इसके बीच में आते रहते है। चूंकि मानसून गर्म और शुष्क ग्रीश्म ऋतु के बाद आता है, इसलिए वर्षा होने पर तापमान कम हो जाते हैं। मध्य जून और मध्य जुलाई के बीच तापमान 5° से. से 8° सेल्सियस तक घट जाते है। इसी समय भारत के अनेक भागों में बाढ़ भी आती है। बाढ़ों के आने का कारण अधिक वर्षा और जल संसाधन के व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन में हमारी असमर्थता है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस समय सूखा पड़ता है।

कार्यकलाप 10.3

समाचार पत्रों तथा अन्य स्रोतों से ज्ञात कीजिए कि भारत के कौन से क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहते है। नमूने के तौर पर समाचार पत्रों की कतरनें भी चिपकाएं। ऐसे क्षेत्रों को पहचानिए और उनके कारण मालूम कीजिए। हाल ही में सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए।

(घ) पीछे हटते मानसून की ऋतु

अक्टूबर और नवंबर महीने पीछे हटते मानसून ऋतु के हैं। सितंबर - अक्टूबर के दौरान तापमान उत्तर भारत में कम होना शुरू हो जाता हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत में मानसूनी गर्त भी कमजोर पड़ने लगता है। यह धीरे धीरे एक उच्च वायुदाब प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित होता है। दक्षिण - पश्चिम मानसून हवायें नवंबर तक उत्तर भारतीय मैदान से धीरे - धीरे कमजोर होकर वापस

होने लगती है। अक्तूबर के महीने में अधिक तापमान और नमी के कारण मौसम गर्म और नम रहता है। उत्तरी मैदानों में गर्म और आर्द्र मौसम इस समय कष्टदायी हो जाता है। इसे आमतौर पर 'क्वार की उमस' कहा जाता है। हालांकि, अक्टूबर के अंत में, तापमान गिरने, लगते हैं और रातें सुहानी होती है। इस समय उत्तर-पश्चिम भारत का निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानान्तरित हो जाता है। फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान विकसित होते हैं। इन चक्रवातों से ओडीशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में व्यापक विनाश होता है।

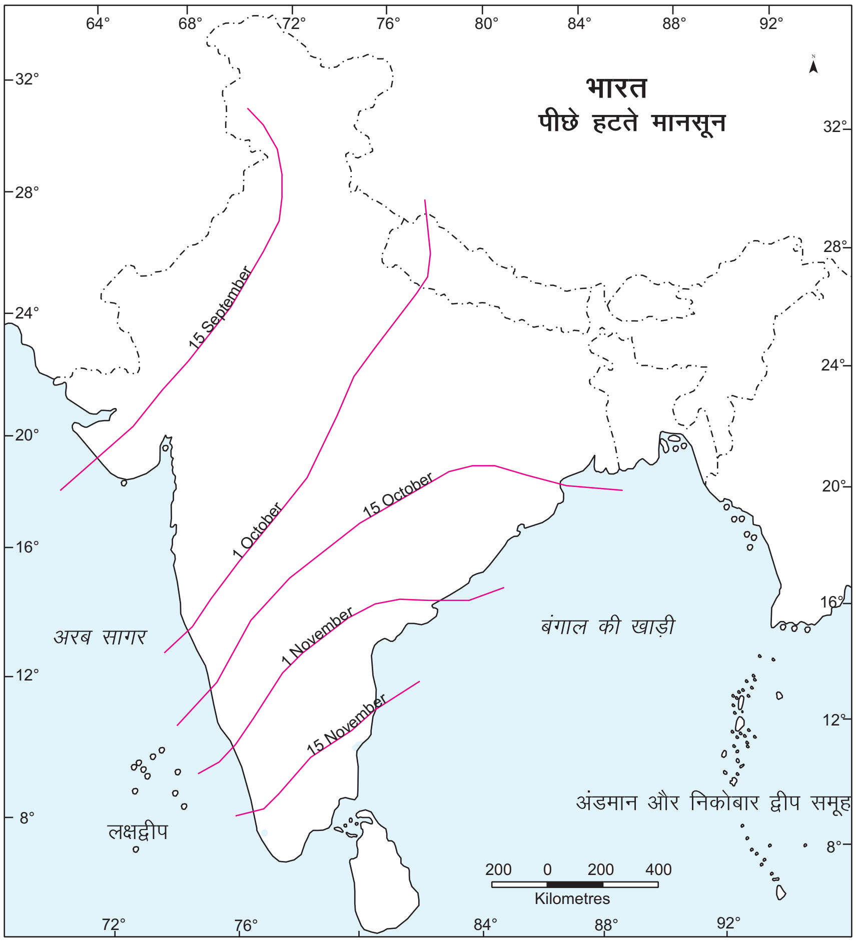

चित्र 10.8 : पीछे हटता मानसून

पाठगत प्रश्न 10.3

सही उत्तर चुनें -

(i) ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु कहलाती है-

अ) काल बैसाखी　　　ब) व्यापारिक पवनें

स) लू　　　द) इनमें से सभी

(ii) कौन सी पर्वत श्रृंखला अरब सागर शाखा के रास्ते में एक बाधा के रूप में कार्य करती है?

अ) अरावली   ब) पश्चिमी घाट

स) पूर्वी घाट   द) राज महल पहाड़ियां

(iii) बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः किसके दौरान आते है -

अ) दक्षिण-पश्चिम मानूसन   ब) ग्रीश्म ऋतु

स) पीछे हटते मानसून की ऋतु   द) शीत ऋतु

(iv) कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म होगी?

अ) दिल्ली   ब) शिलांग

स) दक्कन का पठार   द) पंजाब

(v) मानसून कहा जाता है :

अ) मौसमी पवनें   ब) अस्थायी पवनें

स) स्थायी पवनें   द) स्थानीय पवनें

मोना और राजू अब मौसम, इसका चक्र, इसका कारण और प्रभाव को अच्छी तरह समझ चुके थे? केवल एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया था। यदि मानसून के एक विशेष क्षेत्र में कुछ अवधि के लिए आता है तो यह तात्पर्य है कि भारत में वर्षा वितरण असमान था? हमें वर्षा वितरण मानचित्र की मदद से इसका उत्तर खोजने की कोशिश करनी चाहिए।

10.4 वर्षा का वितरण

वर्ष के किसी एक समय में भारत में वर्षा का वितरण अत्यन्त असमान है। पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी मैदानों तथा मध्य भारत में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में तटीय क्षेत्रों से आंतरिक क्षेत्रों की ओर वर्षा होती जाती है। उत्तरी-पूर्व भारत में ऊँचाई के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। वर्षा के वितरण में बहुत अधिक विषमताओं वाला भारत एक अनोखा उदाहरण है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान तथा सबसे कम वर्षा वाले स्थान भारत में ही हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? भारत में वर्षा की स्थानिक विषमताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। मानचित्र को ध्यान से देखिए और दिए गए वर्गीकरण में आने वाले राज्यों को मालूम कीजिए।

(क) उच्च वर्षा (200 सेमी से अधिक) के क्षेत्र - पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व का उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की गारी, खासी, जयन्तिया पहाड़ियों पर वर्षा अधिक होती है।

(ख) सामान्य वर्षा (100-200 सेमी) के क्षेत्र - भारत में 100 से 200 सेमी वर्षा पश्चिमी घाट पश्चिम बंगाल, ओडीशा, बिहार तथा कई अन्य राज्यों में होती है।

(ग) कम वर्षा (60 से 100 सेमी) के क्षेत्र - यह कम वर्षा के क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान तथा दक्कन पठार का आंतरिक भाग।

(घ) अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र (60 सेमी से कम) - अल्प वर्षा का यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में शामिल है। राजस्थान के पश्चिमी भाग गुजरात, लद्दाख और दक्षिण मध्य भाग 20 सेंमी. से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं।

कार्यकलाप 10.4

नीचे दी गयी तालिका में भारत के त्योहारों की सूची बनाएँ और यह भी पता लगायें कि आपके क्षेत्र में कौन सी ऋतु आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और क्यों?

त्योहारों की सूची	*कहां मनाया जाता है*	*दिनांक और महीना*	*ऋतु*	*आर्थिक महत्वपूर्ण*

क्या आप त्योहारों की ऋतुओं और फसल कटाई के मध्य कोई अर्तसम्बन्ध देखते हैं? कोई एक कारण दीजिए।

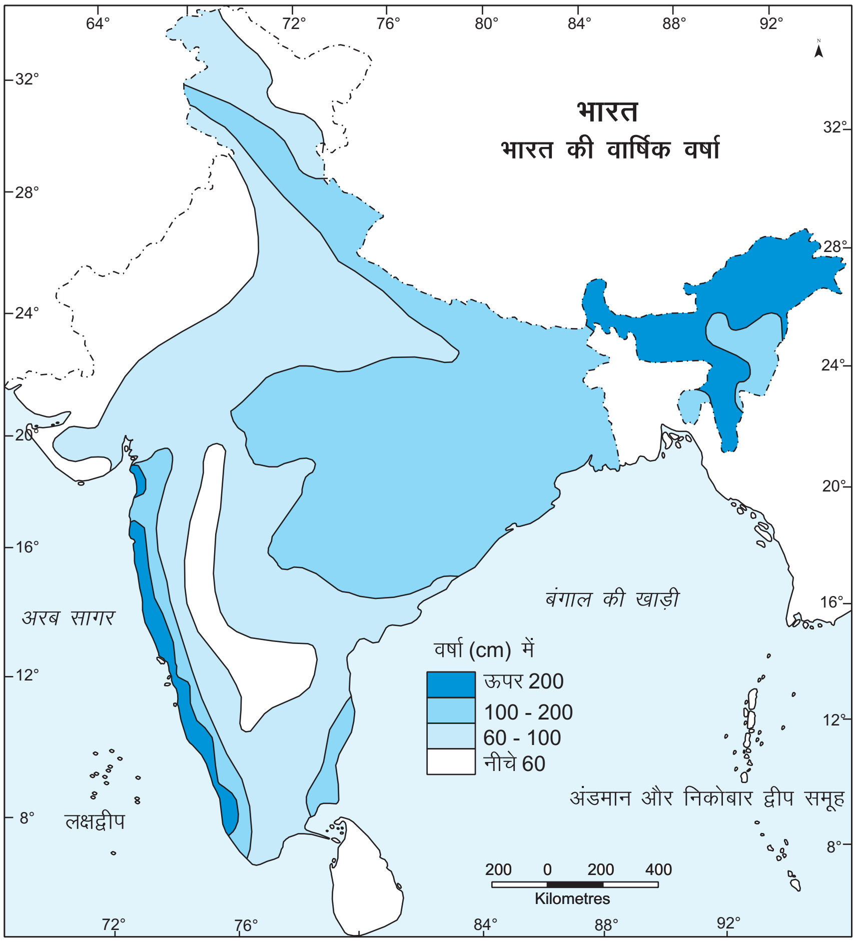

चित्र 10.9 : भारत में औसत वार्षिक वर्षा

10.5 सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन

अब आप मौसम के चक्र के बारे में अच्छी तरह परिचित हो गए हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि मौसम और हमारे जीवन के बीच क्या संबंध है? क्या वे इतना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? उत्तर है 'हां'। वे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे- भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से मौसम के चक्र पर निर्भर है। खरीफ फसल का समय आगे बढ़ते मानसून की ऋतु है और कटाई मानसून के बाद होती है। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है और ज़ायद फसल सर्दियों के मौसम के अंत में है। बाढ़ और सूखा देश के आर्थिक विकास में बाधा हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है।

हमारी सभी गतिविधियां ऋतुओं के साथ संबंधित हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है दिन छोटा हो जाता है और हम ऊनी कपड़े खरीदते हैं। मूंगफली, बादाम और कैलोरी युक्त भोजन हमारे आहार में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठंड के मौसम के होते हुए भी लोग जनवरी के महीने में कई राज्यों में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी और तमिलनाडु में पोंगल, की तरह कई समारोहों का जश्न मनाते है। बसंत पंचमी भी फरवरी के महीने में मनाते है। लोग फसल के देवता से अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। गर्मी का मौसम बहुत ही सूखा है, लेकिन यह हमें रसीले फल, आइस क्रीम और पेय पदार्थो की विविधता की याद दिलाता है। इस मौसम में उपलब्धा फल क्या हैं? होली और बैसाखी इस मौसम के मुख्य त्योहार हैं। गर्मियों के अंत तक किसान अपने खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि वे बारिश का स्वागत कर सकें। इस समय केरल में ओणम का जश्न मनाते हैं जो उनकी फसल की कटाई का समय होता है। मानसून के बाद का समय फसल कटाई का होता है। यह भी दशहरा, दुर्गा पूजा और दीवाली के त्योहार का समय है जो पूरे भारत में मनाया जाता है।

10.6 वैश्विक पर्यावर्णीय परिवर्तन और उनका भारतीय जलवायु पर प्रभाव

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि भारत में सौभाग्यवश चार स्पष्ट मौसम हैं। ग्रीश्म, शीत, बसन्त और मानसून की ऋतु। हालांकि आजकल इस मौसम चक्र में विघ्न पैदा होने लगा है। इस का प्रमुख कारण वैश्विक तापन है जो आज के विश्व का ज्वलंत विषय है। इसका बहुत अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है जिसने हमारे जीवन के हर पहलू और हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है। वैश्विक तापन का विश्व जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और भारत इसका अपवाद नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि हममें से प्रत्येक इसके विस्तार को रोकने में कैसे योगदान दे सकता है।

आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि वैश्विक तापन क्या है? पिछले दशकों के दौरान नगरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। मानवीय अनुक्रियाओं के कारण कार्बन डाइआक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन (CFC) और अन्य विनाशकारी गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा का लगभग 51 प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। बाकी की सौर ऊर्जा वायुमंडल में परावर्तित हो जाती है। यह एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है। परन्तु अब प्रदूषण के कारण परावर्तित ऊर्जा का कुछ भाग हरित ग्रह गैसों जैसे मुख्य रूप से कार्बन डाइआक्साइड द्वारा रोक लिया जाता है। इससे पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ गया है। इस बात के प्रमाण है कि कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) का स्तर अब भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था

के अंतर्गत बहुत से देशों ने हरित ग्रह गैसों को कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षार किए हैं। हालांकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने में अभी भी प्रभावी नहीं हैं।

हम यह पहले से जानते हैं कि 70 प्रतिशत भारतीय कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तापमान में कोई भी परिवर्तन कृषि पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। इसका भारत के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम यह स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन, हमारे त्योहार और हमारी अर्थव्यवस्था सबकुछ मौसम के चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मौसम अनुकूल हैं तो मानव जीवन अच्छा और आरामदायक हो जायेगा। क्योंकि मौसम की स्थिति कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन आदि को प्रभावित करती है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें और क्लोरो-क्लोरो-कार्बन (CFC) तथा अन्य हानिकारक गैसों को कम करें।

कार्यकलाप 10.5

एक डायरी रखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, चक्रवात तथा भौगोलिक घटनाओं को लिखें। उसमें घटना का नाम, तिथि तथा उसका प्रभाव लिखें।

पाठगत प्रश्न 10.4

1. हमें भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान क्यों मिलता है?
2. भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले तीन क्षेत्रों के नाम बताइए।
3. खरीफ और रबी मौसम के महीने बताइए।
4. जायद मौसम कब आता है।
5. कौन सी मानवीय अनुक्रियाएँ वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं?

आपने क्या सीखा

- भारत की जलवायु बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होती है जैसे स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाएँ, सतही पवनों की दिशा और ऊपरी वायु धाराएँ।
- भारत में हवाओं का उलट फेर एक विशेष प्रणाली है जो मानसून के रूप में जानी जाती है।
- भारत में मौसम की एक चक्रीय प्रणाली है और इसके चार मुख्य मौसम है। ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु और पीछे हटते मानसून की ऋतु।
- मौसम हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारी गतिविधियों और खाने की आदतों को भी प्रभावित करते हैं।
- वैश्विक तापन भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करता है।

पाठान्त प्रश्न

1. जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं पाँच कारकों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक कारक के लिए एक उदाहरण की सहायता के साथ व्याख्या करें।
2. जलवायु और मौसम के बीच अंतर बताइए।
3. पवनें और उनकी दिशा जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? उदाहरण देकर व्याख्या करें।
4. मानसून की परिभाषा लिखिए। व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में चलने के मुख्य कारण को पहचानिए।
5. शीत ऋतु की कोई चार विशेषतायें बताइए।
6. ग्रीश्म ऋतु के मौसम की किन्हीं चार मुख्य विशेषताओं की सूची बनाइए?
7. उदाहरण देकर भारत में वैश्विक तापन के प्रभाव समझाइए। इसके क्या कारण हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

10.1

(क) कर्क रेखा, 23½° उत्तर

(ख) समुद्र से प्रभावित

(i) मुम्बई

(ii) चेन्ऩई

समुद्र से प्रभावित नहीं

(i) लखनऊ

(ii) दिल्ली

(ग) हिमालय पर्वत श्रृंखला

(घ) पवनें उत्तर - पूर्व से आ रही हैं। चूंकि वे भूमि से आ रही हैं, वे शुष्क और देश में बारिश करने में असमर्थ हैं।

10.2

1) राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा ओडीशा के कुछ भाग

2) केरल

3) दक्षिण से उत्तर और उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम

4) क) मुम्बई : 4 महीने ग) दिल्ली : 4 महीने

ख) नागपुर : 4 महीने घ) सिलांग : 6 महीने

10.3

(i) (ब) लू

(ii) (स) पश्चिमी घाट

(iii) (स) पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु

(iv) (स) ढक्कन का पठार

(v) (अ) मौसमी पवनें

10.4

1. जब मानसून हवाएं तट की ओर से प्रवेश करती है तब वे अधिकतम बारिश करती हैं। जब वे मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्रों तक पहुँचती है, वे शुष्क होती जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप कम वर्षा होती है।

2. कम वर्षा के क्षेत्र -

1. उत्तरी लेह - लद्दाख क्षेत्र

2. पश्चिमी राजस्थान

3. दक्षिण-मध्य भाग

3. खरीफ - जून और जुलाई रबी - अक्तूबर और नवम्बर

4. शीत ऋतु के अंत से यानि मार्च से मई

5. शहरीकरण, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलाना आदि।

11

जैव विविधता

आपने विभिन्न प्रकार के घास, पौधों, झाड़ियों, पेड़, कीड़े, पक्षियों, जानवरों या अपने चारों ओर सुंदर परिदृश्य को देखा होगा। हम पौधों और जानवरों की इस विविधता पर भोजन, ईंधन, दवा और अन्य वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से निर्भर है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इन प्रजातियों के विकास के चार अरब वर्षों से अधिक के उत्पाद हैं। अभी तक, इस समृद्ध जैव विविधता एक खतरनाक दर पर काफी हद तक मानव गतिविधियों की वजह से खो दिया जा रहा है। फिर भी वहाँ कई चीजें हैं जो हम में से हर एक को इन प्रजातियों, पौधों, जानवरों और अन्य जीवित जीवों के संरक्षण में योगदान कर सकती हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें है जो जीवन की इन कीमती विविधताओं को बचाने में आप मदद कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन विभिन्न पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में जानें। इस पाठ में, हम इन पौधों, पशुओं, उनके महत्व, भारत में उनके वितरण, और उनके संरक्षण की आवश्यता पड़ेगें।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- जैव विविधता की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में जैव विविधता की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे;
- जैव विविधता के महत्व की स्थापना बता सकेंगे;
- भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत की रेखा मानचित्र में वन, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों, जैव मंडल और नम क्षेत्र को दर्शा सकेंगे; और
- अपने क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण में हमारी भूमिका की पहचान कर सकेंगे।

11.1 जैव विविधता

जैव विविधता, जैविक विविधता का एक संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता या जैव विविधता का एक शब्द है, हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता का वर्णन करते है जिसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक

पर्यावरण के घटकों जैसे तापमान, मिट्टी, पानी को शामिल करते हैं। सरल शब्दों में, जैव विविधता जीन, प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। इसमें (क) आनुवंशिक विविधता, (ख) प्रजाति विविधता (ग) पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल हैं। पौधें और जानवर ही जैव विविधता के एक छोटे घटक का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदृश्य सूक्ष्म जीवों जैव विविधता का एक बड़े घटक का निर्माण करते हैं।

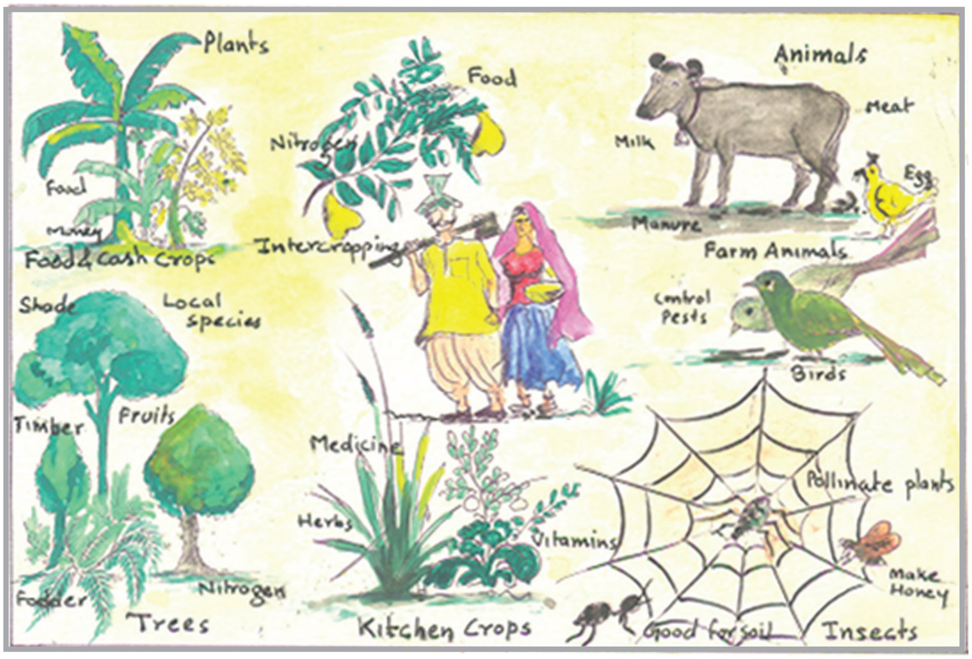

चित्र 11.1 जैव विविधता

जीन : जीन आनुवंशिकता की बुनियादी जैविक ईकाई है। किसी एक प्रजाति के जीन उसी प्रजाति जीन के समान होते है। और जीन विशेष प्रजाति की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं।

प्रजातियां : यह एक जैसा समूह है जो कुछ सामान्य विशेषताओं या गुणों और अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र : किसी क्षेत्र में जैविक (सजीव) और अजैविक (निर्जीव) घटकों के मध्य में अंतःक्रिया करना पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।

11.1.1 भारत में जैव विविधता की स्थिति

जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती जाती है भारत 8°4' उत्तर और 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' 'पूर्व और 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी अद्भुत स्थिति के कारण भारत में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। यद्यपि भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत है। लेकिन विश्व जैव विविधता प्रजातियों की कुल संख्या का लगभग 8% है। विश्व में विविध प्रजातियों की संख्यो 17.5 करोड़ (यूएनईपी

की 1995 के विश्व जैव विविधता के आकलन के अनुसार) विश्व की कुल प्रजातियों का 6 प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं। 45000 पौधें विश्व की वनस्पति का लगभग 12 प्रतिशत शामिल प्रजातियाँ भारतीय जंगलों में पाई जाती है। भारत में विश्व के 12 जैव विविधता के आकर्षण के केंद्रों में से दो भारत में हैं। वे हैं : उत्तर - पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट।

- जैव विविधता उच्च स्तर के देशज प्रजातियों का एक आकर्षण क्षेत्र हैं। ये वे प्रजातियां है जो एक निश्चित सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- मेगा जैव विविधता : अलग पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जो कहीं और उपलब्ध नहीं है, का एक अद्‌भुत संयोजन हैं।

11.2 जैव विविधता के महत्व

जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार के जीव क्षेत्र में पाये जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते है। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अन्योन्याश्रित और अर्न्तसंवधित हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों को समान जलवायु की दशाओं वाले क्षेत्रों में अलग समुदायों या समूहों में पाये जाते हैं? किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्रकृति जानवरों के जीवन को निर्धारित करती है। जब एक जगह के वनस्पति में बदलाव लाया जाता है तो जानवर को भी जीवन में भी बदलाव और साथ ही यह मानव जाति को प्रभावित करती है। परिस्थितिकी तंत्र में किसी भी घटक के नुकसान पर प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करती है। हम पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न भाग हैं। पेड़ काटने और जानवरों को मारने के कारण, मनुष्य पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य द्वारा कैसे प्रभावित होता है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कुछ लेख एकत्रित कीजिए जिससे आपको पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। हमें जरूर समझना चाहिए कि सभी पौधों और जानवरों के एक क्षेत्र में अन्योन्याश्रित और उनके भौतिक वातावरण में अर्न्तसंबंध हैं? इस पारिस्थितिकी तंत्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अत्यंत मूल्यवान है; वे निम्नलिखित है

- भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि को उपलब्ध कराना।
- जलवायु और रोग के कारण (उदाहरण के लिए लोगों को सर्दियों में सर्दी खांसी से और मानसून में पेट के संक्रमण में पीड़ित होना)।

11.2.1 जैव विविधता के कमी का कारण

बढ़ती आबादी और बदल रही जीवन शैली से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापारिक दोहन करना जिम्मेदार कारण है। जैव विविधता के नुकसान में यह परिणाम है। परिणाम स्वरूप यह प्रकृति को योग्यता मानव अस्तित्व के लिए माल और सेवाओं के वितरण की क्षमता को प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैव विविधता की कमी से न केवल भौतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी ह्रास हो रहा है।

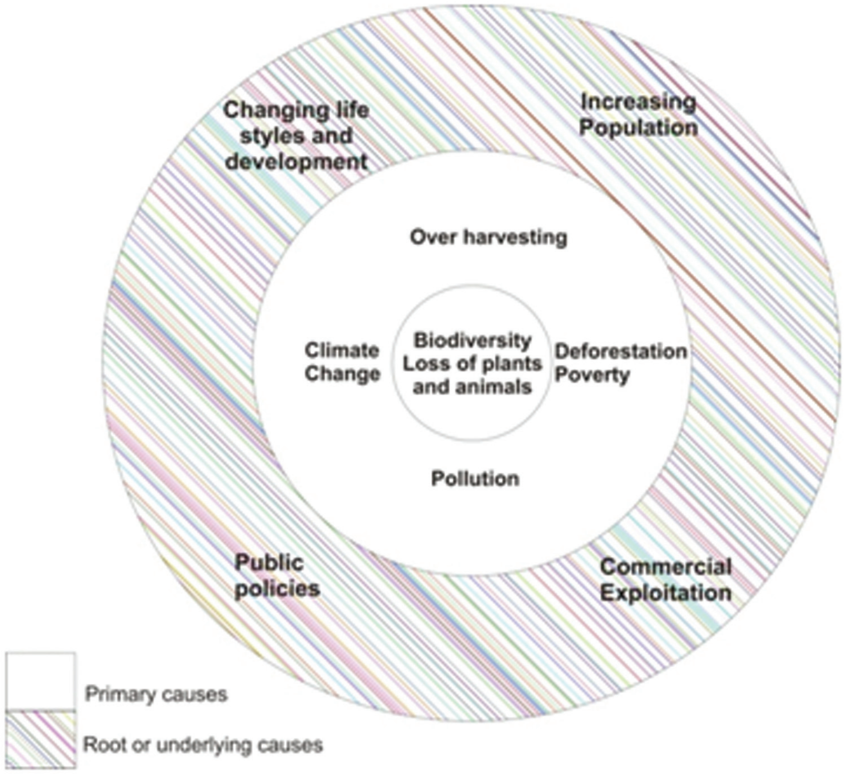

चित्र 11.2 : जैव विविधता के नुकसान के कारण

क्या आप जानते हैं

- संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2010 में जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी।
- आई.यू.सी.एन. (प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) के अनुसार 2010 में 52,017 में से लगभग 18,788 प्रजातियों विलुप्त होने की सूचना दी है। संसार की 5490 स्तनधारियों की 78 विलुप्त हो गए है, 188 गंभीर खतरे में, 540 खतरे में और कमजोर हो गए है। एम्फीबिया भी विलुप्त होने के खतरे में हैं। संसार के कुल 6,285 में 1895 मौजूद प्रजातियों का सबसे अधिक समाप्त होने की धमकी दी है।
- अलग - अलग प्रजातियों के विलुप्त होने, प्राकृतिक निवास, भूमि उपयोग रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और निम्नीकरण में ह्रास खतरनाक दर पर जारी है। क्या आपको लगता है कि विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने में उपरोक्त कारणो का कोई हाथ है?

कार्यकलाप 11.1

आप के क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं तीन पौधों, जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन कीजिए और स्थानीय निवासियों के लिए उनके महत्व को बताइए। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है।

क्र सं	पौधे	विशेषताएं	क्रसं	पशु/पक्षी	विशेषताएं
1.	नीम	यह हमें दवाई, लकड़ी, ऑक्सीजन और छाया प्रदान करती हैं।	1.	गिद्ध	मरे हुए जीवों और कचरों से पर्यावरण को मुक्त रखता है, जिससे रोगों का प्रसार नहीं होता है। कीट की संख्या को नियंत्रित रखता है, जैसे- चूहा
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		

पाठगत प्रश्न 11.1

1. जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। किसी दो कारणों से इस कथन की पुष्टि कीजिए।
2. 30 शब्दों में आकर्षण के केंद्र की व्याख्या कीजिए।

11.3 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव

हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, वनस्पति और वन्य जीवन मूल्यवान संसाधन हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधें हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। मानव और जानवरों को आश्रय देते है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते है जो हमारी साँस लेने में मदद करती है। मिट्टी का कटाव रोकने और प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, तेज पवनें रोकने और भूमिगत पानी के भंडारण में मदद करने के लिए, हमें फल देना, गिरीदार फल, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधें और कागज भी हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है। इन कुछ पौधों का असंख्य उपयोग होता है। वन्यजीव के अन्तर्गत पशु, पक्षी, कीड़े, सरीसृप के रूप में जलीय जीवन शामिल है। वे हमें दूध, मांस, खाल, और ऊन प्रदान करते हैं। मक्खियाँ हमें फूलों के परागण की सहायता से शहद प्रदान करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पक्षियों का भोजन कीड़े हैं और अपघटन रूप में अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। अपने मृत पशुओं का भोजन करने की क्षमता के कारण गिद्ध एक मेहतर है और वातावरण की एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है। सभी जीव छोटे या बड़े, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अभिन्न हैं।

11.3.1 भारत में प्राकृतिक वनस्पति

संसार के किसी अन्य भागों के रूप में, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण भी जलवायु, भौगोलिक, और मिट्टी कारकों द्वारा होता है। यदि हम चित्र 11.3 को देखें तो हम पाते हैं कि तापमान, वर्षा, और स्थलाकृतिक स्थितियों के कारकों के आधार पर, भारत की विविध वनस्पति

के वितरण नीचे संक्षेप में वर्णित है। घने प्राकृतिक वनस्पति उत्तर - पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उत्तरी मैदान और उत्तरी - पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम वनस्पति है। अधिकांश क्षेत्र पर खेती की जाती है। डेक्कन क्षेत्र पूर्ण रूप से काँटेदार झाड़ियों और पर्णपाती जंगलों से भरा है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

i) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन

ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

iii) कँटीले वन

iv) ज्वारीय वन

v) हिमालय वन

जंगल भी मानव कृत होते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। हालांकि, इस पाठ में केवल प्राकृतिक वनों को ही प्राकृतिक वनस्पति के रूप में चर्चा करेंगे।

i) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन

इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। इन पेड़ों की पत्तियाँ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं। इसलिए, वे सदाबहार वन हैं। ये वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इन घने वनों में सभी प्रकार के मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसके अन्तर्गत पेड़, झाड़ियों, लताएं जमीन पर फैलने वाले पौधे और फर्न जैसे बहुपरतीय संरचना वाले होते है। इसलिए, इन वनों का आर्थिक उपयोग स्वीकार्य नहीं है। पेड़ों की प्रजातियों की संख्या छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़ी होती है। सुगन्धित लकड़ी, आबनूस, महोगनी, रबर, जैक लकड़ी और बांस आदि महत्वपूर्ण पेड़ है जो उष्ण सदाबहार वनों में पाया जाता है। भारत में, इस प्रकार के वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते है जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीपों और असम के ऊपरी हिस्सों में। इन जंगलों की लकड़ी फर्नीचर, हस्तकला, आदि में प्रयोग किया जाता है। भूस्खलन और भूमिक्षरण को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार के गिराते हैं। यही कारण है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले है। ये वन 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ तक इस प्रकार वे वनों की भौतिक वितरण का संबंध है, वे दक्कन के पठार, उत्तर - पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। इन वनों को खेती के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति को कुछ क्षेत्र हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भाग के पर्वतीय क्षेत्रों में साथ पाए जाते हैं। वर्षा की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है।

(क) आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेमी. वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भागों, हिमालय की तलहटी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य रूप से पाए जाते है। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन और शहतूत इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ हैं।

(ख) शुष्क पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इस वनस्पति के पेड़-सागौन, साल, पीपल, और नीम किस्म की प्रजातियां हैं।

(iii) कँटीले वन

कँटीले वन 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी विशेषताएं कांटेदार पेड़ और झाड़ियां है। इस भाग की जलवायु मुख्य रूप से घने वनस्पति का समर्थन नहीं करती। वे मुख्य रूप से उत्तर - पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों सहित प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक

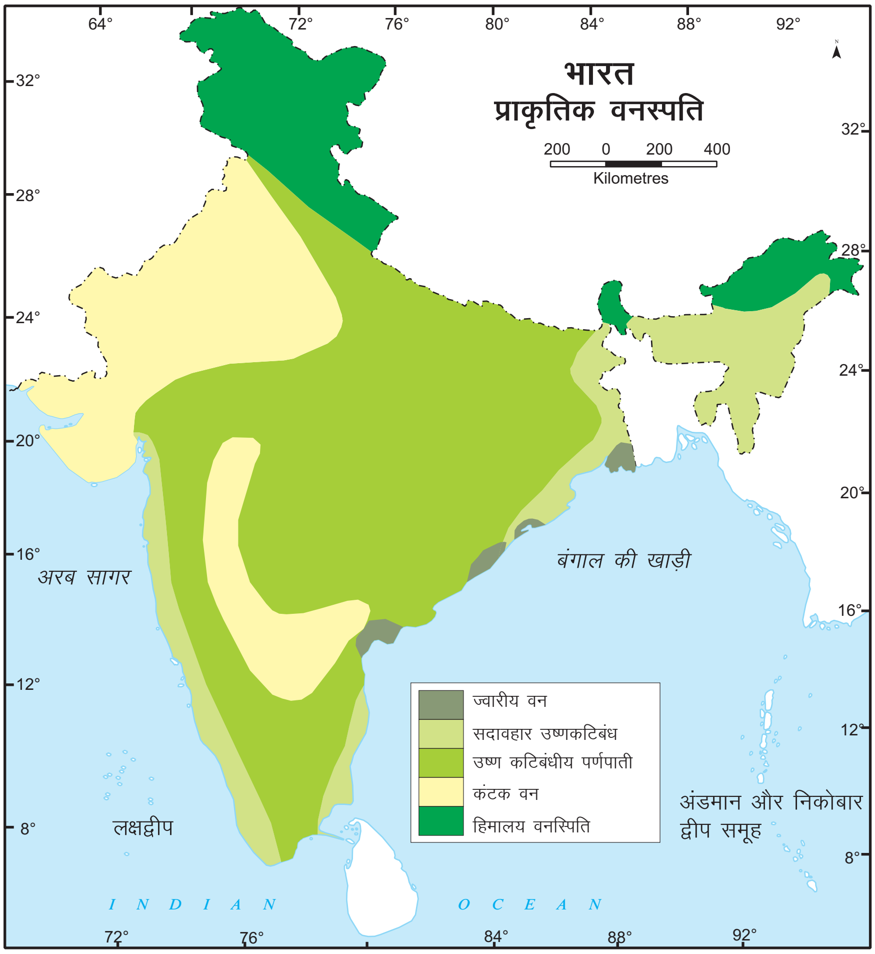

चित्र 11.3 भारत के प्राकृतिक वनस्पति

भागों में पाया जाता है। इन वनों की वनस्पति व्यापक रूप से छोटे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में गहरी जड़ों के साथ पाया जाता है। इन वनों की जड़ें जल संरक्षण में सहायक हैं। पत्तियां ज्यादातर मोटी और छोटे होने से वाष्पीकरण कम होता है। अकालिया, बबूल, कैकटी, खैर, खजूर, ताड़ के प्रकार के पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं।

(iv) ज्वारीय वन

नाम से ही साफ है, कि ये वन ज्वार और आर्द्रभूमि स्थलाकृति से प्रभावित दलदली ज्वार खाड़ियों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की विशेषताएं मिट्टी, गाद, और पानी धरातल पर जमे होते है। जड़ें और पेड़ की शाखाओं विशिष्ट अवधि के लिए जलमग्न रहते हैं। इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव व्यावहारिक रूप से मोटी पत्तियों के साथ सदाबहार रहते हैं। वनों के इस प्रकार के सुंदरवन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष सुंदरबन में अधिकांशतः पाया जाता है। जबकि ताड़, नारियल, क्योरा, और अगर अन्य महत्वपूर्ण ज्वारीय वनों की प्रजातियां हैं। यह दिलचस्प है कि इस प्रकार वन बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दोहन से दूर पाए जाते हैं। ये वन तटों के सहारे स्थित हैं। ये चक्रवात के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं।

(v) हिमालय वनस्पति

जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह वन मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तापमान के घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पहाड़ी ढालों और प्राप्त सूर्य की किरणों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक नाजुक है। हाल के दशकों में कई तरीकों से हिमालय के वनों का शोषण किया है। अपेक्षाकृत कम ऊँचाई 1000 मीटर तक गर्म जलवायु और वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में घने वनस्पति की विशेषता है। ये वन उष्णकटिबंधीय वन की तरह लगते है। इन क्षेत्रों में साल और बांस मुख्य प्रजातियां हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन ओक और चेस्ट नेट पाई जानी वाली प्रजातियां हैं। पूर्वी हिमालय में एक ही ऊँचाई उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वनों से घिरा है। एक हिस्से में आमतौर पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय में आर्द्र शीतोष्ण वन 1500 से 3500 की ऊँचाई पर 100 से 250 सेमी की वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ओक, लॉरेल, चेस्टनेट, देवदार, सीडर, सिलवर, स्प्रूस, एक प्रकार का फल आदि हिमालय पर पाया जाता है। यहाँ के वन व्यापक रूप से फर्नीचर के लिए शोषण किया जाता है। हिमालय में पायी जाने वाली वनस्पति का अंतिम प्रकार एल्पाइन वनस्पति है, जो बड़े और व्यापक उच्चभूमि चरागाह और दूर-दूर फैले पाइन, बर्च, सिल्वर, देवदार और एक प्रकार का फल के पेड़ के साथ 3000 के बीच 3800 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है।

पाठगत प्रश्न 11.2

1. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? 30 शब्दों में व्याख्या कीजिए।

2. कारण दीजिए

(क) हाल के वर्षों में पूर्वी तट के साथ ज्वारीय वन क्षेत्रों में चक्रवात के दौरान गंभीर विनाश हुआ है क्योंकि

....

....

(ख) हिमालय वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की तुलना में अधिक आर्थिक शोषण हुआ है। क्योंकि

....

....

11.3.2 भारत में वन्यजीव

आप पहले के पाठों में अध्ययन कर चुके हैं कि अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत में वन्य जीवन समृद्ध है। भारतीय वन्यजीव एक महान प्राकृतिक विरासत है। यह अनुमान है कि सभी ज्ञात पृथ्वी पर पौधे और जानवरों की प्रजातियों में 80 प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं। कई पौधे संश्लेषित पदार्थ मानव और अन्य जानवरों में स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए उपयोगी होते हैं। हाल के दशकों में, मानव अतिक्रमण के कारण भारत के वन्य जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया गया है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हमारे देश में जैविक विविधता के संरक्षण एवं बचावों के प्रयास किए जा रहे है। भारत में प्राकृतिक निवास के विशाल क्षेत्रों में संरक्षित पौधे और पक्षी के लिए 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, 96 राष्ट्रीय उद्यान, 25 झीलों और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में फैला है। इस के अलावा, यहाँ 33 बोटनिकल गार्डन, 275 प्राणी उद्यानों, हिरण पार्क, सफारी पार्क, एक्वारिया आदि अपने संबंधित क्षेत्रों में लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। भारत में, वन्य जीवन के प्राकृतिक निवास के प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य के लिए विशेष परियोजना जैसे 1973 बाघ परियोजना, 1992 में हाथी के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई है। ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए इन प्रयासों की सफलता तभी सम्भव है जब हर भारतीय जैव - विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करे।

(क) वन्यजीव अभयारण्य : वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन की व्यवहार्य आबादी और अपने वांछित वास के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है। भारत वन्यजीव अभयारण्यों, लगभग 2000 पक्षी, स्तनधारियों की 3500 प्रजातियां, कीड़ों की लगभग 30,000, पौधों के 15000 किस्मों का घर है। इन अभयारण्यों और वन क्षेत्र में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, हिम तेंदुए और साइबेरियन क्रेन की तरह कई लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों

की प्रजातियां निवास करती हैं। भारत के वन्यजीव अभयारण्य कई जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, असम में काजीरंगा भारतीय गैंडा लिए जाना जाता है, जबकि केरल में पेरियार उसके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 551 वन्यजीव अभयारण्य हैं। भारत भी कई प्रवासी पशुओं और ओलिव रिडले, समुद्री कछुए, साइबेरियन क्रेन और राजहंस की तरह पक्षियों का घर है।

(ख) नेशनल पार्क : राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन संरक्षण है जिसमें वन्य जीवों को खुला छोड़ दिया जाय और भावी पीढ़ी द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाया जाय। 1970 में भारत में केवल पांच राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में, भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण देने के लिए की गयी थी। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिनियम में सूचीबद्ध, सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्गीदृत देश के संरक्षण के क्षेत्र में कानूनी समर्थन प्रदान करना।

तालिका 11.1 राष्ट्रीय पार्कों में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति

राष्ट्रीय पार्क (वन्य जीव अभयारण्य)	दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव संरक्षण
1. दाचीग्राम (जम्मू और कश्मीर)	हंगुल, मस्क हिरण
2. कार्बेट (उत्तराखंड)	बाघ, हाथी, पैंथर, हिरण
3. दुधवा (उ.प्र.)	बाघ, हाथी
4. कान्हा (म.प्र.)	बाघ, बारासिंघा
5. बांदीपुर (कर्नाटक)	बाघ और बारासिंघा
6. परियार (केरल)	हाथी
7. भरतपुर (राजस्थान)	विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षी
8. मरुस्थलीय पार्क (राजस्थान)	मरुस्थलीय भेड, लोमड़ी
9. गिर (गुजरात)	शेर, पैंथर, चीतल
10. काजीरंगा (असम)	गैंडा, जंगली भैसे
11. मानस (असम)	हाथी, गैंडे, जंगली भैंसे
12. मिदफा (अरुणांचल प्रदेश)	बाघ, गौड़, जंगली भैंसे
13. सुन्दरवन (पश्चिमी बंगाल)	रायल बंगाल शेर

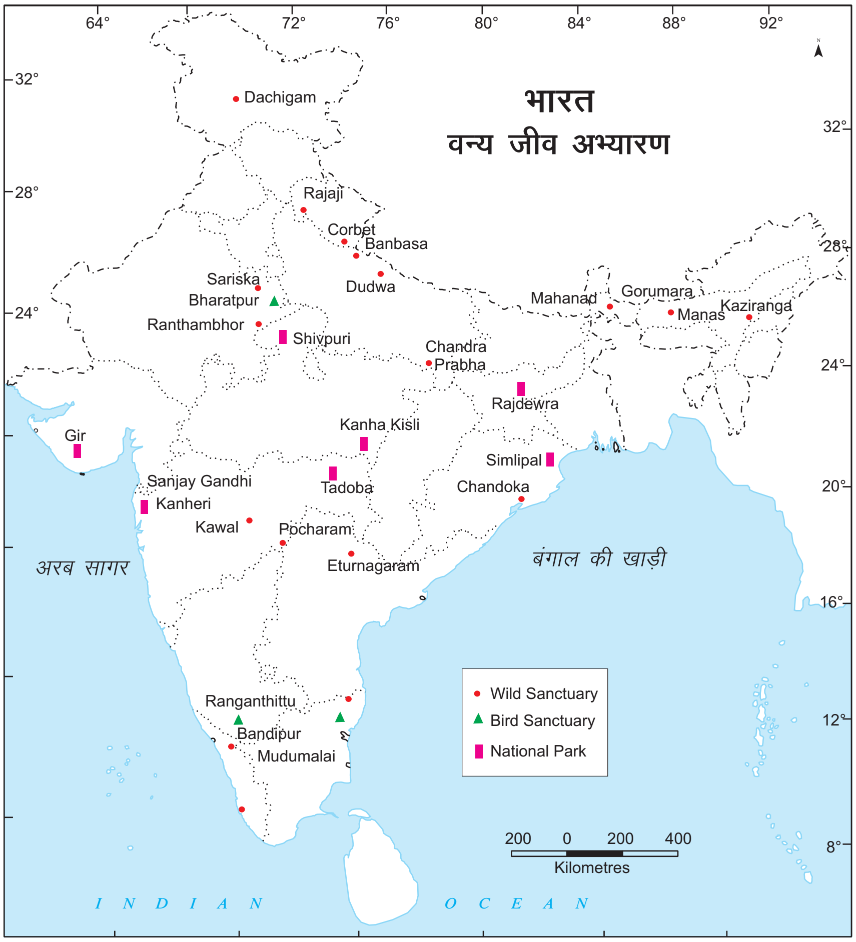

चित्र 11.4 भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा पक्षी अभयारण्य

(ग) **आर्द्रभूमियाँ :** आर्द्रभूमि भूमि की मिट्टी नमी के साथ या तो स्थायी रूप से या ऋतुओं संतृप्त के अनुसार एक क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों पानी के उथले तालाब द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है। झीलों, दलदलों, दलदल, इवहे और दूसरों के बीच में, शामिल हैं। झीलों में पाये जाने वाला खारा पानी, ताजा पानी, हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण झील भी प्राकृतिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में सेवा करता है। आर्द्रभूमियाँ जैविक रूप से पारिस्थितिकी प्रणालियों के विविध रूप में माना जाता है। पौधों का जीवन झीलों में पाया जाने वाला सदाबहार, पानी लिली, कांटेल्स, सेज, टैमेरैक, काले स्प्रूस, साइप्रस, गोंद और कई अन्य शामिल हैं। पशु जीवन में कई अलग अलग उभयचर, सरीसृप, पक्षी, कीड़े, और स्तनधारी शामिल हैं। आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके पास पानी को नियंत्रित करने और भंडारण करने की क्षमता के माध्यम से कार्बन और अनुकूलन के प्रभाव को अवशोषित करने की क्षमता के प्रभाव का बचाव है। आर्द्रभूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व या रामसर समझौता, आर्द्रभूमियाँ पर समझौता वैश्विक आर्द्रभूमि नुकसान और निम्नीकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन एक

अंतर्राष्ट्रीय संधि है। संधि का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियाँ की सूची तैयार करना और संसार की आर्द्रभूमियाँ के संरक्षण की अंतिम लक्ष्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना है। विभिन्न विधियों द्वारा आर्द्रभूमि क्षेत्रों के अधिकांश भाग को उपयोग सीमित करना और जनता को शिक्षित करके भ्रम दूर करता है कि आर्द्रभूमियाँ बरबाद भूमि नहीं है।

? क्या आप जानते है

भारत में लगभग 25 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां की पहचान किया है।

तालिका 11.2 : भारत की आर्द्रभूमियां

क्र.सं.	नाम	राज्य	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग किमी.)
1.	अष्टामुडी	केरल	614
2.	भीतरकणिका मैंग्रोव	ओडिशा	650
3.	चिल्का झील	ओडिशा	1165
4.	पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमियां	पश्चिम बंगाल	125
5.	कोल्लेरू झील	आंध्र प्रदेश	901
6.	लोकतक झील	मणिपुर	266
7.	प्वांट कालीमर	तमिलनाडु	385
8.	पोंग डैम झील	हिमाचल प्रदेश	157
9.	सांभर झील	राजस्थान	240
10.	सोमोरीरी	जम्मू और कश्मीर	120
11.	ऊपरी गंगा नहर	उत्तर प्रदेश	266
12.	विंबनाद कोल आर्द्रभूमि	केरल	1512
13.	बुलर झील	जम्मू और कश्मीर	189
14.	हारेक झील	पंजाब	41
15.	भोज आर्द्रभूमि	मध्य प्रदेश	32

(घ) जैव आरक्षित क्षेत्र

जीवमंडल सुरक्षा बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्रों के पारितंत्र प्रतिनिधि में आनुवंशिक विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जीवमंडल सुरक्षा स्थापित की है। जो कि एक बड़े प्राकृतिक निवास स्थान (एक राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य से), और प्रायः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क और/या अन्तस्थ क्षेत्र है और वे कुछ आर्थिक उपयोग करने के लिए खुले रहते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जानवरों के लिए प्रदान किया जाता है, बल्कि

यह भी मानव समुदायों के लिए भी है जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके अनुसार जीवन बिताते हैं। इन्हें स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य हैं : (क) पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता और अखंडता संरक्षण, (ख) क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए, और (ग) पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान, शिक्षा, जागरूकता, और ऐसे क्षेत्रों में जीवन जीने का प्रशिक्षण।

चित्र 11.5 : जैव आरक्षित क्षेत्र

तालिका 11.3 : जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र

क्रम	नाम	राज्य
1.	नीलगिरी	तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक
2.	मन्नार की खाड़ी	तमिलनाडु
3.	सुन्दरवन	पश्चिम बंगाल
4.	नंदा देवी	उत्तराखंड
5.	दिहांग-दिबांग	अरूणाचल प्रदेश

6.	पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश
7.	सिम्लीपल	ओडिशा
8.	अचनाक्मार अमरकंटक	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
9.	मानस	असम
10.	कंचनजंघा	सिक्किम
11.	अगस्थयमाला	केरल
12.	ग्रेट निकोबार	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह
13.	नोकरेक	मेघालय
14.	डिबरू-सिखोबा	असम
15.	कच्छ का रन	गुजरात

11.4 जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता

खंड 11.1 में हमने जीन, प्रजातियों और क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या के रूप में जैव - विविधता का वर्णन किया है। हमने यह भी सीखा है कि जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए आधार है। हम भोजन, पानी, आश्रय, और तंतु के लिए प्रकृति पर आश्रित है। ये सभी अर्न्तसंबंधित और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित है, तो जैव विविधता के अन्य घटकों पर एकाधिक प्रभाव होता है। यदि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण चाहते हैं तो हमें उसी संदर्भ में देखना होगा जैसे हम उनका दोहन करते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जीवन शैली को देखें और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। यह प्रकृति के साथ सद्भाव लाने का समय है। वनस्पति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सब देखें कि पौधे और वनस्पति हमें कैसे प्रभावित करते है।

(क) वनस्पति जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है। वनस्पति के बिना, जानवरों और कुछ सूक्ष्म जीव के लिए वास, भोजन और ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे।

(ख) पौधों की जड़ें मिट्टी तंत्र को एक साथ बाँधे रखती है और हवा में उड़ रही धूल एवं पानी द्वारा कटाव से बचाती हैं।

(ग) वनस्पति जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौधे जमीन से पानी खींच कर हवा में जलवाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से वायुमण्डल में छोड़ देते है। अतः वनस्पिति जमीन और वातावरण के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं।

(घ) वनस्पति एक प्राकृतिक बाधा है और धरातल की सतह पर पानी के प्रवाह को कम कर देती है।

(ङ) प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। हवा मे विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है।

(च) ग्रीनहाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर व संतुलन के रूप में कार्य करता है। उसके विपरीत वनस्पति के साफ करने से कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है और यही ग्रीनहाउस गैस का मुख्य कारण है।

(छ) वन्यजीव संतुलित भोजन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भूमिका पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता भी संतुलित रहती है।

(ज) अदृश्य सूक्ष्म जीव सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार और विशाल औषधीय महत्व के हैं।

अब आप महसूस कर सकते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण न केवल दुनिया अथवा राष्ट्रीय विरासत के लिए बल्कि संसार के किसी भी भाग के स्थानीय लोगों के अस्तित्व के लिए अति महत्व का है। हमे संसार के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सकारात्मक भूमिका को समझने की जरूरत है। यह जैव विविधता के संरक्षण में हमारा योगदान होगा।

जैव विविधता के संरक्षण में लोगों की भागीदारी : एक अध्ययन

पच्चीस वर्षीय राजेन्द्र सिंह अपनी नौकरी छोड़कर स्वयं को ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। चार साथियों के साथ वह एक बस में चढ़े और अलवर के निकट एक उजाड़ गांव के लिए चल पड़े। इस बार अलवर में खनिक और संग्रह करने वालों के लिए काम करने की अनुमति दे दी गई थी। वे लोग अपने जंगलों का नाश कर दिया था। इससे नदियां और नाले सूख गए। उनके खेतों में खतरनाक बाढ़ मानसून की वर्षा के साथ आने लगी। इन आपदाओं से अत्यधिक, ग्रामीण अपने जोहड़ों को छोड़ दिया और उन्हें शहरों में काम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। महिलाओं ने शुष्क भूमि पर हल्कीफुल्की फसले उगाई और कई किलोमीटर की दूरी पर दिन में पानी खोजने के लिए जाती थी। यह अलवर था जब राजेंद्र सिंह पहली बार 1985 में पहुंचे सबसे पहले वे खानाबदोश जनजातियों के साथ काम किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मुद्दों को समझने की कोशिश की।

स्थानीय गांव के बड़ों की सलाह पर उन्होंने ग्रामीणों को संगठित किया। उन्हें पुराने जोहड़ों की मरम्मत और उनकी गहराई बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी। वे ग्राम स्वावलंबन के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किए। यह हर वर्ष गर्मियों के महीनों में चालीस दिन तक सैकडों गांवों में आयोजित किया जाता है। इस अभिमान में, स्वावलंबी ग्राम, मृदा संरक्षण, उन्नत बीज, हर्बल दवा का संग्रह और श्रमदान मुख्य गतिविधियां थी। सिंह ने इन सभी गतिविधियों को समन्वित ग्रामीण पारंपरिक अनुष्ठानों के चक्र के साथ शुरू किया। 1058 गांवों में फैले 6500 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में 8600 जोहड़ों (जल संचयन संरचनाओं) के निर्माण में एक उत्प्रेरित भूमिका निभाई। इन में से 3500 जोहड़ टीबीएस द्वारा बनाया गया था। और इन समुदाय द्वारा बनाए गए जोहड़ों की सफलता को देखते हुए शेष 5100 संरचनाओं का निर्माण करने के लिए आम जनता को प्रेरित किया।

अपने दृढ़ संकल्प, दूर दृष्टि, कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से, वह अरावली पहाड़ियों के 1058 गांवों में लोगों के जीवन को बदल दिया है। वह शुष्क भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया है। घने वृक्षारोपण के द्वारा बड़े भाग को जल प्रबंधन द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य में बदल गया है। सूखी नदियों में साल भर जल का प्रवाह शुरू हो गया है। जलीय जीवन और पक्षी अभयारण्य विकसित हुई है। पशु जीवन जीवंत बन गया है। रेगिस्तान में पशु जीवन सभी ओर मुस्कुराते चेहरे के साथ जीवंत बन गया।

क्या आप जानते हैं

यहां हम प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं

सोचिये क्या हम प्रकृति से लेने के स्थान पर कुछ भी वापस देते हैं? अगर हम एक पेड़ काटे तो, हमें दो छोटे पौधे लगाने चाहिए। केवल उन उत्पादों को खरीदें जो जानवरों पर परीक्षण नहीं किया गया हो। कागज बर्बाद मत करें। कागज का उपयोग पुनर्नवीनीकरण करने की कोशिश कीजिए।

कार्यकलाप 11.2

यदि आपके राज्य में कोई भी आर्द्रभूमि है तो आपके निवास से इसकी दूरी पता लगाइए।

पाठगत प्रश्न 11.3

1. कोष्ठक में दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान को सही ढंग से भरें।
   (क) वर्तमान में .... वन्य जीवन अभयारण्य हैं (551/441)
   (ख) .... असम में भारतीय गैंडों के लिए जाना जाता है। (मानस/काजीरंगा)
   (ग) हारेक आर्द्रभूमि .... में स्थित है (पंजाब/हिमाचल प्रदेश)
   (घ) .... जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। (मन्नार की खाड़ी/पचमढ़ी)
2. आर्द्रभूमि को परिभाषित करें।

   ....

3. आप अपने आसपास के जैव विविधता की रक्षा करने के लिए किसी भी तीन प्रयासों की सूची बनाइए।
   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....

आपने क्या सीखा

- हम भाग्यशाली हैं जो हम इस तरह के महान जैव विविधता वाले ग्रह पर रहते हैं ।
- प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते, हमें इसे बचाना महत्वपूर्ण है।
- दुनिया भर में लोगों को इस अपूरणीय प्राकृतिक धन और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।
- प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जैव विविधता के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

- भारत 12 समृद्ध वन्य जीव विरासत और प्राकृतिक वनस्पति की बड़ी श्रृंखला वाले संसार के मेगा जैव विविधता के देशों में से एक है।
- यह वास्तव में महत्वपूर्ण खतरों और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानते हैं।

पाठांत प्रश्न

1. जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीवों के बीच आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए।
2. भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताओं और वितरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. भारत में नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वनों में अंतर किन्हीं दो बिन्दुओं में कीजिए।
4. भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना के लिए तीन उद्देश्य बताइए।
5. जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या हैं? किन्हीं चार कारणों को बताइए।
6. उपयुक्त कारणों के साथ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्मजीवों के संरक्षण के लिए आवश्यकता की पुष्टि कीजिए।
7. नीचे दी गयी तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीवन अभ्यारण्य	**संरक्षित जंगली जानवर**
1. काजीरंगा	1. बाघ
2. मानस	2. हाथी
3. पेरियार	3. कस्तूरी हिरण
4. कार्बेट	4. शेर
5. दाचीग्राम	5. गैंडा
6. जंगली भैंस	
7. तेंदुआ	
8. भालू	

(क) जानवर के नाम का मिलान कीजिए कि जिस राष्ट्रीय पार्क में उनकी रक्षा हो रही है?

(ख) उन जानवरों के नाम में घेरा लगाइए जिनकी किसी भी पार्क में रक्षा नहीं हो रही है।

(ग) जिस पशु को एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित रखा गया है उनका नाम लिखिए।

8. चित्र संख्या 11.3 से संबंधित प्रश्न

(क) अपने राज्य में वनस्पति के प्रकार का पता लगाइए।

(ख) किस क्षेत्र में कांटेदार वनस्पतियां है?

(ग) किन क्षेत्रों में ज्वारीय वन है और वे उन क्षेत्रों को क्यों प्रतिबंधित किया गया हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

11.1

(क) जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जो भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि सम्मिलित है और जलवायु और रोगों को नियंत्रित करता हैं।

(ख) जैव विविधता उच्चस्तर के देशज प्रजातियों का एक आर्कषण क्षेत्र है। ये प्रजातियां एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हैं।

11.2

1. इन वनों के सभी पेड़ हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। पेड़ों के पत्तों किसी विशेष मौसम में झड़ते नहीं है। इसलिए वे सदाबहार वन कहलाते हैं।
2. पूर्वी तट के साथ ज्वारीय वन चक्रवात से संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में इन वनों की बड़े पैमाने पर कटाई के कारण इन क्षेत्रों में चक्रवातों का सामना करना पड़ा जिससे गंभीर विनाश का सामना करना पड़ा।
3. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सभी प्रकार के घने और मिश्रित वनस्पति पाई जाती है और इसलिए, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है जबकि हिमालयीय वनस्पति प्रजातियों में कम घने और अस्थिर वाले वन में पाये जाते है।

11.3

1. क) 551
   ख) काजीरंगा
   ग) पंजाब
   घ) मन्नार की खाड़ी
2. आर्द्रभूमि एक ऐसा भूमि क्षेत्र है जिसकी मिट्टी नमी के साथ या तो स्थायी रूप से या मौसम संतृप्त है। ऐसे क्षेत्रों में भी पानी के उथले तालाब द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है।
3. आप अपने आसपास की जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। कुछ प्रयास इस प्रकार है

   (क) पेड़ के काटने पर रोक
   (ख) वृक्षारोपण
   (ग) सभी जानवरों की रक्षा
   (घ) घायल पक्षियों या पशुओं के लिए अस्पतालों की स्थापना
   (ङ) कचरा को न फेंकना और
   (ङ) पर्यावरण प्रदूषण को रोकना।

12

भारत में कृषि

पिछले पाठों में हमनें भारत के भूआकृति, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया है। अब, हम कृषि के बारे में अध्ययन करेगें जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में लगभग 70% लोग कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि अभी भी हमारे देश में अधिकांश लोगों को आजीविका प्रदान करती है। यह मनुष्य और अन्य जीवों की बुनियादी जरूरत को पूरा करती है। यह कई कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह बहुत अनुकूल परिस्थितियों प्रदान करता है। ये मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ मिट्टी, लंबा फसल वर्धन काल और जलवायु की विविध परिस्थितियाँ आदि। अद्वितीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत लगातार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा नविनतम प्रयास कर रहा है।

इस पाठ में हम खेती के विभिन्न प्रकार और फसल प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे और विभिन्न भौगोलिक कारकों के साथ उनके संबंध स्थापित करेंगें। इस पाठ में हम कुछ प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों का भी विवेचन करेंगे जिसे भारतीय कृषि को सामना करना पड़ता है।

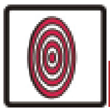

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- भारत में खेती की विभिन्न प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों एवं उनकी उपयोगिता की सूची बना सकेंगे;
- फसलों को मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे;
- भारत के रेखा-मानचित्र पर प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्रों को दर्शा सकेंगे; और
- भारतीय कृषि में किसानों को आ रही चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

12.1 भारत में खेती के प्रकार

आपको पता है कि भारत स्थलाकृति विविधताओं का देश है। आपने पहले से ही भारत के भूआकृति पाठ में इसके बारे में सीखा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम में जम्मू - कश्मीर से,

उत्तर - पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में पहाड़ी श्रृंखला भी है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सिंधु - गंगा मैदान दुनिया की सबसे बड़े मैदानी क्षेत्रों में से एक है? भारत के मध्य भाग में पठार क्षेत्र का प्रभुत्व है। भूआकृति में विविधता के अतिरिक्त भारत में जलवायु और मृदा में भी विविधता है। भारत में भौतिक विविधता के साथ-साथ अन्य कारक जैसे सिंचाई की उपलब्धता, मशीनरी का उपयोग, आधुनिक कृषि निवेश तथा बीजों का उच्च उपज किस्में (HYV), कीटनाशक आदि का विविध खेती पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खेती के कुछ प्रकारों की चर्चा निम्न है :

1. **निर्वाह और वाणिज्यिक खेती :** भारत के अधिकांश किसान निर्वाह खेती करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुद के उपभोग के लिए खेती। दूसरे शब्दों में, पूरे उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसानों और उनके परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है और बाजार में बेचने के अधिशेष नहीं होता है। इस प्रकार की खेती में, जमीन के जोत छोटे और खंडित हैं। खेती तकनीक आदिम और सरल किस्म के हैं। दूसरे शब्दों में आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर एवं खेती निवेश तथा रासायनिक उर्वरकों का पूर्णतः अभाव है। इस प्रकार की खेती में किसान ज्यादातर अनाज के साथ तेलहन, दाल और सब्जियां उगती हैं।

   वाणिज्यिक खेती निर्वाह खेती के विपरीत है। इस मामले में, उत्पादन का अधिकतर भाग धन प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है। इस प्रणाली में, किसान को सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बीज की उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करता है, भारत के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली फसलों में कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली आदि हैं। हरियाणा में चावल की खेती मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं है। तथापि भारत के पूर्वी और उत्तर - पूर्वी राज्यों में चावल की खेती निर्वाह प्रकार की है जो बड़े पैमाने पर की जाती है।

2. **गहन और विस्तृत खेती :** खेती के इन दो प्रकारों के बीच बुनियादी अंतर उत्पादन की राशि के प्रति इकाई भूमि है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और पूर्व सोवियत संघ के समशीतोष्ण क्षेत्रों की साथ तुलना में, भारत विस्तृत खेती अभ्यास नहीं करता है। जब हम खेती के लिए देश के बड़े क्षेत्र का उपयोग करें तो हम इसे विस्तृत खेती कहते हैं। यहाँ बड़ा क्षेत्र होने के कारण कुल उत्पादन ज्यादा हो सकता है परन्तु प्रति इकाई भूमि उत्पादन कम होता है। व्यापक खेती भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। गहन खेती में प्रति इकाई भूमि से उत्पादन ज्यादा अंकित किया जाता है। जापान में गहन खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां खेती के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत सीमित है। इसी प्रकार की स्थिति भारत के केरल राज्य में देखी जाती है।

3. **वृक्षारोपण खेती :** बागान खेती एक कृत्रिम और स्थापित प्रकार है। यह एक बागान है जहां एक ही नकदी फसल की बिक्री के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक ही प्रकार के नगदी फसल का उगाना एवं प्रसंस्करण सन्निहित होता है जिसे बेचने के लिए किया जाता है। चाय, कॉफी, रबर, केला, और मसाले वृक्षारोपण फसलों के उदाहरण हैं। इन फसलों में से अधिकांश भारत में 19 वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए थे।

4. **मिश्रित खेती :** यह एक स्थिति है, जिसमें फसलों को उगाना और पशुपालन दोनों साथ-साथ किया जाता है। यहाँ मिश्रित खेती में लगे किसान आर्थिक रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर

हैं। सभी वर्गीकरण खेती की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर आधारित हैं। यह कभी-कभी अंशछागिल हो सकता है। उदाहरण के लिए केले की खेती एक बागान प्रकार की है। यह व्यावसायिक खेती के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं

हरित क्रांति : भारत में यह कृषि वृद्धि के लिए एक प्रमुख तकनीकी सफलता पर आधारित है (i) अधिक उपज देने वाली किस्मों के सुधरे के बीज, (ii) सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त और आश्वासन आपूर्ति, और (iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बढ़ते एवं उपयुक्त रासायनिक उर्वरक का प्रभाव।

श्वेत क्रांति : यह दूध उत्पादन में असाधारण वृद्धि है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दूध ग्रिड का गठन, क्षेत्रीय तथा मौसमी असंतुलन का निराकरण सन्निहित है। तकनीकी आदानों में हैं (i) स्वदेशी गायों को यूरोपीय नस्ल के ज्यादा दूध देने वालों के साथ प्रजनन (ii) लंबी अवधि तक रखने के लिए दूध की पास्तुरीकरण, (iii) ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों से गुणात्मक दूध का संग्रहण और (iv) प्रशीतित परिवहन प्रणाली से दूध को सड़क और रेल मार्गों द्वारा दूर महानगरीय केंद्रों तक भेजने में मदद करता है।

नील क्रांति : यह ताजे पानी और समुद्री जल से मछली पकड़ने में बड़ी वृद्धि करने के लिए संदर्भित करता है।

पीला क्रांति : यह निरंतर और आश्वासन कुक्कुट उत्पादों की आपूर्ति करने के संदर्भ में है।

गुलाबी क्रांति : यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों में विशेष रूप से सेब की मात्रा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संदर्भित करता है।

कार्य कलाप 12.1

अपने निवास के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर एक सर्वेक्षण करें। उस क्षेत्र में किस प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। और पता लगायें, जो फसलों के प्रकार है कि विशिष्ट क्षेत्र में बड़े हो रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में अपने निष्कर्षों को रिकार्ड करें और उसके कारण दें।

फसल के नाम	राज्य	खेती के प्रकार	कारण
संकेत : सेब	हिमांचल प्रदेश	वाणिज्यिक	उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ, बाजार में उच्च मांग के लिए बड़ी मात्रा में उपज।

12.2 भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं

(क) **निर्वाह कृषि :** जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के अधिकांश भागों में निर्वाह कृषि की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि कई सौ वर्षों से की जा रही है। यह भारत के बड़े भूभाग पर आज भी किया जाता है। तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है।

(ख) **कृषि पर जनसंख्या का दबाव :** शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के बावजूद, जनसंख्या का लगभग 70% अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

(ग) **खेती का मशीनीकरण :** भारत में हरित क्रांति साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक के शुरू में जगह ले ली। हरित क्रांति कृषि मशीनरी और उपकरणों के क्षेत्र में क्रांति के चालीस से भी अधिक वर्षों के बाद, पूर्ण मशीनीकरण अभी भी दूर का सपना है।

(घ) **मानसून पर निर्भरता :** आजादी के बाद से यहाँ सिंचाई के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया गया है। बड़े पैमाने पर विस्तार के बावजूद आज कुल फसल क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही सिंचित है। परिणामस्वरूप फसली क्षेत्रों के दो तिहाई भाग अभी भी मानसून पर निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में मानसून अनिश्चित और अविश्वसनीय है। यह जलवायु में परिवर्तन के कारण और भी अविश्वसनीय हो गया है।

(ङ) **फसलों के विभिन्न प्रकार :** क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, भारत में फसलों के विभिन्न प्रकार क्यों हैं? जैसा कि पाठ के शुरुआत में उल्लेख किया गया है, भारत में जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी में विविधता है। चूंकि भारत में दोनों उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र हैं, यहाँ दोनों जलवायु की फसलें उगाई जाती हैं। दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसी विविधता पाई जाती है जैसी विविधता भारत में मिलती है। इसका अनुभव आपको तब होगा जब हम विस्तार से फसलों के विभिन्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी के लिए तालिका संख्या 12.1 देखिये।

(च) **खाद्य फसलों की प्रधानता :** चूंकि भारतीय कृषि के माध्यम से देश की बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना होता है। लगभग सर्वत्र भारत में किसानों की प्राथमिकता खाद्यान उगाने की है हालाँकि, हाल के वर्षों में खाद्यान उगाये जाने वाले भूमि के हिस्सों में कमी आई है क्योंकि अन्य वाणिज्यिक खेती से ज्यादा लाभ उन भूमि से प्राप्त हो रहा है।

(छ) **मौसमी पैटर्न :** भारत के तीन अलग - अलग कृषि/फसल मौसम है। आप खरीफ, रबी, और जायद के बारे में सुने होंगे। भारत में विशिष्ट इन तीन मौसमों में उगाई फसलों के उदाहरण के लिए चावल खरीफ फसल है, जबकि गेहूं रबी की फसल है।

पाठगत प्रश्न 12.1

1. दो-दो उदाहरण देते हुए गहन और विस्तृत खेती के बीच अंतर बताएं।

2. ऊपर पढ़े हुए मुख्य बातों के आधार पर आपके क्षेत्र में एक उपयुक्त (लागू होने वाले) तथ्य को पहचानें (उदाहरण : हरियाणा में बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत और अच्छी तरह से सिंचित कृषि है। इस तरह यह मानसून पर कम निर्भर है।)

12.3 भारत की प्रमुख फसलें

भारत में लगभग हर प्रकार की फसलें होती है। क्या आप सोच सकते हैं, क्यों? यदि हम कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के पश्चिमी तट से अरुणाचल प्रदेश के चरम उत्तर-पूर्वी भागों को ध्यान में रखें तो यहाँ सैकड़ों प्रकार की फसलें मिलती है। इन सभी प्रकार की फसलों को हम चार वर्ग में रखते है। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत मुख्य फसलों की चर्चा की जाएगीः

तालिका 12.1

क्र.सं.	फसलों के प्रकार	अर्थ	प्रमुख फसलें
1.	खाद्य फसलें	ये फसलें मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है।	चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दालें
2.	नकदी फसलें	ये फसलें शुद्ध या अर्द्ध प्रसंस्करित रूप में बेचने के लिए उगाई जाती है।	कपास, जूट, गन्ना, तम्बाकू और तिलहन
3.	वृक्षारोपण	ये फसलें वृक्षारोपण के द्वारा बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है।	चाय, कॉफी, नारियल और रबड़
4.	बागवानी फसलें	कृषि का वह भाग जो फल और सब्जियां उगाई जाती है।	फल और सब्जियां

1. खाद्य फसल

(i) **चावल :** चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह मुख्य रूप से खरीफ या गर्मी की फसल है। यह देश की कुल खेती क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग पर होता है। भारत का यह भारत की आधी आबादी से ज्यादा लोगों को भोजन प्रदान करता है। कुल आबादी का ज्यादातर लोग चावल खाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, चावल उत्पादन के लिए किस-किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि आप भारत में चावल उत्पादित क्षेत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि चावल ही एक ऐसी फसल है जो विविध परिस्थितियों में उगाई जाती है।

कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं :

(क) **तापमान :** चावल के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तापमान सामान्यतया अधिक यानी 24 डिग्री सेल्सियस औसत मासिक तापमान होना चाहिए।

साथ ही चावल की अच्छी उपज के लिए औसत तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस की बीच उत्तम है।

(ख) **वर्षा :** चावल उत्पादन के लिए 150-300 सेमी के बीच वर्ष उपयुक्त है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेमी से कम है, चावल की खेती सिंचाई की मदद से की जाती है।

(ग) **मृदा :** चावल विभिन्न प्रकार की मिट्टी परिस्थितियों में उगाया जाता है, लेकिन गहरी चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी आदर्श स्थितियां प्रदान करता है। चावल मुख्य रूप

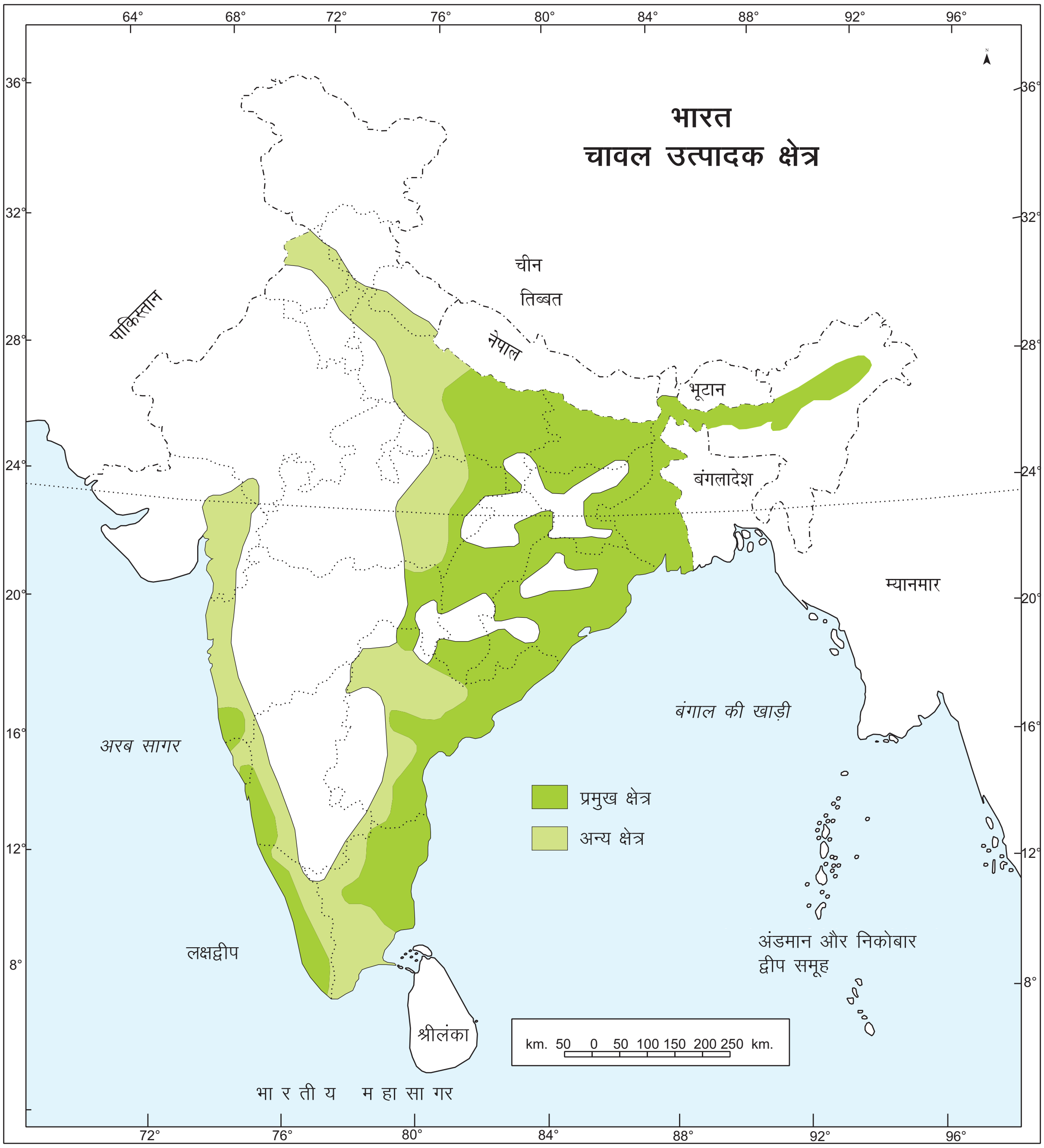

चित्र 12.1 : भारत : चावल उत्पादक क्षेत्र

से मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह समुद्रतल से भी नीचे केरल के कुहिनाद, उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी ढलानों तथा कश्मीर घाटी में उगाया जाता है।

(घ) **श्रम :** चावल की खेती के लिए आसानी से उपलब्ध सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। चावल की खेती से सम्बन्धित गतिविधियों के केन्द्र में श्रम होता है। इसकी खेती में मशीनीकरण ज्यादा उपयुक्त नहीं है।

(ङ) **वितरण :** चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। मुख्य चावल उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र हैं। यह हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और कश्मीर घाटी में उगाया जाता है।

(ii) **गेहूं :** गेहूं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान है। यह भारत में चावल के बाद रबी या सर्दियों की फसल है। यह सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है। आम तौर पर उत्तर भारत में गेहूं की बुवाई अक्टूबर - नवंबर के महीने में होती है और कटाई मार्च - अप्रैल के महीने में किया जाता है। यह विशेष रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर - पश्चिमी क्षेत्रों में लोगों का मुख्य भोजन है। चावल के विपरीत, गेहूं ज्यादातर रबी या सर्दियों की फसल के रूप में उगाया जाता है।

कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :

(क) **तापमान :** यह मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय चरागाह की फसल है। इसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय आदर्श तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने एवं कटने के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए।

(ख) **वर्षा :** लगभग 75 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूँ की फसल बहुत सफल है। गेहूँ की खेती के लिए अधिकतम वर्षा की मात्रा 100 सेमी है। आपको पता है, 100 सेमी से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। चावल की तरह ही यहाँ वर्षा की मात्रा 75 सेमी से कम है वहाँ सिंचाई द्वारा गेहूँ उगाया जा सकता है। पकने के समय हल्की वर्ष पैदावार बढ़ाने में मददगार होती है परन्तु दूसरी और पुष्पण के समय पाला और काटने के समय ओला वृष्टि गेहूँ की पैदावार को काफी कम कर देते हैं।

(ग) **मृदा :** यद्यपि गेहूँ की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर किया जा सकता है परन्तु अनुकूल जल निस्कासन वाली उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी गेहूँ के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है।

(घ) **श्रम :** गेहूं की खेती विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। यह काफी यंत्रीकृत है अतः कम श्रम की आवश्यकता होती है।

(ङ) **वितरण :** भारत में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। देश में कुल गेहूँ उत्पादन का 66 प्रतिशत से भी ज्यादा भाग केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होता है।

(iii) **बाजरा :** बाजरा कम अवधि वाला गर्म मौसम का फसल है। ये मोटे अनाज की फसल हैं और इन्हें भोजन और चारा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये खरीफ की फसलें

हैं। ये मई - अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर - नवम्बर में काटा जाता है। आज बाजरा आमतौर पर गरीब लोगों का मुख्य भोजन है। भारत में बाजरा बहुत उगाया जाता है और विभिन्न भागों में अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा, कोदों कुटकी, राका, बाउटी, राजगिरा आदि है। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है पर दुर्भाग्य से इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों की कमी बड़ी तेजी से हुई है।

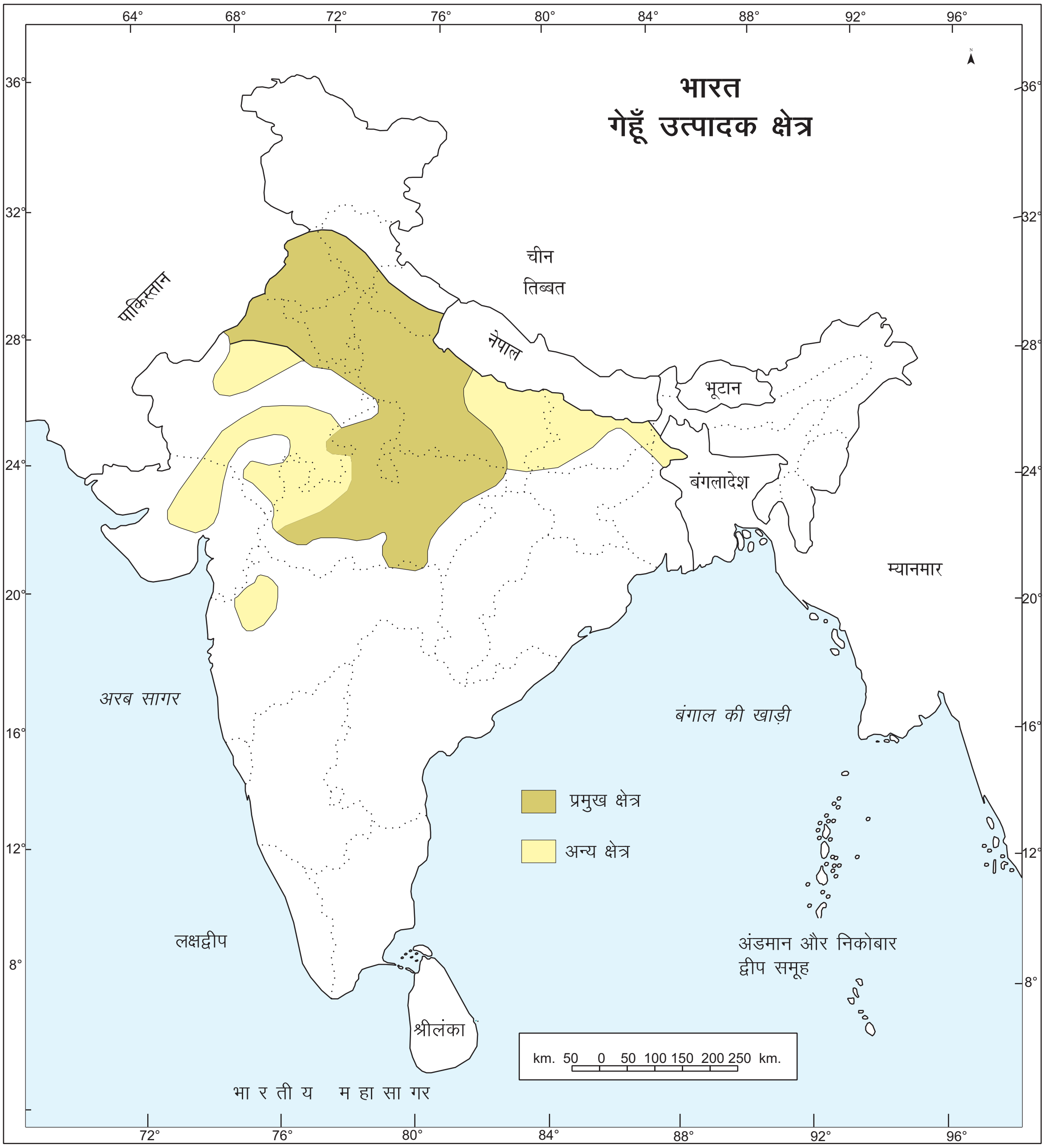

चित्र 12.2 : भारत गेहूं उत्पादन क्षेत्र

इन फसलों को उगाने के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :

(क) तापमान : ये फसलें वहां उगाई जाती हैं जहाँ उच्च तापमान होता है। यहाँ तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।

(ख) वर्षा : जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है कि बाजरा शुष्क भूमि फसल हैं। इसलिए, 50 से 100 सेमी की वर्षा बाजरा के लिए उपयुक्त है।

(ग) मृदा : मिट्टी की कमियों के प्रति बाजरा कम संवेदनशील हैं। ये निम्न जलोढ़ या चिकनी बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है।

(ग) वितरणः ज्वार बाजरा उत्तर और दक्षिण भारत में उगाया जाता है, जबकि आम तौर पर रागी दक्षिणी भारत में केंन्द्रित है। मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ज्वार-बाजरा उगाया जाता है। आम तौर पर रागी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रित है।

(iv) **दलहन :** दलहन में अनेक फसलों को रखा जाता है जो ज्यादातर फली हैं। ये भारत के शाकाहारी लोगों के लिए अमूल्य प्रोटीन प्रदान करते हैं। मांस और मछली खाने वालों की तुलना में शाकाहारियों को प्रोटीन प्राप्ति के श्रोत कम है। ये पशुओं के लिए चारा और अनाज का प्रमुख श्रोत है। इसके अतिरिक्त ये फली फसलें वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में यौगिकृत करती है। सामान्यतया अन्य फसलों से आवर्तित करके मृदा की उर्वरता को बनाएं रखा जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के दलहन पाया जाता है। ये चना, तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, कूल्फी, मटर आदि है। परन्तु इन सबों में चना और तूर या अरहर ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।

चनाः चना सभी दालों में सबसे महत्वपूर्ण है। कुल दलहनों के उत्पादन का 37 प्रतिशत भाग चने से आता है जबकि चना दालों के कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत पर चना होता है। यह रवी की फसल है जो सितंबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल के बीच काटा जाता है। यह या तो एक एकल फसल के रूप में खेती की जाती है या गेहूं, जौ, अलसी या सरसों के साथ मिलाकर खेती की जाती है।

कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं :

(क) तापमान : विस्तृत जलवायु परिस्थितियों में चना की खेती की जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हल्के शीतल जलवायु एवं शुष्क अवस्था उत्तम है।

(ख) वर्षा : 40 से 45 सेमी वर्षा चना की खेती के लिए अनुकूल है।

(ग) मृदा : यह चिकनी बलुई मिट्टी पर अच्छी उपज देता है।

(घ) वितरण : हालांकि चना देश के कई भागों में होता है। तथापि, कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग पांच राज्यों से आता है। ये राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र हैं।

क्या आप जानते हैं

1. चावल और गेहूं जलवायु संवेदनशील फसलें हैं जबकि बाजरा जलवायु प्रतिरोधी फसल हैं
2. भारत में विभिन्न प्रकार के बाजरा खाद्यान के रूप में इस्तेमाल होता रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जनसमुदाय का बड़ा हिस्सा मुख्य भोजन के रूप में चावल या गेहूं का उपयोग करता है
3. जीवन शैली में बदलाव के कारण अनेक देश व्यापी रोगों का प्रकोप बढ़ा है। आजकल विभिन्न प्रकार से बाजरा को खाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि इनमें काफी रेशेदार पदार्थ पाये जाते है। इनसे विभिन्न रोगों पर काबू पाया जा सकता है।

कार्यकलाप 12.2

1. भारत में क्षेत्रों/राज्यों का पता करें जहां चावल, गेहूं और बाजरा मुख्य भोजन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से प्रत्येक में प्रधान भोजन (चावल, गेहूँ, बाजरा) का उल्लेख करें।

राज्य	**प्रमुख भोजन**
राजस्थान	गेहूं, बाजरा
कर्नाटक	
अपके राज्य	

2. भारत के एक रेखा मानचित्र पर उन राज्यों को दो अलग-अलग छायाचित्रों से दर्शायें जहाँ गेहूँ और चावल मुख्य भोजन है।

2. नकदी फसलें

यद्यपि पाठ की शुरुआत में उल्लेख किया, नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिसे या तो शुद्ध या अर्द्ध प्रसंस्कृत रूप में बेचने के लिए उगाया जाता है। इस भाग में कुछ चुने हुए नगदी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे गन्ना, कपास और जूट, दो पेय पदार्थ-चाय और कॉफी तेल के बीज तेलहन- मूंगफली, सरसों और रेपसीड। इस भाग में हम अधिक चयनित नकदी फसल यानी गन्ना, कपास और जूट के बारे में सीखेंगे।

(i) **गन्ना :** क्या आप अपने दिनचर्या में बिना चीनी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? चीनी के बिना जीवन के बारे में सोचना असंभव है। क्या आप जानते हैं कि गन्ना बांस परिवार के अंतर्गत आता है और यह भारत के लिए स्वदेशी है? यह खरीफ फसल है। यह चीनी, गुड़, और खांडसारी का मुख्य स्रोत है। यह शराब तैयार करने के लिए कच्चे माल भी प्रदान करता है। खोई, कुचले गन्ने का अवशेष का भी कई उपयोग है। यह कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक कारगर विकल्प है। इसके अतिरिक्त अन्य रसायनिक उत्पादों का भी विकल्प के रूप में है। इसे चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

गन्ने के उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक स्थितियाँ इस प्रकार हैं :

(क) **तापमान :** इसके लिए वार्षिक औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।

(ख) **वर्षा :** गन्ना की खेती के लिए 75-150 सेमी वर्षा अनुकूल है। जहां वर्षा निर्धारित सीमा से कम है, उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है।

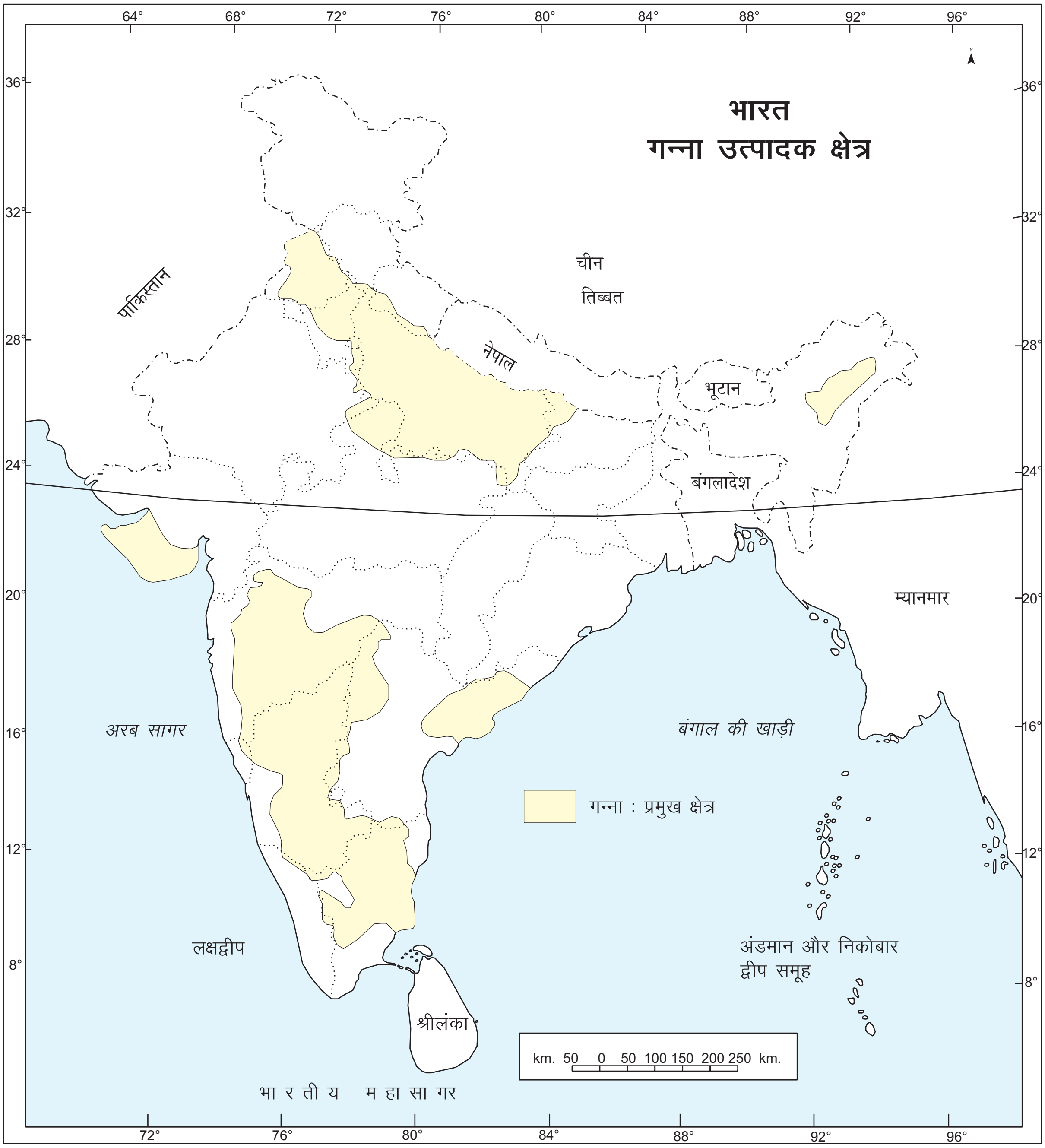

चित्र 12.3 : भारत : प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र

(ग) **मृदाः** यह विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। वास्तव में गन्ना किसी भी मृदा में हो सकता है जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता हो। लेकिन गहरी चिकनी बलुई मिट्टी इसके पैदावार के लिए आदर्श है। मिट्टी नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस में समृद्ध होना चाहिए लेकिन न तो यह अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो। समतल मैदान और चौरस पठार इसकी खेती के लिए लाभदायक है क्योंकि खेतों की सिंचाई और गन्ने की ढुलाई आसान होती है। गन्ने की खेती के लिए ज्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता है क्योंकि यह जल्दी और बड़े पैमाने पर मिट्टी की उर्वरता खींच लेता है।

(घ) **श्रम :** यह श्रम केन्द्रित खेती है और इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। हरेक अवस्था में मानव के सहयोग की आवश्यकता होती है जैसे- बुवाई, गोड़ाई, निराई, सिंचाई, कटाई तथा गन्ने के चीनी मिल तक दुलाई।

(ङ) **वितरण :** दुनिया में गन्ने की खेती के आधार पर भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जहाँ तक भारत में गन्ने की खेती के वितरण का संबंध है, देश में तीन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैंः

(चं) **सतलुज** - पंजाब से बिहार तक सतलुज-गंगा का मैदानी भाग देश के 51% गन्ना क्षेत्र तथा 60% गन्ना का उत्पादन करता है।

(इ) पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक काली मिट्टी की पट्टी।

(ब) तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी घाटी।

(ii) **कपास :** कपास न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। यह न केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, बल्कि इसके बीज वनस्पति तेल उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कपास के बीज भी बेहतर दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास मूल रूप से खरीफ फसल है और उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है।

कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं :

(क) **तापमान :** कपास उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। इसके लिए समान रूप से उच्च तापमान चाहिए जो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो।

(ख) **वर्षा :** आम तौर पर कम से कम पाला मुक्त 210 दिन वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके लिए 50 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा 50 सेमी से कम है वहां सिंचाई द्वारा सफलता पूर्वक उगाया जाता है। अच्छे कपास की उपज के लिए प्रारम्भ में उच्च वर्षा और परिपक्व होने के समय शुष्क और धूपवाला मौसम लाभदायक है।

(ग) **मृदा :** कपास की खेती बहुत बारीकी से डेक्कन और मालवा पठार की काली मिट्टी से संबंधित है। हालांकि, यह सतलुज - गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के लाल और लेटराइट जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उपजता है।

(घ) **श्रम :** कपास के चुनने के काम को अब तक यंत्रीकृत नहीं किया जा सका है, अतः कपास को चुनने के लिए सस्ते एवं कुशल मजदूर की जरूरत होती है।।

(ङ) **वितरण :** भारत में विश्व का सबसे बड़ा कपास उगाने का क्षेत्र है। तथा यह विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। देश के भीतर कुल क्षेत्रफल और उत्पादन का दो तिहाई भाग चार राज्यों से आता है। कपास उत्पादन के लिए मुख्य राज्य पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हैं।

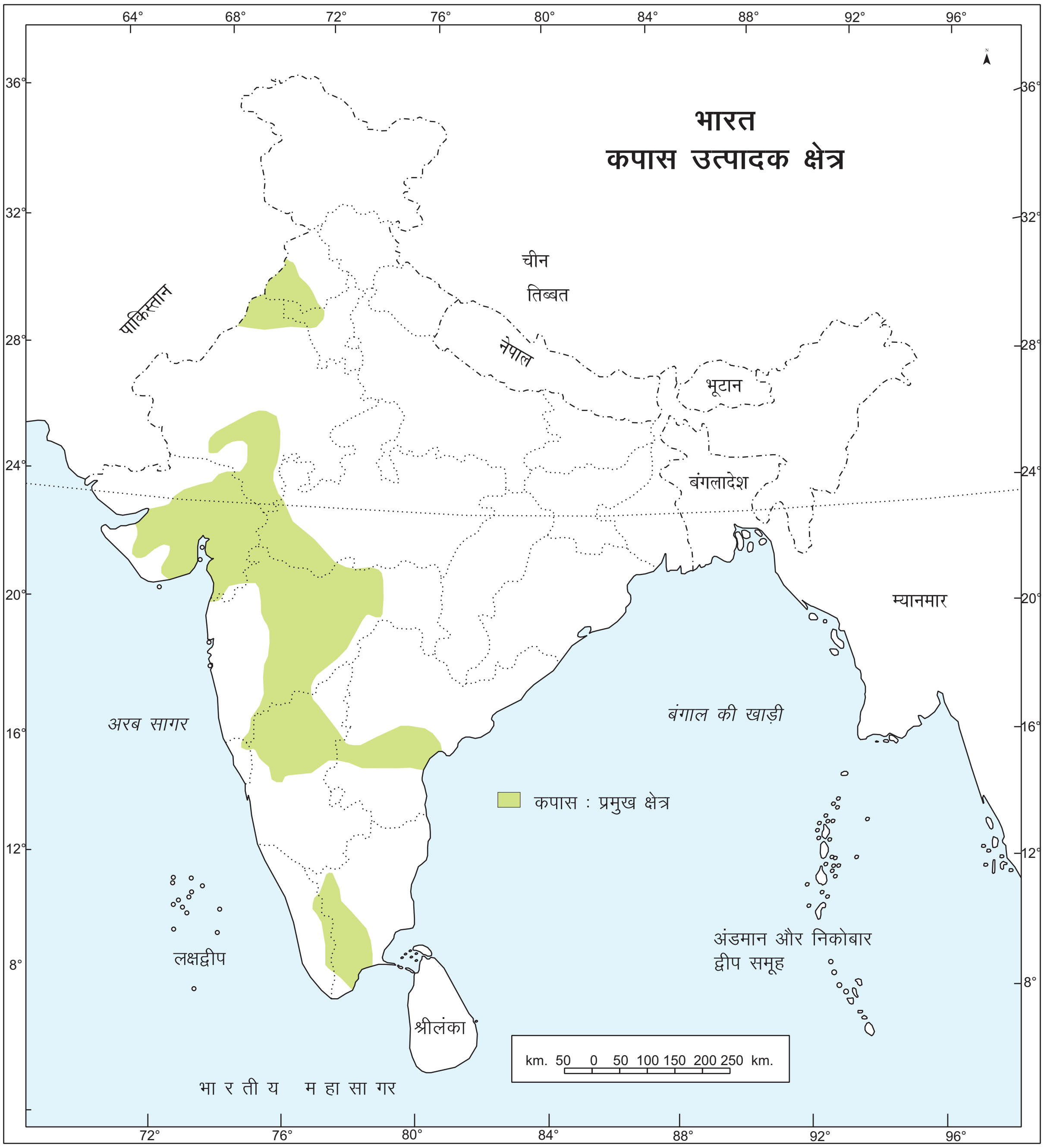

चित्र 12.4 : भारत : प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र

(ii) **तिलहन :** भारत में वाणिज्यिक फसलों के महत्वपूर्ण समूहों में से तिलहन एक है। भारत तिलहन के क्षेत्र और उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। वास्तव में, भारत की तिलहन से निकाले तेल न केवल हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है बल्कि हाइड्रोजनीकृत तेलों, पेंट, वार्निश, साबुन, चिकनाई आदि के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिलहन से तेल निकालने के बाद बचा अवशेष महत्वपूर्ण पशु आहार और खाद के रूप में इस्तेमाल होता है।

मूंगफली : यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है। मूंगफली खरीफ और रबी फसल दोनों के रूप में में उगाया जाता है लेकिन कुल क्षेत्रफल का 90-95 प्रतिशत क्षेत्र खरीफ फसल के रूप में है।

कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं :

(क) **तापमान :** उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा उपज होता है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।

(ख) **वर्षा :** 50-75 सेमी वर्षा मूंगफली की खेती के लिए अनुकूल है। यह अत्यधिक ठंढ, लंबे समय तक सूखा, लगातार बारिश और स्थिर पानी के प्रति अतिसंवेदनशील है। इसलिए पकने के समय शुष्क शीतऋतु की जरूरत होती है।

(ग) **मृदा :** इसकी खेती के लिए अच्छे निकास वाली हल्के रेतीले दोमट लाल पीली और काली मिट्टी उपयुक्त है।

(घ) **वितरण :** यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है। देश में उत्पादित कुल प्रमुख तिलहनों में से आधा भाग मूंगफली द्वारा पूरा होता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है और विश्व उत्पादन का एक तिहाई भाग भारत में होता है। भारत में प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात है। ये तीनों राज्य मिलकर भारत के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत है। अन्य 40 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा से आता है

3. वृक्षारोपण फसल

(i) **चाय :** भारत चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के चाय बागानों के बारे में सुना होगा। यह कहा जाता है कि भारत में चाय बागान अंग्रेजों द्वारा 1923 में शुरू किया गया था। उस समय उन लोगों द्वारा असम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में जंगली चाय पौधों को खोजा गया। चाय पौधों के कोमल अंकुरित पत्तों को सुखाकर तैयार की जाती है। वर्तमान में, भारत दुनिया में अग्रणी चाय उत्पादक देश है। चीन और श्रीलंका क्रमशः दूसरे और तीसरे बड़े उत्पादक देश हैं।

चाय के उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक स्थितियां इस प्रकार हैं :

(क) तापमान : इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय पौधों और पत्ती के विकास के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या 10 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है तो यह चाय की झाड़ियों और पत्तियों के विकास के लिए हानिकारक होता है।

(ख) वर्षा : जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चाय उत्पादन के लिए ज्यादा वर्षा चाहिए। वर्षा का वितरण पूरे वर्ष भर कुल मिलाकर एक जैसा होना चाहिए। लम्बा सूखा काल चाय के लिए घातक है। वार्षिक वर्षा 150 से 300 सेंमी. होनी चाहिए।

(ग) मृदा : चाय पौधे अच्छी निकास वाले गहरे, मुरमुरे चिकनी बलुई मिट्टी में बहुत बढ़ता है। यद्यपि अछूता जंगली मृदा, जो ह्यूमस और लौह तत्व युक्त हो, चाय बागानों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। चाय छाया स्नेही पौधा है और जब छायादार पेड़ के साथ लगाया जाता है तो इसका अच्छा विकास होता है।

चित्र 12.5 : भारत : चाय उत्पादन क्षेत्र

(घ) श्रम : सस्ता और कुशल मजदूर चाय उत्पादन के लिए आवश्यक है

(ङ) वितरण : असम चाय उत्पादकों में अग्रणी है और भारत के कुल चाय उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक असम में होता है। असम के चाय उत्पादक क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटियों के पहाड़ी ढ़लानों पर हैं। पश्चिम बंगाल चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक है जहां चाय ज्यादातर दार्जिलिंग, सिलिगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में उगाया जाता है। तमिलनाडु तीसरा बड़ा उत्पादक है जहां चाय ज्यादातर नीलगिरि पहाड़ियों के कुछ खास भागों में सीमित है।

(ii) **कॉफी :** क्या आप जानते हैं, भारत में कॉफी कहाँ से लाया गया? यह इथियोपिया (अबिसनिया पठार) का मूल निवासी पौधा है। इथियोपिया से यह 11 वीं सदी में अरब लाया गया था। अरब से बीज बाबा बुदन द्वारा 17 वीं सदी में कर्नाटक के बाबा बुडान पहाड़ियों पर लगाया गया। लेकिन ब्रिटिश बागान मालिकों ने गहरी रुचि लिया और बड़े कॉफी बगान के रूप में उत्पादन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थापित किया।

कॉफी के विकास के लिए कुछ भौगोलिक स्थितियाँ का इस प्रकार हैं :

(क) तापमान : इसके लिए गर्म तथा नम जलवायु चाहिए जिसमें तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। यह आम तौर पर छायादार वृक्ष के नीचे ज्यादा बेहतर उगता है। इसलिए तीव्र धूप, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, पाला और हिमवर्षा कॉफी बगान के लिए घातक है। कॉफी के फलों के प्रौढ़ होने के समय शुष्क मौसम जरूरी है।

(ख) वर्षा : कॉफी की खेती के लिए 150 से 250 सेमी वर्षा अनुकूल है।

(ग) मृदा : अच्छी निकास वाली उपजाऊ मुरमुरी चिकनी बलुई मिट्टी हो ह्यूमस, लौह और कैल्शियम जैसे खनिजों से युक्त मृदा कॉफी की खेती के लिए आदर्श होते हैं। मृदा की उर्वरता बनाए रखने एवं उसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए भरपूर खाद डालना आवश्यक हो जाता है ताकि उत्पादकता ज्यादा हो।

(घ) श्रम : चाय की तरह, कॉफी की खेती के लिए विभिन्न जरूरतों को पूरा करने हेतू सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है जैसे बुवाई, प्रतिरोपण, छंटाई, तोड़ाई, रंगाई, क्रम निर्धारण तथा कॉफी की बंधाई डब्बे भराई।

(ङ) वितरण : कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भारत में कॉफी उत्पादन के मुख्य राज्य हैं।

पाठगत प्रश्न 12.2

1. कपास की खेती के लिए किसी भी तीन भौगोलिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए।
2. अगर लगातार कई वर्षों तक कपास की खेती असफल हो जाय तो भारत एक अरब से भी ज्यादा लोगों को किस प्रकार वस्त्र उपलब्ध करा पाएगा?
3. वाणिज्यिक फसल क्यों नकदी फसल के रूप में जाना जाता है?

12.4 भारतीय कृषि के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

यदि हम भारतीय कृषि की चुनौतियों को देखें तो हम उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बाँट सकते हैं। काफी समय से चलती आ रही बहुत-सी समस्याएँ प्रथम वर्ग में आती है। दूसरे वर्ग की समस्याएँ नई है इनका जन्म प्रचलित कृषि प्रथा, प्रणाली एवं बदलते जलवायु एवं अर्थतन्त्र से सम्बन्धित है। मुख्य चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा।

1. **प्रमुख फसलें :** कुछ प्रमुख खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूँ के उत्पादन में कुछ लम्बे समय से ठहराव देखा गया है। यह स्थिति हमारे कृषि वैज्ञानिक, आयोजक और नीति-निर्माताओं के लिए चिन्ता का विषय है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन का अन्तर बड़ा होता चला जाएगा। जिस तरह की स्थिति हरित क्रान्ति से पहले रही है उस स्थिति में जाने के लिए कोई भी भारतीय नहीं चाहता है। हरित क्रान्ति से पहले की अवधि की स्थिति का पता कीजिए।

2. **खेत निवेश में उच्च लागत :** पिछले वर्षों में खेत निवेश के दर में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अन्तर्गत उर्वरक, कीटनाशक, उत्तम किस्म के बीज, कृषि श्रम लागत आदि आते हैं। इन सबों के कारण निम्न एवं मध्यम जोत वाले किसान ज्यादा घाटे में होते हैं।

3. **मृदा उर्वरता का ह्रास :** एक ओर हरित क्रान्ति भारत से भूख को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। दूसरी ओर वह नकारात्मक परिणाम भी लाई है। इसमें मृदा उर्वरता का ह्रास एक है। मृदा उर्वरता ह्रास का अभिप्राय है मृदा से पोषक तत्वों की कमी जो एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार-बार बोने से होता हैं। यह आमतौर पर वर्षा वन में होता हैं

4. **मीठा भूमिगत जल की कमी :** हरित क्रान्ति का दूसरा प्रमुख नकारात्मक परिणाम मीठा भूमिगत जल की कमी है। आपको याद होगा कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रान्ति सफल रही थी, वह रसायनिक उर्वरक और सिंचाई के उपयोग के कारण था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग कर सिंचाई के द्वारा हरित क्रान्ति को सफल बनाया गया। इन राज्यों में भूमिगत जल की स्थिति और भी भयानक है। अगर इसी प्रकार की खेती आगे आनेवाले कुछ वर्षों तक जारी रही तो इन राज्यों में जल का अकाल पड़ जाएगा।

5. **वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव :** विभिन्न चुनौतियों में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन नवीनतम है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कृषि पर इसके प्रभाव असीम होगा। 70% भारतीय लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए है। आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी की है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, अधिक तीव्र चक्रवात आएगा और वर्षा की भविष्यणवाणी असम्भव होगी। भारत के तटवर्ती भागों मे समुद्री जल प्रवेश और चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि के कारण चावल का उत्पादन प्रभावित होगा।

6. **वैश्वीकरण का प्रभाव :** भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। सभी विकासशील देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों की घटती आय और भारत में खेती की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिन्ह है। इसका मुख्य कारण लागत खर्च में वृद्धि और निर्गत किमत में कमी है। आर्थिक सहायता की कमी और किसानों की सुरक्षा का मिला-जुला प्रतिबिम्बन है। व्यापार उदारीकरण के कारण अन्य देशों के साथ किसानों की प्रतिस्पर्धा हो जाती है जबकि विकसित देशों में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।

वैश्वीकरण संस्कृति, जनता और आर्थिक गतिविधि का विश्वस्तरीय बढ़ते सम्बन्ध है। व्यवसाय या व्यक्ति/जनता की मदद के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन को आर्थिक सहायता कहते हैं। देश के किसी भी भाग में किसी भी समय किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि उदारीकरण के अन्तर्गत आती है। इसके लिए किसी भी तरह का सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिबन्ध आमतौर पर नहीं होता है।

7. **खाद्य सुरक्षा :** भारत में हरित क्रान्ति के शुरुआत से पहले, हमारे खाद्यान्न पर्याप्त नहीं थे। 1947 में भारत के विभाजन के कारण नहर सिंचाई प्रणाली, कपास की पट्टी और गेहूँ का कटोरा पश्चिम पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में चला गया। इसी प्रकार जूट की पट्टी और धान का कटोरा पूवी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में चला गया। हरित क्रान्ति के शुरुआत के साथ अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और भारत पर्याप्त अनाज पैदा करने लगा। हालाँकि, पिछले एक दशक के दौरान कुल उत्पादन स्थिर सा हो गया है। दूसरी ओर इसी अवधि में 16 से 18 करोड़ आबादी बढ़ गई है। भारत खाद्यान में आत्मनिर्भर बन गया है। इसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना है क्योंकि यह उपलब्ध पौषणिक भोजन की सुलब्धता और समर्थता पर निर्भर करता है। भारत के लिए अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बड़ी चुनौतियों में से एक है।

8. **किसानों की आत्महत्या :** हरेक आत्महत्या के अनेकों कारण होते हैं। लेकिन जब लगभग 200,000 आत्महत्या का सवाल हो तो उस बड़े समूह में कारण का पता लगाना आवश्यक है। आत्महत्या कृषि की उच्च व्यावसायीकरण और बहुत उच्च किसान ऋण के क्षेत्रों में केन्द्रित दिखाई देता है। खाद्य फसल उगाने की तुलना में नगदी फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या की चपेट में ज्यादा है। अभी भी संकट की बुनियादी अन्तर्निहित कारण अछूता है। कृषि निवेश में भारी गिरावट के साथ-साथ देश के व्यावसायीकरण के कारण आत्महत्या बढ़ी। बढ़ते हुए लागत खर्च एवं घटते कृषि आय के समय पर बैंक ऋण की वापसी आत्महत्या की समस्या को और गम्भीर व जटील बना दिया। करोड़ों लोगों का खाद्य फसल से नगदी फसल की ओर बदलाव का अपना ही जोखिम है। कई संसाधनों का निजीकरण भी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

तबाही 5 बड़े राज्यों महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कनार्टक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केन्द्रित है। 2003-08 अवधि के दौरान सभी खेत आत्महत्या के दो-तिहाई मौतें इन 5 राज्यों से है। कुछ प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से ऋणग्रस्तता, उपज की असफलता तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में ह्रास है। सामाजिक स्थिति में गिरावट, स्थानीय सरकारों द्वारा उच्च दर पर कर्ज, परिवार में पुरानी बीमारी, पीने की आदत किसानों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।

क्रियाकलाप 12.3

यदि आपको देश का राजनीतिक नेतृत्व सोंपा जाता है तो ऊपर लिखित चुनौतियों से निबटने के लिए कौन-सा उपाय अपनाएँगे? कौन से दो चुनौतियों को अपनाएँ और कैसे?

....

....

....

....

....

पाठगत प्रश्न 12.3

1. भारत में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार कृषि को प्रभावित करेगा? किसी भी दो स्थितियों का वर्णन कीजिए।

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

आपने क्या सीखा

- भारत में खेती के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रकारों तरीकों में निर्वाह और वाणिज्यिक खेती, गहन और विस्तृत खेती, बागानी और मिश्रित खेती हैं।
- भारतीय कृषि की प्रमुख विशेष निर्वाह कृषि है जो मानसून पर बहुत कुछ आधारित है। साथ ही यहाँ की खेती में विभिन्न प्रकार की फसलों के समावेश के साथ पालतू जानवरों का बड़ा योगदान है।
- भारत में प्रमुख फसलों को मोटे तौर पर चार वर्गों खाद्य फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण फसलें और फलों में विभाजित किया जा सकता है।
- भारतीय कृषि के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियाँ उत्पादन में स्थिरता, कृषि निवेश की उच्च लागत मृदा उर्वरता का ह्रास, मीठे भूमिगत जल की कमी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आत्महत्या है।

पाठान्त प्रश्न

1. भारतीय कृषि की किसी भी चार प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।
2. चावल और गेहूँ की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना कीजिए।
3. चाय और कॉफी की खेती के लिए किन्हीं चार भौगोलिक परिस्थितियों को पहचाने और लिखें।
4. भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं चार प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
5. खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को समझाइए। यह भोजन में आत्मनिर्भरता से किस तरह अलग है?
6. भारत के रेखा मानचित्र पर उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए :
   (i) दो गहन श्रम वाली फसलें
   (ii) विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली दो फसलें

पाठान्त प्रश्नों के उत्तर

12.1

1. खेती के इन दो प्रकारों के बीच बुनियादी फर्क जमीन की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ जैसे प्रमुख देशों में विस्तृत खेती प्रचलित है, जबकि जापान गहन खेती का प्रमुख उदाहरण है।
2. शिक्षार्थियों के अनुभव के अनुसार

12.2

1. (i) समान रूप से उच्च तापमान, 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो।
   (ii) यह एक साल में कम-से-कम 210 पाला मुक्त दिनों वाले क्षेत्रों में आमतौर पर होता है।
   (iii) यह 50 से 100 सेमी की वर्षा की आवश्यकता है। हालाँकि जहाँ वर्षा 50 सेमी से कम होती है, सिंचाई द्वारा कपास की खेती सफल है।
   (iv) प्रारम्भ में उच्च वर्षा और पकने के समय शुष्क और खीला धूप बहुत उपयोगी है।
   (v) कपास की खेती काली मिट्टी से सम्बन्धित है। हालाँकि, यह सतलुज और गंगा के मैदान की जलोढ मिट्टी तथा प्रायद्वीपीय भारत के लाल और लेटेराइट मिट्टी भी अच्छी उपज देती है।

(vi) कपास की चुनाई का यान्त्रिकरण नहीं हो पाया है। अतः चुनाई के लिए सस्ते एवं कुशल मजदूर की बड़ी संख्या में जरूरत होती है। (कोई तीन)

3. वाणिज्यिक फसलों को नकदी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश उत्पादन पैसे कमाने के लिए बाजार में बेचा जाता है।

12.3

1. जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, अधिक तीव्र चक्रवात, अप्रत्याशित वर्षा आदि के घटित होने की सम्भावना है। इन परिवर्तनों के कारण चावल और गेहूँ की पैदावार विपरीत ढंग से प्रभावित होगी। सर्दी के मौसम में तापमान का बढ़ना विशेष तौर पर उत्तरी भारत के गेहूँ उत्पादन को प्रभावित करेगा। तटवर्ती भागों में समुद्री जल के अन्तर्गमन और चक्रवात की बढ़ती बारम्बारता से चावल का उत्पादन भी प्रभावित होगा।

13

यातायात तथा संचार के साधन

राकेश और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहे थे। एक शाम वहां भारी वर्षा और आंधी तूफान आया था। उसकी पत्नी को गंभीर पेट दर्द हो रहा था। गांव की नर्स ने उसे नजदीकी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। चूंकि वहां संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यह संभव नहीं था कि राकेश कोई अस्पताल, डॉक्टर या एम्बुलेंस से संपर्क कर सके। राकेश ने नजदीकी अस्पताल में छोड़ने के लिए अपने मित्र से अनुरोध किया। दुर्भाग्य से उसका ट्रैक्टर कुछ सौ मीटर की दूरी से अधिक नहीं जा सका। क्योंकि सड़क टूटी हुई थी और वर्षा के पानी में जलमग्न थी। राकेश को क्या करना चाहिए? समस्या का समाधन क्या हो सकता है? यह घटना हमारे जीवन में परिवहन और संचार के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस पाठ में आप विभिन्न प्रकार के परिवहन और संचार के साधन और राष्ट्र के विकास के लिए उनके महत्व को बतलाने की योजना है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- क्षेत्र के सामाजिक - आर्थिक विकास में परिवहन और संचार के साधनों के महत्व के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- सड़कों को विभिन्न मापदंडों के आधर पर वर्गीकृत कर सकेंगे और हमारे दैनिक जीवन एवं राष्ट्र के विकास में सड़क परिवहन के महत्व एवं भूमिका को बता सकेंगे;
- भारत में रेलवे नेटवर्क के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कर सकेंगे और इस क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को जानकर क्षेत्र में उनके महत्व समझ सकेंगे;
- जल परिवहन के विभिन्न साधनों के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- बढ़ते हुए वायु परिवहन के महत्व और अनवरत बढ़ती आर्थिक महत्व की कर सकेंगे; और
- लोगों को जोड़ने और दूरी कम करने में संचार की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।

13.1 परिवहन एवं संचार – देश की जीवन रेखा

परिवहन और संचार के साधन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। क्या हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, यदि एक दिन आप को पता चलता है कि परिवहन और संचार के सभी आधुनिक साधन ईंधन की अनुपलब्धता की वजह से बंद कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आप किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

कार्यकलाप 13.1

आप समस्याओं की सूची

- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

1.3.1.1 परिवहन एवं संचार की भूमिका

उत्पादन के क्षेत्र से उपभोग के क्षेत्र तक वस्तुओं की ढुलाई में कर व्यापार और वाणिज्य में परिवहन मदद करता है। वस्तु के आधिक्य वाले क्षेत्र से वस्तु के अभाव वाले क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाता है। लोगों का भ्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिक्षा, नौकरी की तलाश या आकस्मिक कार्यों के लिए परिवहन ही माध्यम है। संचार हमें संसार की घटनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में सूचित करता है। यह लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होती है।

13.2 यातायात के साधान

लोगों के वृद्धि और विकास के लिए देश निम्नलिखित परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है :

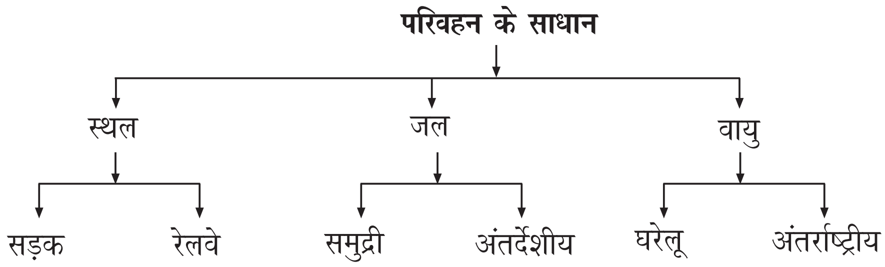

13.2.1 स्थल परिवहन

स्थल परिवहन को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट सकते हैं –

1. सड़क मार्ग 2. रेल मार्ग

1. सड़क मार्ग

चित्र 13.1 देखिए। इन चित्रों के आधार पर क्या आप कल्पना कर सकते है कि प्राचीन काल से आधुनिक समय तक हमारे परिवहन में क्या बदलाव आया है? मान लें, आपको अपने मित्र के घर जाना है, जो आपके घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है जिसका घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है। एक ग्रामीण व्यक्ति को गांव से शहर आने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। निश्चित रूप से सड़क का प्रयोग करेंगे।

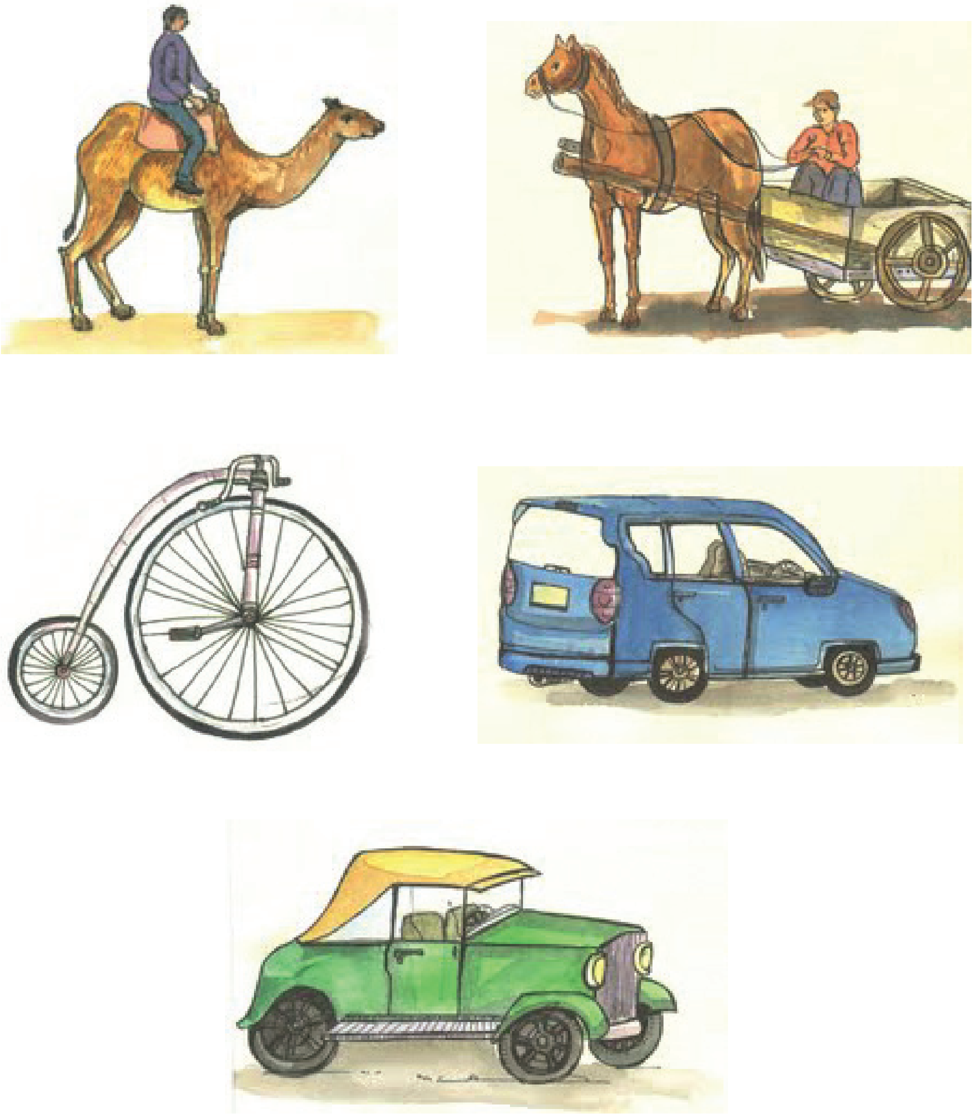

चित्र 13.1 परिवहन के साधन

अब सभी समझ चुके है कि अधिकांश सड़कें सामान्य रूप से परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सड़कें लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को निश्चित करती हैं जैसा कि नीचे दिया गया है –

- सड़कें रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर या ट्रक के माध्यम से घर-घर जाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं।
- सड़क निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव की लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम है।
- यह कुछ लोगों के लिए और कम दूरी पर माल की ढ़लाई के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का साधन हैं।
- इन सड़कों के माध्यम हम रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, और समुद्री पत्तनों तक पहुंचते है।
- दूध, फल और सब्जियां जैसे खराब होने वाला माल जल्दी से शहर या महानगर सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता है।
- सड़कें ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्रों से जोड़ती है। साथ ही सभी प्रकार के धरातल पर इनका निर्माण किया जा सकता है जैसे पहाड़ी रेगिस्तान, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र।

सड़कों का वर्गीकरण

क्या आपको एक ही प्रकार की सड़कें हर जगह मिलती हैं? कतई नहीं! कुछ सड़कें कच्ची, पक्की, संकीर्ण या व्यापक हो सकती है। सड़कों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है –

क) निर्माण के लिए सामग्री प्रयोग के आधार पर

ख) निर्माण कार्य और रखरखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पर

क) निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री प्रयोग

कच्ची एवं पक्की सड़कों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पक्की सड़कें आमतौर पर ईंट, कंक्रीट, सीमेंट और तारकोल के द्वारा बनाई जाती हैं। अन्य पक्की सड़कें रेत, मिट्टी और पुआल से बनाई जाती हैं।

कार्यकलाप 13.2

सड़कों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की पहचान कीजिए :

पक्की सड़कें (पक्का सड़क)	कच्ची सड़कें (कच्चा सड़क)

ख) निर्माण कार्य एवं रखरखाव करने वाले प्राधिकरण

क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि इन सड़कों का निर्माण किसने किया और वे धन कहां से प्राप्त किये? जनता के द्वारा करों के रूप में किसने भुगतान किए गये पैसों से इनका निर्माण हुआ है। अच्छे प्रबंधन और सड़कों के संतुलित विकास के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है।

- ग्रामीण सड़कों का विकास केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' द्वारा किए जाते हैं। ये गांव से गांव और गांव को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सड़कों से जोड़ते

चित्र 13.2 भारत : स्वर्णिम चतुर्भुज

हैं। भारत में कुल सड़कों की लंबाई में लगभग 80 प्रतिशल ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है।

- जिला परिषद सड़कों को जिले के अन्य शहरों और कस्बों के साथ जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। ये जिला सड़कें भारत में कुल लंबाई का 14 प्रतिशत है।
- राज्य लोक निर्माण विभाग (एस.पी.डब्ल्यू.डी.) सड़कों का निर्माण और रख-रखाव करता है। यह राज्य राजमार्ग, जिला मुख्यालयों के साथ राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। ये देश में कुल सड़कों की लंबाई का 1 प्रतिशत है।

चित्र 13.3 भारत : उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारा

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) का निर्माण और रखरखाव करता है। यह महत्वपूर्ण सड़कें भारत के विभिन्न भागों को मुख्य शहरों को राज्य और राजधानियों से जोड़ता है। ये कुल सड़कों की लंबाई का केवल 2 प्रतिशत है, लेकिन सड़क यातायात का 40 प्रतिशत आवागमन इनसे होता है।

- सरकार ने एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना शुरू की है जो उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ता है। इससे समय और ईंधन की बचत हागी। इससे भारत के बहुत बड़े शहरों के बीच यातायात के तेज प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रमुख वृहत राजमार्ग हैं –

  क) स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह है।

  ख) उत्तर - दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है।

  ग) पूर्व - पश्चिम गलियारा जो पश्चिम में पोरबंदर से पूर्व में सिलचर से जुड़ा हुआ है।

- देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क का निर्माण और आपातकाल के समय रक्षाकर्मियों की जरूरत और अन्य समान का परिवहन आसान होता है। इसके साथ ही वहां रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचता है। इसका निर्माण और रखऋरखाव सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाता है।

क्या आप जानते है

भारत में सबसे पुराना और सबसे लंबा सड़क गंगा के मैदान में उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया था। यह वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 (अमृतसर से दिल्ली) और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (दिल्ली से कोलकाता) में बांटा गया है। आज भारत में 330 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल है जबकि 1947 में यह केवल 4 लाख किलोमीटर था।

कार्यकलाप 13.3

(चित्र संख्या 13.1 और 13.2) मानचित्रों को देखिए और पता कीजिए कि कौन-सा प्रमुख मार्ग आपके घर के पास है और कौन सा संगठन इसका रख-रखाव करता है।

2. रेलवे

"यह अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए यह सरल तरीका बन गया है और यहां कोई सख्त सजा भी नहीं होती।" अखबार पढ़ते हुए अनू के पिताजी ने कहा। अनू ने पूछा, पिताजी क्या

हुआ? पिताजी ने कहा ''कोई नई बात नहीं है, प्रदर्शनकारी के एक समूह ने रेलवे पटरी को अवरुद्ध किया है। उनलोगों ने गाड़ियों को बंद कर दिया और आगरा-दिल्ली मार्ग पर दो बोगी जला दी है।'' अनू ने पिताजी से पूछा, आप इतना परेशान क्यों हैं? पिताजी ने कहा है कि ''आप नहीं जानते कि हजारों लोगों के कई वर्षों के प्रयास से लाखों रुपये खर्च करके रेल की पटरियां एवं रेलवे के डिब्बे का निर्माण किया गया है। यह हमारी सुविधा, यात्रियों एवं सामान के तीव्र परिवहन के लिए है। केवल यही नहीं, यह यात्रियों के लाखों रुपय की हानि का कारण है और व्यापार को प्रभावित करता है।'' अनु को रेलवे के महत्व का एहसास हो गया है जैसा कि नीचे वर्णित है –

- यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जिसके द्वारा हजारों लोगों के साथ शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थल देखने या दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के उद्देश्य से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों यात्री एक साथ यात्रा करते हैं।
- सभी आय वर्ग के लोग रेलवे से यात्रा कर सकते हैं इनमें साधारण, शयनयान और एसी कुर्सीयान कार' की तरह विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं।
- कोई भी शयनयान डिब्बे बर्थ और शौचालय की सुविधा के साथ एक आरामदायक रात की यात्रा कर सकता है।
- यह देश के कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल से उद्योगों तक और उद्योगों से खपत के क्षेत्रों तक जैसे भारी वस्तुओं की सबसे बड़ी मात्रा में परिवहन करता है।

यही कारण है कि देश में इस महत्वपूर्ण संसाधन को बनाए रखने में हम सभी को सहयता करनी चाहिए। रेलवे माल ढुलाई और यात्रियों के आगमन की सुविधा दोनों ही प्रदान करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है।

क्या आप जानते हैं

'भारतीय रेल 1853 में मुंबई से ठाणे' 34 किमी की दूरी के बीच शुरू की गई थी। वर्तमान में, भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और 64,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ संसार में चौथा बड़ा है।

यह सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें 16 करोड़ लोग कार्यरत है और इसके लिए अलग बजट प्रस्तुत किया जाता है।

अच्छे प्रशासन और प्रबंधन के लिए इसे 16 क्षेत्रों में बांटा गया है।

जब अनु और उसके पिताजी रेलवे की महत्व के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उनकी एक सहेली जिया उनके घर आई। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ रही थी। जबकि उसकी मातृभूमि

सिक्किम थी। जिया ने तार्किक रूप से समझा और उसके मन में प्रश्न था कि सिक्किम देश के दूसरे भागों के साथ कभी नहीं क्यों जुड़ा। अंकल, मेरे राज्य में रेलवे लाइन कम क्यों है? जबकि अन्य राज्यों में रेलवे का अच्छा नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि रेलवे के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार है –

- रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल और महंगा है जबकि समतल भूमि के क्षेत्रों में इसे आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारत में गंगा के मैदान में घने रेलवे नेटवर्क हैं जबकि रेगिस्तान, पहाड़ियों, दलदली क्षेत्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, घने जंगल, रैपिड्स और नदियों के क्षेत्रों में ज्यादा विकसित नहीं किया जा सकता।

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य रेलवे से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं क्योंकि इन राज्यों की स्थिति मैदानी इलाकों में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इन क्षेत्रों में अनाज का भंडार और यहां अधिक उगाई जाने वाली फसलों को रेलवे के माध्यम देश के अन्य भागों में लाया जाता है।

- जहां खनन और उद्योगों का विकास अधिक हुआ है वहां वस्तुओं को आसानी से परिवहन के लिए रेलवे की अच्छी सुविधाएं है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है, रेलवे के निर्माण की लागत की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर कम रेलवे नेटवर्क है।

- जो क्षेत्र घनी आबादी वाले है, वहां अधिक आना-जाना होगा और वे निश्चित रूप से रेलवे से जुड़ा है।

- शहरी क्षेत्रों या बड़े शहरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग आदि को अधिक आकर्षित किया है और वहां पर लोगों को आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक है।

अनू के पिता ने हंसते हुए कहा कि ''ऐसा नहीं है। देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के महत्व के प्रति सरकार जागरूक है। यह प्राथमिकता से किया जा रहा है।'' जिया को समझ आया कि कोई भी संसार के किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है।

भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी उन्नति

देश के उत्तर से दक्षिण को सीधे रेल सेवा उपलब्ध हैं (अर्थात् जम्मू से कन्या कुमारी) 71 घंटे में 3751 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। सुविधाएं प्रथम वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित, तृतीय वातानुकूलित, तृतीय वातानुकूलित, कुर्सीयान वातानुकूलित, द्वितीय रेणी शयनयान और सामान्य वर्ग में यात्रा करने के लिए विभिन्न आर्थिक तबके के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं। डीजल और विद्युत लोकोमोटिव बड़ी लाइन पर उपयोग करके प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान की जाती है। यात्रियों को घर से आसानी से इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग की सुविधा ले सकते हैं माल से लदे ट्रकों को सीधे उपभोक्ताओं या कारखानों विशेष रेल डिब्बों में दिया जाता है।

कार्यकलाप 13.4

नीचे दिए गए ग्रिड में प्रमुख रेलवे जोन के मुख्यालय को खोजिए –

प	ओ	र	ई	त	स	मु
यू	प	न	क	ज	ओ	म्
क	ल	म	त	रे	प	ब
क्	प	व	अ	इ	फ	ई
को	ल	का	ता	आ	ता	आ
ज	भ	इ	प	ए	न	प
चै	न्	न	ई	र	त	व
त	क	ल	ग	क	दि	फ
ज	फ	र	श्र	फ	ल्	म
इ	त	च	छ	ख	ल	न
न	पु	र	ट	ठ	ी	म

पाठगत प्रश्न 13.1

1. निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए –

   (क) देश के पूर्व - परिचम गलियारे .... और .... के रूप .... में स्थित है।

   (ख) प्रमुख राजमार्ग चार मेट्रों शहरों को जोड़ने .... के रूप में जाना जाता है और यह ....।

2. (अ) रेलवे के घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की व्याख्या कीजिए।

   (ब) सड़क और रेल परिवहन के प्रत्येक के दो फायदे और दो नुकसान की पहचान कीजिए।

3. ''भारत के कुछ राज्यों में अच्छे रेलवे नेटवर्क का अभाव है'' 30 शब्दों में इस कथन की पुष्टि कीजिए।

क्रियाकलाप 13.5

अपने परिवार को नीचे दिए गए रेलवे के आरक्षण फार्म को दिखाइए। नीचे दिए कालम के महत्व और उसके अर्थ पर चर्चा कीजिए और इसे भरने का प्रयास कीजिए –

(i) मेडिकल परामर्शदाता (ii) वरिष्ठ नागरिक

(iii) सीटों का चुनाव (iv) कुछ ट्रेनों में खाने की उपलब्धता

———— रेलवे सी.एम. 257

आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र

यदि आप डाक्टर हैं तो कृपया खाने में सही (√) का निशान लगाएं। (आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है) डा. [ ]

यदि आप गर्भवती हैं और महिला कोटे के अन्तर्गत शायिका आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया बॉक्स में सही (√) का निशान लगाएं एवं रजि. डा. का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। [ ]

यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो बॉक्स में 'हां'/'नहीं' लिखें। (यदि हां, तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अन्तर्गत दंड से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण साथ रखें)। [ ]

यदि आप अपग्रेडेशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो बाक्स में 'नहीं' लिखें। (यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वत: अपग्रेड किया जा सकता है) [ ]

गाड़ी सं. और नाम ________ यात्रा की तारीख ________

श्रेणी ________ शायिकाओं/सीटों की सं. ________

________ स्टेशन से ________ स्टेशन तक

यात्रा आरम्भ करने का स्टेशन ________ स्टेशन तक आरक्षण

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में (15 अक्षरों से अधिक न हों)	लिंग पु./स्त्री.	आयु	रियायत/यात्रा प्राधिकार सं.	विशेष मांग यदि कोई हो
1.					निचली/ऊपरी शायिका शाकाहारी/मांसाहारी भोजन (केवल राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस के लिए)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

5 साल से कम आयु के बच्चे (जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं)

क्रम संख्या	नाम स्पष्ट अक्षरों में	लिंग पु./स्त्री.	आयु
1.			
2.			

आगे की/वापसी यात्रा का विवरण

गाड़ी सं. और नाम ________ तारीख ________

________ श्रेणी ________ स्टेशन से ________ स्टेशन तक

आवेदक का ________

पूरा पता ________

____

आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं., यदि हो ________ तारीख ________ समय ________

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

मांग पत्र की क्रम सं. ________ पी.एन.आर. सं. ________

शायिका/सीट सं. ________ वसूल की गई राशि ________

आरक्षण लिपिक के हस्ता.

नोट : 1. एक मांग-पत्र में अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं। 2. एक व्यक्ति केवल एक ही बार मांग-पत्र दे सकता है। 3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपनी टिकट और शेष राशि की जांच कर लें। 4. ठीक ढंग से न भरे गए या, अपाठ्य मांग-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 5. विशेष मांग पर केवल स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा। 6. एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों को अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकट्ठे भी स्थान दिया जा सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है। 7. गर्भवती महिला, महिला कोटे के अन्तर्गत आरक्षण निचली शायिका के लिए मांगपत्र में उचित स्थान पर सही (√) का निशान लगाएं [illegible]

13.2.2 जल परिवहन

क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग प्राचीन काल में नदियों के निकट निचले भाग में बसे? कैसे दूर भूमि से कारोबार संभव हुआ था? हां, यह नदियों और समुद्र के माध्यम से किया गया था। पुराने दिनों से अब तक जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि–

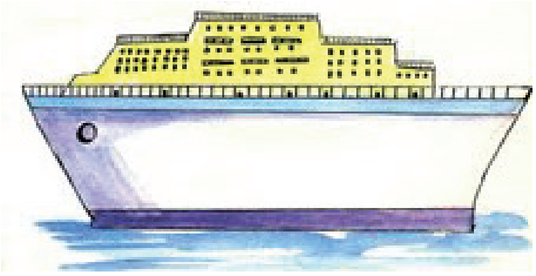

चित्र 13.4 परिवहन के साधन

- परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह सबसे सस्ता है क्योंकि इसमें कोई भी निर्माण या रख-रखाव पर अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है।
- यह माध्यम बड़ी और भारी माल परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। एक जहाज पर एक समय में लाखों टन माल को ले जाया जा सकते हैं।
- यह पेट्रोलियम के लिए अच्छा परिवहन है और अपने उत्पादों के रूप में महाद्वीपों के पार स्थानान्तरण शामिल है। भारत में पेट्रोलियम जमा की कमी है और यह सबसे अधिक मध्य पूर्व देशों से आयात किया जाता है।
- परिवहन के साधनों में ईंधन की बचत और पर्यावरणीय मित्र के रूप में भी है।

जल मार्ग को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है – क्या आप उन्हें जानते हैं? पता लगाइए क्यों उसे अंतर्देशीय जलमार्ग और महासागर मार्ग कहा जाता है?

1. **अंतर्देशीय जलमार्ग :** भारत अंतर्देशीय नौगम्य जलमार्ग की लम्बाई 14,500 किलोमीटर है जिसमें नहरें, नदियां, बैक वॉटर्स और संकीर्ण खाड़ियां आदि शामिल हैं। लेकिन नदी नौगम्य मार्ग की कुल लंबाई के केवल 3700 किलोमीटर उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में मशीनी नौकाओं के लिए उपयुक्त है। राजमार्गों पर यातायात का भसार कम करने में अंतर्देशीय जलमार्ग का अच्छा नेटवर्क अहम भूमिका निभाता है। यह भी वस्तुओं के परिवहन में सहयोग करता है।

   भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था और देश में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन करता है। निम्नलिखित तीन जलमार्ग को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है–

   राष्ट्रीय जलमार्ग-1 उत्तर प्रदेश में गंगा नदी (1620 किलोमीटर) इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक

   राष्ट्रीय जलमार्ग-2 ब्रह्मपुत्र नदी में असम में सादिया से धुबरी तक (891 किलोमीटर)

   राष्ट्रीय जलमार्ग-3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम् तक (205 किलोमीटर)

2. **समुद्रीय जलमार्ग :** यदि आप भारत के मानचित्र पर देखेगे तो आप पाएंगे कि भारत तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में धिरे हुए 7516 किलोमीटर लम्बी की तट रेखा है। 1946 में भारत 1,27,083 टन क्षमता के साथ केवल 49 जहाज थे। आजादी के बाद, सरकार ने 2004 में विभिन्न आकार वाले 616 जहाजों की खरीद से 7,00,000 टन क्षमता जहाज खरीदा गया।

चित्र 13.5 : भारत के प्रमुख बंदरगाह

भारतीय समुद्र जलमार्ग की दो श्रेणियां है :

(अ) तटीय नौवहन : देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। नेविगेशन कंपनियां 100 जहाजों से 12 प्रमुख बंदरगाहों और 189 छोटे और मध्यम वर्ग के बंदरगाहों के माध्यम से तटीय जलमार्ग द्वारा माल के लगभग 7 लाख टन माल को ढोने में व्यस्त है।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय नौवहन : भारत के नौवहन की क्षमता का अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में है। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनिशया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से पूर्वी तट के बंदरगाहों के माध्यम से और पश्चिमी तट के बंदरगाहों से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के लिए निर्यात और आयात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

पाठगत प्रश्न 13.2

1. (अ) नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से तालिका को पूरा कीजिए :

बंदरगाह	राज्य	तट
मुंबई	महाराष्ट्र	पश्चिमी

(ब) उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां बंदरगाह नहीं है। उसके लिए एक कारण दीजिए।

13.2.3 वायुमार्ग

क्या आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते है? वायुमार्ग द्वारा बिना किसी रूकावट के आप शीघ्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारे आधुनिक हवाई जहाज को 1903 में राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया था। भारत में हवाई परिवहन 1911 में शुरू हुआ। आज यह सड़क और रेलवे परिवहन की तरह एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। भारत में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधाएं उपलब्ध है। दोनों सुविधाओं के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू वायुमार्ग है। आधुनिक युग में इसके महत्व पर हम सब चर्चा करें –

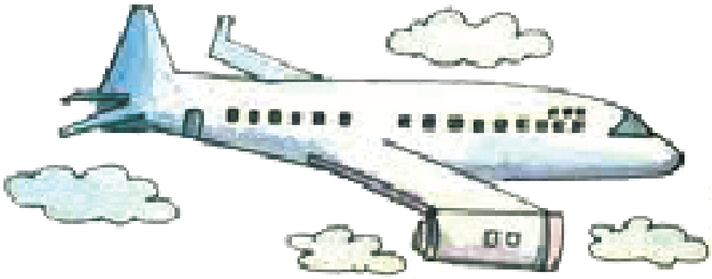

चित्र 13.6 : हवाई परिवहन

- हवाई परिवहन के द्वारा संसार एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है। यह परिवहन का सबसे तेज साधन है और कुछ घंटों में गंतव्य स्थान की सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तया की जा सकती है।
- यह दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों, दलदली भूमि या बाढ़ क्षेत्रों के रूप में किसी भी अवरोध से मुक्त है।
- यह राष्ट्रीय रक्षा में अपनी उपयोगिता के कारण सबसे महत्वपूर्ण है।
- पृथ्वी को एक वैश्विक गांव बनाने में विभिन्न महाद्वीपों के देशों को यह जोड़ता है।
- यह समय सीमा में महंगी दवाइयां, अत्याधुनिक मशीनों, फल, सब्जियों या उच्च मूल्य के सामान के लिए यह परिवहन उपयुक्त है।
- यह प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा में लोगों को बचाने या उनकी जरूरतों का सामान तुरंत आपूर्ति के लिए भी बहुत उपयोगी है।

यात्रा की उच्च लागत ही एक मात्र कमी है। यही कारण है कि यह अभी भी साधारण व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। पिछले कुछ वर्षो में हवाई परिवहन के प्रयोग में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में हवाई परिवहन सेवाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

13.2.4 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं सरकार और प्राइवेट द्वारा प्रदान की जाती हैं। पवनहंस हेलीकाप्टर लिमिटेड (सरकारी उपक्रम) यह कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन ऑयल और देश के पूर्वोत्तर भाग में हवाई परिवहन प्रदान करता है।

पाठगत प्रश्न 13.3

1. किस राज्य में एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है?
2. उन दो राज्यों के नाम लिखिए जहां पर कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है।
3. आपके घर से सबसे निकट अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डा कौन है?

13.3 संचार और इसके महत्व

आपकी बहन की शादी तय हो गयी है और आप अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को शादी में उपस्थित देखना चाहते हैं। आप उनको कैसे सूचित करना चाहेंगे? अचानक, आपके दादा को दिल का दौरा पड़ता है और आपके पिता श्री अपने कार्यालय में है, आप उन्हें कैसे तुरंत सूचित करेंगे? आपको जापान में सुनामी के बारे में कैसे पता चला या मिस्र की घटना के बारे में, जहां पर लाखों लोगों ने अपने राष्ट्रपति का विरुद्ध विरोध कर रहे थे। उपरोक्त स्थितियों

चित्र 13.7 : प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

के लिए आपकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी कि दैनिक जीवन में संचार का महत्व, इसकी आवश्यकता और इसके विभिन्न साधन है। इस प्रकार संचार, विचारों और सूचनाओं और संदेशों को ले जाने और अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ अपने दुःख और सुख को बांटने का भी एक साधन है।

अब आप समझ गये होंगे कि संचार में परिवर्तन का अर्थ संचार के उद्‌देश्यों को प्राप्त करना है। संचार के विभिन्न साधन हैं। लोगों को पत्र लिख कर, टेलीग्राम भेजकर, रेडियो, टेलीविज्ञान, कम्प्यूटर तकनीकी समाचार पत्र, मैगजीन, पम्पलेट्स, फैक्स, ई-मेल, व्यवसाय, व्यापार और अन्य सेवाओं के लिए करते हैं। ई-मेल संचार की सबसे तेज साधन के रूप में उभरा है और लगभग निःशुल्क है। यह भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि विशेष संचार के साधन का चुनाव हमारे उद्‌देश्य पर निर्भर करता है। अब हम, हमें दो समूहों में संचार के विभिन्न साधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है –

1. संचार के निजी साधन
2. जन संचार के साधन

1. संचार के निजी साधन : हम संचार के निजी साधन के दो भागों में वर्गीकृत करते हैं

(अ) डाक सेवा

(ब) टेलीफोन सेवा

(अ) **डाक सेवा :** डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना साधन है। हालांकि पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़ा है। 2001 में भारत को 155000 डाकघरों ने विभिन्न सेवाएं प्रदान की जैसे– पत्र, मनीआर्डर, पार्सल, डाक बचत योजनाएं आदि।

(ब) **टेलीफोन (दूरभाष) सेवा :** यह आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह शीघ्र और सस्ती है, हमारी आवश्यक मूल सेवा है।

2. जन संचार के साधन : इस साधन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है। इसे मीडिया या जनसंचार कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सिनेमा, किताबें, पत्रिकाएं, पारंपरिक लोक रीति और संचार उपग्रह आदि।

(अ) **आकाशवाणी (रेडियो) :** भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता से मनोरंजन करने, शिक्षित बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया। आज ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के कार्यक्रम देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र में 98.8 प्रतिशत लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

(ब) **दूरदर्शन (टेलीविजन) :** भारत की राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारण सेवा 1959 में शुरू किया जो संसार का सबसे बड़ा स्थल प्रसारण संगठनों में से एक है। आज, 87 प्रतिशत जनसंख्या इसे देख सकती हैं। टेलीविजन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दूरदर्शन और बड़ी संख्या में निजी चैनलों द्वारा शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के लिए उपलब्ध हैं।

(स) **कम्प्यूटर (सूचना प्रौद्योगिकी) :** आज कंप्यूटर संचार और आर्थिक विकास का आधार बन गया है क्योंकि यह प्रत्येक जगह घरों और कार्यालयों से दुकानों, अस्पतालों, रेलवे, हवाई अड्डों, बैंकों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के लिए प्रयोग किया जाता है।

13.3.1 नवीन संचार तकनीक

हाल के वर्षों में नई तकनीकी के विकास से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सहायता मिली है जैसे –

(अ) **इंटरनेट :** यह सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। यह दुनिया भर में सभी प्रकार के जानकारी को कम्प्यूटर के एक बटन के दबाने पर प्राप्त होता हैं।

(ब) **विडियो दूरसंचार (टेलीकांफ्रेंसिंग) :** दूर स्थानों पर बैठे लोग बात कर सकते हैं और दूर संचार और कंप्यूटर की सहायता के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(स) **ई-कामर्स :** इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध सुविधा है।

(द) **इंटरनेट दूरभाषा (टेलीफोनी) :** यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एक टेलीफोन की तरह काम करने के लिए बनाता है। यह सुविधा कॉल दरों में काफी कमी लाई है।

(इ) **ई-मेल :** यह इंटरनेट के माध्यम से पत्र या सूचनाऐं एक बटन दबाने के साथ ही दुनिया में किसी को भेजने की विधि है।

(फ) **टेली-मेडिसिन :** इस विधि से डॉक्टर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे रोगियों का निरीक्षण कर लेता है।

इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी संचार की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यह लोगों को बहुत करीब ला दिया है। यह दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है।

क्रियाकलाप 13.6

पुराने खेल कार्ड का एक पैकेट लीजिए। पुरानी पत्रिकाओं और पुराने समाचार पत्रों से संचार के विभिन्न साधनों के चित्र काट लें। प्रत्येक कार्ड पर एक चित्र चिपकाएं। पीछे की ओर इसके बारे में एक प्रश्न लिखें। अब आपके पास अपना संचार कार्ड का सेट है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ खेलिए।

संकेत : संचार का कौन सा साधन देशभर में एक ही समय में एक ही तरह की जानकारी वितरित कर सकता हैं? (उत्तर टीवी)

पाठगत प्रश्न 13.4

1. निम्नलिखित को परिवर्तन के साधन और जन संचार के साधन या साधनों अन्य को श्रेणीबद्ध कीजिए।

   इलेक्ट्रानिक मानीटर, उपयोगिता वैन, टैक्टर, तार, मेट्रो रेल, मोबाइल, पोस्टकार्ड, फैक्स, रेडियो, एम्बुलेंस, ट्रॉली, फेसबुक, ट्विटर, मैगजीन और एम.एम.एस.।

2. निम्न कथन के बारे में एक वाक्य लिखें:

   (क) विचारों का आदान-प्रदान, विचारों और जानकारी के लिए संदेश ले जाने की एक प्रणाली है।

   (ख) जिस सेवा के माध्यम से पत्र, पार्सल, और मनीऑडर भेजा जाता है।

   (ग) इंटरनेट के माध्यम से पत्र लिखने की एक प्रणाली है।

   (घ) भारत में रेडियो के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है।

   (च) भारत में वर्तमान में सबसे सामान्य और लोकप्रिय निजी संचार के माध्यम है।

आपने क्या सीखा

- परिवहन और संचार के साधनों की आवश्यकता और महत्व।
- भारत में निर्मित सड़कों के प्रकार।

- देश के विकास में रेलवे की भूमिका।
- जलमार्ग के प्रकार एवं देश के व्यापार में उनका महत्व।
- भारत जैसे देश में वायुमार्ग की आवश्यकता और इसका महत्व।
- संचार के आधुनिक साधन एवं हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता।

पाठांत प्रश्न

1. परिवहन और संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में क्यों माना जाता है?
2. सड़क मार्ग के तीन गुण और तीन दोष बताइए।
3. भारत के लिए जल मार्गों का क्या महत्व है?
4. प्रमुख बंदरगाहों के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए –

   (क) पूर्वी तट पर गिनती करें और बताइए कि कितने बंदरगाह हैं?

   (ख) जिन राज्य में दो बंदरगाह है, उनकी सूची बनाइए।

   (ग) किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है नाम बताइए।

   (घ) गोवा में स्थित बंदरगाह का नाम बताइए।

   (च) भारत के दक्षिणतम बंदरगाह का नाम बताइए।
5. परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा वायुमार्ग के क्या लाभ हैं?
6. अपने दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार की महत्ता को बताइए।
7. निजी संचार और जन संचार के बीच अंतर कीजिए।
8. ट्रेन में पिछले यात्रा के दौरान महसूस की गई पांच समस्याओं की सूची तैयार कीजिए। आप के द्वारा महसूस की गई प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए एक सुझाव दीजिए।
9. भारत के रेखा मानचित्र में उच्च, मध्यम और कम रेल घनत्व वाले राज्यों की पहचान कीजिए और उनका नाम लिखिए। इस तरह घनत्व उन राज्यों में क्यों हैं?

   (**संकेत** : कठिन क्षेत्र, जलावायवीक पिरस्थितियाँ, अर्थव्यवस्था आदि)

भारत : रेलवे क्षेत्र

परियोजना

अपने क्षेत्र में कम से कम पांच लोगों से साक्षात्कार कीजिए, जो पिछले दस वर्षों से वहां रह रहे हैं और उनसे पूछिए कि नई सड़कों/रेलवे के निर्माण के कारणों से इस अवधि में क्या परिवर्तन हुए हैं।

अथवा

अपने क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण को पता कीजिए। आप उनके कार्यालय में अवश्य जाइए और विस्तृत ब्यौरा प्राप्त करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

13.1

1. (क) देश के सिलचर, पोरबंदर के रूप में पूर्वी और पश्चिमी किनारे में स्थित हैं।

(ख) स्वर्ण चतुर्भुज और यह देशभर में विभिन्न प्रकार धरातलीय विशेषताओं का ज्यामितीय चतुर्भुज है।

2. (अ) इन क्षेत्रों में अधिक रेलवे घनत्व के निम्नलिखित कारण है–
पंजाब और हरियाणा - कृषि उत्पादन के कारण
महाराष्ट्र और गुजरात - उद्योग के कारण
झारखंड और छत्तीसगढ़ - खनिज खादान के कारण

(ब) (i) दोनों लोगों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन हैं।
(ii) दोनों क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।
(iii) रेलवे लंबी दूरी के लिए प्रायः उपयोग किया जाता है।
(iv) सड़क मार्ग को प्रायः कम दूरी के लिए अधिक पसंद करते हैं।
(v) रेलवे को बहुत बड़ी मात्रा का में प्रयोग में ले सकते हैं।
(vi) सड़क मार्ग से कम मात्रा सामान ले जा सकता है।
(vii) रेलवे उच्च निर्माण और रखरखाव की लागत अधिक आती है।
(viii) रोडवेज के निर्माण और रखरखाव में कम लागत शामिल है।

3. ऊंची पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ धरातल। जैसे - सिक्किम और अरुणांचल प्रदेश।

13.2

1. (अ) तालिका

बंदरगाह	राज्य	तट/किनारा
कांदला	गुजरात	पश्चिमी
मुंबई	महाराष्ट्र	पश्चिमी
जवाहरलाल नेहरू	महाराष्ट्र	पश्चिमी
मारमागाव	गोवा	पश्चिमी
नयामंगलौर	कर्नाटक	पश्चिमी
कोच्चि	केरल	पश्चिमी
तूतीकोरिन	तमिलनाडु	पूर्वी
चैन्नई	तमिलनाडु	पूर्वी
विशाखापत्तनम्	आंध्र प्रदेश	पूर्वी
पाराद्वीप	ओडिशा	पूर्वी
हल्दिया	पश्चिमी बंगाल	पूर्वी
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	पूर्वी

(ब) राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार इत्यादि में कोई बंदरगाह नहीं है क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है।

13.3

(i) महाराष्ट्र

(ii) हरियाणा एवं राजस्थान

(iii) शिक्षार्थी के अनुभव के अनुसार

13.4

1. (i) परिवहन के साधन : उपयोगिता वैन, ट्रैक्टर, मेट्रो रेल, एम्बुलेंस, ट्राली

   (ii) संचार के साधन : तार, मोबाइल, पोस्टकार्ड, फैक्स, फेसबुक, ट्विटर

2. (क) संचार

   (ख) डाक सेवा

   (ग) ई-मेल

   (घ) आकाशवाणी

   (च) मोबाईल फोन

14

जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन

हम सभी ने कई लोगों को कहते सुना हैं कि भारत की जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या एक अरब से अधि क है और यह अभी बढ़ रही है। हो सकता है, यह अगले कुछ दशकों में चीन की जनसंख्या से आगे निल जाये। तत्पश्चात भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दृष्टिकोण से आबादी एक भार है, विकास और गुणात्मक जीवन के लिए रोड़ा है। पर क्या यह सत्य है? आइये इसे सोचा और समझा जाए। क्या आबादी देश के लिए संसाधन या सम्पत्ति नहीं है? आज भारत दुनिया में मानव शक्ति के मामले में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में माना जाता है। इस वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने में हमारे देश के युवा, शिक्षित और उत्पादक लोगों की अहम भूमिका है। वे न केवल हमारे देश के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों के विकास में भी इनका सहयोग है। इस संदर्भ में जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति है, देश का सबसे बड़ा संसाधन है न कि भार। हमारे देश की जनसंख्या किस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, इसके विषय में इस पाठ में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा करने के बाद आप :

- देश की आबादी को मात्र संख्या और समस्या के रूप में नहीं बल्कि सबसे बड़े संसाधन के रूप में विश्लेषण कर सकेंगे;
- कारकों का आप वर्णन कर सकेंगे जिसके, चलते आबादी एक मानव संसाधन है;
- आबादी के उच्च, मध्ययम और कम घनत्व के क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे और भारत की मानचित्र पर उन्हें दिखा सकेंगे;
- जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारको का विश्लेषण कर सकेंगे;
- जनसंख्या संरचना जैसे ग्रामीण-शहरी संरचना, उम्र संरचना, लिंग संरचना और साक्षरता में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों की जाँच कर सकेंगे;

- एक महत्त्वपूर्ण जनसंख्या समूह के रूप में किशोरों की जरूरतों को संभावित मानव संसाधन के रूप की सराहना कर सकेंगे;
- भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत की पहचान करेंगे, और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नीतियों का मानव संसाधन के विकास के संदर्भ में विशेष रूप से मूल्यांकन करेंगे।

14.1 जनसंख्या एक संसाधन के रूप में

आम तौर पर आबादी का मतलब लोगों का एक संग्रह या संख्या से है। आइये, नीचे दिए गये बॉक्स में जनसंख्या के अर्थ को पढ़े। जनसंख्या का अर्थ विभिन्न संदर्भ में अलग-अलग है। जनसंख्या का अर्थ विज्ञान या जीवविज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बिल्कुल अलग है। अगर हम सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों से तुलना करें तो। बाद में आप यह भी सीखेंगे कि सांख्यिकी में इसका अर्थ अलग है।

क्या आप पता लगाना पसंद करेंगे कि यह क्या है। आप इसके लिए सांख्यिकी की किताबों को देखें। हालांकि, वर्तमान पाठ में हम जनसंख्या शब्द का प्रयोग मानव समूह या मानव संख्या रूप में किया जाएगा। जनगणना में भी यही अर्थ लिया जाता है। प्राथमिक तौर पर जनसंख्या का मतलब लोगों के समूह की संख्या से है। परन्तु जनसंख्या एक संसाधन, मानव संसाधन के रूप में भी माना जाता है।

संसाधन क्या है? यह वह है जिसे इस्तेमान और पुनः इस्तेमाल किया जा सके। कमरे में चारों ओर देखों हम विभिन्न वस्तुएँ, जैसे लकड़ी के सामान, किताबें, कांपियां, कलम एवं अन्य पाते है। हम उन्हें अपने संसाधनों के रूप में विचार करते है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग और पुनः उपयोग करते है।

> **जनसंख्या से क्या अभिप्राय है?**
>
> - किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या (उदाहरण-गाँव, शहर, राज्य, देश, विश्व की जनसंख्या)।
> - किसी भी समूह, नस्ल, वर्ग या श्रेणी के लोगों की कुल संख्या (उदाहरण-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धाार्मिक समूह जैसे हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिक्ख)।
> - जीवविज्ञान में किसी भी नस्ल के अंतर प्रजनन जीवों के सम्मिलित कुल संख्या (उदाहरण-बाघ, हिरण आदि की संख्या)।

आइये अब हम उनके श्रोत का पता लगायें। ये उन संसाधनों से बनाये गये है जिन्हें हम प्रकृति से पाते है। फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया है जो हम जंगल से प्राप्त करते है। पुस्तकें और कॉपियां भी जंगल से आते हैं जिसे लकड़ी की लुगदी से बनाते हैं। कलम प्लास्टिक से बना है जो पेट्रोलियम का गौण उत्पाद है। कप मृदा से बनता है जिसे हम मिट्टी से प्राप्त करते है। ये और इसके अतिरिक्त अन्य चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से निकालते। संसोधित करते और निर्मित करते है। यह मानव हैं, जो शारीरिक और मानसिक प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगिता की वस्तुओं में बदल देता है।

क्या आप जानते हैं

भारत सरकार ने 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया। इसके पूर्व इसे शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। कुछ राज्यों ने भी ऐसा किया है। इससे पता चलता है कि मानव संसाधन की अवधारणा की स्वीकृति प्राप्त है।

यदि संसाधन खास वस्तुएँ है जिसका प्रयोग और पुनः प्रयोग किया जाता है तो जनसंख्या एक संसाधन कैसे माना जा सकता है? हम सभी जानते है कि अनाज खेतों में उपजता है। खनिज का खनन किया जाता है। कारखानों में वस्तुएँ बनाई जाती है। ये सभी मानव द्वारा की जाती हैं देश के लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ एवं सेवाओं को उत्पादित एव विकसित करते है। जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती हैं। ये सुविधाएँ चाहे यातायात के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजलीघर, सिंचाई आदि कोई भी आधारभूत संरचना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

उत्पादन के लिए ऐसी सुविधाओं के विकास और उन्हें उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए मनुष्य सबसे अच्छा संसाधन की भूमिका निभाता है। बिना मनुष्य के अन्य संसाधनों को सही ढंग से विकसित और उपयोग नही किया जा सकता है। इसलिए संख्या के साथ-साथ लोगों की गुणवत्ता दोनो ही देश के वास्तविक और सर्वोच्च संसाधन है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की मात्र संख्या जो आवधिक अंतराल पर जनगणना द्वारा निर्धारित किया जाता है भार हो सकता है लेकिन गुणात्मक जनसंख्या देश का मनाव पूंजी बन जाता है मानव संख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए देश को लोगों के स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सही शिक्षा, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं उनके जीवन में गुणाात्मक बदलाव लाने के लिए देश को बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। मानव के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार एवं समाज द्वारा किया गया निवेश बहुत महत्व रखता है। यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति पूरी क्षमता के अनुरूप विकसित हो और देश के विकास की प्रक्रिया में उन्हें काम करने का मौका प्रदान किया जाये। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मानव संसाधन के विकास के रूप में एक वस्तु और विकास में भागीदारी है। जैसा कि पहले चर्चा किया गया है, मानव संख्या संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानव संख्या को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं।

क्या आप जानते हैं

मानव पूंजी कई वर्षो से कर्मचारियों और कारोबार में जुड़े व्यक्तियों के वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों में बदलाव आया है। हम कर्मचारी से मानव संसाधन एवं मानव पूंजी इस्तेमाल करने लगे है। आर्थिक संदर्भ में मानवीय गुणों को मानव पूंजी में दर्शाते है। यह व्यक्ति में सन्निहित कौशल और तकनीकि ज्ञान का मिश्रित रूप में सम्बन्धित है।

जनगणना: किसी भी दिये गये जनसंख्या के कुल इकाइयों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। इस शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक दश वर्षों के अंतराल पर ''राष्ट्रीय स्तर पर घर-घर की जनगणना'' के रूप में किया जाता है। लोगों के विभिन्न जनांकिकी और सामाजिक आर्थिक संदर्भों के बारे में राज्यों की सहायता से भारत सरकार आंकड़े एकत्रित करती है।

जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने के कारक

जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ऊपर की चर्चा के आधार पर आप अनुमान कर सकते है कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। लेकिन इन के अलावा सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक प्रमुख है जिसका प्रभाव जनसंख्या पर एक संसाधन के रूप में पड़ता है। ये हैं: (i) जनसंख्या वितरण, (ii) जनसंख्या परिवर्तन और (iii) जनसंख्या संरचना। हम इन तीन कारकों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जनसंख्या के वितरण के साथ शुरू करते हैं।

पाठगत प्रश्न 14.1

1. संसाधन से क्या अभिप्राय है?
2. मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक गुणों को बताइये।

14.2 जनसंख्या का वितरण

आपको पता है, संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या कोई अन्य, उनका वितरण एकसा नहीं है। उदाहरण के लिए जंगल या लौह अयस्क या कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन दुनिया में समान रूप से वितरित नहीं है और हमारे अपने देश में वितरण में एकरूपता नहीं है। मानव संसाधन के साथ भी यही मामला है। वे दुनिया में हर जगह समान रूप से नहीं फैले हैं और उनकी संख्या बदलते रहती हैं। एक क्षेत्र में आबादी के प्रसार को जनसंख्या वितरण कहते है चाहे वह एक राज्य हो या पूरा देश निम्न दिए गये भारत के मानचित्र (चित्र संख्या 14.1) पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिलचस्प सा लगेगा। यह दर्शाता है कि जनसंख्या का विस्तार भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार है। इसे बिन्दु द्वारा दिखाया गया है। प्रत्येक बिन्दु पाँच लाख लोगों को प्रदर्शित करता है। आप देखते है कि कुछ राज्यों में बिन्दुओं की संख्या कम है जबकि उनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। जिसका मतलब है कि उन राज्यों में जनसंख्या दूर-दूर या साधारण विस्तार है। परन्तु कुछ राज्यों में बिन्दु एक दूसरे के बिलकुल करीब-करीब है, इतने करीब कि मानचित्र का भाग बिन्दु से रंगा हुआ सा लगता है। उनमें जनसंख्या का विस्तार बहुत सघन है। कम आबादी, मध्यम आबादी और घनी आबादी वाले भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की एक सूची तैयार करें।

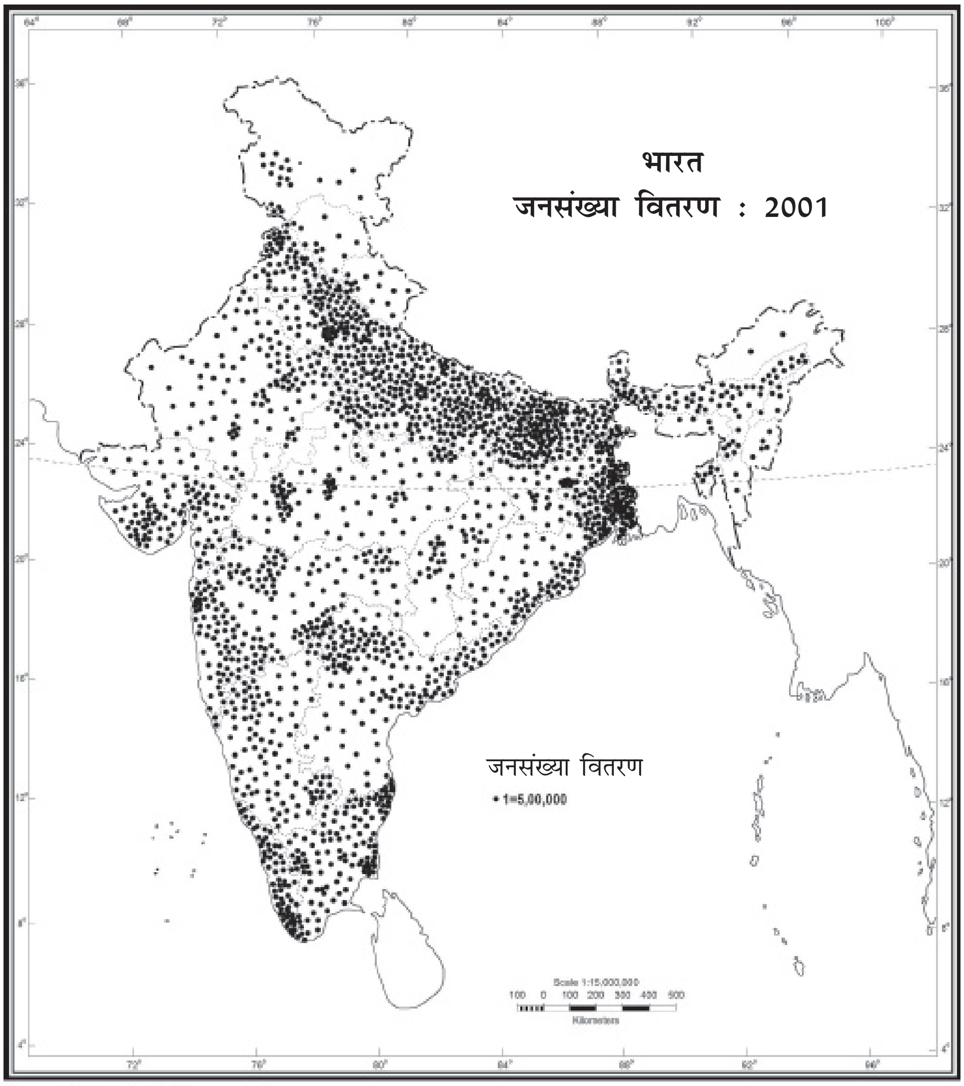

Based upon Survey of India Outline Map printed in 1990
The territorial waters of India extened into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
The boundary of Meghalaya shown of this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified
Responsibility for correctness of internal details shown on the map rests with the publisher.

© Government of India copyright, 1996

चित्र 14.1 जनसंख्या का भारत में वितरण

14.3 जनसंख्या का घनत्व

ऊपर दिए गये चित्र के आधार पर किसी भी दो राज्य के बीच जनसंख्या वितरण की तुलना बहुत ही रोचक होगा। चलिए, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों (चित्र संख्या 14.1) को देखें। इनमें जनसंख्या प्रसार का प्रतिरूप भिन्न है। सामान्य नजर दौड़ाने पर लगता है कि महाराष्ट्र की तुलना करने पर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज्यादा है। परन्तु यह सही नहीं है। महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में ज्यादा है पर महाराष्ट्र में जनसंख्या वितरण विरल सा लगता है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल से क्षेत्र में बड़ा है। फलस्वरूप जनसंख्या की स्थिति को केवल उसके संख्या को आधार मान कर तुलना नहीं कर सकते। क्षेत्रफल का भी विचार करना आवश्यक है। यही कारण्या है कि किसी भी देश प्रदेश या देश की जनसंख्या की तुलना जनसंख्या घनत्व द्वारा किया जाता है।

क्या आप जानते है

जनसंख्या का घनत्व: जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। यह आमतौर पर लोग की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए सूत्र इस प्रकार है।

$$\text{जनसंख्या का घनत्व} = \frac{\text{एक परिभाषित क्षेत्र इकाई में लोगों की कुल संख्या}}{\text{उसी क्षेत्र विशेष का कुल क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में}}$$

घनत्व का निर्धारण करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। यह प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या बताता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि एक जिले की जनसंख्या 250,000 और क्षेत्रफल 1000 वर्ग किमी है। इस जिले की जनसंख्या घनत्व की गणना निम्न प्रकार किया जासकता है।

$$\text{जनसंख्या का घनत्व} = \frac{\text{250000 व्यक्ति}}{\text{1000 वर्ग किमी क्षेत्र}} = \text{250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी}$$

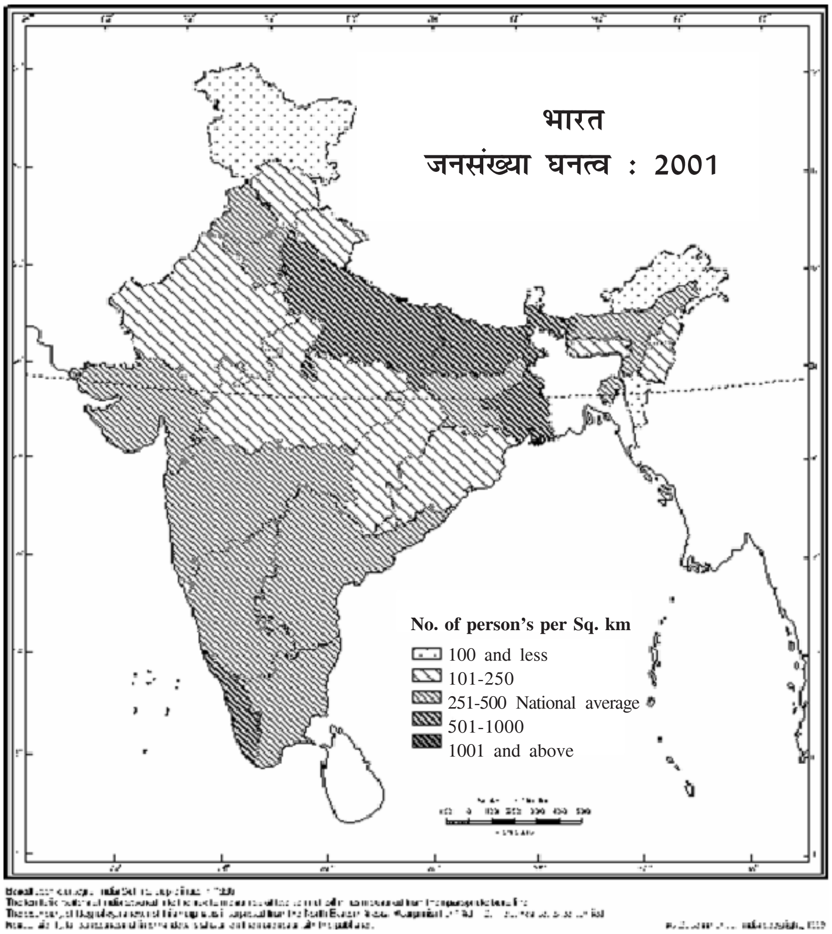

चित्र 14.2 : भारत में जनसंख्या का घनत्व

मानचित्र (14.2) से पता चलता है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व असमान है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है।

14.1 कार्यकलाप

14.2 चित्र को देखिए और उन राज्यों के नाम बताइये जिसकी उच्च (500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक), मध्यम (100–500 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किमी) और कम (100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम) घनत्व है।

उच्च घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं।

मध्यम घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं।

कम घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं।

क्या आप राज्यों के बीच घनत्व में होने वाले बदलाव के कारणों को बता सकते हैं?

संकेत: प्रतिकूल कठोर जलवायु परिस्थितियों, बीहड़ इलाके और निम्न मृदा उर्वरता कम घनत्व के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उपजाऊ मृदा वर्षा की बहुतायत, विकसित सिंचाई की सुविधाएं मध्यम जलवायु और शहरीकरण अधिक जनसंख्या घनत्व का कारण है। औसत उर्वरता, वाले भागों में सामान्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।

जनसंख्या का घनत्व भी बदलते रहता है। जैसा कि आप चित्र संख्या 14.3 से देख सकते है कि 1901 में भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी के 77 व्यक्ति था। यह तेजी से 1931 में 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बढ़कर 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। आप इस बात को जानने में रूचि रखते होंगे कि भारत के किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके लिए आपको जनगणना रिपोर्ट देखना होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनसंख्या घनत्व उच्चतम 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इसके बाद केन्द्र शासित राज्य चंडीगढ का 7900 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अरूणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। राज्यों में पश्चिम बंगाल का उच्चतम घनत्व 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

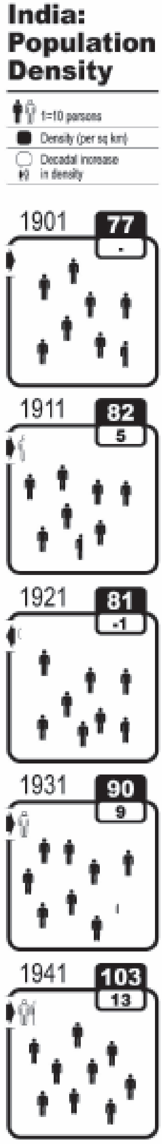

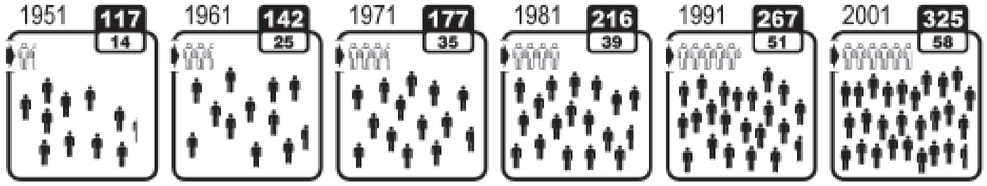

चित्र 14.3: भारत में दशकीय जनसंख्या घनत्व (1901–2001)

जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? यह मानव प्रवृति है कि जहाँ संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ लोग रहना पसंद करते है। इन संसाधनों में मीठे पानी, उपजाऊ मृदा, भोजन, आश्रय, काम के अवसर आदि हो सकता है। इन संसाधनों की उपलब्धता भौगोलिक विशेषताओं द्वारा प्रभावित करता है जो असमान वितरण के कारण हैं। इसलिए जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी असमान है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को दो प्रमुख वर्गों में रख सकते है–प्राकृतिक और सामाजिक-आर्थिक।

प्राकृतिक कारक

जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख प्राकृतिक कारक है यानी उच्चावच, जलवायु और मृदा।

(i) उच्चावच: आप पहाड़ी क्षेत्र या नदी घाटी और सपाट मैदानी इलाके का दौरा किये होंगे। आपने देखा होगा कि मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी कम है। किसी भी दिए गये क्षेत्र का उच्च और निम्न ऊंचाई और ढाल के बीच का अंतर उच्चावच होता है। ये उच्चावच और ढाल वहाँ की सुगम्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जो क्षेत्र ज्यादा सुगम है वह लोगों द्वारा बसावट से भरी होने की सम्भावना है। यही कारण है कि सपाट मैदानों में ज्यादा बसावट देखी जाती है जबकि बीहड़ उच्चावच वाले पर्वतीय और पठारी भाग ऐसे नहीं है। अगर आप जनसंख्या के घनत्व और वितरण को उत्तरी मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना करें तो आपको उच्चावच का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे।

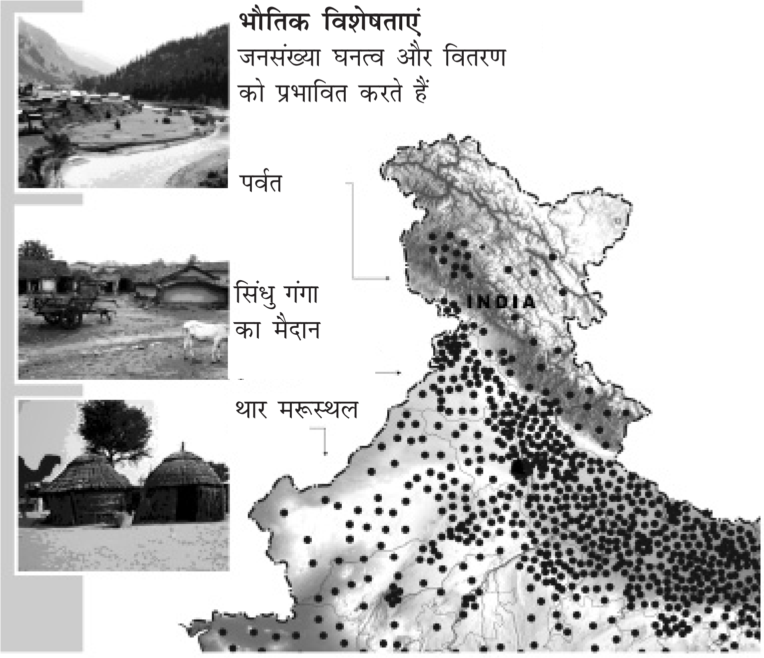

चित्र 14.4: जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक

> **उच्चावचः** भूसतह की ऊंचाई में बदलाव जिसके कारण पहाड़ियों एवं घाटियों का निर्माण होता है।

(ii) जलवायुः जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करेन वाले कारकों में से एक एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु की स्थितियाँ है। अनुकूल जलवायु मनुष्य के रहने के लिए सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है। जनसंख्या के उच्च घनत्व उन क्षेत्रों में ज्यादा है जलवायु अनुकूल पायी जाती है। लेकिन कठोर जलवायु, अर्थात बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत सूखा, बहुत नम क्षेत्रों में कम घनत्व होता है। भारत में शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान एवं अति ठंडा क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उतराखण्ड में निम्न जनसंख्या घनत्व है।

(iii) मृदाः मनुष्य कृषि के लिए मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए ऊपजाउ मृदा के क्षेत्रों, में बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है। यही कारण है उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों जैसे उत्तर भारत और तटीय जलोढ़ मैदानों में जनसंख्या के उच्च घनत्व है। दूसरी ओर कम उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ; और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में जनसंख्या का कम घनत्व है।

2. सामाजिक-आर्थिक कारक

जनसंख्या का घनत्व और वितरण निम्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर है:

(i) औद्योगिकरण और शहरीकरणः जैसा कि आप हमेशा देखते है, उद्योग धंधों वाली जगहों पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते है। वे शहरी क्षेत्रों और नगरों में रहना पसंद करते हैं। खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र भी बड़ी जनसंख्या को आकर्षित करते है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियाँ है जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा देती है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी इन क्षेत्रों में बेहतर हैं। हम जानते हैं कि भारत के बड़े नगरो जैसे दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कई अन्य जनसंख्या के उच्च घनत्व के केन्द्र है।

(ii) परिवहन और संचारः अन्य भागों की तुलना में देश के कुछ भागों में परिवहन और संचार सुविधाओं के साथ उत्तरी मैदानी क्षेत्र में परिवहन काफी अच्छा है परन्तु उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ सार्वजनिक सुविधाओं का विकास अच्छा है, अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। कभी-कभी हम पाते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की भी घनी आबादी है।

सभी उपरोक्त कारक एक संयोजन में कार्य करते हैं। हम गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का उदाहरण ले सकते हैं। यह कई कारकों के संयोजन के कारण है जैसे चौरस मैदान, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु, औद्योगिकरण, शहरीकरण और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से परिवहन और संचार के साधनों का विकसित होना है। दूसरी ओर, बीहड़ पहाड़ी इलाके, प्रतिकूल

जलवायु, निम्न परिवहन के साधन और संचार जैसे कारकों के कारण अरूणाचल प्रदेश में जनसंख्या का कम धनत्व है।

कार्यकलाप 14.2

पाठ 11: हमारी मातृभूमि का चहकता चेहरा से उतरी पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भूआकृतिक वर्गीकरण मानचित्रों के माध्यम से अध्ययन कीजिए। इस पाठ के चित्र संख्या 14.1 14.2 और 14.4 में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्रों को ध्यान में रखते हुए पाठ 11 पढ़ें।

मानचित्रों का विश्लेषण करते हुए सहसम्बध स्थापित कीजिए और उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव के लिए अनुकूल है।

पाठगत प्रश्न 14.2

1. 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है?

   अ) पश्चिम बंगाल ब) केरल
   स) तमिलनाडु ड) उत्तर प्रदेश

2. एक जिले की जनसंख्या 3,00,000 और इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किमी है। जनसंख्या का घनत्व क्या होगा?

   अ) 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ब) 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
   स) 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी द) 300 व्यक्ति प्रति वर्ग मि

3. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े नगरो में जनसंख्या के उच्च घनत्व के लिए जिम्मेदार चार महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए।

4. उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है? दो कारण दीजिए

14.4 जनसंख्या परिवर्तन

किसी भी देश में मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या का गुणात्मक सम्बन्ध यहाँ के जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप से काफी प्रभावित होता हैं। यह परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या में कमी के संदर्भ में हो सकता है। हालांकि दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है, कुछ ऐसे भी देश है जहाँ जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या परिवर्तन की दोनों स्थितियों में मानव संसाधन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव पड़ता है। यदि जनसंख्या तेज दर से बढ़ती है, तो जनसंख्या और देश के संसाधनों के बीच एक असंतुलन की स्थिति बनेगी।

भारत की जनसंख्या लंबे समय से बढ़ रही हैं। वर्ष 1901 में 238 करोड़ की आबादी से, वह वर्ष 2001 में 1028 करोड़ हो गई है। जनसंख्या में यह वृद्धि एक सदी की अवधि में चार गुना बढ़ी है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या घट रही है। ऐसा क्यों है? हम उन कारकों की पहचान करते है जो जनसंख्या में बदलाव/परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

जनसंख्या परिवर्तन के कारक

किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि या कमी के तीन प्रमुख जनसांख्यिकीय कारक होते है– (क) जन्म दर, (ख) मृत्यु दर, और (ग) प्रवास। जन्मदर और मृत्युदर को प्रभावित करने वाले अनेकों सामाजिक-आर्थिक कारक है जो अंतत: जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते है। हालांकि चित्र संख्या 14.5 से आप स्वयं ही देख सकते है कि भारत में तीव्र गति से वृद्धि का कारण उच्च जन्मदर एवं निम्न मृत्युदर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास जनसंख्या वृद्धि में एक नगण्य कारक है।

जनसंख्या का जन्म, मृत्यु और वृद्धि दर
: (1961–2001)

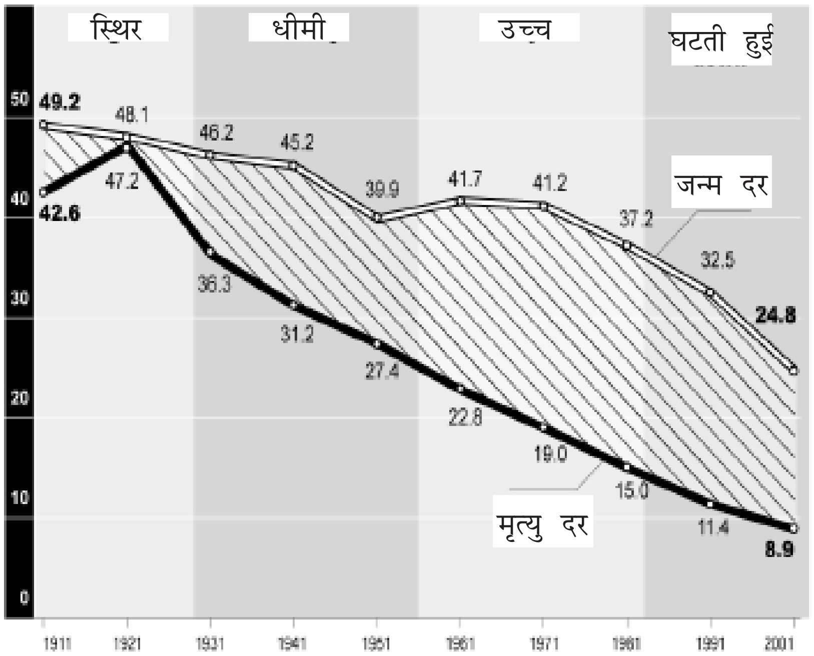

चित्र 14.5 जनसंख्या की वृद्धि

यदि आप चित्र संख्या 14.5 को ध्यान से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि मृत्यु दर 1921 के बाद से गिरावट रही है। इसी अवधि में जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई। परन्तु मृत्यु दर में गिरावट की दर जन्मदर में गिरावट की से ज्यादा रही। यही कारण है कि जन्म दर एवं मृत्युदर के बीच का अंतर बढ़ता चला गया जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई।

जब आप चित्र संख्या 14.6 पर दिए गये दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर नजर दौड़ाते है तो भी यह बात स्पष्ट हो जाती हैं जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में मामूली गिरावट आई है 1981 से 1991 तथा 1991 से 2001 के बीच। यह एक सुखद संकेत है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि घटते वृद्धि दर के बावजूद भी शुद्ध जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है। सन 1901 से 2001 तक में बीच जन्म दर और मृत्युदर के परिणाम के आधार पर पूरी अवधि को चार भागों में बांटा जाता है स्थिर, क्रमिक या धीमी वृद्धि उच्च वृद्धि और घटते अवस्था की जनसंख्या वृद्धि।

? क्या आप जानते हैं

एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के तुलना में कुल जन्मे बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है। इसे जन्मदर भी कहते है। अत: –

$$\text{जन्मदर} = \frac{\text{किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतर्गत जिंदा जन्में बच्चों की संख्या}}{\text{उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या}} \times$$

मान लीजिए किसी जिले में एक वर्ष के दौरान जिंदा जन्मे बच्चों की संख्या 800 है और अर्द्धवार्षिक जनसंख्या 25,000 है, तो

$$\text{जन्मदर} = \frac{800}{25{,}000} \times 1000 = 32 \text{ प्रति हजार जनसंख्या}$$

मृत्यु दर: एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या में से हाने वाली मौतों की संख्या शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य तौर पर इसे मृत्युदर भी कहते है। अत:–

$$\text{मृत्यु दर} = \frac{\text{किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतर्गत मरने वाले लोगों की संख्या}}{\text{उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या}} \times 1$$

मान लीजिए किसी एक जिले में एक वर्ष के दौरान मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 600 हैं और अर्द्धवार्षिक जनसंख्या 25000 है, तो

$$\text{मृत्यु दर} = \frac{600}{25{,}000} \times 1000 = 24 \text{ प्रति हजार जनसंख्या}$$

प्राकृतिक वृद्धि दर: प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। इसलिए प्राकृतिक वृद्धि दर = जन्म दर – मृत्यु दर।

मान लीजिए कि किसी खास वर्ष में एक क्षेत्र के लिए जन्म दर 32 है ओर मृत्यु दर 24 है। तो प्राकृतिक वृद्धि 32 – 21 = 8 प्रति हजार जनसंख्या होगी।

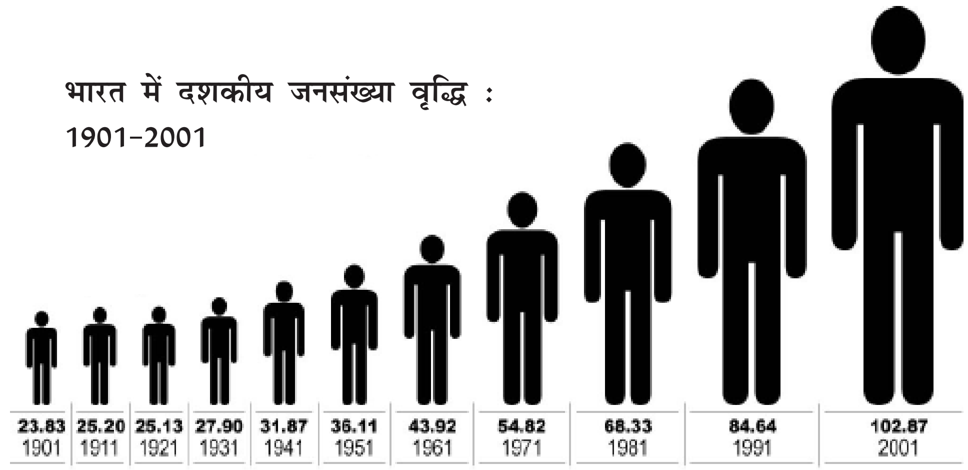

चित्र 14.6 भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि (1901-2001)

जैसा कि हम 20वीं शताब्दी के आरंभ से देख्ते हैं, भारत की जनसंख्या 1921 को छोड़कर शुद्धरूप में बढ़ी है। 1921 को भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है।

आइये भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि दर के कारणों को समझने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में निरक्षरता, शिक्षा के निम्न स्तर, असंतोषजनक स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति और गरीबी है। पुरूष बच्चो की वरीयता, छोटी उम्र में शादी, धार्मिक विश्वास और महिलाओं का समाज में निम्नस्तर आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक कारक हैं।

पाठगत प्रश्न 14.3

1. यदि एक क्षेत्र में, जन्म दर 45 प्रति हजार है और मृत्यु दर 25 प्रति हजार है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितना होगा?

   अ) 15 प्रति हजार   ब) 18 प्रति हजार पति

   स) 20 प्रति हजार   द) 25 प्रति हजार

2. भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है?

   अ) उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर

   ब) कम जन्म दर और कम मृत्यु दर

   स) उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर

   द) कम जन्म दर ओर उच्च मृत्यु दर

3. सन 1921 को, जनसांख्यिकीय महान विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है?

14.5 जनसंख्या संरचना

हमने अभी तक जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि का अध्ययन किया है। आप समझते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या परिवर्तन की गति और प्रवृत्ति का निर्धारण करता है। वास्तव में यह प्रभाव जनसंख्या संरचना को प्रमाणित करता है। यह न केवल जनसंख्या वृद्धि की गति बल्कि मानव संसाधन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या आप जानते हैं–जनसंख्या संरचना क्या हे? जनसंख्या संरचना जनसंख्या का वर्णन करता है जिसमें विभिन्न विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है जैसे– उम्र, लिंग, ग्रामीण, शहरी या साक्षरता की स्थिति। इसलिए हम, भारत में जनसंख्या संरचना के निम्नलिखित पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे:

(i) आयु संरचना,

(ii) लिंग संरचना,

(iii) ग्रामीण - शहरी, संरचना और

(iv) साक्षरता

(i) आयु संरचना

देश के वर्तमान और भविष्य के विकास के लिए आबादी की उम्र संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामान्यतया आबादी को तीन वर्गों में रखा जाता है– बच्चे (0-14 वर्ष), वयस्क (15-60 वर्ष) और वृद्ध (60 वर्ष की उम्र से ज्यादा)। इन तीन वर्गों में भारतीय आबादी की उम्र संरचना को चित्र संख्या 14.7 दर्शाता है। यदि हम 1971 के आंकड़ों की तुलना करें तो यह स्पष्ट है कि बच्चों की संख्या में गिरावट और वयस्कों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

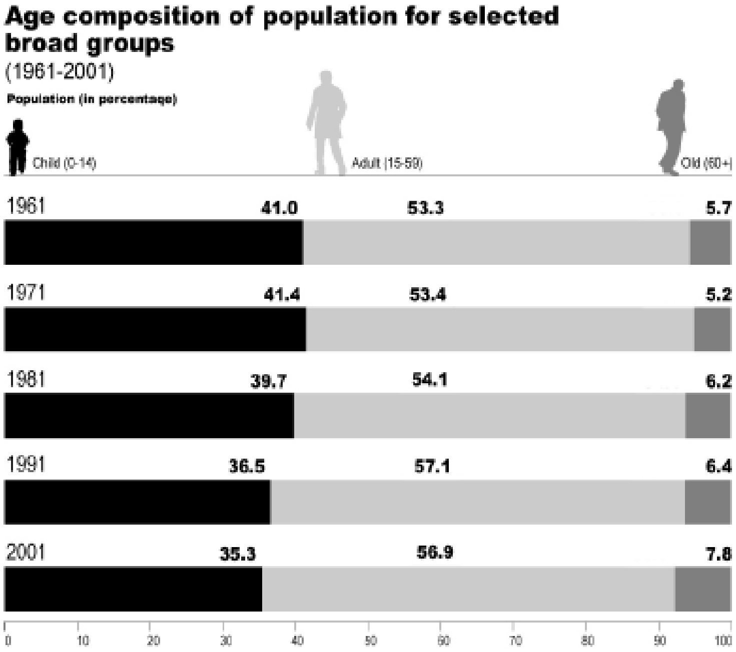

चित्र 14.7 : आयु संरचना

हालांकि, वृद्धों की आबादी भी बढ़ रह है। वृद्ध और बच्चों की कुल आबादी को आश्रित आबादी कहते हैं। जब आश्रित आबादी की संख्या बढ़ती है तो निर्भरता अनुपात ज्यादा हो जाता है। इसके कारण सरकार को बच्चों के विकास और वृद्धों के कल्याण पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसा न हो तो इन्हीं संसाधनों को अन्य विकास के मदों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

? क्या आप जानते हैं

$$\text{निर्भरता अनुपात} = \frac{\text{निर्भर जनसंख्या (0-14 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक)}}{\text{कार्यरत जनसंख्या (15-59 वर्ष)}} \times 100$$

मान लीजिए किसी एक जिले की निर्भर जनसंख्या (0-14 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक) 7000 है और कार्यरत जनसंख्या (15-59 वर्ष) 18000 है। तो

$$\text{निर्भरता अनुपात} = \frac{7000}{18000} \times 100 = 38.89$$

इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में 38.89 व्यक्ति निर्भर और 61.11 व्यक्ति कार्यरत हैं।

सोच विचार

अपने दादा-दादी की आयु 60 वर्ष अधिक है। वे आश्रित जनसंख्या समूह में हैं। क्या आपको लगता है कि वे बोझ हैं? क्या वे परिवार और समाज के कल्याण की दिशा में योगदान नही करते हैं? यदि 'हाँ', तो कैसे योगदान दे रहे हैं? यदि 'नहीं' तो योगदान क्यों नहीं दे रहे हैं।

'किशोर' एक अलग जनसंख्या समूह के रूप में

जनसंख्या के उम्र संरचना को समझने के लिए विशिष्ट समूह के रूप में युवावर्ग पर जोर देना नविनतम दृष्टिकोण है। परंपरागत रूप से जनसंख्या को हम तीन चरणों में विभाजित करते हैं। बचपन, व्यस्कता और बुढ़ापा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, कुछ लोग न तो बच्चे और न ही वयस्क। यदि आप अपने जीवन के उस दौर में हैं, तो आप अपने माता-पिता या अन्य वयस्कों से कहते हुए सुना होगा, 'क्यों तुम यह कर रहे हो?' अब तुम एक बच्चा नहीं हो। दूसरे समय वे ही वयस्क भी कहते होंगे, 'यह तुम कैसे कर सकते हो?' तुम अभी वयस्क नहीं हो। वास्तव में, बचपन और वयस्कता के बीच जीवन के चरण को (10 साल और 19 या कुछ और साल के बीच) किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को किशोर के रूप में पहचानते हैं। किशोर के बारे में बेहतर जानकारी के लिए बॉक्स में दिए गये उदाहरण को आप पढ़ सकते है।

क्या आप जानते है

किशोर से क्या मतलब है?

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा उम्र की संख्या के आधार पर इस तरह से है:

- किशोर : 10–19 वर्ष के बच्चें
- युवा : 15–24 वर्ष के बच्चे
- कमसिन : 10–24 वर्ष के बच्चें

आबादी समूह के रूप में किशोरों को मात्र उनके उम्र के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि किशोरावस्था की अवधि हरेक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किशोर व्यक्ति के विकासात्मक अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बाल्यावस्था के अंत से व्यस्क अवस्था के प्रारम्भ तक होता है। किशोरावस्था को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिपक्वता आती है जो यौवनारंभ से यौवनपूर्ण प्रजनन परिपक्वता तक होती है।

जैसा कि तालिका संख्या 14.1 में दिखाया गया है, किशोर भारत की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत भाग विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में हैं। यह प्रतिशत 2001 के जनगणना के अनुसार है। उनकी संख्या अभी भी बढ़ रही है और वर्तमान में (2009) में उनके प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ गयी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भी कम ध्यान दिए गये समूह के रूप में माना गया है क्योंकि उनकी जरूरतों को अभी तक विशिष्टतौर पर संबोधित नहीं किया गया है। यह जनसंख्या नीति किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उल्लेख करती है। ये हैं (i) किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक, शरीरक्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन व विकास के बारे में पूर्ण एवं ठीक–ठीक जानकारी उपलब्ध करना (ii) खतरनाक स्थितियों से बचने और सही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उचित व जरूरी जीवन कौशल विकसित कर उन्हें सशक्त

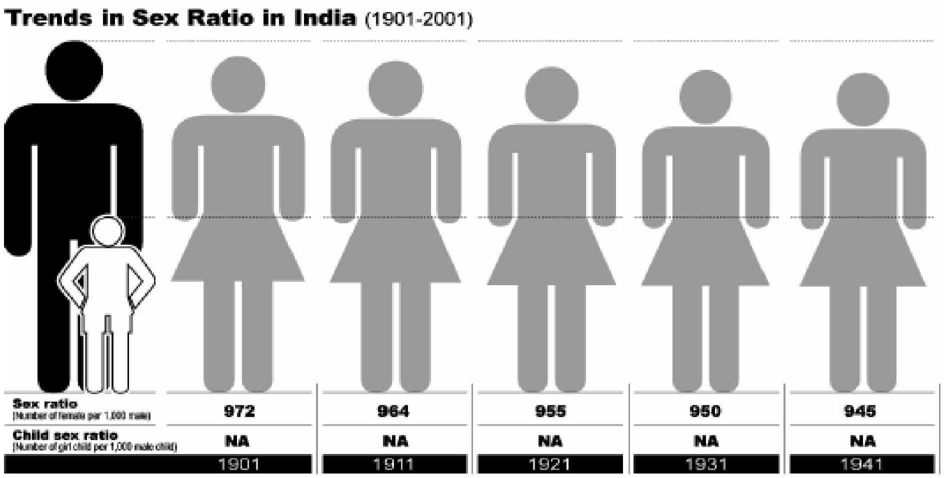

चित्र 14.7 (अ) : भारत में लिंग अनुपात का रूझान

करना; (iii) आहारपूरक और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना; और (iv) जरूरी स्वास्थ्य और परामर्श सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना।

तालिका 14.1 : लिंग के अनुसार भारत में किशोर (10–19 वर्ष) (संख्या हजार में) जनसंख्या 1991 और 2001 के अनुसार

जनगणना वर्ष	किशोरों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	पुरुष का प्रतिशत	कुल पुरुष का प्रतिशत	महिला	कुल महिला
1991	181419	21.4	95969	21.9	85450	21.0
2001	225061	21.9	119571	22.4	105490	21.2

कार्यकलाप 14.3

तालिका संख्या 14.1 को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूढ़िए:

1. किशोर लड़कियों की संख्या किशोर लड़कों की तुलना कम क्यों हैं? यद्यपि जैविक आधार पर लड़कियों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी।
2. 1991 से 2001 के दौरान पुरुष और महिला किशोरों के प्रतिशत की प्रवत्ति क्या है?
3. किशोरों को कम ध्यान दिए गये समूह के रूप में क्यों माना जाता है?
4. क्या आप किशोरों की जरूरतों की एक सूचि तैयार कर सकते हैं जिसे समाज द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

(ii) लिंग संरचना

मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनसंख्या की लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक है। वास्तव में, यह मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी समय पर पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति मापने के लिए यह एक

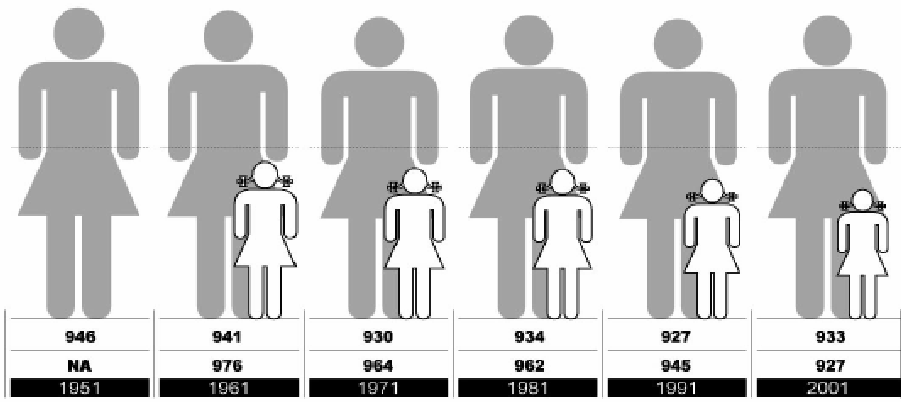

आंकड़ा 14.8 (ख) : भात में लिंग अनुपात में रुझान

महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। लिंग अनुपात अनुकूल होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा से महिलाओं के लिए प्रतिकूल बनी हुई है, और चिंता की बात है कि यह गिरावट लगातार बनी हुई है। वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। वर्ष 2001 में, यह घटकर 933 आ गया है। इस प्रवृत्ति चित्र संख्या 14.8 (क) और (ख) में दिखाया गया है।

क्या आप जानते है

लिंग अनुपात की गणना निम्न प्रकार है :

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{\text{एक विशेष क्षेत्र में कुल स्त्रियों की संख्या}}{\text{उसी क्षेत्र में कुल पुरुषों की संख्या}} \times 1000$$

मान लीजिए किसी एक जिले में महिलाओं की कुल संख्या 12000 है और पुरुषों की कुल संख्या 13000 है, तो:

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{12000}{13000} \times 1000 = 923 \text{ महिलाएं प्रति एक हजार पुरुष}$$

आइये विचार करें कि क्यों हमारे देश में लिंग अनुपात प्रतिकूल है? यह मुख्य रूप से हमारे समाज में प्रचलित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है। अनुकूल लिंग अनुपात मात्र एक राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र में ही है। यह 1058 केरल राज्य और 1001 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में हैं। अब इसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

बाल लिंग अनुपात

देश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति बड़ी चिंता की बात है। 0-6 वर्ष की आयु (बच्चा जनसंख्या) में लिंग अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। जबकि 1991 और 2001 की जनगणना के अनुपात समग्र लिंग अनुपात में मामूली सा सुधार दर्शाता है जबकि 0-6 वर्ष के बीच की अवधि में लिंग अनुपात में तेजी से कमी आई है। 28 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों में से केवल चार राज्यों, यानी केरल, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्र में ही बाल लिंग अनुपात समग्र लिंग अनुपात के अनुरूप है। बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड और संघ शासित क्षेत्रों में चंडीगढ़ और राज्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हैं। बाल लिंग अनुपात इस बात को दर्शाता है कि इन राज्यों में कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिशुहत्या की प्रथा आज भी है। पता चलता है कि यह व्यवहार एक सभ्य समाज के नियमों के खिलाफ है।

(iii) ग्रामीण - शहरी संरचना

भारत किसानों की भूमि और गांवों का देश रहा है। बीसवीं सदी के शुरुआत में दस लागों में से नौ लोग गांवों में रहते थे। हमारी आबादी का लगभग तीन चौथाई लोग अभी भी ग्रामीण

क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में शहरी क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहाँ तीन-चौथाई से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर कृषि कार्य में संलग्न हों, जनसंख्या कम से कम 5000 तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।

ऐसा लगता है, (चित्र संख्या 14.9 देखें) हम लोग शहरीकरण की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु इसके साथ इसके दुश्परिणाम जैसे आवास की कमी, जल, बिजली, और पर्यावरण पर अतिक्रमण आदि सन्निहित हैं।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या :
1951-2001

Year	Population (million) Rural	Population (million) Urban	% of population Rural	% of population Urban
1951	299	62	82.7	17.3
1961	360	79	82.0	18.0
1971	439	109	80.1	19.9
1981	524	159	76.77	23.3
1991	629	218	74.3	25.7
2001	742	285	72.2	27.8

चित्र 14.9 : ग्रामीण - शहरी बदलाव

(iv) साक्षरता

साक्षरता किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जैसा कि जनगणना रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है- सात वर्ष या उससे ज्यादा का व्यक्ति किसी भी भाषा में समझदारी के साथ लिखना और पढ़ना जानें। 1951 में हमारे देश में साक्षरता दर 18.83 प्रतिशत थी। यह 2001 में बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में केरल में उच्चतम साक्षरता, 90.86 प्रतिशत है। यह मिजोरम में 88.49 प्रतिशत और लक्षद्वीप में 97.52 प्रतिशत है। लेकिन सामान्य रूप से पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता दर कम है (चित्र संख्या 14.10)।

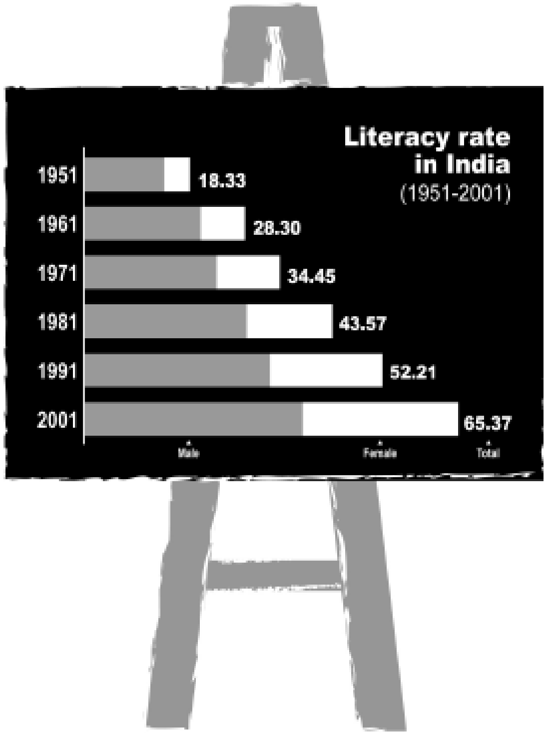

चित्र 14.10 : साक्षरता

कार्यकलाप 14.4

अपने आसपास से लगभग 10-15 घरों से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए।

1. साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का नाम ....
2. उम्र (वर्षों में) ....
3. शैक्षणिक योग्यता ....
4. परिवार में कमाई करने वाले व्यक्तियों की संख्या ....
5. सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष .... स्त्री ....
6. आयु समूहों में परिवार के सदस्यें की संख्या
   (क) 14 वर्ष की उम्र तक : ....
   (ख) 15 वर्ष से 60 वर्ष तक ....
   (ग) 60 वर्ष से अधिक ....
7. ऊपर एकत्रित आंकड़ों के आधार पर गणना और विश्लेषण कीजिए :
   (क) लिंग अनुपात ....
   (ख) निर्भरता अनुपात ....
      (i) 14 वर्ष से कम .... और इसकी प्रतिशत ....
      (ii) 60 से अधिक वर्षों .... और इसकी प्रतिशत ....

इस प्रकार हम समझ पाये हैं कि किसी भी देश की आबादी वहाँ का सबसे बड़ा संसाधान मात्र संख्या के आधार पर ही नहीं बन सकता। देश के लिए जनसांख्यिकीय विशेषताओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश को एक बड़ा-सा निवेश करना पड़ता है ताकि बड़ी संख्या को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। देश की आबादी को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत भी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है। इसलिए अगले अनुभाग में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार की जनसंख्या नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे।

पाठगत प्रश्न 14.4

1. 2001 की जनसंख्या के अनुसार, भारत का लिंग अनुपात :
   अ) 920 ब) 927
   स) 933 द) 943
2. 2003 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है :
   अ) 27.8 ब) 26.7
   स) 25.7 द) 24.0
3. अगर निर्भरता अनुपात अधिक हो तो क्या परिणाम हो सकता है?
4. भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात के लिए जिम्मेदार कोई भी दो कारण बताएँ।

14.6 भारत में जनसंख्या नीतियां

क्या आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नीति अपनाने की जरूरत पर विचार-विमर्श स्वतंत्रता से पहले भी शुरू हो गया था? अंतरिम सरकार द्वारा 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की गई जिसने जनसंख्या पर एक उप-समिति बनाई। इस समिति ने 1910 में अपने संकल्प में कहा, ''सामाजिक अर्थव्यवस्था परिवार की खुशी और राष्ट्रीय योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है।''

1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जो राष्ट्रीय जन्म जनसंख्या परिवार नियोजन पर बल देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनम दर को कम कर ''राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करना'' था। भारत जब से समय-समय पर जनसंख्या नीति में सुधार करता रहा है जिसके विस्तार से जानकारी संगत किताबों से प्राप्त कर सकते हैं अथवा आप उच्च कक्षा में पढ़ सकते हैं। वर्तमान में हम नवीनतम जनसंख्या नीति को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाया गया था।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, समाज में लोगों को सुअवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी परिसम्पति के रूप में विकसित करना है। जनसंख्या स्थिर करना सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देशभाल में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना है। इसके साथ ही साथ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है। मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रति स्थापन दर तक लाना है जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचालन रणनीतियों की जोरदार कार्यान्वयन नीति है।

2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है।

? क्या आप जानते हैं

प्रतिस्थापन स्तर पर कुल जननक्षमता दर : यह कुल प्रजनन दर है जिसमें एक नवजात बच्ची अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है। अधिक परिचित शब्दों में हर औरत उतने ही बच्चे को जन्म देती है जिससे वह प्रतिस्थापित हो रही है। इसका परिणाम शून्य जनसंख्या वृद्धि होता है। इस प्रकार की जनसंख्या उम्र के आधार पर वितरण एक-सा होता है जहां समान दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। जहाँ जन्म और मृत्युदर एक-सा है जनसंख्या स्थिर रहती है। और एक स्थिर दर से बढ़ती है। जहां प्रजनन और मृत्यु दर बराबर हैं, जनसंख्या स्थिर रहती है।

मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें निम्न समझा जाता है। सरल तर्क के अनुसार यह मानव संसाधन के रूप में अपनी आबादी के आधे के योगदान को राष्ट्र से वंचित किया है। जो भी विकसित विश्व में देखा और अनुभव किया जाता है यह उसके विरूद्ध है। हमारे देश में महिलाओं की भूमिका खाना पकाने से परिवारों की देखभाल करने के लिए सीमित कर दिया गया है। समाज उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव, दुर्व्यवहार और अपराध के लिए मूक दर्शक है।

यह आप भारतीय संविधान के अनुच्छे 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51म को पढ़ें तो पता चलेगा कि सभी के लिए न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। कई तरह के कानून पारित किए गये हैं जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 और 1978 की बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) अधिनियम। तथापि अभी तक महिलाओं की स्थिति बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं और यह आशा की जाती है कि महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख बढ़ावा तब मिला जब 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया। एक और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 1990 में पारित अधिनियम के माध्यम से 1992 में अस्तित्व में आया। आयोग को व्यापक कार्य आबंटित किया गया है। इसमें महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतू उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की जानकारी की जांच पड़ताल करना भी शामिल है।

इसका परम उद्देश्य उन्नति, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना है। ये कदम उनके जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। महिला सशक्तिकरण की जरूरतों और प्रयासों के बारे में पढ़, सीख और समझ सकते हैं जब विस्तार से सामाजिक आर्थिक विकास और वंचित समूहों के सशक्तिकरण पाठ में बताया जाएगा।

पाठगत प्रश्न 14.5

1. मान लीजिए कि एक विशेष जिले का क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। उसी जिले में जनसंख्या 17,400 26,200, 36,200, 42,200, 59,800 और 75,200 जनगणना वर्ष क्रमशः 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 के अनुसार है।

   (v) सभी छह जनगणना के लिए जनसंख्या घनत्व की गणना कीजिए।

   (ब) घनत्व में दशकीय परिवर्तन का पता लगाइये।

   (स) आपके जनसंख्या घनत्व की गणना के आधार पर कोई प्रवृति मिल सकती है?

आपने क्या सीखा

- जनसंख्या एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक - आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। इसे जनगणना कहा जाता है।
- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1028.7 करोड़ है जो 1901 की जनगणना (238.3 करोड़) की तुलना में चार गुना से भी ज्यादा है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है।
- जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में इसका वितरण बेहद असमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे ज्यादा घनत्व 9294 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 14 व्यक्ति वर्ग किमी. है।
- लिंग अनुपात कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। यह 2001 की जनगणना के अनुसार 933 है। महिलाओं को सशक्त बनाकर लिंग अनुपात में सुधार किया जा सकता है।
- भारत की जनसंख्या को मुख्य रूप से तीन आयु समूह में बांटा गया है, (i) बच्चों (0-14 वर्ष), (ii) वयस्कों (15-60 वर्ष) और (iii) वृद्धों (60 वर्ष से अधिक)। बच्चे और वृद्ध मिलाकर निर्भर जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या के 43 प्रतिशत है।
- एक जागृत समाज के लिए साक्षरता एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनगणना के अनुसार सात वर्ष और उससे ज्यादा आयु के लोगों को पढ़ने और समझने के साथ लिखने में सक्षम होना चाहिए। हमारे देश में साक्षरता दर में बहुत सुधार हुआ है। यह 1951 में मात्र 18. 33 प्रतिशत था जो 2001 में बढ़कर 65.37 प्रतिशत हो गया है। केरल में उच्चतम साक्षरता दर 90.86 प्रतिशत है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु दर को कम करने, परिवार कल्याण, जनसंख्या स्थिरिकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण द्वारा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतू उचित निवेश करके, हमारी बड़ी आबादी को देश के उत्पादक संसाधान के रूप में तब्दील किया जा सकता है।

पाठांत प्रश्न

1. लिंग अनुपात को परिभाषित करें। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है?
2. जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित करें और इसके गणन की विधि समझाइये।

3. हम भारत की उम्र संरचना के आंकडों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

4. विशाल जनसंख्या को हम किस तरह संसाधन के रूप में बदल सकते हैं?

5. निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें:

   (i) जनसंख्या का घनत्व

   (ii) जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर.

   (iii) साक्षरता

6. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को समझाइये।

7. महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है? महिला सशक्तिकरण कैसे पूरे समाज / समुदाय को सशक्त करता है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

14.1

1. कुछ जिसे इस्तेमाल तथा पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, विशेष प्रशिक्षण.

14.2

1. पश्चिम बंगाल

2. (द) 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

3. (i) औद्योगीकरण, (ii) शहरीकरण, (iii) रोजगार के अवसर, (iv) परिवहन और संचार के साधन

4. (i) ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति

   (ii) कठोर जलवायु हालत

14.3

1. (स) 20 प्रति हजार

2. (स) उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर

3. वर्ष 1921 में जनसंख्या में कमी दिखाता है लेकिन उसके बाद यह लगातार बढ़ रहा है।

14.4

1. (स) 933

2. (v) 27.8

3. सरकार निर्भर आबादी के कल्याण के लिए सरकार को बड़ा निवेश करना पड़ता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक विकास कार्यों के लिए कम धन उपलब्ध होता है।

4. (i) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव।
   (ii) महिला भ्रुण हत्या और शिशु हत्या।

14.5

वर्ष	(अ) घनत्व	(ब) घनत्व में दशकीय बदलाव	(स)
1951	87	–	जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि
1961	131	44	
1971	181	50	
1981	236	55	
1991	299	63	
2001	376	77	

15

संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था

मोना शिलाँग के एक स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। उसने अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने कहा, महोदय, मैने समाचार पत्रों और टेलिविजन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का उल्लेख होते अक्सर देखा है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों? अध्यापक ने कहा कि ''मोना तुमने एक महत्वपूर्ण अन्तर पर ठीक ही ध्यान दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के संविधान पर आधारित है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था हमारे संविधान पर। किसी भी देश के संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही वहाँ विभिन्न संस्थाओं तथा पदों का सृजन होता है तथा वे सभी कार्य करते हैं। वस्तुतः संविधान एक देश की राजनीतिक पद्धति के सभी पहलुओं को परिभाषित करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान कुछ ऐसे मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है, जो राजनीतिक पद्धति का केन्द्र होते हैं। ये मूल्य न केवल सरकार बल्कि नागरिक और समाज के लिए भी मार्गदर्शक होते हैं। मोना की तरह आपके दिमाग में भी भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे भारत के संविधान में कौन से मूल्य प्रतिबिम्बित हैं? भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति क्या है? भारत को संघीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इस पाठ में हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ के पूर्ण अध्ययन के बाद आप :

- व्याख्या कर पाएंगे कि संविधान किस प्रकार आधारभूत व मौलिक कानून एवं एक जीवंत दस्तावेज है;
- संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण कर पाएंगे तथा प्रतिबिम्बित केन्द्रिक मूल्यों की पहचान कर पायेंगे;
- उन केन्द्रिक संवैधानिक मूल्यों की समीक्षा कर पाएंगे, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं; तथा
- भारतीय संघीय व्यवस्था और शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कर सकेंगे।

15.1 भारत का संविधान

अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक है किसंविधान शब्द का अर्थ क्या है?

15.1.1 संविधान का अर्थ

आपने संविधान शब्द कई बार सुना होगा। इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भो में किया जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था या यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्था का संविधान, किसी कम्पनी का संविधान आदि। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन विभिन्न संदर्भो में एक समान है? नहीं ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानूनों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज्यादातर लिखित होते हैं तथा जो किसी संस्था, संगठन या कम्पनी की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित तथा नियमित करते है। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यो की पहचान करता है, परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के संबंधों को स्पस्ट करता है।

संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यह सर्वोच्च एवं परम मान्य ग्रन्थ होता है। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वह असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरूपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवन्त दस्तावेज होता है, क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशाधित करना आवश्यकता होता है। इसकी नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, समय की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने योग्य बनाती है।

क्या आप जानते हैं

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के संविधानों से भिन्न ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा अलिखित है जिसका संहिताकरण नहीं किया गया। इसका निर्माण सुंयक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान हैं।

15.1.2 भारतीय संविधान

क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नांकित चित्र में उसके मुखपृष्ठ को पहचान सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में, भारत का संविधान दुनियाँ के सभी संवधानों में सबसे लम्बा संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया

गया था। यह सभा जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई थी। इसके अधिकतम सदस्य स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल थे। उन्हें आदर से संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नांकित कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था :

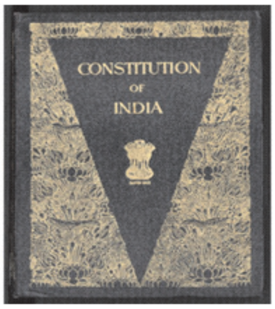

चित्र 15.1

(क) लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएँ

(ख) ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव;

(ग) गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी की विचारधारा;

(घ) देश की सामाजिक संस्कृति सोच और परिवेश; तथा

(ड) दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक देशों में संविधानों के क्रियान्वयन के अनुभव।

भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब से इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्या आप जानते है

संविधान सभा ने 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दो वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। संविधान निर्माण 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया।

भारत का संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ-साथ इसके आधारभूत उद्देश्यों को भी परिभाषित करता है। इसके प्रावधान (क) भारक का भू-क्षेत्र (ख) नागरिकता (ग) मौलिक अधिकार (घ) राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्त्तव्य (ड़) केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली तथा (च) राजनीतिक व्यवस्था के कई अन्य पक्ष से सम्बन्धित हैं। यह भारत को एक सम्प्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता हैं। इसमें सामाजिक बदलाव लाने तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

कार्यकलाप 15.1

भारत के संविधान की प्रति को पुस्तकायल से उपलब्ध करिए या इन्टरनेट पर देखिए। अपने पास-पड़ोस में निकटतम स्थान में अवस्थित किसी और सरकारी संगठन या खेल क्लब, विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ या सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन का पता लगाइए। उनसे अनुरोध कर उनके संगठन के संविधानों की प्रति प्राप्त कीजिए।

भारतीय संविधान की तुलना उन संगठनों के संविधानों के साथ कीजिए। दोनों तरह के संविधान में क्या-क्या अंतर हैं, संक्षेप में लिखिए।

पाठगत प्रश्न 15.1

1. संविधान का क्या अर्थ है?

2. रिक्त स्थान भरिए :

   (i) भारतीय संविधान .... संविधान है।

   (ii) भारतीय संविधान का निर्माण .... द्वारा हुआ था।

   (iii) भारतीय संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है, क्योंकि इसे .... बनाए रखना जरूरी है।

   (iv) प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को .... के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान .... को लागू हुआ।

15.2 संवैधानिक मूल्य

किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। यह आवश्यक नहीं की ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एकमत होते हैं। लेकिन वे कुछ आस्थाओं में साझेदारी करते हैं। संविधान सिद्धान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर आम सहमति विकसित होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। यह सहमति उन आदर्शों पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 'मूल्य' शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कहेंगे कि सत्य, अहिंसा, शान्ति, सहयोग, ईमानदारी, आदर तथा दया मूल्य हैं। आप ऐसे अनेक मूल्यों की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्त्व के लिए वांछनीय है। भारतीय संविधान में एसे सभी सार्वभौम, मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्य निहित हैं।

कार्यकलाप 15.2

निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। इनमें से ऐसे 6 शब्दों को चुनिए, जिन्हें आप अपने लिए मूल्य मानते हैं। उन शब्दों को दिए गए बॉक्स में लिखिए।

स्वतन्त्रता, प्रेम, पैसा, धुन, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा, प्रेरणा, खुशी, उत्तेजना, ज्ञान, सफलता, प्रसिद्धि, जोखिम, उत्साह, शांति, मित्रता, निद्रा, सुन्दरता

1.	4.
2.	5.
3.	6.

इन 6 मूल्यों में से ऐसे मूल्य को चुनिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ऐसे दो कारण लिखिए जिसके आधार पर आप इसको सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं।

मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य .... है।

इसके कारण हैं

1. ....

2. ....

क्या आप यह सोचते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य आपकी मनोवृत्ति तथा आपके व्यवहार को प्रभावित करता है? उदाहरणस्वरूप, एक व्यक्ति जो अहिंसा के मूल्य में विश्वास रखता है, हमेशा अपने व्यवहार में अहिंसक होता है।

15.2.1 सांविधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना

क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जैसा पहले कहा गया है, सांविधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिम्बित हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को समाहित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज के निर्देशक सिद्धान्तों की चर्चा होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारत राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता। इन सांविधानिक मूल्यों की चर्चा नीचे की गई है :

1. **सम्प्रभुता :** आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। यह भारत को एक ''सम्प्रभु पंथनिरपेक्षी लोकतांत्रिक गणराज्य'' घोषित करता है। सम्प्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। अर्थात् भारत आन्तरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतन्त्र है। यह बिना किसी हस्तक्षेप (किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा) अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। साथ ही, देश के अन्दर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। सम्प्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह सम्प्रभुता कहाँ निहित हैं। किन्तु प्रस्तावना में ''हम भारत के लोग'' कहना यह ईंगित करता है कि सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है। स्पष्ट है कि संवैधानिक पदाधिकारी एंव सरकार के सभी अंग लोगों से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।

2. **समाजवाद :** आप यह जानते होंगे की सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ भारतीय परम्परावादी समाज में अन्तर्निहित हैं। यही कारण है कि समाजवाद को एक सांविधानिक मूल्य माना गया है। इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अन्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनवद्ध तथा समन्वित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। यह कुछ हाथों में धन तथा शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों में असमानताओं को दूर करने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान हैं।

क्या आप जानते हैं

राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देते हैं :

''राज्य विशेषतौर पर, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा'' (अनुच्छेद 38(2)

''राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि : (क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे घन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीकरण न हो; (घ) पुरूषो और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो ...(अनुच्छेद 39)

3. **पंथ निरपेक्षता :** हम सभी खुश हो जाते हैं, जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। इस बहुलता के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता एक महान सांविधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत राज्य धर्म के विरूद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है।

4. **लोकतंत्र :** प्रस्तावना लोकतन्त्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। जनता देश के शासकों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के लोग इनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन मे भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यह व्यवस्था ''एक व्यक्ति एक मत'' के रूप में जाना जाता है। लोकतन्त्र स्थायित्व और समाज की निरन्तर प्रगति में योगदान करता है तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतन्त्र कानून के शासन, नागरिकों के अहरणीय अधिकारों, न्यायपालिका

की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथाा प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है।

5. **गणतन्त्र :** भारत केवल लोकतान्त्रिक देश ही नहीं बल्कि एक गणतन्त्र भी है। गणतन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक राज्याध्यक्ष, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। राजतन्त्र में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुत होता है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है, जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने की समान योग्यता रखता है। इस मूल्य का प्रमूख संदेश राजनीतिक समानता है।

6. **न्याय :** कभी-कभी आप यह महसूस करते होंगे कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता कि नागरिकों को पूर्णतः न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहाँ न केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सांविधानिक मूल्यों का स्थान दिया है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिक को दी गई राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मुल्यों में एक है।

7. **स्वतन्त्रता :** प्रस्तावना में चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथ उपासना की स्वतन्त्रता को एक केन्द्रिक मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इन्हें सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतन्त्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों की मौजूदगी के बिना लोकतन्त्र के आदर्शो को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. **समानता :** अन्य मूल्यों की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वात्तम विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्त्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका पूरी तरह उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है।

9. **बन्धुता :** प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बन्धुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसके अभाव में भारत का बहुलवादी समाज विभाजित रहेगा। अतः न्याय, स्वतन्त्रता और समानता जैसे आदर्शो को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बन्धुता को बहुत महत्व दिया है। बन्धुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय से छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं। यह भी आवश्यक है कि वैसी सभी साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाय, जो देश की एकता के मार्ग में बाधक हों।

10. **व्यक्ति की गरिमा :** बन्धुता को प्रोत्साहित करना व्यक्ति की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतन्त्र क्रियाशील नहीं हो सकता। यह लोकतान्त्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

11. **राष्ट्र की एकता और अखण्डता :** बन्धुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, को भी बढ़ावा देता है। देश की स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए एकता तथा अखण्डता अनिवार्य है। इसीलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है। भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा अपने कर्त्तव्य के रूप में करें।

12. **अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था :** यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों में प्रतिबिम्बित हैं। भारतीय संविधान राज्य को (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का; (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का; (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है। इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारत के हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बड़ा योगदान होगा।

13. **मौलिक कर्त्तव्य :** भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्त्तव्यों को निर्धारित करता है। यह सच है कि मूल अधिकारों की तरह इन कर्त्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्त्तव्यों का दर्जा दिया है। इनका इसलिए भी अधिक महत्व है, क्योंकि इनमें देशप्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, सद्‌भावपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक मनोदशा तथा परिपृच्छा और व्यक्तिगत एवं सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबिम्बित हैं।

पाठगत प्रश्न 15.2

1. मूल्य शब्द से आप क्या समझते हैं?
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को बताएँ। आप इन दोनों मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं?
3. नीचे कॉलम 'अ' में दिए गए मूल्यों/उद्देश्यों का कॉलम 'ब' में दिए गए कथनों के साथ मेल मिलाइए।

'अ' **सांविधानिक मूल्य/उद्देश्य**	'ब' **कथन**
(i) संप्रभुता	क. सभी तरह की असमानताओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना
(ii) समाजवाद	ख. जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन
(iii) पंथ निरपेक्षता	ग. बिना किसी भेदभाव के समान बर्ताव
(iv) लोकतन्त्र	घ. राज्याध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है
(v) समानता	ङ. धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता

(vi)	स्वतन्त्रता	च.	अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध
(vii)	बन्धुता	छ.	पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च सत्ता
(viii)	अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था	ज.	चिन्तन, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतन्त्रता
(ix)	गणतन्त्र	झ.	सामान्य भाईचारा की भावना

कार्यकलाप 15.3

कम-से-कम 5 लोगों के विचार इस प्रश्न पर इकठ्ठा कीजिए कि वे यह सोचते हैं कि सांविधानिक मूल्यों को कितना साकार बनाया गया है या सांविधानिक उद्देश्यों को कितनी दूर तक पूरा किया जाता है?

ये लोग आपकी कक्षा के मित्र या शिक्षक या आपके परिवार के सदस्य या आपके पड़ोस में रहने वाले समाजिक कार्यकर्ता या कोई अन्य हो सकते हैं। नीचे की तालिका के एक कॉलम में सांविधानिक मूल्यों तथा उद्देश्यों को लिखा गया है। दूसरे कॉलम में उन कम-से-कम 5 लोगों द्वारा अंक देना है। उन्हें कुल 10 अंकों में से मूल्यों/उद्देश्यों के सम्बन्ध में उपलब्धि के मूल्यांकन के आधार पर अंक देना है।

सांविधानिक मूल्य/उद्देश्य	जितनी उपलब्धि हुई है, के आधार पर कुल 10 अंको में दिया गया अंक				
	व्यक्ति 1	व्यक्ति 2	व्यक्ति 3	व्यक्ति 4	व्यक्ति 5
सामाजिक तथा आर्थिक न्याय					
चिंतन तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता					
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता					
राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता					
छुआछूत उन्मूलन					
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा					
सार्वभौम वयस्क मताधिकार					
भारत की जनता में निहित संप्रभुता					
न्यायालिका की स्वतन्त्रता					

सभी लोगों के उत्तर के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालिए कि किस मूल्य। उद्देश्य को सबसे अधिक साकार बनाया गया है तथा किसको सब से कम। इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास कजिए।

15.2.2 मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

प्रस्तावना में निहित सांविधानिक मूल्यों के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की गई चर्चा में यह पाएंगे कि सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1. **लिखित संविधान :** जैसा कि पहले कहा गया है, भारत का संविधान सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 5 परिशिष्ट हैं। यह मौलिक कानूनों का दस्तावेज है, जो राजनीतिक पद्धति की प्रकृति तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को परिभाषित करते हैं। यह भारत की एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि अभिव्यक्त करता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों को स्पष्ट करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केन्द्रिक सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है।

2. **अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण :** अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेजों में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। जहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतया अनमनशील होते हैं। उनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान होता है। ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधानों में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधानों में संशोधन करना बड़ा ही कठिन होता है। किन्तु भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है, न ही अमरीकी संविधान की तरह अनमनशील। इसमें निरन्तरता के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान में तीन तरीके से संशोधन किया जा सकता है : कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरी श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है।

3. **मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य :** आप मौलिक अधिकार पद से परिचित होंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग अध्याय है। इस अध्याय को भारतीय संविधान का ''अन्तःकरण'' कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरूद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। संविधान नागरिकों को राज्य के विरूद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरूद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का भी प्रावधान है। ये मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य कई महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

4. **राज्य के नीति निदेशक तत्त्व :** मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है, जिसका नाम राज्य के नीति निदेशक तत्त्व है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जांए। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्त्व राज्य को ऐसी नीतियाँ तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं, जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हों। जैसा कि आपने '' भारत एक कल्याणकारी राज्य'' नामक पाठ में पढ़ा है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन प्रावधानों का लक्ष्य है।

5. **एकीकृत न्यायिक व्यवस्था :** संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी संघात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्थ के विपरीत भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं निचले स्तर पर अधीनस्थ नयायालय हैं। लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान तरह से न्याय दिए जाने को सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हैं; क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यकारिणी तथा विधायिका के प्रभावों से मुक्त होती है।

6. **एकल नागरिकता :** भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका अर्थ है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वे कहीं भी रहते हों। यह व्यवस्था संयुक्तराज्य अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है, जहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था हैं वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक है जहाँ वह रहता है। साथ ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। भारतीय संविधान द्वारा दी गई इकहरी नागरिकता निश्चित रूप से समानता, एकता और अखण्डता के मूल्यों की समझ बनाती है।

7. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार :** समानता तथा न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित उम्र (18 वर्ष) का हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश तथा जन्मस्थान या निवास स्थानके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

8. **संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार :** भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इनके संबंध में व्यापक चर्चा हम नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं। साथ ही इसमें शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मूल्य भी निहित है। सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और सम्प्रभुता के मूल्य प्रतिबिम्बित है। संसदीय प्रणाली का केन्द्रिक सिद्धान्त जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधायिका के प्रति कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व है।

पाठगत प्रश्न 15.3

1. भारतीय संविधान की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में कौन-कौन से सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं?
3. भारतीय न्यायापलिका को एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहते हैं?
4. एकल या इकहरी नागरिकता का अर्थ क्या है?

15.3 भारत में सघीय व्यवस्था

आपने यह पाया होगा कि जब भी भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति, संरचना तथा प्रक्रियाओं पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि भारत एक संघीय राज्य है। सामान्यतया विश्व में दो प्रकार के राज्य हैं। वह राज्य जहाँ पूरे देश में केवल एक ही सरकार है। उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। यूनाइटेड किंग्डम एक एकात्मक राज्य है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ऐसे राज्य हैं, जहाँ दो स्तरों पर सरकारें हैं : एक केन्द्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्य (संघीय इकाई) के स्तर पर। दो स्तरों की सरकारों के अतिरिक्त संघीय पद्धति की निम्न विशेषताएँ होती हैं :

(i) लिखित संविधान, (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, तथा (iii) संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत की संघीय पद्धति में भी ये तीनों विशेषताएँ विद्यमान है। भारतीय संघीय पद्धति की प्रकृति का परीक्षण हम नीचे कर रहे हैं।

15.3.1 भारतीय संघीय पद्धति की विशषताएँ

1. **द्विसोपानीय सरकार :** आपने यह सुना होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा दो स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया गया है - एक सारे देश के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरी प्रत्येक इकाई यानि राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। कभी-कभी आपने भारत में त्रिसोपानीय सरकार की चर्चा सूनी होगी। क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एकअलग सोपन होता है। किन्तु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं। ये राज्य सरकारों के अन्दर ही कार्य करते हैं।

2. **शक्तियों का विभाजन :** अन्य संघों की तरह, भारतीय संघ में भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सांविधानिक स्थिति प्राप्त है। उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोडता या न ही दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है। संविधान में तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्यसूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं जैसे, रक्षा, रेलवे, डाक, एवं तार आदि। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। जैसे लोक स्वास्थय, पुलिस,

स्थानीय स्वशासन आदि। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम-संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि। इस सूची पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, संविधान ने ऐसे विषयों की जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते, केन्द्र सरकार को सौंपा है। ऐसे अधिकारों को अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। यदि शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

3. **लिखित संविधान :** जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, भारत का एक लिखित संविधान है, जो सर्वोच्च है। यह केन्द्र तथा राज्य दोनो सरकारों के लिए शक्ति श्रोत है। ये दोनो ही सरकारें अपने-अपने शासन क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अनमनीय नहीं है, यह एक नमनीय संविधान भी नहीं है। यह अनमनीयता तथा नमनीयता का अनोखा मिश्रण है।

? क्या आप जानते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 21 जून 1788 को स्वीकृत होने के बाद केवल 27 संशोधन हुए हैं। लेकिन भारतीय संवधिान में 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद जनवरी 2010 तक 95 संशोधन हो चुके हैं।

4. **स्वतन्त्र न्यायपालिका :** संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतन्त्र न्यायपालिका है। इसे इसलिए स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बरकरार रख सके। भारत में भी न्यायपालिका स्वतन्त्र है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

15.3.2 भारतीय संघीय व्यवस्था-मजबूत केन्द्र

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएँ विधमान हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है - " भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है।" ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भारत में केन्द्र सरकार बहुत मजबूत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की अवस्था तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा जानबुझकर किया गया था। भारत लगभग एक महाद्वीप जैसा विशाल देश है। इसकी विविधताएँ एवं सामाजिक बहुलकवाद भी अनोखा है। संविधान निर्माताओं का इसीलिए यह विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं तथा बहुलवाद को समायोजित कर सके। जब भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रान्तों में तो विभाजित था ही। इनके अतिरिक्त यहाँ 500 से भी अधिक रजवाड़े थे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में समाहित करना था या नए राज्य बनाने थे।

इसी संदर्भ में जानबूझकर केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया। देश की एकता से सम्बधित चिन्ता के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्यों के सहयोग से एक मजबूत केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। गरीबी , निरक्षरता, सामाजिक असमानताएँ तथा सम्पदा की असमानताएँ ऐसी समस्याएँ थीं, जिनके लिए एकीकृत योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना तथा समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। हम नीचे उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया।

1. संविधान का पहला अनुच्छेद ही यह इंगित करता है कि भारतीय संघ व्यवस्था भिन्न है। इस अनुच्छेद में भारत को एक ''संघ'' (फेडरल) नहीं कहा गया है। भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है। संसद को किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग कर या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य को निर्मित करने का अधिकार है। यह किसी राज्य की सीमा में भी बदलाव ला सकती है तथा किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। हालांकि संविधान ने कुछ बचाव के प्रावधान किए हैं। इन मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्य की विधायिका की राय लेना आवश्यक है।

? क्या आप जानते हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई नये राज्यों का निर्माण किया गया है। 2000-2001 में तीन नये राज्यों का निर्माण तीन राज्यों से क्षेत्रों को अलग कर किया गया : मध्यप्रेदश से अलगकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलगकर झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड बना। वैसा करने के कई कारण थे जिनमें से एक था उन क्षेत्रों में धीमी विकास गति।

2. शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रख गया है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के संबंध में भी संविधान ने केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनया गया कानून ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत तथा समाकलित है तथा इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. जब किसी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। संकटकालीन स्थिति संघीय व्यवस्था को एकीकृत एवं केन्द्रित व्यवस्था में बदल सकती है। वैसी स्थिति में राज्यों के अधीन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य में या उसके किसी भाग में उपद्रव हो तो केन्द्रीय सरकार राज्य में या उसके उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में केन्द्रीय बल को तैनात कर सकती है।

5. जैसा आप ''राज्यस्तर का शासन'' नामक पाठ में पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात, केन्द्रीय सरकार, द्वारा होती है। यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है तथा अपने प्रतिवेदन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति कर सकता है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है तथा राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन करता है। राज्य विधान सभा भंग की जा सकती है या निलम्बित की जा सकती है। सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य के विधायन प्रक्रिया में देर करने या उस विधेयक को अस्वीकार कर देने का अवसर मिल जाता है।

6. केन्द्रीय सरकार को प्रभावशाली वित्तीय अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। सबसे पहले, राजस्व उत्पन्न करने वाले सभी मद केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हैं। राज्य अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में स्वतन्त्रता के बाद योजना को तेज आर्थिक प्रगति एवं विकास के एक साधन के रूप में अपनाया गया है। इसके कारण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण हुआ है।

7. अन्ततः संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यकारिणी अधिकार राज्यों के कार्यकारिणी अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। साथ ही भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के समूचे क्षेत्र के लिए समान है। तथा इनके तहत चुने हुए पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन तंत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार एक आई.ए.एस. पदाधिकारी राज्य के अन्दर एक कलक्टर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं। राज्य उनके विरूद्ध कोई प्रशासनिक या अनुशासन से संबंधित कार्यवाही नहीं कर सकता है न तो इन्हें पद मुक्त कर सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार की स्थिति राज्य सरकारों से मजबूत है। राज्यों को केन्द्र के साथ सहयोग करना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।

कार्यकलाप 15.4

पुस्तकों या इन्टरनेट की सहायता से भारत के राज्यों की एक सूची बनाइए और यह पता कीजिए कि उन राजयों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था।

15.3.3 राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग

पिछले छः दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण के कारण राज्यों तथा केन्द्र के बीच के संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक

प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करें। यही कारण है कि समय-समय पर राज्यों ने उन्हें अधिक अधिकार एवं अधिक स्वायत्तता दिए जाने की माँग की है।इस पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग तथा अन्य आयोगों की नियुक्त की। मार्च 2010 को केन्द्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति सबसे नया प्रयास है।

विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार संविधान के बुनियादी ढ़ाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु एक स्थायी अन्तर राष्ट्रीय परिषद की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे। यदि इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजनावद ढंग से किया गया तो पृथकतावादी सोच स्वयं नियंत्रित हो जाएगी। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच के मतान्तरों को आपसी बातचीत के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने की मांग की संस्तुतियों को काफी समर्थन मिला है।

कार्यकलाप 15.5

लगभग गत 5 वर्षो से एक राज्य में एक अलग राज्य बनाए जाने के लिए आन्दोलन चल रहा है। उस राज्य की पहचान कीजिए तथा इस तरह की माँग के कारणों की चर्चा कीजिए। यह भी बतलाइए कि वहाँ के नेताओं द्वारा मई और सितम्बर 2011 के बीच कौन-कौन से कदम उठाए गए थे?

पाठगत प्रश्न 15.4

1. संघीय व्यवस्था की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. भारत के बारे में यह कहा जाता है कि "भारत स्वरूप में एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।" इसक कथन के दो कारणों की चर्चा कीजिए।
3. छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखण्ड राज्यों को 2000-2001 के दौरान बनाया गया। यह बताइए कि इनको किन राज्यों से अलगकर बनाया गया? इनके बनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए।

15.4 भारत में संसदीय शासन प्रणाली

भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता इसकी संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणालियों के दो रूप होते हैं : अध्यक्षीय तथा संसदीय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। किन्तु संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। यूनाइटेड किंग्डम में संसदीय

शासन प्रणाली है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया क्योंकि भारत में 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी। भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध है।

(ii) कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है।

(iii) कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाममात्र का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है, जो वास्त्विक कार्यकारिणी है।

चित्र 15.2 भारत की संसद

1. **विघायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध :** भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी में राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका अर्थात संसद के दो सदन है : लोकसभा एवं राज्य सभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनैतिक दलों के गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री के पदपर नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रीपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनो सदनों की बैठक बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है।

2. **कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व :** मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्त्व पूरी मंत्रिपरिषद

का उत्तरदायित्त्व होता है। मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति भी उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदन मंत्रिपरिषद को नियन्त्रित रखते हैं। ऐसा करने के लिए वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसके कार्यो पर प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद-विवाद करते है तथा सरकार के कार्यो की तीखी आलोचना करते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पारित किया जाता है।

वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है।

3. **नाममात्र और वास्तविक कार्यकारिणी :** भारत में कार्यकारिणी के दो भाग है - नाममात्र कार्यकारिणी तथा वास्तविक कार्यकारिणी। राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, नाममात्र था औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार में उनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारिणी है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता।

4. **प्रधानमंत्री-वास्तविक कार्यकारिणी :** प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी की धूरी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की अनुसंशा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रियों बीच विभागों का आबंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठको की अध्यक्षता करता है। वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच की एकमात्र कड़ी है। प्रधानमंत्री के निर्णय से किसी भी मंत्री को पदच्युत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पदत्याग करने से सारी मंत्रीपरिषद भंग हो जाती है।

इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली सतोषजनक ढंग से क्रियान्वित हो रही है। राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की सरंचना केन्द्र की प्रणाली के अनुरूप है। वहाँ कार्यकारिणी में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं राज्यपाल राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी की तरह कार्य करते हैं। राज्य विधायिकाएँ संसद की तरह कार्य करती हैं। कुछ राज्यों की विधायिकाएँ द्विसदनीय (विधानसभा तथा विधान परिषद) हैं। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय (विधान सभा) विधायिकाएँ हैं।

पाठगत प्रश्न 15.5

1. संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच किस तरह के सम्बन्ध होते हैं?
2. भारत के राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है?
3. सामूहिक उत्तरदायित्त्व का अर्थ क्या होता है?
4. संसद के दोनो सदन मंत्रिपरिषद को किस तरह नियंत्रित रखते हैं?

आपने क्या सीखा

- राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यो को परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के सम्बंधों को स्पष्ट करता है।

- भारत का संविधान इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसके द्वारा भारत में एक सम्प्रभु, लोकतान्त्रिक, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने तथा वैयक्तिक नागरिक एवं राज्यों के बीच के संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

- किसी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ, ऐसे आदर्शो को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनाते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। संविधान सिद्दान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के एक सेट की तरह है जिनपर देश सभी व्यक्तियों की सहमति होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आग बढ़े। यह सहमति केवल शासन के प्रकार पर ही नहीं बल्कि उन आदर्शो पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य निहित हैं, जो संविधान की आत्मा है तथा इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त हैं।

- सांविधानिक मूल्य पूरे संविधान में प्रतिबिम्बित हैं। उसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को सम्मिलित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। ये हैं : सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।

- सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान के सभी प्रमुख विशेषताओं में भी व्याप्त हैं। जैसे लिखित संविधान, अनमनशील तथा नमनशील संविधान का अनोखा मिश्रण, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मौलिक कर्त्तव्य, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संघवाद तथा संसदीय शासन प्रणाली।

- भारत एक संघ राज्य है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है तथा द्विसोपानीय सरकार, केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है तथा यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका है। लेकिन यह एक ऐसा संघ राज्य है जहाँ केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत है। संविधान द्वारा जानबुझकर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

- भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तथा नाममात्र की कार्यकारिणी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तविक कार्यकारिणी का प्रधान है। कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है।

पाठान्त अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

   (i) प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए।

   (ii) संविधान का क्या अर्थ है?

   (iii) भारतीय संविधान को किसने बनाया?

   (iv) सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है?

2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

   (i) संविधान के महत्व की विवेचना कीजिए।

   (ii) प्रस्तावना में कौन-कौन से प्रमुख सांविधानिक मूल्य सम्मिलित हैं?

   (iii) भारतीय संविधान की कौन-कौन सी विशषताएँ हैं?

   (iv) भारतीय संविधान की किन्हीं तीन संघीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

   (v) भारतीय संविधान अनमनीय तथा नमनीय है। कैसे?

   (vi) भारत को ऐसा राज्य क्यों कहा जाता है जिसका स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है?

   (vii) भारत की संसदीय शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कीजिए।

   (viii) क्या आपने अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले गणतन्त्र दिवस में सहभागी या दर्शक के रूप में भाग लिया है? यदि हाँ तो उस समारोह की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए।

   (ix) नीचे सउदी अरब के एक नागरिक तथा एक भारतीय नागरिक के बीच की अभिलिखित बातचीत को प्रस्तुत किया गया है। सउदी अरब के नागरिक द्वारा कही बातों को नीचे लिखा गया है। किन्तु भारतीय नागरिक द्वारा दिये गए उत्तर को अभिलिखित नहीं किया जा सका था। इसीलिए वे स्थान खाली हैं। इस पाठ से प्राप्त एवं आपके आपने ज्ञान के आधार पर इस बातचीत को पूरा कीजिए तथा समुचित उत्तर दिजिए। (''स अ'' का मतलब सउदी अरब का नागरिक है तथा ''भा'' का मतलब भारतीय नागरिक है)

      (क) स अ हमारे देश में एक वंशानुगत राजा का शासन है। हमलोग उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमलोगों की शासन प्रणाली राजतन्त्र है।

      भा ....

(ख) स अ सउदी अरब में हम लागों की शासन व्यवस्था आप लोगों जैसी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं। चुनाव नहीं होते तथा लोगों की सरकर बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ तक कि मीडिया भी ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, जो राजा को पसन्द नहीं।

भा ....

(ग) स अ हमारे देश में केवल एक ही धर्म है। अतः वहाँ धर्म की स्वतन्त्रता नहीं है प्रत्येक नागरिक को मुसलमान होना जरूरी है।

भा ....

(घ) स अ हाँ, गैर-मुस्लमानों को अपना धर्म मानने की इजाजत रहती है, लेकिन अकेले में सभी लोगों के सामने नहीं।

भा ....

(ड) स अ हमारे देश में लिंग के आधार पर भेदभाव है। स्त्रियों को पुरूषों के समान नहीं समझा जाता। उनपर सार्वजनिक तौर पर कई बन्धन है। यहाँ तक कि एक पुरूष की गवाही दो महिलाओं की गवाही के बराबर मानी जाती है।

भा ....

भारतीय द्वारा अभिवक्त विचार

(क) स्वतन्त्रता के बाद भारत में राजा का शासन नहीं है। उसके बदले, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है जिसपर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। इस प्रकार भारत एक गणतन्त्र है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दल लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमलोगों को संघ बनाने तथा राजनीतिक दल बनाने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में मीडिया किसी भी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

(ग) लेकिन हमलोगों का एक पंथ निरपेक्ष देश है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की गारन्टी प्रदान करता है हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एवं अन्य को अपने-अपने धर्म का आचरण करने की स्वतन्त्रता है।

(घ) आश्चर्य की बात है। हमारे देश में संविधान सार्वजनिक रूप से भी धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

(ड) हमारे संविधान में लैंगिक समानता का प्रावधान है, यद्यपि व्यवहार में हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन स्त्रियों को हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार है। उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1

1. राज्य और राष्ट्र के सन्दर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों एवं स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है तथा नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का भी प्रावधान करता है और नागरिक एवं राज्य तथा सरकार के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट करता है।

2. (i) सबसे लम्बा (ii) संविधान सभा (iii) अद्यतन (iv) गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950

15.2

1. मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय है।

2. प्रस्तावना में अभिव्यक्त किए गए मूल्य संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किए गए हैं ये हैं: सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति, न्याय, समानता, बन्धुता, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।

3.

'अ'	'ब'
(i)	छ
(ii)	क
(iii)	ड.
(iv)	ख
(v)	ग
(vi)	ज
(vii)	झ
(viii)	च
(ix)	घ

15.3

1. (i) लिखित संविधान; (ii) अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण; (iii) मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य; (iv) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व; (v) एकीकृत न्यायिका व्यवस्था; (vi) एकल नागरिकता; (vii) सार्वभौम वयस्क मताधिकार; (viii) संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली।

2. सामाजिक तथा आर्थिक समानता, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति

3. यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं नीचे के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय भारत का एक नागरिक है, चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो और उसका निवास स्थान कहीं भी हो।

15.4

1. (i) केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर द्विसोपानीय सरकार; (ii) केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन; (iii) लिखित संविधान; (iv) न्यायपालिका की सर्वाच्चता एवं स्वतन्त्रता।

2. (i) भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्त्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है; (ii) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है; (iii) भारत में एकीकृत तथा समाकलित न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है; (iv) जब कभी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और भारत लगभग एक एकात्मक राज्य बन जाता है। (कोई दो)

3. पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से अथवा इन्टरनेट से आवश्यक सूचना एकत्रित कीजिए तथा इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिए।

15.5

4. कार्यकारिणी अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद तथा विधायिका अर्थात संसद के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को पदत्याग करना पड़ता है।

2. राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, एक नाममात्र का और औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी अधिकार भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार इन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्याकारिणी है।

मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है वह संसद सदस्यों से मिलकर बनता है। यदि संसद राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पदत्याग करना पड़ता है।

3. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। यदि एक मंत्रालय की भी आलोचना होती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी समझा जाता है।

4. संसद के दोनो सदन सरकार की नीतियो, कार्यक्रमों तथा कार्यो पर प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की स्वीकृति नहीं मिले। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पास किया जाता है।

16

मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य

आजकल ‘‘शिक्षा का अधिकार’’, ‘‘सूचना का अधिकार’’ तथा ‘‘शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार’’ जैसे पदांशों का बार-बार प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं। साथ ही, हमें अन्य किसी व्यक्ति से या अपने शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि हमारे अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। परंतु क्या आप सोचते हैं कि सभी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं या कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं? संभवतः नहीं। परंतु इस बात से सब सहमत होंगे कि कुछ अधिकार ऐसे है जिनका प्रत्येक व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे कुछ अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। वैसे ही, ऐसे कुछ कर्त्तव्य हैं जिनका पालन लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को करना होता है। इसी कारण भारत का संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार ही ‘‘मौलिक अधिकार’’ कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कुछ मुख्य कर्त्तव्य सूचीबद्ध हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किये जाने की आशा की जाती है। ये ‘‘मौलिक कर्त्तव्य’’ कहलाते हैं। इस पाठ में मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्त्तव्यों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्त्तव्यों के अर्थ की व्याख्या करने तथा हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी आवश्यकता तथा महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में।
- भारतीय संविधान में दिय गये मौलिक अधिकारों के महत्व का मूल्यांकन तथा उसके अपवादों एवं सीमाओं का विश्लेषण कर पाने में।
- हाल ही में जोड़े गये ‘‘शिक्षा का अधिकार’’ के निहितार्थ को समझ पाने में।
- मौलिक अधिकारों तथा मानव अधिकारों के बीच तुलना कर पाने में।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक तरीको द्वारा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझ पाने में तथा
- मौलिक कर्त्तव्यों के महत्व तथा भारत के एक अच्छे तथा विधि परायण नागरिक के रूप में उनका पालन करने की आवश्यकता समझ पाने में।

16.1 अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का अर्थ तथा महत्व

हम अकसर अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रिया के नियम हैं। ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं तथा दायित्व लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।

अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिकार स्वतंत्रता या हकदारी के कानूनी, सामाजिक अथवा नैतिक सिद्धान्त हैं। कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परम्परा अथवा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श नियम हैं जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। अधिकार सामान्यतः समाज अथवा संस्कृति के आधार स्तंभों के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जाते हैं। परंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। कर्त्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किये जाने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता-पिता का कर्त्तव्य है। आपके भी अपने माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य है। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करें। वास्तव में अधिकार तथा कर्त्तव्य जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है।

अधिकार तथा कर्त्तव्यों के एक दूसरे के पूरक बन जानें तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान बन सकता है। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं, जो हम दूसरों के प्रति करते हैं।

इस तरह अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े होते हैं, कर्त्तव्य कहलाते हैं। यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का अधिकार रखते हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह कर्त्तव्य भी है कि हम इसका दुरुपयोग न करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचायें।

क्रियाकलाप 16.1

नीचे दिये गये बाक्स में अपने परिवार, दोस्तों तथा पड़ोसियों के प्रति अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को लिखिये।

मेरे कर्त्तव्य

परिवार के प्रति	दोस्तों के प्रति	पड़ोसियों के प्रति
1.	1.	1.
2.	2.	2.

मेरे अधिकार

परिवार के प्रति	दोस्तों के प्रति	पड़ोसियों के प्रति
1.	1.	1.
2.	2.	2.

आपके अनुसार आपके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच क्या अन्तर है? क्या वे परस्पर सम्बन्धित हैं? कैसे?

16.2 मौलिक अधिकार

जैसा कि हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। इस अर्थ में अधिकारों की एक लंबी सूची होगी। जबकि ये सब अधिकार समाज द्वारा पहचाने जाते हैं, इनमें से कुछ अति महत्त्वपूर्ण अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गयी है तथा संविधान में स्थान दिया गया है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते है। ये दो कारणों से मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। प्रथम, ये संविधान में उल्लिखित है जिनकी सविंधान गारंटी देता है और दूसरा, ये न्याय योग्य हैं अर्थात न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं। न्याय योग्य होने का अर्थ है कि इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो इनको सीमित करता है तो न्यायालय उस कानून को अमान्य कर देते हैं।

भारतीय संविधान के खण्ड III में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है। संविधान भारतीय नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये हैं :

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हालांकि ये मौलिक अधिकार सार्वभौमिक हैं, संविधान में इनके कुछ अपवाद और प्रतिबंध भी दिये गये हैं।

? क्या आप जानते हैं

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार दिये गये थे। ऊपर वर्णित छः अधिकारों के अलावा संपति का अधिकार भी दिया गया था। चूंकि इस अधिकार की वजह से समाजवाद तथा संपत्ति के न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आ रही थी अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। हालांकि इसके हटाये जाने का यह अर्थ नहीं कि हम संपति अर्जित करने, रखने और बेचने का अधिकार नहीं रखते। नागरिकों का अभी भी यह अधिकार है। परंतु अब यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार मात्र है।

16.2.1 समानता का अधिकार

हमारे जैसे समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है जहाँ पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए पांच प्रावधान (अनुच्छेद 14-18) किये गये हैं। साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है।

(i) **कानून के समक्ष समानता :** संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका तात्पर्य है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि दो व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दण्ड मिलेगा।

(ii) **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं :** राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच होगी तथा वह कुओं, तालाबों अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकेगा। हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है।

(iii) **सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता :** सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। हालांकि उस के कुछ अपवाद हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए रोजगार में आरक्षण के विशेष प्रावधान किये गये हैं।

चित्र 16.1 लैंगिक भेदभाव के बिना कार्यालयों में काम करते लोग

(iv) **छुआछूत का उन्मूलन :** किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंतर्गत दण्डनीय बनाया गया है। यह प्रावधान ऐसे लाखों भारतीयों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया गया प्रयास है जो जाति या व्यवसाय के कारण तिरस्कृत रहे हैं। परंतु यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह सामाजिक बुराई आज भी बनी हुई है। एक नर्स द्वारा एक मरीज की देखभाल, मां द्वारा अपने बच्चे की सफाई तथा एक औरत द्वारा टॉयलेट की सफाई करने में आप कोई अंतर पाते हैं? टॉयलेट साफ करने को लोग बुरी निगाह से क्यों देखते हैं?

(v) **उपाधियों का उन्मूलन :** ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर (नाइटवुड) या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है क्योंकि ये सब कृत्रिम अंतर पैदा करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक और सैन्य पुरस्कार दिये जाते हैं। नागरिक पुरस्कारों के रूप में भारत रत्न, पद्‌म विभूषण, पदम भूषण तथा पदम श्री एवं सैन्य पुरस्कार जैसे-वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि प्रदान किये जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पद्‌वियां नहीं हैं। शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाये जा सकते हैं।

चित्र 16.2 नागरिक एवं सैन्य पुरस्कार

क्रियाकलाप 16.2

निम्नलिखित प्रश्नों पर कम से कम अपने पांच सहपाठियों, दोस्तों अथवा परिवार के व्यस्क सदस्यों और पड़ोसियों की राय एकत्रित करें।

1. क्या आप मानते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया आरक्षण उचित है?
2. क्या आप मानते हैं कि अभी भी लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथों पानी पीने से मना करते हैं?
3. क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी नागरिकों के लिए वास्तविक अर्थ में कानून के समक्ष समानता है?

उनके द्वारा दिये गये उत्तर को नीचे दी गयी सारणी में अंकित करें तथा निष्कर्ष निकालें। इन प्रश्नों के संबंध में अपने स्वयं के मत का भी उल्लेख करें।

प्रश्न	व्यक्तियों के उत्तर				
	प्रथम व्यक्ति	द्वितीय व्यक्ति	तृतीय व्यक्ति	चतुर्थ व्यक्ति	पंचम व्यक्ति
प्रश्न सं 01					
प्रश्न सं 02					
प्रश्न सं 03					

पाठगत प्रश्न 16.1

1. अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं? वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं?

2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं हैं तथा क्यों?

   (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भेदभाव का उदाहरण है।

   (ii) एक पूर्व संघीय मंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी गयी है।

   (iii) सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी के लिए खुला रखा गया है।

   (iv) रोजगार के लिये योग्यता धर्म पर आधारित है।

   (v) राय बहादुर सोहन सिंह लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी है।

3. निम्न में से कौन-सा एक छुआछूत का एक प्रकार नहीं हैं?

   (i) धार्मिक स्थानों में प्रवेश के दो दरवाजे होते हैं एक दलितों के लिये तथा दूसरा अन्यों के लिये।

   (ii) एक व्यायामशाला में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है।

   (iii) गांव के हैंडपंप का प्रयोग दलित अन्य लोगों के साथ करते हैं।

   (iv) एक दलित वर्ग की दुल्हन को शादी के अवसर पर दुल्हन की वेशभूषा पहनने की अनुमति नहीं दी गई।

16.2.2 स्वतंत्रता का अधिकार

आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की सबसे महत्त्वपूर्ण इच्छा होती है। मानव जाति के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्रता अपेक्षित और आवश्यक है। आप भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में उल्लिखित हैं। अधिकारों की निम्नलिखित चार श्रेणियां हैं:

II. **छः स्वतंत्रताएं** - संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित छः स्वतंत्रताएं दी गयी हैं :

(अ) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ब) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता

(स) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(ड) भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

(इ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

(छ) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

उपुर्यक्त स्वतंत्रताओं का उद्देश्य लोकतंत्र के लिए समुचित वातावरण बनाये रखना है। यद्यपि संविधान राज्य को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता हैः

1. विचार अभिव्यक्ति- स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
2. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
3. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
4. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता तथा बस जाने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
5. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य द्वारा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं लगायी जा सकती हैं।

II. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

III. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

IV कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण - जैसा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीध्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा प्रतिरूद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अविध के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध व्यक्ति को तीन माह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं

1. क्या होगा यदि राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंधों के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे? संविधान के अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध के मामले का निपटारा केवल न्यायालय कर सकते हैं, सरकार नहीं।

2. विदेशियों निवासियों द्वारा केवल कुछ मूलाधिकारों का ही प्रयोग किया जा सकता है सभी का नहीं। उदाहरणार्थ कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं परंतु अन्य मूलाधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

पाठगत प्रश्न 16.2

1. भारतीय संविधान द्वारा कौन-सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गयी हैं?
2. निम्नलिखित मामलों में कौन-सी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है?
   (i) राज्य नीति द्वारा विशेष राजीनतिक दल के नेता को बिना किसी कारण के सीमापार कर राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।
   (ii) कामगारों को संगठित होकर अपनी मांगों को प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं देना।
   (iii) लोगों को अपने राज्य को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने के लिए दबाव डाला जाये।
   (iv) मोची के बेटे को गांव में मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती।
   (v) किसी राजनीतिक दल को सार्वजनिक सभा करने की अनुमति नहीं दी जाती।
3. अपराधों के लिए दोषसिद्धि, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के लिए संविधान में क्या उपबंध किये गये हैं।

क्रियाकलाप 16.2

नीचे संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताएं तथा राज्य द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिबंध दिये गये है। स्वतंत्रता के युक्तियुक्त प्रतिबंध दिये गये हैं। स्वतंत्रता का युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ मिलान कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये प्रतिबंध उचित हैं? अपने विचार के पक्ष में कारण दीजिए।

स्वतंत्रताएं	युक्तियुक्त प्रतिबंध
1. विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	(अ) हिंसा को भड़काने के लिए व्यक्ति/समूहों के भ्रमण पर प्रतिबंध
2. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता	(ब) जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ के व्यापार जैसे कारोबार की अनुमति नहीं देना।
3. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता	(स) हवाई अड्डे के पास निवास स्थान के लिए मनाही
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता	(द) लोगों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता	(य) आतंकवादी गतिविधियों की सहायता करने के लिए संगम के निर्माण की मनाही
6. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता	(र) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार भाग लेना

16.2.3 शोषण के विरूद्ध अधिकार

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितनी तरह से शोषण किया जाता रहा है? आपने छोटे बच्चे को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में जबरदस्ती काम कराते हुए देखा होगा। पारम्परिक रूप से, भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिए संविधान में शोषण के विरूद्ध प्रावधान दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरूद्ध अधिकारों को दिया गया है। ये प्रावधान निम्न हैं:

1. **मानव के दुर्व्यापार तथा बलात श्रम का प्रतिषेध** - मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

क्या आप जानते हैं

1. मानव के दुर्व्यापार से अर्थ है मानव को एक वस्तु के रूप में बेचना और खरीदना। मानव व्यापार, मुख्य रूप से नव युवतियों, लड़कियाँ तथा बालकों का व्यापार एक गैर कानूनी व्यापार के रूप में आज भी जारी है।

2. पूर्व में विशेषतौर पर सामंतवादी भारतीय समाज में, गरीब तबकों तथा पददलित वर्गों के व्यक्ति जमींदारों तथा अन्य बलशाली लोगों के लिए मुफ्त में काम करते थे। इस तरह का चलन बेगार या बलात श्रम कहलाता था।

3. **कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबेध -** जैसा कि संविधान में दिया गया है चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जायेगा या किसी अन्य जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जायेगा। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में युगों से चल रहे बाल श्रम जैसी प्रमुख गंभीर समस्या से छुटकारा पाना है। बच्चे समाज की परिसम्पत्ति हैं। खुशहाल बचपन तथा शिक्षा प्राप्त करना उनका आधारभूत अधिकार है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है तथा आपने भी देखा होगा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अनेक स्थानों पर बालश्रम की समस्या आज भी देखी जा रही है। इस दुर्भावना को इसके विरोध में जनमत के आधार पर ही दूर किया जा सकता है।

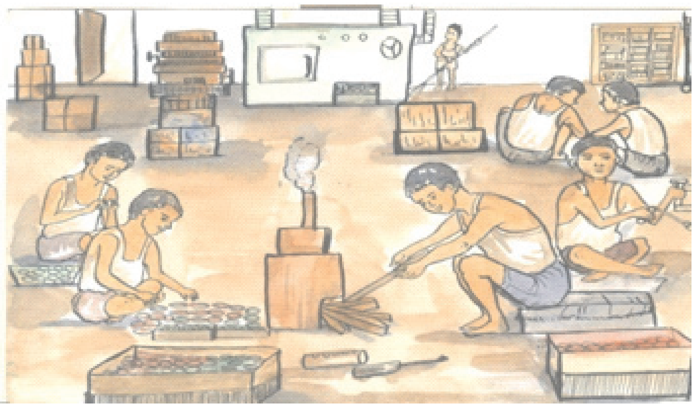

चित्र 16.3 जोखिम भरी परिस्थिति में काम करते हुए बच्चे

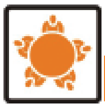

क्रियाकलाप 16.3

गोनू और सोनू जो क्रमशः 9 व 11 साल के हैं, झारखण्ड के एक दूरवर्ती गांव से हैं। उनके पिता ने उनको दो-दो हजार रुपये में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के एक चूड़ी निर्माता को बेच दिया। उन्हें वहाँ बहुत ही अस्वास्थ्यकर तथा संकटमय परिस्थितियों में पहले से काम कर रहे अन्य बच्चों के साथ जबरन काम पर लगाया गया। उनको पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था, न ही सोने के लिए पर्याप्त समय। यदि उनको कोई चोट लग जाती अथवा जल जाते या बीमार हो जाते तो भी उनको मारा जाता, उत्पीड़ित किया जाता तथा बलपूर्वक 18-20 घण्टे तक काम करवाया जाता था। कुछ बच्चे जो वहां से बचकर भाग गये वे अन्य शहरों में भीख मांगने, चोरी करने अथवा अन्य छोटे कामों में लग गये। उनकी हमेशा इच्छा रही कि वे अपने माता-पिता से मिलें परंतु वे ऐसा कभी नहीं कर पाये।

समाचार पत्र में छपी उपरोक्त कहानी को पढ़िये तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. इस कहानी में कौन-से मूलाधिकारों का उल्लंघन हुआ है?
2. उन माता-पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया अथवा ऐसी परिस्थितियों की तरफ धकेल दिया?

3. बच्चों को ऐसे शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं?

चूड़ी फैक्ट्री में लंबे समय तक काम कर रहे गोनू तथा सोनू की जगह अपने आप को रखिये। सहायता पाने के लिये तथा अपनी परिस्थितियों में बदलाव के लिए आप क्या कर सकते हैं?

16.2.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना के एक उद्देश्य के रूप में ''नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने'' की घोषणा की गयी है। चूंकि भारत में अनेक धर्म है, जहाँ हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य समुदाय साथ-साथ रहते हैं, संविधान में भारत को 'पंथनिरपेक्ष राज्य' घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। परंतु नागरिकों को अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता दी गयी है। परंतु इससे अन्य लोगों के धार्मिक विश्वासों अथवा आराधना पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्रता विदेशियों को भी प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 25-28 में उपबंध किये गये हैं :

1. **अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता** : सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि बल पूर्वक अथवा लालच देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का धर्म परिवर्तन कराया जाये। साथ ही, कुछ अमानवीय, गैरकानूनी तथा अंधविश्वासी चलन पर रोक लगा दी गयी है।

   देवी-देवताओं तथा किसी आलौकिक शक्तियों को प्रसाद स्वरूप पशुबलि या नरबलि जैसे चलन पर रोक लगा दी गयी है। इसी तरह, सती प्रथा के नाम पर विधवा को अपने पति के शव के साथ (इच्छा से अथवा बलपूर्वक) जिंदा जलाने पर भी रोक लगा दी गयी है। विधवाओं को दूसरी शादी की अनुमति नहीं देना अथवा सिर का मुण्डन करना अथवा सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करना अन्य सामाजिक बुराई है जो धर्म के नाम पर बलपूर्वक की जा रही है। ऊपर उल्लेखित प्रतिबंधों के अलावा राज्य के पास धर्म से जुड़ी हुईं आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति होती है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं।

2. **धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता :** लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को (क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन का (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का (ग) चल-अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और (द) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

3. **किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता :** किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशिष्ठ धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या संचालन पर व्यय करने के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाय।

4. **कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रताः** पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। यद्यपि यह ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। परंतु राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

पाठगत प्रश्न 16.3

1. 'शोषण के विरूद्ध अधिकार' को मूलाधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिएः
   (अ) बिना किसी भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करना
   (ब) मानव खरीद फरोक्त
3. आपके पड़ोस में वास्तविक जीवन में किये जा रहे शोषण की किन्हीं चार स्थितियों का उल्लेख कीजिए।

16.2.5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत संस्कृति, लिपि, भाषा एवं धर्मों की विविधता लिये हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि हम जानते है लोकतंत्र बहुमत का शासन है। परंतु इसके सफलता पूर्वक संचालन के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है ताकि बहुमत के शासन के प्रभाव में अल्पसंख्यक उपेक्षित और कमजोर महसूस न कर सकें। चूंकि लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए एक विशेष अधिकार जिसे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, मूलाधिकार अध्याय में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29-30 में इस संबंध में प्रावधान किये गये हैंः

1. **अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण :** किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

2. **शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गो का अधिकार :** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि

द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाये। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

क्या आप जानते है

राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं है। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिख पंजाब में बहुसंख्यक है परंतु वे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक है। इसी तरह तेलगू, कन्नड़ तथा बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग भारत के अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक है परंतु अपने स्वयं के राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल में नहीं।

16.2.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

चूंकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, इसी तरह वे प्रत्याभूत हैं। ये प्रवर्तनीय हैं, यदि किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सहायता के लिए न्यायालय में जा सकता है। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन एक विचारणीय विषय बन गया है। यहीं कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता। संविधान हमारे मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लिखित उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यदि हमारे किसी मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं। हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं जो इन मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी कर सकता है।

16.2.7 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.)

शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूलाधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। लंबे समय से उसकी मांग की जा रही थी ताकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे (और उनके माता-पिता) मूलाधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का दावा कर सकें। देश को निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। परंतु इसे जोड़ा जाना अर्थहीन बना रहा, क्योंकि 2009 तक इसे लागू नहीं किया जा सका। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों को जो भारत में स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूलों तक लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जो कि उनका अधिकार है, सुनिश्चित करना है।

पाठगत प्रश्न 16.4

1. संविधान द्वारा प्रत्याभूत प्रमुख सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कौन-से हैं?

2. दिल्ली में निवास कर रहे तमिल, कन्नड़, तथा तेलगु बोलने वाले लोग बहुत से अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं। अपनी विशिष्ट भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए वे क्या कर सकते हैं?

3. सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियां नहीं आती है।

   (अ) अपनी विशिष्ट भाषा को संरक्षित करना
   (ब) अल्पसंख्यकों को निधि उपलब्ध कराने में किसी तरह का भेदभाव न किया जाना
   (स) अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने का अधिकार
   (द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. ''संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख मूल अधिकार है।'' क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

16.3 मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार

आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत आवश्यक हैं। हम यह भी जानते हैं कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरोध में संघर्षमय रहा है। सभी मानवों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र में सुनिश्चित किया जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। कुछ मानवाधिकार हैः कानून के समक्ष समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार, अबाध भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, अन्तःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मलेन और संघ बनाने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। यदि आप उपरोक्त अधिकारों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं।

यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। कुछ मानवाधिकार जो मूलाधिकारों के अध्याय में उल्लेखित नहीं है उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किया जा सके।

? क्या आप जानते हैं

मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण हैं: सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों से संबंधित है; मूलभूल इसलिए क्योंकि ये अपरिहार्य हैं; पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार हैं।

1. मूल कर्त्तव्य

मूल अधिकारों को जान लेने के बाद, आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्त्तव्य कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्त्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किये गये हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। यह आशा की गयी थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्त्तव्यों का पालन अपनी इच्छा से करेंगे। परंतु जैसी आशा की गयी थी वैसा हुआ नहीं। इसलिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51अ में दस मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। यद्यपि जहाँ मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, वहीं मौलिक कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाये गये हैं। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्त्तव्यों के उल्लंघन होने पर अर्थात मौलिक कर्त्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा। निम्नलिखित दस मूल कर्त्तव्य संविधान में दिय गये हैं-

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वे -

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

(च) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।

(ध) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त 2009 में शिक्षा में अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक नया कर्त्तव्य और जोड़ा गया है। ''प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6-14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें।''

16.3.1 मौलिक कर्त्तव्यों की प्रकृति

ये कर्त्तव्य प्रकृति से आचार संहिता हैं। चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अतः इनके पीछे कोई कानूनी अनुशास्ति नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, इनमें कुछ कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरव शाली परम्परा, 'मानववाद' अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिक की समझ से परे है। वे इन कर्त्तव्यों के महत्व को तभी समझ सकते हैं जब इनको स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया जाये।

वर्तमान सूची की भाषा को स्पष्ट करने तथा उन्हें यथार्थवादी एवं अर्थवान बनाये जाने और साथ ही कुछ आवश्यक और यथार्थवादी कर्त्तव्यों को जोड़ने के लिए संशोधन की मांग समय-समय पर की जाती रही है। जितना संभव हो सके इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं

1. बच्चों का उचित पालन-पोषण तथा माता-पिता की वृद्धावस्था में उचित देखभाल को 1977 में सोवियत संविधान की मूल कर्त्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था।
2. बच्चों को शिक्षित करने, सार्वजनिक कल्याण में दखल न देने, कर अदा करने तथा काम का अधिकार जैसे कर्त्तव्य जापान के संविधान में जोड़े गये हैं।

पाठगत प्रश्न 16.5

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख तैयार किया और पारित किया?
2. ऐसे चार मूल अधिकारों की सूची बनाएं जो मानव अधिकार भी हैं।
3. निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिये और प्रत्येक चित्र से जुड़े हुए अथवा संबंधित एक मूल कर्त्तव्य को पहचानिए और उस की सूची बनाइये।

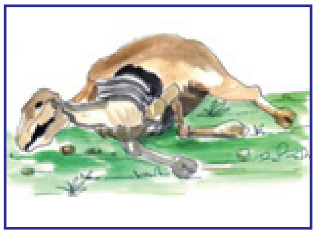
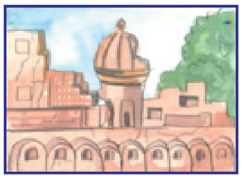

चित्र में सम्मिलित हैं: (अ) पत्ते रहित पेड़, गिरे हुए पेड़, मृत पशु आदि। (ब) कुछ जर्जर स्मारक (स) इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिन्दुस्तान अमर रहे जैसे इश्तहारों के साथ जुलूस में कूच करते लोग। (द) सीमा की चौकसी अथवा गश्त करता हुआ सैनिक (य) विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल।

4. यदि आप स्वतंत्रता दिवस पर चार मूल कर्त्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते है तो आप के अनुसार वे चार कौन से अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हैं और क्यों?

आपने क्या सीखा

- अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवयश्यक होते हैं तथा राज्य या समाज द्वारा मान्यताप्राप्त है। कर्त्तव्य व्यक्ति से नैतिक और कानूनी दायित्वों सहित, किन्हीं कारणों के कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। अधिकार तथा कर्त्तव्य अन्योन्याश्रित हैं।
- जहां समाज द्वारा सभी अधिकारों को मान्यता दी जाती है, राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकृति दी जाती है जिनका संविधान में उल्लेख किया जाता है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं।
- संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को निम्न छः मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किये गये हैं :

  (i) समता का अधिकार (ii) स्वतंत्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (i) सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार तथा (v) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार यद्यपि सार्वभौमिक है परंतु संविधान में इनके कुछ अपवाद तथा प्रतिबंध दिये गये है।
- संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषण पत्र सुनिश्चित किया गया। इनमें से अनेक मानवाधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है ताकि इनका कार्यान्वयन सरकार का कानूनी कर्त्तव्य बन सके। ऐसे मानवाधिकारों, जिनका समावेश मूलाधिकारों में नहीं हो सका, उन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समाविष्ट किया गया है।
- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51 अ में दस मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के विपरीत, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मूल कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लंघन होने पर अर्थात ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा।

पाठांत प्रश्न

1. हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। किस मूल अधिकार को आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं तथा क्यों?
2. सविंधान द्वारा हमें प्रत्याभूत छः मूल अधिकारों को लिखिए।
3. शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहां तक सक्षम होगा? व्याख्या कीजिए।
4. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
5. स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाये गये किन्हीं तीन प्रतिबंधों पर प्रकाश डालिये। आप के मत में क्या प्रतिबंध न्यायसंगत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

6. क्या आप सहमत हैं कि भारत के संविधान में मूलाधिकारों में मानवाधिकार परिलक्षित होते हैं?

7. संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य क्या हैं? आपके मत में इनमें से कौन से अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों?

8. निम्नलिखित कथनों को पढिये : इनमें से सही कथनों की पहचान कीजिये तथा जो कथन ठीक नहीं है उनमें आवश्यक परिवर्तन कर पुनः लिखिए।

   (i) सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है।

   (ii) प्रत्येक सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय धार्मिक शिक्षा दे सकता है।

   (iii) किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के छात्र धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किये जा सकते।

   (iv) बहु-धार्मिक राज्य के रूप में भारत किसी धर्म के पक्ष में विशेषाधिकार अथवा पक्षपात कर सकता है।

   (v) महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कर-अधिभार लगाया जा सकता है।

   (vi) उपासना के स्थलों का निर्माण कहीं भी किया जा सकता है चाहे उनसे राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं प्रभावित ही क्यों न होती है।

9. कॉलम 'अ' में दिये हुए अधिकारों के साथ कॉलम 'ब' में दिये गये संबंधित कर्त्तव्यों का मेल कीजिए।

'अ'	'ब'
(अ) संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।	क) यह हमारा कर्त्तव्य है कि अन्य लोगों को उनके प्रयोग के लिए मना न करें।
(ब) यदि हमें अपनी पसंद के धर्म को मानने का अधिकार है तो;	(ख) यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें तथा अनुशासन बनायें रखें।
(स) यदि हमें सार्वजनिक उद्यान, कुआं अथवा तालाब का प्रयोग करने का अधिकार है तो	(ग) यह दूसरों का कर्त्तव्य है कि वे हमें न मारें तथा कोई हानि न पहुचायें।
(द) यदि हमें जीवन का अधिकार है तो;	(घ) यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम दूसरों को भी उनके धर्म को मानने के लिए अनुमति दें।
(च) यदि हमें शिक्षा का अधिकार है तो	(ड) हमें यह याद रखना चाहिए तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं।

परियोजना

अपने पड़ोस तथा आसपास के स्थानों का सर्वेक्षण करें तथा भिक्षावृत्ति या कचरा उठाने जैसे छोटे-मोटे कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के 3-5 बच्चों की पहचान कीजिये। उन कारणों की पहचान

कीजिए जिनकी वजह से आज वे इन हालात में हैं। अपने निरीक्षण के आधार पर तथा अपने से बड़ो के साथ अथवा कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ की गयी चर्चा के आधार पर निम्न तालिका को भरें।

क्र.स.	बच्चे का नाम	कठिन परिस्थितियों में डालने वाले कारक	जिसके माध्यम से मैं/आप उनकी सहायता कर सकते हैं।
1			
2			
3			
4			
5			

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

1. अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कर्त्तव्य व्यक्ति से कुछ किये जाने की आशा रखते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य अन्योन्याश्रित है। यदि अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ठीक से पालन किया जाये तो जीवन आसान बन जाता है तथा ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। इस तरह अधिकार, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। वे दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्त्तव्यों के रूप में होते हैं।

2. (i) क्योंकि आरक्षण का उपबंध भेदभाव का कारण नहीं है

   (ii) क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान है तथा व्यक्ति की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

   (iii) समानता के अधिकार के अनुरूप है।

   (iv) क्योंकि किसी भी दशा में धर्म को रोजगार का आधार नहीं माना जाता है।

   (v) क्योंकि भारत के संविधान में सभी पदवियों को समाप्त कर दिया गया है। श्रीमान सोहन सिंह राय बहादुर की पदवी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

3. (iii) दलित वर्ग के लोग अन्य व्यक्तियों के साथ गांव के हैंडपंप का प्रयोग कर सकते हैं।

16.2

1. (क) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   (ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा और सम्मलेन की स्वतंत्रता
   (ग) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता
   (छ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता
   (ड) भारत के किसी राज्यक्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
   (घ) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
2. (i) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता
   (ii) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता
   (iii) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
   (iv) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
   (v) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता
3. अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 22।

16.3

1. पारंपरिक रूप से भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जिसने अनेक रूपों में शोषण को बढ़ावा दिया। यहीं कारण है कि संविधान में शोषण के विरोध में प्रावधान किये गये हैं।
2. (अ) बेगार
   (ब) मानव-व्यापार
3. अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख करें जैसे चाय की दुकान पर काम करता हुआ 10 साल का बालक।

16.4

1. संविधान में अनुच्छेद 29-30 में ही प्रमुख उपबंध किये गये हैं: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तथा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्संख्यक वर्गों का अधिकार।
2. कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।

3. (द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. मूल अधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन हमारे दैनिक जीवन का एक विचारणीय विषय बन गया है। यही कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता है। यह अधिकार हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।

16.5

1. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 ई. में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र सुनिश्चित किया है।

2. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तथा संस्कृति वे शिक्षा संबंधी शिक्षा अधिकार।

3. (अ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

   (ब) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।

   (स) संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

   (द) देश की रक्षा करें तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

   (य) भारत के सभी लोगों में समरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।

4. (अ) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

   (ब) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

   (स) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।

   (ड) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

   ये मौलिक कर्त्तव्य संविधान की मूल भावना तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्राप्य लक्ष्यों पर केन्द्रित हैं।

17

भारत एक कल्याणकारी राज्य

रामकृष्णन तथा उसका दोस्त अब्दुल चेन्नई से आ रहे थे। दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे। जब वे किराए पर टैक्सी लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे रामकृष्णन को साइकिल रिक्सा ने टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए तुरन्त ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहाँ डॉ. निर्मला इनके मामले को देख रही थी। चिन्तित अब्दुल ने रामकृष्णन के चाचा को फोन कर दिया तथा उसने अपने परिवार को भी सूचित कर दिया। लगभग 1 घण्टे के बाद डॉ. निर्मला ने अब्दुल से कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं है क्योंकि रामकृष्णन कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। तब तक रामकृष्णन के चाचा भी पहुँच चुके थे तथा रामकृष्णन को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। अब्दुल ने गौर किया कि डॉक्टर ने अपनी चिकित्सकीय जाँच के लिए कुछ नहीं लिया तथा दवाइयों के लिए भी नाममात्र का शुल्क लिया गया। उसने रामकृष्णन के चाचा से इसके बारे में पूछा कि यह कैसे सम्भव है? रामकृष्णन के चाचा जो कि एक अध्यापक है, ने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों में यह सब करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब अब्दुल के सामने बुनियादी प्रश्न खड़ा हुआ, कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है? आपने भी इसके बारे में समाचार-पत्र अथवा पत्रिका में पढ़ा है या दूरदर्शन पर चर्चा सुनी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का सन्दर्भ दिया जाता है। क्यों? अब्दुल की तरह, आपके मन में भी अनेक प्रश्न उठते होंगे। इस पाठ में हम भारत के कल्याणकारी राज्य के अनेक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे तथा समझेंगे।

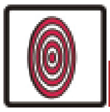

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- कल्याणकारी राज्य के अर्थ का विश्लेषण कर सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि कैसे भारत एक कल्याणकारी राज्य है;
- भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के समावेश के कारकों की पहचान कर पाएँगे;

- भारत के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को उपलब्ध कराने में नीति-निदेशक तत्वों के महत्त्व की समीक्षा कर सकेंगे;
- विभिन्न नीति-निदेशक तत्वों की पहचान कर सकेंगे तथा उन्हें वर्गीकृत कर पाएंगे;
- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच अन्तर कर पाएंगे; और
- कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करने के लिए नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर सकेंगे।

17.1 कल्याणकारी राज्य क्या है?

बुनियादी प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य क्या है? जैसाकि हमने देखा, भारत को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। विश्व में और भी राष्ट्र हैं, जिन्हें कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है जबकि अन्यों को नही माना जाता। कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा धन के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केन्द्रित रहता है, जिन्हें अच्छा जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं। इस व्यवस्था में नागरिकों का कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन की रूचि लोगों के कल्याण की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में नहीं थी। उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था, वह भारत के लागों के हित में नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता था।

''भारतीय संविधान के तीसरे भाग में सम्मिलित किए गए मूल अधिकार यह गारंटी प्रदान करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक उन नागरिक स्वतंत्रताओं तथा मूलभूत अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो इनके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। सामाजिक तथा आर्थिक असमानता सर्वव्यापी थी। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक दृष्टि से भी भारत में अनेक समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाएँ, दलित, बच्चे जीवन यापन के बुनियादी साधनों से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इसी लिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक ''सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य'' वर्णित किया गया है। तदनुसार, संविधान में भारत के लोगो के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस सम्बन्ध में दो विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, एक मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में। ये नागरिक स्वतन्त्रताएँ देश के किसी अन्य कानूनों से श्रेष्ठ हैं। ये सामान्यतः उदार लोकतान्त्रिक देशों के संविधानों में सम्मिलित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं : कानून के समक्ष सामनता, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

परन्तु यह सब पर्याप्त नहीं थे। भारत के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों की भी जरूरत थी। यही कारण है कि भारत के संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं?
2. संवधिान निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्णय क्यों लिया?
3. भारतीय समाज के कम-से-कम दो वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक आसमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे।?

17.2 राज्य के नीति निदेशक तत्व

जैसाकि हमने ''मूलाधिकार तथा मौलिक कर्तव्य'' पाठ में देखा, भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि सभी अधिकार को सही मायने में लागू कर दिया जाए तब भी भारत के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के दिए बिना भारतीय लोकतन्त्र के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वे उस समय भारत राज्य की कमजारियों को भी जानते थे। उन्हें पता था कि भारत को सदियों के विदेशी शासन के बाद आजादी मिली थी। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर बड़ा ही निम्न था। उस स्थिति में यदि आर्थिक और समाजिक अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाता तो भारत राज्य अपनी कुछ सीमाओं के कारण इनको लागू करने में सफल नहीं हो पाता। परन्तु इन अधिकारों को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता भी थी। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम से एक अलग अध्याय भाग-चार जोड़कर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई।

17.2.1 विशेषताएँ

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश हैं। कानूनों और नीतियों के निर्माण के समय सरकारों द्वारा इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सही है कि भारतीय संविधान के ये प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। परन्तु ये सिद्धान्त देश की सरकारों के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि देश मे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के निर्माण में इन सिद्धान्तों को लागू करे। ये सिद्धान्त आयरलैण्ड के सविंधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों तथा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं।

इन सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निमार्ण करना है जिनकें अन्तर्गत सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। ये सिद्धान्त आम लोगो के हाथों में

एक मानदण्ड की तरह है, जिनके द्वारा लोग इन उद्देश्यों की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को माप सकें। कार्यकारी एजेन्सियाँ इन सिद्धान्तों से निर्देशित होती हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी विभिन्न मामलों पर निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना होता है।

क्या आप जानते है

1. राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचिबद्ध किए गए हैं।
2. एक नया निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार और देश के वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा के विषय में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख करता है।

पाठगत प्रश्न 17.2

1. खाली स्थान भरिए :

   (क) राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक .... राज्य बनाना है।

   (ब) ये सिद्धान्त भारत की .... के लिए दिशा-निदेश हैं, जिनको उन्हें कानून तथा नीतियों के निर्माण के समय ध्यान में रखना है।

   (स) निदेशक सिद्धान्तों का विचार .... के संविधान से लिया गया है।

   (द) नीति निदेशक तत्वों का सम्बन्ध .... से है।

2. क्या आप यह मानते हैं कि यदि भारतीय संविधान राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को सम्मिलित नहीं करता तो यह लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करने में असफल रहता। कारण बताएँ।

17.2.2 निदेशक तत्वों के प्रकार

यदि आप संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धान्तों को पढ़ेंगे तो पाएँगे कि ये विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं तों कुछ गांधीवादी विचारों से तथा कुछ विदेश नीति से सम्बन्धित हैं। संविधान द्वारा इनको विभिन्न श्रेणियों में नहीं बाँटा गया है, परन्तु बेहतर समझ के लिए हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं :

1. सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त;
2. गांधीवाद विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त;
3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धित सिद्धान्त; और विविध सिद्धान्त।

सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत में बहुत से लोग सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक असमानता से पीड़ित रहे हैं। विशेषतः निम्नलिखित सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना हैः

चित्र 17.1 सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ

1. राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
2. राज्य द्वारा देश के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए।
3. राज्य द्वारा सम्पदा का वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे सम्पदा का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में न हो।
4. पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए।
5. राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।
6. राज्य को उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
7. बच्चों और नवयुवकों की शोषण से रक्षा की जानी चाहिए। पुरूष, स्त्री तथा बच्चे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसी नौकरियों एवं ऐसे रोजगार में न पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
8. राज्य को लोगो के लिए (अ) काम का अधिकार (ब) शिक्षा का अधिकार (स) बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता जैसे मामले में राज्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।
9. राज्य को कामगारों के लिए काम की मानवीय दशाएँ तथा महिलाओं के लिए प्रसूति राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना चाहिए।

क्रिया-कलाप 17.1

नीचे दी गई स्थिति का अध्ययन कीजिए तथा उसके अनुसार दिए गए क्रिया-कलापों को कीजिए।

एक फैक्टरी है जिसमें स्त्री तथा पुरूष साथ-साथ काम कर रहे है तथा एक ही काम को समान समयावधि में कर रहे हैं। परन्तु मालिक स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक वेतन देता है।

उपरोक्त मामले में जिस निदेशक तत्वों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, उसको लिखिए।

....

....

एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र के सम्पादक को एक पत्र लिखिए कि यह घटना किस तरह से कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

....

....

....

....

(ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

गांधीवादी विचार अहिंसक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। स्वराज (स्व-शासन), सर्वोदय (सभी का कल्याण) स्वाबलम्बन (आत्मनिर्भरता) आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धान्त है। हम सब यह जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी थे। उनका दर्शन तथा उनके कार्यो ने केवल स्वतन्त्रता आन्दोलन का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण का भी मार्गदर्शन किया। निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिम्बित होती हैं :

1. राज्य समाज के कमजोर वर्गो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढावा देगा।
2. राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
3. राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक औषधियों आदि के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा।
4. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढावा देने का प्रयास करेगा।
5. राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाएगा तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा।

क्रिया-कलाप 17.2

1. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं कि लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। कम-से-कम किसी एक ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय शहरी निकाय

के कार्यालय में जाएँ और पता लगाएँ कि क्या ये प्रावधान पूरे हो रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणी लिखिए :

पंचायत नगर निकाय कार्यालय में प्रतिनिधियों की कुल संख्या	महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या

2. किन्ही दो महिला प्रतिनिधियों से बात कीजिए तथा नीचे दी गई तालिका को भरिए।

	निर्वाचित प्रतिनिधि 1	निर्वाचित प्रतिनिधि 2
उनके द्वारा अपने क्षेत्र में लाए गए 3 सकारात्मक परिवर्तन	1. 2. 3.	1. 2. 3.
कार्य के दौरान उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ	1. 2. 3.	1. 2. 3.

(स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे सिद्धान्तों का समावेश भी किया गया है जो हमारी विदेश नीति सम्बन्धी मामलों में हमें दिशा-निर्देश देते हैं। ये हैं :

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
2. राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
3. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा।
4. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात् पारस्परिक समझौतों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा।

(द) विविध सिद्धान्त

इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निदेशक तत्व ऐसे हैं जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये हैं :

1. राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।

2. राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।
3. राज्य पूरे देश के सभी नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
4. राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठाएगा।

पाठगत प्रश्न 17.3

1. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख कीजिए।
2. निम्नांकित तालिका में दिए गए नीति निदेशक सिद्धान्तों को उनकी उचित श्रेणी के साथ मिलाइए।

क्र.सं.	निदेशक सिद्धान्त	श्रेणी
अ.	राज्य अपने लोगों के लिए आजीविका के पार्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा	
ब.	राज्य न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा	
स.	राज्य अन्य राष्ट्रो के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।	
द.	राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा।	
य.	पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए।	
र.	राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।	

17.3 राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार

जैसाकि आप जानते हैं, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूलाधिकारों का भी यही उद्देश्य है, परन्तु दोनों में कुछ मूलभूत अन्तर हैं।

प्रथम, नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करा सकते। इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है। मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है। नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायलयों द्वारा संरक्षित हैं।

द्वितीय, ये सिद्धान्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस तरह की नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस

तरह की नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य है।

तीसरा, सविंधान में निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का महत्त्व निदेशक सिद्धान्तों से अधिक है।

लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पीछे वैसा संवैधानिक समर्थन नहीं है, जैसा मूल अधिकारों के पीछे है, फिर भी निदेशक तत्त्वों की अवहेलना नहीं की जा सकती। निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसा होने से सरकार को पुनः सत्ता पाने में मदद होती है। साथ ही, मूल अधिकार तथा निदेशक सिद्धान्तों के उद्देश्य एक समान ही हैं। ये एक नहीं बल्कि पूरक हैं। मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र को मूर्तरूप देते हैं वहीं निदेशक सिद्धान्त सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं। निदेशक सिद्धान्तों की असली ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती है। अधिकांश नागरिकों द्वारा समर्थित नीतियाँ सामान्यतः बड़े ही उत्साह के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। हममें से प्रत्येक जनमत के वाहक हैं। अच्छा होगा यदि आप ऐसे निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं।

? क्या आप जानते हैं

शहजाद खान तथा सीमा धानू राजस्थान में जयपुर के निकट के एक गाँव में बाल पंचायत के नाम से जाने जाने वाले युवा लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हैं। इस समूह ने सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक होने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। युवा लोगों का यह समूह विविध मुद्दों पर कार्य करता है जैसे सफाई, शिक्षा का अधिकार, उनके गाँव तथा पड़ोसी गाँव की लड़कियों के अधिकार आदि। वे बालश्रम को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने परिवारों, पंचायतों तथा प्रखण्ड प्रशासन के साथ मिलकर नौकरी कर रहे बच्चों को वापस स्कूल भेजने में सहायता कर रहे हैं। हाल ही में, गाँव के बच्चों के जीवन के सम्बन्ध में शहजाद राजस्थान के मुख्यमन्त्री से भी मिला था।

इस उदाहरण से यह संकेत मिलता है कि हममें से प्रत्येक कोई आवाज उठा सकता है और समाज की बेहतरी के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य कर सकता है।

17.4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वयन

आपकी यह जानने में रूचि हागी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। क्या आपने भारत के सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक विशाल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के विषय में सुना होगा। आपने भारतीय संसद् द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के विषय में भी सुना होगा। ये सब निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम हैं। कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य

प्रदेश आदि ने पंचायतों में महिलाओं कि लिए 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित कर दी हैं। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि यद्यपि निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यान्वयन के लिए कोई बन्धन नहीं है, तब भी सरकार द्वारा इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वित किए गए कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

- रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है।
- स्त्री एवं पुरूष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी अधिनियम बनाया जा चुका है।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (मा.गां.रा.ग्रा.का.) तथा स्वर्ण जयन्ति ग्राम रोजगार योजना इसके उदाहरण हैं।
- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है तथा ये ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
- बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 86वाँ संविधान संशोधन किया गया तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया।
- बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है।
- गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। संसद तथा विधान सभाओं में उनके लिए सीटें भी आरक्षित की गई है।
- महिलाओं को शोषण से मुक्त करने हेतु अनेक कानून बने हैं तथा कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- बयालिसवें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया नीति निदेशक तत्त्व जोड़ा गया। यह नीति निदेशक तत्त्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए निर्देश देता है। इससे संबंधित अनेकों कार्यक्रम जैसे टाइगर बचाओं प्रोजेक्ट, राइनों, हाथी आदि से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।
- लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है तथा कर में छूट देकर उन्हे संरक्षण दिया जा रहा है।
- हमारी विदेश नीति का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के सिद्धान्तों के साथ सामंजस्य है तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए जा रहे हैं।
- भारतीय सरकार विश्व शान्ति का समर्थन करती है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है।

यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इन निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस दिशा में बहुत कार्य किया जा चुका है। परन्तु अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्या तथा निरक्षता आदि जैसी समस्याएँ बरकरार हैं। निदेशक सिद्धान्तों की मूल भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम भी आ रहे हैं। ऐसी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक है।

क्रिया-कलाप 17.2

अपने राज्य में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे चार कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कीजिए। इस विषय में आप स्थानीय समाचार-पत्र, इन्टरनेट, अध्यापकों और जानकार वयस्क लोगों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम	लागू होने की तारीख	राज्य/क्रेन्द्र सरकार द्वारा समर्थित
1.			
2.			
3.			
4.			

पाठगत प्रश्न 17.4

1. उन संविधान संशोधनों का उल्लेख करें जिनसे (अ) 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई (ब) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को सुनिश्चित किया गया।

2. नीचे दी गई घटनाओं के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के लिए राज्य की नीति के कौन से निदेशक सिद्धान्त सरकार को मार्गदर्शित करेंगे:

	घटनाएँ	निदेशक सिद्धान्त
(अ)	बहुत ही कम वेतन पर एक 10 साल का लड़का एक होटल में बर्तन धोता है।	
(ब)	एक आठ साल की लड़की को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है।	
(स)	मादक द्रव्यों तथा हानिकारक औषधियों के बेचने को बढ़ावा दिया जा रहा है।	
(द)	ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।	

आपने क्या सीखा

- कल्याणकारी राज्य में शासन व्यवस्था नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के न्यायसंगत वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह वैसे लोगों के प्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करता है, जो स्वयं अच्छे जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यवस्था नहीं कर सकते।
- भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए शामिल किया गया है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
- परन्तु ये सिद्धान्त देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे देश में एक न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए कानूनों का निर्माण करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखें।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त, (ख) गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धान्त, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त और (घ) विविध सिद्धान्त।
- निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, परन्तु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इन निदेशक सिद्धान्तों को लागू किया जा रहा है, परन्तु कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

पाठांत प्रश्न

1. कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय क्यों किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा?
2. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के क्या उद्देश्य हैं?
3. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।
4. ऐसे कौन-से नीति निदेशक तत्त्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं?
5. सामाजिक-आर्थिक विकास तथा समानता को बढ़ावा देने में निदेशक सिद्धान्त किस तरह सहायक हैं?

6. हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शान्ति प्रक्रिया के एक अंग के रूप में परमाणुरहित और आण्विक विश्वास बहाली के लिए सचिव स्तरीयवार्ता हुई। यह वार्ता कौन-से निदेशक सिद्धान्त से सम्बन्धित है तथा कैसे?

7. ऐसे तीन राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के नाम लिखिए जिनका कार्यान्वयन किया जा चुका है।

नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोलू की उम्र 10 वर्ष की है। वह शहर आया है। उसकी देखभाल करना वाला यहाँ कोई नहीं है अतः वह कचरा इकट्ठा करने के काम में लग गया। वह स्थानीय अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सोता है। वह किसी स्कूल में नहीं जाता तथा पेट भरने के लिए प्लास्टिक, विषाक्त अपशिष्ट तथा अस्पताल के कचरे आदि को उठाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है तथा जीवन के लिए भी खतरनाक है। वह प्रतिदिन के 20 रूपए कमाता है। उसके पास किसी अन्य के बचे अस्वास्थ्यकर भोजन को खाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

(अ) भोलू की दशा के लिए कौन-से सम्भव कारण हो सकते हैं? किन्हीं दो कारणों को लिखिए।

(ब) भोलू जैसे बच्चों द्वारा सामना की जा रही परिस्थितियों से सम्बन्धित किन्हीं दो निदेशक सिद्धान्तों की सूची बनाइए।

(स) भोलू की परिस्थितियों के बारे में अपने दोस्तों तथा परिवारजनों से चर्चा कीजिए तथा भोलू की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई दो तरीके सुझाइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

17.1

1. कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा तथा सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है।

2. जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इसके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक रूप से भारत में अनेकों समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा।

3. महिलाएँ तथा दलित वर्ग।

17.2

1. (अ) कल्याणकारी

   (ब) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें

   (स) आयरलैण्ड

   (द) सामाजिक और आर्थिक अधिकार

2. हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिनके अन्तर्गत सभी नागरिक गुणवत्ता युक्त जीवन बीता सकें।

17.3

1. हम राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैंः

   (अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

   (ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (द) विविध सिद्धान्त

2. (अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

   (ब) विविध सिद्धान्त

   (स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (द) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (य) सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ाने वाले सिद्धान्त

   (र) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

17.4

1. (अ) 86वाँ संविधान संशोधन

   (ब) 42वाँ संविधान संशोधन

2. (अ) बच्चों एवं नवयुवकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

   (ब) राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कदम उठाएगा।

   (स) राज्य मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों की खपत को रोकने के प्रयास करेगा।

   (द) राज्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा।

18

स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन

रामफल रोजी-रोटी की तलाश में अपना गाँव छोड़कर शहर आ गया था। जब शहर में उसे रोजगार मिल गया तो उसका परिवार भी उसके साथ शहर आ गया। 8 वर्षों के बाद रामफल और उसका बेटा विजय अपने पैतृक गाँव गए। दोनों ही गाँव में बनी नई प्राथमिक स्कूल इमारत और उसके चारों ओर बनी दीवार, वॉलीबॉल का मैदान, नलकूप के साथ बने पार्क को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विकास के ये सभी कार्य उनके गाँव छोड़ने के बाद हुए। विजय को यह देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका चचेरा भाई गाँव के उच्च और विशेषाधिकार वर्ग के बच्चों के साथ खेल रहा है। वह इस बदलाव के कारण जानने के लिए उत्सुक था। जब विजय अपने स्कूल के अध्यापक से मिला तो उसने उनसे गाँव में हुए इस बड़े बदलाव का कारण पूछा। अध्यापक ने बताया कि इस विकास और बदलाव के पीछे गाँव के नवनिर्वाचित पंचायत के सरपंच और पंचों के प्रयास तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग है। विजय को यह जानकर और प्रसन्नता हुई कि उसकी चाची एक पंच के रूप में निर्वाचित हुई है। अब वह स्थानीय शासन/सरकार के विषय में और अधिक जानना चाहता था। इस अध्याय में जो जानकारी अध्यापक द्वारा विजय को दी गई उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

उद्देश्य

इस अध्याय का पूरा अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- गाँवों और शहरों में स्थानीय शासन की स्थापना की आवश्यकता की पहचान करने में;
- लोगों द्वारा स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतन्त्र को मजबूत करने के प्रयासों को समझने में;
- ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय शासन की संरचना और कार्यों का विश्लेषण करने में;
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए बदलाव का विश्लेषण करने में और महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करने में;

- स्थानीय शासन के सफलतापूर्वक कार्य करने में तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तर पर स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों के सहयोग करने की आवश्यकता और महत्त्व को समझने में।
- अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में स्थानीय शासन की भूमिका को सराहने में।

18.1 स्थानीय शासन

विजय ने अध्यापक से पूछा कि ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की संस्था क्यों कहा जाता है। पिछले अध्यायों के अध्ययन के पश्चात् अब तक आपको पता चल चुका होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र और राज्य दो स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। उन दो सरकारों के अतिरिक्त संविधान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए जो संस्थाएँ स्थापित की हैं उन्हें सामान्य रूप से स्थानीय शासन/सरकार के नाम से जाना जाता है। यह शासन का तीसरा स्तर है जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा सत्ता/शक्ति के विकेन्द्रीकरण के उपक्रम के रूप में कार्य करना है। स्थानीय शासन को सबसे अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि सरकार/शासन के इस स्तर का जनता से मोटे तोर पर सीधा सम्पर्क रहता है। यह स्थानीय लोगों को, अपनी समस्याओं को व्यक्त करने, उनपर चर्चा करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं उनका समाधान ढूँढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्थानीय शासन वास्तव में, स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए शासन है। लोगों के बीच या उनके करीब होने के कारण स्थानीय शासन की संस्थाओं पर लगातार आम लोगों या स्थानीय समाज की नजर रहती है। इससे स्थानीय सरकार/शासन को उत्तरदायी बनाने में मदद मिलती है। स्थानीय शासन द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली व्यापक और महत्त्वपूर्ण सेवाओं के कारण वास्तव में यह कहा जाता है कि स्थानीय शासन लोगों को 'पालने/जन्म से लेकर कब्र/मृत्यु' तक सेवाएँ प्रदान करता है।

अध्यापक ने विजय से पूछा कि क्या वह जानता था कि भारत में प्राचीन काल से ही देश के विभिन्न भागों में समुदाय आधारित स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता था जैसे पंचायत, बिरादरी और अन्य। गाँव का वयोवृद्ध या सर्वमान्य व्यक्ति इनका नेतृत्व कर लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। आपने कई फिल्मों और टी.वी. धारावाहिकों में देखा होगा कि किस प्रकार लोग पंचायत के समक्ष अपनी समस्याएँ रखते हैं तथा पंचायत उन पर अपना निर्णय या समाधान देती है। हिन्दी के महान् साहित्यकार प्रेमचन्द ने 'पंचपरमेश्वर' नामक कहानी में पंचायत की महत्ता का वर्णन किया है। प्राचीन काल से चली आ रही यह पंचायत की व्यवस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्यमान और कार्यरत हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन की इस परम्परागत संस्था के महत्त्व, स्वीकार्यता और उपयोगिता के कारण भारत सरकार ने इसे लोगों के कल्याण के लिए बनाए रखने का निर्णय किया।

18.1.1 ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन

अध्यापक ने आगे बताया कि स्थानीय शासन की संस्थाएँ केवल गाँवों में ही नहीं बल्कि वे शहरों में भी लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत है। इन दोनों के बीच केवल एक भिन्नता है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्र और जनसंख्या शहरी स्थानीय संस्थाओं की तुलना में कम होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है तथा शहरों में शहरी स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय शासन, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आदि। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं के संगठन और कार्यप्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है।

18.2 पंचायती राज व्यवस्था

जैसाकि हम पहले देख चुके हैं कि पंचायत भारत के इतिहास में न्याय की गद्दी रही है। स्थानीय झगड़े, विवाद और समस्याएँ पंचायत के समक्ष रखे जाते थे और पंचायत इन पर जो निर्णय देती थी वह सभी को मान्य होता था। हमारे राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर महात्मा गांधी की पंचायत व्यवस्था में गहरी आस्था थी। संविधान निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्त्व को समझते हुए, राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में इस सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। संविधान कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

चित्र 18.1

इस दिशा में, वर्तमान समय में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। इन संस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की तथा सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा स्थापित किया जाए जिसके अन्तर्गत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था हो। 1958 में राष्ट्रीय

विकास परिषद् ने भी इसी तरह के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया जिसमें गाँव/ग्राम सबसे निम्न तथा जिला शीर्ष की इकाई होनी थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढाँचा 73वें संविधान संशोधन, 1992 से निर्धारित हुआ। भारत के ज्यादातर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठित किया गया है। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर पंचायती राज के दो ही स्तर लिए जाते है।

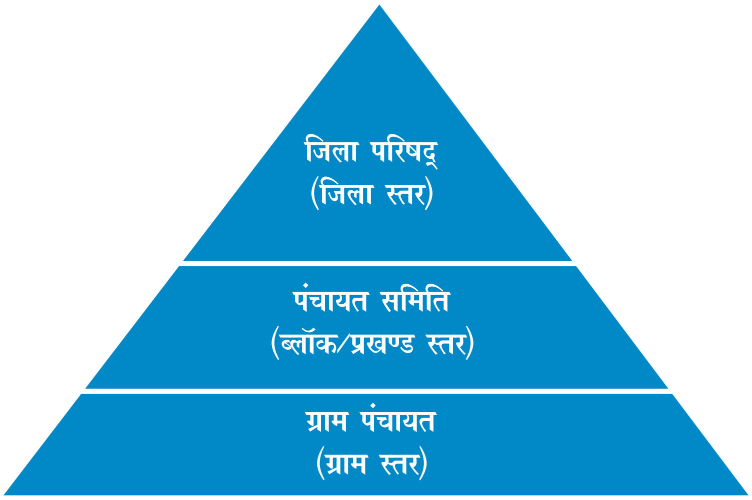

चित्र 18.2 पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा

18.2.1 73वाँ संविधान संशोधन 1992

सन 1992 में पारित 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से देश की लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होती है, इससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना; ग्राम पंचायत (ग्राम/गाँव स्तर) पंचायत समिति (मध्यवर्ती अर्थात् ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर) और जिला परिषद् (जिला स्तर)।

(ii) हर पाँच वर्ष में नियमित चुनाव।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।

(iv) पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम से कम एक तिहाई (1/3) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।

(v) राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देता है।

(vi) राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है।

(vii) जिले के विकास हेतु योजना बनाने के लिए जिला नियोजन समिति की स्थापना।

(viii) ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से सम्बन्धित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना तथा उनका कार्यान्वयन।

(ix) ग्राम सभा (Gram Sabha) की स्थापना तथा गाँव के स्तर पर इसका निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्तिकरण।

(x) अनुसूचित जातियों और महिला आरक्षित सीटों का चक्रीकरण (रोटेशन) अर्थात् अदला-बदली

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इतनी शक्ति और अधिकार दिए गए कि वे, ग्राम स्तर पर स्वशासी संस्था के रूप में कार्य कर सके। इस संशोधन के द्वारा शक्ति तथा कार्यों का निचले स्तर पर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है जिनका संबंध (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने तथा (ख) उन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन से है।

क्या आप जानते हैं

73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप लगभग सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपना अधिनियम पारित कर लिया है। लगभग सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरांखंड के अलावा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करा लिए हैं। परिणामस्वरूप देश में 2, 32, 278 पंचायतों, 6022 पंचायत समितियों और 535 जिला परिषदों का गठन किया जा चुका है। पंचायत राज्य के सभी स्तरों पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। यह विश्व में अपने तरह की सबसे विशाल जन प्रतिनिधिक व्यवस्था है।

पाठगत प्रश्न 18.1

1. स्थानीय शासन को परिभाषित कीजिए। दो उदाहरण देकर स्थानीय शासन की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए।
2. प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए।
3. जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ कार्यरत हैं उनकी पहचान कीजिए और उनका नाम बताइए।
4. स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है?
5. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावित किया है।

क्रिया-कलाप 18.1

अपने अध्यापक, परिवार में बुजुर्ग लोगों, पड़ोसी अथवा सहपाठियों के सहयोग से निम्न का पता लगाइए :

1. जहाँ आप रहते हैं वहाँ कि स्थानीय शासन की संस्था का नाम बताइए। (ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राम स्तर की संस्था; शहरों में रहने वाले शहरी स्थानीय संस्था)।
2. उस स्थानीय संस्था के पदाधिकारियों की संख्या और पदनाम लिखिए।

18.2.2 ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत

(अ) संगठन

गाँव की पंचायत या ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है। गाँव के स्तर पर एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच आदि कई पदनामों से जाना जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। वास्तव में ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्यप्रणाली अलग-अलग राज्यों द्वारा पारित कानूनों से तय होती है; यही कारण है कि आपको उनके संगठन और कार्यों में विविधता नजर आती है। लेकिन ज्यादातर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्य निम्न प्रकार से है :

(क) **ग्राम सभा का गठन :** ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ (18 या उससे अधिक आयु) स्त्री-पुरुषों से मिलकर होता है जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा प्राप्त है। ग्राम स्तर पर यह विधायी संस्था के रूप में

चित्र 18.3 ग्राम सभा की मीटिंग

कार्य करती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम-से-कम दो बैठकें होती हैं। अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है। अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जाँच, लेखा परीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के कर प्रस्तावों पर बहस; सामुदायिक सेवा, पंचायत के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं योजनाओं जैसे विषयों पर विचार करना है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएँ कार्यरत हैं।

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। जैसाकि हम जानते हैं कि ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं जो गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है (कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है)। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सरपंच/प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षित हैं। सरपंच/प्रधान पंचायत की मीटिंग बुलाता है तथा इस मीटिंग की अध्यक्षता करता है। उसे पंचायत की एक मीटिंग/बैठक प्रति महीने बुलानी होती है। पंच उससे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, उसे ऐसी विशेष बैठकें अनुरोध करने के तीन दिन के भीतर बुलानी होती हैं। सरपंच/प्रधान पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत सरपंच/प्रधान को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत के सदस्य एक उपप्रधान/उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

(ख) **ग्राम पंचायत के कार्य :** विजय पंचायत व्यवस्था में अत्यधिक रुचि लेने लगा, उसने अध्यापक से ग्राम पंचायत के कार्य और उसके आय के स्रोतों के विषय में पूछा। अध्यापक ने उसे विस्तारपूर्वक बताया। ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य गाँव के विकास और कल्याण से सम्बन्धित हैं। ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं जैसे सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, गाँव की सफाई, सड़कों की लाइट की देखभाल, स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था आदि। इन कार्यो को ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत को कुछ ऐच्छिक कार्य भी करने होते हैं, यदि पंचायत के पास जरूरी संसाधन और धन उपलब्ध हो। ये कार्य हैं वृक्षारोपण, पशु नस्ल सुधार केन्द्रों की स्थापना, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण, पुस्तकालयों की व्यवस्था। समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। पंचायत के इन कार्यो के पूरक के रूप में ग्रामवासियों का भी कुछ कर्तव्य है कि वे अपने आस-पास साफ-सफाई रखें, पेय जल को बर्बाद न करें तथा अधिक-से-अधिक पेड़ लगाएँ।

(ग) **ग्राम पंचायत के आय के स्रोत :** पंचायत के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं, चाहे ये उसके आवश्यक कार्य हों या ऐच्छिक कार्य, सभी के लिए धन जरूरी है। यदि ग्राम पंचायत के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो तो वह बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। सरकारी अनुदान के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने पंचायत को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति प्रदान की है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्न प्रकार से हैं :

1. सम्पत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर।
2. बारात घर और पंचायत की अन्य सम्पत्तियों से किराया।
3. दोषियों से एकत्रित दण्ड राशि।
4. केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान।
5. राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है।
6. किसी विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य के लिए गाँव वालों द्वारा दी गई दान राशि।

क्रिया-कलाप 18.2

क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे युवा व्यक्ति समाज पर कितना महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं? नीचे दिया गया एक युवा व्यक्ति का अनुभव पढ़िए :

सुन्दरगाँव में विमला देवी नाम की 43 वर्षीय महिला सरपंच है। उसने केवल छठी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है। उसने सरपंच बनने के पश्चात् कई विकास के कार्य किए जैसे : सड़कों, पार्क और नालियों का निर्माण तथा कृषि और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना। उसने घरेलू हिंसा के भी कई मामलों को सुलझाया। वह कहती है कि उसने अपने पुरुष प्रधान गाँव में कभी सरपंच बनने का सपना भी नहीं देखा था, पर अब वह गाँव में कई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आश्वस्त है।

उपरोक्त अनुभव के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- विमला देवी ने जो किया है वह किस संविधान संशोधन द्वारा सम्भव हो पाया है?
- इस संशोधन से आपकी नजर में महिला सशक्तीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- अपने समाज के कोई दो मुद्दे/समस्याएँ लिखिए जो आपको चिन्तित करती हैं या आपके लिए चिन्ता का विषय हैं।
- अपने मित्र से बातचीत कर कुछ ऐसे कार्यों और कार्यवाहियों की सूची बनाइए जो आप अपने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहते हैं।

18.2.3 पंचायत समिति का संगठन और कार्य

(क) पंचायत समिति की रचना

पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है। अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इस संस्था के संगठन और कार्यों में भी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि, विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। पंचायत समिति ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर सभी पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति की रचना निम्न सदस्यों से मिलकर होती है:

- ब्लॉक/प्रखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम प्रधान/सरपंच,
- उस ब्लॉक के सांसद, विधान सभा विधायक और विधान परिषद् के सदस्य,
- कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य,
- ब्लॉक से चुने गए जिला परिषद् सदस्य,
- उस ब्लॉक के कुछ अधिकारी।

क्या आप जानते हैं

पंचायत समिति ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर बनाई जाती है। प्रत्येक ब्लॉक के अन्तर्गत कई पंचायत क्षेत्र आते हैं। पंचायत समिति को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे आन्ध्र प्रदेश में मण्डल प्रजा परिषद्, असम में आंचलिक पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में मण्डल पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन काउन्सिल, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति यद्यपि इसका सबसे लोकप्रिय नाम पंचायत समिति ही है।

सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। अपनी पहली बैठक में पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह अध्यक्ष के कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत समिति के समान ही पाँच वर्ष का होता है। पंचायत समिति के सदस्य दो तिहाई मतों से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। पंचायत समिति सामान्यतः वर्ष में छः बैठक करती है। इसकी दो बैठकों के बीच दो महीने से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति की बैठक सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की होती है। बैठक की तिथि अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) होता है।

(ख) पंचायत समिति के कार्य

पंचायत समिति कई कार्य करती है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं; कृषि, भूमि को बेहतर बनाना, **जल आच्छादित** क्षेत्र का विकास, सामाजिक और फार्म वनीकरण, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा पंचायत समिति ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं को भी क्रियान्वित

करती है जिसके लिए इसे केन्द्र या राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। यह अपने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ उनके बीच समन्वय भी स्थापित करती है। इसके कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी है जैसे :

(i) गाँवों में पेयजल की व्यवस्था करना।

(ii) गाँव की सड़कों का विकास और मरम्मत।

(iii) बाजारों के लिए नियम व नियन्त्रण की व्यवस्था।

(iv) उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना।

(v) हस्तशिल्प, हैडलूम और पारम्परिक कला के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना।

(vi) अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का बढ़ावा देना।

(ग) आय के स्रोत

पंचायत समिति की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाला अनुदान है इसके अलावा यह कुछ कर भी लगा सकती है तथा भू राजस्व का भी एक निश्चित प्रतिशत पंचायत समिति को प्राप्त होता है।

18.2.4 जिला परिषद् : संगठन और कार्य

(क) रचना

जिला परिषद् त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष की संस्था है। यह जिला स्तर पर स्थित है। इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिले के सांसद और विधायक भी जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद् में भी कम-से-कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं।

चित्र 18.4 जिला परिषद्, लातुर (महाराष्ट्र)

(ब) जिला परिषद् के कार्य

जिला परिषद् के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है, हालाँकि आप अलग-अलग राज्यों में इनमें थोड़ी-बहुत विभिन्नता देख सकते हैं :

1. ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करना, जिले के विकास कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना।
2. किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति, उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्तःस्रवण पोखरों का निर्माण करना तथा चराई एवं चराई भूमि का रखरखाव करना।
3. गाँवों में विद्यालय खोलना तथा उन्हें चलाना, प्रौढ़ साक्षरता हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।
4. गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों की स्थापना करना, छोटी बस्तियों के चल अस्पतालों का प्रबन्धन करना, महामारियों के लिए टीकाकरण शुरू करना तथा परिवार कल्याण अभियानों को चलाना।
5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम चलाना तथा अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त होस्टल की स्थापना करना।
6. कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, प्रसंस्करण मिलों, डेयरी फार्म आदि जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करना तथा
7. सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण करना तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की देखभाल करना।

(स) जिला परिषद् की आय के स्रोत

जैसाकि आपने देखा, जिला परिषद् बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह इस धन की व्यवस्था अपनी आय के स्रोतों से करती है जो निम्नलिखित हैं :

1. जिला परिषद् द्वारा लगाए गए करों, लाइसेंस फीस तथा बाजार शुल्क।
2. उगाहे गए भू-राजस्व में जिला परिषद् का हिस्सा।
3. जिला परिषद् की विभिन्न सम्पत्तियों से प्राप्त आय।
4. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान।
5. विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आबंटित की गई धनराशि।

पाठगत प्रश्न 18.2

1. ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है? इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? लिखिए।

2. ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। इनमें से कौन-से कार्य महत्त्वपूर्ण हैं? इनमें से कुछ ऐसे कार्य है जिन्हें आपके मत में स्थानीय सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो क्यों?

3. ग्राम पंचायत की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

4. पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कार्यों के आधार पर, एक वर्ष की एक कार्य योजना बनाइए जिसे इन संस्थाओं द्वारा जिले में लागू किया जा सके।

5. पंचायती राज पर प्रकाशित किसी आलेख अथवा इन्टरनेट अथवा अपने शिक्षकों या अपने से बड़े लोगों अथवा दोस्तों/सहपाठियों से पंचायतों में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कीजिए तथा ऐसे राज्यों की सूची तैयार कीजिए जहाँ पंचायतों में महिला आरक्षण एक तिहाई से अधिक है।

18.3 शहरी स्थानीय सरकार

जब विजय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की सराहना करने की कोशिश कर रहा था, तब अध्यापक ने उसे पूछा कि क्या उसने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय शासन की संस्थाओं के बारे में सुना है जहाँ पर वह तथा उसका परिवार गाँव से स्थानान्तरित होकर गया है। विजय भी यह जानना चाहता था कि क्या ऐसी संस्थाएँ शहरी क्षेत्रों में भी हैं। अध्यापक ने कहा, ''हाँ ये शहरी क्षेत्रों में भी हैं। जिस तरह पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसी तरह स्थानीय शासन की शहरी संस्थाएँ भी हैं। शहरी स्थानीय निकाय तीन प्रकार की होती हैं :

(अ) बड़े शहरों के लिए नगर निगम

(ब) छोटी आबादी वाले शहरों के लिए नगर परिषद् तथा

(स) संक्रमणकालीन क्षेत्रों (अर्ध शहरी क्षेत्र) के लिए नगर पंचायत। परन्तु पंचायती राज संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ पंचायती राज संरचनाएँ एक-दूसरे से बारीकी से जुड़ी हुई है वही शहरी स्थानीय निकाय एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। एक राज्य में तीनों शहरी स्थानीय निकाय हो सकते हैं, एक बड़े शहर में नगर निगम, एक छोटे शहर में नगर परिषद् तथा एक छोटे कस्बे में नगर पंचायत। परन्तु यह एक-दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1688 ई. में प्रथम बार शहरी स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया जब मद्रास (अब चेन्नई) में नगर नगम की स्थापना की गई। बाद में इसी तरह के निकायों की स्थापना कलकत्ता तथा बम्बई (मुम्बई) में भी की गई। उस समय इन संस्थाओं का कार्य स्वच्छता के मामलों में सहायता करना तथा महामारियों की रोकथाम के लिए कार्य करना था। इन स्थानीय निकायों के जलापूर्ति तथा जलनिकासी के प्रबन्ध जैसे कुछ कार्य भी थे। परन्तु इन संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय तथा अधिकारिता शक्तियाँ नहीं दी गई। शुरुआत में इनके अधिकांश सदस्य मनोनित किए जाते थे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी स्थानीय प्रशासन में इनके महत्त्व तथा आवश्यकता को महसूस किया तथा इन्हें देश के नियोजित विकास से जोड़ा। परन्तु धन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था जो इन संस्थाओं के पास नहीं था। परन्तु फिर भी यह व्यवस्था प्रशासन का प्रभावी उपकरण साबित हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान इन शहरी

स्थानीय संस्थाओं में बहुत से परिवर्तन किए गए। धीरे-धीरे कुछ संरचनात्मक सुधार किए गए, स्थानीय निकायों की शक्तियों को बढ़ाया गया तथा इन्हें कुछ धन भी उपलब्ध करवाया गया। स्वतन्त्रता के बाद से चार प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे थे–(i) नगर निगम, (ii) नगर पालिका, (iii) टाउन एरिया समितियाँ, (iv) अभिसूचित क्षेत्र समितियाँ। 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए। वर्तमान में तीन तरह के शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं :

(अ) बड़े शहरों के लिए नगर निगम,

(ब) छोटे शहरों के लिए नगर परिषद् तथा

(स) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के रूप में संक्रमणशील हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत।

18.3.1 74वाँ संविधान संशोधन, 1992

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय निकायों की संरचना तथा कार्यों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है :

- भारत के प्रत्येक राज्य में शहरी स्थानीय निकायों का गठन (नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत)।
- नागरिक मामलों में जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित व निष्पक्ष चुनाव।
- अधिक से अधिक छः माह के लिए नगरपालिका सरकारों के अतिक्रमण का प्रावधान।
- आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों (अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) एवं महिलाओं के लिए नगरपालिका सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व
- राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाकर नगरपालिकाओं और वार्ड समितियों को शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियों सहित) और कार्यात्मक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।
- प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन, जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता के लिए सिफारिश देता है तथा;
- विकास योजनाओं की तैयारी तथा समेकन के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति तथा महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय योजना समिति का गठन।

18.3.2 नगर निगम

अ. रचना

राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत, बड़े शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई है। नगर निगमों के पार्षद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुने हुए पार्षदों में से ही प्रति वर्ष किसी एक को मेयर चुना जाता है। मेयर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों

के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों में उन समुदाय की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित हैं। नगर निगम के विघटन होने पर छः माह के अन्तर्गत चुनाव कराए जाते हैं। नगर निगम आयुक्त का पद भी सृजित किया गया है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली आदि में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

चित्र 18.5 नगर निगम

ब. नगर निगम के कार्य

नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

1. **स्वास्थ्य तथा स्वच्छता :** शहर की सफाई, कूड़ा-करकट का निपटान, अस्पतालों तथा औषधालयों का रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना तथा संचालन, मिलावटी वस्तुओं की जाँच आदि कार्यों का उत्तरदायित्व।
2. **बिजली और जलापूर्ति :** सड़कों-गलियों में रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव, विद्युतापूर्ति, सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा जलापूर्ति की सुविधा, पानी के टैंकरों का रखरखाव आदि।
3. **शिक्षा :** प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, मध्याह्न भोजन योजना का प्रबन्ध तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएँ आदि।
4. **सार्वजनिक कार्य :** सड़कों का निर्माणकार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों, रेस्त्राँ तथा होटल आदि के निर्माण के नियम बनाना; अतिक्रमण हटाना तथा खतरनाक भवनों को तोड़फोड़ कर हटाना।
5. **विविध कार्य :** जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि/कब्रिस्तान, रैन बसेरा के लिए प्रावधान तथा रखरखाव; स्कूटर एवं टैक्सी स्टैण्ड तथा सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

6. **विवेकाधीन कार्य :**

(अ) **मनोरंजन :** पार्कों, सभागारों आदि का प्रावधान।

(ब) **सांस्कृतिक :** संगीत, नाटक, चित्रकला तथा अन्य कलाओं का आयोजन और पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों जैसी गतिविधियों को देखना।

(स) **खेलों सम्बन्धी गतिविधियाँ :** विभिन्न खेलों के लिए खेल मैदानों का प्रावधान तथा खेल प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेण्ट आदि की व्यवस्था करना।

(द) **कल्याणकारी सेवाएँ :** सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना, परिवार कल्याण योजनाएँ तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करना।

स. मेयर के प्रमुख कार्य

मेयर नगर निगम के प्रमुख के रूप में चुना जाता है जिसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं :

- निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में शिष्टता तथा अनुशासन बनाए रखना;
- पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना।
- शहर में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगुवाई करना।

द. नगर निगम के आय के स्रोत

पंचायती राज की तरह, अपने क्षेत्र की कल्याणकारी गतिविधियों तथा विकास के लिए नगर निगम व्यवस्था को भी धन की आवश्यकता होती ही है। नगर निगम अधिनियम में आय के स्रोतों का प्रावधान किया गया है। आय के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं :

- करो से प्राप्त आय : नगर निगम विभिन्न मदों पर कर लगाता है जैसे–हाऊस टैक्स, मनोरंजन कर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर कर, पंजीकरण शुल्क, इमारतों की निर्माण योजनाओं पर कर आदि।
- अन्य शुल्क तथा अधिभार : इसके अन्तर्गत जलापूर्ति शुल्क, बिजली शुल्क, सीवर शुल्क, दुकानदारों से लाइसेन्स फीस तथा टोल टैक्स और चुंगी शुल्क आदि।
- अनुदान : राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- किराए से प्राप्त आय : नगर निगम अपनी सम्पत्तियों जैसे–दुकानें, खोखे, सामुदायिक केन्द्र, बरात घर तथा मेलों, शादियों व अन्य प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न स्थल आदि को किराए पर दे देता है और उनसे किराया प्राप्त करता है।

18.3.3 नगर परिषद्

अ. रचना

कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद होते हैं जो स्थानीय शहर, उसकी समस्याएँ तथा विकासात्मक कार्यों को देखती हैं। 74वें संविधान संशोधन के उपरान्त, प्रत्येक शहर के लिए नगर

पालिकाओं की रचना करना आवश्यक है। प्रत्येक नगर परिषद् के लिए पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा कर पाने वाले व्यक्ति ही पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। यदि किसी कारण से नगर परिषद् का अपनी पाँच वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले ही विघटन हो जाता है तो उस तारीख से छः माह के अन्तर्गत पुनः चुनाव कराए जाते हैं। चुने हुए सदस्य अपने में से ही किसी एक को नगर परिषद् का अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक चुने हुए सदस्यों के बहुमत का विश्वास मत उसे प्राप्त है। प्रत्येक नगर परिषद् में एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह दिन प्रतिदिन के कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों को देखता है। स्वास्थ्य अधिकारी, कर अधीक्षक, सिविल इंजीनियर आदि अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी होते है।

ब. नगर परिषद् के कार्य

नगर परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं :

1. **स्वास्थ्य तथा स्वच्छता :** शहर की सफाई का प्रबन्धन, कूड़े-करकट का निपटान, अस्वास्थ्यकर तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक तथा औषधालयों एवं अस्पतालों का रखरखाव करना;
2. **बिजली तथा जलापूर्ति :** बिजली तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा तालाब एवं पानी के टैंकरों का रखरखाव करना;
3. **शिक्षा :** प्राथमिक स्कूलों तथा शिक्षण केन्द्रों का संचालन तथा रखरखाव करना;
4. **जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड :** शहर/कस्बों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड रखना तथा इनके लिए प्रमाण-पत्र जारी करना।
5. **सार्वजनिक कार्य :** गलियों को पक्का बनाना, नगरपालिका सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव करना, बारात घर, सामुदायिक भवनों, बाजारों, सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों आदि का निर्माण तथा रखरखाव करना।

स. आय के स्रोत

धन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। नगर परिषदों के पास आय के भिन्न-भिन्न स्रोत हैं। इन स्रोतों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

- **कर :** सम्पत्ति, वाहन, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि पर कर से प्राप्त आय।
- **किराया तथा शुल्क/अधिभार :** जलापूर्ति शुल्क, सीवर व्यवस्था शुल्क, लाइसेन्स फीस, सामुदायिक भवनों, बरात घरों तथा दुकानों आदि का किराया।
- **अनुदान :** राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।
- **जुर्माने :** कर न देने वालों, कानून तोड़ने वालों तथा कानून का अतिक्रमण करने वालों पर किए गए जुर्मानों से प्राप्त आय।

18.3.4 नगर पंचायतें

तीस हजार से अधिक तथा एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी केन्द्रों में नगर पंचायत होती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। पूर्व टाउन एरिया समितियाँ (5000 से 20,000 तक की

कुल जनसंख्या वाले शहरी केन्द्र) नगर पंचायतों के रूप में नामित की गई हैं। इसमें एक अध्यक्ष तथा वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें कम-से-कम 10 चुने हुए वार्ड के सदस्य तथा तीन नामित सदस्य होते हैं। अन्य नगर निकायों की तरह, नगर पंचायत भी निम्न के लिए उत्तरदायी होती है : (क) सफाई तथा कूड़ा-करकट का निपटान, (ख) पेज जल की आपूर्ति, (ग) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की जगह तथा जन सुविधाएँ आदि का रखरखाव करना, (घ) अग्निशमन सेवाओं की स्थापना तथा रखरखाव, (ङ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आदि। इसके आय के स्रोत निम्न हैं : गृह कर, जल कर, टोल कर, लाइसेन्स फी तथा इमारत निर्माण योजनाओं पर फीस; बरात घर तथा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त किराया; तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

पाठगत प्रश्न 18.3

1. 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से पूर्व कितने शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे थे? इस संशोधन से क्या परिवर्तन किए गए?
2. नगर निगम के क्या कार्य हैं? ये कार्य क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
3. नगर निगम की आय के स्रोत क्या हैं?
4. सम्बन्धित क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों का है। क्या आप मानते हैं कि नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? ये कौन-सी जिम्मेदारियाँ हैं?

क्रिया-कलाप 18.4

नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की सूची बनाइए। यदि आप कभी उनसे मिले हैं तो उस पदाधिकारी का नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि आपका उनसे मिलने का उद्देश्य क्या था।

18.4 जिला प्रशासन

चूँकि विजय शहर के एक स्कूल में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी था, अध्यापक ने उससे जिला प्रशासन की भूमिका के विषय में बताने की कोशिश की। उसने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा प्रत्येक जिला में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप स्थानीय निकायों के कार्यों में योगदान ही नहीं करता बल्कि, यह प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्य भी करता है।

प्रत्येक जिले में अनुमंडल तथा ब्लॉक अथवा तालुका होते हैं और जिला प्रशासन की सहायता के लिए वहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने विजय से पूछा कि क्या वह अपने जिले में नियुक्त प्रमुख पदाधिकारियों को जानता है। उसे उलझन में देख, अध्यापक ने जिला प्रशासन के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझाया। जिला स्तर पर निम्न प्रमुख पदाधिकारी होते हैं : जिलाधीश,

पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला वन अधिकारी आदि। ये सभी अधिकारी जिले में अपने विभाग के प्रमुख होते हैं।

18.4.1 जिलाधीश

जिला प्रशासन का प्रभार जिलाधीश के हाथों में होता है। यह पद समाहर्ता, डिप्टी कमिशनर या उपायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अन्तर्गत आता है। जिला प्रशासन, राज्य और केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद विशेष रूप से जिला प्रशासन न केवल राजस्व या करों के संग्रह और कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए बल्कि जिले के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार है।

जिला लम्बे समय से प्रशासन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, यह मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था। लेकिन वर्तमान में, राज्य प्रशासन को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और जिला प्रशासन बहु-आयामी भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार जिलाधीश को राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। जिलाधीश का प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है –

1. जिले में कानून व्यवस्था तथा शान्ति बनाए रखना।
2. राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना।
3. राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थाएँ और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका निभाना।
4. विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, पुलिस, जेल और संस्कृति।
5. आपातकाल और आपदाओं के दौरान पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाना तथा राहत कार्य करना।
6. विभिन्न प्रतिनिधिक निकायों के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव कराना जैसाकि लोकसभा, विधान सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद्, नगर निगम इत्यादि।
7. भू-राजस्व तथा अन्य करों को एकत्रित करने की व्यवस्था करना।
8. न्यायिक कार्यों का सम्पादन करना और विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करना तथा विभिन्न प्रकार का जुर्माना और दण्ड लगाना।
9. जन शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करना।

18.4.2 अनुमंडल अधिकारी

बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले को छोटी इकाइयों, जिसे अनुमंडल कहते है, में विभाजित किया गया है। हालाँकि जिले के अनुमंडल जिला मजिस्ट्रेट के तहत हैं परन्तु एक अधिकारी जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी (S.D.O.) कहा जाता है, इस इकाई का प्रभारी होता है। अनुमण्डल अधिकारी वहाँ प्रशासन के क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अनुमण्डल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) के अन्तर्गत आता है

या राज्य सिविल सेवा संवर्ग के अन्तर्गत। वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू-राजस्व एकत्र करता हैं। वह बन्दूक और पिस्तौल जैसे हथियारों के लिए लाइसेन्स जारी करने की शक्ति रखता है और ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने के लिए भी अधिकृत है। साथ ही वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र तथा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करता है।

18.4.3 ब्लॉक/खण्ड विकास अधिकारी

ब्लॉक सबसे निचले स्तर पर प्रशासन की इकाई है। ब्लॉक का प्रभारी प्रखण्ड विकास अधिकारी (B.D.O.) कहा जाता है। वह राज्य सिविल सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आता है और ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करता है।

प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज के मध्य टियर के साथ जुड़ा हुआ हैं। वह पंचायत समिति के पदेन सचिव के रूप में बैठकों का रिकॉर्ड रखता है बजट तैयार करता है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है।

क्रियाकलाप 18.4

आपके जिले का जिलाधीश निम्न तालिका में वर्णित गतिविधियों पर कारवाई करना चाहता है। इन गतिविधियों की अपने अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाएँ

क्रम	गतिविधि	
1.	जिले में एक नये सिनेमा हॉल का निर्माण।	
2.	सड़कों को बेहतर बनाना।	
3.	स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।	
4.	अनुसूचित जाति और जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए नई योजनाएँ।	
5.	नगरपालिका कार्यालय का नवीकरण।	
6.	स्थानीय नगर निगम के अस्पतालों के लिए अधिक डॉक्टरों की भर्ती।	
7.	मतदाता सूची में संशोधन।	
8.	जल निकासी व्यवस्था में सुधार।	
9.	नगर निगम के स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती।	
10.	आगजनी, सूखा आदि जैसी आपदाओं के लिए एक आपात योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति	

नोट : प्राथमिकता प्रदान करते समय गतिविधि को निर्दिष्ट संख्या दिए जानें का औचित्य दें।

टिप्पणी

18.5 अवसर और चुनौतियाँ

उपरोक्त विवेचन के आलोक में क्या आपको नहीं लगता है कि ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय हर भारतीय नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ये नागरिकों को राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतरीन संस्थाएं हैं तथा नेतृत्त्व के गुणों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। भागीदारी के द्वारा नागरिक विभिन्न मुद्दों एवं विषयों का विश्लेषण करना सीखते हैं और स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के हित की पैरवी करते हैं। चूंकि ये स्थानीय सरकारी निकाय उनके करीब हैं अतः वे नागरिक की पहुँच में हैं तथा नागरिक व्यक्तिगत पहल और हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान ढूंढ़ सकते हैं। विशेष तौर महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इन निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के परिणामस्वरूप, अधिक-से-अधिक संख्या में महिलाएं इन संस्थानों को चलाने में हिस्सा लेती हैं। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का बेहतरीन तरीका है तथा उन्हें अपनी क्षमता को साबित करने का अवसर प्रदान करता है।

दूसरी तरफ, स्थानीय सरकारी निकायों के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। लोगों के करीब होने के कारण, इन संस्थाओं ने लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को बढ़ाया है जिन्हें पूरा करने में, विभिन्न बाधाओं के कारण, वे स्वयं सक्षम नहीं हैं। इन संस्थाओं का कार्य चुनौतीपूर्ण है जबकि संसाधन सीमित हैं। यह परिस्थिति अक्सर विवाद और द्वेष को जन्म देती है। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सुनिश्चित करने में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता तथा राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति जैसे कारक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जातिवाद और सम्प्रदायवाद के तत्व भी समस्या खड़ी करते हैं। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की बढ़ती प्रवृत्ति भी स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशील के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।

पाठगत प्रश्न 18.4

1. जिला प्रशासन के महत्वों का मूल्यांकन करे।
2. जिलाधीश के प्रमुख कार्य क्या हैं?
3. स्थानीय निकाय नागरिकों को कौन-कौन से अवसर प्रदान करते हैं? इन निकायों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

आपने क्या सीखा

- स्थानीय स्वशासन सरकार का तृतीय स्तर है। पहला और दूसरा स्तर केन्द्रीय और राज्य सरकार है। दो तरह के स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत शहरों में होते हैं।

- हालाँकि गाँव पंचायत की व्यवस्था राज्य के नीति नीति-निदेशक सिद्धान्तों के द्वारा हुई थी, लेकिन स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा 1992 में संसद् द्वारा पारित 73वाँ एवं 74वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला।

- इन संशोधनों ने हर राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों को बनाए रखना तथा उनको जारी रखना अनिवार्य कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने के अलावा ये अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए भी सीटें आरक्षित करते हैं।

- पंचायती राज व्यवस्था एक तीन स्तरीय प्रणाली है जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् होते है। यह संस्थाएँ अपने क्षेत्र के लोगों के हित और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती हैं। ये बुनियादी सुविधाएँ जैसे साफ पीने का पानी, स्वच्छता औषधालय, गलियाँ, सड़क बनाना, प्राथमिक स्कूल, वृद्धाश्रम तथा क्षेत्र के अन्य आवश्यक काम करती हैं।

- शहरी स्थानीय निकाय जैसे बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद और परिवर्ती क्षेत्रों में नगर पंचायत को संवैधानिक संशोधन 1992 ने मजबूत बनाया है। पंचायती राज संस्थानों की तरह इनमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है।

- ये स्थानीय निकाय लोगों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास एवं रखरखाव, विकासात्मक क्रिया-कलाप और अपने-अपने क्षेत्र के जनहित के लिए काम करते हैं।

- दोनों शहरी और ग्रामीण निकाय लोगों के निकटतम हैं और सही मायनों में तृणमूलीय लोकतान्त्रिक संस्थाओं के हैसियत से कार्य करते हैं। वे लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। पर इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार, वित्तीय संसाधन की कमी तथा लोगों की उदासीनता आदि।

- जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला प्रशासन न सिर्फ अपने परम्परागत कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व वसूली का काम करता है बल्कि महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य का भी जिम्मेदारी उठाता है यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक कार्यान्वयन उपकरण है।

पाठान्त प्रश्न

1. स्थानीय निकाय जरूरी क्यों है? अपना विचार व्यक्त करें।
2. पंचायती राज संस्थानों की रचना और कार्यों की विवेचना करें तथा उनकी भूमिकाओं का परीक्षण करें।

3. शहरी स्थानीय निकाय की रचना व कार्य की संक्षिप्त व्याख्या करें।

4. पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों की बनावट व भूमिकाओं में 73 एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या प्रमुख बदलाव लाया गया?

5. क्या आप समझते हैं कि 73वाँ एवं 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने सच्चे अर्थों में महिलाओं को सशक्त किया है। पुष्टि कीजिए।

6. एक विधवा दो बच्चों के साथ एक गाँव में घरेलू कार्य/सहायता करती है। वह अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहती है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। ऐसा तरीका सुझाएँ जिससे गाँव पंचायत का प्रधान सुनिश्चित करे कि उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

18.1

1. स्थानीय सरकार, स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों की सरकार है।

   स्थानीय सरकारी संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर आम लोगों के भाग लेने और विकास और सामाजिक न्याय के लिए योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

   यह स्थानीय स्थितियों के अनुरूप स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और उचित समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती है। स्थानीय सरकार वास्तव में एक ऐसी सरकार है जो जमीनी स्तर पर कार्य करती है।

2. पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन समय से कार्यात्मक थी। वे आमतौर पर गांव के बुजुर्ग की अध्यक्षता में विभिन्न नामों जैसे पंचायत, बिरादरी या कुछ अन्य नाम से, जानी जाती थी। 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला।

3. अपने क्षेत्र में स्थानीय सरकारी संस्थानों का पता लगाएँ और उनके नाम लिखें।

4. स्थानीय सरकार पानी के रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था, पेय जल आदि की व्यवस्था करती है। इस प्रकार कई मायनों में हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

5. (क) त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की।

   (ख) जिलों के विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समिति की स्थापना

   (ग) ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में इनका सशक्तिकरण

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करके अधिनियम ने उन्हें स्थानीय सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर दिया और इस तरह उनका सशक्तीकरण किया।

(ङ) राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की।

18.2

1. ग्राम पंचायत या गाँव पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की तृणमूल संस्था है। पंचायतों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं। पंचायत में एक प्रधान होता है जो गाँव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत में कुछ पंच भी होते हैं और एक उप सभापति भी होता हैं जिसे पंचायत के सदस्य चुनते हैं।

2. ग्राम पंचायत के तीन कार्य मुख्य हैं :

   (i) शुद्ध पेय जल का प्रावधान

   (ii) पक्की सड़क

   (iii) अच्छी जल निकासी व्यवस्था का निर्माण और रखरखाव

   विवेकाधीन कार्य : कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें पंचायत के लिए करना अनिवार्य नहीं है। इन कार्यों को निष्पादित तभी किया जा सकता है जब पंचायत के पास संसाधन और धन हो। इनमें वृक्षारोपण, पशुओं के गर्भाधान केन्द्र की स्थापना और रखरखाव, खेल के मैदान का विकास व रखरखाव और पुस्तकालय की स्थापना और चलाना शामिल हैं।

3. पंचायत के आय के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं :

   (i) सम्पत्ति, भूमि, वस्तुओं और मवेशियों पर कर;

   (ii) बारात घर जैसी सुविधाओं के लिए या अन्य पंचायत की सम्पत्ति से किराया

   (iii) अपराधियों से एकत्रित विभिन्न प्रकार का जुर्माना

   (iv) राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू-राजस्व का एक भाग जो पंचायत को दिया जाता है

   (v) कुछ सामान्य कार्यां के लिए ग्रामवासियों से एकत्रित चन्दा

   (vi) राज्य व संघ सरकार से अनुदान।

4. इस उत्तर को लिखने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करें।

5. इस प्रश्न के उत्तर के लिए जानकारी स्वयं एकत्र करें।

18.3

1. आजादी के बाद चार प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थे : (i) नगर निगम, (ii) नगर पालिकाएँ, (iii) शहरी क्षेत्र समितियाँ और (iv) अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ। लेकिन 74वाँ संवैधानिक संशोधन 1992 शहरी स्थानीय सरकार प्रणाली में प्रमुख बदलाव लाया। अब तीन प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें कार्यरत हैः जैसे–(a) बड़े शहरों के लिए नगरनिगम, (b) छोटे शहरों के लिए नगर परिषद्, (c) नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण कर रहे हैं।

2. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति या बिजली हर व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण है। साफ-सुथरा शहर, अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करके, नगर निगम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

3. (i) करों से आय – आवास कर, मनोरंजन कर, होर्डिंग पर कर आदि।

   (ii) राज्य और संघ सरकार से अनुदान।

   (iii) किराए से आय – नगर निगम दुकानें, खोखे, सामुदायिक हॉल आदि किराये पर देता है।

   (iv) अन्य शुल्क जैसे टोल टैक्स, सीवर शुल्क, पानी और बिजली आदि पर शुल्क।

4. अपनी समझ के आधार पर जवाब लिखें, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और वे जिम्मेदारियाँ जो नागरिक स्थानीय सरकार का समर्थन करने के लिए ले सकते हैं।

18.4

जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश होता है। जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों में पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी आदि शामिल हैं।

अनुमंडल अधिकारी

अनुमंडल अधिकारी प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधीश की सहायता करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू-राजस्व एकत्र करता है और वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति रखता है।

प्रखण्ड विकास अधिकारी

1. प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज के मध्य टीयर के साथ जुड़ा हुआ है। वह पंचायत समिति का पदेन सचिव है और बैठकों का रिकॉर्ड रखता है, बजट तैयार करता है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है।

2. जिलाधीश के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :

   (i) जिले में कानून व्यवस्था और शान्ति बनाए रखना

   (ii) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना,

   (iii) राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थानों और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना,

   (iv) विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय कायम करना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, भूमि प्रबन्धन, पुलिस, जेल और संस्कृति,

   (v) लोक सभा, विधान सभा, ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद्, नगर पालिकाओं आदि अनेक प्रतिनिध्यात्मक निकायों के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना।

3. स्थानीय निकाय नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं और उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने सहायक होते हैं। भागीदारी के द्वारा नागरिक विभिन्न मुद्दों और विषयों का विश्लेषण करना सीखते हैं और स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के हित की पैरवी करते हैं। चूँकि ये स्थानीय सरकारी निकाय उनके नजदीक हैं अतएव नागरिक की पहुँच में हैं तथा नागरिक व्यक्तिगत पहल और हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान ढूंढ़ सकते हैं। महिलाओं को भी स्थानीय निकायों के सदस्यों के रूप भागीदारी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

   लोगों के करीब होने के कारण, इन संस्थाओं ने लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और उम्मीदों को बढ़ाया है जिन्हें पूरा करने में, विभिन्न बाधाओं के कारण, वे स्वयं हमेशा सक्षम नहीं हैं। ये बाधाएं हैं : गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति। जातिवाद, साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की बढ़ती प्रवृत्ति, स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशीलन के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं।

19

राज्य स्तर पर शासन

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, भारत एक संघ है जहां दो स्तरों राज्य स्तर तथा संघ या केन्द्रीय स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। दोनों ही स्तरों पर प्रत्येक नागरिक सरकारों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है और उनसे प्रभावित होता है। हम राज्य तथा संघीय विधायिकाओं द्वारा बनाये गये कानूनों से निर्देशित होते हैं, दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा शासित होते हैं तथा दोनों स्तरों पर स्थापित न्यायालयों द्वारा न्याय प्राप्त करते हैं। दोनों ही स्तरों पर शासन की तीनों शाखाएं-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका कार्यरत हैं। शासन व्यवस्था की व्यापक समझ के लिए, इस पाठ में राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा शासन प्रक्रियाओं पर चर्चा की जा रही है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के पश्चात, आप :

- राज्यपाल की नियुक्ति - प्रक्रिया, शक्तियां तथा पदस्थिति की व्याख्या कर सकेगें।
- राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों, राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- राज्य मंत्रिपरिषद की रचना तथा उसकी शक्तियों की व्याख्या कर सकेगें;
- राज्य विधायिका की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण कर सकेगें;
- उच्च न्यायालय का संगठन तथा उसके अधिकार क्षेत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यान्वयन को समझ सकेंगे; तथा
- राज्य स्तर पर सरकार की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे तथा नागरिकों एवं उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

19.1 राज्यपाल

आप ''सांविधानिक मूल्य तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था'' नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत में शासन का संसदीय रूप है। राज्य तथा संघीय दोनों ही स्तरों पर अन्य संसदीय व्यवस्थाओं

की तरह की संस्थाएँ तथा प्रक्रियाएँ हैं। राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है जिसमें संविधान द्वारा राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित की गयी हैं। परंतु राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद करती है।

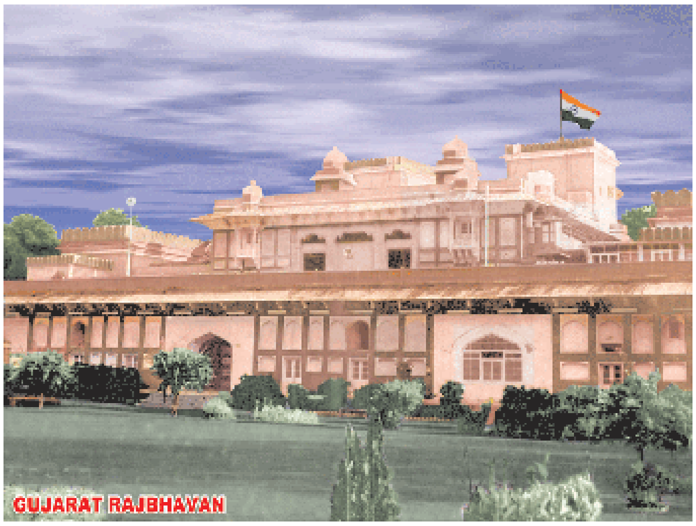

चित्र 19.1 राजभवन, गुजरात

19.1.1 नियुक्ति

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वहः

(अ) भारत का नागरिक हो,

(ब) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और

(स) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।

यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य है और वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह अपने उस पद से त्यागपत्र देता है। राज्यपाल पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु सामान्यतया वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त का तात्पर्य है कि राज्यपाल अपनी पदावधि के पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह अपनी पदावधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है। यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्यपाल नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाये जाने का निर्णय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार लेता है।

क्रियाकलाप 19.1

यद्यपि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। कभी-कभी जब किसी राज्य का राज्यपाल त्यागपत्र दे देता है तो पड़ोसी राज्य

के राज्यपाल को उस राज्य प्रशासन की देख-रेख का भी उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। आज भी इस तरह के कुछ मामले देखे जा सकते हैं। अपने अध्यापकों अथवा दोस्तों अथवा समाचारपत्रों/इंटरनेट से कम से कम एक ऐसे मामले की खोज करें जहां एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है।

19.1.2 राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्तियां जुड़ी होती हैं। राज्य के प्रमुख के रूप में प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल को शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

राज्यपाल की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(अ) कार्यकारी शक्तियाँ (ब) विधायी शक्तियाँ (स) वित्तीय शक्तियाँ

(द) न्यायायिक शक्तियाँ (इ) विवेकाधीन शक्तियाँ

(अ) **कार्यकारी शक्तियाँ :** भारतीय संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गयी हैं जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार करता है। वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों, एडवोकेट जनरल तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। परंतु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियाँ मात्र औपाचारिक हैं। वह मुख्यमंत्री के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत का नेता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही कर सकता है। उसके द्वारा अन्य सभी नियुक्तियाँ तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती हैं।

(ब) **विधायी शक्तियाँ :** राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है और उसे कुछ निश्चित विधायी शक्तियाँ दी गयी हैं। उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने तथा उसका अवसान करने का अधिकार है। वह राज्य विधान सभा को भंग भी कर सकता है। वह राज्य विधानसभा अथवा विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण देता है। यदि एंग्लो-इंडियन समुदाय का विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करता है। यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आपको पुनः स्मरण करा दें कि वास्तविकता में राज्यपाल ये सभी कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करता है। राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून या अधिनियम का रूप लेता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है।

(स) **वित्तीय शक्तियाँ :** आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट विधायिका के पटल पर उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में, राज्य का बजट या 'वार्षिक वित्तीय विवरण' राज्यपाल की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त

कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का राज्य आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

(द) **न्यायिक शक्तियाँ :** राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। वह किसी भी दंड को स्थगित कर सकता है या कम कर सकता है। परन्तु सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के सम्बंध में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार नहीं है।

(इ) **विवेकाधीन शक्तियाँः** जैसाकि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में राज्यपाल की कोई शक्तियां नहीं होती हैं। परंतु संविधान के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है, विवेकाधीन शक्तियाँ कहलाती हैं। प्रथमतः यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दलों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने हेतु निमंत्रण दे सकता है। दूसरे, राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वह भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तृतीय, यदि राज्यपाल यह मानता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है। वैसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद् हटा दी जाती है और राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। ऐसी आपातकाल स्थिति के दौरान, राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य में शासन करता है।

19.1.3 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। सामान्यतः, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्त्तव्यों का पालन करता है। वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति के अनुसार ही करता है। विधानसभा में बहुमत एक दल अथवा दल समूह अथवा निर्दलीय समूहों से मिलकर बनता है। लेकिन जब सदन में एक नेता के चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह, सैद्धांतिक रूप से सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। राज्यपाल उन्हें तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को भेजनी होती है। राज्यपाल राज्य प्रशासन से संबंधित किसी आवश्यक सूचना की मांग भी कर सकता है। यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष उसके विचार के लिए रखने हेतु मुख्यमंत्री से कह सकता है। यह सच है कि राज्यपाल नाममात्र का

प्रमुख होता है तथा वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक या औपाचारिक प्रमुख होता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। वह विशेषतौर पर ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। चूंकि वह केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी है, अतः वह उस समय बहुत प्रभावी हो जाता है, जब केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश भेजती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करने का अवसर देती हैं।

पाठगत प्रश्न 19.1

1. नीचे दिये गये प्रत्येक वाक्य में दिए गए चार में से केवल एक विकल्प ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित (✓) कीजिए।

   (i) राज्यपाल
   (अ) निर्वाचित होता है। (ब) नियुक्त होता है।
   (स) मनोनित होता है। (द) चयनति होता है।

   (ii) राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु
   (अ) 18 वर्ष (ब) 23 वर्ष
   (स) 30 वर्ष (द) 35 वर्ष होनी चाहिए।

   (iii) राज्यपाल की पदावधि
   (अ) दो साल (ब) 5 वर्ष
   (स) 6 वर्ष (द) जीवनभर की होती है।

2. नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत? निशान लगाएँ।

   (i) राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। सही/गलत

   (ii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सही/गलत

   (iii) राज्यपाल राज्यविधायिका का अभिन्न अंग होता है। सही/गलत

   (iv) यदि राज्य विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। सही/गलत

   (v) राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सही/गलत

3. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री तथा कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गयी, उस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गयी, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति की गयी थी। उस संदर्भ में राज्यपाल ने कौन-सी शक्तियों का प्रयोग किया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राज्यपाल को इस तरह की शक्तियाँ दी गयी हैं?

19.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद्

19.2.1 नियुक्ति

जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। आप यह भी जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री अथवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति की तारीख से छः माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का आबंटन किया जाता है।

19.2.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्य

आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि राज्य में जहाँ जो कुछ भी घटित होता है सबके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार माना जाता है। यदि अच्छे कार्य होते हैं तो उनके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है लेकिन यदि गलत कार्य होते हैं तो उनके लिये वह आलोचना का पात्र बनता है। ऐसा क्यों हैं? वास्तव में, राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहः

- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों के आबंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है।
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही विभिन्न मंत्रियों के कामकाज में समन्वय स्थापित करता है।
- राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है तथा राज्य विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन करता है।
- मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच वह एकमात्र कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित लिये गये सभी निर्णयों तथा विधायन के लिए प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
- राज्यपाल की इच्छानुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिसपर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्रिपरिषद के विचाराधीन है, तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

19.2.3 मुख्यमंत्री की स्थिति

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री ही नीतियों का निर्माण करता है तथा उन्हें लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। मुख्यमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विशेषकर उस समय जब एक राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।

परंतु यदि वह गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है तो उसकी भूमिका गठबंधन के अन्य भागीदारों के खींचतान तथा दबाव के कारण प्रतिबंधित हो जाती है। यदि सदन में बहुमत बहुत कम हो तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निर्दलीय विधान सभा सदस्यों के द्वारा भी मुख्यमंत्री दबाव महसूस करता है।

कार्यकलाप 19.2

राज्य विधान सभा चुनावों में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो सदन में बहुमत प्राप्त करने हेतु एक से अधिक राजनीतिक दल और यहाँ तक की निर्दलीय विधानसभा सदस्य भी मिलकर बहुमत बना लेते हैं। इस तरह की सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। कभी-कभी, राजनीतिक दल चुनावों से पूर्व गठबंधन बना लेते है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यदि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उनके द्वारा बनायी गयी सरकार भी गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है।

उपर्युक्त संदर्भ को समझते हुए निम्नांकित कीजिए:

1. ऐसे दो राज्यों का नाम बताइये जहाँ वर्तमान में गठबंधन सरकारें कार्य कर रही हैं तथा उस गठबंधन में भागीदार प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम भी लिखिए।
2. ऐसे राज्यों की पहचान कीजिए जहाँ चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों में गठबंधन बना हो और उन्होंने साथ में चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।

पाठगत प्रश्न 19.2

1. नीचे दिये गए कथनों में सही तथा गलत की पहचान कीजिये:

   (i) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्यपाल करता है। सही/गलत

   (ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की एकमात्र कड़ी है। सही/गलत

   (iii) राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की मंत्रिपरिषद को समक्ष रखने के लिए कह सकता है। सही/गलत

   (iv) राज्य में राज्यपाल सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। सही/गलत

   (v) राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो। सही/गलत

2. निम्नलिखित मामले पर विचार करें।

एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। मीडिया ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।

(i) क्या राष्ट्रपति शासन की संस्तुति के साथ राज्यपाल को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए?

(ii) क्या लोगों को भ्रष्ट निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए?

(iii) क्या लोकतंत्र के हित में सरकार को बने रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है तथा राज्य में शासन करने के लिए पिछले चुनावों में जनादेश प्राप्त कर चुकी है?

19.3 राज्य विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। नीचे चित्र में आप कर्नाटक राज्य की विधानसभा का भवन देख रहे हैं। आइये हम समझें कि राज्य विधायिका का गठन कैसे किया जाता है। कुछ राज्यों में विधायिका द्विसदनीय है अर्थात विधायिका में दो सदन हैं। अधिकांश राज्यों में विधायिका एक सदनीय है अर्थात वहाँ एक ही सदन है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। एक सदनीय विधायिका में विधानसभा होती है तथा द्विसदनीय विधायिका में एक विधानसभा होती है जिसे निम्न सदन तथा दूसरी विधान परिषद होती है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल हैं और बाकी सभी राज्यों के एकसदनीय विधायिका है।

चित्र 19.2 विधान सौधा (विधान सभा) बंगलुरू

19.3.1 विधानसभा का गठन

विधानसभा उन राज्यों में भी वास्तविक विधायिका होती है, जहां द्विसदनीय विधायिकायें हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधान सभा में 500 सदस्यों से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगें। लेकिन गोवा, सिक्किम तथा मिजोरम जैसे बहुत छोटे राज्यों की विधायिकाओं की सदस्य

संख्या 60 से कम है। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि राज्य विधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को सदन के लिए मनोनीत कर सकता है। विधानसभा एक निर्वाचित सदन है। इसके सदस्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित योग्यताओं का उल्लेख किया गया है :

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह 25 की आयु पूरी कर चुका हो;
- उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो;
- वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो; और
- वह सरकारी कर्मचारी नहीं हो।

क्या आप जानते हैं

सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? ऐसे सभी वयस्क पुरुष/स्त्री जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान तथा लिंग के भेदभाव के बिना, मत देने तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता है। इसी तरह, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य विधान सभाओं की अवधि बढ़ा सकती है; किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

19.3.2 विधानपरिषद का गठन

राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात् उच्च सदन को विधानपरिषद कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती। जम्मू तथा कश्मीर की विधान परिषद में 36 सदस्य हैं यह एक अपवाद है। विधानपरिषद के सदस्य **अंशतः** निर्वाचित तथा **अंशतः** मनोनीत होते हैं

विधानपरिषद की संरचना निम्न रूप में होती है :

- इसके 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/3 सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हैं;

- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, शिक्षण के काम में कम से कम तीन वर्ष से संलग्न हों; और
- शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसलिए यह भंग नहीं होती है। इसके सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित/नामांकित किये जाते हैं। प्रत्येक दो वर्ष में इसके 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जाने के लिए योग्य होते है। राज्य विधानपरिषद का सदस्य बनने की योग्यताएं राज्य विधानसभा के सदस्यों के समान ही हैं। किन्तु विधान सभा के मामले में निम्नतम उम्र सीमा 25 वर्ष है जबकि विधानपरिषद के लिए यह 30 वर्ष है।

राज्यविधायिका की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होती हैं। परंतु दो सत्रों के बीच की अवधि छः माह से अधिक की नहीं हो सकती। राज्य विधानसभा तथा विधानपरिषद अपने पदाधिकारियों जैसे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष तथा विधान परिषद उपाध्यक्ष आदि का चुनाव करती है।

दोनों सदनों का कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो कि सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था भी बनाये रखते हैं।

19.3.3 राज्य विधायिका के कार्य

राज्य विधायिका निम्न तरह के कार्य करती हैः

(अ) **विधायी कार्य :** विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार है। सभी कानून इसके द्वारा पारित किये जा सकते हैं। जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है वहाँ सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे विधानपरिषद के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद या तो उसे पारित कर देती है या अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस लौटाती है। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् की सिफारिशों सहित या उनके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित कर दिये जाने पर यह विधानपरिषद के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद को इसे पारित करके या फिर अपनी सिफारिशों के साथ इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस विधानसभा को लौटाना होता है। यदि विधानसभा विधानपरिषद द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मानती है तब भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों को राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

(ब) **कार्यपालिका पर नियंत्रणः** राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। वह तभी तक बनी रहती है जब

तक विधानसभा का विश्वास उसे प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है। इसके अलावा, विधायिका प्रश्नों और पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है।

(स) **निर्वाचन कार्यः** विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य संबंधित राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं। इसके अलावा, अपने राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(द) **संविधान संशोधनों से संबंधित कार्यः** संविधान संशोधनों से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

19.4 नागरिकों और उनके दैनिक जीवन पर राज्य सरकार के प्रभाव

क्या आपने कभी महसूस किया है कि राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर राज्य विधायिकाओं में होने वाली बहस किस तरह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है? सभी राज्यों द्वारा चलायी जा रही योजनाएं तथा परियोजनाएं हमें प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः प्रभावित करती हैं। इनमें से प्रमुख भाग राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का है। कई बार राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

उदाहरणार्थ आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए 'रेजिडेंशियल ब्रीज कोर्सेज' के द्वारा अभिनव प्रयास किये जा रहे है। ऐसे बच्चों में मानसिक रूप से कमजोर, श्रवण/दृष्टि बाधित तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस तरह के प्रयास इन बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जुड़ने के योग्य बनाते हैं। केन्द्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के रूप में, उत्तरप्रदेश में 95,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से भी अधिक में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना को स्कुलों में कार्यान्वित करने के लिए ग्राम का निर्वाचित प्रधान जिम्मेदार होता है। राज्य मध्याह्न भोजन गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, सोयाबीन और दालों को शामिल करता है। इन बच्चों के लिए जिन अभिनव प्रयासों को अपनाया जाता है, उनमें खेल तथा कम्प्यूटर द्वारा सीखने की प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन लाने में बच्चे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बच्चे जिन्हें 'स्वच्छता दूत' कहा जाता है, स्कूलों, परिवारों और समुदायों में सफाई और स्वच्छता के संबन्ध में जागरूकता ला रहे हैं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंग के रूप में चलाया जा रहा है। नागालैण्ड की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली जैसे सामाजिक क्षेत्रों में एक नई शुरुआत की है। इन क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण में समुदाय तथा सरकारी संस्थाओं की भागीदारी की ओर वह कदम बढ़ा रही है।

क्या आप जानते हैं

नागालैण्ड में 15 अप्रैल, 2002 को ''नागालैण्ड लोक संस्थाओं तथा सेवाओं का सामुदायीकरण अधिनियम सं. 2, 2002 (नागालैण्ड प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा सेवाओं के सामुदायीकरण नियम, 2002) पारित हुआ। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के सामुदायीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया।

'सामुदायीकरण' शब्द का प्रयोग नागालैण्ड सरकार के प्रमुख सचिव ने पहली बार 2001 में किया था। उन्होंने इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में समुदाय की भागीदारी की अवधारणा की व्याख्या की थी।

प्राथमिक शिक्षा का सामुदायीकरण कई प्रकार से नागा समुदाय की परम्परा एवं चेतना के अनुरूप है। नागा समुदाय के लिए शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। परम्परागत तौर पर ''मॉरोंग'' या गाँव का सभा-भवन शिक्षा का स्थान रहा है, तथा इसमें पूरे समुदाय ने अभिरूचि ली है।

राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के सामुदायीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ 2002 में किया।

पाठगत प्रश्न 19.3

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) ऐसे तीन राज्य कौन से हैं, जिनमें द्विसदनीय विधायिका है?

(ii) यदि विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानपरिषद द्वारा 14 दिन की अवधि में वापस नहीं लौटाया जाता तो क्या होता है?

(iii) कौन-से दो तरीके है जिनके माध्यम से विधायिका मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण रखती है?

(iv) राज्य विधानसभा के कौन-से दो चुनावी कार्य है?

19.5 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय

आपने अपने राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में सुना होगा। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का होना जरूरी है। एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। इस तरह का एक उदाहरण गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र में आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य हैं। प्रायः संघ-शासित क्षेत्रों पर उनके पड़ोसी राज्यों के उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होता है।

चित्र 19.3 उच्च न्यायालया, गुवाहटी

19.5.1 उच्च न्यायालय का गठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक जैसी नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सलाह ली जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं:

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह भारत के किसी क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर आसीन रहा हो; या
- वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्षों तक लगातार, बिना किसी विराम के अधिवक्ता रहा हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इसके पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समावेदन पारित कर दिया जाय तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों को वेतन एवं संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहाँ वे न्यायाधीश थे, अन्य उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य कर सकते हैं।

19.5.2 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/राज्यों या संघ-शासित क्षेत्रों की राजक्षेत्रीय सीमा तक रहता है। उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं — प्राथमिक अधिकार क्षेत्र तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में सीधे लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करना उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ऐसे रिट विधायिका, कार्यपालिका या अन्य किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य विधायिका के किसी सदस्य के निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता है।

क्या आप जानते हैं

रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देश या आदेश हैं। इस तरह न्यायालय इन अधिकारों को गारंटी प्रदान करते हैं।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च न्यायालय जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरु अपीलों की सुनवाई करते हैं। दीवानी मामले के संबंध में जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है। फौजदारी मामलों में सत्र-न्यायालय के वैसे फैसले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है, जहाँ सात वर्षों से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराना आवश्यक होता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अतः सभी अधीनस्थ न्यायालय इसके फैसलों का अनुसरण करते हैं। उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड भी दे सकता है।

19.5.3 अधीनस्थ या अवर न्यायालय

जिला तथा अनुमण्डल स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसके अधीन न्यायिक पदाधिकारियों का एक पदानुक्रम होता है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली पूरे देश में एक जैसी होती है।

अधीनस्थ न्यायालय

दीवानी न्यायालय | फौजदारी न्यायालय | राजस्व न्यायालय

जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है ये अधीनस्थ न्यायालय दीवानी फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

दीवानी मामले : दीवानी न्यायालयों में दायर किए गए मामले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति अनुबन्ध या संविदा, तलाक या मकानमालिक किराएदार के विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे दीवानी मामलों में दण्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता।

फौजदारी मामले : ऐसे मामलों का संबंध चोरी, डकैती, पाकेटमारी, हत्या आदि से होता है। ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध फौजदारी न्यायालयों में दायर किए जाते हैं। इन मामलों में यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो उसे सजा दी जाती है।

राजस्व न्यायालय : राज्य में एक राजस्व बोर्ड होता है। इसके मातहत आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार तथा सह-तहसीलदार के न्यायालय होते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों के विरूद्ध अन्तिम अपील की सुनवाई करता है। किन्तु सभी राज्यों में राजस्व बोर्ड नहीं होता। आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र में राजस्व न्यायाधिकरण (ट्रिबुनल) हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में वित्त आयुक्त होते हैं।

पाठगत प्रश्न 19.4

1. खाली स्थानों को भरिए :

   (अ) गुवाहटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के .... राज्यों के उच्च न्यायालय का कार्य करता है।

   (ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति .... द्वारा .... की सलाह से होती है।

   (स) उच्च न्यायालय को .... अधिकारक्षेत्र तथा .... अधिकार क्षेत्र हैं।

   (द) अधीनस्थ न्यायालय तीन प्रकार के हैं (i) .... (ii) .... (iii) ....

2. अपने राज्य या किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के नामों को एकत्रित करिए। यह पता कीजिए कि उनमें से कितनी महिला न्यायाधीश हैं। आप पाएंगे कि महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, या शायद नहीं है। ऐसी स्थिति के कारणों पर प्रकाश डालिए।

आपने क्या सीखा

- भारत में एक संघीय व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। दोनों स्तरों की सरकारों का गठन तथा उनके कार्य संसदीय पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

- राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुसार उसे व्यापक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं विवेकाधीन अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु वास्तव में विवेकाधीन अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका है। यह ठीक ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है।
- भारत के अधिकतम राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कुछ राज्यों की विधायिका द्विसदनीय है। राज्य विधायिका के दो सदन हैं : विधानसभा तथा विधानपरिषद। एक सदनीय विधायिका वाले राज्यों में केवल विधानसभा होती है। राज्य विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके अतिरिक्त राज्य की विधानसभा मंत्रिपरिषद को भी नियंत्रित करती है।
- उच्च न्यायालय राज्य स्तर की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। उच्च न्यायालय को प्राथमिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

पाठान्त अभ्यास

1. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के कौन-कौन से अधिकार एवं कार्य हैं?
2. राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है?
3. राज्य विधायिका के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कजिए।
4. उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की विवेचना कीजिए।
5. अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

19.1

1. (i) ब
   (ii) द
   (iii) ब
2. (i) गलत
   (ii) सही
   (iii) सही
   (iv) गलत
   (v) सही

3. अपनी समझ के आधार पर उत्तर लीखिए। आप 19.1.2 (इ) देख सकते हैं।

19.2

1. (i) गलत

   (ii) सही

   (iii) गलत

   (iv) गलत

   (v) सही

2. भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लीखिए। अपने बुजुर्गों तथा शिक्षकों से इस तरह के अन्य मामलों का पता लगाइए।

19.3

(i) बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र (कोई तीन)

(ii) ऐसा समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया;

(iii) प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण नोटिस लाकर; (कोई तीन)

(iv) राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा अपने-अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

19.4

1 (अ) सात

   (ब) भारत के राष्ट्रपति ....सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

   (स) प्रारम्भिक, अपीलीय

   (द) (i) दीवानी न्यायालय (ii) फौजदारी न्यायालय (iii) राजस्व न्यायालय

2. आवश्यक सूचना इकट्ठा कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।

20

केन्द्रीय स्तर पर शासन

हम प्रायः भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रियों, अफसरों, राजनीतिक लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसी चर्चाएँ हमारे घरों, दफ्तरों, चाय की दुकानों, कैन्टीनों तथा गली के नुक्कड़ तक पर होती रहती हैं। क्या कभी आपने सोचा और आश्चर्य किया कि हम इन लोगों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? इसका कारण है कि वे सरकार के मुख्य कार्य अधिकारी हैं और उनके विचार तथा कार्य किसी-न-किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में लोगों के विकास तथा गुणवत्ता को रूप देने में सरकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण से हम उनके बारे में अधिक-से-अधिक जानना चाहते हैं। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है इसलिए हमारे देश में गाँवों, कस्बों और शहरों में मूल स्तर पर स्थानीय सरकारों के अतिरिक्त संघीय तथा राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। संघीय तथा राज्य सरकारें संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर गठित होती है तथा अपना कार्य करती हैं। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय संविधान में सरकार की तीनों शाखाओं; कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना तथा कार्य करने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् तथा इसके मुखिया प्रधानमन्त्री सम्मिलित होते हैं। संसद विधायी शाखा है तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शाखा है। इस पाठ में हम सरकार की इन तीनों शाखाओं की संरचना तथा कार्यप्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल तथा शक्तियों एवं उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रधानमन्त्री की नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् के गठन, शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण कर पाएँगे;
- प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ तथा स्थिति एवं मन्त्रिपरिषद् के साथ उसके सम्बन्धों का परीक्षण कर सकेंगे;

- संसद् का गठन, उसकी शक्तियाँ तथा कार्य स्पष्ट कर सकेंगे तथा राज्य सभा और लोक सभा की स्थिति की तुलना कर सकेंगे;
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार, इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की व्याख्या तथा जनहित याचिका एवं न्यायिक सक्रियता के हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव को भली प्रकार से महसूस कर सकेंगे।

20.1 राष्ट्रपति

निम्नलिखित चित्र गणतन्त्र दिवस परेड का है। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाते हैं। भारत को एक गणतन्त्र के रूप में जाना जाता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है अपितु वहाँ का राज्य प्रमुख राजा अथवा महारानी होती है। वहाँ यह पद वंशानुगत है।

चित्र 20.1 गणतन्त्र दिवस परेड

20.1.1 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद् तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुच्चेरी (पूर्व में पाण्डिचेरी) की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

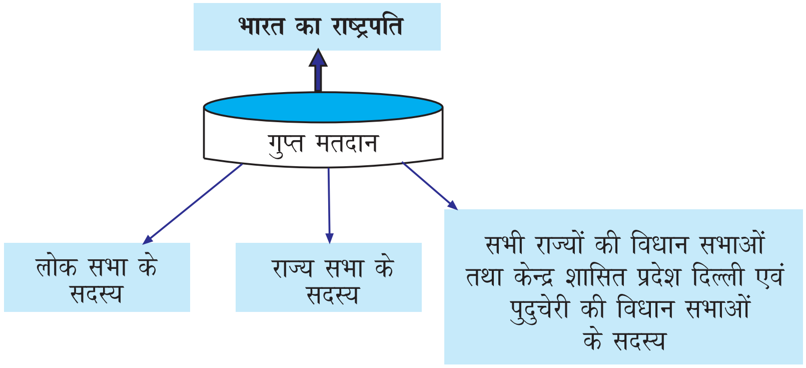

चित्र 20.2 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया

राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ

राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

(iii) वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो और

(iv) वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।

कार्यकाल

राष्ट्रपति पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परन्तु वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान है। राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण रिक्त हो सकता है।

(i) उसकी मृत्यु हो जाने के कारण,

(ii) त्याग-पत्र देने के कारण,

(iii) महाभियोग द्वारा पद से हटा दिये जाने के कारण। महाभियोग (राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव) को संसद् के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना कार्यभार न सम्भाल ले। उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ संसद् द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान के

अनुसार राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था जिसे 1998 में बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया गया था तथा फिर से 2008 में बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्ते तथा सुविधाएँ भी मिलती हैं और वह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में निवास करता है।

चित्र 20.3 राष्ट्रपति भवन

क्या आप जानते हैं

(i) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया और वे लगातार दो बार इस पद पर आसीन रहे।

(ii) श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। वह भारत की बारहवीं राष्ट्रपति थीं।

(iii) आज तक केवल दो राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन एवं श्री फखरुद्दीन अहमद की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है।

20.1.2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ

जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है। भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं।

(अ) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ

भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। वह प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है जो लोक सभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त हो। वह प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों में राज्यों के राज्यपालों, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तथा तथा सेना के तीनों अंगों–थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।

राष्ट्रपति के पास किसी मन्त्री, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपालों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने की शक्ति है। सारे कूटनीतिक कार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ और समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं।

(ब) विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद् का एक अभिन्न अंग है और अपनी इस हैसियत के आधार पर उसे कई विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आहूत होने वाले संसद् के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक चुनाव के बाद आहूत लोक सभा को सम्बोधित करता है। वह संसद् के सदनों के अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है और मन्त्रिपरिषद् की सिफारिश पर लोक सभा को भंग कर सकता है। उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। यदि राज्य सभा और लोक सभा के बीच किसी बिल को पारित करने में सहमति नहीं बनती है तो वह मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब संसद् का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है।

(स) वित्तीय शक्तियाँ

उपरोक्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। लोक सभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में लोक सभा में प्रस्तुत सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति प्राप्त होती है। आपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा। यह भारत सरकार की वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इसको लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करते समय प्रयुक्त शब्दों अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, 'भंग करना' तथा 'अध्यादेश' के क्या अर्थ हैं?

संसद् का अधिवेशन बुलाना : राष्ट्रपति संसद् के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना भेजता है कि लोक सभा और राज्य सभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि को शुरू होकर एक निश्चित तिथि तक जारी रहेगा।

संसद् का अधिवेशन स्थगित करना : राष्ट्रपति संसद् के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना जारी करता है कि लोक सभा/राज्य सभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि के बाद नहीं होगा।

लोक सभा को भंग करना : जब राष्ट्रपति लोक सभा को भंग करता है तो इसका अर्थ होता है कि सदन अगला चुनाव होने तथा पुनर्गठित होने तक वर्तमान सदन का अस्तित्व नहीं रहेगा।

अध्यादेश : यदि संसद् का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरन्त आवश्यकता हो तो इसको एक अध्यादेश जारी करके लागू किया जा सकता है। अध्यादेश, प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यह कानून की भाँति ही प्रभावी होता है। लेकिन जैसे ही संसद् का अधिवेशन शुरू होता है तो इसको संसद् की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। यदि किसी भी कारणवश संसद् इसको 6 सप्ताह में स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है।

न्यायिक शक्तियाँ : राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। किसी अपराध में दण्डित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसके दण्ड को कम करने की उसको शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वह किसी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी की सजा को स्थगित, माफ अथवा कम कर सकता है।

पाठगत प्रश्न 20.1

1. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
2. रिक्त स्थान भरिए :
   (i) राष्ट्रपति .... का मुखिया होता है।
   (ii) भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु योग्य होने के लिए, उस व्यक्ति को (अ) .... (ब) .... (स).................. योग्यताएँ होनी चाहिए।
   (iii) राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में .... भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
   (iv) राष्ट्रपति की शक्तियों को चार मुख्य भागों – (अ) .... (ब) .... (स) .... (द) .... में वर्गीकृत किया गया है।

3. भारत का राष्ट्रपति एक वर्ष में कितनी बार संसद् का अधिवेशन बुलाता है? उन अधिवेशनों के क्या नाम हैं?

   (यह सूचना भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तकों, इन्टरनेट, अथवा अपने अध्यापकों, सहपाठियों और मित्रों के माध्यम से एकत्रित कीजिए।

20.1.3 राष्ट्रपति और आपात उपबंध

अब तक हमने भारत के राष्ट्रपति की उन शक्तियों की चर्चा की है जिसका प्रयोग वे सामान्य समय में करते हैं। इन शक्तियों से अलग उसके पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वह असामान्य स्थिति में करता है। इन्हें आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। संविधान में तीन विशेष परिस्थितियों अथवा असामान्य स्थितियों से निपटने के लिए इन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ये स्थितियाँ (अ) युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (ब) किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता और (स) वित्तीय संकट हो सकती हैं।

(i) **युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह :** यदि राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा है तो वह 'आपातकाल की घोषणा' कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा केवल तब करता है जब उसे मन्त्रीमण्डल का निर्णय (प्रधानमन्त्री तथा कैबिनेट मन्त्रियों का निर्णय) लिखित में भेजा जाता है। प्रत्येक घोषणा को संसद् के सदनों के समक्ष रखा जाता है तथा यदि इसको एक मास के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघीय सरकार राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों के प्रति निर्देश दे सकती है और संसद् राज्य विधान सभा के विधायी कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है।

क्रियाकलाप 20.1

सन् 1975 ई. में जब इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री थीं, तब राष्ट्रपति ने आन्तरिक सुरक्षा के खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा निरन्तर विवादास्पद रही और अनेक लोग अभी भी इसको लोकतान्त्रिक भारत के इतिहास का काला समय कहते हैं। इस आपातकाल की घोषणा के पीछे के कारणों के बारे में पुस्तकों, इन्टरनेट, अपने अध्यापकों अथवा बुजुर्गों से जानकारी एकत्रित कीजिए।

(अ) एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर क्या आप इस घोषणा को न्यायोचित मानते हैं? कृपया कम-से-कम दो कारण लिखिए।

(ब) अपने किसी बुजुर्ग (जो आपातकालीन के दौरान रह चुका हो) के साथ हुई बातचीत के आधार पर ऐसे दो प्रभावों को लिखिए जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

(ii) दूसरे प्रकार का आपातकाल राज्य की स्थिति से संबंधित है। इसकी घोषणा उस समय की जा सकती है जब किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया हो। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर सन्तुष्ट हो अथवा सन्तुष्ट हो कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता हैं। इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ऐसी घोषणा को दो मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यदि संसद् का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो यह घोषणा दो मास की अवधि के बाद निष्प्रभावी हो जाती है। संसद् के अनुमोदन के बाद यह एक बार में छः महीने से अधिक जारी नहीं रह सकती और किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकती। इस काल के दौरान राज्य की विधान सभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद् उस राज्य विशेष की विधायी शक्तियों को ग्रहण कर लेती है।

क्रियाकलाप 20.2

आप किसी एक ऐसे समय के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जब आपके ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो। यदि आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी लागू नहीं किया गया हो तो किसी अन्य राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जानकारी एकत्र करने के लिए अपने अध्यापक, पुस्तकों अथवा इन्टरनेट का प्रयोग कीजिए। **राष्ट्रपति शासन लागू करने के दो-तीन कारण लिखिए। क्या हटाई गई सरकार चुनावों के बाद फिर सत्ता में लौटकर आई?**

(iii) तीसरे प्रकार के आपातकाल को वित्तीय संकट कहते हैं और इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा हो। अन्य दो आपातकालीन स्थितियों की ही तरह इस घोषणा को भी दो मास के भीतर संसद् की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार संसद् की स्वीकृति मिलने पर यह निरन्तर तब तक जारी रह सकती है जब तक कि इसको वापस नहीं ले लिया जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति, सभी सरकारी कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन कम कर सकता है। भातर में अब तक वित्तीय संकट की घोषणा नहीं की गई है।

क्या आप जानते हैं

(i) पहले प्रकार के आपातकाल की घोषणा पहली बार 1962 में भारत और चीन के बीच संघर्ष और युद्ध के समय की गई थी; दूसरी बार यह घोषणा 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय की गई थी। तीसरी बार यह घोषणा 1971 में की गई जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग स्वतन्त्र राज्य बांग्लादेश बनने में सहायता की थी और चौथी बार यह घोषणा 1975 में की गई जव प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में मंत्रीमण्डल ने आन्तरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी थी।

(ii) दूसरे प्रकार के आपातकाल के लागू होने से संघीय सरकार को अति विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का आपातकाल 1951 में पंजाब राज्य में घोषित किया गया था और फिर 1959 में केरल में घोषित किया गया था। समय के साथ इस शक्ति का प्रयोग कई बार किया गया। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग उन राज्यों की सरकारों को हटाने के लिए किया जाता है जिन राज्यों में केन्द्र में सत्ता प्राप्त पार्टी से अलग पार्टी का शासन होता है। इस प्रकार का आपातकाल अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आता है जिसमें भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना सम्मिलित है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो निर्वाचित सरकार को स्थगित कर दिया जाता है तथा राज्य का प्रशासन सीधा राज्यपाल द्वारा चलाया जाता हैं। अनुच्छेद 356 विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग इसको अलोकतान्त्रिक मानते हैं क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। 1994 में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग को कम कर दिया है क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश स्थापित कर दिए गए हैं।

20.1.4 राष्ट्रपति की स्थिति

क्या आपने देखा है कि जब संघीय सरकार की कार्य-प्रणाली की चर्चा संसद् अथवा समाचार-पत्रों अथवा टेलीविजन पर की जाती है तो प्रायः प्रधानमन्त्री और मन्त्रियों की भूमिका की चर्चा होती है। लेकिन हमने पहले देखा है कि संविधान कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। उसके पास आपातकाल सम्बन्धी शक्तियाँ भी व्यापक हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्व शक्ति सम्पन्न है? नहीं। वास्तव में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी अथवा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। निःसन्देह सरकार उसके नाम से चलती है लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की सलाह और सहायता से करना होता है। यह केवल साधारण परामर्श नहीं है अपितु बाध्यकारी है। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमन्त्री और मन्त्रीमण्डल ही सरकार में वास्तविक शासक हैं। सभी निर्णय प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को इन निर्णयों की सूचना पाने का अधिकार है। इसी प्रकार आपातकालीन प्रावधान भी राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं करते।

भारत के संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में राजा/रानी को प्राप्त है। वह राज्य का अध्यक्ष है परन्तु कार्यपालिका नहीं है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का है जिसकी मुहर से देश के निर्णय जाने जाते हैं।

– डॉ. भीमराव अम्बेडकर (संविधान सभा में बोलते हुए)

उपरोक्त कथन के आलोक में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति की तुलना एक रबड़ स्टैम्प से की जा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष भी सत्य नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान को बनाए रखने, रक्षा करने और बचाए रखने का कार्य सौंपा गया है। वह संविधान में दर्ज लोकतान्त्रिक प्रणाली का संरक्षक है। अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में वह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति को दिखाया है। फिर भी व्यवहार में राष्ट्रपति नाममात्र अथवा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक ही कहा गया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है परन्तु वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं हैं।

क्या आप जानते है

उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ तथ्य

जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के त्याग-पत्र देने, राष्ट्रपति को हटाने अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भाँति कार्य करता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होने का अर्थ है कि वह उपराष्ट्रपति होने के कारण सभापति होता है। वह एक निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएँ वही हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। उसका मुख्य कार्य राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है जैसा कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 20.2

(i) दूसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा कैसे की जाती है? राज्य पर इसका क्या प्रभाव होता है?

(ii) आपातकाल की घोषणा करने में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की क्या भूमिका होती है?

(iii) क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मिली-जुली सरकारों के समय में राष्ट्रपति की स्थिति बहुत प्रभावशाली होती है? कारण लिखिए।

(iv) निम्नलिखित में से कौन-से कथन 'सत्य' और कौन-से असत्य है?

  (अ) राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है।

  (ब) राष्ट्रपति केवल एक रबड़ स्टैम्प है।

  (स) राष्ट्रपति न शासन करता है और न ही हूकूमत।

  (द) राष्ट्रपति संविधान को बनाए रखता है, रक्षा करता है और बचाता है।

20.2 प्रधानमन्त्री

क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमन्त्री कौन था? हाँ, वह चाचा नेहरू ही थे अर्थात् जवाहर लाल नेहरू। आप सोचिये कि जब उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण पद लिया होगा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? याद कीजिए कि उस समय भारत को अंग्रेजों के शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ही थी। उनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ थीं? आइए हम उनके ही शब्दों से जानें (उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया में लिखित : ''भारत एक गरीब देश नहीं है। उसके पास वह सब कुछ है जिससे एक देश अमीर बनता है और फिर भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं–भारत के पास संसाधन हैं तथा तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता, कौशल और क्षमता है।'' उसने आगे लिखा, ''हमारा लक्ष्य समानता होना चाहिए सबको केवल समान अवसर प्रदान करना ही नहीं अपितु शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह अपने से आगे वालों तक पहुँचने के योग्य हो सकें। भारत में अवसरों के द्वार सबके लिए खोलने के किसी भी प्रयास से इस देश को विस्मयकारी दर से बदलने की अपार ऊर्जा और योग्यता प्राप्त होगी।'' नेहरू ने देश को आगे ले जाने के महान दायित्व का अनुभव किया क्योंकि प्रधानमन्त्री के रूप में उसको एक प्रमुख भूमिका निभानी थी।

यदि आप टेलीविजन अथवा रेडियो पर समाचार सुनें तो पाएँगे कि आज भी हम संघीय सरकार के किसी अन्य पद से कहीं अधिक प्रधानमन्त्री के विषय में सुनते हैं। वास्तव में प्रधानमन्त्री केन्द्र में अति महत्वपूर्ण पद है। यदि आप संविधान पढ़ें तो आपको एक अलग छवि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सभी शक्तियों को राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताया गया है लेकिन केवल एक प्रावधान सारी स्थिति को पलट देता है। संविधान में दर्ज है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल होगा और राष्ट्रपति इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की सलाह (परामर्श) पर कार्य करने के लिए बाध्य है। प्रधानमन्त्री ही संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष (मुखिया) है।

प्रधानमन्त्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति को केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद के लिए आमन्त्रित करना होता है जो लोक सभा में बहुमत का नेता हो। पूर्व में आमन्त्रित किया जाने वाला व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी का नेता होता था। जिसको लोक सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता था। लेकिन मिली-जुली और गठबन्धन की सरकारों का दौर शुरू होने के साथ वह एक से अधिक पार्टियों के समूह का नेता हो सकता है। परिवर्तित स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमन्त्रित करता है जो लोक सभा में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी का नेता होता है तथा जिसे आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टियों से समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमन्त्री बनने के लिए बहुमत का नेता होने के साथ-साथ उसे संसद् का सदस्य होना भी अनिवार्य है। यदि वह अपनी नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे अपने प्रधानमन्त्री नियुक्त होने की तिथि से छः मास के अन्तर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होती है।

क्या आप जानते हैं

ऐसी सरकार जिसको विधायिका के एक से अधिक पार्टियों के सदस्य मिलकर बनाते हैं, उसे गठबन्धन की सरकार कहते हैं। भारत में गठबन्धन की सरकारों का दौर 1967 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ जब पहली बार कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों की कई राज्यों में सरकारें गठित हुई। केन्द्र में यह दौर 1977 में चुनावों के बाद जनता पार्टी की सरकार के साथ शुरू हुआ और निम्नलिखित गठबन्धन की सरकारों का गठन हुआ। (यहाँ प्रधानमन्त्री के नाम से पहचान निश्चित की गई है।)

पहली - मोरार जी देसाई	1977-79	दूसरी - चौ. चरण सिंह	1979-80
तीसरी - वी.पी. सिंह	1989-90	चौथी - चन्द्रशेखर	1990-91
पाँचवीं - अटल बिहारी वाजपेयी	1996-1996	छठी - एच.डी. देवगौड़ा	1996-1997
सातवीं - आई.के. गुजराल	1997-98	आठवीं - अटल बिहारी वाजपेयी	1998-99
नौवीं - अटल बिहारी वाजपेयी	1999-2004	दसवीं - मनमोहन सिंह	2004-2009
ग्यारहवीं - मनमोहन सिंह	2009-		

(राजग और संप्रग दो मुख्य गठबन्धन है जिनका नेतृत्व क्रमशः भाजपा और कांग्रेस कर रही है।)

20.2.1 प्रधानमन्त्री के कार्य

क्या यह रोचक नहीं है कि भारत का संविधान प्रधानमन्त्री की शक्तियों के विषय में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं करता जबकि यह संघीय सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है। संविधान में केवल इतना प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। परन्तु व्यावहार में प्रधानमन्त्री ही मन्त्रीमण्डल को बनाता और तोड़ता है। केवल प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मन्त्रीमण्डल के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उनमें विभाग बाँटता है। वह मन्त्रीमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति और मन्त्रीमण्डल के बीच एक कड़ी का काम करता है। यदि किसी कारणवश वह अपने पद से त्याग-पत्र देता/देती है तो पूरा मन्त्रीमण्डल भंग हो जाता है। जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करने और फिर से चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकता है। वास्तव में प्रधानमन्त्री केवल बहुमत वाली पार्टी अथवा संसद् का नेता ही नहीं होता अपितु वह राष्ट्र का भी नेता होता है। उसका पद शक्ति का पद है जबकि राष्ट्रपति का पद सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद है। प्रधानमंत्री योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व करता है।

चित्र 20.4 संघीय मन्त्रीपरिषद् के सदस्य शपथ ग्रहण के बाद (2009)

20.2.2 संघीय मन्त्रीपरिषद्

जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि भारत का संविधान कहता है कि ''राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रीपरिषद् होगी जिसके परामर्श अनुसार राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद् द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए मन्त्रीपरिषद् को कह सकता है परन्तु राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भेजे गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा।''

मन्त्रीपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मन्त्रीपरिषद् में मन्त्रियों के तीन वर्ग हैं – कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री और उपमन्त्री। ये मन्त्री प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक टीम की तरह काम करते हैं।

मन्त्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन उन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। वास्तव में संविधान के अनुसार मन्त्री सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमन्त्री सहित पूरी मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रीपरिषद् में अविश्वास दर्शाने के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा लाए गए विधायी प्रस्ताव को 'अविश्वास प्रस्ताव' कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन्त्री साथ तैरते और साथ डूबते हैं।

कैबिनेट (मन्त्रीमण्डल) अथवा मन्त्रीपरिषद् की कार्यवाही को गुप्त रखा जाता है। मन्त्रीपरिषद् मन्त्रियों की एक बड़ी इकाई है। गत वर्षों में हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर के 20 से 25 मन्त्री होते हैं जिनके पास महत्त्वपूर्ण विभाग होते हैं। इसके बाद राज्य मन्त्री होते हैं जिनमें से कुछ के पास महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय होते हैं और अन्य कुछ कैबिनेट मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों का एक वर्ग 'उपमन्त्री' के रूप में होता है जो कैबिनेट मन्त्रियों अथवा राज्य मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध होते हैं। कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मन्त्री ही उपस्थित होते हैं। परन्तु यदि जरूरत हो तो राज्य मन्त्रियों को भी ऐसी बैठक में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।

20.2.3 प्रधानमन्त्री की स्थिति

उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार में प्रधानमन्त्री की स्थिति अति महत्त्वपूर्ण है। वह संसद् में सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक होता है। मन्त्रीपरिषद् उसकी टीम की तरह कार्य करती है। पूरा राष्ट्र आवश्यक नीतियों, कार्यक्रमों और कार्रवाइयों के लिए उसकी ओर देखता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और दूसरे देशों के साथ सन्धियाँ प्रधानमन्त्री की सहमति से होती हैं। सरकार और संसद् में उसकी विशेष हैसियत होती है। प्रधानमन्त्री अपनी टीम का चयन बहुत ध्यान से करता है और उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करता है। यह भी सत्य है कि गठबन्धन की सरकारों में प्रधानमन्त्री को समान विचार वाली राजनीतिक पार्टियों से भी सहायता लेनी पड़ती है। पिछले दस-बारह वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे परिदृश्य में प्रधानमन्त्री को बहुत सर्तक तथा कूटनीतिक रहना पड़ता है। उसको देश की रक्षा और सुरक्षा के सम्बन्ध में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उसको न केवल बेहतर जीवन स्थितियाँ प्रदान करने के लिए ही नीतियाँ बनानी होती हैं अपितु शान्ति बनाए रखने तथा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए भी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। उपरोक्त तथ्यों के कारण ही प्रधानमन्त्री कैबिनेट की नींव का पत्थर होता है।

क्रियाकलाप 20.3

पिछले एक-दो सप्ताह के समाचार-पत्रों को पढ़िए अथवा देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर टेलीविजन पर हुई किसी चर्चा को याद कीजिए। उनके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

(i) समाचार-पत्रों अथवा टेलीविजन पर किन दो मुख्य समस्याओं के विषय में चर्चा हुई?

(ii) क्या आप इन समस्याओं के प्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रियों अथवा सरकार के प्रवक्ता की ओर से व्यक्त विचारों से सन्तुष्ट हैं? कारण लिखिए।

(iii) आपके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमन्त्री को क्या करना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 20.3

1. रिक्त स्थान भरिए।

   (अ) प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रियों की परिषद् को....................कहते हैं।

   (ब) राष्ट्रपति को....................के रूप में निर्वाचित व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्ति के लिए आमन्त्रित करना चाहिए।

   (स) प्रधानमन्त्री....................का अध्यक्ष होता है।

   (द) राष्ट्रपति....................की सिफारिश पर मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
   (अ) प्रधानमन्त्री और मन्त्रीपरिषद् को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे हटाया जा सकता है?
   (ब) राष्ट्रपति और मन्त्रीपरिषद् के बीच कड़ी का काम कौन करता है।
   (स) मन्त्रीपरिषद् में मन्त्रियों के तीन वर्ग कौन से हैं?
   (द) कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

क्रियाकलाप 20.4

किसी देश के प्रधानमन्त्री में नेतृत्व के कई गुण होने चाहिए। आपके विचार में एक अच्छे नेता के क्या गुण हैं? जाँच कीजिए कि क्या वर्तमान प्रधानमन्त्री में ये गुण हैं। यह भी देखिए कि आप में नेतृत्व वाले कौन-से गुण हैं?

एक अच्छे नेता के गुण	वर्तमान प्रधानमन्त्री में उपलब्ध गुणों को (✓) चिह्नित कीजिए	स्वयं आप में पाए जाने वाले गुणों को (✓) चिह्नित कीजिए

20.3 भारतीय संसद

क्या आप नीचे दिए गए चित्र की संस्था को पहचानते हैं? हाँ, यह संसद् भवन ही है। संघीय सरकार की विधायी शाखा को संसद् कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति और संसद् के दोनों सदन; लोक सभा और राज्य सभा शामिल होते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को संसद् का एक अंग बनाना संसदीय प्रणाली की सरकारों के सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुरूप है। अब हम संसद् के दोनों सदनों के संगठन, शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे।

चित्र 20.5 भारत का संसद् भवन

20.3.1 लोक सभा

लोक सभा को संसद् का निम्न सदन कहते हैं। यह लोगों के प्रतिनिधियों की संस्था है। लोक सभा के सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से 530 को सीधे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग चुनते हैं और शेष 20 सदस्य केन्द्र शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं, को मत देने का अधिकार है और वे लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि लोक सभा में एंग्लो इण्डियन समुदाय का कोई सदस्य न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जब चुनावों की घोषणा की जाती है तो प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन्हें संसदीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

लोक सभा का कार्यकाल **पाँच वर्ष** है। लेकिन इसको राष्ट्रपति भी पहले भी भंग कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति (i) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ii) उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, (iii) उसके पास केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों में लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। उसके पास वह सब योग्यताएँ होनी चाहिए जो समय-समय पर संसद् द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निश्चित की गई हों।

20.3.2 राज्य सभा

राज्य सभा संसद् का उच्च सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से 238 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रो से होते हैं तथा शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। राज्य सभा को कभी

भंग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था के अन्तर्गत कुल सदस्यों का एक तिहाई प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के लिए एक व्यक्ति को– (अ) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ब) उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, (स) अन्य योग्यताएँ वही हैं जो लोक सभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। संसद् के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास लोक सभा भंग करने का अधिकार तो है, परन्तु राज्य सभा भंग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है।

20.3.3 पीठासीन पदाधिकारी

लोक सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और वह लोक सभा की अध्यक्षता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं; वह निचले सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है तथा कार्यवाही का निरीक्षण करता है। वह यह निर्णय करता है कि कौन-सा सदस्य कितने समय के लिए बोलेगा। आमतौर पर वह मतदान में भाग नहीं लेता परन्तु निर्णय न होने की स्थिति में अपना मत डाल सकता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन-सा विधेयक साधारण अथवा धन विधेयक है और उसका निर्णय अन्तिम होता है। वह सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं का संरक्षक होता है। लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक के मामले में लोक सभा का अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है।

चित्र 20.6 लोक सभा अधिवेशन

राज्य सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि पदेन सभापति होता है। यह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोक सभा अध्यक्ष की भाँति राज्य सभा का अध्यक्ष भी प्रायः मतदान नहीं करता, परन्तु मत बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकता है।

20.3.4 संसद् के कार्य

संसद् विधायी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) विधायी कार्य : संसद कानून बनाने वाली संस्था है। यह संविधान में उल्लिखित संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं है तो उस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद् के पास है। साधारण विधेयक को संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई विधेयक लोक सभा में पारित हो जाए तो उसे राज्य सभा में भेजा जाता है जो इसको पारित कर सकती है अथवा कुछ संशोधन का सुझाव दे सकती है। यदि दोनों सदनों में असहमति बनी रहती है तो इसको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जाता है। संयुक्त बैठक में लोक सभा का पलड़ा भारी होता है क्योंकि राज्य सभा के 250 सदस्यों की तुलना में लोक सभा के 550 सदस्य होते हैं। आज तक केवल तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें हुई हैं। यदि दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृत मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाता है।

(ii) कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य : संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकट का सम्बन्ध होता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रीपरिषद् है, जो सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मन्त्रीपरिषद् को अपपदस्थ कर सकती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

संसद के दोनों सदन मन्त्रीपरिषद् पर अन्य कई तरीकों से अपना नियन्त्रण बनाए रखते हैं; जैसे कि –

(अ) *प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ कर* : संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घण्टा प्रश्न काल का होता है जिसमें मन्त्रियों को सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।

(ब) *विधेयकों पर चर्चा और पारित करने द्वारा* : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव अथवा निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर बहस की जा सकती है और उनकी आलोचना की जा सकती है।

(स) *अविश्वास प्रकट करके* : लोक सभा बजट अथवा धन विधेयक अथवा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है।

(iii) वित्तीय कार्य : भारत की संसद् को महत्त्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकारी धन की संरक्षक है। यह संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियन्त्रण रखती है। प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए यह समय-समय पर सरकार के लिए धनराशि स्वीकृत करती है। संसद् सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की माँगों को पारित, कम अथवा अस्वीकार कर सकती है। संसद् की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई खर्च किया जा सकता है। यद्यपि राज्य सभा की कुछ सीमाएँ हैं। (अ) कोई भी धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके पास धन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती हैं। यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ नहीं लौटाती तो इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। वार्षिक वजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्य सभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसको कानून बनने से नहीं रोक सकती।

(iv) न्यायिक कार्य : संसद् कानून बना कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखती है। यह दो अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार रखती है और किसी केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पद से हटा सकता है।

(v) विविध कार्य : संसद् एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है। संविधान के कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों के संशोधन हेतु दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति से ही संशोधित किया जा सकता है।

20.3.5 संसद् के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति

किसी संसदीय प्रणाली में निचला सदन सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तदनुसार हमारे देश में भी लोक सभा अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित बिन्दु महत्त्वपूर्ण हैं।

(i) लोक सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तथा यह भारत के लोगों की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। दूसरी ओर राज्य सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जबकि लोक सभा का निर्वाचन एक निश्चित अवधि अर्थात पाँच वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

(ii) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में दोनों के पास बराबर शक्ति है। लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें लोक सभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों के दुगने से भी अधिक है।

(iii) मन्त्रीपरिषद् पर नियन्त्रण रखने के मामले में भी लोक सभा अधिक शक्तिशाली है। राज्य सभा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करके अथवा सरकार की आलोचना से ही कुछ नियन्त्रण रखती है परन्तु लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने की शक्ति है जिसके पारित होने पर मन्त्रीपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

(iv) संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने अथवा हटाने के मामले में लोक सभा तथा राज्य सभा को एक से ही अधिकार प्राप्त हैं।

(v) वित्तीय मामलों में जहां लोक सभा का पलड़ा भारी है वहीं केवल राज्य सभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और राज्य सूची में दर्ज किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर सकती है।

उपरोक्त तुलना के दृष्टिगत निश्चित रूप से लोक सभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है अपितु इसका स्थान भी दूसरा है। हमने पढ़ा है कि राज्य सभा किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ कार्य तो केवल राज्य सभा ही कर सकती है।

20.3.6 संघीय सरकार का नागरिकों तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव

संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएँ बनाती है तथा लागू करती है जिनका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इन कार्यक्रमों में शिक्षा और बच्चों की देखभाल के कई कार्यक्रम जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.), बच्चों के पोषण और देख-भाल के लिए आँगनबाड़ियाँ उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इत्यादि शामिल है। संघीय सरकार के कुछ अन्य कार्यक्रम है – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, इन्दिरा आवास योजना इत्यादि।

पाठगत प्रश्न 20.4

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

   (i) लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?

   (ii) राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(iii) संसद् का कौन-सा सदन स्थायी है?

(iv) राज्य सभा का सभापति कौन होता है?

(v) लोक सभा अध्यक्ष के क्या कार्य है?

(vi) लोक सभा के चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए।

2. रिक्त स्थान भरिए :

(i) एक साधारण बिल.....................में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) यदि दोनों सदनों में मतभेद बना रहे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का.................... .बुलाता है।

(iii) धन विधेयक केवल.....................में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) मन्त्रीपरिषद् पर नियन्त्रण रखने के लिए दोनों सदनों के सदस्य.....................सकते हैं तथा.....................प्रस्ताव रख सकते हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य और कौन-सा असत्य है?

(i) साधारण विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(ii) धन विधेयक को केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता।

(iv) किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन में लोक सभा का पलड़ा राज्य सभा से भारी होता है।

4. संसद् के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने वाले मन्त्रियों और सदस्यों में आप कौन-से गुण देखना चाहते हैं?

क्रियाकलाप 20.5

पिछले कुछ समाचार-पत्र और पत्रिकाएं पढ़िए। लोक सभा/राज्य सभा की कार्यवाही दिखाने वाले चैनलों को देखिए तथा उनके अवलोकनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) किसी एक सांसद् की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिभागिता आपको बहुत पसन्द आई हो। पसन्द आने के दो कारण लिखिए।

(ii) क्या आपने संसद् में किसी सांसद का अभद्र व्यवहार देखा है? ऐसे दो अवलोकनों की पहचान कीजिए। यह संसद् की कार्यवाही को कैसे प्रभावित करते हैं।

20.4 सर्वोच्च न्यायालय

हमने इस पाठ के प्रारम्भ में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली अन्य दोनों शाखाओं

से बिल्कुल अलग है। क्या आपको न्यायिक कार्रवाइयों का कुछ अनुमान है? आपने कभी सुना होगा कि निचली अदालत में शुरू हुआ कोई वाद बाद में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्त में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है। इसका अर्थ है कि यहाँ न्यायालयों की एक शृंखला है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर और इससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं।

चित्र 20.7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या समय-समय पर संसद् द्वारा निर्धारित की जाती है। 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश थे। आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशें की संख्या निरन्तर बढ़ती रही। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श किया जा सकता है। प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। प्रायः मुख्य न्यायाधीश स्वयं चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करता है और उन सबको किसी एक नाम पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु सहमत होना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो –

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उनसे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम पाँच वर्ष तक निरन्तर न्यायाधीश रहा हो।

(iii) किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उससे अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

(iv) राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। परन्तु उनको कदाचार और असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवा कर चुके न्यायाधीश सेवानिवृति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।

20.4.1 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं – मूल, अपील सम्बन्धी तथा मन्त्रणा सम्बन्धी।

(i) **मूल क्षेत्राधिकार :** कुछ मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय केवल सीधे ही सुनने का अधिकार रखता है, ये हैं –

(अ) संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद के मामले।

(ब) दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(स) एक तरफ संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(ii) **अपीलीय क्षेत्राधिकार :** किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों की अपील सुनने वाला न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। इसके पास अपने ही निर्णय पर पुनरावलोकन करने का अधिकार है। यह अपनी स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर किसी ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है।

किसी भी फौजदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। अपील की विशेष शक्ति न्यायालय के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह चुनाव तथा श्रम एवं औद्योगिक न्यायायिकरणों के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है।

(iii) **मन्त्रणा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार :** सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर परामर्श देने की विशेष अधिकारिता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसा लगे कि कानून अथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठेगा जो जन साधारण के लिए महत्त्वपूर्ण है तथा उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है तो वह

उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय (परामर्श) ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में यथा आवश्यक सुनवाई कर अपने विचार राष्ट्रपति को भेजता है। यह रिपोर्ट अथवा विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होते। ठीक इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी परामर्श देना अनिवार्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों को संविधान अथवा कानून की व्याख्या के रूप में जब निचली अदालतों में प्रस्तुत किया जाता है; तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। उपरोक्त अधिकार क्षेत्रों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के कुछ और विशेष कार्य हैं। ये हैं –

(i) **संविधान का संरक्षण :** संविधान के व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की रक्षा और बचाव करने की शक्ति है। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानून अथवा कार्यपालिका का आदेश संविधान के विरुद्ध है तो उसको असंवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा रक्षक की भूमिका भी निभाता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता/सकती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने की शक्ति देता है।

(ii) न्यायायिक पुनरावलोकन : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है तथा इसी के माध्यम से इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति ग्रहण की है।

? क्या आप जानते हैं

न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी विधायी कार्य अथवा कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। यदि परीक्षण करने पर न्यायालय को लगता है कि कहीं पर संविधान का उल्लंघन हुआ है तब न्यायालय उसको अवैध, अमान्य और असंवैधानिक घोषित कर देता है।

20.4.2 न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता को न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रायः न्यायपालिका द्वारा विधायी शक्तियों को हथियाने की कोशिश के रूप में इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन भारत में इसको लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह वंचित लोगों तक न्याय को पहुँचा देने पर केन्द्रित रहा है। यह **जनहित याचिका** का प्रयोग करता है। न केवल समस्या से प्रभावित व्यक्ति ही बल्कि, जनहित में कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष किसी भी समस्या के बारे में याचिका दाखिल कर सकता है। जनहित याचिका का प्रयोग प्रायः गरीब और वंचित लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास न्यायालय तक पहुँचने के साधन नहीं हैं।

न्यायिक सक्रियता और जन हित याचिका के माध्यम से न्यायालयों ने प्रदूषण, समान नागरिक आचार संहिता, अनाधिकृत भवनों को खाली करवाने, खतरनाक व्यावसायों में बाल श्रम को रोकने तथा अन्य मुद्‌दों पर निर्णय दिए गये हैं।

पाठगत प्रश्न 20.5

1. रिक्त स्थान भरिए :

   (i) भारत में .... न्यायपालिका है।

   (ii) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति .... करता है।

   (iii) सर्वोच्च न्याययालय के न्यायाधीश को .... के माध्यम से हटाया जा सकता है।

   (iv) संविधान की व्याख्या का अन्तिम अधिकार .... के पास है।

2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं और कौन-से असत्य?

   (i) सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है।

   (ii) सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

   (iii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।

   (iv) न्यायिक सक्रियता न्याय को वंचितों तक पहुँचाने पर केन्द्रित रही है।

   (v) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले पर परामर्श देने के लिए के भेजे गए मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को अवश्य मानना चाहिए।

आपने क्या सीखा

- संघीय सरकार का ढाँचा और कार्यप्रणाली संसदीय प्रकार की सरकार के सिद्धान्तों और परम्पराओं पर आधारित है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रीपरिषद् कार्यपालिका है; संसद् के दोनों सदन विधायिका हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायपालिका है।
- संविधान कार्यपालिका सम्बन्धी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है जो राज्य का अध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परन्तु उसको महाभियोग द्वारा इससे पूर्व भी हटाया जा सकता

है। उसके पास कार्यपालिका सम्बन्धी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं।

- संघीय सरकार की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो मन्त्रिपरिषद् के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमन्त्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से करता है तथा उनकी सलाह बाध्यकारी होती है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि वे लोक सभा का विश्वास खो बैठते हैं तो प्रधानमन्त्री के त्याग-पत्र के साथ मन्त्रिपरिषद् अपदस्थ हो जाती है।

- संसद, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा होती है, विधायिका होती है। लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नागरिकों द्वारा किया जाता है जबकि राज्य सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जबकि राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जाता। कानून और वार्षिक बजट पारित करने के साथ संसद सरकार की दैनिक कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करती है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।

- सर्वोच्च न्यायालय भारत की एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर है। मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अधिकार क्षेत्र में मूल, अपील सम्बन्धी तथा मन्त्रणा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र आते हैं। यह एक अभिलेख न्यायालय है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसकी न्यायिक सक्रियता, विशेष रूप से जनहित याचिकाओं के माध्यम से, का प्रयोग उन गरीब और वंचित लोगों की ओर से किया गया जिनके पास न्यायपालिका तक पहुँचने के लिए साधन नहीं थे।

पाठांत प्रश्न

1. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसको किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है?

2. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? संविधान द्वारा इतनी अधिक शक्तियाँ देने के बावजूद, यह क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं करता अपितु राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।

3. भारत के प्रधानमन्त्री की भूमिका का परीक्षण तथा मूल्यांकन कीजिए।

4. क्या यह कहना उचित है कि ''राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है बल्कि इसकी स्थिति भी दूसरे दर्जे की है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

5. सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? इसका न्यायिक अधिकार क्षेत्र क्या है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों के तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित क्षेत्रों दिल्ली और पुदुच्चेरी की विधान सभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। मतदान गुप्त होता है। उसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

2. (i) राज्य का

   (ii) (अ) भारत का नागरिक होना चाहिए,

   (ब) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

   (स) लोक सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए,

   (द) लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए।

   (iii) भारत का उपराष्ट्रपति

   (iv) (अ) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ (ब) विधायी शक्तियाँ

   (स) वित्तीय शक्तियाँ (द) न्यायिक शक्तियाँ

3. इस जानकारी को भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तकों अथवा इन्टरनेट अथवा अपने कक्षा अध्यापक, सहपाठियों और मित्रों से सलाह करके एकत्रित करें।

20.2

1. दूसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट जाता है और राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति सन्तुष्ट हों कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता। इस काल में सम्बन्धित राज्य की विधान सभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका के सभी कार्य करता है।

2. प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिपरिषद् आपातकाल घोषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा केवल तब ही कर सकता है जब प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् इस आशय का निर्णय लिखित में उस तक पहुँचाता है।

4. अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखिए।

5. (अ) असत्य, (ब) सत्य, (स) सत्य, (द) सत्य

20.3

1. (अ) वास्तविक कार्यपालिका (ब) लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता

   (स) सरकार का वास्तविक (द) प्रधानमन्त्री

2. (अ) यदि लोक सभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है।
   (ब) प्रधानमन्त्री
   (स) कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री
   (द) प्रधानमन्त्री

20.4

1. (i) 550
   (ii) 6 वर्ष
   (iii) राज्य सभा
   (iv) उपराष्ट्रपति
   (v) अधिवेशनों की अध्यक्षता करना, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, धन विधेयक पर निर्णय लेना तथा संसद् के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना।
   (vi) (i) भारत का नागरिक
        (ii) कम-से-कम 25 वर्ष की आयु
        (iii) लाभ को कोई पद नहीं होना चाहिए
2. (i) संसद के किसी भी सदन में
   (ii) संयुक्त अधिवेशन
   (iii) लोक सभा
   (iv) प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
3. (i) असत्य
   (ii) सत्य
   (iii) सत्य
   (iv) सत्य
4. अपनी समझ के अनुसार अच्छे गुण लिखिए।

20.5

1. (i) एकीकृत (ii) राष्ट्रपति (iii) महाभियोग
   (iv) सर्वोच्च न्यायालय
2. (i) असत्य (ii) सत्य (iii) सत्य
   (iv) सत्य (v) सत्य

21

राजनीतिक दल तथा दबाव समूह

आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनती है। लोकतांत्रिक सरकार को जनता की सरकार के रूप में ही माना जाता है। जो जनता द्वारा ही चलाई जाती है। आमतौर पर अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लोग किस प्रकार स्वयं को ही सरकार में प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं। चुनावों में राजनीतिक दल आमतौर पर उम्मीदवारों का नामांकन करते है। कुछ उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ते है। लेकिन, लोगों की भागीदारी केवल चुनावों से ही शुरू और खत्म नहीं होती है। सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोग ऐसे समूहों द्वारा भी भागीदारी कर सकते हैं जिन्हें दबाव समूह या स्वार्थ समूह कहा जाता है। इस पाठ में, हम राजनैतिक दलों और दबाव समहों की चर्चा करेंगें, जो विशेष रूप से हमारे देश के संदर्भ में होगी। आप राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बारे में और भी जानना चाहेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- एक राजनीतिक दल के आशय की व्याख्या करना;
- राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझना;
- भारत में राजनैतिक दलों श्रेणियों का वर्गीकरण करना;
- भारत की एक लोकतांत्रिक सरकार में राजनैतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करना;
- भारत की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर करना;
- राष्ट्रीय राजनैतिक दलों की प्रमुख नीतियों का संक्षेप में उल्लेख करना;
- राजनैतिक दलों एवे दबाव/स्वार्थ समूहों के बीच अंतर स्पष्ट करना;
- दबाव/स्वार्थ समूहों की भूमिका का आंकलन करना; और
- हमारे दैनिक जीवन पर राजनीतिक दलों के प्रभाव का विश्लेषण करना।

टिप्पणी

21.1 राजनीतिक दल आशय एवं विशेषताएँ

21.1.1 हमें लोकतांत्रिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

आजकल के लोकतांत्रिक देशों में, सरकार के गठन एवं संचालन के लिए राजनीतिक दलों को आवश्यक घटक के रूप में माना गया है। हालॉकि, कुछ देशों जैसे लीबिया, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अभी रात (यू ए ई) में, बिना दलों की सरकारें हैं। ये देश लोकतांत्रिक नहीं हैं और यहाँ राजनीतिक दल प्रतिबंधित हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफलतापूवर्क संचालित होता है जिनके पास प्रतिद्धदी पार्टी प्रणाली है। राजनैतिक दल वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं और कार्यवाही की मदद करती हैं। ये लोगों को चनावों एवं प्रशासन की अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें शिक्षित करती हैं और उन्हें नीतिगत निर्णय लेने के मदद करती हैं। यदि राजनीतिक दल प्रतिनिधि सरकार के संचालन के संभव बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो आप शायद पूछेंगे कि इस राजनीतिक दल का आशय क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार में उनकी भूमिकाऐं क्या हैं?

22.1.2 राजनीतिक दल का आशय

राजनीतिक दल को आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई के रूप में वणिति किया जाता हैं जो सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित है और राजनीतिक सिस्टम के बारे में इसके कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल सांविधानिक उपायों के द्वारा राजनैतिक सत्ता चाहती हैं और उसके लिए कार्य करती हैं जिससे यह अपनी नीतियों को अमल में ला सके। यह समान सोच वाले लोगों एक निकाय है जिनके लोगों के बारे में समान विचार हों। गिलक्रिस्ट के अनुसार राजनीतिक दल परिभाषा हैं। 'नागरिकों का एक संगठिन समूह जो समान राजनीतिक विचारों को साझा करते हैं एवं व्यक्त करते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए, सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं'। गेटेल के द्वारा दी गई एक अन्य परिभाषा हैः 'एक राज राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनती है, जो प्रायः संगठित होते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जो, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके, सरकार को नियंत्रित करने लक्ष्य बनाते हैं। और अपनी सामान्य नीतियों का संचालन करते है।

इस परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल संगठित निकाय होते हैं और यें मूल रूप से सत्ता को पाने और उसे बचाए रखने के बारे में चिंतित रहते हैं।

21.1.3 विशेषताऐं

श्राजनीतिक दलों की उपरोक्त परिभाषाओं से, निम्न के उनकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में पहचाना जा सकता है;

- राजनीतिक दल जनता का एक संगठित समूह है;
- जनता का संगठित समूह सर्वमान्य नीतियों और सर्वमान्य लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं;
- इसका उद्देश्य सामूहिक प्रयांसों द्धारा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के ईद गिर्द घूमता है;

टिप्पणी

- यह चुनावों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने के सांविधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके लागू करती है; और
- सत्ता में रहते हुए, यह अपने घोषित उद्देश्यों को प्रशासनिक नीतियों में बदल देती है।

पाठगत प्रश्न 21.1

1. नीचे दिए गए चार उत्तरों मे से सही विकल्प चुनकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें:

(क) इनमें से क्या राजनीतिक दल की एक विशेषता है?

(i) लोगों का समूह जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए संगठित हैं।

(ii) लोगों का समूह जो समान धार्मिक विचारों को साझा करते हैं।

(iii) लोगों का समूह जिनके जनसाधारण से जुड़े मसलों पर सर्वमान्य विचार एवं नीतियाँ हों।

(iv) जलोगों के समूह जा चुनावी सभा में उपस्थित हों।

(ख) हमें एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

(i) विधान मंडल को कानून बनाने में मदद करना।

(ii) कार्य पालिका को देश के प्रशासन में मदद करना।

(iii) न्याय पालिका को न्याय प्रदान करने में मदद करना।

(iv) लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना।

(ग) इनमें से कौन एक लोकतंत्र नहीं है?

(i) लीबिया (ii) इंडोनेशिया

(iii) भारत (iv) श्रीलंका

21.2 राजनीतिक दल : कार्य एवं भूमिका

आपने अब तक यह पढ़ा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दल ज़रूरी हैं। ये प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अहम कार्य करती हैं। महत्त्वपूर्ण यह जानना है कि जब देश में निर्वाचन होते हैं तो उम्मीदवारों को निर्वाचन मंडल के समझ कौन प्रस्तुत करता है? क्या आप जानते हैं कि चुनावों के दौरान कौन चुनाव करता है? क्या आपने कभी जानना चाहा कि सरकार कैसे बनती है। और किसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया जाता है?

ये सभी राजनीतिक दलों कार्यप्रणाली हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मं उनकी भूमिका से संबंधित हैं। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, इस प्रकार हैं;

- ये चुनावों के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं;
- ये चुनावों में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार करते हैं;

- ये मतदाताओं के समक्ष चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते है;
- जिन्हें चनाव मे बहुमत प्राप्त होता है वे ही सरकार बनाते, नीतियों को लागू करते और उन पर कार्य करते है।
- जो सत्ता में नहीं हैं वो विरोधी दल बनाते हैं और सरकार पर लगातार नजर रखते हैं;
- जब विधान पालिका में उन्हें अल्पमत मिलता है तो वे विरोधी दल बनाते है। और सरकार पर उचित प्रशसासन के लिए लगातार दबाव बनाए रखते हैं।
- ये लोगों को शिक्षित करते हैं और जनता की राय जानने एवं उसे दिशा देने में मदद करते है।
- ये लोगों की अपेक्षाओं अथवा माँगों को समझते है। और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते है; और
- ये लोगों एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक संपर्क सूत्र प्रदान करते हैं।

भारत वर्ष में स्वतंत्रता के समय से राजनीतिक दल उपरोक्त कार्यों को पूरी कुशलता से संचालित करते रहे हैं। इन्होंने भारत में पिछले छः दशकों से प्रतिनिधि सरकार को संभव एवं सफल बनाया है। ये एक तरफ सरकार एवं नागरिकों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करने हैः तो दूसरी तरफ मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के बीच। ये जनसाधारण से जुड़े मुद्दों पर जनता की माँगों को पूरा करते हैं, और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। बिना पार्टियों के चुनाव लगभग असंभव होंगे। वास्तव में, लोकतंत्र के लिए सशक्त और सतत् राजनीतिक दलो की आवश्यकता होती है जिनमें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो और नीतियों के विकल्प प्रदान करे जो जनता के हित के लिए शासन करने की क्षमता का प्रमाण दे सके।

भारत वर्ष में पिछले छः दशकों के दौरान राजनीतिक दलों के अनुभव एवं कार्यप्रणाली यह दर्शाती है कि कहीं न कहीं ये जनता की राय को दिशा देने, राजनीतिक जागरूकता लाने और लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये सफलतापूर्वक ऐसी सरकारों का गठन करते हैं जहाँ इन्हें लोगों का मता देश प्राप्त होता है और ये केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर अपनी अपनी नीतियाँ एवं कार्य प्रभ लागू करते हैं।

इन्होंने सरकार की संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने में पूर्ण योगदान प्रदान किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक एवं बहु-दलीय प्रणाली के द्वारा सशक्त हुआ हैं।

क्रियाकलाप 21.1

अपने राज्य में पता लगाये का प्रयास करेंः

- किस राजनीतिक दल/दलों ने वर्तमान सरकार का गठन किया है?
- सभा में विपक्षी दल का नेता किस राजनीतिक दल का है?

टिप्पणी

- उन राजनीतिक दलों का नाम बताएँ जिन्होंने पिछले चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे।

आपकों उपरोक्त सूचना सभाचार पत्रों, अपने अभिभावकों या मित्रों से मिल सकती है।

21.3 भारत वर्ष में राजनीतिक दल उनका आविभवि एवं प्रगति

भारत वर्ष में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सामान्य रूप से विभिन्न दलों के गठन की शुरूआत माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरूआत की, एक बड़ा संगठन था जो समाज के सभी वर्गों के स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरूआती दौर में दादा भाई नौरांजी, सुरेंद्रनाथ बेनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले और अन्य जैसे श्रमपंथियों एवं 'लाल बाल पाल' अर्थात् लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारियों का प्रभुत्व था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। इसी समय में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी उभर कर आए जैस मुस्लिम लीग, भारतीय मार्क्सवादल दल, हिंदू महासभा, आदि।

1947 में आज़ादी के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं को एक राजनीतिक दल के रूप में बदल लिया ताकि यह चुनाव लड़ सके और सरकार का गठन कर सके। यह 1967 तक एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में रहा, क्योंकि इसने लगातार 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र में एवं लगभग सभी राज्यों में होने वाले चुनावों में जीत हासिल की। इस समय को 'एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली' के नाम से जाना गया जिसमे कांग्रेस पार्टी बहुमत से विजयी होती रही और चुनाव लड़ने वाले अन्य राजनीतिक दलों को केवल कुछ ही सीटों से संतोष करना पड़ा।

1967 से भारत वर्ष में दलीय प्रणाली में लगातार फेर बदल होते आ रहे हैं। 1971 में, यद्यपि कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया था, कई राज्यों में कई अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अधिकतर साझा सरकार बनी थीं। 1977 के बाद, यह देखा गया कि भारत देश 'द्वि दलीय प्रणाली' की तरफ बढ़ा है ये दो दल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल लेकिन यह बहुत ही थोड़े समय के लिए रहा। जनता दल जो वास्तव में कई छोटे छोटे घटक दलों जैसे कांग्रेसओ जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल और लोकतांत्रिक कांग्रेस का सम्मिलन था, कई घटकों में विभाजित हो गया। जनता दल के इस विभाजन से फिर कांग्रेस का फायदा हुआ और यह दोबारा 1980 में केंद्र में सत्ता में वापस आई और 1989 तक रही। लेकिन 1989 के बाद से कांग्रेस कभी अपना प्रभुत्व वापस प्राप्त नहीं कर सकी। 1989 के बाद से भारतीय दलीय प्रणाली सरकार प्रणाली से होता आ रहा है 1999 से दो बड़े गठबंधन सामने आए, एक को राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन (रा ज ग) (NDA) ने किया, तो दूसरे को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) (UPA) कहा गया जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने संभाला। वर्तमान में भारत वर्ष में बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं।

पाठगत प्रश्न 21.2

नीचे प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तरों के चार विकल्प दिए गए हैं; इनमें से सही उत्तर चुनें:

(क) इनमें से कौन सा कथन सही है?

(i) भारत एक 'एकदलीय प्रणाली' है।

(ii) भारत में राजनीतिक दल स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थे।

(iii) भारत में राजनीतिक दलों का आनिर्माण स्वतंत्रता के बाद ही हुआ।

(iv) 1989 में कांग्रेस को लोक सभा में बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई।

(ख) एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इनमें से क्या एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है।

(i) राजनीतिक दल प्रणाली में बदलाव लाने के लिए गुप्त रूप से कार्य करते हैं।

(ii) ये जनता की राय को दिशा देते है।

(iii) ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

(iv) यदि इन्हें विधान मंडल में बहुमत नहीं मिलता हैं। तो ये विपक्षी दल का गठन करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकारों की शुरूआत कब हुईं?

(i) 1952 (ii) 1989

(iii) 1977 (iv) 1967

21.4 भारत में दलीय प्रणालीः स्वभाव, प्रकार एवं नीतियाँ

आपने घ्पर पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद के शुरूआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलीय प्रणाली पर प्रभुत्व बनाए रखा। लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला और केंद्र एवं राज्यों दोनों में गैर कांग्रेसी सरकारों का भी दौर आया। इस प्रकार सामान्यतया भारतवर्ष में दलीय प्रणाली एक मात्र दलीय प्रणाली की तरह ना तो स्थिर हे। और ना ही एक मात्र दलीय प्रणाली दो-दलीय प्रणालील या बहु-दलीय प्रणाली की तरह प्रभावशाली है। उपरोक्त किसी भी दलीय प्रणाली में पाई जाने वाली विशेषता भारत की दलीय प्रणाली में भी पाई जा सकती है। पिछले कुछ गई है। जैसी कि 1967 तक की स्थिति थीं अब यह एक-दलीय प्रभुत्व प्रणाली नहीं रह गई है। भारतीय दलीय प्रणाली अब द्वि-दलीय प्रणाली भी नहीं है जो 1977 से लेकर 1980 तक के छोटे से समय अंतराल में मौजूद थी। अब यह लगभग एक बहु दलीय प्रणाली बन चुकी है। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर होते हैं ताकि वे केंद्र एवं कुछ राज्यों में टिके रह सकें। विभिन्न राजनीतिक दल आपस में मिलकर गठबंधन सरकार का गठन करते हैं कारण अलग अलग दलों का स्वयं अकेले बहुमत प्राप्त करना कठिन होता हैं।

21.4.1 भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताऐं

- भारत वर्ष में बहु-दलीय प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल केंद्र एवं राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं।
- भारत में समकालीन दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एवं राज्यीय। क्षेत्रीय स्तरों पर बाई-नोडल (द्वि-ध्रुवीय) दलीय प्रणाली के प्रादुर्भाव की प्रत्यक्षदर्शी हैं। दो सिरों पर कार्यरत द्वि-ध्रुवीय प्रवृत्तियों का नेतृत्व कांग्रेस एवं बीजेपी द्वारा केंद्र एवं राज्यों दोनों जगह किया जाता हैं।
- राजनीतिक दल अपना-अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतिस्पधत्मिक होते हैं, जबकि कई बार हम देखते हैं कि एक विशेष दल किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ मिलवा है और फिर अगले चुनावों से पहले यह दूसरे दलों के साथ चला जाता है।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे आते हैं। केंद्र में, ये क्षेत्रीय दल किसी न किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं और पर्याप्त मदद लेते हैं जैसे केंद्र में मत्रीपद प्राप्त करना या अपने अपने राज्यों के लिए आर्थिक पेंकेज लेना।
- आजकल चुनाव दलों के बीच नहीं लड़ा जात है बल्कि यह दलों के गठंबधनों के बीच लड़ा जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रतिस्पर्धा, गठंबधन और खिलाड़ियों का स्वभाव अलग अलग होता है।
- हमारी दलीय प्रणाली के लिए गठबंधन की राजनीति अभी नई है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए है। जहाँ कोई एक मात्र दल की सरकार नहीं हैं, केवल कुछ राज्यों में ही ऐसा हो जैसा कि आप चारों तरफ देखते ही है, ना तो कोई स्थाई सत्तारूढ़ दल है और ना ही कोई स्थाई-विपक्षी दल।
- गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप, राजनीतिक दलों के आदर्शों का महत्त्व घट गया है। प्रशासन अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है जो दर्शाता है कि व्यवहारिकता ही 'सत्ता का मंत्र' ही हमने ऐसी परिस्थितियों देखी हैं जहाँ तेलगु देशम पार्टी ने 1999 में बीजेपी की एन डीए सरकार का समर्थन किया और सी पी आई (एन) ने 2004 में कांग्रेस की यू पी ए सरकार का बिना सरकार में औपचारिक तौर पर भाग लिए समर्थन किया।
- सभी दल मत प्राप्त करने के लिए एकमात्र संवेगात्मक मुद्दे/मुद्यों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति प्रयासरत रहते हैं। पिछले चुनावों के कुछ संवेगात्मक मुद्दे थेः 1970 का गरीबी हटाओ, 1980 का 'इंदिरा ही इंडिया है', 1980 के दशक के मध्य का 'राजीव के नेतृत्व में इक्कीसवी सदी की ओर बढ़े', 1990 में बीजेपी का 'इंडिया शाइनिंग (चमकता हुआ भारत) 2004 में कांग्रेस का 'फील गुड' (अच्छा अनुभव करो) और 2009 में 'आम आदमी'।
- दल आज कर लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक गठबंधन बनाने के बदले कम समय तक चलने वाले चुनावी फायदे अधिक देखते हैं।

क्रियाकलाप 21.2

चर्चा द्वारा या समाचार पत्र पढ़कर, निम्न का पता लगाएँः

(i) आपके क्षेत्र के किस राजनीतिक दल ने केंद्र में सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी और कब?

(ii) किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल गठबंधन ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल का दर्जा प्राप्त किया और कब?

(iii) आपके राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं? इन्होंने आपके राज्य में सरकार बनाने का दर्जा कब प्राप्त किया?

21.5 भारतीय राजनीतिक दलः श्रेणियाँ प्रकार

भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हों के आवंटन के लिए किया जाता है। आयोग दलों को तीन वर्गों में विभाजित करता हैः राष्ट्रीय दल, प्रान्तीय दल और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।

निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को तीन आधारों पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करता हैः

1. यह चार या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल होना चाहिए।
2. इस दल ने पिछले लोक सभी चुनावों में कम से कम चार प्रतिशत सीटें या राज्य के विधान सभा चुनावों में 3.33 प्रतिशत सीटें जीती हों।
3. दल द्वारा बनाए गए सभी उम्मीदवारों को चुनावों में कम से कम 6 प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुए हों।

A. राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव पूरे देश में फैला होता है। 2009 में हुए पिछले आम चुनावों से लेकर अब तक भारत में मान्यत प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैंः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई एन. सी), राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी (एन सी पी), भारतीय जनता पार्टी (बी जे पी), भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (सी पी आई), मार्क्स वादी कम्यूनिष्ट पार्टी (सीं पी आई - एक) बहुजन समाज पार्टी (बी एस पी) और राष्ट्रीय जनता दल (आर जे डी)।

B. क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिन्हे निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त है, वे राजनीतिक दल होते हैं जिन्हे राज्य में कुछ निश्चित प्रतिशत मत या सीटे प्राप्त होती हैं। निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या काफी अधिक है। भारत के कुछ अग्रणी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में शामिल है। त्रिणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल), असम गण परिषद (आसाम), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नीज कज़गम (तमिलनाडू), पाँडिचेरी, नेशनल कॉन्फ्रेस (जम्मू और कश्मीर), समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड), शिरोमणि अकालीदल (पंजाब), शिवसेना (महाराष्ट्र), तेलगु देशम (आंध्र प्रदेश) क्या आप अपने राज्य की क्षेत्रीय पार्टी का पता लगा सकते हैं?

क्रियाकलाप 21.3

निम्न राज्यों में 2008 में जिन राजनीतिक दलों ने सरकारों का गठन किया था उनके नाम का पता लगायें।

- दिल्ली
- मध्यप्रदेश
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़

21.6 भारतीय राजनीतिक दल एवं उनकी नीतियाँ

जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं भारत में राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल मतदाताओं से वादे के रूप में अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की घोषणा करते है। सामान्यतया इनको एक दस्तावेज में शामिल किया जाता है जिसे घोषणा पत्र राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान प्रकाशित किए जाते हैं हम निम्न राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों की चर्चा करेंगेः

I. 1. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :** 1885 से मुंबई (बंबई) में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अब कांग्रेस) पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी शासन के लिए एक अग्रणी दल के रूप में उभरकर आई और इसने केंद्र में एवं प्रायः प्रत्येक राज्यों में 1967 तक शासन किया। भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले दो दशकों में कांग्रेस कर प्रभुत्व छाया रहा और इस काल को कांग्रेस प्रणाली के रूप में वणिति किया जाने लगा। धीरे-धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। अब इसे केंद्र` सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों के गठबंधन पर निर्भर होना पड़ता है। कांग्रेस लोकतत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के प्रति वचन बद्ध हैं यह एक प्रकार से एक मध्यमार्गी राजनीतिक दल है। जहाँ एक और यह उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जिन्हें संयुक्त रूप से 'एलपीजी' के नाम से जाना जाता है, में माहिर है, वहीं यह समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। यह कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण दोनों को ही बढ़ावा देती है। यह स्थानीय स्तर पर अमीनी संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती है। और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती है। और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं विशेष कर संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती है।

2. **भारतीय जनता पार्टी :** जनता पार्टी से अलग होने के बाद 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी भारतीय जन संघ (बी जे एस) के ही एक नए अवतार के रूप में प्रकट हुई है। बी जे पी इन मुद्दों का समर्थन करती है; (a) राष्ट्रीय एकता (b) लोकतंत्र (c) सकारात्मक धर्म निरपेक्षता (d) गांधीवादी समाजवाद तथा (e) मूल्य-आधारित राजनीति। प्रारंभिक चरणों में दक्षिण पंथी रिझान होते हुए भी बीजेपी आज उतनी ही मध्य मार्गी है जितनी कांग्रेस है। इस पार्टी ने कई राज्यों मे सरकारों का गठन किया है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ही मार्गी है जितनी कांगेस है। इस पार्टी ने कई राज्यों मे सरकारों का गठन किया है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तराखंड। यह पार्टी अपना आधार दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी भारत में भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

टिप्पणी

3. **कम्यूनिस्ट पार्टीयोंः** भारत की प्रमुख कम्येनिस्ट पार्टियों हैं भारतीय कम्येनिस्ट पार्टी (सी पी आई) जो 1925 मैं स्थापित हुई थी और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सी पी आई एम) जो 1964 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद प्रकट हुई। इन वर्षो में सी पी आई (एम), सी पी आई की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई है। सी पी आई (एम) और सी पी आई दोनों ही दल पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में सत्ता रूढ़ हैं। कम्यूनिस्ट पार्टीयों प्रेमिकों तथा किसानों की पार्टियों हैं। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आदर्शों पर आधारित मे पार्टियों समाजवाद, उद्योगों का समाजवादी स्वामित्व, कृषि संबंधी सुधार ग्रामीणों को समृद्ध बनाने और आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं। ये पूंजीवाद, ये साम्राज्यवाद तथा वैश्वीकरण का विरोध करती है।

4. **बहुजन समाज पार्टी :** कांशीराम द्वारा 1984 में स्थापित बहुजन समाज पार्टी यह दावा करती है कि यह भारतीय समाज के बंचित वर्ग, विशेषकर गरीबों, भूमि लेनों, बेरोजगारों एवं दलितों की पार्टी है जो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हैं। यह दल साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नामकर तथा बी. आर. अंबेडर की शिक्षाओं से प्रेणना लेता है। सुश्री मायावती वर्तमान में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। बी.एस. पी. 'सर्वजन हितास, सर्वजन सुखाय', के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसने दो कार्य कालों तक उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, एक बीजेपी के साथ गठबंधन करके और बाद में राज्य में स्वतंत्र सत्तारूढ़ दल बनकर।

5. **राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :** राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विभिजित समूह हैं। 1999 में जिन तीन लागों ने मिलकर इस दल का गठन किया था वे हैं शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक़ अनवर। इस दल की नीतियों लगभग कांग्रेस की नीतियों के समान हैं। इसका प्रमुख जनाधार महाराष्ट्र में हैं यह 2004 से यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की गठबंधन सहयोगी है।

6. **राष्ट्रीय जनता दलः** राष्ट्रीय जनता दल (आर जे डी) एक अन्य दल है जो 1997 में जनता दल के टूटने के बाद प्रकट हुआ। इस दल को लालू प्रसाद यादव ने गठित किया। यह दल पिछड़ी एवं अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। यह दल लगभग एक दशक से बिहार में सत्ता में था। यह दल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का एक गठबंधन सहयोगी था।

II. क्षेत्रीय राजनीतिक दल : क्षेत्रीय राजतीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ। ये अपने अपने राज्यों में इतने लोकप्रिय हो गए कि ये दल राज्य की राजनीति में प्रभुत्व दिखाने के साथ-साथ अपने अपने राज्यों में सत्ता भी प्राप्त करने लगे। इनकी बढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र में गठबंधन सरकारों के गठन में मदद की । इन क्षेत्रीय राजनीतिक हो चुकी है। केंद्र ने भी समायोजन के द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान देना और उनकी आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया है।

हमारी दलीय प्रणाली के विकासवादल स्वभाव ने हमारी संघीय प्रणाली के सहकारिता वाही सज्ञान को सुदृढ़ बनाया है।

III. पंजीकृत (असान्यता प्राप्त) दलः निर्वाचन आयोग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय या प्रान्तीय दलों के रूप में मान्यता नहीं मिलती हैं।

आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2009 में 363 दलों ने चुनाव बड़ा था। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में थे। अधिकांश राजनीतिक दलों को (अमान्यता प्राप्त) रूप

से पंजीकृत किया गया था। 2009 में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

- राष्ट्रीय दल - 7 (कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल)
- प्रान्तीय दल - 34
- पंजीकृत (असमान्यताप्राप्त) दल -322

पाठगत प्रश्न 21.3

1. भारतीय दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएं बताइए।
2. निम्न राजनीतिक दलों में से किन्हीं दो के तीन प्रमुखसिद्ध बताइए:
   (i) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
   (ii) भारतीय जनता पार्टी
   (iii) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
   (iv) बहुजन समाज पार्टी
3. इनमें से कौन जम्मू एवं कश्मीर का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं?
   (i) भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (ii) नेशनल कांफ्रेंस
   (iii) फॉर्वर्डब्लॉक (iv) राष्ट्रीय जनता दल
4. शिव सेना समें से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी हैं।
   (i) महाराष्ट्र (ii) तमिलनाडु
   (iii) बिहार (iv) उत्तराखंड

क्रियाकलाप 21.4

अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनकी तीन प्रमुख नीतियाँ क्या हैं? अलग अलग दलों के लिए मतदान करने के लिए लोगों को कौन सी बातें प्रेरित करेंगी?

राजनीतिक दल का नाम	प्रमुख नीतियाँ	मतदान के लिए प्रेरणा

21.7 राजनीतिक दल एवं दबाव/स्वार्थ समूह

आपने शायद कभी अपने इलाके शब्द अथव राज्य में प्रदर्शन, धरना और इसी तरह की कई गतिवितधियां देखी होंगी। ये प्रदर्शन छात्रों, किसानों, श्रमिकों आदि के द्वारा कि जैसे हैं। इनमें से कुछ गतिविधियों, कुछ संगठित समूहों जैसे छात्र यूनियन, किसान यूनियन, व्यापारिक संगठन, शिक्षक संगठन आदि के द्वारा किस जाते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियों, कुछ संगठित समूहों जैसे छात्र यूनियन, किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन, व्यापारिक संगठन, शिक्षक संगठन आदि के द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, ये समूह अपने स्वार्थ के अनुसार सरकार पर नीतियों बनाने अथवा कानून के क्रियान्वयन के लिए दबाव बनाते है। फिर भी वे स्वयं चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए ये राजनीतिक दल नहीं हैं, इस बात से आप सहमत लेंगे।

तो ये क्या हैं? किसी भी देश में, विशेषकर लोकतांत्रिक देश में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संमणित समूह होते हैं; जो प्रत्यक्ष या परौक्ष रूप से राजनीति और सरकार को प्रभावित करते हैं। इन संगठित समूहों के सदस्य किसी विशेष स्वार्थ/हित की वजह से, जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते है, संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कारखाने के श्रमिक ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होते हैं ताकि वे अपने हितों की पूर्ति कर सकें। इसी प्रकार से ऐसे और भी कई संगठित समूह हैं। इन्हें दबाव समूह अथवा स्वार्थ समूह कहा जाता है। ये दबाव समूह या स्वार्थ समूह क्या हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? इनकी हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में क्या भूमिका है? आइए इसकी चर्चा करें।

21.7.1 दबाव समूह और स्वार्थ/हित समूह

आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। इंटक (INTUC) एक ऐसा संगठन है जिसकी हम दबाव समूह और स्वार्थ समूह दोनों की तरह व्याख्या कर सकते हैं। सामान्य तथा दबाव समूह एवं स्वार्थ समूह एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते है पर वास्तव में ऐसा नहीं हैं। स्वार्थ समूह संगठित लोगों का समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी विशेषताऐं हैः

चित्र 21.1 : भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की रैली

टिप्पणी

(a) ये सुसंगठित होते हैंः (b) इनका कुछ सर्व साधारण स्वार्थ होता हैं, (c) यह स्वार्थ जो सदस्यों को एकत्रित करता है, विशेष एवं निर्दिष्ट होता है, (d) इन संगठित समूहों के सदस्य अपने स्वार्थ को पाने, रक्षा करने एवं बढ़ावा देने के लिए चेष्टा करते हैं जिसके लिए वे संगठित हैं।

दूसरी ओर दबाव समूह एक स्वार्थ समूह है जो सरकार या निणार्यक समितियों पर अपने स्वार्थ समूह है जो सरकार या निर्णायक समितियों पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दबाव जलता हैं।

स्वार्थ समूह एवं दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण होता है। स्वार्थ समूह सरकार अथवा निर्णयकर्ताओं पर दबाव बनाए बिना भी अस्तित्व में रह सकते हैं। ऐसा समूह जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को दबाव डाले बिना ही प्रभावित करने की कोशिश करने हैं उन्हें दबाव समूह नहीं कहा जाता है। एक स्वार्थ समूह जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति` लिए सरकार पर दबाव बनाता है। उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। सभी दबाव समूह स्वार्थ समूह होते हैं जबकि सभी स्वार्थ समूह दबाव समूह नहीं भी हो सकते है। नीचे स्पष्ट रूप से दोनों समूहों का अंतर बताया जा रहा हैः

स्वार्थ समूह	दबाव समूह
• औपचारिक रूप से संगठित	• सुचारू रूप से संगठित
• स्वार्थ/हितों की ओर अभिमुख	• दबाव की ओर अधिक ध्यान
• स्रकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं	• सरकार की नीतियों को प्रभावित करते ही हैं।
• नरम दृष्टिकोण	• कठोर दृष्टिकोण
• कम या अधिक सुरक्षात्मक	• सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहात्मक

21.7.2 दबाव समूहः भूमिका एवं तकनीक

किसी राजतंत्र की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में दबाव समूहों की अहम भूमिका होती है। ये जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर जनता की राय को, चर्चा, बहस, प्रचार के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में ये लोगों की शिक्षित करते हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी को बेहतर बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों को उठाते है। और स्पष्ट रूप से उनको व्यक्त करते है। ये समूह जनता की नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।

अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को पाने के लिए ये दबाव समूह विभिन्न प्रकार के तरीके एवं तकनीकों को अपनाते हैं। इनमे अपील, प्रदर्शन, याचिका, धेराव, जुलूस एवं लॉबी बनाना शामिल हैं। ये मीडिया में लिखते हैं, पर्चे वितरित करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, चर्चा एवं बहस आयोजित करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं और नारे लगाते हैं। ये सत्याग्रह भी कर सकते हैं जिसका अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। कभी-कभी, दबाव समूह हड़ताल भी करते हैं ताकि ये विघान पालिका कार्यपालिका एवं अधिकारियों पर दबाव बना सकें। अक्सर ये बहिष्कार भी करते हैं। क्या आपने वकीलों को कोर्ट का बहिष्कार या शिक्षकों को कक्षाओं का बहिष्कार करते नहीं देखा है? दबाव समूह इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सरकारी नीतियों प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

क्या आप जानते हैं

लॉबी करने का क्या अर्थ हैं?

लॉबी करने का अर्थ है सरकार में रहने वाले अधिकारियों अक्सर विधानपालिका द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जिनके द्वारा जननीतियों के कार्या-वयन या गठन को प्रभावित किया जा सके।

21.7.3 राजनीतिक दल एवं दबाव समूह

आपने पहले पढ़ा ही है कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह समान नहीं हैं। लेकिन दानों ही लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनका संबंध काफी गहरा एवं स्पष्ट है। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियने अपने अपने राजनीतिक दलों की मदद करने के लिए उन्हें चुनावों के दौरान श्रमिक प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक दल श्रमिकों के हित में कानून बनवाने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन (NSUI) कांग्रेस को भावी नेतृत्व प्रदान करती है। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यही कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए करती है? जहाँ कुछ दबाव समूह कुछ विशेष राजनीतिक दलों से जुड़े होते है; वहीं कई ऐसे होते हैं।

जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता है। यह समझना आवश्यक है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है:

- दबाव समूह भूलतः राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते है। उदाहरण के लिए, यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, फिर भी यह मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं।
- दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं; ये केवल केवल उन्हें प्रभावित करते हैं जो सत्ता में हैं ताकि निणर्यों को अपने पक्ष में करवाया जा सके। राजनीतिक सरकार बनाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं।
- दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं; ये केवल अपनी पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार में भाग लेते है।
- दबाव समूहों की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा हो, यह आवश्यक नहीं है। राजनीतिक दल हमेशा अपने आदर्शों/विचारधारा से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधाराः धर्म निरपेक्षता, समाजवाद एवं लोकतंत्र के प्रति वचन बद्ध हैं; वहीं कम्यूनिस्ट पार्टी श्रमिकों, किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- दबाव समूहों का स्वार्थ आमतौर पर विशेष एवं निश्चित होता है, जबकि राजनीतिक दलों की अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम होते हैं। जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय शाखाऐं एवं प्रशाखाऐं होती हैं।

टिप्पणी

21.7.4 भारत के दबाव समूह

अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह, भारत में भी कई स्वार्थ/दबाव समूह हैं जो पारंपरिक सामाजिक ढाँचेप पर आधारित होते हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन और एंग्लो-इंडियन क्रिश्चियन ऐसोएशन जैसे कई समूह हैं। फिर आते हैं जातिगव समूह जैसे ब्राहमण सभा, नायर समाज, और भाषा समूह (जैस तमिल संघ, अंजुमन-ए-तारीख-ए-उर्दू)/आप अन्य प्रकार के स्वार्थ समूह भी देख सकते हैं जिनमें भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की (PICCI)) जैसे निकाय या श्रमिकों एवं किसानों से संबंधित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ; किसान सभा आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई संस्थागत समूह भी हैं जैसे सिविल सेवा संगठन या गैर राजपत्रित अधिकारी यूनियन। कभी कभी आपको अखिल असम छात्र यूनियन जैसे समूह भी देखने को मिलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज की स्थापना की मांग करते हैं।

21.7.5 सिविल सोसाइटी संगठनः भारत में सामूहिक दबाव प्रणाली का एक नया रूप

भारत में बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी संगठन (सी एस ओ) है, जिनका अर्थ है ऐसे संगठन जिन्हें देश के नागरिकों ने स्थापित किया है, ताकि वे विशेष हितों के लिए कार्य कर सकें। इनमें से कई संगठन सरकार के समक्ष दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, ताकि ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीतियों को लागू करने के बढ़ावा दे सकें। ये संगठन आम व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं जो विशेष मुद्दों के प्रति सशक्त समर्पण का अनुभव करते है। कई आम व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर एवं समाज में फैली अराजकता के बारे में अपने विचारों को साझा करते हैं।

सिविल सोसाइटी राज्य एवं व्यक्ति के बीच में एक कड़ी हैं। सिविल सोसाइटी संगठन उन्हें कहा जाता है।

पर्यावरण सुरक्षा, मँहगाई, भ्रष्टाचार की रोकथाम आदि जनसामान्य से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों, संगठनों, संघों अथवा सर्वेच्छिक संस्थाओं के द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता को दर्शाता हो। इक्कीसवीं सदी ने देश के विभिन्न भागों में हुई विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से विविल सोसाइटी संगठन के द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से देखा हैं।

लेग लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चों आदि मुद्दों को उठाते हैं और इन पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से योगदान देते हैं। इस तरह के संगठन जनमत तैयार करने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये मुद्दे समाज के बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। इस तरह के कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों में शामिल है; मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम के एस एस, राजस्थान), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), नेशनल एलएंस ऑफ पीपल्स मूव मेंट्स (एन ए पी एम), नेशनल एलाएंस

ऑफ वुमेन्स ऑर्ग नारजेशना (एन ए डब्ल्यू ओ), मेडिको फ्रेंड्स सर्कल (एम एफ सी) और अन्य कई। इस तरह के संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, विभिन्न लोगों की आजीविका, पर्यावरणीय सुरक्षा, नारी सशक्तीकरण, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे आदि की नीतियों में बदलाव किया जा सके।

सिविल सोसाइटी सगंठन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोगों के लिए एक चैनल प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें और ये

संरचनात्मक रूप से परिवर्तन के लिए भी कार्य करते है। देश के प्रति किए गए वादों को जब सरकार पूरा नहीं करतीं है वो ये संगठन उस ओर ध्यानासिवि करते हैं। ये आदर्शवादी एवं समर्पित युवा लोगों को आकणिति करते है। और उनके लिए अच्छी नागरिकता को सिखाने एवं सीखने का स्थान भी बनते हैं। अच्छे नागरिक सतर्क एवं जागरूक होते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन इसी प्रकार के सतर्क नागरिकों के द्वारा गठित होते हैं। इनमें से कई बड़े सामाजिक हितों के लिए संघर्ष करते हैं, और अपने निजी सुख समय एवं र्घ्जा को त्याग कर देते है। हाल ही के समय में हुए सिविल सोसाइटी संगठन के कुछ प्रमुख नेता हैं अरुणारॉय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), इला भट्ट (स्वनियोजित महिला गठन), मेघा पाटकर (नर्मदा बचाओं आंदोलन) और अन्ना हजारे (भ्रष्टाचार विरोधी भारत)। ये सभी संगठन बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करते हैं जो राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई संगठन एवं समूह अहिंसात्मक तरीकों को अपनाने में विश्वास करते हैं।

21.7.6 दबाव की रणनीति

चूँकि दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के प्रति चिंतित रहते हैं। अतः ये इसके लिए विभिन्न दाँव पेच अपनाते हैं। ये बुनियादी रूप से संर्वेधानिक एवं शांतिपूर्ण होते हैं। भारत में सत्याग्रह एक आम दबावी दाँवपेच है। जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। जैसाकि आप जानते ही हैं, कि गांधी जी ने ही सबसे पहले सत्याग्रह की शुरूआत की और वे इसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने विदेशी शासन के संदर्भ के संदर्भ में इन तरीकों का प्रयोग किया फिर भी ये तरीके आज भी उतने ही संगत हैं इन तरीकों को सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए, स्वनियोजित महिला संगठन (सेवा (SEWA)) ने सरकार को प्रभावित किया ताकि महिला श्रमिकों के अधिकारों की नीतियों के बेहतर बनाया जाए, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन आंदोलन शुरू किया जिससे सरकार को 'सूचना का अधिकार' कानून लाना पड़ा। मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में ऐसे कई समूह हैं जिनमें 'जस्ट पीस' अपुनबा लुप (छात्र संगठन) और मीरा (महिला समूह) शामिल हैं जो सरकार पर लोगों की न्यायोचित समस्याऐं सुनने के लिए दबाव डालते हैं। एक साथ मिलकर ये समूह इसमें शर्मिला के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें 'मणिपुर की लाह महिला' के नाम से जाना जाता है जो नवंबर 2000 से भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांग हैं कि सरकार को।

चित्र 21.2 मीरा पैबिस (महिला कार्यकर्ता) मणिपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए।

चित्र 21.3 केरल में महिलाएँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मीरा पैबिस और इरोम शार्मिला की माँगों के समर्थन में पोस्ट कार्ड भेजती हुई ताकि मणिपुर में शांति स्थापित हो।

चित्र 21.4

आर्न्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर ऐक्ट (AFSPA) को समाप्त करना चाहिए जो उनके राज्य एवं उत्तर-पूर्वी भारत के अन्य भागों में हो रही सिा का जिम्मेदार है, और लोगों के जीवन के प्रति लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, पूरे देश के लोग उनके त्याग का सम्मान एवं समर्थन करते हैं (उन्होंने 11 वर्षों से भोजन नहीं किया है, और वो केवल इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्ती नाक में नली डालकर खाना खिलाया जा रहा है)।

दबाव समूह प्रदर्शनों, धरने पर बैठने, हड़ताल पर जाने, जनसभाओं का आयोजन करने निर्णायक समितियों को ज्ञापन देने, मीडिया का प्रयोग करके अपनी माँगों को बढ़ावा देने एवं जनसहमति बनाने के लिए भी तरह तरह के दाँव पेचो का प्रयोग करते हैं।

पाठगत प्रश्न 21.4

1. दबाव समूह क्या है। ये स्वार्थ/हित रामूहों से किस तरह अलग हैं?
2. दबाव समूहों एवे राजनीतिक दलों के बीच दो अंतर बताइए?
3. कम से कम तीन तरीके बताइए जिनसे दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

क्रियाकलाप 21.5

नीचे हित-समूहों, दबाव-समूहों तथा नीतिक दलों की कुछ विशेषताऐं या लक्षण अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का दूसरे से अन्तर जानने हेतु उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं दी गई तालिका में उन्हें उचित स्थान पर लिखिए।

- सुचारू रूप से संगठित
- चुनाव लड़ना
- नरम दृष्टिकोण
- कम अथवा अधिक सुरक्षात्मक
- सुरक्षात्मक तथा प्रोत्साहक
- सरकार की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास
- कानून निमार्ण में सहायता
- हितों की ओर अभिमुख
- स्वभाव से राजनैतिक
- औपचारिक रूप से संगठित
- सत्ता-परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाना
- दबाव पर अधिक ध्यान
- कठोर दृष्टिकोण
- सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं करते
- सरकार की नीतियों को अवश्य प्रभावित करते हों।

स्वार्थहित समूह	दबाव समूह	राजनीतिक दल

आपने क्या सीखा

- किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की निश्चित भूमिका होती हैं वास्तव में राजनीतिक दल लोकतंत्र को संभव बनाते हैं ये चुनावों को संभव बनाते हैं; सत्ता के हस्तांतरण में सहायक होते है; लोगों को शिक्षित करते हैं और सरकार को बनाते हैं।
- भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल पाये जाते है; राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिनका प्रभाव पूरे देश में होता हैं तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो किसी विशेष राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित होते हैं।

- राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैंः कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल हैं; अकाली दल (पंजाब), डी.एम.के. और ए आई ए डी एम के (तमिलनाडु), तेलगु देशम (आंध्र प्रदेश), नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), शिव सेना (महाराष्ट्र), त्रिणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल)।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 1989 से गठबंधन राजनीति में सशक्त ;बतनबपंसद्ध भूमिका निभाना प्रारंभ किया है।
- भारत में गठबंधन सरकार का दौर चल रहा है;
- दबाव समूह जो राजनीतिक दलों से अलग है; सरकार अथवा निर्णयकत्ताओं को प्रभावित कर अपने विशिष्ट निर्दिष्ट हितों की पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र मं उनकी भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है।

पाठांत प्रश्न

1. हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
2. राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं?
3. राजनीतिक दलों की चार विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए।
4. राजनीतिक दलों के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।
6. भारत में दलीय प्रणाली की तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
7. दबाव समूह क्या है?
8. राजनीतिक दल और दबाव समूह में दो बिंदुओं पर अंतर स्पष्ट कीजिए।
9. भारत में दबाव समूहों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
10. सिविल सोसाइटी संगठन क्या हैं? भारत के किन्हीं दो समकालीन सिविल सोसाइटी संगठनों का नाम लिखिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

21.1

1. (a) (iii)

   (b) (iv)

   (c) (iii)

2. लोकतंत्र को किस तरह कार्य करना चाहिए, का उत्तर अपनी समझ के आधार पर दीजिए।

21.2

(a) (ii)

(b) (i)

(c) (ii)

(d) (iv)

21.3

1. (i) प्रतिस्पधमिक, (ii) गठबंधनकारी, (iii) बहुदलीय (काई दो)

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   (i) लोकतंत्र (ii) धर्म निरपेक्षता

   भारतीय जनता पार्टीः (क) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता (ख) गाँधीवादी समाजवाद

3. (ii)

4. (i)

21.4

1. दबाव समूह एक हित समूह होता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिये सरकार और निर्णयकर्ताओं पर दबाव डालता है। दबाव समूह हित समूह से इस आधार पर ही भिन्न हैं कि हित समूह सरकार और निर्णयकत्ताओं पर बिना दबाव डाले भी अस्तित्व में रह सकते हैं लेकिन यदि दबाव समूह अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अधिकारियों पर दबाव या प्रभाव नहीं डालता है तो उसे दबाव समह नहीं कहा जा सकता हैं।

2. (a) दबाव .... की प्रकृति मूलतः राजनीतिक नहीं होती है। उदाहरण के लिये यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। लेकिन वह एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल वास्तव में राजनीतिक स्वभाव एवं रूझान के होते हैं।

   (b) दबाव समूह नहीं लड़ते, वे केवल अपने पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं व चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं।

3. लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, वादविवाद तथा जनमत को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूहों द्वारा अपनाये जाने वाले तीन तरीके हैं अपील, याचिका और प्रदर्शन। उदाहरण के लिये सेल्फ एम्पलाइड वुमेन्स ऐसोसिएशन ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये सरकार को प्रभावित किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व वाले जन आंदोलन ने सरकार को सूचना का अधिकार के बारे में कानून लाने के लिए बाध्य किया।

23

भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ

हमें संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है। विगत पैंसढ़ वर्षो से अधिक अवधि तक हमने सफल चुनाव करवाने केन्द्र से सरकार के शांतिपूर्ण परिवर्तन होने तथा राज्यों में की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गति-विधि एवं धर्म का संचालन देखा है। भारत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकासशील एवं परिवर्तनशील भी हैं इस दौरान हम प्रायः समाज के कुछ भागों में प्रर्चालन असमातना, अन्याय अथवा अपेक्षाओं की पूर्ति न होने की शिकायते सुनते हैं। ये व्यक्ति अपने आपको लोकतंत्र की प्रक्रिया में सहभागी नहीं मानते हैं। आप पूछ सकते है ऐसा क्यों आपने पिछले यूनिट में पहले ही पढ़ा है कि लोकतंत्र का आशय 'जनता की सरकार जनता के लिए सरकार एवं जनता द्वारा सरकार' है, इसका तात्पर्य हुआ कि लोकतंत्र न केवल चुनाव की प्रक्रिया तर सीमित है वल्कि यह व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक महत्त्वाकांक्षों को पूरा करन के लिए भी है। हम भारत में लोकतंत्र के इन विभिन्न पहलुओं इसकी उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर चर्चा करते रहते है। इसे वेहतर ढ़ंग से समझने के लिए हम इस पाठ में दूसरी चर्चा करते हैं।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा करने के बाद, आप :

- लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं में दूसरे आशय को ज्ञात करना;
- भारत में लोकतंत्र के प्रारभ्भ एवं विकास को समझना;
- भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना;
- भारतीय लोकतंत्रीय प्रणाली में सुधार हेतु निवारक उपायों को पता लगाना; और
- प्रभावी एवं सफल लोकतंत्र के निर्माण में नागरिकों की भूमिका की व्याख्या करना।

23.1 लोकतंत्र को समझना

चलिए हमें लोकतंत्र के आशय एवं उसकी सफल कार्य प्रणाली की अत्यावश्यक शर्तों को समझना प्रारभ्भ करें यह भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को समझाने में सहायक होगा।

चित्र 23.1 : भारत में लोकतन्त्र क्या है?

23.1.1 लोकतंत्र का आशय

बहुत पहले यूनाइटेड स्ट्रेटस ऑफ अमेरिका के पूर्व प्रेसीडेंड अब्राहम लिंकन ने कहां था कि लोकतंत्र जनता की सरकार जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा सरकार हैं 'डेमोक्रेसी' शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया' से निकला है जिसका आशय 'जनता का शासन' है, यह दो शब्दों 'डेमोस' जिसका अर्थ 'जनता' होता है और 'केटोस' जिसका तात्पर्य 'शक्ति' है को मिलाकर बना हैं। इसलिए लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है यह आशय ग्रीक शहर-राज्यों विशेषतया एकेन्स के कुछ प्रचलित सरकारों के अनुभव पर आधारित है एवं आज भी लोकतंत्र को सरकार के एक प्रकार के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। जिसमें जनता के पास सर्वोच्च शक्ति रहती है एवं जिसे वे सामान्यतया आवधिक तौर पर स्वतंत्र चुनावों से प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाते हैं। उक्त के अनुसार जब आम लोकतंत्र की परिभाषा का परिक्षण रहते हैं तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र की अधिकांश परिभाषएं लोकतंत्र को सरकार का एक स्वरूप मानती हैं जिसे चयनित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता हैं

यह कथन लोकतंत्र को राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करता हैं लेकिन क्या लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित किया जाए? क्या इस अवधारणा का सामाजिक सदर्भ में अथवा हमारी दैनिक जिन्दगी में स्वयं के संदर्भ में प्रासंगिता नहीं है?

क्रियाकलाप 23.1

लोकतंत्र को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है ब्रायस मानते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक आशयं सम्पूर्ण जनता के शासन से अधिक अथवा कम नहीं है जिनकी प्रभुसत्ता अपने मतों के द्वारा होगी।

मैकईवर (Maclver) का विचार है कि 'लोकतंत्र एक शासन का एक मार्ग नही है लेकिन प्रभुवतः यह निर्धारण वाने का तरीका है कि कौन शासन करेगा एवं व्यापक तौर पर क्या परिणाम होंगे।

इन परिभाषाओं में लोकतंत्र का कौन-सा स्वरूप राजनैतिक, सामाजिक अथवा स्व निहित हैं?

उक्त में आपने देख लिया है कि वर्तमान काल का लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं है। इसका आशय सरकार के एक ही स्वरूप से अधिक है। अपने व्यापक स्वरूप में लोकतंत्र ;पपद्ध राज्य का एक प्रकार ;पपपद्ध सामाजिक प्रणाली की एक पद्धति ;पअद्ध आर्थिक स्थिति का एक खाका एवं ;पअद्ध जीवन और संस्कृति का तरीका। अतः जब हम कहते है कि भारत में लोकतंत्र है तो हम मानते है कि न केवल इसकी राजनैतिक संस्थाएँ तथा प्रक्रियाएं लोकतंत्रीय हैं बल्कि यह कि भारतीय समाज एवं प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतंत्रीय है जिसके सामाजिक पर्यावरण एवं व्यक्तिगत व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्वता, धर्म निरपेक्षता एवं न्याय के मूल लोकतंत्रीय मूल्यों की झलक मिलती हैं।

क्रियाकलाप 23.2

एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी श्री अनिल एक संयुक्त परिवार में रहता है, उके दादा ने उसकी 13 साल की एक बहिन का विवाह निश्चित रह दिया है वह 18 वर्ष का है और वह बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा है न तो अनिल और न ही उसके माता-पिता जो राज्य सरकार में अधिकारी हैं दादा के इस निर्णय से सहमत हैं लेकिन इस बारे में कोई अपनी राम बता नहीं रहा है एवं उनके दादा ने भी किसी से कोई राय नहीं ली हैं क्या आप मानते है कि अनिल के घर में लोकतंत्र है? इस मामले में निम्नलिखित में से किस कथन को उपयुक्त मानते हैं और किस कथन को आप अनपयुक्त मानते है और क्यों?

1. उनकी बहिन की 13 वर्ष की आयु में विवाह करने का निर्णय अवोदनीय, अवैध एवं अनैतिक हैं।
2. परिवार के मुखिया द्वारा बालिका से परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया है जो बालिका के जीवन को अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित करेगा यह निर्णय युगो से परम्परागत तौर पर लिया गया हैं यह बताता है कि सामाजिक स्थिति अलोकतांत्रिक हैं।
3. परिवार के अन्य सदस्यों का व्यक्तिगत व्यवहार अलोकतांत्रिक है क्योंकि उन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं की है और वे निर्णय का अनुमोदन भी नहीं करते हैं।

23.1.2 लोकतंत्र की आवश्यक शर्ते

किसी प्रणाली को तभी वास्तविक एवं व्यापक लोकतंत्र परिभाषित किया जा सकता है ज बवह एवं जनता की सहभागिता एवं संतोष को राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को पूरा करते हैं। चलो हम उनकी पहचान करें उनकी दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं (क) राजनीतिक स्थिति एवं (ख) सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति-प्रथम की पूर्ति राजनीतिक लोकतंत्र को एवं दूसरी की पूर्ति सामाजिक लोकतंत्र को दर्शाता हैं।

निसंदेह, सबसे एवं महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की राजनीतिक स्थिति यह आवश्यक है कि किसी प्रणाली के लोकतांत्रिक होने के लिए हमें एक संविधान एवं विधि-अंगीकृत करना होगा क्योंकि जनता में सर्वोच्च शक्ति रहती है समानता, विचारों एवक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आस्था, गतिविधि संचार एवं संगठन जैसे मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए लोकतंत्रीय प्रणाली में विभिन्न स्तरों की सरकार के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के आधार के तौर पर समान मताधिकर होने चाहिए दूसरे अलावा सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अवसर नियमित अंतराल पर न केवल चुनाव के लिए वल्कि

टिप्पणी

राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में भी मिलने चाहिए। एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जिसके कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवादेह होगी। विधायिका जनता के प्रति और न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। राजनीतिक संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल एवं स्वार्थ एवं दबाव समूह (संगठन और गैर-सरकारी संगठन) को लोकप्रिया आवश्यकताओं, माँगों एवं समस्याओं को व्यक्त लाने के लिए क्रियाशील होना होगा। एक लोकतंत्रीय प्रणाली तब मजबूत होगी ज बवह स्वतंत्र प्रेस एवं संचार के अन्य माध्यमों से प्राप्त जनता की प्रबुद्ध राय को अपने विभिन्न स्वरूपों में ताल मेल बनाने के लिए शामिल कर सकती हो इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र मे उक्त सभी राजनीतिक विशेषताएं होती हैं क्या आप पिछले पाठ में चर्चा किए गए विचारों के संदर्भ में लोकतंत्र की कुछ और अनिवार्यताओ के बारे में सोच सकते हैं?

आप लोकतंत्र सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के उत्सुक होगें किसी लोकतांत्रिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक विकास लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मापदंडो के अनुरूप हो जो सामाजिक हैसियत की समानता और विकास के अवसरों, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण को प्रतिबिंबित करती है। नागरिकों को समान एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसरों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उन्हें आर्थिक विकास के साधनों के उपयो करने में सफल होना चाहिए आर्थिक विकास को सभी विशेषतया गरीब एवं समाज के बंचित वर्ग तक अवश्य पहुंचना चाहिए। व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक विकास सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है।

क्रियाकलाप 23.3

भारत की स्थिति पर विचार करें और कम से कम दो राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की पहचान करें जो वर्तमान में हैं और दो ऐसी स्थितियों जो भारतीय लोकतंत्र में नहीं हैं। नीचे दी गई तालिका में इन्हें लिखें एक उदाहरण आपके सहायतार्थ दिया गया हैं।

स्थिति	श्रेणी	विद्यमान/अविद्यमान
समान कार्य हेतु समान वेतन	सामाजिक-आर्थिक	अविद्यमान

पाठगत प्रश्न 23.1

1. राजनीतिक लोकतंत्र का क्या आशय है?
2. क्या आप सोचते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा तब तक अपूर्ण है जब तक इसे सामाजिक एवं व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता है? आपके उत्तर में इसके कारणों का उल्लेख करें।
3. राजनीतिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की कम से कम दो अनिवार्य स्थितियों का वर्णन करें।

टिप्पणी

23.2 भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ

भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है इसकी अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सराहना की जाती है इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सफलतापूर्वक अपनाया है सभी राजनीतिक कार्यालपों के लिए पंचायत से प्रेसीडेंट तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आवधिक चुनाव हुए हैं एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दल के गठबंधनों से दूसरे राजनीतिक दल में निर्वाध राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है जो राष्ट्रीय एवं राज्य दोनो स्तरे पर अनेक बार हुआ हैं। आप हमारे पडौसी देशों पाकिस्तान, म्यानासार एवं बंगलादेश में भी अनेक उदाहरण पाएंगे जहाँ शक्तियों का हस्तातंरण मिलिट्री हस्तेक्षेप से हुआ हैं।

विधायिका, कार्यपालिक एवं न्यायपालिका अंग अच्छी तरह से कार्यशील हैं संसद एवं राज्य विधिान मंडल प्रश्नकाल इत्यादि जैसे साधनों से कार्यपालिका पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखती हैं अति महत्वपूर्ण कुछ प्रभावशाली अधिनियम जैसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 शिक्षा का अधिकार 2009 एवं अन्य कल्याणकारी तरीकों से जनता को शक्तिशाली बनाया गया है जन-संचार मीडिया, प्रिंट एवं इलोक्टोनिक मिलाकर को पूरी स्वायत्तता है एवं वह जनता की राय को तैयार एवं प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जीवन के लगभग सभी स्थितियों प्रभावकारी परिवर्तन हो रहे हैं और राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं

भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताए हैं स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अविवसित राष्ट्र था हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं, व्यापक गरीबी, निरपेक्षता, बेरोजगारी और लगभग सभी जन कल्याण साधनों की कमी की स्वतंत्रता से नागरीकों को बहुत सी अपेक्षाएं की जैसा कि घ्पर कहा जाता है कि भारत बहुत प्रगति की हैं। तथापि, देश समाज के विभिन्न वर्गो की अपेक्षाओं की पूर्ति के मामले में अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, ये चुनौतियों वर्तमान में देशों एवं अन्तराष्ट्रीय तिथियों दोनों के साथ-साथ लोकतंत्र के निर्बाध कार्यशीलता हेतु पर्याप्त पूर्वपेक्षाओं की कमी से आई हैं। इनकी नीचे चर्चा की गई हैं।

23.2.1 निरक्षता प्राप्ति के

स्वतंत्रता समय भारत में लोकतंत्र के सफल कार्यशीलता हेतु व्यक्तियों में मैली निरक्षरता एक गंभीर चिन्ता की बात थी एवं यह अब भी एक मुख्य चेतावनी बनी है लोकतंत्र की सफल कार्यशीलता एवं देश की सामाजिक-आर्थिक विका के लिए दोनों ही नागरिकों का शिक्षा-स्तर महत्वपूर्ण है और शायद अत्यधिक महत्वपूर्ण यह मानव-सम्मान हेतु एक अनिवार्य शर्त हैं लेकिन भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के समय औपचारिक साक्षरता का स्तर निराशाजनक था। 1951 में पुरूषों मे 18.33 प्रतिशत एवं महिलाओं में 8.9 प्रतिशत नगण्य साक्षरता की अतः यह आशंका व्यक्त की गई थी कि नागरिक अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से अदा नही कर और मताधिकार को सार्थकता के साथ पूरा नहीं कर पाएंगे जो जन शक्ति का एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है।

जैसा कि आप जानते है कि इस आशंका के तथापि भारतीय मतदाताओं ने इन वर्षों में गलत सिद्ध कर दिया है उनके पर्याप्त संख्या में निरक्षर होने के बावजूद, उन्होंने अपने मताधिकार के अनेक के अनेक बार उपभोग कर परिपक्वता दिखा कर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक शाक्ति का शांतिपूर्ण हस्ताक्षरण किय हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस सन् 1970 के प्रारभ्भिक समय में लोकप्रिय एवं शक्तिशाली की लेकिन 1977 के आम चुनाव में, भारत की जनता ने 1975-77 के आपातकाल के दौरान शक्तियों का दुरूपयोग करने

के कारण उसे मुख्यतः अस्वीकार कर दिया और केन्द्र में जनता पार्टी के रूप में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार को अवसर प्रदान किया उसके बाद, केन्द्र और राज्यों की सरकार में लगभग नियमित तौर पर परिवर्तन होते रहें हैं।

चित्र 23.2 : शिक्षा शिक्षा प्राप्त करते हुए बच्चे

साक्षरता नागरिकों को न केवल चुनाव में भाग लेने एवं उनके मताधिकार को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने हेतु योग्य बनाती है बल्कि इसके और भी महत्वपूर्ण आयाम है नागरिको को साक्षरता से देश में विभिन्न पराजों, समस्याओं, मांगों एवं हितों की जानकारी मिलती हैं यह उन्हें सभी की स्वतंत्रता एवं समानता के मूल सिद्धान्तों का बोध कराता हैं एवे सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि समाज के सभी-हितों का सही प्रतिनिधित्व करें, अतः सार्वजनिक साक्षरता ही भारतीय लोकतंत्र के सफल कार्यशीलता हेतु आवश्यक हैं सन् 2011 की जनगणना के अनुसार यद्यपि साक्षरता 74.04 प्रतिशत तक बढ़ी है पर महिला साक्षरता दर 65. 46 प्रतिशत तक सीमित रही है इसका तात्पर्य है कि देश की एक चौथाई जनसंख्या अभी तक निरक्षर है जबकि महिलाओं में तीन में से एक महिला साक्षर है यदि बच्चे बनियादी शिक्षा पाते हैं तो निरसरता की समस्या रूक सकती है हाल ही में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है हमें आशा है कि इससे समानरूप से बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेंगी।

23.2.2 गरीबी

यह सामान्यता कहा जाता है कि एक भूखे इंसान के लिए वोट के अधिकार का कोई मतलब नहीं है उसके लिए परम प्राथमिकता भोजन है अतः गरीबी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है अतः वास्तव में यह सभी प्रकार के वंचनों एवे असमानता का मूल कारण हैं यह जनता को स्वस्थ एवं सफल जीवन जीने के अवसरों को नकारना हैं निसंदेह भारत को लंबे शोषण पूर्ण ब्रिटिश उपनिवेश शासन से गरीबी विरासत में मिली है लेकिन यह आज तक सबसे गभ्भीर समस्या बनी हुई हैं आज भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा जिसे बी बी एल कहते है, में रहती है गरीबी रेखा का तात्पर्य है कि आय का ऐसा स्तर जिसमें कोई व्यक्ति भोजन उससे भी कम कपडों और आश्रय (घर) की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता हैं वर्ष 1960 में गरीबी-रेखा की सरकारी परिभाषा में गरीबी की स्थिति व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली कॅलोरी की पोष्टिक स्तर वाली केवल न्यूनतम वांछित भोजन को खरीदने की आय

की राशि पर आधारित है इसके अनुसार भारतीय ertmotor@policybazoar.com स्थिति में गरीबी रेखा से घ्परे रहने हेतु ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन आंसतनं 2400 कॅलोरी और शहरी इलाकों में प्रतिदिन 2100 कॅलोरी की जरूरत होती है

सन् 1990 के दौरान गैर खाद्य मदें जैसे कपड़ा, रोजगार आश्रय (घर) शिक्षा इत्यादि को गरीबी की परिभाषा में शामिल किया गया था।

चित्र 23.3 अमीर लोगों के आस-पास गरीबी

इस समकालीन दौर में गरीबी अधिकारों की प्रणालीगत वंचन से सबद्ध है यह मबाृडउल हर (एच डी आई) धारजा से भी जुड़ा हुआ है। एच डी आई के परिपेक्ष्य में देखते हुए गरीबी की परिभाषा में सामाजिक आर्थिक-राजनीतिक एवं मानव अधिकार के मामले भी शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं

वर्तमान मापदण्डों के आधार पर योजना आयोग ने 2004-05 में अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 28.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत एवं पूरे देश में 27.5 प्रतिशत रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) मानव विकास रिर्पोट 2009 में विश्व के 182 देशों में भारत को 134 वॉ स्थान प्रदान किया गया था।

भारत में लगातार अवस्थित गरीबी के अनेक कारण हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण कायक वेरोजगारी एवं अवरोजगारी (अंडर एमप्लॉयमेंट) हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को नियमित एवं पर्याप्त काम नहीं मिलता शहरी क्षेत्रो में भी शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक है यद्यपि जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है तथापि बढ़ती हुइ जनसंख्या को भी गरीबी का एक कारण माना जाता हैं वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में असमर्थ रही हैं और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई को वाटा नहीं जा सका है। इस सभी कारणों से भारतीय लोकतंत्र के लिए गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

23.2.3 लैंगिक भेदभाव

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लड़कियों एवं महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव देखते हैं आपको भी हमारे समाज और राज्य मे लैंगिक भेदभाव का अनुमान हुआ होगा लेकिन हम जानते हैं कि लैंगिक समानता लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धान्त हैं भारतीय संविधान राज्य को इसके लिए उत्तरदायी बनाता है कि पुरुष एवं महिला के बीच समानता हो और महिलाओ के विरुद्ध कोई भेदभाव न हो।

मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त भी संविधान की इन बातों की बहुत स्पष्ट करते हैं।

चित्र 23.4 लड़की घरेलू कार्य करते हुए तथा लड़का स्कूल जाते हुए

लड़की घर का कार्य करते हुए तथा लड़का स्कूल जाते हुए बना हुआ है। यह स्पष्टतया लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात एवं जच्चा मृत्यु दर को प्रतिबिम्बित करता है, पुरुषोंकी तुलना में महिलाओं की संख्या सन् 1901 से घटती जा रही है 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का लिंग अनुपात का सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का है जो महिलाओं के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं कुछ राज्यों में सन् 2011 की जनगणना में हरियाणा में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं है और सबसे कम यह अनुपात दकण एवं दिव 618 महिलाओं और 866 महिलाओं का एनसीटी दिल्ली में है।

शिशु लिंग अनुपात भी एक गम्भीर चिन्ता का विषय है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात (6 वर्ष तक) प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 914 लड़कियों का हैं यह अनुपात प्रति 1000 लड़को पर 927 लड़कियों के 2001 की जनगणना से कम है, समाज में लड़को को प्राथमिकता जन्म से ही लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं लड़कियों की हत्या एवं कन्या भ्रूण हत्या इसकी गिरावट के प्रमुख कारण हैं आधुनिक तकनीक से लोग गताको को भ्रूण मादा शिशु का गर्भपात कराने हेतु मजबूर कर देते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शिशु मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। सन् 2004-06 में सेंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार जच्चा मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्म पर 254 की जिसे अत्यधिक माना जाता है।

क्रियाकलाप 23.4

सोनु खातुन असम की रहने वाली हैं वह उन बढ़ती संख्या में से एक दुल्हन है जिसका विवाह हरियाणा में हुआ था हरियाणा में पुरुषों एवं महिलाओं का लिंग अनुपात बहुत कम हैं रेड क्रास

टिप्पणी

सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसने देश में मादा शिशुओं की हत्या एवं मादा भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया है, 2010 की अपनी रिर्पोट में लिखा हैं कि हरियाणा के 21 जिलों में एक जिला भिवानी में 100 दुल्हनों को विवाह हेतु लाया गया था। 'दि इकानोमिस्ट, 4 मार्च 2010 प्रिंट एडीसन (इंटरनेशनल) से उद्धृत)

उक्त दिए गए प्रकरण को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

1. असम की रहने वाली सोनू खातून का विवाह हरियाणा में क्यों हुआ।

2. ऐसे कम से कम 3 राज्यों की पहचान करें जिनमें लिंग अनुपात बहुत कम है इन जनसांख्यिकीय सूननों के अलावा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में भी लैगिक भेदभाव बहुत स्पष्ट है भारत में सन् 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत का जबकि पुरुषों का साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत की महिलाओं के विरुद्ध रोजगार एवं सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व में भेदभाव होता हैं निसंदेह, 73वें एवं 74वे सवैधानिक संशोधनों 1993 से पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं तथा नगर-निगमों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रशस्त हुआ है तथापि, समाज में परम्परागत गौण स्थान होने के कारण उनकी प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी को सीमित कर देता हैं यह स्थिति कमोवेश प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के महिलाओं की है संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक अभी पारित करना शेष हैं जबकि संसद के दोनों सदनों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम हैं।

? क्या आप जानते हैं

बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2006 को पारित कर राज्य के त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित किया है राज्य मे इसके बाद हुए चुनावों में 54 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं की जीत हुई हैं राज्य में अब 2 लाख महिलाएं पंचायत की सदस्य हैं हिमाचल-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, ओडिसा, पश्चिमी बंगाल में भी पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हैं।

23.2.4 जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक कटटरवाद

भारतीय लोकतंत्र गभ्भीर चुनौतियों एवं जातिवाद साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक कटटरवाद का सामना कर रहा है। ये लोकतंत्रीय प्रणाली की कार्यशीलता एवं स्थिरता को कमजोर करते हैं।

(क) **जातिवाद :** अनुमान लगाया जाता है कि जाति-व्यवस्था का अभ्युदय प्राचीन समाज में श्रम विभाजन के संदर्भ में हुआ का जो धीरे-धीरे जन्म पर आधारित ककोर-समूह वर्गीकरण में परिवर्तित हो गया। क्या आपने समाज एवं अपने व्यक्तिगत जीवन में जातिवाद की भूमिका का अनुभव नहीं किया है? आप सहमत होंगे इसमें हुआ छूत की प्रथा जातिवाद का सर्वाधिक हानिकारक एवं अमानवीय पहलू है जिसमें सवैधानिक प्रतिबंध लगने के बावजूद यह प्रथा हमारे समाज से अलगांव हुआ एवं जिन्हें शिक्षा एवं अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा गया। दलित जातियों का किसी एक किस्म का दासोचित श्रम और समाज में सब से कठिन शारीरिक कार्य करना पड़ता हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियों में भी जातिवाद की नकारात्मक भूमिका रही है वास्तव में, जातिवाद का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक

लाभ के लिए जातिवाद लोकतंत्र के मौलिक तत्वों का विरोधी है लोकतंत्र से उपलब्ध समानता भाषण एवं अभिव्यक्ति एवं संघ की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अवसर, स्वतंत्र मीडिया एवं प्रेस एवं विद्यायिकी विद्यायिका मंच का दुरूपयोग प्रायः जातिगत पहचान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता हैं

सामाजिक-आर्थिक असमानता को कायम रखने हेतु जातिवाद भी उत्तरदायी है यह सच है कि भारत अनादिकाल से एक असमान समाज रहा है। अनुसूचित जातिवाद (एस सी) सूचित जन जातियाँ (एस टी) एवं पिछड़ी जातियों वर्षों से सामाजिक-आर्थिक लाभ से वंचित रही हैं हमारे समाज की जाति आधारित असमानता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गम्भीर चुनौती बनी हुई हैं।

जाति एवं राजनीति के मिश्रण से जातियों का राजनीतिकरण एवं अति गंभीर स्थिति है एवं वर्तमान भारतीय राजनीति में जातिवादकरण से हमारे लोकतंत्र में गम्भीर चुनौतियों उत्पन्न हो गई हैं। वर्तमान उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के युग के बावजूद, जातिगत चेतना हमारे समाज से कम नहीं हुई है और जातियों को अधिकांशत वोट-बैंक राजनीति के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ख) **साम्प्रदायिकता :** भारत में साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद ने एक खतरनाक एवं मभावह रूप ले लिया है ये हमारे बहुधर्मी समाज में हमारे सह-अस्तित्व के ढांचे को तोड़ रहे हैं साम्प्रदायिकता भारत की राष्ट्रीय एकता का निरादर करता है और इसके एक पंथ निरपेक्ष संस्कृति के विकास के मार्ग में बड़ा बाधक है यह हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थायत्वि के लिए खतरा एवं मानवीय एवं मिश्रित संस्कृति की यशस्वी परम्राए को बर्बाद कर रहा है प्रायः सम्प्रदायिकता को धर्म या रूढ़िवादिता का पर्यायवाची माना जाता है अपने धर्म वे प्रति निष्ठा एवं धार्मिक समुदाय से लगाव साम्प्रदायिकता नहीं है।

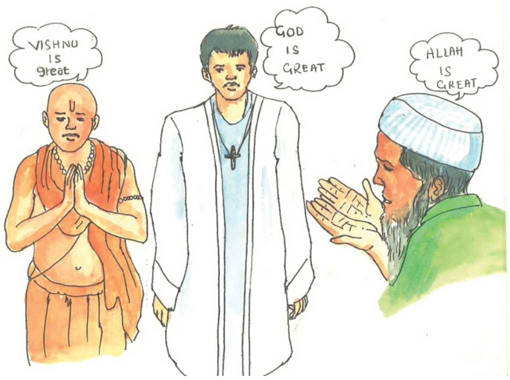

चित्र 23.5: मेरा धर्म सबसे महान है

यद्यपि रूढिवादिता सामाजिक पिछड़ापन दर्शाती है तो पर भी इसे साम्प्रदायिकता नही माना जा सकता है वस्तुतः साम्प्रदायिकता किसी धार्मिक समुदाय से कट्टरपंथी आधार पर जुड़े रहने की राजनीतिक विचारधारा है यह एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय से विरोध करती है और दूसरे समुदाओं को अपना दुश्मन समझती है यह पंध निरपेक्षता तथा यहाँ तक मानवतावाद की भी विरोधी है। सांम्प्रदायिकता का एक प्रमाणन समुदायिक दंगे है पूर्व में हाल ही के वर्षो में कई समय पर साम्प्रदायिकता हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए गम्भीर खतरा साबित हुई है। क्या आप हाल के वर्षो में हुए साम्प्रदायिक घटनाओं को याद कर सकते है?

(ग) **धार्मिक कट्टरवाद :** धार्मिक कट्टरवाद भी साम्प्रदायिक ताकतों को धर्म एवं राजनीति दानों को शोषण करने को बढ़ावा देता है वस्तवः कट्टरवद एक विचारधारा की तरह कार्य करती है जो रूढ़िवाद की वापसी की वकालत करता है और धर्म की कट्टरता के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करता है। धार्मिक कट्टरवादल प्रगामी सुधारों का कठोरता से विरोध करती है जिससे वे अपने संबंधित समुदायों पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित कर सकें।

23.2.5 क्षेत्रीयवाद

भारतीय लोकतंत्र क्षेत्रीयवाद से भी संघर्ष कर रहा है जो मुख्यतः क्षेत्रीय विषमता एवं विकास की असमानता का परिणाम हैं। हम सभी जानते है कि भारत एक बहुसंख्यक देश है जिसमें धार्मिक, भाषागत, सामुदायिक, जनजातिगत तथा सास्कृतिक विविधताएं सदियों से विद्यमान हैं बहुत से सांस्कृतिक एवं भाषागत समुदाय कुछ खास क्षेत्रों में रहते है यद्यपि विकास का उद्देश्य देश सभी क्षेत्रों की वृद्धि एवं समान विकास रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आधारभूत सरंचना एवं सेवा, जनसंख्या स्थिति तथा औद्योगिक एवं कृषि विकास के संबंधित क्षेत्रीय विषमताएं एवे असंतुलन विद्यमान हैं राज्यों के बीच एवं एक राज्य के विभिन्न इलाकों के मध्य असमान विकास के होने एवं जारी रहने से लोगो में उपेक्षा, वंचन एवं पक्षपात की भावना पैदा करता है। ऐसी स्थिति से क्षेत्रीयवाद पनपा है जिसके कारण नए राज्यों के निर्माण स्वायत्तता, राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांगे और पकड़ रही हैं।

यह सोच है कि भारत जैसे विशाल एवं बहुसंख्यक देश में क्षेत्रीयवाद या उप-क्षेत्रीयवाद का होना अस्वाभाविक नहीं है परन्तु क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीयवाद हितों का समर्थन देने अथवा उनका पोषण करने के प्रत्येक प्रयास को विभाजक, विखंडक अथवा देश-विरोधी प्रवृति नहीं कहा जा सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन हितों का राजनीतिराज किया जाता हैं । और क्षेत्रीय आंदोलनों को गलत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय देशभक्ति कैंसर के समान एवं विघटनकारी है लगातार क्षेत्रीय असमानता से हमारे देश के कुछ भागों में उग्रवादी आंदोलन प्रारम्भ हो गए हैं जम्मू तथा कश्मीर अथवा असम में यूएलएमए (यूनाइटेड लिबरेशन फंड ऑफ असम) के अलगाववादी मांगें अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न समूहों की मांगे भारतीय राजनीति के लिए चिन्ता का विषय है।

23.2.6 भ्रष्टाचार

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के लिए चिन्ता का विषय है 2010 में ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (सीवीआई) में भ्रष्टाचार के आधार पर भारत को 178 देशों की सूची में 95 वॉ स्थान प्राप्त हुआ वास्तविकता में भारत में भ्रष्टाचार जीवन` हर क्षेत्र में व्याप्त है चाहे वह भूमि और सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि परिवहन, पुलिस, सैन्यबल, यहाँ तक कि धार्मिक संस्थानों अथवा तथाकथित अध्यात्मिक क्षेत्र के स्थानों में हो भ्रष्टाचार राजनीति, नौकरशाही एवं कारपोकेट क्षेत्र के तीनों स्तरों में गुप्त अथवा प्रत्यक्ष तरीके से विधमान है कोई भी राजनेताओं, नौकरशाहों एवं औद्योगिकों के मध्य ऐसा संबंध देख सकता है जो भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट कार्यों को अंजाम देता हैं भ्रष्टाचार के तारों ने सरकार के सभी अंगों, न्यायपालिका को मिलाकर को प्रभावित किया हैं सब से प्रमुख चिन्ता का विषय निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा मतदान करने वाले विभिन्न स्तर के मतदाताओं को घूस देकर मतदान करवाने की प्रथा आम हो गई हैं।

टिप्पणी

क्या पिछले कुछ समय में आपने अथवा आपके मित्रों ने चुनाव प्रक्रिया में ऐसा होते हुए देखा हैं हाल ही के वर्षो में देश में एक के बाद एक कई बड़े-बड़े घोटाले सामने आए है वस्तुत भ्रष्टाचार राजनीतिक आस्थिकता एवं संस्कागत ह्रास का प्रतीक हैं जो शासन की वैधता एवं औचित्या को गम्भीरता से चुनौती दे रहा हैं आइए हमें एक नागरिक होने के नाते, हम यह प्रतिज्ञा करते है कि हम सभी स्तरों पर भ्रष्ट व्यवहारों से दूर रहें और देश से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में सहयोग देंगें।

चित्र 23.6 भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

23.2.7 राजनीति का अपराधीकरण

हाल ही वे वर्षो में, भारत में राजनीति में अपराधीकरण एक बहस का मुद्दा हो गया है यह आरोप लगाए जा रहे है कि राजनीति में कुछ ऐसे तत्व है। जिन्हें लोकतंत्रीय मूल्यों एवं व्यवहारों में विश्वास नहीं है वे हिंसा में लिप्त रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए अन्य हानिकारक अलोकतंत्रीय तरीकों का सहारा लेते हैं निसंदेह, राजनीति में यह हानिकारक पृवति है और ऐसी प्रवृतियों की रोकथाम की तुरंत आवश्यकता हैं।

श्राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्रीय मूल्यों को नकारना है और इसका लोकतंत्रीय ढ़ाचे में कोई स्थान नहीं हैं लोकतंत्र को लोकतंत्रीय मूल्यों को अपनाकर उन्हें विकसित कर सशक्त बनाना है और अपराधिक कार्यकलापों को दूर करना है।

हाल ही में राजनीति में अपराधी प्रवृतियों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायपालिका ने ऐसे तत्वों पर पूरी रोक लगाने निवारणात्क उपाय लागू करने के संकेत दिए हैं इस मामले को केन्द्रीय सरकार एवं बहुत से राज्य सरकारें गंभीरता से लेकर प्रभावी कदम उठा रही हैं। यह बड़े संतोष एवं स्वध्य संकेत हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सफलता से कार्यशील है हम एक जागरूक नागरिक एवं संसार में सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता के रूप में ऐसे व्यक्ति को हतोत्सहित करने में सहयोग करें जिसमें कोई अपराधिक भूमिका वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा न हो।

23.2.8 राजनीतिक हिंसा

हमारे साथ हिंसा बहुत लम्बे समय से रही हैं किन्तु राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का उपयोग किसी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा हैं भारत में हमने कई प्रकार की हिंसाए देखी हैं साम्प्रदायिक हिंसा जातिवादी हिंसा तथा राजनीतिक हिंसा जिसने सामान्यतया गम्भीर रूप ले लिया हैं साम्प्रदायिक दंगों को राजनीतिक धार्मिक एवं आर्थिक कारणों से निहित स्वार्थ के लिए कराया जाता है जातिवादी हिंसा विभिन्न रूपों में बढ़ती जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में विकास, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन एवं हरित एवं श्वेत क्रांति के बावजूद समाज में सामंतवादी तत्वों का बोलबाला बना हुआ हैं उच्च एवं मध्य जातियों के बीच हितों का गम्भीर टकराव हुआ हैं एवं जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आक्रात्मक प्रति द्वन्द्विता होने लगी है जो प्राय हिंसा को जन्म देती है

चित्र 23.7 विरोध हिंसक होता हुआ

दलित एवं निम जातियों, विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारो के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावशाली ढंग से उन अधिकारों का दावा करने की प्रवृति के कारण उच्च जातियों द्वारा की जाने वाली तीखी प्रतिक्रिया से भी जातिवादी हिंसा बढ़ी हैं चुनावों के दौरान या तो मतदाताओं को मत देने के लिए बढ़ावा देने अथवा उन्हें मत नहीं देने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है इसके साथ ही अलग राज्य की सीमा में बदलाव लाने की माँगों के लिए भी हिंसा का सहारा लिया जाता है हिंसा का प्रयोग औद्योगिक हड़ताल किसानों के आंदोलन तथा छात्र-आन्दोलनों में भी बार-बार किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 23.2

1. किस प्रकार निरक्षरता, असमानता एवं गरीबी, भारतीय लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
2. क्या आप सहमत हैं कि लोकप्रिय मनोरंजन के चैनलों या फिल्मों के द्वारा महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को चित्रित करती हैं औचित्य के साथ उदाहरण प्रस्तुत करें

3. जातिवाद अथवा साम्प्रदायिकता हमारे दैनिक जीवन तथा भारतीय लोकतंत्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं इसे दो उदाहरण देकर स्पष्ट करें।
4. क्या क्षेत्रीयवाद एवं उप-क्षेत्रीयवाद, भारतीय लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं तथापि इन्हें चुनौतियों क्यो माना गया है?
5. भारत में राजनीति के अपराधीकरध्ण के कौन-कौन से कारण हैं।
6. भारत में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि के कौन-कौन से कारण हैं?

23.2 सुधारक उपाय

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया हैं कि भारतीय लोकतंत्र गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहा हैं वस्तुतः स्वतंत्रता आन्दोंलन का नेतृत्व करने वाले एवं विशेषकर संविधान निर्माता इन मुद्दों की जानकारी रखते के उन्होंने इसलिए इसके निराकार हेतु अनेक सवैधानिक उपबंध प्रदान किए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारों ने भी इन अनेक चेतावनियों के समाधान हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ में पर्याप्त सुधार हुआ हैं तथापि अभी बहुत कुछ करना बाकी हैं जिसके लिए प्रयास जारी हैं सरकारी एजेंसियों राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी एवं नागरिकों में मध्य सामान्य समन्वय की जरूरत है कुछ अपनाए गए महत्वपूर्ण सुधारक उपायों को इस प्रकार कार्यांन्वित किया जा सकता हैं।

23.3.1 समान साक्षरता सब के लिए शिक्षा

संविधान-निर्माताओं ने लोकतंत्र के प्रभावी कार्यशीलता हेतु शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को पूरी तरह से समझा हैं इसीलिए 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफत एवं अनिवार्य शिक्षा भारत की सवैधानिक प्रतिबद्धता हैं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों की अनेक सरकारें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार में निरक्षरता को समाप्त करने हेतु 1988 में सर्वशिक्षा अभिमान के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई लेकिन अभी भी समान साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई वर्तमान में 'साक्षर भारत' नामक कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरे देश में हो रहा हैं इसक लक्ष्य 15 वर्षों से अधिक आयु वाले सभी वयस्कों को प्रयोजनमूलक साक्षरता एवं संस्कात्मक ज्ञान बढ़ाना है ताकि वे अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेसिक साक्षरता से आगे जारी रखें इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकाक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा हैं इसके अतिरिक्त, भारतीय संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया हैं।

चित्र 23.8

23.3.2 गरीबी उन्मूलन

भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु 1970 से ही अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं (i) इसमें गरीबों को गरीबी रेखा से असर उठाने के लिए साधन या कौशल या दोनों प्रदान किए जाते हैं ताकि वे इसका उपयोग कर अधिक आमदनी अर्जित करने में सक्षम हो सकें (ii) जिसके अन्तर्गत गरीबों एवं भूमिहीनों को अस्थायी तौर पर सवैतनिक नौकरी दी जाती है।

क्या आप जानते हैं

स्वर्णजयन्ती ग्राम रोजगार योजना (एस जी एसक वाई) 1999 में ग्रामीण इलाकों में लघु उद्यम विकास की एक ग्रामोपयोगी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसकों ग्रामीण गरीबों के स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) जो क्षमता निर्माण, कलस्टर कार्यकलापों की आयोजना, संरचना सहयोग, तकनीकी, साख, मार्केटिंग सम्बद्धता को संगठित करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम ने अनेक ग्रामीण गरीबों को फायदा पहुचाया उदाहरणार्थ तमिलनाडू के धामपुरी जिले के मधूर गांव में एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) ने आठ स्वयं सहायता समूह के 100 महिलाओं को फल प्रोसेसिंग में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने मई 2000 में सत्यमूर्ति महालियर मंडरम ने नाम पर फल प्रोसेसिंग इकाई एंजीएसवाई के सहयोग से पंजीकृत करायी है। यह इकाई फलों को स्वेश, जॉम, तत्काल सर्व करने वाले पेय-पदार्थ, अचार आदि उत्पादित करती है समूह-सदस्यों की आर्थिक हैसियत में वृद्धि करने के साथ-साथ इकाई ने सदस्यों को अधिक जानकारी दी जिससे सरकारी योजनाओं, कैम्पस और प्रचार मे सक्रिय रूप से जुड़े हैं उन्होंने अपने गांव में मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रतिविधित्व देकर इलाके के समग्र विकास करने में सहयोग दिया हैं।

इसी प्रकार व्यवाहर ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण आर्थिक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसक अगला उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना हैं। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता हैं और इसके प्रारम्भ होने से इसने प्रत्येक वर्ष रोजगार के 27 करोड़ कार्य दिवस पैदा किए हैं, रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) 1778 सूखों, रेगिस्थान, आदिवासी तथा पहाड़ी वाले इलाकों में कार्यान्वित होती हैं यह कार्यक्रम अल्प कृषिकार्य के मौसम में शारीरिक कार्य के रूप में रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्वान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों लोगों के लिए आजीविका सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा हैं इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन सहित रोजगार की गारंटी दी जाती है जिस परिवार का वयस्क सदस्य अनुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं।

23.3.3 लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन

अब यह स्वीकार किया जा रहा है कि 'जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा' को लोकतंत्र का लक्ष्य तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा जब तक महिला जनसंख्या को सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के सभी पहलुओं में उसे शामिल नहीं किया जाता है, यही

टिप्पणी

व्याख्या है क सवैधानिक प्रविधानों के अतिरिक्त महिलाओं के विकास हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं नीतियों बनाई गई हैं उन्हें कार्यान्वित किया गया है महिलाओं के विकास हेंतु संस्थागत सुधार किए गए हैं। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन राजनीतिक महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया के मील के पत्थर हैं। इन संशोधनों से पंचायती राज संस्थानों, नगर पालिकाओं एवं नगर-नियमों की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं अन्य महत्वपूर्ण उत्थान 2001 से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करना है जिसके उद्देश्य महिलाओं उत्थान के मार्ग में अग्रसित करना, उसे विकसित करना और उसका सशक्तिकरण करना हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुत कुछ करना शेष हैं।

? क्या आप जानते हैं

महिला शक्तिक क्या आप जानते हैं? राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं उत्थान के मार्ग में अग्रसित करना, उसे विकसित करना एवं उसका सशक्तिकरण करना हैं, विशेषतया इन नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं

(i) महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के द्वारा एक वातावरण बनाना जिससे वे अपनी पूरी क्षमता की पहचान कर सकें।

(ii) राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को समान सहभागिता एवं निर्णय लेने के अवसर

(iii) महिलाओं को स्वास्थ्य, सभी स्तरों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जीवन-वृति एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिलब्धियाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक कार्यालय इत्यादि में पूरे अवसर।

(iv) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु विधिक प्रणाली को मजबूत करना एवं

(v) महिला एवं मादा बच्चे के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को खत्म करना।

23.3.4 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाना

भारत की योजना बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है, क्षेत्रीय असमानता को घटाने के प्रयास हो रहे हैं इसके अलावा कुछ राज्यों के अपने अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के विशेष प्रयास किए जा रहे है ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विशिष्ट पहलुओं का ध्यान रखने के लिए विगत दो अथवा तीन शाब्दियों से केन्द्र

द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में लागू किए जा रहे केन्द्र के प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं? कुछ प्रमुख कार्यक्रम (i) जनजाति विकास कार्यक्रम

(ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (iv) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (v) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एवं (iv) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

प्रत्येक विकास योजना के बजट में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाता है जिसका उपयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता हैं

यद्यपि अविकसित इलाकों के विकास का राष्ट्रीय दायित्व है लेकिन राज्य एवं स्थानीय नेतृत्व की इसमें अहम भूमिका रहती हैं जब तक स्थानीय नेतृत्व -राजनीतिक, नौकरशाही एवं बुद्धिजीवी संबंधित क्षेत्र की जनता के साथ समाज स्तर पर लोगों के शेयर आधारित विकास को स्वीकार नहीं करेंगे तो परिणाम मुश्किल से आएंगे स्त्रोतो की वास्तविक कमी नहीं है। बल्कि स्त्रोतों के व्यय के तरीकों की मूलमहत्ता रहती है।

23.3.5 प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार

उक्त सभी सुधारक उपायों की सफलता प्रशासन की प्रभावी कार्यशीलता एवं न्यायिक व्यवस्था के स्वतंत्र एवं न्यायसंगत होने पर निर्भर करती है, लेकिन दोनों के संबंध में उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती हैं। माह में सार्वजनिक प्रशासन का कार्य-निष्पादन विगत कुछ वर्षो से सूक्षम परीक्षण में आया है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार अदशतापूर्ण कार्यशीलता, अपव्यय एवं नागरिकों की जरूरतों के प्रति उदासीनता जैसी सामान्य प्रचलित समस्याओं से ग्रस्त हैं निसंदेह, भारतीय न्यायपालिक स्वतंत्र एवं तटस्थ रही है लेकिन विलम्ब के साथ-साथ बैक लौंक से मामलों का धीमा निपटान एवं (ii) फौजदारी मामलों की अभियोजना की बहुत कम दर

सरकार के एजेंडा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार के एजेंडा में लगातार प्रशासनिक सुधार का मुद्दा रहा है इस संबंध में कई आयोग एवं समितियों गढ़ित की गई लेकिन उनके सुझावों पूर्ण रूप से लागू न करने के कारण इसमें कोई सुधार नहीं हो सके क्योंकि इसके लिए नौकरशाही में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा रही है इन आयोगों एवं समितियों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं (i) प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना (ii) गुणवत्तापूर्ण शासन संचालन की क्षमता बढ़ाना (iii) शासन में लोगों की भागीदारी एवं शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं स्थानान्तरण (iv) प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना (v) लोक-सेवकों में कार्य-निधादनं एवं ईमानदारी को उन्नत करना (vi) प्रशासन में आचार-संहिता लागू करना (vii) ई-गवर्नेन्स के लिए तैयार रहना

न्यायपालिका में सुधार लाना बहुत समय से एक चिन्ता का विषय बना है कई अवसरों पर अनेक सिफ़ारिशें की गई हैं इस बारे में विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं (i) नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना (ii) पुराने कानूनों को निरस्त करना (iii) न्यायाधीशों की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करना (vi) न्यायपालिका में रिक्त पदों को समय वहु तरीके करना (डी) न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण में पारदर्शिता (ई) न्यायिक जवाबदेही (एफ) न्यायालय कार्यवाही में पारदर्शिता

23.3.6 दीर्घकालिन विकास (आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय)

यदि भारत दीर्घकालीन मार्ग पर चलता रहे तो यहाँ के लोकतंत्र सभी चुनौतियों का पर्याप्त उत्तर दे सकता हैं करोडों लोगों की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना विकास

का कोई प्रतिमान लोकतंत्र में बने रहने को सहायक नहीं हो सकता हैं विकास को हमेशा हमेशा मानव-केन्द्रित होना चाहिए और सभी लोगों की जीवन की गुणवत्ता को वेहतर बनाने की ओर निर्देशित होना चाहिए। इससे गरीबी, अज्ञानता भेदभाव, रोग तथा बेराजगारी को हटाने के प्रत्यनों पर केन्द्रित रहना चाहिए। विकास प्रक्रिया का उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास होना चाहिए।

? क्या आप जानते हैं

दीर्घकालीन विकास संसाधनों के उपयोग की ऐसी प्रकृति है। जिसका उद्देश्य पर्यावरण का सरंक्षण करते हुए मनुष्य की न केवल आज की बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता हैं। इस शब्द का प्रयोग बुन्टलैण्ड आयोग द्वारा 1987 में किया गया जो दीर्घकालीन विकास की अधिकांशत दी जाने वाली परिभाषा हैं इस परिभाषा के अनुसार दीर्घकालीन विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ कोई समझौता किए बिना आज की पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा करता हैं।

पाठगत प्रश्न 23.3

1. भारत में सामान्य साक्षरता, गरीबी उन्मूलन तथा लैगिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?
2. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए आवश्यक कदमों की चर्चा करें?
3. भारत में प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार के लिए क्या किया को शक्ति प्रदान करता हैं

23.4 लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका

भारत के नागरिक के रूप में क्या हम लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका को सही ढंग से समझते हैं? क्यों यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है? सामान्यतया यह समझा जाता हैं कि सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों को उनकी सत्ता का आदर करना चाहिए और उनकी आशा का पालन करना चाहिए लोग शासित होने के लिए ही है लेकिन क्या आप यह नहीं सोचते है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली जो इसके नागरिक है उन्हें न तो एवं निष्क्रिय समझना चाहिए न कि मानना चाहिए और न उन्हें शासित मानना चाहिए वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल मुखर एव ंतो सकता है जब उसके नागरिकों में बुनियादी मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय, जवादेही एवं सभी के लिए आदर की उनकी मनस्थिति, सोच एवं व्यवहार को आत्मसात एवं चिन्तन हो सके उन्हें अपने वांछित भूमिकाओं के अवसरों को समझना चाहिए एवं लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

23.4.1 नागरिकों की भूमिका के अवसरों की समीक्षा

लेकतांत्रिक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के अवसर सभी लोकतंत्रों में उपलब्ध रहते हैं लेकिन उनकी भूमिकाएं एक-दूसरे से भिन्न रहती हैं। आधुनिक स्वरूप में भारत में लोकतंत्र का प्रारम्भ एक लम्बे उपनिवेशी शासन के बाद हुआ है। यद्यपि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्थों का प्रारम्भ हो गया क्या पर भारत का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश लोकतांत्रिक परिवेश के अनुकूल नहीं था। भारत एक विशाल, बहु-सास्कृतिक, बहु भाषा भाषी तथा सही अर्थो मे बहुसंख्यक समाज है और यह कई अर्थो में परम्पराबद की विशिषताओं को कायम रखे हुए हैं। दूसरे साथ ही यह आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भी आत्मसात कर रहा हैं आज भी बहुत से लोग मानते है कि सरकार को शासन करना हैं और सब कुछ करना हैं और यदि काम अपेक्षित ढंग से नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए भी सरकार ही दोषी होती हैं आय जानते है कि हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार चलाई जाती हैं इस सिलसिले में भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर कार्यरत सरकारों के काम करने के लिए उत्तरदायी हैं इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसे अपनी भूमिका के प्रत्येक अवसर क उपयोग करना चाहिए क्या भारतीय नागरिक अपनी भूमिकाओं का विवहिन करते है, इन्हे अपनी भूमिका-निर्वहन के निम्नलिखित अवसर उपलब्ध हैं।

(क) भागीदारी

सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है इस तरह की भागीदारी करने के अवसर चुनावों में अपने मताधिकार को प्रयोग करते समय सभी नागरिकों को मिलते हैं बुद्धिमनी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक विभिन्न उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के विचारों को सुने व जाने। इस आधार पर नागरिक यह निर्णय वे कि उसका मत किसको मिलेगा लेकिन यह भी पाया गया है कि बहुत से मामलों में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता हैं चुनाव आयोग लोगों को चुनाव में शामिल होकर इसकी महत्ता के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हैं

तथापि लोकतंत्र के नागरिकों की भागीदारी मात्र चुनावों में मतदान करने या चुनाव की अन्य प्रक्रियाओं में माग लेने तक ही सीमित नहीं हैं राजनीतिक दलों या स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य के रूप में काम करना भी भागीदारी हैं गैर सरकारी संगठनों को 'सिविल सोसाइटी' संगठन भी कहते हैं ये महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, श्रमिकों, डाक्टरों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, धार्मिक आस्था रखने वालों, मानव अधिकार कार्यकताओं आदि समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे संगठन ताथा आम लोगों के आंदोलन विभिन्न मुद्‌दों के संबंध में लोगों के मध्य जानकारी फैलाते हैं।

(ख) व्यवस्था की उत्तरदायी बनाना

श्राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करना ही पर्याप्त नहीं हैं नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी एवं अनुकूल बनाना भी आवश्यक हैं संविधान में कार्यकारणी को तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया है। लेकिन नागरिकों को यह आवश्यक है ि कवे सांसदों, राज्य विद्यायिकाओं के सदस्यों एवं पंचायती राज की संस्थाओं, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाएं 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा उपलब्ध गाए गए साधनों के उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिक निम्न सकते हैं।

नागरिकों पर जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचना प्राप्त करने को दायित्व होता है, उन पर राजनीतिक नेताओं एवं प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सत्ता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, इसे ध्यान से देखने का भी दायित्व होता है, और वे अपनी राय एवं हितों को व्यक्त भी कर सकते है। जब नागरिकों को लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही हैं तब वे इस पर मीडिया के द्वारा सवाल उठा सकते है, और सरकार से संस्तुतियों एवं भागों की जवाबदेही ले सकते है। यदि सरकार तब भी वादों को पूरा करने में असफल होती है, तो नागरिक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर सकता है, सिविल अवज्ञा या असहयोग अभियान चला सकते है; ताकि सरकार को उत्तरदायी बनाया जाए।

(ग) दायित्वों की पूर्ति

हमें इस बात को समझना चाहिए कि नागरिकता मतदान करने या व्यवस्था को जवाबदेय बनाने से कहीं बढ़कर है। कई लोग लोकतंत्र को ऐसी प्रणाली मानते हैं जहाँ प्रायः सभी चीजों की अनुमति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वो जो चाहे कर सकता है। इससे अक्सर समाज के हालात बेहतर होने के बदले ये पूरी तरह से अव्यवस्थित एवं तबाह हो जाते हैं। इस प्रकार से यह लोकतंत्र के विपरीत प्रभावों को ओर बढ़ता है। किसी भी नागरिक को यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वतंत्रता कभी भी सम्पूर्ण नहीं होती है। यदि आपको कुछ कार्य करने के अधिकार प्रापत होते हैं तो आपका यह दायित्व भी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यों से दूसरों के अधिकार प्रभावित न हों।

23.5 सुधारातमक उपायों के क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक भूमिका

लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय तभी क्रियान्वित हो सकते हैं जब नागरिक सकारात्मक भूमिा निभाएँ। नागरिकों को कानून का आदर करना चाहिए और हिंसा को अमान्य। प्रत्येक नागरिक को अपने सह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपनी मानवता पर गर्व करना चाहिए। किसी को भी राजनीतिक विरोधी को केवल इसलिए दुष्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसके विचार आपसे अलग है। लोगों को चाहिए कि वे सरकार के निर्णयों पर प्रश्न उठाएँ, लेकिन सरकार के अधिकारों को अमान्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक समूह का अधिकार होता है कि ये अपनी संस्कृति को अपनाए और इसका अपने मामलों पर कुछ नियंत्रण हो, लेकिन प्रत्येक समूह को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह एक पुरूष प्रधान समाज का एवं एक लोकतांत्रिक राज्य का हिस्सा है।

जब आप अपनी राय व्यक्त करने हैं, तब आपको अन्य लोगों को विचारों को भी सुनना चाहिए। चाहे लोगों का मत आपसे भिन्न ही क्यों न हो। प्रत्येक का यह अधिकार होता है कि उसे सुना जाए। जब आप कुछ माँग करते हैं, तब आपको यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में, सबके लिए यह असंभाव होता है कि वह जो भी चीज चाहता है वह उसे मिल जाए। लोकतंत्र में आपसी सहयोग की जरूरत होती हैं। यदि एक समूह को हमेशा बाहर रखा जाता है और उसे सुना नहीं जाता है, तो वह गुस्से एवं प्रतिशोध के कारण लोकतंत्र का विरोधी बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने का इच्छुक होता है और अन्य लागों का सम्मान करता है, को यह अधिकार होना चाहिए कि सरकार देश को किस प्रकार चला रही है, उस बारे में वे अपनी राय दे सकें।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि नागरिकों को अपनी राय बनानी बहुत आवश्यक है, कारण लोकतंत्र में यदि आपा अपनी राय नहीं बनाते हैं तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपा का निर्णयों से भी सहमत हैं जिन्हें आप अनुचित मानते है। आपने क्रिया कलाप 23.2 में देखा कि किस तरह अनिल के परिवार के सदस्य परिवार के मुखिया के निर्णय के विरोध में अपनी राय नहीं बनाते हैं।

क्रियाकलाप 23.5

अब जब आप समझ ही गए हैं कि एक लोकतांत्रिक नागरिक की क्या भूमिका होती है, आपको यह पता लगाने में मजा आएगा कि आप स्वयं कितने लोकतांत्रिक हैं?

नीचे की टेबल में कुछ कथन दिए गए हैं, बताएँ यक कथन सही हैं या गलत।

क.सं.	कथन	सही/गलत
1.	2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम हैं जो नागरिकों द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं।	
2.	आपके समाज में प्रत्येक को समान दर्जा प्राप्त है, चाहे वह (स्त्री/पुरूष) किसी भी आर्थिक या सामाजिक वर्ग का क्यों न हो।	
3.	आपके परिवार में, स्त्रियों और बालिकाओं को हमेशा पुरूषों एवं बालकों के बराबर नहीं समझा जाता है।	
4.	आप मानते हैं कि आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करे।	
5.	महिलाओं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।	

पाठगत प्रश्न 23.4

1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं?
2. एक आम नागरिक के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फोरम या साधन क्या हैं?
3. रिक्त स्थान भरो:

   (अ) यदि आपके पास कुछ चीजें करने का अधिकार है, तो आपका यह सुनिश्चित करने का .... भी होना चाहिए कि आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य दूसरों के .... का हनन न करे।

(ब) नगरिकों को .... का सम्मान करना चाहिए और .... को अमान्य करना चाहिए।

(स) प्रत्येक समूह को यह अधिकार होता है कि वह अपने .... को अपनाएं और स्वयं के मामलों में कुछ .... भी रखे।

(द) जब कोई नागरिक अपना .... व्यक्त करता है तब उसे दूसरों के .... को भी सुनना चाहिए।

आपने क्या सीखा

- लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है और जनता इस सत्ता का प्रयोग नियमित अन्तराल में होने वाले स्वतन्त्र निर्वाचनों में एक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। लेकिन लोकतंत्र को केवल राजनीतिक सन्दर्भ में ही नहीं बल्कि सामाजिक सन्दर्भ और व्यक्ति के स्वयं के संन्दर्भ में भी परिभाषित किया जाता है।
- किसी शासन व्यवस्था को प्रामाणिक एवं व्यापक लोकतंत्र या सफलतापूर्वक क्रियाशील लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शर्तों को पूरा करें। इन शर्तों की पूर्ति के आधार पर एक दी गई व्यवस्था में आप दो तरह के लोकतंत्र देख सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र।
- भारतीय लोकतंत्र ने इनमें से अनेक आवश्यक शर्तों को पिछले कई वर्षों में पूरा किया है। लेकिन यह अनेक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जिनके चलते हमारे लोकतंत्र में कई बार ऐसी विकृतियाँ सामने आई हैं, जो भावी खतरें की और इशारा करती है। निरेक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, गरीबी लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, राजनीतिक हिंसा तथा उग्रवाद प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना करने की जरूरत है।
- भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ ऐसे सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत है जो सार्वभौम साक्षरता, अर्थात सब के लिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव को मिटाना, क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार तथा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास जैसे मुद्दों पर केन्द्रित हों।
- लेकिन लोकतंत्र तभी सफल एवं व्यापक हो सकता हैं जब इसके नागरिक अपने चिन्तन तथा व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व एवं सब के लिए आदर जैसे लोकतात्रिंक मूल्यों को आत्मसात करेंगे। यह भी आवश्यक है कि नागरिकों मनः स्थिति विचार और व्यवहार लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों के अनुकूल हो निभाने के लिए अवसरों का सम्मान करना चाहिए। भागीदारी करना, व्यवस्था को जवाब देय बनाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना भी जरूरी है।

पाठान्त प्रश्न

1. लोकतंत्र को पारिभाषित करें। लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में ही पारिभाषित क्यों नहीं किया
2. सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों की जा सकती है? व्याख्या कीजिए।
3. भारतीय लोकतंत्र कें सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? ये चुनौतियाँ किस प्रकार एक प्रभावशाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाने के संभावित अवसर है? व्याख्या कीजिए।
4. भारत में विरोध एवं हिंसा के प्रचलन की जाँच कीजिए। कुछ विरोध हिंसात्मक आंदोलनों में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं।
5. भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन-किन महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को करना आवश्यक है?
6. भारतीय समाज तथा सरकार के अनुभवों के सन्दर्भ में लोकतंत्र में नागरिकों की अपेक्षित भूमिका की चर्चा कीजिए।
7. सही अर्थों में भारतीय नागरिक होने के लिए एक व्यक्ति में कौन-कौन से गुण होने चाहिए?
8. एक अच्छे नागरिक के कुछ गुणों की बताइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

23.1

1. लोकतंत्र को सरकार के एक ऐसे स्वरूप की तरह परिभाषित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित रहती है और जिसका जनता द्वारा प्रयोग नियमित अन्तराल में होने वाले स्वतंत्र चुनावों में एक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मूलतः लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसको जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं।
2. लोकतंत्र की परिभाषा तब तक अपूर्ण रहती है, जबतक उसे सामाजिक एवं व्यक्तिगत सन्दर्भों में भी परिभाषित नहीं किया जाये। वर्तमान युग में यह मात्र सरकार के एक स्वरूप से अधिक है। अपने व्यापक रूप में लोकतंत्र का अर्थ है सरकार का एक स्वरूप, (ii) राज्य का एक प्रकार (iii) सामाजिक व्यवस्था का एक ढाँचाए (iv) आर्थिक की एक रूपरेखा (v) संस्कृति तथा जीवनयापन का एक तरीका। अतः जब हम यह कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है तो हम इसका अर्थ केवल यही नहीं समझते कि यहाँ की राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ लोकतान्त्रिक हैं, बल्कि भारतीय समाज तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक भी लोकतान्त्रिक है। जहाँ व्यक्तियां के चिन्तन और व्यवहार में समानता, स्वतन्त्रता, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता और न्याय जैसे लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिबिम्बित होते हैं।

टिप्पणी

3. किसी व्यवस्था को प्रामाणिक लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब वह

   (अ) निम्नलिखित राजनीतिक शर्तें पूरी करता है (i) एक संविधन जिसकी सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है और यह बुनियादी अधिकारों जैसे समानता, चिन्तन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आस्था, एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने तथा संचार की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है; (ii) प्रतिनिधियों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता हो तथा (iii) एक उत्तरदायी सरकार हो, जिसमें कार्यकारिणी विधायिका के प्रति एवं विधायिका जनता के प्रति जवाब देय हो।

   (ब) निम्नलिखित सामाजिक एवं आर्थिक शर्तें पूरी करता है (i) ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्थिति की समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण जैसे लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं मानकों की करती हो; तथा (ii) व्यवस्था जो ऐसी स्थिति बनाने में मदद करें। जिसमें आर्थिक विकास के प्रतिफल सबको तथा विशेष रूप से गरीब एवं समाज के वंचित वर्गों को मिलें।

23.2

1. निरक्षता, असमानता तथा गरीबी भारतीय लोकतंत्र की कार्यशीलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ;पद्ध; निरक्षर नागरिक प्रभावशाली भूमिका निभाने में सक्षम नहीं होते हैं और ना ही वे अपने मताधिकार का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। जो जनशक्ति की एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। साक्षरता नागरिकों को देश के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं माँगों तथा हितों के बारें में जागरूक बनाती है, स्वतन्त्रता और सब की समानता के सिद्धातों के प्रति चैतन्य बनाती है तथा यह सुनिश्चित करती हद्दै कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि समाज के सभी हितों का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करें। ;पपद्ध गरीबी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह सभी तरह की वंचनाओं एवं असमानताओं की जड़ है; यह लोगों को स्वस्थ एवं पूर्ण जीवन जीने के अवसरों से वंचित रखती है।

2. हैं लोकप्रिय मनोरंजन चैनल टेलिविजन में दिखाए जानेवाले एवं फिल्में प्रायः लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करती हैं। सच तो यह है कि सीरियल परम्परागत रूप से प्रचलित पारिवारिक सम्बन्धों को प्रबलित करते हैं तथा महिलाओं को माता, बहन, पत्नी, पुत्री, सास तथा बहू की परम्परागत भूमिकाएँ निभाते हुए दिखलाते हैं। यह सच है कि कुछ सीरियल इन परम्परागत भूमिकाओं पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, लेकिन उनमें भी लैंगिक भेदभाव प्रतिबिम्बित होता रहता है।

3. जातिवादः छूआछूत की प्रथा जातिवाद का सर्वाधिक हानिकारक एवं अमानवीय पहलू है जो सवैधानिक प्रतिबंध के बावजूद हमारे समाज में जारी है। दलित अभी भी भेदभाव एवं वंचनाओं के शिकार हैं। इसके कारण तथाकथित निचली जातियों का अलगाव हो रहा है तथा उन्हें शिक्षा तथा अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा जो रहा है। दूसरा उदाहरण जातिवाद के राजनीतिकरण का है। जातिवाद का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए का शोषण करके जातिगत चेतना अनुचित लाभ उठाने की रणनीति के रूप में हुआ है। जातिवाद लोकतंत्र के मूल तत्वों का विरोधी है। साम्प्रदायिकता; यह बहुधार्मिक भारतीय समाज में सह-अस्तित्व की सहज प्रक्रिया मार्ग में अक्सर बाधा उत्पन्न करती है। देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बद

से ही हो रहे साम्प्रदायिक दंगे सामाजिक शान्ति और भाईचारे के लिए खतरा बने हुए है। इसके अलावा कट्टरपंथियों द्वारा चुनावों में तथा अन्य अवसरों पर धर्म का दुरूपयोग हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालता है।

4. यद्यपि देश की विकास प्रक्रिया का उद्देश्य सभी क्षेत्रों की प्रगति एवं उनका विकास करना रहा है, फिर भी क्षेत्रीय असमानता एवं असन्तुलन बने हुए हैं। क्षेत्रीय असमानता की मौजूदगी एवं उसकी निरंतरता जो प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की स्थिति, जनसंख्या स्थिति तथा राज्यों के बीच एवं एक ही राज्य के भीतर औद्योगिक एवं कृषि के सतर के रूप में होती है, उपेक्षा, वंचना और भेदभाव की भावना पैदा करती है।

5. एक लम्बे अर्से से भारतीय राजनीति में बाहुबल का प्रभाव जीवन की सच्चाई रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने एवं चुनावी दृश्यों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपराधी तत्वों की सहायता लेने है। पिछली शताब्दी के छठे दशक तक अपराधीगण छुपकर राजनीतिज्ञों को चुनाव जीतने में मदद करते थे, ताकि राजनीतिज्ञ बाद में उन्हें संरक्षण प्रदान करें। लेकिन अब भूमिकाएँ बदल गई हैं। अब राजनीतिज्ञ ही अपराधियों से संरक्षण प्राप्त करते हैं।

6. कृषि संबंधी विकास, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति जैसे विकास कार्यों के फलस्वरूप उच्चतर एवं मध्य जातियों के बीच हितों का संघर्ष राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण बन गया है। दोनों जाति वर्गों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए आक्रमक प्रतिद्वन्द्विता होने लगी है, जिसके चलते अक्सर राजनीतिक हिंसाएँ होती हैं। इसका दूसरा कारण तथाकथित निम्न जातियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा प्रभावशाली ढंग से उन अधिकारों का दावा करने की प्रवृत्ति की उच्चतर जातियों द्वारा किया जाने वाला अवरोध हो। इसके अतिरिक्त अलग राज्य बनाने की माँग राज्यों के पुनर्गठन तथा सीमा में परिवर्तन आदि माँगों के साथ भी राजनीतिक हिंसा जुड़ी होती है। जैसाकि हमने देखा है, आंध्र प्रदेश में तेलांगना को राज्य बनाने का आन्दोलन प्रायः हिंसक हो जाता है। औद्योगिक हड़ताल, कृषकों के आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन तथा अन्य कई आन्दोलनों के दौरान भी हिंसाएँ होती है।

23.3

1. साक्षर भारत नामक एक देशव्यापी कार्यक्रम सार्वभौम साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। भारत की संसद् ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिरिनयम पाारित किया, जिसके द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं - (i) गरीबों को गरीबी रेखा में ऊपर लाने के लिए उन्हें साधन या कुशलता या दोनों प्रदान किए जाते हैं ताकि वे इनका उपयोग कर अधिक आमदनी अर्जित कर सकें ; (ii) गरीबों तथा भूमिहीनों को अस्थायी तौर पर सवैतनिक रोजगार दिया जाता है

2. राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्रयत्नों को अतिरिक्त

कई केन्द्र समर्थित कार्यक्रम पिछले दो से तीन दशकों से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विशिष्ट पहलुओं कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं (i) जनजाति विकास कार्यक्रम; (ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम; (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम; (vi) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम।

3. प्रशासनिक सुधारों के लिए, निम्नांकित संस्तुतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है (i) प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना; (ii) गुणवत्तापूर्ण शान संचालन की क्षमता विकसित करना; (iii) शासन में लोगों की भागीदारी तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रशासन को उन्मुख बनाना; (iv) प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना; (v) लोकसेवकों में कार्य निष्पादन तथा निष्ठा को उन्नत बनाना तथा (vi) ई-प्रशासन के लिए तत्परता को बढाना।

   न्यायपालिका में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है (i) नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना; (ii) पुराने कानूनों को निरस्त करना; (iii) न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करना; (iv) न्यायधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाना; (v) न्यायिक उत्तरदायित्व कायम रखना तथा (vi) न्यायालय की कार्यवाही को पारदर्शी बनाना।

4. दीर्घकालीन विकास संसाधनों के उपयोग की ऐसी प्रतिकृति है जिसका उददेश्य पर्यावरण का सरंक्षण करते हुए मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना है ताकि यह केवल आज की जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य में आनेवाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। जब विकास मानव-केन्द्रित होता है तथा सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की ओर निर्देशित है तो इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी को हटाने पर केन्द्रित रहना चाहिए।

23.4

1. लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति में नागरिकों की भागीदारी केवल चुनावों में भाग लेने तक सीमित नहीं होती। भागीदारी का एक प्रमुख रूप राजनीतिक दलों की सदस्यता के रू` में तथा इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण, 'सिविल सोसाइटी संयण' के नाम से लोकप्रिय स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन की सक्रिय सदस्यता है। ये संगठन महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, श्रमिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों, धार्मिक आस्था रखने वालों तथा मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं जैसे अलग-अलग समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. नागरिकों को लोकतान्त्रिक व्यवस्थ को उत्तरदायी एवं प्रतिसम्वेदी बनाना हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सांसद, राज्य विधायिकाओं के सदस्य तथा पंचायती राज एवं नगर निगमों में उनके प्रतिनिधि उत्तरदायी हों। 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। नागरिकों को इस बात पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है कि उनके प्रतिनिधि एवं राजनीतिक नेता अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा अपने विचारों एवं हितों को भी अभिव्यक्त करते रहना जरूरी है।
3. (अ) कर्तव्य, अधिकारों
   (ब) कानून, हिंसा
   (स) संस्कृति, नियंत्रण
   (द) राय, विचार

24

राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता

आपने हमलोगों का राष्ट्रगान 'जन गण मन' सीखा होगा तथा गाया भी होगा। विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के समारोहों के दौरान आपने अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर इसे गाया होगा। कभी कभी आप यह जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि यह राष्ट्रगान किन विचारों को व्यक्त करता है? इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों एवं नदियों के नाम क्यों शामिल किए गए हैं? तथा इसमें समुद्र की क्यों चर्चा की गई है? आप इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्रगान गाते समय हम सभी अपने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं इसका आदर करते हैं। तथा इसके विजय की कामना करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों तथा नदियों का नाम लेते हुए हम अपने देश की विविधता में एकता को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। आपने देश की एकता एवं अखण्डता की आवश्यकता पर केन्द्रित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों या लेखों को पढा होगा या इस विषय पर टेलीविजन में हुई चर्चाओं को देखा होगा। यह सच है कि देश की एकता एवं अखण्डता, अर्थात राष्ट्रीय समाकलन हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित मुद्दों का विश्लेषण करने के दौरान पंथ निरपेक्षता को देश की एक आधारभूत विशेषता बताया जाता है। यह कहा जाता है कि पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय समाकलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। इस पाठ में आप इन्हीं दो प्रमुख विषयों राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरेक्षता के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा कर लेने के बाद आप :

- राष्ट्रीय समाकलन के अर्थ तथा महत्व को समझ सकेंगे;
- इसकी समीक्षा कर सकेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के विरूद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय समाकलन में मदद की;
- भारतीय संविधान में राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियों की पहचान कर पायेंगे;

- पंथ निरपेक्षता के निहितार्थों को समझ सकेंगे; तथा
- एक व्यक्ति की भारत के नागरिक के रूप में तथा परिवर्तन के एक एजेंट की तरह हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने की भूमिका की समीक्षा कर सकेंगे।

24.1 राष्ट्रीय समाकलन

24.1.1 राष्ट्रीय समाकलन अर्थ एवं महत्व

राष्ट्रीय समाकलन पर चर्चा करने से पहले इसका अर्थ समझ लेना बेहतर होगा। इस पद में दो अर्थ हैं? राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहां की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहां के लोगों में सामान्य इतिहास समाज संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लांघती है। सामान्य अर्थ में इसी भावना को राष्ट्रीय समाकलन कहते हैं। राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं उनकी जातियां भिन्न भिन्न हैं, उनका धर्म और उनकी संस्कृति अलग अलग है वे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं लेकिन वे सभी तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि वे एक हैं। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय समाकलन को सुनिश्चित करने का अर्थ एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण निर्मित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति निष्ठा को समूह निष्ठाओं से तथा देश के कल्याण की संकीर्ण साम्प्रदायिक हितों से उपर रखने की प्रेरणा है। – डोरोथी सिम्पसन

हम यह जानते हैं कि भारत महाविविधताओं वाला देश है। यहां विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं तथा अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। उनकी जीवनशैली में भी काफी विविधता है किन्तु इस व्यापक विविधताओं के बावजूद ये सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी अनेक धार्मिक पहचान हो सकती है, जैसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी। उनकी पहचान पंजाबी, तमिल, मलयाली, बंगाली या मणिपुरी के रूप में अथवा दक्षिण या उत्तर या उत्तर-पूर्वी भारतीय के रूप में हो सकती है, किन्तु उनकी राष्ट्रीय पहचान सर्वोपरि है।

क्या आप जानते हैं

पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, "राजनीतिक समाकलन तो हो गया है लेकिन मैं जिसके लिए प्रयत्नशील हूं वह उससे भी अधिक गहन है। वह है भारत में लोगों का भावनात्मक समाकलन ताकि हमारी प्रशंसनीय विविधताओं को बरकरार रखते हुए ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय एकता का निर्माण करें।

राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हों। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। हमारी जनसंख्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। यहां दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है, जैसे हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख तथा पारसी। क्या आप धर्मों की पहचान नीचे दिए चित्र में उनके प्रतीक से कर सकते हैं। भारत में लोग एक हजार से भी अधिक भाषाएं बोलते हैं। पहनावे, खान-पान की आदतों तथा सामाजिक रिवाजों में भी बहुत अधिक विविधताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे देश में विविधताएं हैं। ऐसी ही स्थिति मौसम के संबंध में भी हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व हैं। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है, तथा अपने भारतीय साथियों के धर्मों तथा उनकी संस्कृतियों का आदर करना पड़ता हैं। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो। राष्ट्रीय समाकलन हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तथा इसके विकास के लिए भी आवश्यक है।

चित्र 24.1 धर्मों के प्रतीक चिन्ह

कार्यकलाप 24.1

प्रायः यह दावा किया जाता है कि क्रिकेट भारत में एक धर्म जैसा है। आप भी यह अनुभव किए होंगे, कि जब क्रिकेट का खेल होता है तो ऐसा लगता है कि लगभग पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा है। हमारे क्रिकेट के लिए खिलाड़ी देश के विभिन्न भागों तथा विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के हैं। लेकिन वे देश के लिए एक ईकाई की तरह खेलते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों के लोग उनके इस खेल के साथ तन्यमयता से जुड़े रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रत्येक जीत का उत्सव मनाते हैं तथा हार पर अपनी निराशा प्रकट करते हैं। क्या राष्ट्रीय समाकलन का इससे बेहतर उदाहरण हो सकता है? इस अनुभव पर आधारित कम से कम 5 युवकों का निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार इकटठा कीजिए। ये युवक आपके वर्ग के प्रार्थी या आपके पड़ोस में रहनेवाले हो सकते हैं।

1. क्रिकेट के सम्बन्ध में भारतीय वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा उपर कहा गया है?

2. लोग क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लगभग पूजा क्यों करते हैं, यद्यपि वह खिलाड़ी किसी दूसरे क्षेत्र या राज्य का रहनेवाला होता है तथा इसका धर्म या उसकी जाति अलग होती है?

3. ऐसे और कौन से अवसर हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति एक भारतीय की तरह व्यवहार करता है, एक बिहारी या मराठी या तेलुगू या ब्राह्मण या दलित की तरह नहीं? इन उत्तरों का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के महत्व को समझिए।

पाठगत प्रश्न 24.1

1. खाली स्थानों को भरिए :

   (i) राष्ट्र एक ऐसा देश है ....

   (ii) राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक .... का बोध है।

   (iii) इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक .... के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है।

   (iv) भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों जैसे .... का आचरण होता है।

2. राष्ट्रीय समाकलन क्यों जरूरी है?

24.1.2 राष्ट्रीय आन्दोलन तथा राष्ट्रीय समाकलन

आपको ऐसे अवसर याद होंगे जब आपने पढा था या आपसे कहा गया था कि प्राचीन युग में भारत देश था। हां जिस भारत को हम आज देखते हैं वह प्राचीन युग से ही बना हुआ हैं लेकिन इसके अस्तित्व मात्र भौगोलिक रहा है। क्योंकि यह अनगिनत राजवाड़ों में विभाजित था। उनमें सांस्कृतिक समानताएँ थी, किन्तु यह आज की तरह का एकीकृत तथा समाकलित राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत प्रशासनिक दृष्टि संगठित हुआ। ब्रिटिश शासकों ने अनेकों रजवाड़ों पर कब्जा किया तथा अन्य पर परोक्ष रूप सेअपना शासन स्थापित किया। भारत का एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक अस्तिव कायम हुआ, किन्तु लागों में राष्ट्रत्व की भावना तथा संवेदनशीलता नहीं थी। बल्कि ब्रिटिश शासकों की तो विभाजित करो और शासन करो की रणनीति थी। उन लोगों ने प्रमुख रूप से हिन्दुओं तथा मुसलमानों में साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। साथ यहाँ के लोगों की आर्थिक विकास की उपेक्षा ने देश को अधिक विभाजित किया।

पहलीबार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवदेनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मो, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथो के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके।धविशेष रूप से 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के झण्डे के नीचे देश के सभी भागों के लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। चूँकि ब्रिटिश शासकों ने ''विभाजित करो और शासन करो'' की नीति

अपनाई थी, राष्ट्रीय आन्दोलन ने देश के लोगों में एकता को मजबूत करने पर बल दिया। आन्दोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

कार्यकलाप 24.2

जैसा आप जानते हैं, देश के प्रत्येक भाग के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा अनेकों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी आपके राज्य के भी होंगे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की एक सूची तैयार कीजिए जो आपके राज्य के हों। आप ऐसा करने के लिए अपने परिवार तथा पडोस के बुजुर्ग सदस्यों, शिक्षकों या अन्य लोगों की सहायता ले सकते हैं।

24.1.3 राष्ट्रीय समाकलन और भारतीय संविधान

जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष अनेक समस्याएँ थीं। राष्ट्रीय समाकलन तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी समय देश का दो भागों, भारत तथा पकिस्तान में विभाजन हुआ था। इस दौरान देश सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगो के दौर से गुजरा था। बहुत लोगों को शरणार्थियों की तरह उन क्षेत्रों को छोडकर दूसरे क्षेत्रों में भागना पडा था, जहाँ वे पीढियों से रह रहे थे। आपने कुछ फिल्मों में तथा टेलीविजन पर वैसे दृश्य देखें होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय नेतृत्व के समक्ष रजवाड़ों को देश में समाहित करने से संबंधित जटिल मुद्दे थे। कई अन्य कारण भी थे जिनमें देश की एकता और अखण्डता के लिए समस्याएँ उत्पन्न करने की क्षमता थी।

क्या आप जानते हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भारत दो तरह के क्षेत्रों में विभाजित था एक क्षेत्र को ब्रिटिश इन्डिया के नाम से जाना जाता था तथा दूसरे प्रकार के क्षेत्र में 562 स्वतन्त्र रजवाडे थे। पहला क्षेत्र ब्रिटिश शासकों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में था, जबकि दूसरे पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो रजवाड़ों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हुए, लेकिन बाकी सभी भारत में शामिल हो गए। लेकिन हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर तथा जूनागढ़ रजवाड़े स्वतन्त्र रहना चाहते थे। साथ ही मणिपुर तथा त्रिपुरा के संबंध में भी कुछ समस्याएँ थीं।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के कारण भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में ही राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्छुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। संविधान देश की विविधता का आदर करते हुए देश की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने का भी

प्रयास करता है। इसलिए संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है। आपने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सम्बंधित पाठों का अध्ययन करते समय ऐसा पाया होगा।

क्या आप जानते हैं

मौलिक कर्त्तव्यों के अंतर्गत किए गए कई प्रावधान राष्ट्रीय समाकलन को सबल बनाते हैं। निमलिखित महत्वपूर्ण हैं:

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, तथाा राष्ट्रगान का आदर करना।
- स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्ररित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय मे सँजोए रखना और उनका पालन करना;
- देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
- भारत के सभी लोगो में ऐसी समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।
- ऐसी समेकित संस्कृति गौरवशाली परम्परा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
- सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
- व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरन्तर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू ले।

पाठगत प्रश्न 24.2

1. खाली स्थानों को भरिए :

   (क) ब्रिटिश शासन के दौरान भारत भौगोलिक दृष्टि से एकीकृत हुआ लेकिन यह एक . ... राष्ट्र नहीं था।

   (ख) स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार .... की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ

   (ग) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न .... के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके।

   (घ) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का गठन .... में हुआ था।

2. क्या आप यह मानते हैं कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बल देता है? कैसे?

24.1.4 राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियाँ

जैसा कि हमलोगों ने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय समाकलन की अनके चुनौतियाँ थी। यद्यपि उन समस्या का समाधान करने के अनेक उपाय किए गए हैं, चुनौतियाँ जारी हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :

क. साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता वैसी सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है, जिसका सामना भारत वर्षो से करता आया है। यह तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरूद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धता को बढ़ावा देती है तथा देश की एकता एंव अखण्डता के लिए खतरा पैदा करती है। ऐसा होने की संभावनाएँ भारत जैसे देश में अधिक रहती हैं। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही साम्प्रदायिकता से परेशान है। हम यह जानते हैं कि ठीक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम लोगों को सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी देश के विभिन्न भागों में अनको बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

कार्यकलाप 24.3

स्वतंत्रता के बाद हुए कम-से-कम 3 साम्प्रदायिक दंगों को बताइए। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं या इन्टरनेट के माध्यम से उन दंगो के संबंध में तथ्य एकत्रित कीजिए। क्या आपने भारत में हुए सांप्रदायिक दंगो पर बनी किसी फिल्म का नाम सुना है या देखी है? यदि आपने नहीं तो आपके बुजुर्गो या दोस्तों ने देखी होगी। उन लोगों से उस फिल्म के बारे में सूचना इक्ट्ठा कीजिए। वैसी सूचनाएँ इन्टरनेट से भी उपलब्ध की जा सकती हैं।

उपर्युक्त दोनो पर एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए। उसमें यह विश्लेषित कीजिए आप सांप्रदायिक दंगों के बारे मे क्या सोचते हैं?

क. क्षेत्रीयवाद

क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय समाकलन के मार्ग में एक अन्य बाधा है। कई अवसरों पर यह लोगों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की कीमत पर भी क्षेत्रीय हितों को बढावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सोच हो सकती है कि निर्णय लेने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की समस्याओं को उठाना तथा उस क्षेत्र की उचित मांगो को पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य करना आवश्यक होता है। यह सोच यथोचित लगती है क्योंकि वे मांगे क्षेत्र की सच्ची शिकायतों पर आधारित हो सकती हैं। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो। वे मांगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर भी आधारित हो सकती हैं।

पिछले छः दशकों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद देश के सभी क्षेत्रों का वांछित ढंग से विकास नहीं हो पाया है। अन्य कारणों के साथ-साथ वांछित सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होने से

भी अलग राज्य के गठन के लिए मांगें होने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी बार क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर आधारित आंदोलनों के कारण राज्यों का पुनर्गठन किया गया है?

लेकिन कई बार क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करता है तथा लोगो में दूसरे क्षेत्रों के हितों के विरूद्ध नकारात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयवाद हानिकारक होता है। अनेक अवसरों पर क्षेत्रीय विरोध तथा प्रदर्शन राजनीतिक सोच पर आधारित होते हैं।

आक्रामक क्षेत्रीयवाद तो और भी अधिक खतरनाक होता है, क्योकि यह अलगाववादी हो जाता है। इस तरह की भावनाओं के अनुभव आसाम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कुछ भागों से हमें प्राप्त हो रहे हैं।

चित्र 24.2 दार्जिलिंग आन्दोलन

कार्यकलाप 24.4

क्षेत्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप कुछ राज्यों को विभिजित कर नए राज्यों का निर्माण हुआ है। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा प्रमुख रूप में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद बहुत से नए राज्यों का निर्माण हुआ है। सबसे हाल में छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड राज्यों का निर्माण हुआ है। इन तीनों में से प्रत्येक राज्य एक एक राज्य को विभाजित कर के बनाया गया है। नए राज्य के निर्माण के लिए आन्दोलन जारी है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित कार्य कीजिए :

1. उन तीन राज्यों की पहचान कीजिए, जिनको विभाजित कर छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखण्ड राज्य बनाए गए हैं।
2. उस प्रस्तावित राज्य का नाम बताइए जिसे आंध्रप्रदेश को विभाजित कर निर्मित करने के लिए आन्दोलन हो रहा है।

ग. भाषावाद

हम यह जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। भारत के लोग लगभग 2000 भाषाएँ तथा बोलियाँ बोलते हैं। इस बहुलवादिता का कई अवसरों पर, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक दशकों में, नकारात्मक उपयोग हुआ है। प्रत्येक देश को एक सामान्य राजभाषा की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा है। जब संविधान सभा में यह संस्तुति की गई कि हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाय तो लगभग सभी गैर हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। एक समझौते के अंतर्गत संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया लेकिन यह भी प्रावधान किया कि 15 वर्षो तक अंग्रेजी का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रयोग होता रहेगा।

जब 1955 में गठित राज-भाषा आयोग ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की सिफरिश की तो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका व्यापक विरोध हुआ। वैसे विरोध एवं प्रदर्शन एक बार फिर 1963 में हुए जब लोक सभा में राज-भाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया। अतः एक समझौता के तहत 1963 के अधिनियम के द्वारा सरकारी काम-काज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई तथा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

? क्या आप जानते हैं

हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने के विराध में होने वाले आंदोलनों के समय विभिन्न भाषा समूहों को संतुष्ट करने तथा राष्ट्रीय समाकलन को बढावा देने के लिए एक त्रिभाषीय फॉरमुला को विकसित किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी। हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा के पढ़ाए जाने की व्यवस्था हुई। इसके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाएगी। यद्यपि इस फॉरमुला को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित करने के प्रयास किए गए है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है।

यघपि भाषा पर आधारित राज्य की मांग को 1956 में किए गए राज्यों के पुनर्गठन के समय व्यापक तौर पर पूरा किया गया था देश के कुछ भागों में अभी भी आंदोलन चल रहें है। वैसे आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए अनेक चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

घ. उग्रवाद

देश के कई भागों में चलाए जा रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपने नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये आंदोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारीगणों तथा लोगों की जान लेते हैं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करते हैं। ऐसे आंदोलन में प्रायः युवा भाग लेते हैं। युवाओं के द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक आर्थिक

विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। इसके अतिरिक्त दैनिक अपमान, न्याय का नहीं मिलना, मानवाधिकारों का उल्लंघन, विभिन्न प्रकार के शोषण तथा राजनीतिक हाशिए पर बने रहना उन्हें नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी हो इस तरह के उग्रवादी आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा हैं।

चित्र 24.3 जंगल में नक्सलवादी

24.1.5 राष्ट ्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले कारक

यद्यपि उपर्युक्त चुनौतियाँ अभी भी कायम हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को ठोस आधार प्रदान करते हैं। वे हैं :

क. सांविधानिक प्रावधान

जैसा हमने देखा है जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और वन्धुत्व को भारतीय राजनीतिक पद्धति के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व नयायसंगत आर्थिक विकास करने, सामाजिक भेदभाव का उन्मूल करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एंव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान राष्ट ्रीय समाकलन की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

ख. सरकारी पहल

राष्ट्रीय समाकलन को बढावा देने के लिए सरकारों द्वारा पहल किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परषिद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है।

ग. राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक

राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गांधी जयन्ती जैसे राष्ट्रीय त्यौहार सभी भारतीय द्वारा देश के सभी भागों में मनाए जाते हैं, चाहे उनकी भाषा, उनका धर्म या उनकी संस्कृति कुछ भी हो। हमलोग प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तथा शपथ लेते हैं। इस दिन को '' कौमी एकता दिवस'' भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद

दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है। इसीलिए इन प्रतीकों के प्रति उचित आदर दिखाने को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये सभी हमारी सामान्य राष्ट्रीयता की याद दिलाते रहते हैं।

? क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय एकता की शपथ का प्रारूप निम्नलिखित है : "मैं सत्य निष्ठा से देश की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा मजबूत बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने की शपथ लेता हूँ। मैं और आगे प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र या अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों से संबंधित सभी मतभेद और विवाद शान्तिपूर्ण एवं सांविधानिक साधनों द्वारा सुलझा लिए जाने चाहिए।"

घ. अखिल भारतीय सेवाएँ तथा अन्य कारक

अखिल भारतीय सेवाएँ (आई. ए. एस., आई. एफ. एस., आई. पी. एस तथा अन्य) एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, डाक तथा रेडियों, टेलीविजन एवं इन्टरनेट सहित संचार तन्त्र भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बढ़ावा देते हैं। आप यह जानते होंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर होती है, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं। उनमें से बहुत राज्य स्तर पर लम्बा अनुभव पाने के बाद केन्द्र सरकार में काम करने आते हैं। तथा पूरे देश के लिए नीति निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं। आप रेडियो द्वारा राष्ट्रीय घटनाओं पर होने वाले प्रसारण को सुना होगा या टेलिविजन पर उन घटनाओं को देखा होगा। क्या यह सच नहीं कि देश के सभी भागों के लोग ऐसा करते हैं?

कार्यकलाप 24.5

कल्पना चावला का अन्य अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ अन्तरिक्ष में जाना या भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व कप जीतना जैसी कुछ घटनाएँ पूरे देश को एक सूत्र में बाँधते हैं। कुछ ऐस खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय नायक हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे व्यक्तित्त्व हैं जिनका पूरे भारत में आदर किया जाता है। आप निम्नलिखित पर कम से कम 5 ऐसे व्यक्तियों का विचार एकत्रित कीजिए जो आपके मित्र, वर्ग के शिक्षार्थी, परिवार के सदस्य, शिक्षक, या अन्य हो सकते हैं :

1. वह कौन सा भारतीय व्यक्तित्त्व है जिसे पूरे देश में लोगों द्वारा सबसे अधिक आदर किया जाता है?
2. वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे पूरे देश के अधिकतम युवा अपना आदर्श मानते हैं?
3. वे कौन सी राष्ट्रीय घटनाएँ है जिनके टेलीविजन पर होने वाले प्रसारण को पूरे देश के लोग देखते हैं या रेडियो द्वारा होनेवाले प्रसारण को सूनते हैं,
4. कम-से-कम ऐसे दो ऐसी भोजन वस्तु का नाम बताइए जिन्हें भारत के सभी भागों के लोग पसन्द करते हैं।

एकत्रित की गई सूचना का विश्लेषण कीजिए तथा भारत के लोगों में एकता की भावना को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

पाठगत प्रश्न 24.3

1. सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है?
2. क्या आप इससे सहमत हैं कि क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए।
3. गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्य हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं?
4. उग्रवाद राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक खतरा क्यों है?

24.2 पंथ निरपेक्षता

हम सभी यह जानते हैं कि सांप्रदयिकता राष्ट्रीय समाकलन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हमलोग यह भी जानते हैं कि भारतीय समाज में गैर-सम्प्रदायवादी परम्परा रही है। सदियों से यह अनके धर्मों तथा संस्कृतियों को अपनाते रहा है तथा अन्तर्लीन करते रहा है। किन्तु ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग किया गया। औपनिवेशिक शासकों ने इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ बनायीं तथा भारतीयों को यह महसूस कराया कि वे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं तथा उन्हें अपने-अपने धार्मिक समुदायों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता की नकारात्मक क्षमता का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यद्यपि मौलिक संविधान में पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान थे, लेकिन देश में होने वाली सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण 1976 में इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में एक उद्देश्य के रूप में जोड़ा गया। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक स्तम्भ माना गया।

24.2.1 पंथ निरपेक्षता का अर्थ

पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? इस अवधारणा के बदले कई बार धर्म निरपेक्षता का भी प्रयोग किया जाता है। आपने कुछ व्यक्तियों को यह कहते सुना होगा कि "मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ" कुछ लोग, कई राजनीतिज्ञ यह भी कहते हैं कि संविधान में कृत्रिम पंथ निरपेक्षता (स्यूडो सेकुलरिज्म) का प्रावधान है। इसलिए पंथ निरपेक्षता का सही अर्थ समझना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धर्मविरोधी होना नहीं है। कृत्रिम पंथ निरपेक्षता पद का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसके अर्थ को दो संदर्भों, राज्य के संदर्भ एवं व्यक्ति के संदर्भ में समझना आवश्यक है। राज्य के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह अर्थ है कि भारत का कोई औपचारीक राज्य धर्म नही है। सरकारो को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना है, न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव करना है। राज्य सभी धर्मो को समान मानता है तथा उनका आदर करता है। सभी नागरिक चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कानून के सामने समान है। सरकारी या सरकार के अनुदान से चलाए जा रहे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किन्तु वहाँ विश्व के सभी धर्मो

के बारे में सामान्य सुचनाएँ दी जा सकती हैं। ऐसा करते समय, किसी भी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

व्यक्ति के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सर्व धर्म समभाव है अर्थात व्यक्ति के द्वारा सभी धर्मो को समान आदर देना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा चुने गए धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने अधिकार है। सभी नागरिकों को अन्य सभी धर्मो का वैसा ही आदर करना चाहिए, जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या घृणा करने की आज्ञा नहीं देता है।

चित्र 24.4 धर्म का चयन करने की स्वतन्त्रता

24.2.2 संवधान मे पंथ निरपेक्षता

हमने ऊपर यह देखा कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान हैं। भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के साथ-साथ पंथ निरपेक्षता को भी भारतीय संविधान की एक आधारभूत संरचना माना गया है। इसको संविधान में प्राथमिक तौर पर एक मूल्य की तरह प्रतिबिम्बित किया गया है ताकि यह हम लोगों के बहुलवादी समाज को समर्थन दे। पंथ निरपेक्षता भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सम्बद्धता को बढ़ावा देता है।

24.2.3 पंथ निरपेक्षता का महत्व

संविधानिक प्रावधानों तथा सुरक्षाओं के बावजूद सभी भारतीय अभी तक सच्चे अर्थो में पंथ निरपेक्ष नहीं हो पाए हैं। हमलोगों को नियमित अन्तराल में साम्प्रदायिक दंगो का अनुभव होता रहता है। यहाँ तक कि बहुत ही अमहत्वपूर्ण कारणों से भी साम्प्रदायिकता तनाव एवं हिंसा होते रहते

हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पंथ निरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शान्ति कायम रखने के लिए अनिवार्य है। जब भी आप अपने आस-पास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मित्र, पडोसी आपके साथ पढ़ने वाले मित्र आपसे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं । जब तक आप उनके धर्म का आदर नहीं करते तथा वे आपके धर्म का आदर नहीं करते तबतक आप उनके साथ एक अच्छे मित्र या पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। चूँकि भारत एक बहुलवादी समाज है अतः यह सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे का आदर करें तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तितव का आचरण करें।

? क्या आप जानते हैं

भारत बडी विविधताओं तथा असीमित बहुलताओं को देश है यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है तथा यहाँ 400 से भी अधिक उपभाषाएँ या बालियाँ हैं। इस देश ने दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को प्रश्रय दिया है। यह मुसलमानों की जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप के द्वारा ईसाई धर्म के अपनाए जाने के पहले ही भारत ने उसका स्वागत किया था। भारत ने धार्मिक उत्पीड़न से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ हमेशा शरण दी है। यहाँ 4000 से भी अधिक जातियाँ प्रजातियाँ तथा सगोत्रीय जातियाँ रहती हैं। भारत सच में एक बहु-धार्मिक, बहु भाषा भाषी, बहु-जातिय एवं बहु क्षेत्रीय सम्यता है, जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है।

अतः पंथ निरपेक्षता ही एक मात्र रास्ता है, जिस पर चल कर सभी धर्म एवं समुदाय को बने रहने का स्थान मिलेगा तथा जहाँ वे एक दूसरे का आदर करेंगे।

पाठगत प्रश्न 24.4

1. पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
2. संविधान से पंथ निरपेक्षता से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रावधान हैं?
3. भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक नागरिक की क्या भूमिका है?

आपने क्या सीखा

- राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बाँधती है।

- भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। तथा अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मो में विश्वास करते हैं और उनका आचरण करते हैं।

- उनकी जीवन शैली में भी काफी विविधताएं हैं। किन्तु इन व्यापक विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं।

- राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं, उनकी जातियां भिन्न-भिन्न हैं। उनका धर्म एवं उनकी संस्कृति अलग-अलग हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे सभी तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं कि वे एक हैं। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

- पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके। आंदोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया।

- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुत्ता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्क्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

- राष्ट्रीय समाकलन को कायम रखने और मजबूत बनाने के प्रयास में भारत अनेक चुनौतियों का सामना करता आया है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं : साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद तथा उग्रवाद।

- राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के बहुत से कारक हैं। इसको बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। सरकारों द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश की आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है। राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है।

- पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मो को समान मानती है और उनका आदर करती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा "सर्व धर्म समभाव" के सिद्धान्त का आचरण करना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।
- पंथनिरपेक्षता केवल सांप्रदायिक सदभाव तथा शान्ति बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।

पाठान्त अभ्यास

1. राष्ट्रीय समाकलन को परिभाषित करिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के आविर्भाव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन को किस प्रकार प्रतिबिम्बित करता है तथा उसे बढ़ावा देता है?
3. भारत में राष्ट्रीय समाकलन की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
4. ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देते हैं तथा मजबूत बनाते हैं?
5. पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करिए तथा भारतीय राजनीतिक पद्धति के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
6. नीचे दो सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के कथन दिए गए हैं :

   महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, "मैं एक हिन्दू हूँ तथा उसपर मैं अत्यधिक भरोसा करता हूँ। मैं इसके लिए मर सकता हूँ। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का इससे कोई संबंध नहीं। राज्य आपके पंथनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी सम्बन्धों, मुद्रा आदि की देखभाल करेगा, लेकिन आपके तथा मेरे धर्म का नहीं। वह प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक सरोकार है।"

   महात्मा गांधी के एक निकटतम सहयोगी, मौलाना आजाद ने कहा था: "मैं एक मुसलमान हूँ तथा इस तथ्य के प्रति गंभीर रूप से चैतन्य हूँ कि मुझे इस्लाम के पिछले तेरह सौ सालों की गौरवमयी परम्पराएं विरासत में मिली हैं मैं इस विरासत के छोटे से छोटे भाग को खोने

के लिए तैयार नहीं हूँ।...मुझे इस तथ्य के सम्बन्ध में भी उतना ही गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय राष्ट्रत्व की अविभाज्य एकता का अनिवार्य हूँ, इसके सम्पूर्ण ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक हूँ, जिसके बिना यह भव्य इमारत अपूर्ण रहेगी।''

उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में भारत में पंथनिरेक्षता और राष्ट्रीय समाकलन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नागरिकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. (i) जहाँ की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है।

   (ii) सामूहिक पहचान

   (iii) मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र

   (iv) हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख तथा पारसी

2. राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हैं। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है। यहाँ हजार से भी अधिक भाषाएं हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व है। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना है। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो।

24.2

(क) समाकलित

(ख) राष्ट्रत्व

(ग) क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों तथा जातियों

(घ) 1885

2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्क्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है।

24.3

1. साम्प्रदायिकता तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरूद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धिता के लिए खतरा साबित होती है।

2. क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है, यदि माँगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर आधारित हो। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकास के समग्र ढाँचे में क्रियान्वित हो रहे कार्यक्रमों या उद्योगों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो।

3. चूँकि अधिकतम लोग हिन्दी नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे गैर हिन्दी भाषी राज्य हैं जहाँ हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आवश्यक है कि हिन्दी-भाषी राज्य भी गैर-हिन्दी भाषाओं, जैसे, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया या बंगाली या असमी को अपने क्षेत्रों में बढ़ावा दें।

4. क्योंकि ये आन्दोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारी गणों तथा लोगों की जान लेते हैं, तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बरबाद करते हैं। ऐसे आन्दोलनों में प्रायः युवा भाग लेते हैं। उनके द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। लेकिन इस तरह की उग्रवादी आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा है।

24.4

1. पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। राज्य के सन्दर्भ में इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मों को समान मानती है। व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ सर्व धर्म समभाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।

2. भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव से मुक्त सिद्धांन्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।

3. सभी नागरिकों को सभी धर्मों का वैसा ही आदर करना चाहिए जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या उनसे घृणा करने की आज्ञा नहीं देता। कोई भी नागरिक जब अपने आसपास देखेगा तो पाएगा कि उसका मित्र पड़ोसी तथा अन्य उससे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं। यदि नागरिक दूसरों के धर्मों का आदर नहीं करें तो वे अपने मित्र या पड़ोसी के सच्चे मित्र कैसे बने रह सकते हैं। यह आवश्यक है कि सभी लोग एक-दूसरों का आदर करें तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें।

25

सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण

हम प्रायः अखबार और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न चिन्ताओं व सरोकारों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सड़कों, शिक्षण संस्थानों, पुलों और अस्पतालों के निर्माण के विषय में पढ़ते हैं। इन पर विशेष रूप से चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, मतदाताओं और मीडिया के द्वारा चर्चा की जाती है। जब भी विकास पर और विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास पर चर्चा होती है तो हमारे समाज में वंचित व अभावग्रस्त समूहों के सशक्तिकरण के मुद्दे का उल्लेख स्वभाविक रूप से किया जाता है। तुम्हारा भी अपने अध्ययन के दौरान इन शब्दों से परिचय हुआ होगा। इन शब्दों का क्या अर्थ है? हम सामाजिक आर्थिक विकास और वंचित समूहों के सशक्तिकरण के बीच सम्बन्धों को क्यों और किस रूप में समझते हैं? वर्तमान पाठ इन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेगा।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप :

- सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव विकास, क्षेत्रीय विकास और सतत् पोषीय विकास की अवधारणाओं का विश्लेषण कर पाएँगे।
- भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे वंचित समूहों के सशक्तिकरण तथा सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डालने में समर्थ होंगे।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर पाएँगे।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सराहना कर सकेंगे।

25.1 सामाजिक-आर्थिक विकास का अर्थ

सामाजिक-आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? इस अवधारणा को समझने के लिए पहले हमें विकास को परिभाषित करना होगा। प्रायः एक राज्य में जो सुधार व सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन विकास की अवधारणा को विभिन्न सन्दर्भो जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा और साहित्य में अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ में विकास से अभिप्राय बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन-शैली में सुधार से है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

कार्यकलाप 25.1

आपने विभिन्न अध्ययन सामग्रियों या मीडिया में चर्चा के दौरान आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव शरीर में विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की तरह अवधारणाओं के विषय में सुना होगा।

क्या आप कुछ अन्य शब्दों की एक सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें 'विकास' शब्द का प्रयोग हुआ हो? ऐसे कम-से-कम आठ शब्द लिखने की कोशिश कीजिए।

सामाजिक-आर्थिक विकास समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रोजगार के स्तर जैसे संकेतकों से मापा जाता है। सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर समझ के लिए, हम सामाजिक और आर्थिक विकास के अर्थ को पृथक करके समझ सकते हैं।

सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन व बदलाव कर समाज की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करती है। इसका सम्बन्ध समाज निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन, लोगों का प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार, प्रभावी प्रक्रियाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से है। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देखते हैं पर्यावरण, जीवन-शैली और प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाया गया है।

चित्र 25.1 सामाजिक विकास प्रक्रिया

आर्थिक विकास : किसी देश या क्षेत्र में रह रहे लोगों के हित में आर्थिक सम्पत्ति के संवर्धन को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास के स्तर

का संकेतक माना जाता है। 'आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध राष्ट्रीय, आय, सकल घरेलू उत्पाद या प्रतिव्यक्ति आय में प्रगति से है। दूसरी तरफ दीर्घकालिक आर्थिक विकास से अभिप्राय है एक राष्ट्र द्वारा अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को पूरा करना।

? क्या आप जानते हैं

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) : सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय (जी.डी.आई.) राष्ट्रीय आय तथा देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने के कारक है। यह दिए गए वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य है।

राष्ट्रीय आय : राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों द्वारा श्रम और पूँजी निवेश सहित प्राप्त आय है। यह एक दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र (श्रम और लाभ, ब्याज, किराए और पेंशन भुगतान) की सभी आय का कुल मूल्य (प्रायः एक वर्ष) है।

प्रतिव्यक्ति आय : कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त होती है। यह वह आय है जो वार्षिक राष्ट्रीय आय समान रूप से सबके बीच विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्ति होती है।

सामाजिक-आर्थिक विकास, इस प्रकार, विभिन्न आयामों में सुधार की प्रक्रिया है। यह देश में मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा विकास के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है? इसके प्रमुख संकेतक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आर्थिक कल्याण के एक विशिष्ट उपाय है लेकिन यह अवकाश के समय, पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय या लैंगिक समानता जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देता। एक अन्य संकेतक, प्रतिव्यक्ति आय भी लोगों के बीच आय की समानता का संकेत नहीं है। इन संकेतकों से यह सुनिश्चित नहीं होता कि विकास का लाभ समान रूप से वितरित हो रहा है और विशेष रूप से समाज के वंचित तक पहुँच रहा है। यही कारण है, मानव विकास की एक नई अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है। यह देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आनन्द, अवसर तथा स्वतन्त्रता के लाभ पर जोर देता है।

25.2 मानव विकास

जैसाकि हमने देखा है, जब हम केवल आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल आय पर केन्द्रित होता है। एक लम्बे समय के लिए विकास के बारे में सामान्य धारणा धन या आर्थिक सम्पत्ति का संचय करना था। लेकिन मानव विकास का अर्थ है लोगों की पसन्द का उनके हित में फैलाव व विस्तार। यह मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं और लोगों की पसन्द व विकल्पों को शामिल करता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, जैविक, मानसिक और भावनात्मक। आय विकास के कई घटकों में से केवल एक घटक है। मानव विकास लोगों को विकास के केन्द्र में रखताहै तथा मानता है कि मानव विकास का अर्थ लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार करना है। यह आर्थिक विकास की गुणवत्ता और इसके समान वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता है।

क्या आप जानते हैं

मानव विकास की अवधारणा का विकास डॉ. महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। वह लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार तथा उनकी जीवन स्थिति में सुधार को मानव विकास के रूप में वर्णित करता है। नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इस अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। वह मानते हैं कि विकास से व्यक्ति की स्वतन्त्रता बढ़ती है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 1990 में डॉ. महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा विकसित किया गया था। तब से यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अपने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

अब आप समझ सकते हैं कि एक देश का सामाजिक-आर्थिक विकास का मॉडल मानव विकास के ढाँचे के अनुरूप तैयार किया जाता है। यह विकास को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। एचडीआई का वास्तविक उपयोग देश के विकास के स्तर को मापना है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) तीन आधार संकेतकों और उनके आयाम के साथ संयुक्त रूप से तालिका 25.1 में दिखाया गया है।

तालिका 25.1 : मानव विकास सूचकांक : संकेतक व आयाम

क्र.सं.	सूचकांक	परिणाम
1.	एक लम्बा और स्वस्थ जीवन	• जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन स्वास्थ्य और दीर्घायु के एक सूचकांक के रूप
2.	ज्ञान और शिक्षा	• प्रौढ़ स्तर पर • प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात
3.	जीवन का उपयुक्त स्तर	• सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आय, खरीद (संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर में) शक्ति समता (पीपीपी) की खरीद पर प्रतिव्यक्ति

क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया इसमें विकास के सम्बन्ध में उपयुक्त सूचकांकों से संबंधित आँकड़े शामिल हैं। तब से यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित हुई है और देशों को हर साल सूचकांक में उपरोक्त संकेतकों में किए गए सुधारों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है।

1990 से प्रकाशित प्रत्येक मानव विकास रिपोर्ट में भारत को हमेशा निचली श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में शामिल 177 देशों में से भारत को वर्ष 2007-08 में 128 स्थान में रखा गया। भारत की सरकारने भी राज्यावार मानव विकास सूचकांक विकसित करने का प्रयास किया है। तुम चित्र 25.2 को देखकर राज्यों के बीच विकास स्तर की भिन्नता समझ सकते हो।

चित्र 25.2 भारत : राज्यावार मानव विकास सूचनांक 2001

गितिविधि 25.2

भारत के उपर्युक्त मानव विकास सूचकांक मानचित्र का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) मानव विकास सूचकांक के आधार पर आपके राज्य की क्या स्थिति है? इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण बताइए।

(ii) भारत के उच्चतम मानव विकास सूचकांक और निम्नतर मानव विकास सूचकांक वाले दो राज्यों की पहचान कीजिए।

(iii) इन राज्यों में उच्च और निम्न मानव विकास सूचनांक के लिए उत्तरदायी क्रमशः कोई तीन कारक बताइए।

(iv) मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर में सुधार के लिए कोई तीन सुझाव दीजिए।

25.3 संधारणीय विकास

हमने यह देखा और महसूस किया है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम अपनी वर्तमान गति से इन संसाधनों का प्रयोग करते रहे तो कई खनिज पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोल कुछ दशकों में समाप्त हो जाएँगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्या हमारी पीढ़ी का भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐसा करना उचित है? संधारणीय विकास की अवधारणा का उदय इसी सन्दर्भ में हुआ है। यह एक बृहद् अवधारणा है जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है; ''संधारणीय विकास/धारणीय विकास, विकास का वह प्रतिरूप है जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इस बात का भी ध्यान रखता है।'' यद्यपि कई लोग सोचते हैं कि सतत् पोषीय विकास की उपयोगिता केवल पर्यावरण के सन्दर्भ में है पर वास्तव में यह केवल पर्यावरण के मुद्दों पर ही जोर नहीं देता जैसाकि चित्र 25.3 में दर्शाया गया है, यह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरणीय विकास आदि को भी समाहित करता है। यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रतिरूप है उदाहरण के लिए विकास का ऐसा मॉडल जो वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध अधिकतम

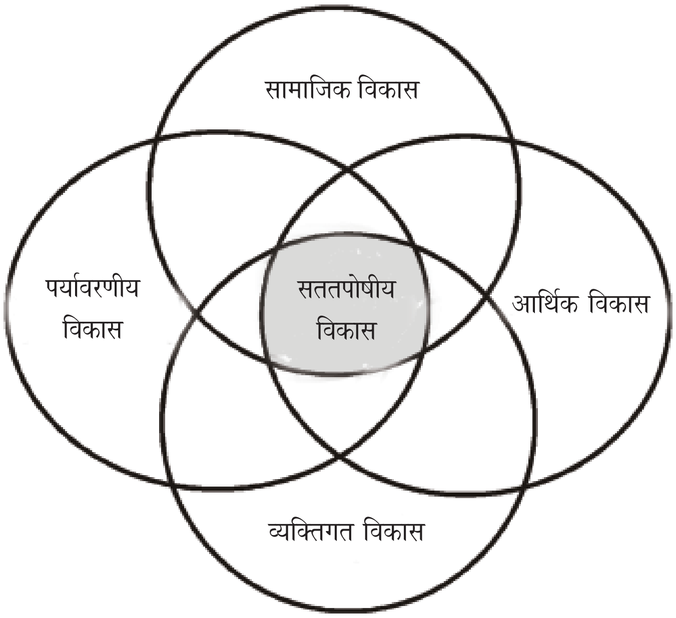

चित्र 25.3 संधारणीय विकास

सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है तथा भविष्य की पीढ़ियों की इन लाभों को प्राप्त करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। इस प्रकार संधारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लाभों का युक्तिसंगत और न्यायसंगत वितरण है जिसे मानव जाति की आने वाली कई पीढ़ियों तक निरन्तर बनाया जा सके। इसमें समाज के सभी वर्गों, कमजोर और वंचित वर्गों सहित की, की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

25.4 भारत में सामाजिक आर्थिक विकास

अब तक हम चार अवधारणाओं; विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव विकास तथा संधारणीय विकास के विविध रूपों की चर्चा कर चुके हैं। इनके विषय में हमारी जानकारी के आधार पर, भारत में हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् से ही देश के विकास के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन यह 1990 का वर्ष था जिसके पश्चात् भारत की गिनती विश्व की तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी। भारत बाजार विनिमय के आधार पर विश्व की बारहवीं और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) जिसका मापन, खरीद शक्ति समता (पर्चेजिंग पावर पैरिटी) के आधार पर किया जाता है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप देश में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर तथा खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। निर्धनता प्रतिशत में भी महत्त्वपूर्ण कमी आई है, यद्यपि सरकारी/आधिकारिक गणनाओं के अनुसार लगभग 27.5 प्रतिशत भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2004-05 को आधार मानते हुए उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है जिनकी आय क्रय शक्ति समता के आधार पर 1 डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो। हालाँकि भारत में इसका पैमाना एक डॉलर से भी कम रखा गया है। भारत में पिछले दो दशकों से लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या आज भी दो डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम में जीवन निर्वाह कर रही हैं। यही कारण है कि कई बार कहा जाता है कि इस बाजार अर्थव्यवस्था आधारित आर्थिक विकास के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। हरित क्रान्ति से अकाल और भुखमरी से तो छुटकारा मिल गया तथा समूची जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी लेकिन देश में तीन वर्ष तक की आयु के 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है। एक तिहाई स्त्री और पुरुष ऊर्जा की कमी से पीड़ित है।

? क्या आप जानते हैं

क्रय शक्ति समता (पी.पी.पी.) : यह विभिन्न देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने का तरीका है। यह अलग-अलग देशों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में उपयोगी है। पहले यह तुलना प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर की जाती थी लेकिन ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका प्रयोग करना छोड़ दिया क्योंकि यह भ्रामक तस्वीर पेश करता था। अलग-अलग मुद्राओं की क्रय शक्ति भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए एक डॉलर से अमेरिका में जितनी चीजें खरीदी जा सकती है उसी डॉलर की कीमत अर्थात् लगभग 50 रुपए से भारत में कई अधिक वस्तुएँ खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार 1000 डॉलर भारत में निवेश या खर्च कर एक व्यक्ति भारत में तो अच्छा जीवन स्तर रख सकता है लेकिन यही राशि अमेरिका में एक अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकती।

पाठगत प्रश्न 25.1

1. सकल घरेलू उत्पाद और प्रतिव्यक्ति आय लोगों के जीवन के स्तर व गुणवत्ता का आकलन सही प्रकार से क्यों नहीं कर पाते।

   ....

   ....

2. मानव विकास की अवधारणा पारम्परिक सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?

   ....

   ....

3. सतत् पोषीय/संधारणीय विकास को परिभाषित कीजिए।

   ....

   ....

4. ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में विकास और अल्पविकास का सहअस्तित्व है? मुख्य कारणों की पहचान कीजिए।

   ....

   ....

25.5 क्षेत्रीय विकास : असन्तुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता

हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक प्रमुख कारण यह था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सभी क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाय। विकास की नीति में भी क्षेत्रीय विकास उपागम का प्रयोग किया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी यह रही है कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है।

भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएँ तो प्राकृतिक हैं जैसाकि आप नीचे दिए गए चित्र (25.4) में देख सकते हैं। कुछ क्षेत्रों का धरातल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान जबकि कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पर्वत, पहाड़ी और घने जंगल हैं तथा वहाँ जमीन भी कम उपजाऊ है। प्रकृति द्वारा पैदा की गई इन विभिन्नताओं को क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है।

लेकिन कुछ भिन्नताएँ ऐसी हैं जो मनुष्यकृत हैं, जैसे प्रतिव्यक्ति आय, कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन व संचार के साधनों का विस्तार आदि। मनुष्य कृत इन अन्तरों को असमानता के नाम

से जाना जाता है। चित्र 25.5 को देखकर आप विषमता या असमानता को और भलीभाँति समझ पाएँगे। ये विषमता चिन्ता का विषय है। आइए अब निम्न के सन्दर्भ में विषमताओं का विश्लेषण कर उसे समझने का प्रयास करेंगे।

चित्र 25.4 विविधता

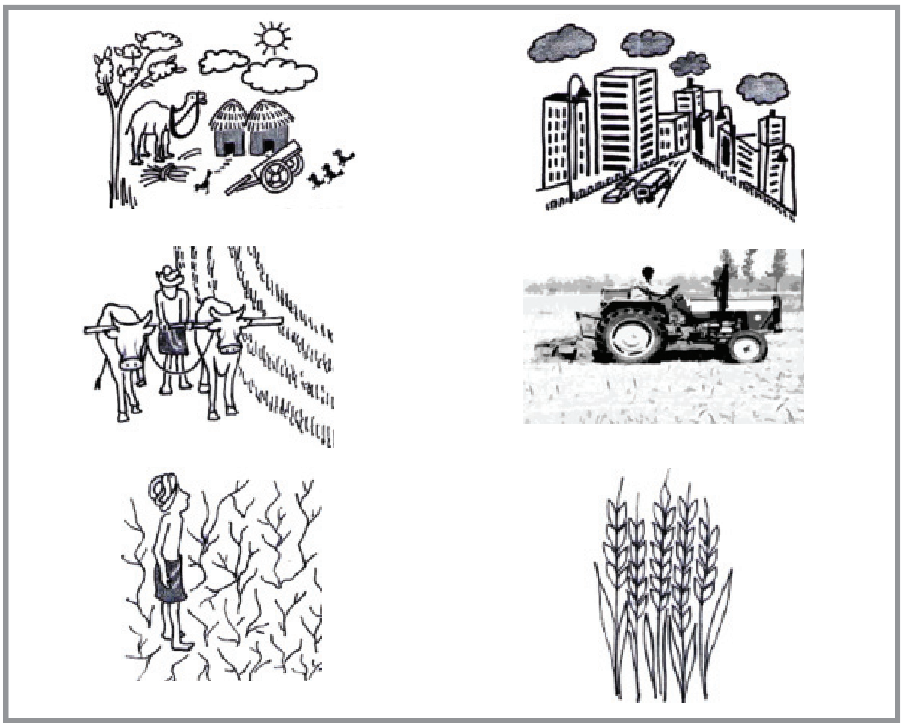

चित्र 25.5 विषमता

(अ) भारत में विषमता

1. **प्रतिव्यक्ति आय :** किसी भी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। हमारे देश के प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत प्रतिव्यक्ति आय लगभग रु. 25,716 है और ऐसे केवल ग्यारह राज्य हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर जो राज्य हैं वे हैं; बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखण्ड व छत्तीसगढ; इन राज्यों में भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है।

2. **गरीबी :** राज्यावार गरीबी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। भारत में व्यापक व वृहत् स्तर पर गरीबी में कमी आई है लेकिन ग्रामीण और शहरी तथा राज्यों के बीच विषमताएँ व्याप्त हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात अत्यधिक है। ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जो कि दुनिया में सबसे खराब स्थितियों में से एक है। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5-7 प्रतिशत तथा 2-4 प्रतिशत लोग ही गरीब है जो कि वैश्विक और कई मध्यम आर्थिक स्तर के देशों से बेहतर है।

3. **औद्योगिक वृद्धि :** भारत में प्रारम्भिक औद्योगीकरण ब्रिटिश भारतीय सरकार के हितों के अनुरूप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया। इसी का परिणाम था कि ज्यादातर उद्योग कुछ ही स्थानों में केन्द्रित थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी काफी हद तक यही स्थिति बनी रही।

4. **कृषि में वृद्धि :** पिछले कुछ वर्षो में कृषि क्षेत्र में भी विषमता बढ़ी है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस मामले में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गए हैं। प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है जबकि केरला निम्नतम स्तर पर है। सिंचित क्षेत्र के मामले में मिजोरम और महाराष्ट्र सबसे नीचे के स्तर में है। पंजाब और हरियाणा ने सिंचाई सुविधाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता को उच्च स्तर तक बढ़ाया है। भारत के ज्यादातर राज्यों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि उनकी क्षमता से बहुत कम है। इसे तीव्र करने की आवश्यकता है।

5. **साक्षरता :** साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी विषमता पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक तथा बिहार में सबसे कम थी, जबकि उसी दौरान पूरे भारत में औसत साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी। केरल में 90.92 प्रतिशत तथा बिहार में 47.53 प्रतिशत थी। देश के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी भिन्नता है।

6. **परिवहन और संचार :** भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार का है। परिवहन के विभिन्न साधन हैं, सड़क, रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आँकड़े एकत्रित करें तो आपको इनके विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव में व्याप्त विषमता का बोध हो जाएगा। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो देश के कुछ राज्यों में तो सड़क घनत्व और सड़कों की स्थिति बड़ी अच्छी है जबकि कुछ अन्य राज्यों में इनकी स्थिति दयनीय है। प्रति 100 किमी. रोड की लम्बाई में केरल प्रथम स्थान पर है जबकि जम्मू-कश्मीर सबसे निचले स्थान पर आता है।

(ब) क्षेत्रीय विषमताओं के कारण

जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच असन्तुलन और विषमता की बात करते हैं तो कई बार हम यह सोच लेते हैं किसी क्षेत्र या राज्य विशेष में पिछड़ेपन का कारण जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत संरचना की कमी है। लेकिन जब हम इन कारणों का आगे विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल पिछड़ेपन या अल्पविकास के कारण मात्र नहीं है बल्कि इसके परिणाम भी है। पिछड़े राज्यों में अशिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में, अगड़े राज्यों की तुलना

में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी, इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अगड़े राज्यों की तरह का सामाजिक आर्थिक विकास न हो पाना था। इसलिए क्षेत्रीय विषमता के नीचे दिए गए कारणों का विश्लेषण करना रोचक हो जाता है –

1. **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :** औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राज्य और क्षेत्र वाणिज्यिक दृष्टि से ज्यादा लाभकारी नहीं थे उनपर ध्यान नहीं दिया गया और वे पिछड़े रह गए। उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों को नजरंदाज किया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख है मध्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाके।

2. **भौगोलिक कारक :** किसी क्षेत्र का धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्यों का पहाड़ी या पर्वतीय धरातल इसके उदाहरण हैं।

3. **प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में भिन्नता :** आपको जानकारी होगी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लौह आयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते। लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती। कुछ राज्यों ने अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया है जबकि अन्य जैसे बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा आदि ऐसा करने में असफल रहे हैं।

4. **देश के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्रों से दूरी :** किसी क्षेत्र की देश के प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों, मुख्य शहरों, बाजारों से दूरी भी उसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

5. **आधारभूत संरचना की कमी :** जिन राज्यों ने आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास कर लिया वे तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल रहे हैं। जिन राज्यों में ये आधारभूत सुविधाए नहीं हैं वे आवंटित धनराशि का उपयोग तथा निवेश को आकर्षित करने में असफल रहे हैं।

6. **सुशासन की कमी :** सामाजिक आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, शासन-प्रशासन की गुणवत्ता। आप देखेंगे कि जिन राज्यों ने तीव्र गति से प्रगति की है वहाँ अधिक समय तक सुशासन रहा है। जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं उनमें लगातार कानून और व्यवस्था की समस्या रही है वे आधारभूत संरचना बनाने में असफल रहे हैं, यही कारण रहा कि योजना आयोग द्वारा इन राज्यों को जो आर्थिक सहायता दी गई वे उसका भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। सुशासन की कमी के कारण इन राज्यों में निवेश भी नहीं हो पाता।

पाठगत प्रश्न 25.2

1. विषमता और विविधता में उपयुक्त उदाहरण देकर अन्तर स्पष्ट कीजिए।

   ....

   ....

2. भारत में उपनिवेशवाद किस प्रकार क्षेत्रीय विषमताओं को पैदा करने वाला कारक रहा है?

   ....

   ....

3. निम्न में से कौन-से राज्य को आर्थिक रूप से विकसित राज्यों के समूह में रखा जा सकता है?

   (क) बिहार

   (ख) उड़ीसा

   (ग) अरूणाचल प्रदेश

   (घ) हरियाणा

4. मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र देश के अन्य भागों की तुलना में पिछड़े हुए क्यों हैं? निम्न में से सही विकल्प को छाँटकर उत्तर दीजिए।

   (क) इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है।

   (ख) इन क्षेत्रों में कोई प्रमुख उद्योग नहीं है।

   (ग) स्थानीय लोगों का निम्नस्तरीय आर्थिक और विकास स्तर

   (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

25.6 समाज के अभावग्रस्त समूह

इस अध्याय में हमारा लगातार इस बात पर जोर रहा है कि भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए सभी लोगों की विकास के परिणामों तक पहुँच तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। यद्यपि भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। वर्तमान समय में भी समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता है तथा उन्हें स्वतन्त्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें अभावग्रस्त समूह कहा जाता है। कुछ ऐसे समूह हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, अल्पसंख्यक वर्ग आदि। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.23%, अनुसूचित जनजाति, 8.2% है। अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी काफी संख्या है जबकि महिलाएँ भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।

25.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण देश में व्याप्त सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक माना गया। भारत के संविधान में इन समूहों के विकास के लिए अनेक प्रावधान और कई वचनबद्धताऐं व्यक्त की गई हैं। इन संवैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने तीन तरफा रणनीति अपनाई है–(i) सामाजिक सशक्तीकरण, (ii) आर्थिक सशक्तीकरण और (iii) विषमता दूर करने के लिए सामाजिक विषमता का उन्मूलन, शोषण की समाप्ति तथा इन अभावग्रस्त वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।

(अ) सामाजिक सशक्तीकरण

शिक्षा अभावग्रस्त वर्गो के सशक्तीकरण का प्रमुख यन्त्र रही है इसलिए इन वर्गो में उत्थान के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए इस दिशा में निम्न कदम महत्त्वपूर्ण हैं –

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कई प्रोत्साहन जैसे फीस माफी निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना आदि के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है।
- मैट्रिक के पश्चात् उससे आगे की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति गरीब व कूड़ाकड़कट उठाने जैसे – निम्न श्रेणी के कार्यों में लगे वर्गो के बच्चों को शिक्षा देने के लिए दी जाती है। मैरिट योजना को बढ़ावा देने के लिए निदानात्मक कोचिंग दी जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन वर्गो के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है या तैयारी कराई जाती है।
- उच्च प्राथमिक स्तर के बाद सभी लड़के लड़कियों को हॉस्टल की सुविधा।

(ब) आर्थिक सशक्तीकरण

सामाजिक और आर्थिक रूपसे अभावग्रस्त वर्गो के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए रोजगार और आय पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस सम्बन्ध में निम्न उच्चतम वित्तीय संगठन स्थापित किए गए हैं–

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एन एस एफ डी सी), विभिन्न आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन एस के एफ डी सी), सफाई कर्मचारियों को आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी), इन वर्गो को प्रशिक्षण, लोन, बाजार समर्थन के द्वारा सहायता करता है।
- अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी), रोजगार सम्बन्धी योजनाओं, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, छोटी सिंचाई योजनाओं, छोटे उद्योगों, परिवहन, व्यापार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एस टी डी सी), एक दिशा निर्धारित करने वाली एजेन्सी के रूप में कार्य कर इन वर्गो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ट्राइवल मार्केटिंग डेवलपमेंट फैडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ट्राइफेड), आदिवासियों द्वारा निर्मित वन्य उत्पादों और अतिरिक्त कृषि उत्पाद को बाजार प्रदान करता है।

(स) सामाजिक न्याय

भारत का संविधान हर प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से सुरक्षा की गारण्टी देता है। इस दिशा में कुछ सुरक्षात्मक विधि निर्माण भी हुआ है। इस दिशा में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निषेध) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

25.8 महिला सशक्तीकरण

भारत के संविधान में लैंगिक समानता सम्बन्धी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं।

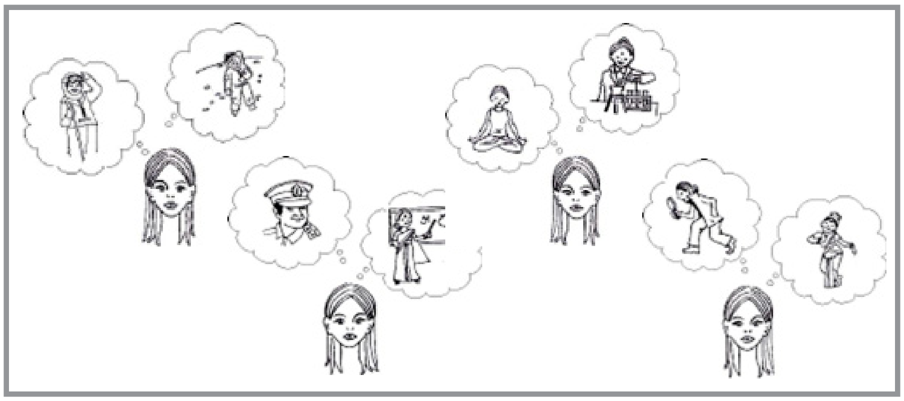

चित्र 25.6 महिला सशक्तीकरण

संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के हित में सकारात्मक विभेदकारी कदम उठाने के लिए भी सशक्त करता है। हालाँकि अभी भी इस दिशा में एक ओर स्वीकृत लक्ष्य व सम्बन्धित मशीनरी तथा दूसरी ओर धरातल पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच काफी अंतर है। महिलाओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादक संसाधनों तक पहुँच अपर्याप्त है। वे जयादातर हाशिये पर हैं या गरीब व समाज की मुख्यधारा से बाहर हैं। ऊपर दिए गए चित्र संख्या 25. 6 में महिला सशक्तीकरण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों को दिखाया गया है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं–

(अ) आर्थिक सशक्तीकरण

- भारत में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण कई ऐसी योजनाएँ लागू की जा रही हैं जो विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके लिए प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रमों के लाभ उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किए जाय।

- श्रम विधायन, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को वृहत् सहायता प्रदान की जाय ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और वस्त्र उद्योग में सहभागी बन सके।
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल का वातावरण उनके लिए सहायक होना चाहिए, इसके लिए वहाँ पर बाल देखरेख की सुविधा, क्रेच तथा वृद्ध और विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

(ब) सामाजिक सशक्तीकरण

- महिलाओं में रोजगार, व्यवसायिक और तकनीकी हुनर का विकास करने के उद्देश्य से महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच, शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव की समाप्ति, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, निरक्षरता उन्मूलन तथा लैंगिक सम्वेदी शिक्षा प्रणाली की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर अधिगम को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके।
- स्वास्थ्य के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण जिसमें पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल कर जीवन के हर स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- महिलाओं के लिए कुपोषण और बीमारियों जैसे खतरों का सामना करने के उददेश्य से जीवन के हर पड़ाव पर उनकी पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
- महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसा के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वह घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर हो या फिर परम्पराओं और रीति-रिवाजों के कारण उपजी हिंसा हो।

(स) राजनीतिक सशक्तीकरण

भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही महिलाएँ चुनाव लड़ने व मतदान करने के अधिकार का उपभोग कर रही हैं। उन्हें सरकार के हर स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1993) इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक व्यवस्था व संरचना में उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया है तथा राजनीतिक सत्ता तक उनको समान पहुँच प्रदान कर दी है। इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने सम्बन्धी विधेयक संसद् में विचाराधीन पड़ा है।

क्रियाकलाप 25.3

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण परिस्थिति नीचे दी गई है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए कारण बताइए।

क्रम संख्या	परिस्थिति	कारण
1.	ज्यादातर परिवारों में लड़कियों को लड़कों जैसी शिक्षा सुविधा के अवसर प्राप्त नहीं होता क्यों?	
2.	सामान्यतः स्त्रियों जैसे माँ बहन, भाभी की बीमारी को पुरुष सदस्य की बीमारी के समान गम्भीरता से नहीं लिया जाता। क्यों?	
3.	ज्यादातर घरेलू काम केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। पुरुष सदस्य उसमें हाथ नहीं बँटाते। क्यों?	
4.	परिवार में बालिका के जन्म पर उस तरह जश्न नहीं मनाया जाता जैसे बालक के जन्म पर मनाया जाता है। क्यों?	

उपरोक्त कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(i) आपके अनुसार हमारे समाज में यह असमानता क्यों व्याप्त है?

(ii) भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कोई तीन निदानात्मक सुझाव दीजिए।

पाठगत प्रश्न 25.3

1. सामाजिक रूप से अभावग्रस्त प्रमुख समूह कौन-से है?

   ....

   ....

2. क्या आप सोचते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों के कारण ये वर्ग सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ उठा पाए हैं? तीन कारण बताइए।

   ....

   ....

3. हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों रहे हैं?

   ....

   ....

4. अपने पास-पड़ोस में कम-से-कम 5 परिवारों का सर्वेक्षण कीजिए तथा निम्न के विषय में आँकड़े एकत्रित कीजिए। यह और बेहतर होगा यदि आप इससे अधिक परिवारों, हो सके तो 10 परिवारों का सर्वेक्षण करें।

   (i) प्रौढ़ स्त्री और पुरुष सदस्यों की संख्या।

   (ii) कुल बालक और बालिकाओं की संख्या।

   (iii) पिछले दो साल में जन्मे बालक और बालिकाएँ।

   (iv) पिछले दो वर्षों में बाल मृत्यु, बालक व बालिका।

   (v) 5 वर्ष से अधिक आयु के वे बालक-बालिकाएँ जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

   (vi) घर के बाहर किसी दफ्तर और व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं की संख्या।

   इस प्रकार एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए–

   (क) बालक और बालिकाओं की कुल संख्या क्या है? तथा उनमें से कितने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं? क्या किसी एक परिवार के बालक और बालिकाएँ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं? यदि नहीं तो क्या कारण है?

   (ख) क्या महिलाएँ घर से बाहर कार्यरत है? यदि हाँ तो कहाँ? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

   (ग) क्या आपको परिवारों में लैंगिक भेदभाव का माहौल नजर आया? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो कैसे?

25.9 सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम

हमने अब तक अभावग्रस्त वर्गों के सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों को समझने का प्रयास किया है। अब आगे आप उन नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में जानना चाहोगे जो सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है। उन सब पर चर्चा करना अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, बाकी का अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे।

25.9.1 सर्वशिक्षा या सभी के लिए शिक्षा

सभी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए इसकी जरूरत न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय महसूस करता है। यूनेस्को के तत्वावधान में 1990 में विश्व के कई देश जोमेतीन (थाइलैण्ड) में मिले तथा इस बात पर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 1992 में दुनिया को नौ सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, ब्राजील और मिस्र दिल्ली में, सभी के लिए शिक्षा/सर्वशिक्षा (इफा) की अपनी वचनबद्धता को बल प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए। पिछले दो दशकों में, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता से भारत सर्वशिक्षा के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में निम्न बिन्दु महत्त्वपूर्ण है।

(क) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हाल ही में भारत की संसद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 पारित किया गया। केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से देश की 95 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलो मीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल तथा लगभग 85 प्रतिशत के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप–

1. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन (enrolment) में लगातार वृद्धि हुई है।
2. बालिकाओं व अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों का स्कूलों में पंजीयन/नामांकन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
3. देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने बीच में विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) के अनुपात के कम करने तथा विद्यालयों में उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाई है। इस दिशा में निम्न कदम उठाए गए हैं–

- अभिभावक जागरण तथा सामुदायिक एकजुटता पैदा करना।
- सामुदायिक और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी।
- आर्थिक प्रोत्साहन जैसे निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वर्दी आदि।
- स्कूली पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं में सुधार और
- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजना।

निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर केन्द्रित हैं :

(अ) सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की महत्त्वकांक्षी योजना को सर्वशिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, इसे 2001 में शुरू किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं–

(i) 6 से 14 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन/शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत 2005 तक सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

(ii) सभी प्रकार की लैंगिक भेदों को प्राथमिक स्तर पर दूर किया जाय।

(iii) वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक विद्यालय उपस्थिति या ड्राप आउट दर समाप्त करना।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा की सन्तुष्टि जनक गुणवत्ता तथा जीवन के लिए शिक्षा के सिद्धान्त पर जोर।

(ब) प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना

इस योजना की शुरुआत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से की गई थी और यह अभी तक चल रही है। मध्याह्न भोजन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) सरकारी, स्थानीय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व इस स्तर की शिक्षा के अन्य केन्द्रों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों की पोषण की स्थिति को सुधारना

(ii) अभावग्रस्त वर्गों की सहायता कर इन वर्गों के गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इनके लिए कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना।

(iii) गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को पोषाहार प्रदान करना।

25.9.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। इसका उद्देश्य 15-35 वर्ष के अनपढ़ लोगों को कामचलाऊ साक्षरता प्रदान करना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता प्रचार था जिसके द्वारा सभी प्रौढ़ निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना था।

इसके पश्चात् साक्षरता के बाद का कार्यक्रम शुरू किया गया जिनके द्वारा नव साक्षरों के साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करना। इसके पश्चात् शिक्षा कार्यक्रम को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से गाँवों में पुस्तकालय, पढ़ाई के लिए कमरों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जन शिक्षा संस्थान के माध्यम से नव साक्षरों व समाज के अभावग्रस्त वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे –

- यह योजना देश के 597 जिलों में पहुँचने में सफल रहा जिसके अन्तर्गत 12.4 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया।
- देश की साक्षरता दर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.37 प्रतिशत हो गई, यह अब तक के किसी भी दशक में दर्ज की गई सर्वश्रेष्ठ वृद्धि थी।
- इन उपलब्धियों के बावजूद आज भी विश्व में 15 वर्ष से अधिक आयु के कुल निरक्षरों में से 34 प्रतिशत भारत में हैं। साक्षरता से सम्बन्धित क्षेत्रीय, लैंगिक व सामाजिक विषमताएँ अभी भी व्याप्त हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि साक्षरता के लिए अब समेकित/एकीकृत उपागम अपनाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और पोस्ट साक्षरता कार्यक्रम दोनों ही अब साक्षरता योजना के अन्तर्गत चलाए जाएँगे। इस तरीके से निरक्षरता की बड़ी समस्या का सम्पूर्ण समाधान किया जा सकेगा। कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया बनाना न कि कभी चालू और कभी बन्द होने वाली गतिविधि। इसके साथ ही जिन्होंने साक्षरता का बुनियादी स्तर पार कर लिया है उनके लिए सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल से एकीकृत शिक्षा के आयामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

25.9.3 सभी के लिए स्वास्थ्य

भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1951 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वास्थ्य में वृद्धि तथा देश के कल्याण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन उस समय दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत कम थी। पिछले कुछ दशकों में पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया गया। यद्यपि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अपेक्षा के अनुरूप ढाँचा तैयार नहीं किया है पर सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है।

हालाँकि भारत ने स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के विकास में नियमित प्रगति की है लेकिन सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रतिपादन विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ द्वारा 1978 में अल्माऊत्ता की बैठक में किया गया। इस उद्देश्य का हस्ताक्षरक राष्ट्र होने के कारण भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, परिवार नियोजन, पोषाहार सहायता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना शुरू किया। भारत सहित विश्व के नेताओं ने इस लक्ष्य को वर्ष 2000 तक प्राप्त करने के लिए प्रयास किए।

1951 से 2001 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई, 1951 में 36.10 करोड़ से यह 2001 में 102.70 करोड़ तक पहुँच गई। इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इस क्षेत्र में माँग और पूर्ति में भारी अन्तर पैदा हो गया है। यदि हम देश में चिकित्सा सेवाओं के वितरण पर गौर करें तो हम देखते हैं कि इसमें अत्यधिक असमानता है, ज्यादातर चिकित्सा सुविधाएँ बड़े शहरों और नगरों में ही संकेन्द्रित है। इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एन आर एच एम) शुरू की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अन्य अनेक योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई), बालिका समृद्धि योजना (के एस वाई) और किशोरी शक्ति योजना (के एस वाई)। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की सफलता के कारण भारत सरकार इसी तरह की योजना शहरी क्षेत्रों में लागू करना चाहती है जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना (एन यू एच एम) नाम दिया गया है। नीचे दिए गए बॉक्स में आप सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों को देख सकते हैं।.

क्रम संख्या	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
1.	राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
2.	राष्ट्रीय फलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
4.	संशोधित राष्ट्रीय टी बी नियन्त्रण कार्यक्रम
5.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम
6.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

7. राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय कैन्सर नियन्त्रण कार्यक्रम
9. सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम
10. बहरापन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
11. मधुमेह, सी वी डी और स्ट्रोक की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए कार्यक्रम
12. राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
13. दृष्टिहीनता के नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

पाठगत प्रश्न 25.4

1. सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्षित समूहों की पहचान करे।

   (i) .... और (ii) ....

2. पिछले पचास वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र की किन्हीं दो उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।

   (i) ....

   (ii) ....

3. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत अपनाए जाने वाला नवीनतम दृष्टिकोण क्या है?

   ....

   ....

4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू की गई?

   ....

   ....

आपने क्या सीखा

- जीवन परिस्थितियों में हो रहे सुधार को विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन विकास को अलग-अलग सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जैविक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य आदि का विकास।

सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ में विकास को शिक्षा, आय, कौशल विकास, रोजगार आदि में सुधार के कारण जीवनशैली में आए बदलाव के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित आर्थिक व सामाजिक बदलाव है।

- कुछ विभेद व असमानताएँ प्रकृति जनित होते हैं, प्रकृति जनित भिन्नताओं को विविधता कहा जाता है। लेकिन कुछ भेद व अन्तर मनुष्यों द्वारा पैदा किए जाते हैं। मनुष्यकृत भेद व अन्तर को विषमता कहा जाता है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उच्च श्रेणी की सुविधाएँ उपलब्ध है जबकि कई अन्य क्षेत्रों में आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस प्रकार की भिन्नताओं को क्षेत्रीय विषमता कहा जाता है।
- मानव विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार तथा उनके लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने को कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मनुष्य जीवन के सभी आयाम या पक्ष जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी आ जाते हैं। इस प्रकार मानव विकास में आय कई घटकों में से एक घटक है। मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) के तीन घटक होते हैं, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, रहन-सहन का उत्तम स्तर।
- 2007-08 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 177 देशों में से 128 के पायदान पर था। भारत को मध्यम स्तर के देशों के समूह में सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था।
- भारत में जनसंख्या का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे समाज के अभावग्रस्त वर्ग में रखा जा सकता है। हम इन वर्गों को अभावग्रस्त समूह में इसलिए रखते हैं कि उनके साथ आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भेदभाव होता है तथा वे स्वतन्त्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बन सकते। ऐसे कुछ समूह हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाएँ आदि।
- अभावग्रस्त समूहों के विकास सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन तरफा रणनीति अपनाई; (i) सामाजिक सशक्तीकरण, (ii) आर्थिक सशक्तीकरण तथा (iii) सामाजिक न्याय के माध्यम से दमन व शोषण का उन्मूलन तथा विषमताओं को दूर करना और इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।
- दो प्रमुख कार्यक्रम जो देश में दो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उदाहरणार्थ शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो कायक्रर्म है सर्वशिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ।

पाठान्त प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा विकास के सभी आयामों को समाहित क्यों नहीं करती? दो कारण बताइए।

2. भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन और सामाजिक आर्थिक विषमताएँ क्यों हैं? इसके लिए उत्तरदायी छः कारकों का विश्लेषण कीजिए।

3. समाज के अभावग्रस्त वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए छः कदमों की व्याख्या कीजिए।

4. विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करने तथा शिक्षा में उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।

5. साक्षरता अभियान क्या है? इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनाए जाने वाली विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1

1. सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) आर्थिक कल्याण व स्तर को मापने का एक विशेष तरीका है लेकिन इसके अन्तर्गत आराम का समय, पर्यावरण की गुणवत्ता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता जैसे पक्षों को शामिल नहीं किया जाता, इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय सभी लोगों में आय का समान वितरण का सूचक नहीं है।

2. यह मानव जीवन के सभी पक्षों को समाहित करता है। यह लोगों को विकास सम्बन्धी चर्चाओं और चिन्ताओं के केन्द्र में रखता है और इस बात पर जोर देता है कि विकास का उद्देश्य मनुष्यों के लिए विकल्पों का विस्तार करना है और न केवल आय वृद्धि।

3. विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता न करे उसे संधारणीय विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है।

4. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि;

   (i) भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार विनिमय दर के आधार पर दुनिया की 12वीं तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

   (ii) 2007-08 में मानव विकास सूचकांक में 177 देशों में से भारत का स्थान 128वाँ है।

   (iii) 27.5 प्रतिशत भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।

   (iv) भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या क्रय शक्ति समता (पी पी पी) के आधार पर आज भी 2 डॉलर प्रतिदिन तक की आय पर रहता है।

25.2

1. कुछ भेद प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हैं। प्रकृतिजनित भेद व अन्तरों को विविधता कहा जाता है। लेकिन कुछ भेद मनुष्यकृत होते हैं, मनुष्यकृत भेद और अन्तर को विषमता कहा जाता है।

2. स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व जिन क्षेत्रों का वाणिज्यिक महत्त्व नहीं था उनके विकास को नजरंदाज किया गया, यह स्थिति स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भ जारी रही।

3. (घ)

4. (ग)

25.3

1. सामाजिक रूप से अभावग्रस्त प्रमुख समूह हैं; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिलाएँ।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदम। इसके कारण है–

   (i) विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे मध्याह्न भोजन, पुस्तक आपूर्ति आदि।

   (ii) अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष स्कूल जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, छात्रवृत्ति आदि में इन वर्गों को विशेष सुविधा व व्यवहार।

   (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एन एस एफ डी सी, एन एस के एफ डी सी, एन एस टी एफ डी सी, एस सी डी सी, एस टी डी सी आदि संस्थाओं की स्थापना की गई है।

   (iv) ट्राइफेड अनुसूचित जनजातियों को अपने वन्य उत्पादों को बेचने के लिए बाजार प्रदान करता है।

3. हमारे समाज में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अब तक किए गए प्रयास असफल रहे हैं क्योंकि

   (i) शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन संसाधनों तक महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं की पहुँच अपर्याप्त है।

   (ii) वे वंचित, गरीब व सामाजिक रूप से वहिष्कृत है।

4. सर्वेक्षण विद्यार्थी स्वयं करे।

मूल्यांकन संकेत शब्द

अधिगम उद्देश्य	मूल्यांकन साधन/उपकरण	अंक प्राप्ति कुंजी
सामाजिक आर्थिक विकास के लैंगिक पहलू का विश्लेषण करना।	छोटा सर्वेक्षण करना।	स्तर-1 (0 से 33 प्रतिशत अंक) (अप्रयाप्त उत्तर और प्रतिक्रियाएँ) शिक्षार्थी तीन में से केवल एक का उत्तर दे पाता है। स्तर-2 (34-55) (सुधार की आवश्यकता) शिक्षार्थी तीन में से दो विषयों का उत्तर दे पाता है। स्तर-3 (56 से 75 प्रतिशत अंक कमोवेश सन्तुष्टि जनन) शिक्षार्थी तीनों विषयों का उत्तर देने योग्य है। स्तर-4 (अंक 76-100 बहुत अच्छा) शिक्षार्थी सभी तीनों विषयों का उत्तर लैंगिक निहितार्थ सभी आयामों सहित देने में सक्षम है।

25.4

1. (i) स्कूली आयु के बच्चे जो स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करा रहे हो या स्कूल से बाहर हो।

   (ii) प्रौढ़ निरक्षर।

2. (i) मृत्युदर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय 27.4 प्रति हजार से गिरकर 2001 में 8.5 प्रति हजार हो गई।

   (ii) बाल मृत्युदर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय 134 प्रति हजार से गिरकर 2001 में 71 बच्चे प्रति हजार हो गई।

   (iii) जीवन प्रत्यासा 1947 में 32 वर्ष से बढ़कर 2001 में 65 वर्ष हो गई।

   (iv) कुष्ठ निवारण, पोलियो, नवजात शिशु टेटनस, आयोडीन की कमी सम्बन्धी रोग आदि नियन्त्रण और उन्मूलन में लगातार प्रगति हुई है। (कोई दो)

3. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब साक्षरता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान अब दोनों ही एक साक्षरता योजना के अन्तर्गत चलाए जाएँगे। इससे निरक्षरता की विशालकाय समस्या का सम्पूर्ण रूप से निदान हो पाएगा।

4. हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण अत्यधिक असमान है, ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएँ बड़े शहरों और नगरों में संकेन्द्रित हैं। इस प्रकार की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की गई।

26

पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन

यदि आप एक गाँव में रहते हैं, तो आपने भूमि का उपयोग फसलें पैदा करने के लिए या आवासों का निर्माण करने के लिए पेड़ों को उगाने के लिए करते हुए देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि छोटे जल निकाय जो कुछ समय पहले अस्तित्व में थे अब नहीं देखे जाते हैं। यदि आप एक शहर के निवासी हैं तो आपने बहुमंजिली इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। हम सभी असंख्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसों द्वारा प्रदूषित वायु का प्रभाव अनुभव करते हैं। समाचार-पत्र पढ़कर या रेडियो पर वार्तालाप सुनकर या दूरदर्शन पर देखकर हमें पता चलता है कि नदियों और यहाँ तक कि भूमिगत जल को भी किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। हमें यह भी पता चलता है कि जल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को, लोगों की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, काटा जा रहा है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि इन सभी का हमारे प्रयावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण क्षरण बहुत सी मानव निर्मित आपदाओं और प्राकृतिक संकटों को उत्पन्न किया है। आप इन में से कुछ जैसे भोपाल गैस त्रासदी, सुनामी, भूस्खलन और लंदन धूम-कोहरा (स्माग) आदि और उनके प्रबन्धन के बारे में जानते होंगे। इस पाठ में हम प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक संकटों से पर्यावरण का सम्बन्ध और उनके प्रबन्धन के विषय में पढ़ेंगे।

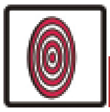

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप,

- पर्यावरण ओर पर्यावरणीय क्षरण को परिभाषित कर सकेंगे;
- पर्यावरण के विभिन्न भौतिक और जैविक घटकों की पहचान कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों और पर्यावरण में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी मनुष्य के विविध कार्यकलापों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण के परिणाम का अनुमान लगा सकेंगे;

- पर्यावरण के संरक्षण के महत्त्व को उजागर कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- आपदा और सांस्कृतिक संकटों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे;
- पर्यावरण की सुरक्षा और उसे बनाए रखने में व्यक्तियों और समाज की भूमिका का परीक्षण कर सकेंगे;
- आपदा प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं का सुझाव दे सकेंगे और
- स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न तरीकों को बता सकेंगे।

26.1 पर्यावरण का अर्थ

पर्यावरणीय क्षरण की चर्चा आइए हम पर्यावरण शब्द का अर्थ समझकर करते हैं। 'पर्यावरण' शब्द का क्या अर्थ है? सामान्यतः वातावरण का अर्थ है वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं। आपने सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, साहित्यक पर्यावरण और स्कूल पर्यावरण जैसे शब्दों को पढ़ा या सुना होगा। परन्तु उस पर्यावरण, जिसकी हम चर्चा करेंगे, का अर्थ भिन्न है।

कार्यकलाप 26.1

ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर, क्या आप किन्हीं चार तरीकों की सूची बना सकते हो जिसमें वातावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान सन्दर्भ में, पर्यावरण का अर्थ अपने अन्तर्सम्बन्धों के साथ उन सभी घटकों, प्रक्रियाओं और स्थितियों से है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसको जीवन के चारों ओर सभी दशाओं और परिस्थितियों तथा जीवित और अजीवित वस्तुओं के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सभी इस जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं।

आइए एक ठोस उदाहरण के माध्यम से इस अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। आप चित्र 26.1 में पेड़, फूल, पौधे, घास, तितली और दो बच्चों के साथ पति-पत्नी को एक पार्क में देख रहे हैं।

दम्पत्ति के बच्चों के लिए, पार्क में पेड़, पौधे, फूल, खेल उपकरण हवा, और पानी आदि पर्यावरण के अन्दर सम्मिलित हैं। तालाब में मछली तैर रही हैं लेकिन मछलियों के लिए पर्यावरण वही नहीं है। मछलियों के लिए तालाब का घेराव ही पर्यावरण है। इसलिए किसी भी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, पौधा अथवा एक जानवर के लिए पर्यावरण का अर्थ वे सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएँ सम्मिलित है जो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी जीव के पर्यावरण के दो घटक हैं–जीवित और निर्जीव।

तालाब में जीवित और निर्जीव वस्तुएँ पर्यावरण बनाती हैं। जीवित घटक की जैविक के रूप में जाना जाता है जिसमें मनुष्य, पौधे, पशु, अन्य जीव उनके भोजन और उनकी बातचीत आदि

शामिल हैं दूसरे घटक निर्जीव को अजैविक के रूप में जना जाता है जिसमें धूप, मिट्टी, हवा, पानी, भूमि, जलवायु आदि शामिल है।

चित्र 26.1 : एक पार्क में खेलते बच्चे एवं दम्पत्ति

कार्यकलाप 26.2

पर्यावरण को अच्छी समझ के लिए, अपने आस-पास का वस्तुओं का इस वर्गीकरण के आधार पर दो सूची बनाइए। जैविक घटक की सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए जो जीवित हैं तथा अजैविक घटकों की दूसरी सूची में उन सभी वस्तुओं का शामिल कीजिए जो जीवन रहित हैं।

26.2 पर्यावरण का वर्गीकरण

जब हम जानकारी के विभिन्न स्रोतों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पर्यावरण को कई तरह से विभिन्न कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम यह पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, साहित्यिक पर्यावरण और स्कूल के पर्यावरण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह वर्गीकरण विशिष्ट सन्दर्भ में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और स्कूल पर आधारित हैं। लेकिन वह पर्यावरण जिसे हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वह उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत है। पर्यावरण को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है–प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण।

प्राकृतिक पर्यावरण इसमें वे सभी जीवित और अजैविक वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसमें रहने की जगह का प्रकृति शामिल हैं यह रहने की जगह भूमि या समुद्र हो सकती है अथवा यह मिट्टी या पानी हो सकता है। इसमें रासायनिक घटक और रहने की जगह के भौतिक गुणों, जलवायु और जीवों की किस्म भी शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण में दोनों जैविक और अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये सभी प्राकृतिक

रूप से विकसित हुए हैं। इन घटकों का विकास किसी भी मानवीय हस्तक्षेप या समर्थन के बगैर प्राकृतिक रूप से हुआ है। यह सच है कि मनुष्य एक ऐसे पर्यावरण में रहता हैं जहाँ दोनों जैविक और अजैविक कारक उन्हें प्रभावित करते हैं। हम खुद इसके अनुकूल बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के सृजन और विकास में कोई भूमिका नहीं है।

मानव-निर्मित पर्यावरण–दूसरी ओर मानव-निर्मित पर्यावरण में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए किया है। मनुष्य उन सभी आस-पास की चीजों का निर्माण करता है जो मानवीय अनुक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। यह वस्तुएँ बड़े स्तर पर नगरपालिका की सीमाओं से लेकर व्यक्तिगत मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मकान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रेलवे लाइन, पुल और पार्क आदि सभी मानव-निर्मित पर्यावरण के घटक हैं।

चित्र 26.2 : पर्यावरण का वर्गीकरण

मनुष्य के रहन-सहन में ये पर्यावरण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक मानदण्ड और मूल्यों, मानव संस्कृति और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं जिनके साथ वह पारस्परिक सम्बन्ध रखता है, सभी सम्मिलित हैं।

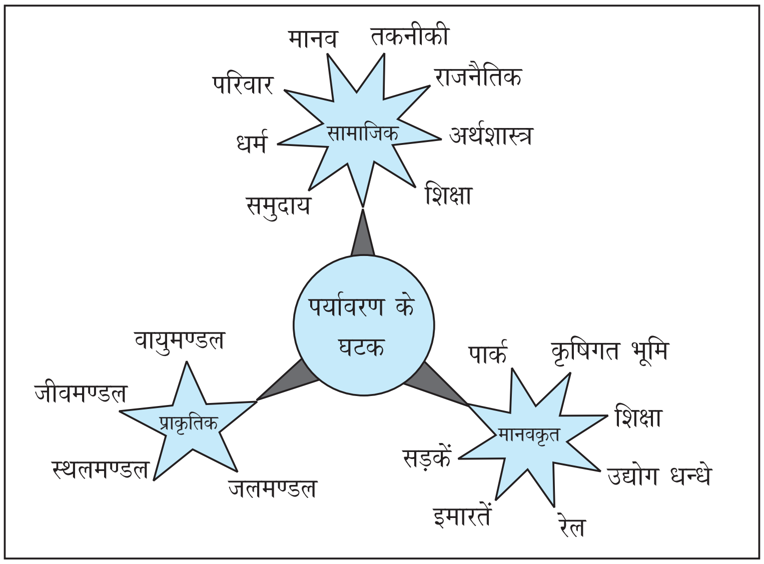

चित्र 26.3 : पर्यावरण के घटक

अब तक के अध्ययन के बाद हम समझ गए हैं कि सामान्य रूप से किसी भी स्थान पर पर्यावरण प्राकृतिक घटक और मानव-निर्मित घटक के संयोजन या उनका कुल योग है। उदाहरण के लिए, एक कस्बे या शहर में लोग और जीव-जन्तु रहते हैं। भूमि, हवा, पानी और पेड़ इमारतें जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, जबकि इमारतें, सड़कें तथा अन्य स्कूल अस्पताल, पानी और बिजली की आपूर्ति करने के लिए अन्य प्रतिष्ठान मानव-निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण की मदद से ही मानव-निर्मित पर्यावरण को विकसित करता है।

26.3 पर्यावरण की गतिशीलता और विविधता

जैसा कि आप देखते हैं और पता हैं कि पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता है। इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी गतिशीलता है। यह लगातार बदल रहा है। पर्यावरण के दोनों घटक जैविक और अजैविक स्वभाव से गतिशील हैं। आइए यह जानते हैं कि गतिशीलता क्या है और यह कैसे कार्य करती है? पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा ऐतिहासिक रूप से एक समय से दूसरे समय में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हिमालय का पर्यावरण वृहत्त भारतीय मरुस्थल से भिन्न है और वहाँ भी वर्षो और दशकों से एक जैसा नहीं रहा है। विभिन्न मौसमों और विभिन्न स्थानों पर जलवायविक दशाएँ बदल जाती हैं। यदि आप एक ही जगह के पर्यावरण के विकास की 20 या 30 साल की अवधि में देखते हैं, तो आप पाएँगे कि उस जगह का पर्यावरण बदल गया है। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं जबकि दूसरे परिवर्तन मनुष्य की गतिविधियों के कारण होते हैं।

यहाँ तक कि मानव-निर्मित पर्यावरण भी समय और स्थान के साथ बदल रहा है। मानव आवास में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। गगनचुम्बी इमारतें जिन्हें आज आप कई शहरों में देखते हैं 20 साल पहले मौजूद नहीं थी। बहुत से गाँव, कस्बों, शहरों और महानगरों में बदल गए। परिवहन और संचार के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये सभी परिवर्तन और विकास पर्यावरण की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। जिस शहर या गाँव में आप रहते हैं वहाँ के मानव निर्मित पर्यावरण का अवलोकन करो, सोचो और समझो कि वहाँ पर पिछले कुछ वर्षो में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। वहाँ जो परिवर्तन हुए हैं क्या वे उल्लेखनीय नहीं है?

पर्यावरण प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है।

पाठगत प्रश्न 26.1

1. निम्नलिखित को जैविक और अजैविक समूह में रखिए :

   पौधे, जल, मृदा, पशु, आग, रोगाणुओं, स्थलाकृति, जीवाणु

जैविक	अजैविक

2. उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए :

(क) पर्यावरण को .... और .... में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(ख) पर्यावरण का वर्गीकरण इसके .... के आधार पर भी किया जा सकता है।

(ग) सड़कें इमारतें और स्कूल .... पर्यावरण के हिस्से हैं।

(घ) पर्यावरण गतिशील है क्योंकि ....

कार्यकलाप 26.3

अपने आस-पास की चीजों की एक सूची बनाओ और उनहें दो श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। पहली श्रेणी में उन चीजों का उल्लेख करें जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं, और दूसरी श्रेणी में उन चीजों को रखें जिनके बगैर आप रह सकते हैं।

26.4 पर्यावरण का महत्त्व

हम हमेशा कहते हैं कि पर्यावरण हमारे कल्याण और अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वास्तव में यह मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि, विकास और उनके जीवन को प्रभावित करता है। हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताएँ पर्यावरण से पूरी होती हैं। यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति करता है और असंख्य जीवों का भरण-पोषण करता है। हम भोजन, आवास, जल, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, दवाओं, फाइबर, कच्चे पदार्थ आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण वायुमण्डलीय संरचना को बनाए रखता है और सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की रक्षा करता है। लेकिन इन सभी लाभों के होते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है और इसका लगातार क्षरण हो रहा है। पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग विवेकहीन तरीके से हो रहा है। हम पर्यावरण के प्रदूषण में बड़े खतरनाक तरीके से योगदान दे रहे हैं।

क्या आप जानते हैं

पर्यावरण का क्षरण दस में से एक आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय खतरा पैनल द्वारा आगाह खतरों में से एक है। विश्व संसाधन संस्थान (डबल्यू आर आइ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) और विश्व बैंक ने स्वास्थ्य और दुनिया भर में पर्यावरण पर 1 मई, 1998 को एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक की।

26.5 पर्यावरणीय क्षरण

पर्यावरणीय क्षरण क्या है? आइए इसे हम समझते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण अर्थात् वायु, जल और भूमि का उत्तरोतर प्रदूषण और अतिदोहन द्वारा नष्ट होना है। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उसे पर्यावणीय क्षरण कहा जाता है। विशिष्ट शब्दों में पर्यावरणीय क्षरण वायु, जल, मृदा और वन जैसे संसाधनों के गुणवत्ता में कमी के द्वारा तथा पारिस्थितिक तन्त्र के नष्ट होने और वन्य जीवों के विलुप्त होने से पर्यावरण की अवनति होता है। आइए अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को याद करते हैं। हम भविष्य की चिन्ता किए बगैर पानी, मिट्टी, पेड़, कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम लापरवाही से पारिस्थितिकी तन्त्र के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं और जानबूझकर वन्य जीवों को मार रहे हैं। वास्तव में पर्यावरणीय क्षरण के कई रूप हैं। जब भी प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, जैव विविधता समाप्त हो जाती है अथवा प्राकृतिक संसाधन घट जाते हैं और पर्यावरण का नाश होता है।

26.6 पर्यावरणीय क्षरण के कारण

अब तक की चर्चा के आधार पर हम अब जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण मानव समाज और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन पर्यावरण का क्षरण बेरोकटोक होता जा रहा है। हमें समय-समय पर पर्यावरण की अवनति या गिरावट और उसके दुष्परिणामों जैसे वैश्विक तापन, जलवायविक परिवर्तन, आसन्न जल संकट, कृषि भूमि की घटती उर्वरता और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान किया जा रहा है। सभी सम्भव प्रयास करके पर्यावरणीय क्षरण को रोकने की तुरन्त आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पर्यावरणीय क्षरण के कारण समझें। इसके महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं –

सामाजिक कारक

बढ़ती जनसंख्या : बढ़ती जनसंख्या किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन है और उसके विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देनेवाला है लेकिन इसके बावजूद यह पर्यावरणीय क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। विशाल जनसंख्या विशाल कचरे का उत्पादन करती है। इसके परिणाम स्वरूप ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण और कृषि योग्य भूमि पर विविध प्रकार दवाब बढ़ रहा है। ये सभी पर्यावरण पर बहुत अधिक दवाब डाल रहे हैं। यदि आप भारत का उदाहरण ले, तो यह विश्व के कुल भूमि क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या के 17 प्रतिशत भाग का भरण-पोषण कर रहा है।

गरीबी : गरीबी पर्यावरण क्षरण का कारण भी हे और परिणाम भी। आपने देखा होगा कि गरीब लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। वे अपनी झोंपड़ियों के निर्माण, खाना पकाने के लिए, अपने भोजन के लिए और कई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इस तरह से ये लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से कर रहे हैं। अमीर लोग अन्य संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संसाधनों का अधिक उपयोग पर्यावरण का अधिक क्षरण करता है। पर्यावरण में जितनी गिरावट आ रही है गरीब उतना ही अधिक गरीब होता जा रहा है।

नगरीकरण : आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग आजीविका की तलाश में गाँव से कस्बों, शहरों और महानगरों की ओर आ रहे हैं। इससे शहरों का तेजी से अनियोजित विस्तार हुआ है और मूलभूत सुविधाओं पर अत्यन्त दवाब पड़ा है। यदि आप शहर में रहते हैं, तो आपने पानी आवास और बिजली की आपूर्ति और सीवेज पर इन दवाबों का अनुभव किया होगा। आपको बढ़ती हुई मलिन बस्तियों के बारे में पता होगा। शहरी मलिन बस्तियाँ प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं और निम्नतम स्तर की अस्वच्छ दशाओं से घिरी हुई हैं। शहरीकरण की तेज गति, जंगलों के घटने और अन्य संसाधनों के विवेकहीन इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है।

जीवन शैली में परिवर्तन : लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन न केवल शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों में दिखाई देता है बल्कि गाँवों में रहने वाले लोगों में भी दिखाई देता है। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन ने संसाधनों के उपभोग का स्तर बहुत बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय अनुक्रियाएँ बढ़ गई हैं जिससे पर्यावरण को कई तरह से बहुत नुकसान हो रहा है। उसने हवा, पानी, ध्वनि, वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ाया है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की तरह के आधुनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग का नतीजा वातावरण में हानिकारक गैसों का मिलना है। इससे वैश्विक तापन हो रहा है जो बहुत खतरनाक है। वास्तव में, आधुनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग खतरनाक है। आधुनिक उपकरणों के अधिक उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का रिसाव होता है जो वायुमण्डल में मिलकर वैश्विक तापन का कारण बनता है।

क्या आप जानते हैं

कलोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) : यह एक निष्क्रिय बेजान गैस है। लेकिन जब यह अन्य गैसों के साथ सम्पर्क में आती है, यह हानिकारक हो जाती है। यह ओजोन परत में ह्रास के लिए जिम्मेदार है।

आर्थिक कारण

कृषि विकास हमारे जैसे देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। लेकिन यह पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। बहुत-सी कृषि पद्धतियाँ विशेषकर कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली पर्यावरण को सीधे प्रभावित कर रही हैं। इन गतिविधियों से मृदा अपरदन, भूमि कालवर्णीकरण, क्षारीयता और पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जैसा कि हम भारत में अनुभव कर रहे हैं, हरित क्रान्ति से भूमि और जल संसाधनों का दोहन बहुत अधिक बढ़ा है। उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल जल निकायों के प्रदूषण और भूमि क्षरण का कारण बन रहा है।

औद्योगीकरण : पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण तीव्र औद्योगीकरण भी है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर, हम पाते हैं कि अधिकतर उद्योगों ने ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई हुई है जिससे पर्यावरण पर भारी दवाब पड़ता है। इन प्रौद्योगिकी से संसाधनों और ऊर्जा का ज्यादा उपयोग होता है। औद्योगीकरण की वर्तमान गति से प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज और लकड़ी घट रही हैं और जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही हैं। ये सभी पारिस्थितिक तन्त्र को गम्भीर नुकसान पहुँचा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

आर्थिक विकास : यह एक तथ्य है कि आर्थिक विकास का प्रतिरूप भी पर्यावरणीय समस्याओं को पैदा कर रहा है। आर्थिक विकास की गति संसाधनों पर भारी दवाब डाल रही है। आज की अर्थव्यवस्था उपभोगवादी बन गई है जिसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और ऐसी शैली को जन्म देती है जिससे अधिक अपव्यय होता है। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और उनका अपव्यय पर्यावरण की अवनति के लिए उत्तरदायी है।

कार्यकलाप 26.4

पर्यावरण क्षरण के कुछ महत्त्वपूर्ण कारणें की ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन कुछ और कारण भी हैं जैसे वनों की कटाई, खनन गतिविधियाँ, मोटर वाहन और औद्योगिक अवशिष्ट, बहुत ज्यादा

कचरा पैदा करना, खतरनाक रेडियो सक्रिय कचरा, तेलरिसाव तथा बड़े बाँधों एवं जलाशयों का निर्माण।

आप विभिन्न स्रोतों जैसे पुस्तकें और पत्रिकाओं से इनके विषय में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और पर्यावरण को इससे होने वाले नुकसान पर संक्षिप्त में टिप्पणी तैयार कर सकते हैं।

26.7 पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम

पर्यावरणीय क्षरण एक बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक और लापरवाही पूर्वक दोहन और उनके अवैज्ञानिक प्रबन्धन के कारण उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में, यह दुनिया के सभी देशों के लिए एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है। जैसा ऊपर कहा गया है; हवा, पानी और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी कचरे, रेडियो सक्रिय कचरे, उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल करने के कारण आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। यदि आप निम्न बॉक्स में दिए गए तथ्यों को पढ़ें तो आपको पर्यावरणीय क्षरण की गम्भीरता का एहसास हो सकता है।

सोचो और विचारो

- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत भाग अवक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से ग्रसित है इसके प्रमुख कारण वनों की कटाई, अत्यधिक कृषि का कुप्रबन्धन, स्थानान्तरी कृषि, मृदा, अपरदन, मृदलवणीकरण, भराव, क्षारीयता और अम्लीय वर्षा है।
- मृदा अपरदन के कारण हम मृदा की ऊपरी परत का लगभग 5.3 अरब टन भाग प्रति वर्ष खो देते हैं। एक आकलन के अनुसार औसत मृदा-अपरदन प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 15 टन से कुछ अधिक है। यह प्रतिवर्ष एक मिलीमीटर या प्रति दशक 1 सेंमी. के बराबर होती है। इस एक सेंमी. मृदा का निर्माण करने में प्रकृति को लगभग 1000 वर्ष लगते हैं।
- वैश्विक तापन के कारण अनाज का उत्पादन काफी घट जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य पर वैश्विक तापन के तीव्र प्रभाव से अधिक चिन्तित हो रहे हैं। तापन जलवायु गम्भीर संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार है।
- बढ़ते तापन से कुछ फसलों का वर्धनकाल लम्बा हो रहा है।
- हिमालय के हिमनद पिघल रहे हैं। परिणामस्वरूप हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सूख जाएँगी।
- पछुआ पवनों के 2009 में बाधित होने के कारण शीत ऋतु में उस वर्ष कम वर्षा हुई।

पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारणों में से ठोस कचरे का उत्पादन प्रमुख है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोग प्रतिवर्ष 10 अरब टन ठोस कचरा फेंक देते हैं। अगर हम सभी कचरे को समुद्र तल पर एक शंकु के आकार में इकट्ठा करें तो एक किलोमीटर के क्षत्र में एक पिरामिड बन जाएगा जिसका शीर्ष माउण्ट एवरेस्ट से भी ऊँचा होगा। इस तरह से हम प्रतिवर्ष कूड़े-कचरे

का एक माउण्ट एवरेस्ट बना रहे हैं। हम वस्तुओं के पुनर्चक्रण, दोबारा प्रयोग और उपयोग को घटाकर न केवल धनोपार्जन कर सकते हैं बल्कि अपने पर्यावरण को क्षरण से भी बचा सकते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में इसका विवरण दिया गया है।

पुनर्चक्रण		**पुनः उपयोग**		**उपभोग घटना**	
किसका पुनर्चक्रण करें	**इसका प्रभाव**	**किसका पुनः उपयोग करें**	**कैसे करें**	**किसका उपभोग घटाएँ**	**कैसे घटाएँ**
जैविक कचरा जैसे केले के छिलके, अण्डे का छिलका तथा बची हुई सब्जियाँ	इसे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी	बाहरी टिन डिब्बा	पेन्सिल बॉक्स बनाकर उपयोग किया जा सकता है	प्लास्टिक	खरीददारी करने के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करें और प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग बन्द कर दें।
कागज	पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है	कागज	जिन कागजों का प्रयोग नहीं हुआ उनसे डायरी बनाई जा सकती हैं।	बिजली	जब आप कमरे से बाहर निकलें तो पंखा, बिजली बन्द कर दें।
एल्मूनियम	इससे बाक्साइट अयस्क की कम आवश्यकता होगी।	कपड़ा	इससे गलीचा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है।	जल	जब पानी की आवश्यकता हो तो टोंटी बन्द कर दीजिए और उतने ही जल का भण्डारण करें जितने की आवश्यकता हो।

पुनर्चक्रण	**पुनः उपयोग**	**उपभोग घटना**
जैविक कचरा जैसे केले के छिलके, अण्डे का छिलका और बची-खुची सब्जियाँ **मृदा की उर्वरता बढ़ाएगी**	बाल्टी/डिब्बे/टिन पेन्सिल बॉक्स	प्लास्टिक खरीददारी के लिए कपड़े केथैले का प्रयोग करें।
कागज पेड़ों का संरक्षण	**कागज** बचे हुए उन कागजों से रफ पैड बनाएँ जिनका प्रयोग नहीं हुआ है।	**बिजली** जब आप कमरे से बाहर जाएँ तो पंखा और बिजली के उपकरण बन्द कर दें।

चित्र 26.4 : पर्यावरण को बचाने

आप क्या कर सकते हैं?

- आप परिहितेषीय एवं जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं एवं इनके प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
- आप पुनर्चक्रण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने घर के कचरे को अलग-अलग कर सकते हैं।
- आप प्लास्टिक पैकिंग के उत्पादन को मना कर सकते हैं और कागज और कपड़े की तरह अधिक परम्परागत पैकिंग सामग्री पर निर्भर कर सकते हैं।
- आप परि हितेषीय रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की माँग कर सकते हैं जिनमें सीएफसी का उपयोग नहीं होता।

26.8 सतत् विकास

पर्यावरण क्षरण के और भी अधिक गम्भीर परिणाम हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। अक्सर यह विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह एक सशक्त विचार है जो मानव समाज द्वारा अपनाया गया विकास का मॉडल पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण है। सतत विकास की अवधारणा एक विकल्प के रूप में सामने आई है जो पर्यावरणीय क्षरण को रोक सकेगी। हालाँकि सतत विकास का प्रयोग विभिन्न अर्थों के साथ विभिन्न सन्दर्भों में किया गया है। लेकिन पर्यावरण और विकास के सन्दर्भ में इसका एक विशेष अर्थ है।

यह एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग को समाप्त किया जाए जिससे पर्यावरणीय रिक्तीकरण होता है। सततता का अर्थ है कि विकास की आवश्यकताओं का ऐसा प्रबन्धन हो जिससे जिस प्राकृतिक वातावरण पर हम निर्भर है उसे नष्ट किए बगैर यह सुनिश्चित करें कि अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बने रहे। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरह से उपयोग करके सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

26.9 आपदा प्रबन्धन

पर्यावरणीय क्षरण के और भी अधिक गम्भीर परिणाम हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में आपदा के कारण बढ़ता विध्वंस पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के कुप्रबन्धन की वजह से उत्पन्न परिणाम है। आपदाएँ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं, लेकिन उन्हें नियन्त्रित किया जा सकता है।

हम आपदा शब्द का अर्थ समझकर आपदा प्रबन्धन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपदा एक त्रासदी है जो नकारात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को प्रभावित करता है। आपदाओं का अनुपयुक्त प्रबन्धन जोखिम के परिणाम के रूप में देखा जाता है। अपनी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है–प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा तब होता है जब प्राकृतिक जोखिम (जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकम्प या बाढ़) मानव जीवन को प्रभावित करता है। मावीय क्रियाओं जैसे, लापरवाही, त्रुटि या एक प्रणाली की विफलता

के द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, हमारे देश के भिन्न भागों में होने वाले भूस्खलन के कारण आई बाढ़ ऐसी आपदाओं के उदाहरण हैं। वैश्विक तापन एक महान् आपदा होने जा रहा है, और यह भी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव हस्तक्षेप का परिणाम है।

हालाँकि एक आपदा के परिणाम बहुत सारे हैं, परन्तु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपयुक्त रणनीति अपनाकर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबन्धन कहा जाता है। आपदा प्रबन्धन प्रणाली के चार चरण है–कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान।

कम करना

'मिटीगेशन' आपको एक तकनीकी या कठिन शब्द लग सकता है। इसका अर्थ उस प्रयत्न से हैं जो खतरों को आपदा बनने से रोकते हैं तथा जब आपदा आ जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने से है। यह चरण अन्य चरणों से अलग है क्योंकि यह जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए लम्बी अवधि के उपायों पर केन्द्रित है। इस चरण से पहले भी, जोखिम की पहचान का एक चरण हो सकता है। इससे पहले कि आप योजना और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करें, जोखिम की पहचान करना बेहतर है। उदाहरण के लिए, बरसात के मौसम के दौरान, वहाँ एक नदी में बाढ़ की सम्भावना हो सकती है। यदि संभावित बाढ़ की वजह से होनेवाली क्षति की पहचान कर ली जाए तो नुकसान को कम करने और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई जा सकती है।

तैयारी

तैयारी चरण में आपदा प्रबन्धकों द्वारा आपदा आने पर योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसमें शामिल है (क) आसानी से समझ में आने वाली शब्दावली और विधियों के साथ संचार की योजना, (ख) उचित रखरखाव और आपातकालीन सेवाओं का प्रशिक्षण, (ग) आपातकालीन आश्रयों और निकासी की योजना का विकास, (घ) आपदा के लिए वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखना और (ङ) आम जनता में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संगठनों का विकास करना।

अनुक्रिया

जब आपदा आ जाती तो अनुक्रिया चरण के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अन्तर्गत आवश्यक आपातकालीन सेवाओं और लोगों को संगठित करना है जो आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस और एम्बुलेन्स कर्मचारियों के रूप में शामिल होने की सम्भावना है। तैयारी चरण के रूप में अच्छी तरह से नियोजित कार्यनीति वचाव कार्य में सफल समन्वयन सिद्ध होती है।

पुनरुत्थान

पुनरुत्थान चरण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को उसकी पहली जैसी दशा में लौटाना है। यह अपने कार्य में अनुक्रिया चरण से भिन्न है। पुनरुत्थान प्रयासों के मुख्य रूप से उन कार्यों से सम्बन्धित होते हैं जिनमें नष्ट सम्पत्ति को दोबारा बनाना, पुनः रोजगार और आवश्यक बुनियादी ढाँचे की मरम्मत या पुनर्निर्माण शामिल है।

कार्यकलाप 26.5

भूकम्प, सुनामी, भूस्खलन, सुखा, बाढ़ और चक्रवात छः प्रमुख आपदाएँ हैं जिससे दुनिया भर में अपार धन-जन की हानि होती हैं। क्या आप ऊपर वर्णित चार चरणों कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान के आधार पर इनमें से किसी एक पर आपदा प्रबन्धन की योजना बना सकते हैं?

पाठगत प्रश्न 26.2

1. उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए :

   (क) जब आवास नष्ट हो जाते हैं, तो .... खो जाती है।

   (ख) आधुनिक उपकरण उत्सर्जित करते हैं और .... पैदा करते हैं।

   (ग) उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग और .... का प्रमुख स्रोत हैं।

   (घ) पर्यावरण क्षरण के सबसे बड़े कारणों में से एक .... का उत्पादन है।

2. आपदा का क्या अर्थ है? आपदा का कोई एक उदाहरण दीजिए।

3. कार्यकलाप : कचरा सवेक्षण

   अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें तीन तरीकों में से निपटाने के लिए कचरे को इकट्ठा करने और आवश्यक कदम उठाए यानी उसका पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग तथा उपभोग में कमी इस सन्दर्भ में आपको अवलोकन करना है कि आपके घर, क्षेत्र कॉलोनी में अपशिष्ट का निम्नलिखित प्रारूप में साप्ताहिक सर्वेक्षण कीजिए और लिखिए कि उसमें से किसका पुनर्चक्रण हो सकता है, किसको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है और किसके उपभोग को घटाया जा सकता है।

दिन	**पुनर्चक्रण**	**दोबारा उपयोग**	**उपभोग को घटाना**
सोमवार			
मंगलवार			
बुधवार			
गुरुवार			
शुक्रवार			
शनिवार			
रविवार			

उपर्युक्त तालिका में सप्ताह के प्रत्येक दिन आपके घर में उत्पन्न होने वाले का नाम लिखें एक सप्ताह के बाद यह देखें कि कौन सा कचरा अधिक उत्पन्न हुआ है। पाठ में बताए गए तरीके से पुनः उपयोग अथवा उपभोग को घटाइए। यही अभ्यास दूसरे सप्ताह भी कीजिए औ दोनों सप्ताहों के परिणामों की तुलना कीजिए। आपको पता चलेगा कि 'उपभोग में कमी' के अन्तर्गत कचरा काफी कम हुआ है।

4. अपने उन कार्यकलापों की सूची बनाइए जिसे हम पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं :

क्रम संख्या	कार्यकलाप
1.	प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करना और उन्हें नालियों में फेंक देना
2.	बस स्टॉप पर खड़े होकर पौधों या पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

आपने क्या सीखा

- पर्यावरण शब्द का अर्थ है वे सभी तत्व, प्रक्रियाएँ और दशाएँ जो अपने अन्तर्सम्बन्धों के साथ हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह सभी दशाओं और प्रभावों का कुलयोग है जो किसी भी जीव विकास को प्रभावित करता हैं। पर्यावरण के दो घटक हैं—जैविक और अजैविक। यह वर्गीकरण निर्माण या विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। पर्यावरण को दो मुख्य श्रेणियों, अर्थात् प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में भी वगीकृत किया जा सकता है। पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, बल्कि यह जगह और समय के अनुसार बदलता रहता है। दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण प्रकृति में गतिशील हैं। आपने मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तन होते हुए देखा होगा। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम भोजन, आवास, पानी, हवा, मिट्टी और ऊजा, दवाओं, कच्चे माल आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण के ऐसे महत्त्व के बावजूद, हम विकास के नाम पर इसका क्षरण कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, नगरीकरण, बदलती जीवन शैली, कृषि विकास, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, सामाजिक और आर्थिक कारक पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारण हैं। हमें कुछ सरल नियमों और मानदण्डों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।
- बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएँ, पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के कुप्रबन्धन की वजह से आ रही हैं। आपदाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक और मानव

निर्मित। आपदा प्रबन्धन चार चरणों की गतिविधियों की एक शृंखला है। ये हैं कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान। हालाँकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन उनका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट कीजिए।
2. विकास के आधार पर पर्यावरण को वर्गीकृत कीजिए। उन्हें अपने परिवेश से उदाहरण देकर समझाइए।
3. पर्यावरण प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है। उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
4. पर्यावरण के महत्त्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
5. पर्यावरण क्षरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण क्षरण के कारकों की व्याख्या कीजिए।
6. पर्यावरण को क्षरण से बचाने के लिए कोई तीन उपाय सुझाइए।
7. मनुष्य के किन्हीं दस कार्यकलापों की सूची बनाइए जनसे वह पर्यावरण का क्षरण कर रहा है।
8. उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए।
9. आपदा प्रबन्धन का क्या अर्थ है? हम आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

1. जैविक–पौधे, जानवर, रोगाणुओं, बैक्टीरिया

   अजैविक–पानी, मिट्टी, स्थलाकृति, अग्नि

2. (क) प्राकृतिक, मानव निर्मित।

   (ख) निर्माण या इसका विकास।

   (ग) मानव निर्मित

   (घ) वह समय और स्थानकी अवधि बदलता है।

3. बच्चे अपने क्षेत्र/इलाके के पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के नाम स्वयं लिखेंगे। उदाहरण पानी बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। वह खुद अन्य चीजों की सूची तैयार करेंगे।

26.2

1. (क) जैव विविधता
   (ख) हानिकारक गैसों, वैश्विक चेतावनी
   (ग) जल निकायों का प्रदूषण
   भूमि क्षरण
   (घ) ठोस अपशिष्ट
2. आपदा एक त्रासदी है जो ऋणात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को प्रभावित करता है, उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी, सुनामी, भूस्खलन, लंदन का जहरीला कोहरा, बाढ़, भूकम्प (कोई एक)
3. छात्रों को यह सर्वेक्षण स्वयं करना है।
4. उसे गतिविधियों स्वयं लिखनी है।

गतिविधि के लिए संकेत

26.1

उद्देश्य	मूल्यांकन उपकरण	गणना करने की कुंजी
पर्यावरण के विभिन्न घटकों को पहचानना	परीक्षणात्मक ज्ञानार्जन	स्तर-1 (0-33% अंक) अपर्याप्त उत्तर बच्चा पर्यावरण के उपयोग का केवल एक उत्तर दे पाएगा।
		स्तर-2 (34-55%) सुधार की आवश्यकता बच्चा पर्यावरण के उपयोग के केवल दो तरीके बता पाएगा।
		स्तर-3 (56-75%) लगभग सन्तोषजनक बच्चा पर्यावरण के उपयोग के तीन तरीके बता पाएगा।
		स्तर-4 (76-100%) अति उत्तम बच्चा उन सभी चार तरीको को बता सकेगा जिनमें पर्यावरण शब्द का उपयोग होता है।

27

शांति और सुरक्षा

क्या आपने ‘शांति और सुरक्षा’ के विषय में सुना है? जब शहर में या किसी राज्य के भीतर या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ हिंसक गतिविधि होती हैं, हमें बताया जाता है कि वहाँ शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यदि देश के भीतर कुछ उथल-पुथल होती है, तो इसको राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा कहा जाता है। यदि पुलिस बल या सेना को किसी क्षेत्र में विशेष रूप से तैनात किया जाता है यह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है या देश में कोई आंतकवादी गतिविधि होती है तो यह अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हमें यह भी बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतराष्ट्रीय संगठन शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए योगदान कर रहे हैं। इन दो शब्दों शांति और सुरक्षा का अलग-अलग भी प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म शांति की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से, हम मन की शांति या परिवार या समुदाय में शांति के बारे में चिंतित रहते हैं। हम यह भी पढते है कि जब लड़कियाँ और महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। समय-समय पर अलग-अलग संदर्भो में और अलग-अलग तरीकों से इन शब्दों का प्रयोग हमें भ्रम में डालता है। इसलिए हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संदर्भो में शांति और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम हो जायेंगे :

- विभिन्न संदर्भो में शांति और सुरक्षा के अर्थ की व्याख्या करने में;
- शांति और सुरक्षा के पारंपरिक और नई समझ की सराहना करने में;
- लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में शांति और सुरक्षा को रेखांकित करने में
- शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपागम और विधियों की सराहना करने में।

- उग्रवादी गुटों के विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की पहचान करने में और
- अंतर्राष्ट्रीय शंति और सुरक्षा में भारत के योगदान और संयुक्त राष्ट्र में इसकी भागीदारी का आकलन करने में।

27.1 शांति और सुरक्षा

27.1.1 अर्थ

प्रारम्भ में हम निम्नलिखित दिलचस्प कहानी की सहायता से शांति और सुरक्षा का अर्थ समझते हैं।

1. शांति

एक बार एक राजा ने कलाकारों को शांति पर सबसे अच्छा रंगीन चित्र बनाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। कई कलाकारों ने कोशिश की। राजा ने सभी चित्रों को देखा और दो चित्र छांटे जिनमें से वह अंततः एक सबसे अच्छा चित्र चुन सके। एक चित्र में एक शांत झील को चारों तरफ के पहाड़ से एक सही दर्पण के रूप में दर्शाया गया था। ऊपर नीले आकाश में सफेद बादल को खूबसूरती से झील में दर्शाया गया था। हर किसी ने सोचा कि वह शांति का एक सही चित्र था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वह बीहड़ आरै नंगे थे। ऊपर आसमान से एक तूफानी बारिश गिर रही थी और बिजली चमक रही थी। नीचे पहाड़ की बगल में तीव्र गति से बहते हुए एक विशाल झरने के पानी को झाग के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन झरने के पीछे एक झाड़ी में एक पक्षी का घोंसला बना था और पक्षी शांति से अपने बच्चों को खाना खिला रहा था। आपके अनुसार कौन से चित्र को पुरस्कार मिला होगा? राजा ने दूसरे चित्र को चुना। क्या आप जानते हो क्यों? राजा ने कारण बताया। शोर, परेशानी, या गड़बड़ी की अनुपस्थिति का तात्पर्य शांति नहीं है, शांति का अर्थ है इन सब के बीच में रहकर हृदय में शांति बनाए रखना।

क्या आपको लगता है कि राजा द्वारा चुना गया चित्र सही अर्थों में शांति को दर्शाता है? दरअसल शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ उपद्रव व टकराव का निरा अभाव हो। वास्तव में, मानवीय दुनिया में गड़बड़ी या संघर्ष का पूर्ण अभाव असंभव है। हम शांति को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं न कि उस संदर्भ में जहां मनुष्य नहीं हैं। हम, इसलिए, इसे परिभाषित कर रहे हैं : शांति एक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यह सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है स्वस्थ सम्बंधों का अस्तितत्व। यह वह अवस्था है जिसका सम्बन्ध सामाजिक या आर्थिक कल्याण तथा समानता से है। इसका सम्बंध एक कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सब के सच्चे हितों की पूर्ति होती है।

2. सुरक्षा

शब्द 'सुरक्षा' हमारे दैनिक जीवन की बातचीत में, समाचार पत्रों में, अधिकारिक परिचर्चा में भी प्रकट होता रहता है। सुरक्षा की बात व्यक्तिगत, संस्थागत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय से लेकर अन्तराष्ट्रीय

स्तर तक होती है। हम सब विभिन्न उपायों के द्वारा अपने घरों या उन क्षेत्रों को जहाँ हम रहते है सुरक्षित करते हैं। हम जानते है कि मंत्रियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रमुख सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों या धमकी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयोग उसके विभिन्न अर्थो की और संकेत करता है। सामान्यतः इसका अर्थ है सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना। व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व की कुशलता भी इसका अर्थ है। हालांकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है बेहद खतरनाक संकटों से बचाव। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रति खतरों से भी सम्बंधित है।

3. शांति और सुरक्षा

दोनों शब्दो के विभिन्न अर्थ जान लेने के बाद यह तय है कि शांति और सुरक्षा अविभाज्य हैं। साथ-साथ देखने पर पता चलता है कि यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति, संस्थाए, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व बिना किसी खतरे के एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र, राष्ट्र सामान्यः रूप से शासित और मानवाधिकार के प्रति आदरवान होते हैं। संघर्ष न सिर्फ संकट और भय उत्पन करता है, अपितु आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रगति को भी बाधित करता है।

क्रियाकलाप 27.1

निम्नलिखित दो परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और यह पहचान करें कि दोनों में से कौन-सी स्थिति शांति और सुरक्षा की सही स्थिति है? अपने उत्तर का कारण बताइए।

1. एक सैनिक तानाशाह द्वारा शासित देश में सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ हर जगह शांति दिखाई देती है। सत्ताधारी सूमह को सभी विशेषाधिकार प्राप्त है। लोग गरीब है और यहाँ तक कि एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं; लेकिन वे चुपचाप सत्तारूढ़ गुट की बात मानते हैं। वहाँ न कोई विरोध है और नही सरकार को कोई खतरा। बाहरी खतरे के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।

2. एक लोकतांत्रिक देश है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोग सभी बुनियादी अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का आन्नद ले रहें है। वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। कभी-कभी, वहाँ शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन होते है जिनके प्रति सरकार सकारात्मक रवैया अपनाती है। लोग अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है।

27.1.2 शांति और सुरक्षा की पारम्परिक और नई समझ

जब हम शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तब हम अक्सर इसे परम्परागत धारणा से जोड़ देते हैं जो युगों से सैनिक या सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रही है। खतरे का

स्त्रोत एक देश द्वारा दूसरे देश के विरूद्ध सैनिक कारवाई करने की धमकी होती है। यह देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा अखंडता के अतिरिक्त उसके लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करती है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में सैनिक कारवाई के खतरे के कारण को सम्बंधित देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते या एक दूसरे के विरूद्ध सैनिक करवाई द्वारा समाप्त किया जाता है। देश अपनी प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर, सीमा पर सशस्त्र बल की तैनाती करके रोकथाम के कदम भी उठाते हैं। कुछ देश दूसरे देशों के साथ यह संधि करके कि किसी भी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई होने पर वे संयुक्त कदम उठाऐंगे, शक्ति संतुलन के उपागम भी अपनाते हैं। जैसा कि हम जानते है मानवता को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष की धमकी से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है। लेकिन शांति और सुरक्षा की नई और गैर-परम्परावादी धारणा बहुत व्यापक है तथा मात्र सामरिक धमकियों तक सीमित नहीं। इसमें सम्पूर्ण मानव अस्तिव के प्रति व्यापक खतरे एवं आशंकाएं सम्मिलित हैं। इस अवधारणा में केवल क्षेत्र एवं राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों तथा पूरी मानवता को शामिल किया जाता है। सच तो यह है कि यह धारणा प्राथमिक रूप से व्यक्ति पर केन्द्रित है। यह सच है कि विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना शांति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन यह ही सब कुछ नहीं है। वस्तुत, शांति और सुरक्षा को सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मानव गरिमा के बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। शांति और सुरक्षा की नई धरणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को भुखमरी से मुक्त करने, उन्हें उनकी जरूरतों, बिमारियों तथा महामारियो से मुक्त कराने, पर्यावरणीय आक्रमण पर रोक लगाने तथा लोगों को शोषण तथा अमानवीय व्यवहारों से बचाने के लए शांति तथा सुरक्षा आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में शान्ति और सुरक्षा की नयी परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी अनके आशंकाए शामिल हैं। ये आंतकवाद, विद्रोह, जातिसंहार, मानवाधिकार से वंचित रखने, स्वास्थ्य संबंधी महामारियाँ, नशीले पदार्थों का व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से संबंधित आशंकाए हो सकती हैं।

पाठगत प्रश्न 27.1

1. रिक्त स्थानों को भरें :

   (क) शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ .... का निरा अभाव हो।

   (ख) शांति सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है .... का अस्तित्व।

   (ग) सुरक्षा का अर्थ है .... इसका यह भी अर्थ है ....

   (घ) मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है ....

2. शांति व सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यां माना जाता है?

3. शांति और सुरक्षा के पारम्परिक तथा नई या गैर पारम्परिक अवधारणाओं के बीच तीन आधारभूत अंतर क्या हैं?

27.2 लोकतंत्र और विकास के लिए शांति और सुरक्षा

लोकतंत्र और विकास तथा शांति और सुरक्षा के बीच पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकत्रंत काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। चुनाव के संचालन के लिए शांति आवश्यक है। शांति के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएँ काम नहीं कर सकतीं। शांति के वातावरण में ही नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए शांति और भी आवश्यक है। उपद्रव, हिंसा या युद्ध के माहौल में विकास गतिविधियाँ सम्भव नहीं हैं।

दूसरी और लोकतंत्र में विकास की अनुपस्थिति में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मोटे तौर पर देखा गया है कि लोकतंत्र युद्ध के पक्ष में नहीं होते। कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सभी देशों में यदि लोकतंत्र हो तो क्षेत्रीय शांति की सम्भावना बढ़ जाती है। जन असंतोष को बढ़ावा देने वाली शर्तों को दूर करने के लिए भी लोकतंत्र बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करती है। विकास भी शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है । यह सुनिश्चित करता है कि लोग अभाव ग्रस्तता की भावना से पीड़ित नहीं हैं जो उन्हे विरोध और हिंसक गतिविधियों की और प्रेरित करती है। किसी क्षेत्र के सभी देशों में जब विकास गतिविधियाँ चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो; नहीं तो उसका असर विकास पर पड़ेगा। विकास की पहल देशों में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में योगदान करती है।

? क्या आप जानते हैं

2 सितम्बर 2000 को संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्यों द्वारा स्वीकृत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Mellenium Development Goals) ने शांति और सुरक्षा को सफल विकास के लिए मुख्य शर्त के रूप में स्वीकार किया। 2005 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर विश्व शिखर सम्मेलन ने सार्वभौमिक रूप से माना कि ''विकास, शांति व सुरक्षा, एवं मानवाधिकार आपस में जुडे हुए हैं तथा एक दूसरे का संवर्द्धन करते हैं।''

27.3 शांति और सुरक्षा : भारतीय उपागम

किसी अन्य देश की तरह भारत में भी शांति और सुरक्षा चिन्ता का एक प्रमुख विषय रहा है। आप आखबारों में पढते होंगे या रेडिया और टेलीविजन से जानकारी प्राप्त करते होंगे कि हमारे देश में शांति और सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा विश्व शक्ति के रूप में इसका उदय इसे बाहरी खतरों के प्रति अतिसंवेनशील बनाता है। भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध ही नहीं लडना पड़ा है बल्कि अन्तराष्ट्रीय आंतकवाद से भी जूझना पड़ा है। आजादी से ही भारत विद्रोही एवं अलगाववादी आंदोलनों के आंतरिक खतरे का सामना करता रहा है। अपनी स्वतंत्रता के दो दशकों के बाद ही भारत ने नक्सली गतिविधियों का अनुभव किया जिसने अब भयावह

रूप धारण कर लिया है। इस संदर्भ में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम काफी पहले से, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हो गया था। संविधान में भी यह उपागम देखा जा सकता है। हालांकि जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप इस उपागम में कालांतर में परिवर्त्रन होते रहें हैं।

27.3.1 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांति और सुरक्षा के उपागम का विकास

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम के विचार और दृष्टिोण की शुरूआत हुई। नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता के उपरान्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की शर्तो को पूरा किया जाये। शांति कायम रखते हुए ही विकास प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व ने विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने तथा बढ़ावा देने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा। उन्होने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। उन्होने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय तथा पंथनिरपेक्षता पर बल देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने पर हुई आम सहमति का लक्ष्य ऐसी शर्ते तैयार करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरों के विरूद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दें।

? क्या आप जानते हैं

जवाहरलाल नेहरू ने कहा थाः

''परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत ने जो नीति अपनायी है वह नकारात्मक और तलस्थ नहीं है। यह एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण नीति है जो स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष तथा महात्मा गांधी के विचारों से निकलती है। प्रगति और विकास के लिए भारत मेंहमारे लिए शांति न सिर्फ परम आवश्यक है बल्कि विश्व के लिए भी सर्वोच्च महत्व की है।''

कोलंबिया विश्वविद्यालय में पंडित नेहरू के भाषण से उद्धृत (1949)

27.3.2 संविधान में शांति और सुरक्षा

संविधान निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित विचारों से प्रभावित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय में शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि शक्ति का और केन्द्रीकरण न हो क्योंकि केन्द्रीकरण क्षेत्रीय और स्थानीय असंतोष को जन्म देता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। संघीय व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय राज्य सरकारें लेती हैं जो राज्य के लोगों की सभी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में हैं। स्थानीय सरकारें विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करती हैं तथा सभी जरूरतों और आवश्यकताओं का ख्याल रखती हैं।

क्या आप जानते हैं

संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार :

"राज्य प्रयास करेगा : (क) अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का।

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने इसतरह एक बहुआयामी उपागम और विधि अपनायी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा देने की नीति अपनायी। शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढावा तथा आंतकवाद का उन्मूलन करने वाले प्रयासों का समर्थन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, न्यायोचित आर्थिक विकास तथा सामाजिक विषमाताओं को दूर करने के प्रति बचनबद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को सिर्फ चुनावों में ही नहीं बल्कि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि समाज का कोई भी वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके विरूद्ध कोई भेदभाव हो रहा है या उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि यही भेदभाव की भावना असंतोष को जन्म देती है और विद्रोह और राजनीतिक हिंसा की ओर ले जाती है जो शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है।

पाठगत प्रश्न 27.2

1. भारत को अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए विशेष उपागम विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2. शांति और सुरक्षा के उपागम के विकास में राष्ट्रीय आन्दोलन का क्या योगदान रहा?
3. भारत के संविधान में वर्णित शांति और सुरक्षा का उपागम क्या है?
4. आपके अनुसार शान्ति और सुरक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है?

27.4 शांति और सुरक्षा के आंतरिक खतरे

आपने देखा होगा कि जब भी जान-माल को क्षति पहुँचाते हुए कोई आक्रमक विरोध एवं प्रदर्शन या हिसंक गतिविधियाँ होती हैं तो यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। किन्तु ऐसी कई घटनाएँ कानून व्यवस्था की समस्याएँ होती हैं जिन्हें पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाती है। हमारे लोकतंत्र में ऐसे विराध, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद और अन्य आंदोलन सरकार या अन्य सम्बधित अधिकारियों का ध्यान विशेष मांगो और चिंताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि भारत आंतकवाद या विद्रोह या नक्सल आंदोलन के वेष में कई तरह की हिंसक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है जो शांति और सुरक्षा के लिए अधिक गम्भीर खतरे हैं।

27.4.1 आंतकवाद

आतंकवाद हमारे देश में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 26 नवम्बर, 2008 जो आम तौर पर 26/11 के नाम से जाना जाता है, का मुम्बई पर आंतकवादी हमला बहुत ही घिनौनी घटना का प्रतीक है। वास्तव में, स्वतंत्रता से ही देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियाँ होती रही है। ये आंतकवादी जो हिंसक गतिविधियाँ करते है वे या तो विदेशी लोग है या ऐसे भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित, उनके द्वारा समर्थित तथा पथ भ्रष्ट हैं। कभी-कभी हम आंतकवादी गतिविधियों की परिभाषा करने में भ्रमित हो जाते है। वास्तव में आंतकवाद की परिभाषा को लेकर कोई आम समहति नहीं है। हालांकि भारत के संदर्भ में मोटे तौर पर आंतकवाद आवश्यक रूप से एक आपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा भय का माहौल बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है। आंतकवाद एक अपराधी कार्य है। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में अन्यायसंगत है चाहे इसको उचित ठहराने के लिए राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, प्रजातीय, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का तर्क दिया जाय।

चित्र 27.1 मुम्बई में आंतकी हमला

? क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 2004 में आतंकवाद की भर्त्सना का एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में आतंकवाद को निम्नांकित ढंग से परिभाषित किया गया था :

आतंकवाद ''आम जनता या व्यक्तियों के एक समूह पर विशिष्ट व्यक्तियों में आतंक पैदा करने जनता को भयभीत करने या किसी सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या नहीं करने के लिए बाध्य करने के इरादे से लोगों की जान लेना या उन्हे गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने या उन्हे बंधक बनाने के उद्देश्य से किए जानेवाले आपराधिक कृत्य हैं। इनमें वे सभी कृत्य सम्मिलित हैं जो आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा विज्ञप्रियों द्वारा परिभाषित अपराधों के क्षेत्र में आते हैं। इन कृत्यों को राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक,

प्रजातिगत, विजातीय, धार्मिक या अन्य किसी तरह के तर्क के आधार पर किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः सभी राज्यों से यह अपील की जाती है कि वें ऐसे कृत्यों पर रोक लगाएँ और यदि रोक नहीं सकें तो ऐसे कृत्यों के लिए गंभीरता के दंडित करें।

जैसा कि हमने अनुभव किया है कि आतंकवादी सैकड़ो निर्दोष लोगों को जान से मारने और घायल करने के उद्देश्य से भीड़ भाड़वाले सार्वजनिक स्थान पर बम धमाका करते है या अंधाधुंध गोली चलाते हैं। गिरफ्तार और जेल में सड़ रहे आंतकवादियों को छुड़ाने जैसी मांगो को मनवाने के लिए वे हवाई जहाज का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष यात्रियों की जान लेते हैं ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। गतिविधियों से सार्वजनिक और व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी क्षति पहुँचती है। वे आंतक का माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को और सरकार को डराने के लिए घिनौने कार्य करते हैं।

कार्यकलाप 27.2

1992 के बाद किए गए भारत के विभिन्न शहरों में आंतकवादी हमलों के बारे में जानकारी एकत्र करें और निम्न तालिका में उनकी सूची तैयार करें :

क्र.सं	आंतकी हमले की तिथि	शहर का नाम	हमले का प्रकार बम विस्फोट या गोलीबारी या दोनों	मृत और घायलों की संख्या

27.4.2 विद्रोह

विद्रोह, सरकार जैसी गठित एक संस्था के विरूद्ध एक सशस्त्र विद्रोह है। आजादी से ही भारत ने विद्राही आन्दोलन से संबंधित हिंसा का अअनुभव किया है। मोटे तौर पर उन्हे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : राजनीतिक उद्देश्य से चलाए गए आंदोलन तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आन्दोलन। सबसे प्रमुख उग्रवादी गुट हैः जम्मू और कश्मीर तथा असम में कार्यरत हिंसक चरमपंथी अलगावादी, तथा भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों; अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विभिन्न उग्रवादी गुट। हालांकि इन गुटों के सभी सदस्य भारतीय है, परन्तु उन्हें पड़ोसी देशों से सहायता मिलती है। ये उग्रवादी आंदोलन चल रहें है क्योंकि इनमें शामिल गुट अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं जबकि कुछ ऐसे भी गुट है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर और असम में, जिनका राजनीतिक एजेंडा है। वे देश से पृथक होने लिए संघर्षशील हैं। उन गुटों को पड़ोसी देशों तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवादी गुटों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

27.4.3 नक्सलवादी आंदोलन

विभिन्न प्रकार की जटिलवाओं के कारण नक्सलवादी आंदोलन चिंता का विषय है। इसकी शुरूआत पश्चिम बंगाल के एक गाँव से हुई, किन्तु अब यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए बारह राज्यों के 125 जिलों में फैल गया है। नक्सलवादी अक्सर सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों तथा ऐसे लोगों पर जिन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं, हमला करते हैं। वे वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी विकास कार्य के भी खिलाफ है। सरकार गाँवों तथा जंगलों में पक्की सड़क बनाना चाहती है परन्तु नक्सलवादी किसी भी विकास कार्य को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें पता है एक बार विकास हो जाता है तो वे शायद लोगों का समर्थन खों बैठेंगे। इसलिए वे निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं कि सरकार उनसे खनिज सम्पदा तथा उनके जंगल उनसे छीनना चाहती है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन के उद्‌भव और प्रसार का बुनियादी कारण समाज के कुछ वर्गो के बीच असंतोष है। वे युवक जो इस आन्दोलन की हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं मोटे तौर पर समाज के उन वर्गो से जुड़े हुए है युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव का खामियाजा भुगत रहें है जैसे अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा दलित। आपको पता होगा या आपने अनुभव भी किया होगा कि किस तरह इन वर्गो के सदस्यों को समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत में हो रहें विकास के लाभ उन वर्गो तक पूरी तरह नहीं पहुँच रहे है। कारण जो भी हो, विकास उन लोगों की आशा और आकांक्षाएँ पूरा करने में सफल नहीं है।

चित्र 27.2 नक्सलवादी

? क्या आप जानते हैं

भारत में नक्सली विद्रोह मार्च 1967 में शुरू हुआ जब चारू मजुमदार और कानु सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक गुट ने नक्सलवादी में किसान विद्रोह शुरू किया। एसे तब हुआ जब न्याधिक आदेश के बावजूद एक आदिवासी युवक को अपनी जमीन जोतने से रोका गया और स्थानीय जमींदार के गुण्डों ने उस पर हमला किया आदिवसियों ने जवानी कारवाई की और भूमि के मालिक को उपज में उसका हिस्सा देने से इन्कार कर दिया और उसके भंडार से सारा अनाज उठा लिया। एक ऐसी आग भडकी जो पूरे राज्य में फैल गया। जल

प्रयोग द्वारा कुछ भूमि सुधार लाया गया। यह आंदोलन का पहला चरण था। बाद में राज्य के लिए चुनौती पेश करते हुए नक्सलवादी आंदोलन का दूसरा चरण नौ राज्यों में फैल गया-बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आन्ध्रपदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आदिवासी बहल क्षेत्रों में नक्सलवादी कंगारू कोई (स्वयं भू अदालत) लगाते हैं जहाँ ठेकेदार, खदान मालिको, व्यापारियों तथा यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों पर भी पुर्माना लगाते हैं। आंदोलन ने लाखों कामगारों की सेना तथा सहानुभूति रखनेवालों को तैयार किया है जो यह मानते है कि गुटिल्ला युद्ध रणनीति द्वारा भारत को मुक्ति दिलाई जा सकती है।

27.4.4 सरकार की रणनीति

भारत सरकार आंतकवाद विद्रोह और नक्सलवादी आन्दोलन से निपटने कि लिए रणनीतियाँ और तरीके अपना रहीं है। यह आंतकवाद से लडने के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा कभी भी आंतकवादी हमले होने पर उनका समर्थन मांगती है। कूटनीतिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों पर अर्न्राष्ट्रीय दबाव बनाती है कि वे ऐसे आंतकवादी गुटों को अपना सक्रिया समर्थन न दें। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों के दृष्टिगत विद्रोही गतिविधियों का सवाल है, भारत सरकार इससे कूटनीति से निपटने की कोशिश बांग्लादेश के साथ संधि की है कि वे विद्रोही आंदोलन को सहायता और समर्थन देने से बचें। ऐसा करने के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अर्न्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकारों ने प्रारम्भ में इसे कानून-व्यवस्था की समस्या माना। लेकिन यह महसूस किया गया कि यह एक ज्यादा गम्भीर मुद्दा है जिसके गहरे सामाजिक आर्थिक आयाम हैं। उन क्षेत्रों में विकास के गति बड़ाने तथा युवकों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

क्रियाकलाप 27.3

निचे लिखे गए कथन पर अपनी राय व्यक्र करने के लिए आसानी से उपलब्ध अपने मित्र, सहपाठी, अध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध करें। उनकी संख्या कम-से-कम पाँच हो। उन्हें कथन से सहमत या असहमत होने के कारण बताना चाहिए।

1. सरकार को नक्सलवादी आंदोलन को कुचल देना चाहिए, सभी नक्सलियों को बन्दी बना लेना चाहिए या जान से मार देना चाहिए ताकि शांति और सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

2. शांति और सुरक्षा को भंग करने से प्रभावी ढंग से रोकने , उन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार को नक्सलवादी आन्दोलन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए नक्सलियों को हिंसा का त्याग कर मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

निम्न तालिका में उत्तर के कारणों को लिखें। इन उत्तरों के आधार पर, एक संक्षिप्त लिखें कि आप किस तरह नक्सलावादी आंदोलन की समस्या को हल कर सकते हैं

कथन सं.	कारण
कथन 1	1. 2. 3. 4. 5.
कथन 2	1. 2. 3. 4. 5.

पाठगत प्रश्न 27.3

1. रिक्त स्थानों को भरें :

   (क) भारत में इन रूपों में हिंसक गतिविधियों का अनुभव किया गया : (i) ....(ii) .... (iii) ....

   (ख) आंतकवाद एक आपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा (i) .... तथा समान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम नागरिकों पर (ii) .... किया जाता है।

   (ग) भारत में विद्रोह दो तरह के है : (i) .... चलाए गए आंदोलन (ii) .... आंदोलन।

2. विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सी मुख्य राणनीतियाँ अपनाई गई हैं?

3. आपके अनुसार , विद्रोह की समस्या का हल करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

27.5 भारत और अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर समान रूप से परेशान रहा है। यह इसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। अन्य राष्ट्रो की तरह, भारत की विदेश नीति भी राष्ट्रीय हित पर आधारित है। भारत ने एक ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष कर हमारे पड़ोस में तथा हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मुख्य चिंता का विषय है। वास्तव में स्वतंत्रता

से ही भारत के विदेश नीति के मुख्य ददेश्य हैं (क) विदेश नीति निर्माण में स्वतंत्रता; (ख) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा; (ग) अन्य राष्ट्रों तथा विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध; (ड) शस्त्रीकरण; उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जाति भेद का विरोध; (च) विकासशील देशों में सहयोग। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस विदेश नीति का भारत ने निरन्तर पालन किया उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते है, हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में इसमें बदलाव भी लाए गये हैं।

27.5.1 गुट निरपेक्षता की नीति

गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भारत ने उस युग में गुट निरपेक्षता की अवधारणा की विकास प्रक्रिया का नेतृत्व किया जब विश्व दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित थाः प्रथम गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमों देशों और दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। यह दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध की स्थिति के रूप में जाना जाता था। सीधे तौर पर युद्ध में टकराए बिना शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य अफ्रिका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के देशों को अपने गुट में शामिल करने की होड़ थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद प्रारम्भ हुआ और 45 वर्षो तक चला। ये दोनों शक्तिशाली देश दो विपरीत ध्रुव बन गए और विश्व राजनीति इनके इर्द गिर्द घुमने लगी। वास्तव में विश्व द्वि-ध्रुवीय बन गया।

अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा गठित दो सैन्य संधियों में बिना शामिल हुए गुट निरपेक्षता का उद्देश्य विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र रहने का था। गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता थी, और न ही अलगाववाद। यह एक ऐसी गतिशील सक्रिय अवधारणा थी जिसका अर्थ था किसी सैन्य गुट से प्रतिबद्ध हुए बिना हर मामले के गुण-दोष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखना। विकासशील देशों में गुट निरपेक्षता की नीति के कई समर्थक थे क्योंकि इसने उन्हें अपनी प्रभुसत्ता सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान किया, साथ ही इसने तनाव युक्त शीत युद्ध की अवधि में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया। गुट निरपेक्षता के मुख्य निर्माता तथा गुट निरपेक्षता आंदोलन के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत ने इसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। आकार और महत्व को नजर अन्दाज करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण तथा विश्व रातनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

? क्या आप जानते हैं

नेहरू ने गुट निरपेक्ष देशों में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा मिस्त्र के कर्नल राष्ट्रपति नासिर के साथ विशेष संबंध स्थापित किया । इन तीनों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन नव स्वतंत्र देशों का समूह था जिन्होने पूर्व औपनिवेशिक ताकतों का आदेश मानने से इन्कार कर अन्तराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने स्वतंत्र निर्णय के अनुसार काम करने का निर्णय लिया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद विरोधी भी रहा है।

चित्र 27.3 नेहरू, एंक्रुमा, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो (बाएँ से दाहिन) गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता

गुट निरपेक्ष आंदोलन चूंकि शीत युद्ध तथा द्विध्रुवीय विश्व का परिणाम था, सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न लगे। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रथम, सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनियाँ के सामने एक घ्रुविय विश्व का खतरा बना हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन अमेरिकी प्रभुत्व पट रूकावट का काम कर सकता है। द्वितीय; विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) विश्व कई आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाजित है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन विकासित देशों के साथ एक अर्थपूर्ण वार्तालाप के लिए विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक शक्तिशाली संगठन साबित हो सकता है। विकासशील देशों को विकसित देशों के समक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक व सार्थक है। अंततः विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र में सुधार तथा 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल उसे ढालने के लिए विकासशील देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन के झंडे तले एक जुट होकर संघर्ष करना पडेगा।

27.5.2 संयुक्त राष्ट्र को समर्थन

भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र को विश्व राजनीति में शांति और सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन के वाहक के रूप में देखा है। संयुक्त राष्ट्र के 51 में से एक संस्थापक संदस्य के रूप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के उसके प्रयासों का खुलकर समर्थन करता रहा है। भारत ये आशा करता है कि संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा देशों के बीच मतभेद को कम करने के लिए प्रयास करता रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की भी वकालत की है। इसने संयुक्त राष्ट्र में इन देशों की सामान्य एकजुटता की बात की है। इसका मानना है कि गुट निरपेक्ष देश अपनी संख्या के दम पर महाशक्तियों को अपने हित में इस विश्व संस्था का इस्तेमाल करने से रोककर संयुक्त राष्ट्र में एक सकारात्मक तथा अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकते है। संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इसके सुधार की प्रक्रिया की पहल की गई है तथा इसके स्थायी सदस्यों की संख्या को बढाने की सम्भावना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिये भारत की प्रमुख दावेदारी है।

चित्र 27.4 संयुक्त राष्ट्र भवन, न्यूयार्क

क्रियाकलाप 27.4

सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या की जानकारी एकत्र करें और पता करें कि इसके कितने स्थायी सदस्य हैं। यह जानकारी आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर पुस्तक में देख सकते हैं या इन्टरनेट की सहायता ले सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर निम्न विषयों का समावेश करते हुए एक लेख लिखिए : (क) सिर्फ इन्ही देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? (ख) भारत को इसका स्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए?

पाठगत प्रश्न 27.4

1. भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य क्या हैं?
2. भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनायी?
3. रिक्त स्थानों को भरें:
   1. भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का .... था।
   2. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को हमेशा विश्व राजनीति में .... वाहन के रूप में देखा।
   3. भारत संयुक्त राष्ट्र का .... तथा .... जैसे अन्य प्रयासों में खुलकर समर्थन करता रहा है।
   4. सुरक्षा परिषद् का .... बनने की भारत की प्रमुख दावेदारी है।

आपने क्या सीखा

- शांति और सुरक्षा एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं।

- शांति एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करता है। यह सद्‌भावना की स्थिति है जिसमें निम्न बातें पाईजाती हैं : (क) स्वस्थ अन्तरवैयक्रिक या अन्तर समूह या अन्तर क्षेत्रीय या अन्तर राज्य या अन्तरराष्ट्रीय सम्बंधों का अस्तित्व; (ख) सामाजिक या आर्थिक कल्याण में समृद्धि; (ग) समानता की स्थापना; (घ) सभी के सच्चे हितों की रक्षा करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था। अन्तर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शांति केवल युद्ध या संघर्ष का अभाव नहीं है बल्कि सामाजिक सांस्कृति तथा आर्थिक समझ और एकता की भी उपस्थिति है सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए सम्बंधों में सहिष्णुता की भावना होती है।

- सामान्य अर्थो में, सुरक्षा का अर्थ है भयमुक्त सुरक्षित अवस्था या भावना। इसका अर्थ एक व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र या विश्व की सुरक्षा भी है। हलांकि सुरक्षा का मौलिक अर्थ है अत्यधिक भयानक खतरे से बचाव। इसका संबंध उन संकटों से भी है जिससे मानवधिकार जैसे आधारभूत मूल्यों को खतरा है।

- पारम्परिक रूप से शांति और सुरक्षा युगों से सैनिक, सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रहा है। परन्तु नई समझ मानवीय शांति और सुरक्षा या वैश्विक शांति और सुरक्षा पर केन्द्रित है। यह मूलरूप से व्यक्ति को सम्बोधित करता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रखरखाव की पूर्व शर्त है।

- शांति और सुरक्षा लोकतंत्र और विकास की आवश्यक शर्त है। वास्तव में, लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास के अभाव में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।

- भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम और तरीके काफी पहले, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित होने शुरू हो गए थे। यह उपागम संविधान में भी परिलक्षित होता है। हलांकि जरूरतों के अनुसार कालान्तर में इस उपागम में बदलाव आ रहे हैं।

- शांति और सुरक्षा के गम्भीर खतरे के रूप में भारत आंतकवाद, विद्रोह या नक्सलवादी आंदोलन के भेस में कई तरह के हिंसात्मक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है। भारत सरकार आंतकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तथा तरीके अपनाती रही है।

- भारत अर्न्तराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति की नीति को विकास के लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि अन्य देश की तरह, भारत की विदेशी नीति राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।

- गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व जब दो गुटों में विभाजित था उस अवधि में भारत ने गुट निरपेक्षता की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान किया। आकार और महत्व को नजर अंदाज करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को विश्व निर्णय निर्माण तथा विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

- भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति वहाली कार्रवाई को तथा निरस्त्रीकरण जैसे अन्य प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देता रहा है।घ्साथ ही, भारत विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत करता है। भारत दूसरी सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है, इसका सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में शांति बहाली, तथा विकासशील देशों के हितों को बढावा देने का रिकार्ड रहा है, इसलिए भारत का सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावा है।

पाठान्त प्रश्न

1. शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसकी पारम्परिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है?
2. क्या आप सहमत है कि शांति व सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध है? अपने अत्तर को स्पष्ट कीजिए।
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए रणनीति और विधि के विकास में क्या योगदान हैं??
4. भारत में शांति ओर सुरक्षा के कौन से गम्भीर खतरे हैं? इनसे निपटने के लिए भारत कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति और तरीके अपनाता रहा है?
5. शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती प्रकृति के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति कैसे प्रासंगिक है।
7. भारत संयुक्त राष्ट्र को किस तरह समर्थन देता रहा है? भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. (क) उपद्रव और टकराव

   (ख) स्वस्थ संबंधों

   (ग) सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व की कुशलता

   (घ) बेहद खतरनाक संकटो से बचाव
2. क्योंकि यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते है। इस अवस्था में क्षेत्र या राष्ट्र आमतौर पर आंतरिक रूप से ज्यादा स्थिर

होते हैं, सम्भवतः लोतांत्रिक तरीके से शासित होते है। और मानवाधिकार के प्रति अनादर होता है। संघर्ष न सिर्फ खतरा और भय को जन्म देते है बल्कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन को भी नुकासन पहुँचाते हैं।

3. (i) शांति और सुरक्षा की नई व गैर पारम्परिक धारणा काफी व्यापक है तथा सैन्य धमकी के अतिरिक्त खतरों का प्यापक क्षेत्र तथा मानव अस्तित्त्व को खतरों को भी समाविष्ट करती है। (ii) इसमें न केवल क्षेत्र और राष्ट्र शामिल है बल्कि व्यक्ति या समुदाय और मानवता भी की सुरक्षा भी इसके दायरे में आती है (iii) नईघ्समझ के अनुसार शांति और सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रख रखाव के पूर्व शर्त्त के रूप में देखा जाता है। (iv) नई धारणा में वयक्ति के लिए भूख से मुक्ति, आवश्यकताओं, बीमारियों तथा महामारियों, पर्यावरणीय क्षरण, शोषण तथा अमानवीय व्यवहार से मुक्ति शामिल है।

27.2

1. लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। जब शांति स्थापित होती है तभी नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने के प्रक्रिया में भाग ले सकते है। शांति विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरी और, लोकतंत्र और विकास के आभाव में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जन आक्रोश की स्थिति को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र बेहतर स्थिति में होता है। विकास शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं।

2. विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विचार और दृष्टिकोण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने भली भांति समझा कि स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कारगर हो सकती है जब विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल हो जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने के लिए आम सहमति का लक्ष्य उस स्थिति प्राप्त करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरे के विरूद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दे सके।

3. संविधान राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में विश्व शांति और सुरक्षा की चर्चा करता है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा के खतरे को मिटाना है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा देने के लक्ष्य की नीति को अपनाया। संविधान में विश्व या क्षेत्रीय स्तर पर शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आंतकवाद के उन्मूलन के लिए हर सम्भव समर्थन देने का प्रावधान है।

4. लोकतंत्रिक संस्थाएँ तथा प्रक्रिया को सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज किए जाने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

27.3

1. (क) (i) आंतकवाद (ii)विद्रोह (iii) नक्सलवादी आंदोलन
   (ख) (i) भय का माहौल बनाने के लिए (i) घातक हमला
   (ग) (i) राजनीतिक उद्देश्य से (ii) सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए
2. भारत सरकार आंतकवाद से लडने के लिए सभी देशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा किसी आंतकवादी हमले की स्थिति में उनका समर्थन लेती रही है। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों की प्रप्ति के लिए विद्रोही गतिविधियों का प्रश्न है, भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इसका सामना करने का प्रयास करती है। भारत ने म्यांमार तथा हाल ही में बांग्लादेश के साथ संधि की है जिससे इन देशों से विद्रोही आंदोलनों को मिलने वाले समर्थन और सहायता को रोका जा सके। ऐसा करने के लिए यह पाकिस्तान पर भी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संबंध में यह महसूस किया गया कि गहरे सामाजिक, आर्थिक विभाजन होने के कारण यह एक गम्भीर मामला है। उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने तथा युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3. सरकार को देश के सभी क्षेत्रों के सर्वागण विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों। भागीदारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए उसमें लगी संस्थाओं और प्रक्रिया को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के प्रयास आवश्यक है। आतंकवाद को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे।

27.4

1. (i) नीति निमार्ण में स्वतंत्रता (ii) अन्तराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा (iii) अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध (iv) संयुक्त राष्ट्र को समर्थन (v) शस्त्रीकरण उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिभेद का विराध तथा (vi) विकासशील देशों के बीच सहयोग।
2. अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा निर्मित दोनों में से किसी भी सैन्य संधि में शामिल हुए बगैर विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता बनाए रखना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य है। गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील देशों को अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा तनावपूर्ण शीत युद्ध की अवधि में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन आकार और महत्त्व को नजरअंदाज करते हुए सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण और विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
3. (क) मुख्य निर्माता
   (ख) शांति और सुरक्षा तथा शंतिपूर्ण परिवर्तन के लिए
   (ग) शांति बहाली कारवाई, निरस्त्रीकरण?
   (घ) स्थायी सदस्य